खण्ड-519, अंक-03
बुधवार, 30 भाद्रपद, शक संवत् 1944
(21 सितम्बर, 2022 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

-: 0 :-

(अधिकृत विवरण)

(अट्ठारहवीं विधान सभा, द्वितीय सत्र, वर्ष 2022)

(खण्ड 519 में 05 अंक हैं)
डत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक :
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, डत्तर प्रदेश, लखनऊ (भारत)
2022

मूल्य : बिना महसूल 16.75 रुपये, महसूल सहित 21.00 रुपये।
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 586.25 रुपये, महसूल सहित 724.25 रुपये।

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ संख्या
उपस्थित सदस्य	1-7
नेता प्रतिपक्ष द्वारा मो0 आज़म खान के प्रकरण को सर्वप्रथम सुने जाने का पीठ से अनुरोध... ...	9
प्रश्नोत्तर	9-156
उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्यों एवं प्रसिद्ध हास्य कलाकार श्री राजू श्रीवास्तव के निधन पर शोकोद्‌गार	156-161
नेता प्रतिपक्ष द्वारा कल स्वास्थ्य विभाग पर दिये गये वक्तव्य के सम्बन्ध में उप मुख्य मंत्री का स्पष्टीकरण	161-167
राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या 424/ग्यारह-2-22-9(47)-17 टी0सी0-183 उ0प्र0 अधि0-1-2017 आदेश-(236)-2022, दिनॉक 09 जून, 2022 (सदन के पटल पर रखी गई) ...	167
नियम-301 के अन्तर्गत सूचनाएं	168-169
जनपद बांदा में यमुना नदी पर पुल के निर्माण के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	170
जनपद बुलन्दशहर के नगर पालिका के वार्ड संख्या-19 में घनी आबादी से गुजर रही 33 के0वी0ए0 विद्युत लाईन को अन्यत्र विस्थापित करने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	170
जनपद एटा में पुलिस चौकी बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	170-171
जनपद गाजीपुर में तैनात मुख्य विकास अधिकारी द्वारा किये गये भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना...	171
जनपद अमेठी के जगदीशपुर में यू0पी0एस0आई0डी0सी0 आवासीय कालोनी में की गई अवैध प्लाटिंग के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	171-172
गोरखपुर विकास प्राधिकरण द्वारा महायोजना 2021 के आवासीय भू-प्रयोग की भूमि को अनुचित एवं अवैध रूप से परिवर्तित कर ग्रीन बेल्ट तथा नगर वन किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	172
जनपद बरेली में सड़क का चौड़ीकरण एवं सौन्दर्यीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	173

विषय	पृष्ठ संख्या
जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र बदलापुर के अन्तर्गत पीली नदी पर पुल बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	173
जनपद बुलन्दशहर के विधान सभा क्षेत्र सिकन्दराबाद में प्राथमिक विद्यालय स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	173-174
जनपद सीतापुर के अन्तर्गत रेउसा को तहसील बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	174
प्रदेश में हो रही अभूतपूर्व विद्युत कटौती के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	174-175
जनपद जौनपुर के अन्तर्गत मछलीशहर बस स्टैण्ड पर बसों का ठहराव व बस डिपो की स्थापना किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	175
जनपद उन्नाव की विधान सभा क्षेत्र सफीपुर में सम्पर्क मार्गों के नवनिर्माण कार्यों की स्वीकृतियां प्रदान करने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	175-176
जनपद उन्नाव के नगर पंचायत मोहान में शहरी फीडर से विद्युत आपूर्ति कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	176
जनपद अयोध्या स्थित आचार्य नरेन्द्र देव कृषि एवं औद्योगिक विश्वविद्यालय में भर्ती में हो रही अनियमितता के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	176
जनपद मेरठ की विधान सभा क्षेत्र सिवाल खास के नगर पंचायत खिवाई के बीचो-बीच तालाब के सौन्दर्यीकरण/निर्माण के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	177
जनपद सुल्तानपुर के अन्तर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बिन्देश्वरी बहुरावां की बिल्डिंग को ठीक करवाकर ओ0पी0डी0 सेवा शुरू करवाने तथा विशेषज्ञों द्वारा गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	177
जनपद ललितपुर के शहरी भाग में घंटाघर से गोविन्द सागर के मुहाने तक मार्ग का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	178

विषय	पृष्ठ संख्या
जनपद गोण्डा के विधान सभा क्षेत्र तरबगंज में महर्षि पतंजलि जन्म स्थली को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	178
जनपद सहारनपुर के विधान सभा क्षेत्र बेहट में तीर्थ स्थल में पुल व सड़क के निर्माण के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	178-179
जनपद आगरा के विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर सीकरी में फर्जी तरीके से भूमि का बैनामा किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	179
जनपद बिजनौर की विधान सभा क्षेत्र नगीना के अन्तर्गत छोईया नदी पर वाक्स कन्वर्ट (पुल) का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	179-180
जनपद मथुरा के विधान सभा क्षेत्र बल्देव में मार्ग को पक्का एवं चौड़ीकरण का कार्य किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	180
प्रदेश में आये दिन छद्मवेषी लोगों के द्वारा शासन को भेजी जाने वाली कपोल कल्पित शिकायतों के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	180-181
औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं (जारी)	181
विधान सभा की समितियों के गठन के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न ...	181-182
प्रश्नों के उत्तर देने में मंत्रियों द्वारा अधिक समय लिए जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न	182-184
राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-461/ग्यारह-2-22-9 (47)-17-टी0सी0- 184- उ0प्र0 अधि0-1-2017-आदेश-(237)- 2022, दिनांक 20 जून, 2022 (सदन के पटल पर रखी गई)... ...	184
राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-620/ग्यारह-2-22-9 (47)-17-टी0सी0-188-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(238)-2022, दिनांक 18 जुलाई, 2022 (सदन के पटल पर रखी गई)	184
राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-621/ग्यारह-2-22-9 (47)-17-टी0सी0-189- उ0प्र0अधि0-1-2017- आदेश-(239)-2022, दिनांक 18 जुलाई, 2023 (सदन के पटल पर रखी गई) ...	184-185
राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-622/ग्यारह-2-22-9 (47)-17-टी0सी0-190-उ0प्र0अधि0-1-2017- आदेश-(240)-2022, दिनांक 18 जुलाई, 2022 (सदन के पटल पर रखी गई)	185

विषय	पृष्ठ संख्या
राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-623/ग्यारह-2-22-9 (47)-17-टी0सी0-191- उ0प्र0अधि0-1-2017- आदेश-(241)-2022, दिनांक 18 जुलाई, 2022 (सदन के पटल पर रखी गई)	185
राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-624/ग्यारह-2-22-9 (47)-17-टी0सी0-192- उ0प्र0अधि0-1-2017- आदेश-(242)-2022, दिनांक 18 जुलाई, 2022 (सदन के पटल पर रखी गई)	185
राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-625/ग्यारह-2-22-9 (47)-17-टी0सी0-193- उ0प्र0अधि0-1-2017- आदेश-(243)-2022, दिनांक 18 जुलाई, 2022 (सदन के पटल पर रखी गई)	186
राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-626/ग्यारह-2-22-9 (47)-17-टी0सी0-194- उ0प्र0अधि0-1-2017- आदेश-(244)-2022, दिनांक 18 जुलाई, 2022 (सदन के पटल पर रखी गई)	186
राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-627/ग्यारह-2-22-9 (47)-17-टी0सी0-195-उ0प्र0अधि0-1-2017- आदेश-(245)-2022, दिनांक 18 जुलाई, 2022 (सदन के पटल पर रखी गई) ...	186
राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-628/ग्यारह-2-22-9 (47)-17-टी0सी0-196- उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(246)-2022, दिनांक 18 जुलाई, 2022 (सदन के पटल पर रखी गई)	187
राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-629/ग्यारह-2-22-9 (47)-17-टी0सी0-197- उ0प्र0अधि0-1-2017- आदेश-(247)-2022, दिनांक 18 जुलाई, 2022 (सदन के पटल पर रखी गई)	187
राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-630/ग्यारह-2-22-9 (47)-17-टी0सी0-198- उ0प्र0अधि0-1-2017- आदेश-(248)-2022, दिनांक 18 जुलाई, 2023 (सदन के पटल पर रखी गई) ...	187
राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-596/ग्यारह-2-22-9 (47)-17-टी0सी0-187- उ0प्र0अधि0-1-2017- आदेश-(249)-2022, दिनांक 21 जुलाई, 2022 (सदन के पटल पर रखी गई) ...	188
राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-594/ग्यारह-2-22-9 (47)-17-टी0सी0-185- उ0प्र0अधि0-1-2017- आदेश-(250)-2022, दिनांक 21 जुलाई, 2022 (सदन के पटल पर रखी गई) ...	188

विषय	पृष्ठ संख्या
राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-595/ग्यारह-2-22-9 (47)-17-टी0सी0-186- उ0प्र0अधि0-1-2017- आदेश-(251)-2022, दिनांक 21 जुलाई, 2022 (सदन के पटल पर रखी गई)	188
राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-716/ग्यारह-2-22-9 (47)-17-टी0सी0-199- उ0प्र0अधि0-1-2017- आदेश-(252)-2022, दिनांक 24 अगस्त, 2022 (सदन के पटल पर रखी गई)	189
उत्तर प्रदेश जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (आकस्मिक व्यय) (तृतीय संशोधन) नियमावली, 2022 (सदन के पटल पर रखी गई)	189
लोकायुक्त, उत्तर प्रदेश के प्रतिवेदन संख्या-16/2005, दिनांक 22 जुलाई, 2005 (स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित) (सदन के पटल पर रखा गया)	189
भारते के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन 31 मार्च, 2020 (सदन के पटल पर रखा गया)... ...	190
उप लोक आयुक्त, उत्तर प्रदेश के विशेष प्रतिवेदन संख्या-02-2019 (उप लो0आ0) दिनांक 18 जुलाई, 2019(स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित) (सदन के पटल पर रखा गया)	190
लोक आयुक्त, उत्तर प्रदेश के विशेष प्रतिवेदन संख्या-01/2010, दिनांक 08 जनवरी, 2010 (स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित) (सदन के पटल पर रखा गया)	190
उत्तर प्रदेश नगर पालिका वित्तीय संसाधन विकास बोर्ड के क्रिया-कलापों की वार्षिक रिपोर्ट वर्ष 2021-22 (सदन के पटल पर रखी गई) ...	190-191
उत्तर प्रदेश मोटर यान (अट्ठाइसवाँ संशोधन) नियमावली, 2022 (सदन के पटल पर रखी गई)	191
सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2021 (राष्ट्रपति महोदय की अनुमति की सूचना)	191
प्रत्येक सदस्य की एक दिन में केवल 05 याचिकाएं स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था	191-192
डॉ0 रागिनी, सदस्य, विधान सभा की जनपद जौनपुर से सम्बन्धित बीस याचिकायें (उपस्थित की हुई मानी गईं)	192-195
श्री सचिन यादव, सदस्य, विधान सभा की जनपद फिरोजाबाद से सम्बन्धित इक्यावन, जनपद हरदोई से सम्बन्धित एक एवं जनपद प्रयागराज से सम्बन्धित एक याचिका (उपस्थित की हुई मानी गईं)	195-201

विषय	पृष्ठ संख्या
श्री बृजेश कुमार, सदस्य, विधान सभा की जनपद उन्नाव से सम्बन्धित छः याचिकाएं (उपस्थित की हुई मानी गईं)	201
श्री बम्बालाल, सदस्य, विधान सभा की जनपद उन्नाव से सम्बन्धित छत्तीस याचिकाएं (उपस्थित की हुई मानी गईं)	202-205
श्री बेदी, सदस्य, विधान सभा की जनपद गाजीपुर से सम्बन्धित पन्द्रह याचिकाएं (उपस्थित की हुई मानी गईं)	205-207
श्री बेचई, सदस्य, विधान सभा की जनपद आजमगढ से सम्बन्धित बीस याचिकाएं (उपस्थित की हुई मानी गईं)	207-209
श्री महेन्द्र नाथ यादव, सदस्य, विधान सभा की जनपद बस्ती से सम्बन्धित उन्तीस याचिकाएं (उपस्थित की हुई मानी गईं)	209-212
श्री मौहम्मद फहीम इरफान, सदस्य, विधान सभा की जनपद मुरादाबाद से उन्नीस याचिकाएं एवं जनपद सम्भल से सम्बन्धित एक याचिका (उपस्थित की हुई मानी गईं)	212-214
श्री मनीष कुमार उर्फ मन्टू, सदस्य, विधान सभा की जनपद कुशीनगर से सम्बन्धित पाँच याचिकाएं (उपस्थित की हुई मानी गईं)... ...	214-215
श्री मनोज कुमार पाण्डेय, सदस्य, विधान सभा की जनपद रायबरेली से सम्बन्धित बारह, जनपद फिरोजाबाद व जनपद सुल्तानपुर से सम्बन्धित एक-एक याचिका (उपस्थित की हुई मानी गईं)...	215-216
श्री मूलचन्द्र सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद कुशीनगर से सम्बन्धित पाँच याचिकाएं (उपस्थित की हुई मानी गईं)..... ...	217
श्री विनोद चतुर्वेदी, सदस्य, विधान सभा की जनपद जालौन से सम्बन्धित उन्तालिस याचिकाएं (उपस्थित की हुई मानी गईं)...	217-221
श्री प्रसन्न कुमार सदस्य, विधान सभा की जनपद शामली से सम्बन्धित चार याचिकाएं (उपस्थित की हुई मानी गई)..... ...	221
श्री राम रतन कुशवाहा, सदस्य, विधान सभा की जनपद ललितपुर से सम्बन्धित ग्यारह याचिकाएं (उपस्थित की हुई मानी गई)...	221-222
श्री राहुल राजपूत उर्फ राहुल लोधी, सदस्य, विधान सभा की जनपद रायबरेली से सम्बन्धित पॉच याचिकाएं (उपस्थित की हुई मानी गईं)... ...	223
श्री रजीव सिंह उर्फ बब्बू भइया, सदस्य, विधान सभा की जनपद बदायूँ से सम्बन्धित तीस याचिकाएं (उपस्थित की हुई मानी गईं)... ...	223-226

विषय	पृष्ठ संख्या
श्री वीर विक्रम सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद शाहजहाँपुर से सम्बन्धित दस याचिकाएं (उपस्थित की हुई मानी गईं)...	226-227
श्री वाचस्पति, सदस्य, विधान सभा की जनपद प्रयागराज से सम्बन्धित दस याचिकाएं (उपस्थित की हुई मानी गईं)..... ...	227-228
श्री चन्द्रपाल सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद बुलन्दशहर से सम्बन्धित चार याचिकाएं (उपस्थित की हुई मानी गईं)...	228-229
श्री जवाहर लाल राजपूत, सदस्य, विधान सभा की जनपद झाँसी से सम्बन्धित सत्रह एवं जनपद लखनऊ से सम्बन्धित एक याचिका (उपस्थित की हुई मानी गईं)...	229-231
श्री जगदीश नारायण, सदस्य, विधान सभा की जनपद जौनपुर से सम्बन्धित दो याचिकाएं (उपस्थित की हुई मानी गईं)..... ...	231
श्री अनिल कुमार, सदस्य, विधान सभा की जनपद मुजफ्फरनगर से सम्बन्धित सात याचिकाएं (उपस्थित की हुई मानी गईं)...	231-232
श्री अशरफ अली खान, सदस्य, विधान सभा की जनपद शामली से सम्बन्धित तेइस याचिकाएं (उपस्थित की हुई मानी गईं)...	232-234
श्री गौरी शंकर वर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद जालौन से सम्बन्धित पाँच याचिकाएं (उपस्थित की हुई मानी गईं)...	234-235
श्रीमती महाराजी प्रजापति, सदस्य, विधान सभा की जनपद अमेठी से सम्बन्धित तीन याचिकाएं (व्यपगत)...	235
श्रीमती पूनम संखवार, सदस्य, विधान सभा की जनपद कानपुर देहात से सम्बन्धित चार याचिकाएं (उपस्थित की हुई मानी गईं)... ...	235-236
श्रीमती अनुपमा जायसवाल, सदस्य, विधान सभा की जनपद बहराइच से सम्बन्धित बत्तीस याचिकाएं (उपस्थित की हुई मानी गईं)... ...	236-240
श्रीमती अलका सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद हरदोई से सम्बन्धित दो याचिकाएं (व्यपगत)	240
डॉ0 मुकेश वर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद फिरोजाबाद से सम्बन्धित पच्चीस याचिकाएं (उपस्थित की हुई मानी गईं)...	240-243
डॉ0 डी0सी0 वर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद बरेली से सम्बन्धित बीस, जनपद वाराणसी से सम्बन्धित दो व जनपद लखनऊ से सम्बन्धित एक याचिका (उपस्थित की हुई मानी गईं)...	243-245

विषय	पृष्ठ संख्या
डॉ0 नीरज बोरा, सदस्य, विधान सभा की जनपद लखनऊ से सम्बन्धित सत्रह याचिकाएं (उपस्थित की हुई मानी गई)...	245-247
श्री राजेश्वर सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद लखनऊ से सम्बन्धित चार याचिकाएं (उपस्थित की हुई मानी गई)...	247
श्री अतुल प्रधान, सदस्य, विधान सभा की जनपद मेरठ से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गईं)...	248
श्री उमर अली खान, सदस्य, विधान सभा की जनपद सहारनपुर से सम्बन्धित आठ याचिकाएं (उपस्थित की हुई मानी गईं)...	248
श्री चन्दन चौहान, सदस्य, विधान सभा की जनपद मुजफ्फरनगर से सम्बन्धित नौ एवं जनपद लखनऊ से सम्बन्धित एक याचिका (उपस्थित की हुई मानी गईं)	249-250
श्री प्रकाश द्विवेदी, सदस्य, विधान सभा की जनपद बांदा से सम्बन्धित पांच याचिकाएं (उपस्थित की हुई मानी गईं).....	250
श्री राकेश प्रताप सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद कन्नौज से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गईं)...	250
श्री विवेक कुमार वर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद पीलीभीत से सम्बन्धित दस याचिकाएं (उपस्थित की हुई मानी गईं)...	251-252
कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिशें विषयक प्रस्ताव (स्वीकृत) ...	252
औचित्य के प्रश्न की सूचना	253
नियम-301 एवं नियम - 51 की सूचनाओं पर सही उत्तर न प्राप्त होने के सम्बन्ध में औचित्य के प्रश्न की सूचना...	253-254
कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं	254-268
उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक 2022 (पारित) ...	268-274
सामान्य भविष्य निधि (उत्तर प्रदेश) नियमावली 1985, नियम-12 (संशोधन और विधिमान्यकरण) विधेयक 2022 (पारित)	274-278
इण्टरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) अध्यादेश, 2022 के अननुमोदन का संकल्प (अस्वीकृत)	278-279
इण्टरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) विधेयक, 2022 (पारित)	279-280

विषय	पृष्ठ संख्या
भार-साधक मंत्री द्वारा ही सदन में प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाने सम्बन्धी व्यवस्था का प्रश्न	281
विधान सभा एवं लोक सभा के चुनाव में चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित खर्च सीमा तक चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को मिलने वाले चन्दे की धनराशि पर आयकर की छूट प्रदान किए जाने के सम्बन्ध में श्री लाल जी वर्मा द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रस्ताव पर चर्चा (अस्वीकृत)	282-284
जनपद लखनऊ में गोमती नदी के तटों पर काशी की भांति घाटों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री नीरज बोरा द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत प्रस्तुत पर चर्चा (जारी)	285
बिना कीटनाशक/रासायनिक खादों से उत्पादित उपज फल, सब्जी, अनाज का उचित मूल्य किसानों को दिलाये जाने हेतु बुन्देलखण्ड की कृषि भूमि की उर्वरा शक्ति को देखते हुए क्षेत्र को प्राकृतिक खेती का हब बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री जवाहर लाल राजपूत द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रस्ताव पर चर्चा (जारी)	285
जनपद शाहजहाँपुर के विधान सभा क्षेत्र कटरा के अन्तर्गत विकास खण्ड खुदागंज के ग्राम रेहरा में वैवहा नदी पर पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री वीर विक्रम सिंह प्रिंस द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रस्ताव पर चर्चा (जारी)	285-286
जनपद मुरादाबाद के विधान सभा क्षेत्र बिलारी में मेडिकल कालेज की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मौहम्मद फहीम इरफान द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रस्ताव पर चर्चा (अस्वीकृत)	286-287
जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र लालगंज के अन्तर्गत ग्राम सभा सराय मोहन टांड में बेसो नदी पर पुल का नव निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री बेचई सरोज द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रस्ताव पर चर्चा (जारी)	287
जनपद बस्ती के अन्तर्गत मुण्डेरवा में अग्निशमन केन्द्र स्थापित कराये जाने के सम्बन्ध में श्री महेन्द्र नाथ यादव द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रस्ताव पर चर्चा (जारी)	288
जनपद फिरोजाबाद विधान सभा क्षेत्र शिकोहाबाद के अन्तर्गत नगला चूरा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में डाक्टरों के अभाव में बन्द डिलीवरी प्वांइट यशाशीघ्र पुनः चालू करवाये जाने के सम्बन्ध में श्री मुकेश चन्द्र वर्मा द्वारा नियम - 103 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रस्ताव पर चर्चा (जारी) ...	288

विषय	पृष्ठ संख्या
विधान सभा क्षेत्र-96 जसराना में छात्र-छात्राओं के भविष्य को ध्यान में रखते हुए 01 एजूकेशन टाउनशिप बनाये जाने की व्यवस्था के सम्बन्ध में श्री सचिन यादव द्वारा नियम- 103 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रस्ताव पर चर्चा (जारी)	288
जनपद सन्तकबीरनगर की नगर पंचायत मेंहदावल को जनहित में नगर पालिका परिषद् का दर्जा प्राप्त कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अनिल कुमार त्रिपाठी की नियम-103 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रस्ताव पर चर्चा (जारी) ...	288-289
नियम-103 के संकल्प पर बिना चर्चा के अस्वीकृत करने के निर्णय पर व्यवस्था	289-290
नियम-51 के अन्तर्गत सूचनाएं	290-291
कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिशों के अनुसार दिनॉक 22 सितम्बर, 2022 को सदन की कार्यवाही महिला सदस्यों के लिए निर्धारित किये जाने की सूचना	291-293
नत्थी	294-312

उत्तर प्रदेश विधान सभा

अट्ठारहवीं विधान सभा

बुधवार, दिनांक 21 सितम्बर, 2022 ई0

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में दिन के 11:00 बजे अध्यक्ष श्री सतीश महाना की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।)

उपस्थित सदस्य-379

1. अंकित भारती, श्री — गाजीपुर
2. अंकुर तिवारी, श्री — सन्तकबीरनगर
3. अखिलेश, श्री — आजमगढ़
4. अखिलेश यादव, श्री — मैनपुरी
5. अजय कुमार, श्री — बागपत
6. अजय सिंह, श्री — बस्ती
7. अजीत पाल त्यागी, श्री — गाजियाबाद
8. अजीत सिंह पाल, श्री — कानपुर देहात
9. अताउर रहमान, श्री — बरेली
10. अतुल गर्ग, श्री — गाजियाबाद
11. अतुल प्रधान, श्री — मेरठ
12. अदिति सिंह, श्रीमती — रायबरेली
13. अनिल कुमार, श्री — मुजफ्फरनगर
14. अनिल कुमार
    अनिल प्रधान, श्री — चित्रकूट
15. अनिल कुमार त्रिपाठी, श्री — सन्तकबीरनगर
16. अनिल कुमार मौर्य, डॉ0 — सोनभद्र
17. अनिल कुमार वर्मा, श्री — सीतापुर
18. अनिल कुमार सिंह, श्री — उन्नाव
19. अनिल पाराशर, श्री — अलीगढ़
20. अनिल राजभर, श्री — वाराणसी
21. अनुपमा जायसवाल, श्रीमती — बहराइच
22. अनुराग सिंह, श्री — मिर्जापुर
23. अन्जुला सिंह माहौर, श्रीमती — हाथरस
24. अब्बास अंसारी, श्री — मऊ
25. अभय सिंह, श्री — अयोध्या
26. अभिजीत सिंह सांगा, श्री — कानपुर नगर
27. अमरेश कुमार, श्री — लखनऊ
28. अमित अग्रवाल, श्री — मेरठ
29. अमित सिंह चौहान, श्री — अयोध्या
30. अमिताभ बाजपेई, श्री — कानपुर नगर
31. अरमान खान, श्री — लखनऊ
32. अरुण कुमार, डॉ0 — बरेली
33. अर्चना पाण्डेय, श्रीमती — कन्नौज
34. अलका सिंह, श्रीमती — हरदोई
35. अवधेश प्रसाद, श्री — अयोध्या
36. अवधेश सिंह, डॉ0 — वाराणसी
37. अविनाश चन्द्र द्विवेदी, श्री — चित्रकूट
38. अशरफ अली खान, श्री — शामली
39. अशोक कुमार, श्री — रायबरेली
40. अशोक कुमार राणा, श्री — बिजनौर
41. असीम अरुण, श्री — कुशीनगर
42. असीम कुमार, श्री — कन्नौज
43. आनन्द कुमार यादव, श्री — बहराइच
44. आर0 के0 पटेल, डा0 — जौनपुर
45. आराधना मिश्रा 'मोना' श्रीमती — प्रतापगढ़
46. आशा मौर्य, श्रीमती — सीतापुर
47. आशीष कुमार सिंह 'आशू', श्री — हरदोई
48. आशुतोष टण्डन
    'गोपाल जी', श्री — लखनऊ
49. आशुतोष मौर्य उर्फ राजू, श्री — बदायूं
50. आशुतोष शुक्ल, श्री — उन्नाव
51. आशु मलिक, श्री — सहारनपुर
52. इकबाल महमूद, श्री — सम्भल

53. इन्द्रजीत सरोज कौशाम्बी
54. इन्द्राणी देवी, श्रीमती श्रावस्ती
55. इरफान सोलंकी, हाजी कानपुर नगर
56. उमर अली खान, श्री सहारनपुर
57. उमाशंकर सिंह, श्री बलिया
58. ऊषा मौर्या, श्रीमती फततेहपुर
59. ऋषि त्रिपाठी, श्री महराजगंज
60. एम0पी0 आर्य, डॉ0 बरेली
61. ओम प्रकाश, श्री गाजीपुर
62. ओम प्रकाश राजभर, श्री गाजीपुर
63. ओममणी वर्मा, श्रीमती बांदा
64. कपिल देव अग्रवाल, श्री मुजफ्फरनगर
65. कमलाकान्त राजभर उर्फ पप्पू, श्री आजमगढ़
66. कमाल अख्तर, श्री मुरादाबाद
67. कविन्द्र चौधरी, श्री बस्ती
68. किरत सिंह, श्री सहारनपुर
69. कृष्णपाल मलिक, श्री बागपत
70. कृष्णा पासवान, श्रीमती फतेहपुर
71. केतकी सिंह, श्रीमती बलिया
72. कैलाश, श्री चन्दौली
73. कैलाश नाथ, श्री बलरामपुर
74. कैलाश राजपूत, श्री कन्नौज
75. गणेश चन्द्र, श्री सन्तकबीरनगर
76. गिरीश चन्द्र यादव, श्री जौनपुर
77. गीता शास्त्री (पासी), श्रीमती प्रयागराज
78. गुड़िया कठेरिया, श्रीमती औरैया
79. गुरु प्रसाद मौर्य, श्री प्रयागराज
80. गुलाब देवी, श्रीमती सम्भल
81. गुलाम मोहम्मद, श्री मेरठ
82. गौरव कुमार, श्री बाराबंकी
83. गौरी शंकर वर्मा (कोरी), श्री जालौन
84. चन्दन चौहान, श्री मुजफ्फरनगर
85. चन्द्रपाल सिंह, श्री बुलन्दशहर
86. चन्द्र प्रकाश लोधी (एडवोकेट), श्री फतेहपुर
87. चेतराम, श्री शाहजहांपुर
88. छोटे लाल वर्मा, श्री आगरा
89. जगदीश नारायण, श्री जौनपुर
90. जय कुमार सिंह जैकी, श्री फतेहपुर
91. जय देवी, श्रीमती लखनऊ
92. जयद्रथ उर्फ प्रवक्तानन्द, श्री पीलीभीत
93. जय प्रकाश अंचल, श्री बलिया
94. जय प्रकाश निषाद, श्री देवरिया
95. जय प्रताप सिंह, श्री सिद्धार्थनगर
96. जयमंगल, श्री महराजगंज
97. जयवीर सिंह ठाकुर, श्री अलीगढ़
98. जवाहर लाल राजपूत, श्री झांसी
99. जाहीद, श्री भदोही
100. जियाउद्दीन रिजवी, श्री बलिया
101. जियाउर्रहमान, श्री मुरादाबाद
102. जी0एस0 धर्मेश, डा0 आगरा
103. जीत लाल पटेल, श्री प्रतापगढ़
104. जै किशन साहू, श्री गाजीपुर
105. ज्ञान तिवारी, श्री सीतापुर
106. ज्ञानेन्द्र सिंह, श्री महाराजगंज
107. डी0 सी0 वर्मा, डॉ0 बरेली
108. तुफानी सरोज, श्री जौनपुर
109. तेजपाल सिंह नागर, श्री गौतमबुद्धनगर
110. त्रिभुवन दत्त, श्री अम्बेडकरनगर
111. त्रिभुवन राम, श्री वाराणसी
112. दारा सिंह चौहान, श्री मऊ
113. दिनेश कुमार, श्री मेरठ
114. दिनेश रावत, श्री बाराबंकी
115. दीनानाथ भाष्कर, श्री भदोही
116. दीपक कुमार मिश्र 'शाका', श्री देवरिया
117. दूधराम, श्री बस्ती
118. दुर्गा प्रसाद यादव, श्री आजमगढ़

119. देवेन्द्र कुमार निम, श्री सहारनपुर
120. देवेन्द्र प्रताप सिंह, श्री रायबरेली
121. देवेन्द्र सिंह, श्री कासगंज
122. देवेन्द्र सिंह लोधी, श्री बुलन्दशहर
123. धर्मपाल सिंह, श्री बरेली
124. धर्मपाल सिंह, डॉ0 आगरा
125. धर्मराज सिंह यादव, श्री बाराबंकी
126. धर्मेश सिंह तोमर, श्री हापुड़
127. धीरेन्द्र सिंह, श्री गौतमबुद्धनगर
128. नन्दकिशोर, श्री गाजियाबाद
129. नन्द गोपाल गुप्ता 'नन्दी', श्री प्रयागराज
130. नफीस हमद, श्री आजमगढ़
131. नवाब जान, श्री मुरादाबाद
132. नसीर अहमद खां, श्री रामपुर
133. नागेन्द्र सिंह राठौर, श्री फर्रुखाबाद
134. नादिरा सुल्तान उर्फ बिटिया, श्रीमती कासगंज
135. नासिर कुरैशी, हाजी मुरादाबाद
136. नितिन अग्रवाल, श्री हरदोई
137. निर्मल वर्मा, श्री सीतापुर
138. नीरज बोरा, डॉ0 लखनऊ
139. नीलकण्ठ तिवारी, डॉ0 वाराणसी
140. नीलरतन सिंह, श्री वाराणसी
141. नीलिमा कटियार, श्रीमती कानपुर नगर
142. पंकज, श्री जौनपुर
143. पंकज कुमार मलिक, श्री मुजफ्फरनगर
144. पंकज गुप्ता, श्री उन्नाव
145. पंकज सिंह, श्री गौतमबुद्धनगर
146. पंचानन्द पाठक (पी0एन0 पाठक), श्री कुशीनगर
147. पल्टूराम, श्री बलरामपुर
148. पल्लवी पटेल, डॉ0 कौशाम्बी
149. पिंकी सिंह, श्रीमती सम्भल
150. पीयूष रंजन निषाद, श्री प्रयागराज
151. पूजा, श्रीमती आजमगढ़
152. पूजा पाल, श्रीमती कौशाम्बी
153. पूनम संखवार, श्रीमती कानपुर देहात
154. पूरन प्रकाश, श्री मथुरा
155. प्रकाश द्विवेदी, श्री बांदा
156. प्रतिभा शुक्ला, श्रीमती कानपुर देहात
157. प्रतीक भूषण सिंह, श्री गोण्डा
158. प्रदीप कुमार चौधरी, श्री बुलन्दशहर
159. प्रदीप कुमार यादव, श्री औरैया
160. प्रदीप कुमार सिंह, श्री हाथरस
161. प्रदीप शुक्ला, श्री गोरखपुर
162. प्रभात कुमार वर्मा, श्री गोण्डा
163. प्रभाष कुमार, श्री हरदोई
164. प्रभु नारायण सिंह यादव, श्री चन्दौली
165. प्रवीण पटेल, श्री प्रयागराज
166. प्रसन्न कुमार, श्री शामली
167. प्रेम नारायण पाण्डेय, श्री गोण्डा
168. प्रेम पाल सिंह धनगर, श्री फिरोजाबाद
169. प्रेमसागर पटेल, श्री महराजगंज
170. फतेह बहादुर, श्री गोरखपुर
171. फरीद महफूज किदवई, श्री बाराबंकी
172. बम्बा लाल, श्री उन्नाव
173. बल्देव सिंह औलख, श्री रामपुर
174. बाबूराम, श्री पीलीभीत
175. बाबूलाल, श्री आगरा
176. बावन सिंह, श्री गोण्डा
177. विजयलक्ष्मी गौतम, श्रीमती देवरिया
178. बीरेन्द्र सिंह राणा, श्री हाथरस
179. बृजेश कठेरिया, इंजी0 मैनपुरी
180. बृजेश कुमार, श्री उन्नाव
181. बेचई सरोज, श्री आजमगढ़
182. बेदी, श्री गाजीपुर
183. ब्रजभूषण राजपूत, श्री महोबा
184. ब्रजेश पाठक, श्री लखनऊ

185. ब्रजेश यादव, श्री बदायूं
186. ब्रिजेश, श्री सहारनपुर
187. भगवान सिंह कुशवाहा, श्री आगरा
188. भूपेश चौबे, श्री सोनभद्र
189. मंजू त्यागी, श्रीमती खीरी
190. मनीष असीजा, श्री फिरोजाबाद
191. मनीष कुमार उर्फ मन्टू, श्री कुशीनगर
192. मनीष रावत, श्री सीतापुर
193. मनीषा, श्रीमती हमीरपुर
194. मनोज कुमार पाण्डेय, श्री रायबरेली
195. मनोज कुमार पारस, श्री बिजनौर
196. मनोज कुमार प्रजापति, डॉ0 हमीरपुर
197. मनोहर लाल, श्री ललितपुर
198. मन्जू शिवाच, डॉ0 गाजियाबाद
199. मयंकेश्वर शरण सिंह, श्री अमेठी
200. महबूब अली, श्री अमरोहा
201. महाराजी प्रजापति, श्रीमती अमेठी
202. महेन्द्र, श्री अमरोहा
203. महेन्द्र नाथ यादव, श्री बस्ती
204. महेन्द्र पाल सिंह, श्री गोरखपुर
205. महेश चन्द्र गुप्ता, श्री बदायूं
206. महेश त्रिवेदी, श्री कानपुर नगर
207. माता प्रसाद पाण्डेय, श्री सिद्धार्थनगर
208. माधवेन्द्र प्रताप सिंह, श्री हरदोई
209. मारिया अली, श्रीमती बहराइच
210. मानवेन्द्र सिंह, श्री शाहजहांपुर
211. मीनाक्षी सिंह, श्रीमती बुलन्दशहर
212. मुकेश चौधरी, श्री सहारनपुर
213. मुकेश वर्मा, श्री फिरोजाबाद
214. मुक्ता संजीव राजा, श्रीमती अलीगढ़
215. मूलचन्द्र सिंह, श्री जालौन
216. मेघश्याम, श्री मथुरा
217. मो0 ताहिर खान, श्री सुल्तानपुर
218. मोहन वर्मा, श्री कुशीनगर
219. मोहम्मद हसन 'रूमी', श्री कानपुर नगर
220. मोहित सोनकर ''राहुल बच्चा'', श्री कानपुर नगर
221. मौहम्मद फहीम इरफान, श्री मुरादाबाद
222. योगेश धामा, श्री बागपत
223. योगेश वर्मा, श्री खीरी
224. योगेश शुक्ला, श्री लखनऊ
225. रघुराज प्रताप सिंह, श्री प्रतापगढ़
226. रजनी तिवारी, श्रीमती हरदोई
227. रत्नाकर मिश्रा, श्री मिर्जापुर
228. रफीक अंसारी, श्री मेरठ
229. रमाकान्त यादव, श्री आजमगढ़
230. रमापति शास्त्री, श्री गोण्डा
231. रमा शंकर सिंह, श्री मिर्जापुर
232. रमेश, श्री जौनपुर
233. रमेश चन्द्र मिश्र, श्री जौनपुर
234. रमेश जायसवाल, श्री चन्दौली
235. रविदास मेहरोत्रा, श्री लखनऊ
236. रवि शर्मा, श्री झांसी
237. रवीन्द्र जायसवाल, श्री वाराणसी
238. रवेन्द्र पाल सिंह, श्री अलीगढ़
239. रश्मि आर्य, डा0 झांसी
240. राकेश कुमार गोस्वामी, श्री महोबा
241. आर0 के0 वर्मा, डा0 प्रतापगढ़
242. राकेश प्रताप सिंह, श्री अमेठी
243. राकेश राठौर, श्री सीतापुर
244. राकेश सचान, श्री कानपुर देहात
245. रागिनी, डॉ0 जौनपुर
246. राघवेन्द्र शर्मा, डॉ0 बरेली
247. राघवेन्द्र कुमार सिंह, श्री इटावा

248. राजकुमार सहयोगी, श्री अलीगढ़
249. राजपाल सिंह बालियान, श्री मुजफ्फरनगर
250. राज प्रसाद उपाध्याय, श्री सुल्तानपुर
251. राजबाला सिंह, श्रीमती रामपुर
252. राजमणि, श्री प्रयागराज
253. राजीव कुमार, श्री अमरोहा
254. राजीव गुम्बर, श्री सहारनपुर
255. राजीव कुमार सिंह उर्फ बब्बू भईया, श्री बदायूं
256. राजीव सिंह ''पारीछा'', श्री झांसी
257. राजेन्द्र कुमार, श्री प्रतापगढ़
258. राजेन्द्र कुमार, श्री मऊ
259. राजेन्द्र प्रसाद चौधरी, श्री बस्ती
260. राजेन्द्र सिंह पटेल, श्री फतेहपुर
261. राजेश कुमार गौतम, श्री सुल्तानपुर
262. राजेश चौधरी, श्री मथुरा
263. राजेश त्रिपाठी, श्री गोरखपुर
264. राजेश्वर सिंह, श्री लखनऊ
265. रानी पक्षालिका सिंह, श्रीमती आगरा
266. राम अचल राजभर, श्री अम्बेडकरनगर
267. रामकृष्ण भार्गव, श्री सीतापुर
268. रामकेश निषाद, श्री बांदा
269. राम खिलाड़ी सिंह, श्री सम्भल
270. राम चन्द्र यादव, श्री अयोध्या
271. रामदुलार, श्री सोनभद्र
272. राम नरेश अग्निहोत्री, श्री मैनपुरी
273. राम निवास वर्मा, श्री बहराइच
274. रामपाल वर्मा, श्री हरदोई
275. राम प्रताप उर्फ शशिकांत वर्मा, श्री बलरामपुर
276. राम फेरन पाण्डेय, श्री श्रावस्ती
277. राम विलाश चौहान, श्री मऊ
278. राम मूर्ति वर्मा, श्री अम्बेडकरनगर
279. रामरतन कुशवाहा, श्री ललितपुर
280. राम सिंह, श्री प्रतापगढ़
281. राहुल राजूपत उर्फ राहुल लोधी, श्री रायबरेली
282. रितेश कुमार गुप्ता, श्री मुरादाबाद
283. रेखा वर्मा, श्रीमती औरैया
284. लकी यादव, श्री जौनपुर
285. लक्ष्मी नारायण, श्री मथुरा
286. लक्ष्मी राज सिंह, श्री बुलन्दशहर
287. लालजी वर्मा, श्री अम्बेडकरनगर
288. लोकेन्द्र प्रताप सिंह, श्री खीरी
289. वाचस्पति, श्री प्रयागराज
290. विकास गुप्ता, श्री फतेहपुर
291. विक्रम सिंह, श्री मुजफ्फरनगर
292. विजय पाल (आढ़ती), श्री हापुड़
293. विनय कुमार द्विवेदी, श्री गोण्डा
294. विनय प्रकाश गौंड, श्री कुशीनगर
295. विनय वर्मा, श्री सिद्धार्थनगर
296. विनोद सरोज, श्री प्रतापगढ़
297. विनोद कुमार बिन्द, डा0 मिर्जापुर
298. विनोद चतुर्वेदी, श्री जालौन
299. विनोद शंकर अवस्थी, श्री खीरी
300. विनोद सिंह, श्री सुल्तानपुर
301. विपिन कुमार डेविड, श्री एटा
302. विपिन सिंह, श्री गोरखपुर
303. विपुल दुबे, श्री भदोही
304. विमलेश पासवान, डॉ0 गोरखपुर
305. विरेन्द्र कुमार यादव, श्री गाजीपुर
306. विवेक कुमार वर्मा, श्री पीलीभीत
307. विवेकानन्द पाण्डेय, श्री कुशीनगर
308. विशम्भर सिंह यादव, श्री बांदा

309. वीर विक्रम सिंह, श्री शाहजहांपुर
310. वीरेन्द्र चौधरी, श्री महराजगंज
311. वीरेन्द्र सिंह लोधी, श्री एटा
312. वेद प्रकाश गुप्ता, श्री अयोध्या
313. शलभ मणि त्रिपाठी, श्री देवरिया
314. शशांक त्रिवेदी, श्री सीतापुर
315. शशांक वर्मा, श्री खीरी
316. शहजिल इस्लाम अंसारी, श्री बरेली
317. शाहिद मंजूर, श्री मेरठ
318. शिव प्रताप यादव, डॉ0 बलरामपुर
319. श्याम प्रकाश, श्री हरदोई
320. श्याम बिहारी लाल, प्रो0 बरेली
321. श्यामधनी राही, श्री सिद्धार्थनगर
322. श्याम सुन्दर, श्री रायबरेली
323. श्रीकान्त कटियार, श्री उन्नाव
324. श्रीकान्त शर्मा, श्री मथुरा
325. श्रीराम चौहान, श्री गोरखपुर
326. संग्राम सिंह, श्री बलिया
327. संजय कुमार शर्मा, श्री बुलन्दशहर
328. संजय सिंह गंगवार, श्री पीलीभीत
329. संजीव अग्रवाल, श्री बरेली
330. संजीव कुमार गोंड, श्री सोनभद्र
331. संजीव कुमार दिवाकर, श्री एटा
332. सन्दीप कुमार सिंह, श्री अलीगढ़
333. सन्दीप सिंह, श्री प्रयागराज
334. सचिन यादव, श्री फिरोजाबाद
335. सतीश चन्द्र शर्मा, श्री बाराबंकी
336. सतीश महाना, श्री कानपुर नगर
337. सत्यपाल सिंह राठौर, श्री कासगंज
338. सभाकुंवर, श्री देवरिया
339. समरपाल सिंह, श्री अमरोहा
340. सरवन कुमार निषाद, इंजी0 गोरखपुर
341. सरिता भदौरिया, श्रीमती इटावा
342. सरोज कुरील, श्रीमती कानपुर नगर
343. सरोज सोनकर, श्रीमती बहराइच
344. सलोना कुशवाहा, श्रीमती शाहजहांपुर
345. साकेन्द्र प्रताप वर्मा, श्री बाराबंकी
346. सिद्धार्थ नाथ सिंह, श्री प्रयागराज
347. सीताराम वर्मा, श्री सुल्तानपुर
348. सुचि, श्रीमती बिजनौर
349. सुनील कुमार शर्मा, श्री गाजियाबाद
350. सुनील दत्त द्विवेदी, मेजर फर्रुखाबाद
351. सुनील पटेल, डॉ0 वाराणसी
352. सुभाष त्रिपाठी, श्री बहराइच
353. सुरभी, डॉ0 फर्रुखाबाद
354. सुरेन्द्र कुमार कुशवाहा, श्री कुशीनगर
355. सुरेन्द्र चैरसिया, श्री देवरिया
356. सुरेन्द्र मैथानी, श्री कानपुर नगर
357. सुरेश कुमार, श्री अमेठी
358. सुरेश कुमार खन्ना, श्री शाहजहांपुर
359. सुरेश राही, श्री सीतापुर
360. सुरेश्वर सिंह, श्री बहराइच
361. सुशान्त सिंह, कुँ0 बिजनौर
362. सुशील कुमार शाक्य, श्री फर्रुखाबाद
363. सुनील सिंह, श्री चन्दौली
364. सूर्य प्रताप शाही, श्री देवरिया
365. सैय्यदा खातून, श्रीमती सिद्धार्थनगर
366. सोमेन्द्र सिंह तोमर, डॉ0 मेरठ
367. सौरभ श्रीवास्तव, श्री वाराणसी
368. सौरभ सिंह सोनू, श्री खीरी
369. स्वामी ओउमवेश, श्री बिजनौर
370. हंसु राम, श्री बलिया
371. हरविन्दर कुमार साहनी उर्फ रोमी साहनी, श्री खीरी

372. हरिओम, श्री	कासगंज	376. हर्षवर्धन बाजपेयी, श्री	प्रयागराज
373. हरिप्रकाश वर्मा, श्री	शाहजहांपुर	377. हाकिम लाल बिन्द, श्री	प्रयागराज
374. हरीश चन्द्र, श्री	बदायूं	378. हिमान्शु यादव, श्री	बदायूं
375. हरेन्द्र सिंह, श्री	हापुड़	379. हृदय नारायण सिंह पटेल, श्री	आजमगढ़

नोट :- उप मुख्य मंत्री (श्री केशव प्रसाद मौर्य), जल शक्ति तथा बाढ़ नियंत्रण मंत्री (श्री स्वतंत्र देव सिंह), नगर विकास, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन, ऊर्जा एवं अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत मंत्री (श्री अरविन्द कुमार शर्मा), मत्स्य मंत्री (श्री संजय निषाद), पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री नरेन्द्र कश्यप) तथा आयुष, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री दयाशंकर मिश्र ''दयालु'') भी सदन में उपस्थित थे।

नेता प्रतिपक्ष द्वारा श्री मो0 आजम खान के प्रकरण को सर्वप्रथम सुने जाने का पीठ से अनुरोध

***नेता विरोधी दल (श्री अखिलेश यादव)-**

मा0 अध्यक्ष जी बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। जो मैं सदन के संज्ञान में लाना चाहूँगा। इस सदन के बहुत ही वरिष्ठ नेता मा0 आजम खां साहब जी की यूनिवर्सिटी को घेर लिया गया और यह पहली बार नहीं घेरा गया है, लगातार घेर रहे हैं। इस बार तैयारी तो यह है कि कहीं कुछ ऐसा न हो कि जैसे एक छात्र पर बम रख दिया। यह भी हो सकता है कि मा0 आजम खां जी के पास यह सब झूठी चीजें रख दी जाएं और उन पर मुकदमा लगा दिया जाए। मैं यह चाहता हूँ कि कम-से-कम चर्चा हो जाए।

श्री अध्यक्ष-

मा0 नेता प्रतिपक्ष मेरा निवेदन सुन ले कि आपने इस संबंध में कल भी नोटिस दिया था और मैंने उसको स्वीकार कर लिया था और बोलने का अवसर भी दिया था। लेकिन जो भी परिस्थितियां रहीं, मैं उनके बारे में बात नहीं करना चाहता हूँ। आपने आज भी नोटिस दिया है और मैंने उसको नियम-56 के अन्तर्गत स्वीकार कर लिया है। बहुत ज्यादा कार्य-सूची नहीं है, हम उसको ले लेंगे।

श्री अखिलेश यादव-

मा0 अध्यक्ष जी, बहुत-बहुत धन्यवाद।

[11:02] प्रश्नोत्तर

नत्थी (क)

तारंकित प्रश्न

प्रदेश में नगर पालिका परिषद् के सीमा विस्तार का मानक तथा प्रक्रिया सम्बन्धी

***1-श्री महबूब अली-**

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में नगर पालिका परिषद् का सीमा विस्तार (परिसीमन/गावों को जोड़ना) करने के मानक तथा प्रक्रिया क्या है ? क्या सरकार बतायेगी कि मानकों के विपरीत परिसीमन/सीमा विस्तार प्रस्तावित करने के दोषियों के खिलाफ किसी दण्ड का प्रावधान है ? यदि हो, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

नगर विकास, शहरी समग्र विकास, ऊर्जा एवं अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत मंत्री (श्री अरविन्द कुमार शर्मा)-

प्रदेश में नगर पंचायत को नगर पालिका परिषद् के रूप में उच्चीकृत करने, नगर पालिका परिषद् के गठन, नगर पालिका परिषद् का सीमा विस्तार किये जाने तथा नगर पालिका

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

परिषदों के वर्गीकरण हेतु नगर विकास अनुभाग-6 के शासनादेश संख्या-2212/ नौ-6-2014-181 मिस/2014, दिनांक 10 नवम्बर, 2014 संशोधित शासनादेश संख्या-240/9-6-2015-181 मिस/2014, दिनांक 30 जनवरी, 2015 एवं शासनादेश संख्या-1783/9-1-2020-426सा/14, दिनांक 23 नवम्बर, 2020 द्वारा मापदण्ड एवं मानक निर्धारित किये गये हैं।

सम्बन्धित नगर पालिका परिषद् का सीमा विस्तार किये जाने के सम्बन्ध में सम्बन्धित जिलाधिकारी से उपर्युक्त शासनादेशों में निर्धारित मापदण्डों/मानकों के अनुसार परिपक्व प्रस्ताव प्राप्त होने पर परीक्षणोंपरान्त जन सामान्य से आपत्ति एवं सुझाव आमंत्रित करने की दृष्टि से अनन्तिम अधिसूचना निर्गत की जाती है। तदोपरान्त नियत अवधि में प्राप्त आपत्ति एवं सुझावों के निस्तारण के उपरान्त सक्षम स्तर से प्राप्त अनुमोदनोपरान्त अंतिम अधिसूचना निर्गत करने की कार्यवाही की जाती है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

श्री महबूब अली-

मा0 अध्यक्ष जी, आपने प्रश्न पढ़ लिया होगा और मा0 मंत्री जी ने इससे पहले न जाने कितने शासनादेश जारी किए होंगे। लेकिन पहली बार ऐसा लगता है कि अपने शासनादेशों का हवाला देकर प्रश्न का जवाब ने देकर सिर्फ शासनादेश कर दिया गया है । मेरा स्पष्ट सवाल था कि परिसीमन का तरीका क्या है ? आपने शासनादेश का हवाला दे दिया। दूसरा प्रश्न है कि अगर किसी गलत अधिकारी द्वारा परिसीमन किया जाता है तो क्या उसमें कोई दण्ड की प्रक्रिया है ? इस पर आपने कोई जवाब नहीं दिया। शासनादेश का अगर हो सकता है, आप बहुत टाइम तक अधिकारी भी रहे हैं, लेकिन अगर शासनादेश साथ में लगा देते तो अच्छा रहता। यह जवाब है, यह हवाला नहीं है कि किसी का हवाला दे रहे हैं। जवाब के साथ में शासनादेश का लगना बहुत जरूरी था। अब आप कहेंगे कि मा0 सदस्य को शासनादेश दे देता हूँ। नहीं जरूरत है। मैं भी वर्ष 1986 तक के शासनादेश लेकर आया हूँ। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से आज परिसीमन किया गया है और मुझे सीधा-सीधा कह देने में कोई संकोच नहीं है कि परिसीमन धर्म और जाति के आधार पर किया गया है, मानकों के आधार पर नहीं किया गया है। अपने प्रश्न में जिस शासनादेश का हवाला दिया है, मान्यवर, आप उस शासनादेश को पढ़ लें तो स्पष्ट हो जायेगा कि शासनादेश क्या कह रहा है। शासनादेश स्पष्ट है और मैं पढ़कर सुना देता हूँ। 75 प्रतिशत आबादी उसमें गैर-कृषि लोगों की होनी चाहिए जिनको परिसीमन में जोड़ा जा रहा है। वहां शहरीकरण के गुण होने चाहिए, पुलिस थाना होना चाहिए, व्यवसायिक केन्द्र होना चाहिए, विद्यालय होने चाहिए, शिक्षण संस्थान

होने चाहिए, स्वास्थ्य केन्द्रों की पूर्ण व्यवस्था होनी चाहिए, अस्पताल होने चाहिए, विद्युत व्यवस्था होनी चाहिए, बैंके होनी चाहिए। सारी बैंकों की शाखाएं होनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष-

सारी बैंकों की शाखाएं कहीं हो ही नहीं सकती हैं। सारी बैकें एक नगर पंचायत में कैसे हो जायेंगी जबकि शहरों में तो सारी बैंकें होती नहीं है।

श्री महबूब अली-

मान्यवर, मैं शासनादेश का हवाला दे रहा हूँ। बैंकों की शाखाएं होनी चाहिए, डाकघर होने चाहिए, सार्वजनिक शौचालय होने चाहिए।

श्री अध्यक्ष-

आप प्रश्न पूछिए, वह तो सब लिखा हुआ है।

श्री महबूब अली-

मान्यवर, मेरा सीधा सवाल था कि क्या उसमें परिसीमन करने वाले, अगर गलत किया गया है तो उन अधिकारियों के खिलाफ कोई दण्ड की कार्यवाही है?

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

माननीय अध्यक्ष जी, यह अलग से कहने की आवश्यकता नहीं है कि किसी अधिकारी ने, किसी शासनादेश का नियम का या किसी कानून का उल्लंघन किया है तो उसको सजा देने की व्यवस्था है। हमारे संविधान से लेकर हमारे सभी नियमों-अधिनियमों में व्यवस्था है। किसी एक शासनादेश में अलग से व्यवस्था की जाये, यह बात पहली बार सुनने में आ रही है। एटलिस्ट मेरे ज्ञान में तो नहीं है। अगर कोई कर्मचारी कोई क्षति करता है, कोई गलती करता है, किसी शासनादेश का उल्लंघन करता है तो मेरी जानकारी के अनुसार उसको दो प्रकार से सजा देने की व्यवस्था है। एक तो उसकी सेवा नियमावली के अनुसार, जिस सेवा का वह कर्मचारी है उसके तहत सरकार उसको सजा देती है। यदि उसने कोई गम्भीर क्षति की है तो उसको क्रिमिनल ऑफेन्स मानते हुए उसके ऊपर क्रिमिनल एक्टिविटी भी होती है। तीसरा, अगर कहीं ऐसे प्रकरण संज्ञान में आते है तो उन पर उस हिसाब से काम किया जाता है। प्रस्तुत प्रकरण में साफ-साफ पहला प्रश्न है जिसमें पूछा गया है कि प्रदेश में नगर पालिका परिषद् का सीमा विस्तार (परिसीमन/गांवों को जोड़ना) करने के मानक तथा प्रकिया क्या है? इन तीन शासनादेशों को हमने इसलिये टांका है वे 10 नवम्बर, 2014, 30 जनवरी, 2015 एवं 23 नवम्बर, 2020 है, जिससे माननीय सदस्य को वर्ष 1986 का शासनादेश पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, लेटेस्ट पढ़ लेंगे तो बात स्पष्ट हो जाएगी। माननीय अध्यक्ष जी, हमारे निकायों में माननीय योगी जी की सरकार में जो काम हुआ है वह अप्रत्याशित है। (सत्तापक्ष के

सदस्यों द्वारा मेजे थपथपाई गयी) जुलाई के बाद जो 734 निकाय थे उसकी संख्या बढ़ाकर 762 कर दी गयी हैं और सभी मानकों को परिपूर्ण करने वालों निकायों में यह काम हुआ है। अगर किसी जाति या वर्ग विशेष को उससे तकलीफ होती है तो उसके लिए हम जिम्मेदार नहीं है। रही बात मानकों की परिपूर्णता की तो यह बात आप जानते हैं कि इस मामले में माननीय जन-प्रतिनिधियों एवं जन सामान्य से सुझाव आते हैं उन सुझावों पर जिलाधिकारी से रिपोर्ट मांगी जाती है और वर्ष 2020 का जो शासनादेश हमने टांका है उसमें स्पष्ट प्रावधान है कि या तो बोर्ड प्रस्ताव करे या जिलाधिकारी की संस्तुति से ही नगर पालिका का विस्तार होता है उन सारे मानकों को मानते हुए हम लोगों ने 52 नगर पंचायतों और नगर पालिका परिषदों, नगर निगमों का विस्तार भी किया है। माननीय योगी जी की मंशा थी कि अगर हमें राज्य में एक ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनानी है तो शहरीकरण की प्रवृत्ति पर ध्यान देना होगा और उसके कार्य को गति देनी होगी, उसमें तेजी लानी होगी। हमने बहुत जल्दी करके तीन महीने बहुत सारे इस तरह के काम किये हैं। किसी व्यक्तिगत या विशेष नगर पालिका की बात माननीय सदस्य कर रहे हों तो बात समझ में आती है, अब सभी मानकों और सभी कर्मचारियों की बात का मतलब मुझे समझ में नहीं आता है।

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्य, माननीय मंत्री जी का कहना है कि अगर कोई विशेष नगर पालिका है तो आप जानकारी दे दीजिए।

श्री महबूब अली-

अगर किसी विशेष की ही बात करनी है तो मैं जनपद अमरोहा की ही बात कर लेता हूं।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, आप पूछिए।

श्री महबूब अली-

आपने कहा कि प्रस्ताव नगर पालिका परिषद् के बोर्ड के माध्यम से आता है, नगर पालिका के बोर्ड का प्रस्ताव हुआ लेकिन जब बोर्ड के सामने मानचित्र आया फिर नगर पालिका बोर्ड ने उसे कैंसिल कर दिया। मानचित्र मेरे हाथ में है और पूरा सदन इसे देखे तो पूरा सदन यह कहेगा कि यह क्या मानचित्र है और किस तरह से इसे जोड़ा गया। यह मानचित्र पूरा सदन देख ले।

श्री अध्यक्ष-

यह मानचित्र आप मुझे दे दीजिए, पूरा सदन इसे नहीं देख पायेगा।

श्री महबूब अली-

आप लोग इसे देखेंगे तो आपको स्वतः समझ में आ जायेगा कि इसका मकसद क्या है। जहां तक ये लोग विकास की बात कर रहे हैं, माननीय अध्यक्ष जी, हमारे आदरणीय नेता प्रतिपक्ष श्री अखिलेश यादव जी सदन में है, आपने पानी की निकासी के लिए जनपद अमरोहा के लिए 38 करोड़ रुपया दिया था, लगातार छः साल चलने के बाद भी यह सरकार उसकी कनेक्टीविटी भी न पायी तो वह क्या विकास कर पाएंगे और बहुत लंबी-लंबी बातें कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष-

अब आप प्रश्न पूछ लीजिए।

श्री महबूब अली-

मान्यवर, मेरा पुनः प्रश्न यही है कि जिन जिलाधिकारियों ने गलत परिसीमन किया है क्या उनके खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई करेंगे?

मेरा दूसरा सीधा प्रश्न यह है कि जो गलत परिसीमन हुआ है, आप उसके लिए एक जाँच कमेटी बना दीजिए, उधर के ही सदस्यों की बना दीजिए, जिस पर आप विश्वास करते हों। वह स्थल पर जाकर जाँच करके अपनी रिपोर्ट दे दें और जैसा मैंने कहा है कि गलत परिसीमन हुआ है, अगर मेरी बात गलत हो तो मैं राजनीतिक जीवन से सन्यास ले लूंगा।

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

अध्यक्ष जी, जैसा मैंने कहा कि 28 नए नगर निकाय बनाये गए हैं और 52 का विस्तार किया गया है। ये सारे के सारे मानकों पर आधारित थे। मानकों को देखते हुए परिपूर्णता के साथ उनको बनाया गया है, विस्तारित किया गया है। माननीय अध्यक्ष जी, उसके बावजूद भी उसकी जो प्रक्रिया है, जिलाधिकारी की संस्तुति के साथ रिपोर्ट आती है, हम उसकी छानबीन करते हैं। उसके बाद अनन्तिम अधिसूचना जारी की जाती है। किसी का कोई सुझाव या आपत्ति हो तो वह अपना सुझाव या आपत्ति दे सकता है, उसका निस्तारण करते हुए, उसको देखते हुए, फिर कैबिनेट तक जाता है और प्रस्ताव पास होता है। इस प्रकार से यह कार्य किए गए है। इनके निस्तारण से या उनके नवगठन से किसी व्यक्ति विशेष को या वर्ग विशेष को पीड़ा पहुँचाने का हमारा कोई इरादा नहीं था। लेकिन अगर पीड़ा पहुंची हो तो उसके लिए सरकार जिम्मेदार नहीं है।

श्री अवधेश प्रसाद-

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने जितना भी उत्तर दिया है, हमारे माननीय सदस्य ने जो सवाल पूछा था, उससे पूरी तरह से यह हटकर है। नगर पालिकाओं के विस्तार के सम्बन्ध में माननीय मंत्री जी ने कई तिथियों के शासनादेशों का उद्धरण दिया है। श्रीमन सुनिश्चित तौर से मेरी जानकारी है कि पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं पर भी जहाँ-जहाँ आपत्ति की गयी हैं, आपत्ति

को मेरिट के आधार पर, गुण और दोष के आधार पर उसका निस्तारण नहीं हुआ है, बल्कि सरसरी तौर पर उसको खारिज कर दिया गया है। माननीय मंत्री जी पूरे उत्तर प्रदेश में एक भी दृष्टान्त नहीं बता सकते हैं, अगर बता दें तो बड़ी बात होगी। यह नहीं बता पायेंगे। दूसरी बात श्रीमन् तमाम जो प्रधान हैं, मेरे पास मिदौनी से, मेरे पास बीकापुर से, मेरे पास नूरी विधान सभा क्षेत्र से, जहाँ से मैं 7 बार जीता हूँ, तमाम प्रधान लोग आए, उन्होंने कहा कि अभी मेरा कार्यकाल बाकी है और सरकार ने ऐसा कर दिया है, मेरा तो अभी कार्यकाल बचा हुआ है। जनता ने हमें 5 साल के लिए चुना था। मान्यवर, जनता ने उन्हें 5 साल के लिए जिताया है। प्रधान लोग कहते हैं कि हमने आपत्ति भी की है लेकिन उस आपत्ति को कहीं भी सुनवाई नही हुई है। मान्यवर, यह पूरी तरह से राजनीतिक लाभ के लिए किया गया है। मान्यवर मैं फिर माननीय मंत्री जो से जानना चाहता हूँ कि इसमें उत्तर प्रदेश में कितने आब्जेक्शन हुए हैं और उसमें से कितने का निस्तारण हुआ है, उसके बारे में मंत्री जी बता दें।

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं फिर से इस बात को कहता हूँ, जो 03 शासनादेश मैंने पढ़े, अन्य भी हो सकते हैं। जो स्थापित व्यवस्था है, उन मानकों के आधार पर ही पूरी परिपूर्णता के आधार पर अनन्तिम अधिसूचना जारी करते हुए, लोगों के सुझाव लेते हुए, उसको देखते हुए अन्तिम अधिसूचना जारी की गयी है। सारे मानक पूर्ण किए गए हैं। फिर भी अगर किसी माननीय सदस्य को किसी विशेष मानक, किसी विशेष नगर पालिका के बारे में कोई आपत्ति हो और किसी कर्मचारी की उसमें कोई भूमिका हो, जो आपत्ति का समय था, वह पूरा हो गया है लेकिन यदि किसी कर्मचारी की भूमिका हो, आप लिखकर देंगे तो हम जाँच करा कर कार्रवाई करेंगे।

श्री अवधेश प्रसाद-

मान्यवर, आपका संरक्षण चाहिए।

श्री अध्यक्ष-

आप लिखकर दे दीजिए, दिखवा लेंगे।

प्रदेश में वर्ष 2018-2022 तक सहकारी/प्राइवेट चीनी मिलों पर गन्ना किसानों का बकाया तथा उसके भुगतान के सम्बन्ध में

***2-श्री पंकज कुमार मलिक-**

क्या गन्ना विकास एवं चीनी मिलें मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में वर्ष 2018-19, 2019-20, 2020-21, 2021-22 में प्रदेश की सहकारी/प्राइवेट चीनी मिलों पर गन्ना किसानों का कितना गन्ना मूल्य बकाया है ? क्या सरकार ने गन्ना किसानों के बकाया

गन्ना मूल्य का भुगतान की कोई ठोस कार्य योजना तैयार की है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

गन्ना विकास एवं चीनी मिलें मंत्री (श्री लक्ष्मी नारायण)-

दिनांक 14-09-2022 की सूचना के अनुसार प्रदेश की सहकारी चीनी मिलों पर पेराई सत्र 2018-19, 2019-20 एवं 2020-21 में गन्ना कृषकों का कोई गन्ना मूल्य बकाया नहीं है। सहकारी चीनी मिलों पर मात्र पेराई सत्र 2021-22 में गन्ना मूल्य रु0 440.67 करोड़ भुगतान हेतु बकाया है। इसी प्रकार प्रदेश की निजी क्षेत्र की चीनी मिलों पर पेराई सत्र 2018-19 एवं 2019-20 में गन्ना कृषकों का कोई गन्ना मूल्य बकाया नहीं है। पेराई सत्र 2020-21 में एकमात्र चीनी मिल गड़ौरा (महराजगंज) पर गन्ना मूल्य रु0 11.44 करोड़ भुगतान हेतु बकाया है। पेराई सत्र 2021-22 में निजी क्षेत्र की कतिपय चीनी मिलों पर रु0 3,964.45 करोड़ भुगतान हेतु बकाया है।

पेराई सत्र 2020-21 के अवशेष गन्ना मूल्य की वसूली हेतु चीनी मिल गड़ौरा के विरुद्ध वसूली प्रमाण-पत्र निर्गत है। इसी प्रकार पेराई सत्र 2021-22 के अवशेष गन्ना मूल्य के त्वरित भुगतान हेतु बकायेदार चीनी मिलों को दिनांक 25-02-2022 एवं 14-09-2022 को नोटिसें निर्गत की गयी हैं। साथ ही सक्षम स्तर से समय-समय पर विभिन्न समीक्षा बैठकों के माध्यम से भी कड़े निर्देश दिये गये हैं। इसी क्रम में बजाज हिन्दुस्तान शुगर लि0, इकाई-गोला गोकरननाथ, जिला-लखीमपुर खीरी के विरुद्ध वसूली प्रमाण पत्र भी निर्गत किया जा चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री पंकज कुमार मलिक-

माननीय अध्यक्ष जी, मैंने गन्ने पर एक सवाल लगाया है। जवाब मैंने पढ़ लिया कि लगभग 3964 करोड़ रुपये बकाया है। मैं माननीय मंत्री जी की इच्छा शक्ति को जानता हूँ, ये किसान परिवार से हैं और हमारे ताऊ जी भी लगते हैं। यह तो चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष-

तो घर पर जाकर ही पूछ लेना।

श्री पंकज कुमार मलिक-

मैं मा0 मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि आप किसान परिवार से है, समझ सकते हैं कि 14 दिन के भुगतान की बात पहले हुई थी। एक तो 14 दिन में भुगतान नहीं हुआ। किस-किस मिल के खिलाफ गन्ना ऐक्ट के अनुसार 14 दिन में भुगतान न किए जाने के कारण उन पर कार्रवाई की गई? एक तो मैं यह जानना चाहता हूं। जहां तक मेरी जानकारी है तो न्यायालय द्वारा भी इस संबंध में कई बार निर्देश देने का काम किया गया। दूसरा मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार ब्याज सहित गन्ना मूल्य का भुगतान करेगी। किसान का ब्याज

मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए ? यह भी आप बता दें कि सरकार की क्या मंशा और इच्छा है और सरकार इस पर ध्यान देगी या नहीं देगी? गन्ने का भुगतान ब्याज सहित किसान को होगा, उसका ब्याज मिलेगा या नहीं मिलेगा? बड़ी विडंबना है। मैं एक बात और पूछना चाहता हूँ कि किसान पर बकाया हो तो 20 आदमी 20 कार्यकत्री जाएंगी और किसान को बेइज्जत करने का काम करेंगी और सरकार ने बड़े गर्व के साथ जवाब दिया कि पिछले साल का तीन हजार फलां-फलां करोड़ बकाया है, यह दुर्भाग्य है। मैं मा0 मंत्री जी से पूछना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष-

इसमें दोनों मूल प्रश्नकर्ता हैं उसके बाद आपको अनुपूरक करने की अनुमति दे देंगे।

श्री प्रसन्न कुमार-

मान्यवर, मंत्री जी ने जो जवाब दिया है उससे यह जाहिर होता है कि सरकार पूंजीपतियों के पक्ष में खड़ी है। यदि किसान के ऊपर दस हजार रुपये बिजली वालों का बकाया होता है तो उसे बेइज्जत किया जाता है और उसके घर पुलिस भेज दी जाती है और जब किसानों का मिल मालिकों के ऊपर एक लाख रुपये और दस लाख रुपये तक का बकाया है तो क्या इसमें मिल मालिकों का कोई गुनाह नहीं बनता ? गुनाह बनता है या नहीं बनता, इसका जवाब दें और यदि गुनाह बनता है तो क्या बुल्डोजर चलाने का कार्य उन मिल मालिकों पर होगा? मैं यह पूछना चाहता हूँ कि एक तरफ दुहाई दी जाती है देशभक्ति की, लेकिन दूसरी तरफ हमारे यहां एक गन्ना मालिक जो सरसादी लाल के वंशज उनके सामने पेमेण्ट मांगने जब किसान जाता है तो सरकार उसके पक्ष में नतमस्तक होकर के खड़ी होती है। आपके पास इस चीज का क्या जवाब है ?

श्री अध्यक्ष-

मा0 मंत्री जी आप दोनों लोगों के प्रश्न का उत्तर उत्तर दे दीजिए ।

श्री लक्ष्मी नारायण-

मान्यवर, मा0 पंकज मलिक जी तीसरी-चौथी बार सदस्य बनकर आए है। इन्होंने पूछा था कि वर्ष 2018 से लेकर 2019, 2020 और 2021 में कोई बकाया है क्या? मैं यह अनुरोध करना चाह रहा हूँ कि जितने धैर्य से हमने सुना है उतने ही धैर्य से थोड़ा यह सुन लें। मेरा अनुरोध यह था कि वर्ष 2018-2019 में 100 प्रतिशत पेमेण्ट हुआ है। केवल एक फैक्ट्री ऐसी थी जिसमें ग्यारह करोड़ बकाया है उसकी कुर्की निकल गई। जहां तक 2021-2022 के पेमेण्ट का सवाल है इसमे रोजाना पेमेण्ट होता है। मैंने जो आपको फीगर दी है उसमें भी एक सौ सत्तर करोड़ रुपये हमने कल शाम तक पेमेण्ट किए हैं। एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल उठाया है मा0 सदस्य, इन्होंने कहा था कि 14 दिन तक वह भुगतान न करें, लेकिन फिर उन्हें 14 दिन

बाद ब्याज मिलना चाहिए था। मैं एक अनुरोध कर रहा हूँ कि जब मा0 अखिलेश यादव जी ने एक प्रस्ताव पास किया था जिसमे उन्होंने अपने समय में यह कहा कि वर्तमान सरकार द्वारा अद्यतन सूचना के अनुसार पेराई सत्र 2017-18 में 33,444.06 करोड़, पेराई सत्र 2018-19 में 33048 करोड़, पेराई सत्र 2019-20 में 33,898.85 करोड़ पेराई सत्र 2020-21 में फिर उन्होंने एक आदेश पास किया कि इनसे ब्याज न लिया जाए, वह आज भी कोर्ट में पेण्डिंग है।

(एक्र सदस्य द्वारा बीच में टोका-टाकी करने पर)

एक मिनट सुन लें, मेरी बात सुन लें। मैं यह कह रहा हूँ कि वर्ष 2017 से पहले का जो पैसा दिया गया, मैं वही भुगतान बताने वाला था जो भुगतान आपने किया है। आप दोनों की सरकारों में वर्ष 2007 से 2017 तक 10 साल में जो भुगतान हुआ, वह कुल 01 लाख 47 हजार 346 करोड़ रुपये का हुआ और हमने भी 05 साल में भुगतान किया है। आपकी सरकार ने वर्ष 2007 से 2012 तक जो भुगतान किया है, वह भुगतान 52000 करोड़ रुपये है, मायावती जी के जमाने में और मा0 अखिलेश जी के जमाने में 95215 करोड़ रुपये का भुगतान है। दोनों का मिलाकर यह भुगतान होता है 147346 करोड़ रुपये का और हमने जो 05 साल में भुगतान किया है, वह भुगतान 01 लाख 78 हजार 924 करोड़ रुपये का हुआ है जिसमें हमने 10 हजार करोड़ रुपये का भुगतान पूर्ववर्ती सरकार के जमाने का भी किया है।

(कई सदस्यों द्वारा एक साथ बोलने का प्रयास करने पर शोर की स्थिति)

(शोर के मध्य)

आप लोग एक मिनट मेरी बात तो सुन लें।

श्री अध्यक्ष-

मा0 मंत्री जी का उत्तर आ जाने दें फिर आपको भी अवसर मिलेगा।

श्री लक्ष्मी नारायण-

मान्यवर, यह उसी का उदाहरण है कि चीनी उत्पादन में हमारा प्रदेश प्रथम है। इसके अलावा, वर्ष 2017 से पहले हमारे प्रदेश में केवल 20.54 लाख हेक्टेयर में गन्ना बोया जाता था और आज वह बढ़कर 28 लाख 52 हजार हेक्टेयर में गन्ना बोया जाता है। गन्ना बुआई में 38 परसेण्ट की वृद्धि हुई है। रिकवरी में भी वृद्धि हुई है, गन्ना उत्पादन में वृद्धि हुई है और यह सब केवल गन्ने के भुगतान की वजह से है। हमने पिछले साल तक का पूरा पेमेण्ट किया और इस वर्ष जो पेमेण्ट हुआ है, इसमें कुल टोटल हमारी 120 मिलें है जिनमें 63 मिलों ने 100 परसेण्ट भुगतान किया है और हमारी 20 मिलें ऐसी हैं जिन्होंने 86 परसेण्ट भुगतान किया है। मान्यवर, हमारी जिन मिलों पर बकाया है, उन्हें हमने बार-बार निर्देश दिए हैं, उनके

खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं, निश्चित रूप से सरकार जल्दी भुगतान कराने के लिए कटिबद्ध है।

श्री अध्यक्ष-

अब हम अगला प्रश्न लेंगे।

(सदस्य पंकज कुमार मलिक द्वारा कुछ बोलने का प्रयास करने पर)

इस प्रश्न पर बहुत विस्तार से उत्तर आ गया है।

श्री पंकज कुमार मलिक-

मान्यवर, यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। गन्ना किसानों के गन्ना भुगतान से सम्बन्धित है।

श्री अध्यक्ष-

गन्ने का सम्बन्ध किसानों से ही होगा, डॉक्टरों से थोड़े होगा।

नेता विरोधी दल (श्री अखिलेश यादव)-

अध्यक्ष महोदय, मा0 मंत्री जी ने कुछ आँकड़े दिए और कुछ बताया कि यह पुरानी सरकार का फैसला था जिसकी वजह से ये 14 दिन में भुगतान के साथ-साथ इण्टरेस्ट नहीं दे पा रहे हैं। हमको तो सरकार से गए पाँच साल से ज्यादा हो गए, अब तो और ज्यादा समय हो गया है, लगभग साढ़े पाँच साल हो गए हैं। मा0 मंत्री जी, आप तो शायद नये मंत्री बने होंगे तो क्या आपकी भी सुनवाई ऊपर तक नहीं है?

(एक सदस्य द्वारा यह कहने पर कि मा0 मंत्री जी बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं।)

हाँ, बुजुर्ग तो हैं उम्र से लेकिन अनुभव होगा इनके पास। अध्यक्ष महोदय, लेकिन मुझे यह लगता है कि इनकी सुनवाई सरकार में नहीं है। अगर उस समय कोई फैसला ऐसा लिया गया था तो किन परिस्थितियों में लिया गया था कि उस समय मार्केट में चीनी मिलों की चीनी का भाव उतना नहीं था और मा0 मंत्री जी यह भी बताएँ कि देश के इतिहास में, उत्तर प्रदेश के इतिहास में पहली बार अगर बजट से किसानों के भुगतान के लिए पैसा कभी भी दिया गया तो वह समाजवादी सरकार थी। जहाँ तक एरिया बढ़ाना, रिकवरी बढ़ाना है तो सरकार ने बहुत अच्छा काम किया था। सवाल यह नहीं है कि भुगतान कितना हुआ है क्योकि हर सरकार में भुगतान होता है, भुगतान होगा। सवाल यह है कि बकाया कितना है? भुगतान तो होगा, हर सरकार करेगी। एक सरकार चली जाएगी तो दूसरी सरकार की जिम्मेदारी है, वह करेगी।

लेकिन सवाल आज जो माननीय सदस्यों ने पूछा है, जिसका किसान इंतजार कर रहे हैं। डबल इंजन की सरकार है। एक मिलियन डॉलर की इकॉनामी की आप बात कर रहे हैं और आप किसानों का चार हजार करोड़ रुपये बकाया नहीं दे पा रहे हैं। यह कैसी सरकार है ?

(सत्ता पक्ष की तरफ से तीन हजार करोड़ रुपये के शब्द सुनाई दिये)

चलिए 3 हजार करोड़ रुपये ही सही आंकड़ा ठीक हो जायेगा और यदि अगली पेराई आ जायेगी तो हो सकता है कि यह आंकड़ा बढ़कर 10 हजार करोड़ रुपये हो जाये। इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी साफ बतायें। कितना भुगतान हुआ है यह नहीं बतायें बल्कि बकाया कितना है जो भुगतान हो जायेगा और वह आप कब तक करा देंगे?

श्री अध्यक्ष-

मा0 मंत्री जी, बकाया कितना है और उसका भुगतान कब तक हो जायेगा, बता दें। इसमें सभी के प्रश्न आ गये हैं।

श्री अखिलेश यादव-

और माननीय मंत्री जी, वह पुराने नियम बदलेंगे या नहीं बदलेंगे, यह भी बता दें।

श्री लक्ष्मी नारायण-

माननीय नेता विपक्ष ने यह बात सही कही कि 5 साल उनकी सरकार को गये हो गये। आपकी सरकार ने उस समय जो ब्याज माफ करने की बात कही थी। आज भी वह हाई कोर्ट में मुकदमा चल रहा है और हाई कोर्ट से बार-बार हमको नोटिस दी गई है। हमने उसको हल करने के लिए एक कमेटी भी बनाई है। दूसरी बात यह है कि मैं आपका बहुत सम्मान करता हूँ, माननीय नेता जी के नेतृत्व में मैंने भी काम किया है लेकिन मैं इतना अनुरोध करना चाहता हूँ आपसे कि मायावती जी के जमाने में 19 मिलें बन्द होकर बिकी और आपके जमाने में 11 मिलें बन्द हुई।

(विपक्ष के कई सदस्य अपने स्थान पर खड़े होकर एक साथ विरोध करने लगे)

श्री अखिलेश यादव-

माननीय अध्यक्ष जी, कम से कम मा0 मंत्री जी, जो चीनी मिलें समाजवादी पार्टी सरकार में बिकी हैं, उनके नामों को ही पढ़ दें।

श्री अध्यक्ष-

माननीय मंत्री जी, आप उन मिलों के नाम बता दीजिएगा।

श्री लक्ष्मी नारायण-

आपके जमाने में जो मिलें बन्द हुई उसमें गागलहेड़ी, मझावली, बुलन्दशहर, पिपराइच और मुण्डेरवा बन्द हुई। ये आपके जमाने में मिले बन्द हुई हैं।

(समाजवादी पार्टी के कई सदस्यों के एक साथ विरोध करने से शोर की स्थिति)

श्री अखिलेश यादव-

माननीय अध्यक्ष महोदय, मिल का बिकना और बन्द होना दो अलग चीजे होती हैं। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि समाजवादी पार्टी की सरकार में कौन-सी चीनी मिलें बिकीं उनके नाम बता दें।

श्री अध्यक्ष-

माननीय नेता प्रतिपक्ष बेचने वालों में आप नहीं है, वह आपके बगल में बैठे हुए हैं। मंत्री जी, बन्द होने वाली मिलों के बारे में बता रहे हैं।

श्री लक्ष्मी नारायण-

ये जो मिलें मैंने अभी आपको बताई है, वह हमने नई मिलें बनाई हैं जिसमें गांगलहेड़ी, मझावली, बुलन्दशहर, पिपराइच और मुण्डेरवा है। हमने यह पाँच नई मिलें बनायी है और आपके समय में जो 11 मिले बन्द हुई हैं, उनके नाम अभी आपको बताता हूँ, वह मिलें हैं पडरौना, टोडरपुर, सहारनपुर, अमरोहा, रसड़ा, गोरखपुर.....

(विपक्ष के कई सदस्यों के अपने स्थान पर खड़े होकर बोलने के कारण शोर एवं व्यवधान की स्थिति)

श्री अध्यक्ष-

माननीय मलिक जी, आप मूल प्रश्नकर्ता हैं, आप प्रश्न पूछ लें और यह लास्ट प्रश्न होगा। आपके द्वारा पूछा गया प्रश्न लास्ट प्रश्न होगा अब आप पूछ लें।

श्री पंकज कुमार मलिक-

माननीय अध्यक्ष जी, मै आपके माध्यम से आरदणीय मंत्री जी को बताना चाहता हूँ कि अखिलेश जी की सरकार में.....

श्री अध्यक्ष-

आप बताइये नहीं, पूछिए। आपको पूछने के लिए खड़ा किया गया है। बतायेंगें ये और पूछेंगे आप।

श्री पंकज कुमार मलिक-

माननीय अध्यक्ष जी, 2012 में मोहिउद्दीनपुर और शाहजहाँपुर में पुवायाँ मिल इनके समय में चलाई गई थी। मैं एक जानकारी और ले लूँ जैसा कि आपने कहा कि हम मिलों के खिलाफ कार्रवाई करने का काम कर रहे हैं मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि मोदी मिल पर 571 करोड़ का आज भी बकाया है। लगभग 74 प्रतिशत बकाया का भुगतान नहीं हुआ है, लगभग 70 फीसदी का नहीं हुआ है 4 परसेन्ट इधर एक-दो दिन में भुगतान हो गया होगा। आदरणीय मंत्री जी, बहुत अच्छे हैं। मेरा विनम्र अनुरोध है कि चूंकि गन्ना किसान इस प्रदेश

का ही रहने वाला है और यहाँ का ही नागरिक है। आपकी हमारी स्वयं की जिम्मेदारी बनती है और आप स्वयं किसान परिवार से आते हैं। 53 परसेन्ट सिंभावली का लगभग आज भी बकाया है।

शामली, थानाभवन, बुढ़ाना का बकाया है, किनोनी में बकाया है और शामली में लगभग 200 करोड़ आज भी बकाया है, दादालोहिड़ी में लगभग 40 परसेण्ट बकाया है। मैं विनम्रता के साथ आपसे यह पूछना चाहता हूँ कि क्या सरकार इन पर प्रेशर बनाकर किसान हित में फैसला लेगी? इनके मालिकों के खिलाफ, बड़े अधिकारियों को जेल भेजने का काम करेगी? एक बात और कि क्या बकाया भुगतान कराने का काम करेगी? मैंने आपसे अनुरोध किया था कि आपकी सरकार का बड़ा मन है, बड़े लोगों की सरकार है, मैं सिर्फ यह पूछना चाहता हूँ कि ब्याज सहित भुगतान का आपका क्या मन है? आप सम्मानित न्यायालय में पैरवी करेंगे या नहीं करेंगे ?

श्री अध्यक्ष-

मलिक जो, ठीक है आपका प्रश्न आ गया?

(माननीय मलिक जी और माननीय लालजी वर्मा जी के अपने स्थान से खड़े होकर अपनी बात कहने पर)

श्री अध्यक्ष-

लालजी वर्मा आप प्रश्न पूछ लीजिए तो दो लोगों का एक साथ उत्तर आ जाये। माननीय मंत्री जी से निवेदन करूँगा कि इन दोनों प्रश्नों का उत्तर एक साथ दे दें।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ चूंकि अभी मा0 मंत्री जी ने कहा कि हमने 10 साल में जो पेमेण्ट हुआ, उससे ज्यादा पेमेण्ट किया। किसान का। इन 10 सालों में गन्ने का प्रति कुन्तल कितना मूल्य बढ़ाया, यह मा0 मंत्री जी बता दे। क्या इन्होंने 2 गुना, 3 गुना मूल्य बढ़ाया जिसके आधार पर पेमेण्ट हुआ? या किसानों ने ज्यादा पैदावार करके, ज्यादा गन्ना बेचा, उसका पेमेण्ट किया? अगर मूल्य बढ़ाकर आपने दोगुना पेमेण्ट किया है तो आपकी तारीफ है, यदि बिना मूल्य बढ़ाए आपने पेमेण्ट किया है तो क्या किसानों ने जो गन्ना पैदा किया उसका अतिरिक्त रुपया बढ़ाया ? इसका जवाब माननीय मंत्री जी दे दें।

श्री लक्ष्मी नारायण-

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मलिक जी ने एक सवाल पूछा था, उसमें बताना चाहूंगा कि मुजफ्फरनगर में 8 चीनी मिलें हैं, जिनमें से 6 मिलों का 100 प्रतिशत पेमेण्ट हुआ है।

(विपक्ष के सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

अरे धीरज रखिए न।

श्री लक्ष्मी नारायण-

मान्यवर, वर्मा जी ने जो मूल्य की बात की थी, उसमें आपको बताना चाहूंगा कि हिन्दुस्तान में उत्तर प्रदेश से ज्यादा गन्ना मूल्य कहीं भी नहीं है। आज जो हमारा गन्ना मूल्य है, हम यह चाहते हैं कि किसान का सही समय पर पेमेण्ट होना चाहिए और सीधा पेमेण्ट होना चाहिए। हमने किसान के खाते में सीधे पेमेण्ट किया है।

वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, सभी जवाब आ गये हैं।

श्री लक्ष्मी नारायण-

माननीय अध्यक्ष जी, केवल एक मिनट का समय और लूँगा। शामली के विधायक जी कह रहे थे, अब तक उत्तर प्रदेश में किसी को यह नहीं पता था कि हमारा भी कोई सहकारी चीनी मिलों, इत्यादि में कहीं कोई साझा है। 46 लाख किसानों को हमने शेयर सर्टिफिकेट देकर यह बताया है कि तुम्हारे पिता जी का भी इसमे पैसा लगा है और तुम्हारा भी पैसा इसमें लगा है। एक-एक चीज गन्ना विभाग के पोर्टल पर है। कोई भी अपनी पर्ची का हिसाब देख सकता है, पेमेण्ट का हिसाब देख सकता है।

श्री अध्यक्ष-

मा0 मंत्री जी आपका धन्यवाद, आपका उत्तर आ गया। अब हम अगला प्रश्न संख्या-3 लेते हैं।

(कुछ सदस्यों के टोका-टाकी करने पर)

श्री अध्यक्ष-

जवाब आ गया। देखिए 20-20 मिनट एक-एक प्रश्न पर हो गये तो बाकी आप दूसरे प्रश्नों के ऊपर अतिक्रमण करेंगे। फहीम इरफान जी आप अनुपूरक करिए।

प्रदेश सरकार पर वित्तीय वर्ष 2017-18 से वित्तीय वर्ष 2021-22 राजकोषीय ऋण का विवरण तथा उसके भुगतान के सम्बन्ध में

***3-श्री मौहम्मद फहीम इरफान-**

क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश सरकार पर वित्तीय वर्ष 2017-18 में राजकोषीय ऋण कितना था तथा गत वित्तीय वर्ष 2021-22 में कितना हो गया है? क्या सरकार ने इस ऋण को चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में समाप्त करने की कोई योजना बनाई है ? यदि हाँ, तो योजना का विवरण क्या है? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

महालेखाकार से प्राप्त आकड़ों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2017-2018 में ऋण की धनराशि 467842.18 करोड थी तथा वित्तीय वर्ष 2021-2022 के पुनरीक्षित अनुमानों में वित्तीय वर्ष 2021-2022 के अंत में 611281.42 करोड़ ऋण के अनुमान लिए गये हैं।

नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के विकास के लिये ऋण लिया जाता है तथा लिये गये ऋणों का भुगतान उनके भुगतान शेड्यूल के अनुसार किया जाता है।

श्री मोहम्मद फहीम इरफान-

माननीय अध्यक्ष जी, मेरा सवाल बड़ा गम्भीर है। मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूँ कि मेरे प्रश्न का जो जवाब मा0 मंत्री जी ने दिया है, वह उत्तर प्रदेश की वर्तमान आर्थिक स्थिति को बताने हेतु आईने के समान है। इस जवाब से स्पष्ट है कि प्रदेश सरकार पर वित्तीय वर्ष 2017-18 में जो राजकोषीय ऋण 4 लाख 67 हजार करोड़ था, वह वित्तीय वर्ष 2021-22 में बढ़कर 6 लाख 11 हजार करोड़ हो गया अर्थात् वर्तमान में प्रदेश का कोई भी बच्चा लगभग 31 हजार रुपये के ऋण में जन्म ले रहा है। यह स्थिति अपने आप में बहुत ही गम्भीर है। उसी गम्भीर स्थिति के मद्देनजर मैंने पूछा था कि इस ऋण को कम करने के लिए सरकार ने कौन-से उपाय किये हैं परन्तु उन उपायों का कोई ब्यौरा मेरे सवाल के जवाब में मा0 मंत्री जी नहीं दिया गया है।

अतः माननीय अध्यक्ष जी मैं पुनः आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि क्या सरकार ने इस राजकोषीय ऋण को समाप्त करने की कोई योजना बनाई है ? यदि बनाई है तो क्या उस योजना से मंत्री जी सदन को अवगत करायेंगे ? यदि नहीं बनाई तो न बनाने के प्रमुख कारण मंत्री जी सदन को बतायें। माननीय अध्यक्ष जी, प्रदेश सरकार के वर्तमान वित्तीय वर्ष 2022-23 हेतु वार्षिक बजट की धनराशि उक्त राजकोषीय ऋण से कितनी कम अथवा ज्यादा है ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

माननीय अध्यक्ष जी, जब माननीय सदस्य ने यह प्रश्न लगाया तो कम-से-कम उन्हें यह जानकारी जरूर कर लेनी चाहिए कि सकल घरेलू उत्पाद क्या होता है और राज्यों के ऋण और व्यक्तिगत ऋण में कितना अन्तर होता है ? दुनिया की कोई भी सरकार जो प्रोग्रेसिव है, जो किसी-न-किसी रूप में विकास के प्रति संवेदनशील है और विकास के लिए अग्रसर है तो ऐसी कोई सरकार नहीं है जिसके ऊपर कर्जा न हो। एक व्यक्तिगत कर्जा और सरकार के ऊपर कर्जा दोनों में जमीन-असमान का फर्क है, यह माननीय सदस्य को समझ लेना चाहिए।

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से यह बता देना चाहता हूँ कि सरकारों के पास कर्जा आता है और उस कर्जे का इस्तेमाल करके हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करते हैं, बेसिक इम्युनिटी डेवलप करते हैं, जो जरूरियात है उनको डेवलप करते हैं और उसके लिए हम कर्जा लेते हैं। लेकिन कर्जा लेना एक बात है फिर कर्जे को सही समय पर किस्त और ब्याज सहित उसको अदा करना ये हमारी स्ट्रेन्थ को शो करता है कि फाइनेंशियल स्ट्रेन्थ हमारी कितनी है ? यह सुनने में तो अच्छा लगता है कि हमारे ऊपर इतना कर्जा है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि आज की तारीख में भारत सरकार का जी0डी0पी0 का रेसियो 56 प्रतिशत है। यह सबसे ज्यादा इसी बात से आंका जाता है कि हमारा ऋण जी0एस0डी0पी0 का कितने प्रतिशत है। उत्तर प्रदेश का 34.2 प्रतिशत, पंजाब में 53.3 प्रतिशत, राजस्थान में 39.5 प्रतिशत, बिहार में 38.6 प्रतिशत, केरल में 37.0 प्रतिशत है।

(सदन में शोर-गुल)

अरे, सुनिये तो फाइनेन्स को समझिये तो पहले। किसी समय वर्मा जी के पास बैठकर समझ लीजिये कि फाइनेसियल स्थिति क्या होती है। ऐसा है कि बीच में न बोलें तो अच्छा है। हम आपकी बात का जवाब देंगे। आप पूछिये, हम जवाब देंगे। फाइनेंशियल स्थिति अगर ठीक है तो सारी स्थितियां ठीक मानी जाती हैं और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप चाहें रिजर्व बैंक की रिपोर्ट देख लें और चाहें तो हमारी सी0ए0जी0 की रिपोर्ट देख लें उसमें हमारा एफ0आर0वी0एम0 देखा जाता है कि बजट मैनुअल की हमारी जो फिस्किल रिस्पॉन्सबिलटी है, वह क्या है ? फिस्किल रिस्पॉन्सबिलटी, राजकोषीय घाटा हमने कभी पार नहीं किया जो उनकी सीमा थी। जब 3 थी तो 3 नहीं पार किया, जब साढ़े 3 तीन तो साढ़े 3 नहीं पार किया और जब 4, साढ़े 4 थी तो हमारी 4.17 थी और फाइनल जो अनुमान आया वह लगभग ढाई पर है यानि वह 3 पर भी नहीं है तो राजकोषीय घाटा क्या होता है, सकल घरेलू उत्पाद क्या होता है, ऋण सरकारें लेती हैं तो उसका क्या करती हैं, उसको कैसे पेमेण्ट करती हैं और हम अपना पेमेण्ट बता दें कि हमने ब्याज के साथ पेमेण्ट किया है, जब-जब हमने कर्जा लिया है। 2017-18 से आपने पूछा, 2017-18 में हमने मूलधन भी दिया और 29,135.00 करोड़ रुपये ब्याज भी दिया। 2018-19 में 32,042.09 करोड़ रुपये ब्याज दिया, 2019-20 में 34,813.02 करोड़ रुपये ब्याज दिया, 2020-21 में 37,428.38 करोड़ रुपये ब्याज दिया और 2021-22 में अनुमानतः 42,504.25 करोड़ रुपये हम ब्याज देंगे। मान्यवर, यह अपने आपमें एक कान्टीन्युअस प्रोसेस है इसको समझ लेना चाहिए और जहां तक आपने दूसरा सवाल पूछा कि हमारा 6 लाख 15 हजार करोड़ रुपये का बजट है इस समय 6 लाख 11 हजार करोड़ रुपये का कर्जा है। सवाल यह है कि यह तो चलेगा ही। अमेरिका का ऋण जमा अनुपात 100 परसेण्ट से ज्यादा है, ऋण के अगेंस्ट में जी0डी0पी0 उनका 100 परसेण्ट से भी ज्यादा।

जापान का भी यही है। दुनिया की जितनी भी सरकारें प्रोग्रेसिव हैं, सब कर्जा लेती हैं। आप किसी वक्त बैठकर पूछ लीजिएगा। मान्यवर, सी0ए0जी0 और रिजर्व बैंक के हिसाब से हमारी फाइनेंशियल पोजीशन ठीक है और हमारी पोजीशन लगातार स्ट्रेंथेन हो रही है और कहीं पर भी इसमें कमी नहीं है। यह टेक्निकल टर्म्स है और इन टेक्निकल टर्म्स को समझने की आवश्यकता है। इस तरीके से नहीं देखा जाता कि हमारे प्रदेश में पैदा हुए हर बच्चे के ऊपर इतना कर्जा है। हम कर्जा फिर लेंगे और ब्याज सहित उस कर्जे को चुकायेंगे।

***4-हाजी इरफान सोलंकी-**

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

प्रदेश के किसानों की फसलों पर लागत कम करने तथा आय में वृद्धि करने के दृष्टिगत नलकूपों हेतु मुफ्त बिजली देने विषयक

***5-श्री अजय कुमार-**

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के किसानों की फसलों पर लागत कम करने तथा आय में वृद्धि करने के दृष्टिगत फसलों की सिंचाई हेतु निजी नलकूपों हेतु मुफ्त बिजली देने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

प्रदेश के किसानों (ग्रामीण आपूर्ति शिड्यूल से आच्छादित) को फसलों पर लागत कम करने के लिए बिजली की प्रचलित दरों एवं टैरिफ रु0 720 प्रति हार्स पावर प्रति माह के सापेक्ष मात्र रु0 85 प्रति हार्स पावर प्रति माह चार्ज लिया जा रहा है। इस प्रकार कृषक उपभोक्ताओं को बिजली की दरों में 88.19 प्रतिशत की छूट प्रदान की जा रही है।

वर्ष 2022-23 हेतु प्रदेश के किसानों के निजी नलकूपों (ग्रामीण शिड्यूल) हेतु शासकीय सहायिकी रु0 7,097 करोड़ का प्रावधान है।

इसके उपरान्त किसानों की आय में वृद्धि करने के लिए उनको बेहतर सिंचाई की सुविधा के उद्देश्य से किसानों को अप्रैल, 2022 से 18 सितम्बर, 2022 तक 23169 निजी नलकूप के संयोजन दिये गये हैं।

इसके अतिरिक्त 7.5 हार्स पावर तक के नलकूप संयोजनों पर सोलर पम्प लगाने हेतु कृषि विभाग द्वारा मूल्य पर (30 प्रतिशत केन्द्रांश एवं 30 प्रतिशत राज्यांश) कुल 60 प्रतिशत का अनुदान दिया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री अध्यक्ष-

माननीय अजय कुमार जी, आप अनुपूरक कर लें।

श्री अजय कुमार-

माननीय अध्यक्ष जी, मेरा एक किसानों से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो मैंने माननीय ऊर्जा मंत्री जी से पूछा था कि किसानों को फसलों की सिंचाई हेतु निजी नलकूपों के लिए मुफ्त बिजली देने पर सरकार विचार करेगी ? मान्यवर, वर्तमान में किसान बदहाल है। 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का वायदा करने वाले आज किसानों की ही अनदेखी कर रहे हैं। किसानों की आय दोगुनी तो नहीं हुई अलबत्ता डीजल, उर्वरक और कीटनाशकों के दामों में बेतहाशा वृद्धि से उसकी लागत दोगुनी हो गई है। एक बार किसानों को आस विधान सभा चुनाव के दौरान जगी थी कि बिजली में कुछ राहत मिलेगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने 170 रुपये प्रति हार्स पावर प्रति माह की बिजली दर को घटाकर 85 रुपये प्रति हार्स पावर कर दिया और चुनाव में वादा किया था कि चुनाव के बाद किसानों को मुफ्त बिजली दी जायेगी। लेकिन खेद है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और माननीय मंत्री जी ने मेरे उत्तर के जवाब में बहुत ही आधारहीन आँकड़े प्रस्तुत किये हैं। वह केवल सदन को भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष-

आप आधार के साथ प्रश्न पूछ लीजिए।

श्री अजय कुमार-

मान्यवर, उन्होंने अपने उत्तर में दिया है कि रु0 720 प्रति हार्स पावर प्रति माह के सापेक्ष मात्र रु0 85 प्रति हार्स पावर प्रति माह चार्ज लिया जा रहा है। इस प्रकार कृषक उपभोक्ताओं को बिजली की दरों में 88.19 प्रतिशत की छूट प्रदान की जा रही है। माननीय मंत्री जो, जोकि सरासर गलत है।

श्री अध्यक्ष-

आप प्रश्न पूछिये, आपका प्रश्न क्या है ?

श्री अजय कुमार-

मान्यवर, मेरा प्रश्न यह है कि माननीय मंत्री जी, आप कम से कम अपने घोषणा-पत्र के पन्ने ही पलट कर देख लेते।

श्री अध्यक्ष-

वह पलट लेंगे, आप दूसरा प्रश्न पूछिये ?

श्री अजय कुमार-

मान्यवर, वह पलट लें और जवाब दें कि कब किसानों को ट्यूबवेल से सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली मुहैया कराई जायेगी और यदि नहीं तो क्यों नहीं कराई जायेगी ? इसका जवाब दे दें।

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

मान्यवर, पहली बात तो मैं यह स्पष्ट कर दूँ कि माननीय मुख्य मंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार किसानों के लिए जितनी चिन्ता करती है, उतनी पूर्व में किसी सरकार ने नहीं की और जहाँ तक माननीय सदस्य बिजली की बात करते-करते डीजल और उर्वरक पर आ गये तो पहली बात मैं यही समझ नहीं पा रहा हूँ कि बिजली का जवाब चाहते हैं या डीजल और उर्वरक का चाहते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, जहाँ तक बिजली की बात है तो सामान्य रूप से यह जो हॉर्स पावर की कीमत बिजली की आती है, वह 720 रुपये पड़ती है। वह 720 रुपये की जो कीमत पड़ती है, उसके सामने 550 रुपये सरकार द्वारा सब्सिडी दी जाती है और 550 रुपये सब्सिडी देने के लिए माननीय वित्त मंत्री जी बैठे हैं, आप बजट बुक देख लीजिए।

उसके लिए इस वर्ष के बजट में 7 हजार 97 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है यह पैसा बिजली के लिए जो राहत दी जाती है उसके सामने जाता है उसके उपरान्त मैं माननीय कृषि मंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ कि कृषि विभाग की तरफ से 1 जनवरी, 2022 से शुरू हो करके, जो 720 में से 550 रुपये निकलकर 170 रुपये बचा है उसकी भी 50 प्रतिशत की सब्सिडी कृषि विभाग द्वारा दी जाती है। इस प्रकार 720 रुपये की रेट पड़ने वाली बिजली को हम वर्तमान में 85 रुपये हार्स पावर के हिसाब से दे रहे हैं, जो 88.19 प्रतिशत की छूट दर्शाता है।

श्री मनोज कुमार पाण्डेय-

माननीय अध्यक्ष जी, जो मंत्री जी से प्रश्न पूछा गया है उसका जवाब दें।

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

माननीय अध्यक्ष जी, जो प्रश्न पूछा गया है उसी का जवाब दे रहे हैं।

श्री अध्यक्ष-

जो प्रश्न पूछा गया है वही बता रहे हैं।

श्री लालजी वर्मा-

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में जवाब दिया है कि प्रति हार्स पावर 720 रुपये खर्च आता है। मान्यवर, आप भी किसानों की हालत को जानते होगे, किसानों का बिजली का ट्यूबवेल हमेशा नहीं चलता रहता है जब सिंचाई की जरूरत रहती है तब चलता है, लेकिन वह किसान पूरे साल उसका भुगतान करता है, क्या उस बात को इसमें आंकलन करके निकाला गया है कि 720 रुपये हार्स पावर आता है। दूसरा प्रश्न सरकार के वर्ष 2017 में बनने के पहले किसानों से 55 रुपये हार्स पावर लिया जाता था, इन्होंने इसे बढ़ाकर 255 रुपये किया था, लेकिन इस समय कुछ घटाया है, अब 85 रुपये कर रहे है तब भी

55 से कई गुना ज्यादा है। तीसरा इन्होंने कहा कि हमने इतने निजी नलकूपों का संयोजन किया। मान्यवर, इन्होंने जो उत्तर दिया है उसके परिप्रेक्ष्य में मैं पूछना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश के कितने किसानों ने सामान्य योजना में विद्युत कनेक्शन के लिए पैसा जमा किया है, क्या उन 2,3,4 सालों से 52 हजार 55 हजार, 56 हजार, 57 हजार रुपया जमा करने वाले किसानों का विद्युत कनेक्शन करने पर सरकार विचार करेगी ? मान्यवर, यह तीन प्रश्न है इसका उत्तर माननीय मंत्री जी दे दें।

श्री अध्यक्ष-

श्री जियाउर्रहमान आप भी प्रश्न कर लीजिये। माननीय मंत्री जी दोनों का उत्तर एक साथ दे दीजिये।

श्री जियाउर्रहमान-

माननीय अध्यक्ष जी, जो हमारा माननीय मंत्री जी से प्रश्न था उन्होंने जो जवाब दिया है उससे हम सन्तुष्ट नही हैं। हमने प्रश्न यह नहीं किया कि आप हमें कितनी सब्सिडी दे रहे हैं हमारा प्रश्न सिर्फ यह है कि आप किसानों की जो फसल है उसकी आय बढ़ाने के लिए उसको आप मुफ्त बिजली देंगे या नहीं देंगे। आप किसानों के साथ भेद-भाव क्यों कर रहे हैं।

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

माननीय अध्यक्ष जी, सामने के सदस्यों ने जो प्रश्न उठाये हैं उसका जवाब तो श्री लालजी वर्मा ने दे दिया है। उन्होंने ही कहा है कि इधर आपने कुछ घटाया है, घटाया है, घटाया है, आपने तीन बार बोला। तो हम भी यही कह रहे हैं।

श्री लालजी वर्मा-

माननीय अध्यक्ष जी, इसमें इन्होंने बढ़ाया है।

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

माननीय अध्यक्ष जी, हम भी यही कह रहे हैं कि जो लागत आती है उसके सामने 88 प्रतिशत से ज्यादा की छूट/राहत हम दे रहे हैं। जहाँ तक श्री लालजी वर्मा के दूसरे प्रश्न का जवाब दे दूँ कि जो सामान्य योजना थी वह 2019 में पूरी हुई उस पर सरकार 68 हजार सब्सिडी देती थी। उस योजना में अब तक 31 हजार 428 कनेक्शन दिये जा चुके हैं, जो बाकी है, वह बहुत कम है। इसके साथ आपकी जानकारी में भी है कि हम पूर्ण योजना में भी कनेक्शन दे रहे हैं, जिनमें अभी तक 99 हजार 376 मतलब लगभग 1 लाख कनेक्शन दिये जा चुके है। उसमें इस वर्ष नयी सरकार बनने के बाद अप्रैल से 19 सितम्बर तक की बात करूं तो 23 हजार 653 कनेक्शन दिये जा चुके हैं और इसी महीने 4 हजार 323 कनेक्शन दिये जा चुके हैं। अगर आप कहें तो मैं बता दूं कि पहली सितम्बर को 435 कनेक्शन, दो सितम्बर को

150, तीन सितम्बर को 153 कनेक्शन, इस प्रकार से कनेक्शन देने की प्रकिया को हम बहुत तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं।

श्री अखिलेश यादव-

माननीय अध्यक्ष जी, मेरा अनुपूरक इसी प्रश्न से जुड़ा है, जिस समय समाजवादी पार्टी ने अपने मेनीफेस्टो में यह लिखा कि हम 300 यूनिट फ्री बिजली देंगे, उस समय भारतीय जनता पार्टी ने चुनावों में किसानों को यह भरोसा दिलाया कि उनको फ्री बिजली उपलब्ध होगी, तो मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि उनकी पार्टी के बड़े नेताओं ने जनता में यह बात कही थी और खास करके किसानों को भरोसा दिलाया कि फ्री बिजली उपलब्ध होगी, तो क्या माननीय मंत्री जी दे पायेंगे।

श्री अध्यक्ष-

नहीं, माननीय मंत्री जी ने मना कर दिया कि नहीं दे पायेंगे।

श्री अखिलेश यादव-

एक बार माननीय मंत्री जी की ओर से जवाब आ जाय।

श्री अध्यक्ष-

वह नहीं दे पायेंगे। अब अगला प्रश्न लिया जाय।

श्री अजय कुमार-

मान्यवर, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया।

प्रदेश में पर्यावरण संरक्षण हेतु सिंगल यूज प्लास्टिक की रोक-थाम सम्बन्धी कार्रवाई का विवरण

***6-श्री राजेन्द्र प्रसाद चौधरी-**

क्या वन एवं पर्यावरण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में पर्यावरण के संरक्षण हेतु सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग वर्जित है ? यदि हां, तो क्या इसके उत्पादन, वितरण एवं उपयोग करने वालों की रोक-थाम के लिए उनके खिलाफ कोई कार्यवाही की जा रही है ? यदि हां, तो उसके परिणाम क्या हैं ? क्या सरकार प्रदेश में प्लास्टिक निर्माण इकाइयों एवं उसके भण्डारण पर पाबन्दी लगायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

वन एवं पर्यावरण, जन्तु उद्यान एवं जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (डॉ0 अरुण कुमार)-

जी हाँ।

वन एवं पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 12-08-2021 द्वारा निम्न सिंगल यूज प्लास्टिक पर दिनांक 01-07-2022 से प्रतिबन्ध लगाये गये हैं :-

(क) प्लास्टिक स्टिक युक्त ईयर बड्स, गुब्बारों के लिए प्लास्टिक की डंडियां, प्लास्टिक के झंडे, कैंडी स्टिक, आइसक्रीम की डंडियां, पोलीस्टाइरीन (थर्मोकोल) की सजावटी सामग्री।

(ख) प्लेटें, कप, गिलास, कांटे, चम्मच, चाकू स्ट्रॉ, ट्रे जैसे कटलरी, मिठाई के डिब्बों के इर्द-गिर्द लपेटने या पैक करने वाली फिल्में, निमंत्रण कार्ड और सिगरेट पैकेट, 100 माइक्रोन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक या पीवीसी बैनर, स्ट्रिकर।

नगर विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन की अधिसूचना दिनांक 15-07-2018 द्वारा प्लास्टिक कैरी बैग (किसी भी मोटाई के) एवं थर्माकोल से निर्मित कप, प्लेट, गिलास एवं चम्मच इत्यादि पर पूर्णतया प्रतिबन्ध अधिरोपित किया जा चुका है।

उ0प्र0 शासन की अधिसूचना दिनांक 15-07-2018 द्वारा अधिरोपित प्रतिबन्ध के क्रम में संबंधित विभागों द्वारा प्रर्वतन की कार्यवाही की जा रही है, जिसमें वर्ष 2018 से जून, 2022 तक संयुक्त रूप से अभियान चलाते हुए प्रदेश के जनपदों में अद्यतन तक लगभग 1200 टन प्रतिबन्धित प्लास्टिक सीज किया गया है तथा रु0 14 करोड़ का जुर्माना लगाया गया है।

भारत सरकार द्वारा दिनांक 01-07-2022 से चिन्हित सिंगल यूज प्लास्टिक पर अधिरोपित प्रतिबन्ध के अनुपालन में कार्यवाही करते हुए उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं नगर निकायों द्वारा दिनांक 01-07-2022 से अद्यतन तक संयुक्त रूप से अभियान चलाते हुए 12222 स्थलों पर छापेमारी की गयी है, जिसमें लगभग 38 टन प्रतिबन्धित सिंगल यूज प्लास्टिक जब्त किया गया है तथा दोषियों पर रु0 60 लाख का जुर्माना अधिरोपित किया गया है।

जी हाँ।

नगर विकास विभाग, उत्तर प्रदेश की अधिसूचना संख्या-1056/9-7-18-29 (लखनऊ)/18, दिनांक 15-07-2018 द्वारा प्लास्टिक कैरी बैग (किसी भी मोटाई के) एवं थर्मोकोल से निर्मित कप, प्लेट, गिलास एवं चम्मच इत्यादि के निर्माण, भण्डारण, परिवहन, आयात एवं निर्यात पर पूर्णतया प्रतिबन्ध अधिरोपित किया जा चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री राजेन्द्र प्रसाद चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, मैंने प्रश्न लगाया था कि सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबन्ध है या नहीं है, तो इसका उत्तर आया है कि 15-07-2018 को प्रदेश सरकार ने प्रतिबन्ध लगाया था और 12-08-2021 को भारत सरकार ने प्रतिबन्ध लगाया है। मान्यवर, आज भी बड़े पैमाने पर चाहे वह चाय की दुकान हो या छोटी-मोटी दुकान हो, प्लास्टिक का प्रयोग हो रहा है। मान्यवर, इसके उत्पादन पर प्रतिबन्ध लग जाता है, तो पूरी तरीके से प्रतिबन्ध हो जायेगा। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि पूरी तरीके से उत्पादन और भण्डारण पर प्रतिबन्ध लगायेंगे या नहीं। यह जीवन से जुड़ा प्रश्न है, सड़कों पर देखें, नालों पर देखें हर जगह इसका प्रयोग हो रहा है, यहां तक कि अभी जो आपने काफी मशीन लगायी है, इसमें कप भी है।

श्री अध्यक्ष-

इसको पहले बन्द करा दें।

श्री राजेन्द्र प्रसाद चौधरी-

मेरा मतलब है कि इस पर प्रतिबन्ध लगायेंगे या नहीं।

श्री अध्यक्ष-

काफी पर या इस पर।

डॉ0 अरुण कुमार-

माननीय अध्यक्ष महोदय, सिंगल यूज प्लास्टिक के उत्पादन, विक्रय, वितरण और उपयोग इन चारों पर ही प्रतिबन्ध है। हम इसे रोक रहे हैं और इसमें काफी कमी भी आयी है। इसके लिए जरूरी है कि हम सभी को मिल करके जनता को एजुकेट करना पड़ेगा कि प्लास्टिक का कम से कम प्रयोग करें। स्कूलों में बच्चों को यह शिक्षा देनी होगी कि सिंगल यूज प्लास्टिक का कम से कम प्रयोग करें, क्योंकि यह बहुत नुकसानदेह है। सरकार इस पर रोक-थाम कर रही है, खास तौर से नगर विकास विभाग के सहयोग से काफी जगहों पर छापे मारे गये हैं, पॉलीथिन पकड़ी भी गई है और जुर्माना भी किया गया है तथा इस पर और ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है।

श्री राजेन्द्र प्रसाद चौधरी-

पूर्ण रूप से रोक लगायेंगे या नहीं।

श्री अध्यक्ष-

श्री तूफानी सरोज जी का भी यह प्रश्न है, इसलिए वह भी अनुपूरक प्रश्न पूछ लें।

श्री तूफानी सरोज-

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने कहा कि छापेमारी की जा रही है, तो छापेमारी का क्या मानक है। जो छापेमारी की जा रही है उसमें भी अनदेखी की जा रही है। कुछ लोगों को मनमानी छूट दी गई है, कुछ लोगों को बाउंड किया जा रहा है, इसके बारे में माननीय मंत्री जी क्या कहना चाहते हैं ?

डा0 अरूण कुमार-

मा0 अध्यक्ष जी, जहाँ-जहाँ सिंगल यूज प्लास्टिक बन रही है, उसको रोका गया है और रोका जा रहा है। वर्ष 2018 से अब तक 43 फैक्ट्रियों को बन्द किया गया है और इसके साथ ही साथ जगह-जगह छापे मारे जा रहे हैं। अगर कहीं भी पता लगता है कि पॉलीथिन बन रही है, तो उसको तुरन्त रोका जा रहा है और इसके वितरण, विक्रय, उपयोग पर भी प्रतिबन्ध लगाए जा रहे हैं।

(विपक्ष के कई सदस्यों के एक साथ कुछ कहने पर।)

श्री अध्यक्ष-

हो सकता है कि आपकी जानकारी में न हो। जो मंत्री जी कह रहे हैं, वे गुमराह नहीं कर रहे हैं, अपनी बात कह रहे हैं, वह सही है।

(विपक्ष के कई सदस्यों के एक साथ पुनः कुछ बोलने पर।)

श्री अध्यक्ष-

बात सुनिए। आपको लगता है कि कहीं पर हो रहा है, तो जानकारी दे दीजिए। छापेमारी हो रही होगी, आप गलत कह रहे हैं।

प्रदेश में वर्ष 2004 के उपरान्त नियुक्त राज्य कर्मचारियों एवं शिक्षकों को पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित करने विषयक

***7-श्री रविदास मेहरोत्रा-**

क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में वर्ष 2004 के उपरान्त नियुक्त राज्य कर्मचारियों एवं शिक्षकों को पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित करने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

ऐसा प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन नहीं है।

दिनांक 01-04-2005 को अथवा उसके उपरान्त उत्तर प्रदेश सरकार की सेवा में अथवा सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं अथवा स्वायत्तशासी सस्थाओं में नियुक्त कर्मचारी राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से आच्छादित हैं।

प्रदेश में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एन0पी0एस0) के अर्न्तगत माह अगस्त, 2022 तक 5,39,607 सरकारी कर्मचारियों तथा सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के एवं स्वयात्तशासी संस्थाओं के 3,05,333 कर्मचारियों का पंजीकरण एन0पी0एस0 में किया जा चुका है। माह अगस्त, 2022 तक सरकारी कर्मचारियों के एन0पी0एस0 के अन्तर्गत खुले परमानेन्ट रिटायरमेन्ट अकाउण्ट नम्बर (प्रान) खातों में रु0 25,851 करोड़ की धनराशि तथा सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं एवं स्वायत्तशासी संस्थाओं के कर्मचारियों के परमानेन्ट रिटायरमेन्ट अकाउण्ट नम्बर (प्रान) खातों में रु0 11,771 करोड़ की धनराशि अन्तरित की जा चुकी है।

राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली, सरकार के राजकोषीय स्थिति में संतुलन बनाये रखने तथा न केवल सरकारी कर्मचारियों अपितु असंगठित क्षेत्र के कार्मिकों, संगठित क्षेत्र के कार्मिक तथा सामान्य-जन के लिए बेहतर राष्ट्रव्यापी वृद्धावस्था सुरक्षा व्यवस्था विकसित करने के उद्देश्य से लायी गयी है।

उपर्युक्त कारणों से राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली को समाप्त कर पुरानी पेंशन लागू किया जाना सम्भव नहीं है।

श्री रविदास मेहरोत्रा-

मान्यवर, ये बहुत गम्भीर विषय है। प्रदेश के 14 लाख राज्य कर्मचारी और शिक्षक, उनकी पुरानी पेंशन बहाल करने के लिए मैंने प्रश्न किया था और जवाब आया है कि सरकार उस पर कोई विचार नहीं कर रही है। मान्यवर, कई बार कहा गया है, अभी मा0 वित्त मंत्री जी बोल रहे थे कि विश्व में कई करोड़ कर्जा है। मा0 अध्यक्ष जी, ये विश्व का सबसे बड़ा घोटाला है और इसमें जो राज्य कर्मचारी हैं, शिक्षक हैं, उनके मूल वेतन का, उनके महंगाई भत्ते का और उनके वेतन का 10 प्रतिशत पैसा सरकार काट रही है और उसमें 14 प्रतिशत सरकार अपना अंश मिला रही है।

मान्यवर, ये इतना बड़ा घोटाला है कि पूरी दुनिया में इतना बड़ा घोटाला नहीं हुआ होगा। मान्यवर, सबसे शर्म की बात तो यह है कि मा0 मंत्री जी कह रहे हैं कि सरकार के विचाराधीन नहीं है और मा0 योगी आदित्यनाथ जी ने खुद पत्र लिखा था और इस पत्र में उन्होंने माँग की थी कि जो राज्य कर्मचारी और शिक्षक हैं, उन लोगों की पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल की जाए। ये मा0 योगी आदित्यनाथ जी का पत्र मैं आपको भिजवा रहा हूँ। मान्यवर, इसको आप देख लीजिए।

मान्यवर, दूसरी बात और गम्भीर है कि आपने खुद, जब आप मंत्री थे, आपने मुख्य मंत्री को, मा0 योगी आदित्यनाथ जी को एक पत्र स्वयं लिखा था।

श्री अध्यक्ष-

मैंने ?

श्री रविदास मेहरोत्रा-

मान्यवर, जी हाँ। उस पत्र की कॉपी मेरे पास है, जो आपने स्वयं लिखा था, जब आप मंत्री थे। ये दोनों कॉपियाँ मैं आपके पास भिजवा रहा हूँ, आप इसको देख लीजिए।

श्री अध्यक्ष-

आप प्रश्न करिए।

श्री रविदास मेहरोत्रा-

प्रश्न यह है कि प्रदेश के जो 14 लाख शिक्षक एवं राज्य कर्मचारी हैं, उनका जो 10 प्रतिशत पैसा काटा जा रहा है और जो 14 प्रतिशत पैसा सरकार दे रही है, वह पैसा कहाँ जा रहा है ? उसको कौन इस्तेमाल कर रहा है और मा0 योगी आदित्यनाथ जी खुद कहते हैं कि फण्ड मैनेजमेंट के माध्यम से शेयर बाजार में लगाया जायेगा। बताइए कि जो पैसा।

श्री अध्यक्ष-

वे बातएंगे। आप प्रश्न पूछिए।

श्री रविदास मेहरोत्रा-

प्रश्न यह है कि राज्य कर्मियों का जो पैसा है, वह पैसा कहां लगाया जा रहा है, नम्बर-एक ? दूसरा, कई राज्य जैसे राजस्थान, छत्तीसगढ़ और झारखण्ड में राज्य कर्मचारियों की पुरानी पेशन व्यवस्था बहाल कर दी गयी है। मान्यवर, यहाँ डबल इंजन की सरकार है, जो कर्मचारी आपके अधीनस्थ वर्ष 2004 के बाद से काम कर रहे हैं, उनसे पूछ लीजिए।

श्री अध्यक्ष-

आपके दो प्रश्न हो गए हैं।

श्री रविदास मेहरोत्रा-

मान्यवर, तीसरी बात यह है कि राज्य कर्मचारियों का जो पैसा अब तक काटा गया है, उस पैसे को मा0 योगी आदित्यनाथ जी अपने पत्र में माँग कर रहे हैं। ये मैं नहीं माँग कर रहा हूँ। ये मा0 योगी आदित्यनाथ जी माँग कर रहे हैं। ये सरकार मा0 मुख्य मंत्री जी की बात सुनने को तैयार नहीं है। मुख्य मंत्री जी ने पत्र भेजा है, उन्होंने पुरानी पेंशन को बहाल करने के लिए कहा है और कर्मचारियों का जो वेतन काटा गया है।

श्री अध्यक्ष-

आपने वह भेज दिया है।

श्री रविदास मेहरोत्रा-

मान्यवर, कर्मचारियों की काटी गयी धनराशि उनके जी0पी0एफ0 फण्ड में ब्याज सहित जमा करायी जाए, ये मा0 योगी आदित्यनाथ जी कह रहे हैं।

श्री अध्यक्ष-

मा0 अवधेश जी।

श्री रविदास मेहरोत्रा-

मान्यवर, मेरी माँग ये है।

श्री अध्यक्ष-

माँग नहीं करिए, आप प्रश्न करिए।

श्री रविदास मेहरोत्रा-

मेरा प्रश्न यह है कि कर्मचारियों का काटा गया पैसा जो रोका गया है, क्या उस पैसे को ब्याज सहित उनके जी0पी0एफ0 खाते में जमा कराने का काम करेंगे। मान्यवर, कह दीजिए कि हम मा0 योगी आदित्यनाथ जी की बात को नहीं मानते हैं।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, अब आपका हो गया। मा0 अवधेश जी।

श्री अवधेश प्रसाद-

मान्यवर, यह उत्तर प्रदेश के राज्य कर्मचारियों और शिक्षकों का जो 2004 के बाद सेवानिवृत हो गए हैं, उनकी पेंशन की बहाली का मामला है। यूं तो हमारी पार्टी ने चुनाव के पहले इस प्रदेश की महान जनता को मा0 अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में सरकार जब बनेगी तब हम राज्य कर्मचारियों की पुरानी पेंशन को बहाल करने का काम करेंगे। श्रीमन इस दिशा में मा0 योगी जी नेता सदन और मान्यवर जो आप भी इतनी बड़ी पीठ पर बैठे हैं दोनों की यह इच्छा थी, तब कहाँ पर कठिनाई आयी, कहां कुएं में भांग पड़ गयी कि आप भूल गए। यह बहुत गम्भीर मामला है और इससे तमाम परिवार, तमाम कर्मचारी आज भूखों मरने की हालत में हैं, उनकी हालत खराब है, बच्चों की पढ़ाई बन्द हो रही है, यह लोकहित का सवाल है और श्रीमन अगर आप इसकी व्यवस्था नहीं देंगे, क्योंकि यह डबल इंजन की सरकार है, बड़ा दम भरती है कि हिन्दुस्तान क्या हम दुनियां में मिसाल कायम करेंगे। यह लोग दुनिया में मिसाल कायम करेंगे, हमारे राज्य कर्मचारी, शिक्षक कर्मचारी, उनके बच्चे भूखे मर रहे हैं। पढ़ाई बन्द हो रही है यह कहां का समाज बनाना चाहते हैं। हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि आप अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए सख्त आदेश दीजिए कि जो राज्य शिक्षक कर्मचारी रिटायर हुए हैं, वर्ष 2004 से उनकी पुरानी पेंशन बहाल की जाए।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

पहले तो हम मा0 अवधेश जी के सवाल का जवाब दे दें। मैंने प्रश्न के उत्तर में ही इसका जवाब दिया है, लेकिन इन्होंने पूछा है कि रुपया कहां जमा किया है, तो हम बता दें कि वर्तमान समय में जितने भी हमारे कर्मचारी हैं उसमें से 539607 कर्मचारियों का नई पेंशन स्कीम में पंजीकरण हो चुका है और इनके खाते में 25851 करोड़ रुपया अगस्त, 2022 तक पहुंच चुका है। दूसरा, सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के लगभग 3 लाख 5 हजार 333 कर्मचारियों का पंजीकरण सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के जो लोग हैं उनका हो चुका है। इसमें अगस्त, 2022 तक 11771 करोड़ रुपया परमानेंट रिटायरमेंट अकाउन्ट नम्बर में जमा हो चुका है और 85 प्रतिशत रुपया गवर्नमेण्ट सिक्योरटीज में जो गर्वनमेण्ट के बॉण्ड हैं उनमें भी इन्वेस्ट होता है और 15 प्रतिशत पैसा इक्विटी में इन्वेस्ट होता है और इक्विटी के मैनेजर कौन-कौन हैं वह भी बता देता हूं। स्टेट बैंक पेंशन फंड प्राइवेट लिमिटेड, भारतीय जीवन बीमा पेशन फंड लिमिटेड तथा यू0टी0आई रिटायरमेंट सॉल्यूशंस लिमिटेड ये राज्य सरकार के जितने भी पेशनर हैं, उनके फण्ड के मैनेजर यह हैं। 15 प्रतिशत पैसा इन लोगों के हिसाब से इक्विटी में जमा होता है। अब आप रिजल्ट देख लें जबसे यह लागू हुआ, रिजल्ट

यह है कि नई पेंशन स्कीम योजना प्रारम्भ हुई है, तबसे अब तक जब कर्मचारियों की इस बारे में मांग हुई थी, निगोशिएशन्स में यह बात आई थी कि 8 प्रतिशत का हमें स्थाई रिर्टन दे दो, मा0 कर्मचारी केवल 8 प्रतिशत का स्थाई रिर्टन मांग रहे थे, लेकिन इसमें इन्वेस्ट करने के बाद जो रिर्टन आया है वह योजना प्रारम्भ से लेकर अब तक 9.45 प्रतिशत का रिर्टन है। 8 प्रतिशत का नहीं है।

9.45 परसेण्ट का रिर्टन है और अगर बीते 10 सालों का देखें तो यह 9.77 परसेण्ट का है। कर्मचारी लोग 8 परसेंट रिर्टन माँग रहे थे। यह स्कीम अपने-आप में बहुत ज्यादा प्रोग्रेसिव है, इसलिए लगभग 8 लाख 45 हजार लोगों का अभी तक पंजीकरण हो चुका है और उनको पहले के मुकाबले ज्यादा फायदा है। मेहरोत्रा जी, साथ ही साथ हम आपकी जानकारी में और ला दें कि माननीय अध्यक्ष जी, आपकी अनुमति से हमने एक जगह पढ़ा था कि सपूत वह होता है जो अपने पूर्वजों की ख्याति, जायदाद व नाम को आगे बढ़ाता है। मेहरोत्रा साहब माननीय नेताजी का इस पर क्या विचार है जो आपकी पार्टी के संस्थापक हैं, जो सर्वेसर्वा रहे हैं। इत्तेफाक से उनका स्वास्थ्य कम ठीक है। मेहरोत्रा जी आपको यह जानकारी होनी चाहिए 2004 से लेकर 2009 तक जो केन्द्र में सरकार रही और 2009 से लेकर 2014 तक जो केन्द्र में सरकार रही, माननीय नेता जी की उस सरकार में सैद्धान्तिक और फिजिकल सहमति थी और हर तरीके से उन्होंने उनकी बात को ओ0के0 किया था। तो मेहरोत्रा जी से यह कहूँगा कि कम से कम नेताजी की भावनाओं का ख्याल रखें, जो पार्टी के संस्थापक हैं, जिन्होंने पार्टी बनायी तो कम से कम उनकी भावनाओं का सम्मान करें।

(सत्ता पक्ष के सदस्यों ने मेजें थपथपायीं।)

श्री अध्यक्ष-

अब अगला प्रश्न ले रहे हैं। तारांकित प्रश्न संख्या-8 श्री अभय सिंह जी हैं ?

श्री रविदास मेहरोत्रा-

माननीय अध्यक्ष जी, मेरे सवाल का जवाब नहीं आया।

श्री अध्यक्ष-

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने सारी बातें बता दीं, पूरा उत्तर आ गया है। अब आप बैठिये।

श्री रविदास मेहरोत्रा-

मान्यवर, मेरी बात सुन लीजिए। एक व्यक्ति को 13 साल की नौकरी और वेतन 80 हजार रुपया, परन्तु पेंशन शून्य है। मान्यवर, आपने खुद इस संबंध में 14 मार्च, 2021 को चिट्ठी लिखी है और आपने स्वयं माँग की है कि पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल की जाए।

श्री अध्यक्ष-

मैं इसकी जाँच कराऊँगा।

श्री रविदास मेहरोत्रा-

मान्यवर, इसी तरह से प्रदेश के वर्तमान मुख्य मंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने भी पत्र लिखा है। आप जो कह रहे हैं केन्द्र की सरकार ने वित्तीय सहायता बन्द करने के नाम पर नई पेंशन स्कीम लागू करायी। आज पूरे प्रदेश के शिक्षक व राज्य कर्मचारी नई पेंशन स्कीम का विरोध कर रहे हैं और पुरानी पेंशन की बहाली की माँग कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष-

मेहरोत्रा जी आपकी बात आ गयी। अब आप बैठ जाइये, अब आपकी बात नहीं लिखी जायेगी।

श्री अवधेश प्रसाद-

माननीय अध्यक्ष जी, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष-

अवधेश प्रसाद जी बैठिये, अब अगला प्रश्न ले लिया गया है। श्रीं अभय सिंह जी आप अनुपूरक प्रश्न पूछिये।

जन-प्रतिनिधियों द्वारा क्षेत्र में जनमानस की समस्याओं के निवारण हेतु सरकारी संस्थाओं/कार्यालयों में निरीक्षण सम्बन्धी नियमावली बनाये जाने विषयक

***8-श्री अभय सिंह-**

क्या संसदीय कार्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जन-प्रतिनिधियों द्वारा अपने क्षेत्र में जनमानस की समस्याओं के निवारण हेतु सरकारी संस्थाओं/कार्यालयों, निगमों में निरीक्षण करने संबंधी कोई नियमावली प्रख्यापित है ? यदि हां, तो उक्त का विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार जन-प्रतिनिधियों द्वारा अपने क्षेत्र में उक्त विषय वस्तु से संबंधित निरीक्षण करने विषयक नियमावली बनाने एवं निरीक्षण से संबंधित अधिकारियों को अपने स्तर से निर्देश जारी करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

इस संबंध में किसी नियमावली के प्रख्यापन का कोई प्रस्ताव वर्तमान में विचार में नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री अभय सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, मेरा प्रश्न इस सदन के सभी माननीय सदस्यों से जुड़ा हुआ प्रश्न है। मान्यवर, रात में किसी भी माननीय सदस्य के क्षेत्र से कोई भी आदमी अगर अस्पताल पहुँचता है तो वहाँ पर डॉक्टर नहीं रहते हैं तो रात को फोन करते है कि विधायक जी डॉक्टर नहीं है, फार्मासिस्ट देख रहा है, इसलिए जिला अस्पताल रिफर कर दिया जाये। हम लोग रात में पता करते हैं कि डॉक्टर है या नहीं है, पता चलता है कि अस्पताल जाना पड़ेगा तो कैसे निरीक्षण किया जाये ? इसी तरह से रात में कोई क्षेत्र का आदमी बिजली घर पर फोन करता है और कहता है कि विधायक जी बिजली नहीं आ रही है। जब विधायक बिजली घर फोन करता है तो वहाँ कोई फोन नहीं उठाता है। हम लोग वहाँ पर किस अधिकार के साथ जायेंगे, वहाँ कहा जाता है कि रात में बिजली घर में कोई नहीं है। हम लोग किस अधिकार से कम्पलेन करते हैं ? वहाँ गरीबों को परेशान करते हैं जो गाँव के कमजोर लोग हैं। इसी तरीके से चाहे लेखपाल हो या सेक्रेटरी हो, उनका भी दिन नियत है कि किस दिन, किस गाँव में बैठेंगे। लेकिन क्षेत्र के लोग अक्सर फोन करते हैं कि लेखपाल नहीं आये, सेक्रेटरी नहीं आये। उनको खसरे की नकल चाहिए, परिवार रजिस्टर की नकल चाहिए, वह कैसे मिलेगा ? हम आपसे कहना चाहते हैं कि यह सारे विधायकों से जुड़ा हुआ मामला है, यह मेरा कोई व्यक्तिगत नहीं है। मैंने प्रश्न लगाया था कि जनमानस की समस्याओं के निवारण हेतु सरकारी संस्थाओं/कार्यालयों, निगमों में निरीक्षण करने संबंधी कोई नियमावली प्रख्यापित है ?

माननीय अध्यक्ष जी, सरकार की तरफ से जवाब आया है कि जी नहीं। हमारा पहला प्रश्न यह है कि अधिकारियों और मंत्रियों की जवाबदेही इस विधान सभा के प्रति है, उनको अपने कार्यों की जवाबदेही विधान सभा में देनी पड़ती है। हम लोग संवैधानिक रूप से इस विधान सभा के सदस्य हैं। हमारे पास संवैधानिक अधिकार है तो हमें उन कार्यालयों को, निगमों को, संस्थाओं को निरीक्षण करने का अधिकार क्यों नहीं है ? हम यह मा0 संसदीय कार्य मंत्री से जानना चाहते हैं ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

माननीय अध्यक्ष जी, वर्ष 2004-05 में सूचना का अधिकार बना था। सूचना के अधिकार के तहत 1970 में सुप्रीम कोर्ट में एक रिट दाखिल हुई थी और उसका परिणाम 34 साल बाद आया। 2005 में इन्फार्मेशन ऐक्ट बना। राइट टू इन्फार्मेशन में सारी चीजें आप 10 रुपये का शुल्क जमा करके प्राप्त कर सकते हैं। यह व्यावहारिक रूप से सम्भव नहीं है कि हम इसके लिए एक नियम बनायें, क्योंकि इसमें अगर सभी लोग सभी कार्यालयों में जाकर हर चीज को हर वक्त देखेंगे तो यह लोक व्यवस्था कैसे चलेगी ? लोग कैसे काम कर पायेंगे ? यह जरूर देखना चाहिए कि हमें किस काम में व्यावहारिक कठिनाई है। हम काम को स्मूथली कैसे

कैरी ऑन कर सकते हैं, आपको सूचना देने में आपत्ति नहीं है, लेकिन हर कार्यालय में अगर मा0 विधायक लोग जायेंगे तो कार्य कैसे होगा ? हमने समय-समय पर इसमे कई शासनादेश जारी किये हैं। हमारे संसदीय विभाग से भी प्रमुख सचिव के माध्यम से यह निर्देश जारी हो चुके हैं कि विधायकों के प्रति पूरा सम्मान होना चाहिए। हम इस बात से पूरी तरीके से सहमत है, इसके पक्षधर हैं कि विधायक अगर जिस कार्यालय में जायें, वहां पर सम्मानपूर्वक अगर कोई जानकारी करते हैं तो वह जानकारी आपको दी जाए। व्यक्तिगत रूप से आपको मिल भी जाती है। हो सकता है कि शिकायत व्यवहार की हो, क्योंकि हर व्यक्ति में एक सी स्थिति नहीं है, लेकिन जो शासन की मंशा है, शासन ने इसके लिए प्रयास किया है, मुख्य सचिव की ओर से भी शासनादेश जारी किये गये हैं। मा0 नेता प्रतिपक्ष के जमाने के भी कई शासनादेश हैं, जब वह इधर बैठते थे। व्यवहार में किसी से शिकायत हो सकती है, लेकिन अगर आप व्यक्तिगत रूप से कोई जानकारी करना चाहें तो सामान्यतया कोई ऐसा नहीं है कि जो विधायक को जानकारी न दे, यह व्यावहारिक पक्ष है। जहां कहीं भी अगर आपको कॉपी की जरूरत पड़ती है, वहां पर अलग-अलग विभागों में कॉपी देने का प्रोविजन है। आप राजस्व मैनुअल देख लें। राजस्व मैनुअल में बाकायदा घण्टे के हिसाब से मिल जायेगा। जहां कहीं पर भी आपको इस प्रकार की व्यवस्था की आवश्यकता है, सूचना का अधिकार में ले सकते हैं, राजस्व मैनुअल के हिसाब से आपको उसमें निरीक्षण की भी पावर है, उसमें देख भी सकते है, लेकिन अगर हर विभाग में यही कर देंगे तो दिन भर यही चलेगा, इसलिए व्यावहारिक कठिनाई को देखते हुए हमने लिखा है कि फिलहाल ऐसा कोई विचार नहीं है कि इस प्रकार की कोई व्यवस्था हो।

श्री अभय सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, हम आपसे कहना चाहते हैं कि जनप्रतिनिधि लोक सेवक भी होता है। मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी से यह पूछना चाहते हैं कि हम लोक सेवक हैं तो हमारे अधिकार बता दें ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

आप हमारे कार्यालय में आ जाइये हम आपको बता देंगे।

श्री अध्यक्ष-

आप कार्यालय में चले जाइयेगा मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी आपको बता देंगे।

***9-श्री उमाशंकर सिंह-**

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

***10-श्री जगदीश नरायण-**

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

प्रदेश में बढ़ती हुई जनसंख्या के दृष्टिगत नगर पंचायतों में भी महानगरों जैसी मूल-भूत सुविधायें प्रदान किये जाने विषयक

***11-श्री नफीस अहमद-**

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के महानगरों और शहरों में बढ़ती हुई जनसंख्या के दृष्टिगत नगर पंचायतों में भी महानगरों और शहरों जैसी मूलभूत सुविधाएं दिये जाने हेतु सरकार की कोई योजना है ? यदि हाँ, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

जी हाँ।

राज्य सेक्टर के अन्तर्गत पं0 दीन दयाल उपाध्याय आदर्श नगर पंचायत योजना, पं0 दीन दयाल उपाध्याय नगर विकास योजना, नगरीय पेयजल योजना, नगरीय सीवरेज एवं जल निकासी योजना, नगरीय सड़क सुधार योजना, ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम नगरीय सौर पुंज योजना, कान्हा गौशाला एवं बेसहारा पशु आश्रय योजना के अन्तर्गत तथा राज्य/केन्द्रीय वित्त आयोग से प्राप्त होने वाली धनराशि से नगर पंचायतों सहित सभी निकायों में अवस्थापना सुविधाओं के विकास का कार्य किया जा रहा है।

वर्तमान वित्तीय वर्ष में प्रदेश में नवसृजित/सीमा विस्तारित/उच्चीकृत नागर निकाय क्षेत्रों में नागरिकों को मूलभूत नगरीय सुविधाएं प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से "मुख्य मंत्री नगर सृजन योजना" (सी0एम0एन0एस0वाई0) प्रारम्भ की गयी है। वित्तीय वर्ष 2017-18 से वर्तमान वित्तीय वर्ष तथा भविष्य में सृजित/उच्चीकृत/सीमा विस्तारित होने वाले प्रत्येक श्रेणी के निकायों में आधार भूत अवस्थापना सुविधाओं का विकास किया जाना, इस योजना का मुख्य उद्देश्य है।

अमृत-2.0 (पूर्व नाम जल जीवन मिशन-शहरी) नाम से नई योजना प्रारम्भ की गयी है, जिसका उद्देश्य देश के सभी नगरीय निकायों में घरेलू नल कनेक्शनों के साथ सर्वसुलभ जल आपूर्ति और अमृत शहरों में तरल अपशिष्ट प्रबंधन की व्यवस्था करना है। उक्त योजना प्रदेश के कुल 762 नगरीय निकायों (17 नगर निगम, 200 नगर पालिका परिषद् एवं 545 नगर पंचायत) में लागू होनी है।

उपर्युक्त के अतिरिक्त भारत सरकार द्वारा संचालित स्वच्छ भारत मिशन (नगरीय) के अन्तर्गत नवसृजित नगर पंचायतों में शौचालयों का निर्माण का कार्य कराया जा रहा है।

प्रदेश के नगर निगमों, नगर पालिका परिषदों एवं नगर पंचायतों के सीमा विस्तारित क्षेत्रों को मिलाकर सभी नगरीय निकायों में विशेष प्रयास भी वर्तमान में किये जा रहे है, जिनमें से कुछ निम्नांकित हैं :-

1-प्रातःकाल से ही व्यापक सफाई का कार्यक्रम, उसमें मानव बल एवं मशीन का समुचित उपयोग।

2-निकायों में वर्षों से जमे हुए कूड़े-कचरे वाले स्थलों की विशेष सफाई करके उनका सौन्दर्यीकरण एवं वृक्षारोपण इत्यादि करके उसे बेहतर बनाना।

3-निकायों को सुन्दर एवं श्रेष्ठ (गुड टू ग्रेट) बनाने के लिए ऐतिहासिक प्रयासः

(i) चौराहों का सौन्दर्यीकरण।

(ii) बाग-बगीचों/पार्कों का जीर्णोद्धार एवं अनुरक्षण।

(iii) अमृत सरोवर बनाने का व्यापक कार्यक्रम।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री नफीस अहमद-

माननीय अध्यक्ष जी, मेरा सवाल यह है कि जो शहरों में जनसंख्या जा रही है उसको रोकने के लिए नगर पंचायतों को शहरों जैसा बनाने के लिए, महानगरों जैसा तो इसमें जो जवाब आया है करीब दो पेज का है। कोई भी ऐसी योजना नहीं छूटी होगी जो लिखी न गयी हो मेरे तीन सवाल हैं पहला सवाल यह है कि जो 545 नगर पंचायत हैं उनमें यह तीन योजनाएं जो हैं पं0 दीन दयाल उपाध्याय आदर्श नगर पंचायत योजना, पं0 दीन दयाल उपाध्याय नगर विकास योजना और नगरीय सीवरेज एवं जल निकासी योजना। इन तीनों में 545 नगर पंचायतों में कितने को चिन्हित किया गया जहां पर यह योजना लागू हो चुकी है और काम हो रहा है, दूसरा सवाल यह है कि इन्होंने यह कहा कि दो योजनाएं जो हैं पं0 दीन दयाल उपाध्याय नगर विकास योजना में 2021-2022 में कितना धन आवंटन किया गया और कितना उस पर खर्च किया गया। तीसरा सवाल नगर सीवरेज एवं जल निकासी योजना पर है कि कितना बजट 2021-2022 में आवंटन किया गया और खर्च किया गया है। माननीय अध्यक्ष जी, हालात यह हैं कि मैं अपने क्षेत्र में बिलरिया नगर पंचायत हैं चार पांच बार सवाल लगा चुका हूँ कि वहां पर सीवरेज और नाली की इतनी खराब व्यवस्था है कि आम आदमियों का चलना मुश्किल है और लिख कर इतनी बड़ी योजनाएं दी गई हैं अगर यह योजनाएं 50 प्रतिशत मंत्री जी लागू करा दें तो मैं समझता हूँ कि सारी समस्याओं का हल निकल जाएगा। अभी चार दिन पहले इसी लखनऊ में नगर पंचायत को छोड़ दें तो महानगर का क्या

हाल था कि थोड़ी सी बारिश हुई घरों में यहां पर गोमती नगर से लेकर सब जगह पर घरों में पानी घुस गया था, यही हाल माननीय प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र बनारस का भी था बनारस में लोगों के घरों में पानी घुस गया था। लेकिन कोई भी काम नहीं हो रहा है यह तीन सवाल जो हैं इसका स्पेसिफिक जवाब दे दें।

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय सदन को और माननीय सदस्य को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि नगरीय क्षेत्रों के विकास और उनमें रहने वाले लोगों के जीवन की जो क्वॉलिटी है उसको ऊपर उठाने के लिए माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार पूरी तरह से कृतनिश्चय है। जहां तक आपके स्पेसिफिक सवाल का जवाब है जैसे सीवरेज एवं जल निकासी की बात आपने किया तो उसमें वैसे तो मेरे पास पांच साल का फीगर है, लेकिन समय कम है तो इसलिए एक ही साल का पढ़ता हूं। 2021-2022 में एक सौ सतहत्तर करोड़ रुपये का बजट प्रावधानित था, उसके सामने एक सौ छिहत्तर करोड़ अट्ठानबे लाख रु0 मतलब पूरा का पूरा बजट सेंक्शन हो गया है। पं0 दीन दयाल उपाध्याय आदर्श नगर पंचायत में 2021-2022 में 200 करोड़ रुपये का प्रावधान था और पूरा का पूरा बजट लगभग एक सौ निन्यानबे प्वाइंट पन्द्रह करोड़ रुपये उसमें सेंक्शन हो चुका है। उसी प्रकार माननीय अध्यक्ष जी, पं0 दीन दयाल उपाध्याय नगर विकास योजना की माननीय सदस्य ने बात की है कि दो सौ करोड़ रुपये 2021-2022 में बजट प्रावधान था, उसमें से एक सौ बयालिस करोड़ इक्यासी लाख रुपये सेक्शन हो चुका है। रही बात 2022-2023 की माननीय अध्यक्ष जी, तो उसकी प्रकिया शुरू हो गई है जहाँ तक सीवरेज की बात इन्होंने किया कि क्या कार्यवाही हुई है तो हमारे प्रकरण को ऑलरेडी चिन्हित करके योजनाओं को चिन्हित करके वित्त विभाग की मंजूरी के लिए प्रक्रियाधीन है।

श्री अध्यक्ष-

माननीय मंत्री जी, अगर आपके पास जानकारी हो, तो जो स्पेसिफिक पूछा गया है वह बता दीजिए।

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

माननीय अध्यक्ष जी, यह बहुत ही विस्तार का प्रश्न है बहुत ही विस्तार की बात है, तो इनको अगर अलग से चाहिए होगा तो हम दे देंगे।

श्री अध्यक्ष-

इसमें अलग से कैसे सारी जानकारी होगी।

नोट :-नत्थी (क) के तारांकित प्रश्न संख्या-11 के बाद प्रश्नों का समय समाप्त हुआ।

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

माननीय अध्यक्ष जी, एक बात मैं और कहना चाहूंगा कि वर्तमान में नगरीय क्षेत्रों के विकास, उनके रख-रखाव के लिए सरकार ने बहुत विशेष ध्यान दिया है जो नई पंचायतें बनी हैं जिनके विस्तार की बात हमने काफी विस्तार से किया है उनके लिए माननीय मुख्य मंत्री और माननीय वित्त मंत्री जी ने इस साल के बजट में पांच सौ पचास करोड़ रुपये का प्रावधान किया है उन सारी योजनाओं के लिए हम योजना बनाकर डी0पी0आर0 बनाकर हम उसमें आगे बढ़ रहे हैं, और मा0 सदस्य की जानकारी के लिये मैं बताना चाहूँगा कि अभी मुख्य मंत्री नगर सृजन योजना सेंक्शन हुयी है उसमें 119 डी0पी0आर0 आ चुके हैं और उन पर कार्यवाही हो रही है। मान्यवर, उसी प्रकार से नगरों के जीवन स्तर को सुधारने के लिये, उसके उच्चीकरण के लिये हमने बहुत ही तेजी से कार्यक्रम चलाया है।

प्रदेश के ग्रामीण अंचलों में मांग के सापेक्ष विद्युत सप्लाई तथा अघोषित कटौती सम्बन्धी विवरण

***12-श्री मनोज कुमार पाण्डेय-**

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के ग्रामीण अंचलों में वर्तमान में कितने घंटे बिजली आपूर्ति की जा रही है तथा मांग के सापेक्ष कितनी बिजली सप्लाई आकस्मिक कटौती के बाद वास्तविक रूप से आपूर्ति की जा रही है ? क्या सरकार अघोषित बिजली कटौती को रोकने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

बरसात विलम्बित होने एवं औसत से बहुत कम बरसात होने के कारण तथा अत्यधिक गर्मी होने के कारण ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में विद्युत की मांग अप्रत्याशित रूप से बढ़ी है। वर्ष 2011 से 2021 के दशक की औसत पीक डिमाण्ड 16338 मेगावाट थी जबकि औसत न्यूनतम माँग 5330 मेगावाट थी। इसी प्रकार वर्ष 2012-2017 की अवधि में औसत पीक डिमाण्ड 13598 मेगावाट जबकि औसत न्यूनतम माँग 5685 मेगावाट थी।

इसके सापेक्ष अप्रैल, 2022 से अब तक की महीने की औसत पीक डिमाण्ड 24969 मेगावाट है एवं औसत न्यूनतम मांग 11017 मेगावाट है, जो पिछले दशक की अधिकतम न्यूनतम डिमाण्ड की 50% से ज्यादा है तथा उपरोक्त पिछले पांच वर्षों के सापेक्ष लगभग दोगुना है। इतना ही नहीं इस वर्ष के पिछले तीन माह में विद्युत मांग ऐतिहासिक रूप से बढ़ी है। जुलाई, 2022 में पीक डिमांड 26537 मेगावाट रही, जबकि सितम्बर माह में दिनांक 09-09-2022 को अधिकतम मांग बढ़कर 26589 मेगावाट पहुंच गई। इस ऐतिहासिक मांग को पूर्ण करने हेतु ऊर्जा विभाग पूरी तरह से लगा हुआ है। ऊर्जा उत्पादन के संयंत्रों को पिछले वर्ष के पी0एल0एफ0 55.51% के सापेक्ष में इस वर्ष 73.31% पर चलाया गया। गत वर्ष के

सापेक्ष कोयला की खपत 43.7% बढ़ी है। कुल मिलाकर विद्युत उत्पादन पिछले वर्ष के सापेक्ष 46.27% बढ़ाया गया।

साथ ही अन्य स्रोतों से भी बिजली लेकर उपभोक्ताओं को सरकार द्वारा रोस्टर के सापेक्ष अधिकतम बिजली उपलब्ध करायी जा रही है।

बिजली को उपभोक्ताओं तक निर्बाध रूप से पहुंचाने हेतु कई बार समस्यायें उत्पन्न होती हैं, जैसे आँधी-तूफान या बरसात का होना। पुराने जर्जर तारों एवं अतिभारित परिवर्तक आदि की वजह से भी विद्युत आपूर्ति में बाधा आती है।

इन उपकरणों एवं संसाधनों के अनुरक्षण का बेहतर प्रबन्धन करते हुए इस वर्ष परिवर्तक क्षतिग्रस्तता की दर में 0.42% की कमी लायी गयी है। साथ ही अप्रैल, 2022 से 18 सितम्बर, 2022 तक 159995 परिवर्तक बदले गये।

उपभोक्ताओं की समस्याओं का समाधान करने हेतु 'सम्भव एवं विद्युत समाधान सप्ताह' जैसी व्यवस्थाएं बनायी गयी है, 04 अगस्त, 2022 से बिजली की अधिकतम दरों में संशोधन हुआ है, जिससे उपभोक्ताओं के लिए देय दरों में कमी आई है।

ऊर्जा विभाग उपभोक्ताओं की विद्युत आपूर्ति की मांग को निर्बाध रूप से पूरा करने तथा सस्ती दरों पर विद्युत उपलब्ध कराने के लिए तत्पर एवं कटिबद्ध है।

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश में किसानों के नलकूपों के विद्युत कनेक्शन की सामान्य योजना के स्थान पर पूर्ण जमा योजना को प्रारम्भ किये जाने के सम्बन्ध में

***13-श्री राम अवतार सिंह-**

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में किसानों के नलकूपों के विद्युत कनेक्शन की "सामान्य योजना", जो 2019 में बन्द कर दी थी, के स्थान पर "पूर्ण जमा योजना" को किसानों के हितार्थ सरकार पुनः प्रारम्भ करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

वर्तमान में पूर्ण जमा योजना में पंजीकृत आवेदकों द्वारा प्राक्कलन की पूर्ण धनराशि जमा करने पर संयोजन शीघ्रता से निर्गत किये जा रहे हैं।

साथ ही सामान्य योजना में पंजीकृत आवेदक, जो प्राक्कलन की धनराशि जमा कर संयोजन लेने को तैयार हैं ऐसे में आवेदकों को धनराशि जमा करने पर संयोजन निर्गत किये जा रहे हैं। किसानों को माह अप्रैल, 2022 से 18 सितम्बर, 2022 तक 23169 निजी नलकूप के संयोजन दिये गये हैं।

इसके अतिरिक्त 7.5 हार्स पावर तक के नलकूप संयोजनों पर सोलर पम्प लगाने हेतु कृषि विभाग द्वारा लागत मूल्य पर (30 प्रतिशत केन्द्रांश एवं 30 प्रतिशत राज्यांश) कुल 60 प्रतिशत का अनुदान दिया जा रहा है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

***14-श्री हर्षबर्धन बाजपेयी-**

[02-शुक्रवार के तारांकित प्रश्न संख्या-17 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

प्रदेश में निजी नलकूप के लिए विद्युत कनेक्शन में मुख्य लाइन से 300 मी0 की दूरी तक निःशुल्क विद्युत कनेक्शन देने विषयक

*15-**श्री लालजी वर्मा-**

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में निजी नलकूप के लिए विद्युत कनेक्शन में मुख्य लाइन से 300 मी0 की दूरी तक स्थित नलकूप हेतु किसानों को निःशुल्क विद्युत कनेक्शन देने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

निजी नलकूप संयोजनों के आवेदनकर्ताओं को प्राथमिकता पर संयोजन निर्गत किये जा रहे हैं।

किसानों को बेहतर सिंचाई सुविधा देने के उद्देश्य से अप्रैल, 2022 से 18 सितम्बर, 2022 तक 23169 नलकूप संयोजन दिये गये हैं।

इसके अतिरिक्त 7.5 हार्स पावर तक के नलकूप संयोजनों पर सोलर पम्प लगाने हेतु कृषि विभाग द्वारा लागत मूल्य पर (30 प्रतिशत केन्द्रांश एवं 30 प्रतिशत राज्यांश) कुल 60 प्रतिशत का अनुदान दिया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के विकास प्राधिकरणों द्वारा भूमि अर्जन की प्रक्रिया तथा दाखिल खारिज भूमि पर बने आवासों को अवैध घोषित किये जाने का मानक विषयक

***16-डॉ0 संग्राम यादव (अनुपस्थित)-**

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में स्थित विकास प्राधिकरणों द्वारा भूमि अर्जन की विधिक प्रक्रिया क्या है तथा तहसील स्तर पर भूमि की रजिस्ट्री अथवा दाखिल खारिज के समय सम्बन्धित भूमि के हो चुके अर्जन की जानकारी को अभिलेखों में निहित करने की कोई व्यवस्था है ? क्या सरकार यह बतायेगी कि रजिस्ट्री एवं दाखिल खारिज भूमि पर बने

आवासों को अवैध घोषित करने के क्या मानक हैं ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

मुख्य मंत्री (श्री योगी आदित्यनाथ)-

वर्तमान में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार प्रदेश के विकास प्राधिकरणों द्वारा भूमि अर्जन की कार्यवाही की जाती है। उक्त अधिनियम के प्राविधानों के अनुसार भूमि अर्जन की कार्यवाही पूर्ण होने तथा भूमि पर कब्जा प्राप्त करने के उपरान्त अर्जित भूमि से संबंधित तहसील स्तर के राजस्व अभिलेखों में संबंधित विकास प्राधिकरण का नाम दर्ज किये जाने की व्यवस्था है। उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973 की धारा-14 के प्राविधानों के अनुसार अधिनियम की धारा-3 के अधीन किसी क्षेत्र को विकास क्षेत्र घोषित किये जाने के पश्चात् उस क्षेत्र में विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष की लिखित अनुमति के बिना किसी व्यक्ति अथवा निकाय द्वारा भूमि का न तो विकास किया जायेगा न विकास कार्यवाही संचालित की जायेगी न जारी रखी जायेगी। अधिनियम की धारा-14 में विनिर्दिष्ट अनुमति प्राप्त करने के लिए अधिनियम की धारा-15 के अनुसार विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष के समक्ष विहित प्रारूप पर आवेदन प्रस्तुत किया जायेगा। उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 के प्राविधानों के अनुसार प्रदेश में किसी विकास क्षेत्र के अन्तर्गत किसी भूमि पर बिना विकास प्राधिकरण की लिखित अनुमति के बने आवास अवैध माने जायेंगे। इस प्रकार के अवैध आवासों के संबंध में अधिनियम की धारा-26 के अनुसार जुर्माना आरोपित करने, धारा-27 के अनुसार ऐसे भवन को गिराये जाने तथा धारा-28 के अनुसार ऐसे भवनों के अनधिकृत विकास को रोकने हेतु आदेश पारित करने की शक्ति विकास प्राधिकरणों को प्रदत्त है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में परिषदीय विद्यालयों के ऊपर से गुजर रही विद्युत लाइनो को शिफ्ट कराने सम्बन्धी कार्य योजना विषयक

***17-श्रीमती पिंकी सिंह यादव-**

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कितने परिषदीय विद्यालयों के ऊपर से विद्युत लाइनें गुजर रही हैं ? क्या सरकार बच्चों की सुरक्षा के दृष्टिगत उक्त विद्युत लाइनों को शिफ्ट करने की योजना बनाएगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

प्रदेश में परिषदीय विद्यालयों के ऊपर से गुजर रही विद्युत लाइनों का विवरण निम्नवत् है :-

क्र0सं0	डिस्काम का नाम	परिषदीय विद्यालयों की संख्या जिनके ऊपर से लाइन गुजर रही है।
1	पश्चिमांचल	602
2	दक्षिणांचल	944
3	मध्यान्चल	1418
4	पूर्वान्चल	1878
5	केस्को	0
कुल योग		4842

प्रदेश में परिषदीय विद्यालयों के ऊपर से गुजर रही विद्युत लाइनों की शिफ्टिंग हेतु अत्यधिक धन एव अविवादित स्थल मार्ग की आवश्यकता है। बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा यदि इन लाईनों की शिफ्टिंग हेतु प्राक्कलित धनराशि उपलब्ध करायी जाती है तो शिफ्टिंग कराया जाना सम्भव है। विद्यार्थियों की सुरक्षा के दृष्टिगत विभाग द्वारा इन लाइनों की गार्डिंग का कार्य कराया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में नगर निगमों/नगर विकास प्राधिकरणों की कलोनियों में अवैध निजी गेटों के हटाने विषयक कार्य योजना

***18-श्री जवाहर लाल राजपूत-**

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में नगर निगमों/नगर विकास प्राधिकरणों की कतिपय कालोनियों में स्थानीय निवासियों द्वारा निजी खर्चे पर सार्वजनिक सड़कों पर गेट लगवाकर मार्ग बन्द करने का प्राविधान है? यदि नहीं, तो क्या सरकार अभियान चलाकर ऐसे अवैध निजी गेटों को हटवाकर दोषियों को दंडित करते हुए आम रास्ते को खुलवायेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

जी नहीं।

नगर निगमों/विकास प्राधिकरणों के संज्ञान में शिकायतें आने पर परीक्षणोपरान्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही समय-समय पर की जाती है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में स्थानीय निकायों द्वारा संचालित पशु बधशाला का विवरण तथा संचालन के मानक सम्बन्धी

***19-श्री मनोज कुमार पारस-**

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में स्थानीय निकायों द्वारा कुल कितनी पशु वधशालाएं वर्तमान में संचालित हैं एवं उनके संचालन हेतु निर्धारित मानक क्या हैं ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

जी हाँ।

1-राज्य सरकार द्वारा पशु वधशालाओं के संचालन के सम्बन्ध में वर्ष 2018 में निम्नांकित वैधानिक व्यवस्थायें की गयी हैं :-

(क) उ0प्र0 नगर निगम (संशोधन) अधिनियम 2018 पारित करते हुये उ0प्र0 नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 114 एवं 422 में संशोधन तथा धारा-429 एवं 430 को निरसित किया गया, जिससे नगर निगमों द्वारा पशुवधशालायें चलाये जाने का उत्तरदायित्व समाप्त कर दिया गया।

(ख) इसी प्रकार उ0प्र0 नगर पालिका (संशोधन) अधिनियम 2018 पारित करते हुये उ0प्र0 नगर पालिका अधिनियम 1916 की धारा 7 (1) खण्ड-ज में संशोधन तथा धारा-237 एवं 238 को निरसित किया गया, जिससे नगर पालिका परिषदों/नगर पंचायतों द्वारा पशुवधशालायें चलाये जाने का उत्तरदायित्व समाप्त कर दिया गया है।

2-वर्ष 2017 से अब तक 169 अवैध पशुवधशालाओं को राज्य सरकार द्वारा बन्द कर दिया गया।

3-प्रदेश में वर्तमान में स्थानीय निकायों द्वारा कुल 03 पशुवधशालाएं संचालित हैं, जो निम्नवत् है :-

(1) नगर निगम कमेला पशुवधशाला सहारनपुर (दिनांक 22-12-2011 से संचालित)

(2) नगर निगम पशुवधशाला, मोहनपुर ठिरिया, बरेली। (दिनांक 07 अप्रैल, 2016 से संचालित)

(3) मॉडल स्लॉटर हाउस एग्रो, जलेसर, कुबेरपुर आगरा। (दिनांक 13 अक्टूबर, 2000 से संचालित)

मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका (सिविल) संख्या-330/2001 कामन काज बनाम भारत संघ, रिट याचिका संख्या-44/2004, अवमानना याचिका संख्या-124/2015, के साथ संलग्न रिट याचिका संख्या-309/2003 लक्ष्मी नारायण मोदी बनाम यूनियन आफ इण्डिया व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 17-02-2017 के क्रम में निर्गत भारत सरकार के 24 कम्पेडियम के आधार पर प्रदेश में पशुवधशाला के संचालन हेतु शासनादेश संख्या-3710/नौ-8-2017-2सी0एस0/12 टीसी, दिनांक 07 जुलाई, 2017 द्वारा विस्तृत दिशा-निर्देश दिये गये हैं। (छायाप्रति संलग्न)[†]

उ0प्र0 राज्य के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा पशुवधशालाओं के संचालन से संबधित विषयों के क्रियान्वयन हेतु शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1838/नौ-8-2012-2सी0एस0/2012, दिनांक 11 सितम्बर, 2012 द्वारा एक राज्य स्तरीय समिति का गठन भी किया गया है।

उक्तवत।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में कम दर पर विद्युत सप्लाई देने तथा किसानों को मुफ्त विद्युत सप्लाई देने विषयक

***20-इंजी0 बृजेश कठेरिया-**

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि के प्रदेश में बिजली की सुचारू रूप से सप्लाई, बिजली की दरों को कम करने तथा किसानों को फसल के लिए मुफ्त बिजली देने पर सरकार विचार करेगी? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

बरसात विलम्बित होने एवं औसत से बहुत कम बरसात होने के कारण तथा अत्यधिक गर्मी होने के कारण ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में विद्युत की मांग अप्रत्याशित रूप से बढ़ी है। वर्ष 2011 से 2021 के दशक की औसत पीक डिमांड 16338 मेगावाट थी जबकि औसत न्यूनतम मांग 5330 मेगावाट थी। इसी प्रकार वर्ष 2012-2017 की अवधि में औसत पीक डिमाण्ड 13598 मेगावाट जबकि औसत न्यूनतम मांग 5685 मेगावाट थी।

इसके सापेक्ष अप्रैल, 2022 से अब तक की महीने की औसत पीक डिमांड 24969 मेगावाट है एवं औसत न्यूनतम मांग 11017 मेगावाट है, जो पिछले दशक की अधिकतम/न्यूनतम डिमांड की 50% से ज्यादा है तथा उपरोक्त पिछले पांच वर्षों के सापेक्ष लगभग दोगुना है। इतना ही नहीं इस वर्ष के पिछले तीन माह में विद्युत मांग ऐतिहासिक रूप से बढ़ी है। जुलाई, 2022 में पीक डिमांड 26537 मेगावाट रही, जबकि सितम्बर माह में दिनांक 09-09-2022 को अधिकतम मांग बढ़कर 26589 मेगावाट पहुंच गई। इस ऐतिहासिक मांग को

[†] देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ सं0-294-298 पर।

पूर्ण करने हेतु ऊर्जा विभाग पूरी तरह से लगा हुआ है। ऊर्जा उत्पादन के संयंत्रों को पिछले वर्ष के पी0एल0एफ0 55.51% के सापेक्ष में इस वर्ष 73.31% पर चलाया गया। गत वर्ष के सापेक्ष कोयला की खपत 43.7% बढ़ी है। कुल मिलाकर विद्युत उत्पादन पिछले वर्ष के सापेक्ष 46.27% बढ़ाया गया।

साथ ही अन्य स्रोतों से भी बिजली लेकर उपभोक्ताओं को सरकार द्वारा रोस्टर के सापेक्ष करायी जा रही है।

बिजली को उपभोक्ताओं तक निर्बाध रूप से पहुंचाने हेतु कई बार समस्यायें उत्पन्न होती हैं, जैसे आंधी, तूफान या बरसात का होना। पुराने जर्जर तारों एवं अतिभारित परिवर्तक आदि की वजह से भी विद्युत आपूर्ति में बाधा आती है।

इन उपकरणों एवं संसाधनों के अनुरक्षण का बेहतर प्रबन्धन करते हुए इस वर्ष परिवर्तक क्षतिग्रस्तता की दर में 0.42% की कमी लायी गयी है। साथ ही अप्रैल, 2022 से 18 सितम्बर, 2022 तक 159995 परिवर्तक बदले गये।

उपभोक्ताओं की समस्याओं का समाधान करने हेतु "सम्भव" एवं "विद्युत समाधान सप्ताह" जैसी व्यवस्थाएं बनायी गयी हैं।

04 अगस्त, 2022 से बिजली की अधिकतम दरों में संशोधन हुआ है जिससे उपभोक्ताओं के लिए देय दरों में कमी आई है।

प्रदेश के किसानों (ग्रामीण आपूर्ति शिड्यूल से आच्छादित) को फसलों पर लागत कम करने के लिये बिजली की प्रचलित दरों एवं टैरिफ रु0 720 प्रति हार्स पावर प्रति माह के सापेक्ष मात्र रु0 85 प्रति हार्स पावर प्रति माह चार्ज लिया जा रहा है। इस प्रकार कृषक उपभोक्ताओं को बिजली की दरों में 88.19 प्रतिशत की छूट प्रदान की जा रही है।

वर्ष 2022-23 हेतु प्रदेश के किसानों के निजी नलकूपों (ग्रामीण शिड्यूल) हेतु शासकीय सहायिकी रु0 7,097 करोड़ का प्रावधान है।

किसानों को अप्रैल, 2022 से 18 सितम्बर, 2022 तक 23169 निजी नलकूप के संयोजन दिये गये हैं। इसके अतिरिक्त 7.5 हार्स पावर तक के नलकूप संयोजनों पर सोलर पम्प लगाने हेतु कृषि विभाग द्वारा लागत मूल्य पर (30 प्रतिशत केन्द्रांश एवं 30 प्रतिशत राज्यांश) कुल 60 प्रतिशत का अनुदान दिया जा रहा है।

ऊर्जा विभाग उपभोक्ताओं की विद्युत आपूर्ति की मांग को निर्बाध रूप से पूरा करने तथा सस्ती दरों पर विद्युत उपलब्ध कराने के लिए तत्पर एवं कटिबद्ध है।

प्रश्न नहीं उठता।

अतारांकित प्रश्न

जनपद मुरादाबाद के तहसील मुख्यालय बिलारी में उप निबंधक कार्यालय को कोषागार के निकट स्थापित करने सम्बन्धी

1-श्री मौहम्मद फहीम इरफान-

क्या स्टाम्प तथा न्यायालय शुल्क एवं पंजीयन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मुरादाबाद में तहसील मुख्यालय बिलारी में उप निबंधक कार्यालय को शासनादेश के अनुसार कोषागार के निकट सरकार स्थापित करेगी? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

स्टाम्प तथा न्यायालय शुल्क एवं पंजीयन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री रवीन्द्र जायसवाल)-

जी, नहीं।

प्रश्न ही नहीं उठता।

क्योंकि वर्तमान में ई-स्टाम्पिंग की व्यवस्था लागू होने के कारण आम जनता को कोषागार कार्यालय जाने की आवश्यकता नहीं रह गयी है। वर्तमान में जिस स्थान पर उप निबन्धक कार्यालय बिलारी स्थित है, को हटाया जाना उचित नहीं है।

जनपद बहराइच के ब्लाक बलहा की ग्राम सभा गुरगुट्टा में चौकी से रमेश सोनकर के घर तक रोड के निर्माण विषयक

2-श्रीमती सरोज सोनकर-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच के ब्लाक बलहा की ग्राम सभा गुरगुट्टा में चौकी से रमेश सोनकर के घर तक 500 मी0 रोड का निर्माण सरकार करायेगी? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों?

लोक निर्माण राज्य मंत्री (श्री ब्रिजेश)-

सूचना एकत्र की जा रही है।

3-श्री जयप्रकाश अंचल-

[मा0 आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के आधार पर निरस्त]

प्रदेश में विद्युत आपूर्ति की नीति तथा जनपद प्रतापगढ़ की रानीगंज विधान सभा क्षेत्र में अधिभारित ट्रांसफार्मर का विवरण विषयक

4-डॉ0 आर0 के0 वर्मा-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश वासियों को विद्युत आपूर्ति हेतु कोई नीति बनाई गई है? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है? क्या सरकार यह भी बताएगी कि

जनपद प्रतापगढ़ की रानीगंज विधान सभा क्षेत्र अतर्गत कुल कितने विद्युत ट्रांसफार्मर अधिभारित हैं? क्या सरकार उक्त अधिभारित विद्युत ट्रांसफार्मर की क्षमता वृद्धि करेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

जी हाँ।

वर्तमान में रोस्टर के अनुसार विद्युत आपूर्ति जिला मुख्यालय हेतु 24 घण्टे, तहसील मुख्यालय हेतु 21.30 घण्टे, ग्रामीण क्षेत्रों में 18 घण्टे तथा कृषि फीडर हेतु विद्युत आपूर्ति 10.00 घण्टे निर्धारित है।

जनपद-प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र रानीगंज में कोई भी विद्युत ट्रांसफार्मर अधिभारित नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शामली मेरठ-करनाल राष्ट्रीय राजमार्ग पर ग्राम लांक से खेडी पट्टी होते हुए ग्राम भाज्जू तक जर्जर मार्ग के निर्माण हेतु आवंटित धनराशि का विवरण

5-श्री प्रसन्न कुमार-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शामली मेरठ-करनाल राष्ट्रीय राजमार्ग पर ग्राम लांक से खेडी पट्टी होते हुए ग्राम भाज्जू तक मार्ग जर्जर है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग के नवनिर्माण हेतु धनराशि आवंटित करेगी? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रिजेश-

प्रश्नगत मार्ग की कुल लम्बाई 7.00 किमी0 है जो ग्रामीण श्रेणी का मार्ग है, जिसमें लांक से खरड मार्ग (लम्बाई 1.900 किमी0) की दशा संतोषजनक है। लांक खरड मार्ग से खेडी पट्टी मार्ग (लम्बाई 2.70 किमी0) का स्वामित्व लोक निर्माण विभाग का नहीं है तथा खेडी से भाज्जू मार्ग (लम्बाई 2.400 किमी0) की दशा संतोषजनक है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार ।

जनपद आगरा की पॉश कालोनी जयपुर हाउस के पार्क को अवैध कब्जा से मुक्त कराये जाने विषयक

6-श्री बाबूलाल-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा की पॉश कॉलोनी जयपुर हाउस जो आगरा विकास प्राधिकरण में आती है के पार्क पर अवैध कब्जा को हटाने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या ख-6 नं0- 925772, दिनांक 19-07-22 प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो सरकार उक्त पार्क को कब तक कब्ज़ा मुक्त करायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

जी हाँ।

प्रश्नगत पार्क का निरीक्षण आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा तथा नगर निगम, आगरा द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। निरीक्षणोपरांत यह पाया गया कि विवादित स्थल स्वीकृत मानचित्र के अनुसार पार्क न होकर खेल का मैदान है, जिस पर अवैध कब्जा कर अतिक्रमण कर लिया गया है।

उक्त अवैध अतिक्रमण को हटाये जाने हेतु सम्बन्धित को नोटिस दिनांक 14-09-2022 निर्गत की गयी है। तद्नुसार नगर निगम, आगरा द्वारा प्रकरण में नियमानुसार अग्रेतर कार्यवाही की जायेगी।

उपरोक्तानुसारा।

जनपद आगरा के विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर सीकरी अन्तर्गत अटल आवासीय विद्यालय के निर्माण में घटिया समाग्री प्रयोग सम्बन्धी शिकायती पत्र पर कार्रवाई विषयक

7-श्री बाबूलाल-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा के विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर सीकरी में अधिशासी अभियंता द्वारा मानक के अनुरूप कार्य न करने, जाजऊ में अटल आवासीय विद्यालय में ठेकेदार से मिलकर घटिया सामग्री प्रयोग किये जाने की शिकायत के संबंध में प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या-क-6 नं0-689548, दिनांक 01-07-22 और पत्रांक-क-7-604521, दिनांक 01-07-22 को पत्रांक-4431/वि0फ/फा-जू/2022, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रिजेश-

जी हाँ।

जनपद आगरा में विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर सीकरी के ग्राम जाजऊ में अटल आवासीय विद्यालय का कार्य प्रगति में है। माननीय विधायक जी द्वारा अपने पत्रों में श्री पी0के0

शरद, अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, आगरा द्वारा अटल आवास, आगरा के निर्माण के समय मानकों के अनुसार कार्य न किये जाने का उल्लेख किया गया है। श्री पी0के0 शरद अधिशासी अभियन्ता इस कार्य पर माह जुलाई-2021 से माह अप्रैल-2022 तक कार्यरत् थे। अटल आवासीय विद्यालय, आगरा के निर्माण कार्य की गुणवत्ता के नियन्त्रण हेतु मै0 आरकोप एसोशिएट्स, नई दिल्ली नाम की परामर्शी एजेन्सी लोक निर्माण विभाग लखनऊ द्वारा नियुक्त है, जिसके द्वारा कार्यस्थल पर कार्य को मानक एवं विशिष्टियों के अनुसार करने हेतु नियमित रूप से परीक्षण कराये जाते हैं। मण्डलायुक्त, आगरा द्वारा भी इस कार्य की गुणवत्ता व प्रगति हेतु जाँच कमेटी गठित की गयी है, जो प्रत्येक माह कार्यस्थल पर जाकर कार्य की गुणवत्ता एवं प्रगति की समीक्षा करती है। लोक निर्माण विभाग द्वारा भी गुणवत्ता हेतु समय-समय पर जाँच की जाती है। कार्यस्थल पर किये गये कार्य की गुणवत्ता संतोषजनक एवं विशिष्टियों के अनुरूप है।

उपरोक्तानुसार

प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद बुलन्दशहर के विधान सभा क्षेत्र नगर वार्ड नं0-09 मोहल्ला में शिकारपुर साईंट अमर मार्केट से रामानन्द के प्लाट तक मार्ग के निर्माण विषयक

8-श्री प्रदीप कुमार चौधरी-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बुलन्दशहर के विधान सभा क्षेत्र के नगर वार्ड नं0-9 मोहल्ला टांडा में स्थित शिकारपुर साईंट अमर मार्केट से रामानन्द के प्लाट से मार्ग लम्बाई लगभग 500 मीटर का निर्माण कार्य सरकार करायेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

जनपद बुलन्दशहर के विधान सभा क्षेत्र के नगर वार्ड सं0-9 मोहल्ला टांडा में अमर मार्केट से रामानन्द के प्लॉट तक जिस सड़क मार्ग के निर्माण का उल्लेख किया गया है वह शिकारपुर बाईपास मुख्य मार्ग का भाग है। वर्णित मार्ग लोक निर्माण विभाग के स्वामित्व का है। नगर पालिका परिषद, बुलन्दशहर के स्वामित्व न होने के कारण कोई कार्यवाही पालिका स्तर से अपेक्षित नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद बुलन्दशहर की सदर विधान सभा क्षेत्र सदर के ग्राम सूजापुर में ज्ञानी ठेकेदार के घर से ग्राम नगला ठकौली के बीच पक्का मार्ग के निर्माण विषयक

9–श्री प्रदीप कुमार चौधरी–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बुलन्दशहर की विधान सभा क्षेत्र बुलन्दशहर सदर के ग्राम सूजापुर में ज्ञानी ठेकेदार के घर से ग्राम नगला ठकौली के बीच तक पक्का मार्ग का निर्माण कार्य सरकार करायेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री ब्रिजेश–

ग्राम सूजापुर एवं ग्राम ढकौली पूर्व से ही पक्के मार्ग से जुड़े हैं। वर्तमान में लोक निर्माण विभाग में ग्रामों को डबल कनेक्टिविटी के आधार पर जोड़ने की कोई योजना प्रचलित नहीं है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद बुलन्दशहर की सदर विधान सभा क्षेत्र के सेदपुर मार्ग से नीमचाना-अगौता होते हुए अगौता शुगर मिल को जोड़ने वाले मार्ग का डामरीकरण सम्बन्धी

10–श्री प्रदीप कुमार चौधरी–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बुलन्दशहर की विधान सभा क्षेत्र बुलन्दशहर सदर के ग्राम सेदपुर मार्ग (इंडियन ऑइल पम्प) से नीमचाना-अगौता होते हुए (अगौता शुगर मिल) को जोड़ने के लिए कच्ची सड़क लम्बाई 8 कि0मी0 का डामरीकरण सरकार करायेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री ब्रिजेश–

जनपद बुलन्दशहर की विधान सभा क्षेत्र सदर के ग्राम सैदपुर मार्ग से नीमचाना-अगौता होते हुए कच्ची सड़क की लम्बाई 2.270 किमी0 है तथा मार्ग की कुल लम्बाई 8.00 किमी0 है। ग्राम सैदपुर, नीमचाना, अगौता तथा अगौता शुगर मिल पूर्व से ही पक्के मार्ग से जुड़े हैं। वर्तमान में मार्ग सुगम यातायात हेतु उपलब्ध है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद मथुरा के विधान सभा क्षेत्र मांट में राया रेलवे क्रासिंग पर ओवर ब्रिज बनाने सम्बन्धी

11–श्री राजेश चौधरी–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मथुरा के विधान सभा क्षेत्र मांट में सोनई को मथुरा से जोड़ने वाले मार्ग पर राया रेलवे क्रासिंग पर लम्बा जाम लगने के

कारण आमजन को आवागमन में असुविधा हो रही है? यदि हां, क्या सरकार उक्त क्रासिंग पर ओवरब्रिज निर्माण करायेगी? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रिजेश-

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, भारत सरकार की संस्था है। महाप्रबन्धक (तक0)/ क्षेत्रीय अधिकारी यू0पी0 (पश्चिम), भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, लखनऊ की आख्यानुसार जनपद मथुरा में राया नगर क्षेत्र से गुजरने वाले स्टेट रोड-33, अब राष्ट्रीय राजमार्ग सं0-530बी के रूप में नोटिफाइड हो चुका है, जिसमें राया कस्बे पर बाईपास निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। उक्त कार्य की निविदा प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है एवं संबंधित रियायतग्राही द्वारा उक्त परियोजना के निर्माण का कार्य शीघ्र प्रारम्भ कर दिये जाने की सम्भावना है।

अतः उक्त रेलवे क्रासिंग में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा रेलवे ओवरब्रिज (ROB) का निर्माण कराना प्रस्तावित नहीं है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता है।

जनपद लखनऊ के वृन्दावन योजना के अन्तर्गत सेक्टर-7, 8 होते हुए उतरेठिया रेलवे स्टेशन तक लिंक मार्ग का निर्माण कराये जाने विषयक

12-श्री जवाहर लाल राजपूत-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखनऊ के वृन्दावन योजना के अन्तर्गत सेक्टर 7 व 8 में नहर से चिरैयाबाग होते हुए उतरेठिया रेलवे स्टेशन तक निर्माणाधीन लिंक रोड जो कि रेलवे लाइन के बगल से जाती है उक्त का निर्माण कार्य पूर्ण करा दिया गया है? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्या सरकार उक्त लिंक रोड का निर्माण कार्य पूर्ण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

जी नहीं।

प्रश्नगत मार्ग में 02 स्थानों पर (90 मी0 एवं 40 मी0) आवास विकास परिषद् एवं काश्तकारों के मध्य विवाद होने के कारण कार्य अवशेष है, जो विवाद समाप्त होने पर आवास विकास परिषद् द्वारा निर्माण कार्य पूर्ण कराकर नगर निगम लखनऊ को हस्तांतरित किया जाना अपेक्षित है।

प्रश्नगत लिंक मार्ग का निर्माण आवास विकास परिषद् द्वारा कराते हुए वर्ष 2018 में 3170 मी0 सड़क नगर निगम लखनऊ को हस्तगत किया गया था। उक्त मार्ग वर्तमान में कई जगह क्षतिग्रस्त है, जिस हेतु रु0 126.00 लाख का व्यय प्रस्तावित है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

13-श्री अखिलेश-

[02 गुरुवार के अतारांकित प्रश्न संख्या-55 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

प्रदेश में चीनी मिलों से निकलने वाले प्रदूषित जल से किसानों की फसलों को बचाने हेतु कार्य योजना बनाने विषयक

14-श्री अखिलेश-

क्या गन्ना विकास एवं चीनी मिले मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में चीनी मिलों से निकलने वाले प्रदूषित जल से किसानों की फसलों को हो रहे नुकसान से बचाने हेतु सरकार कोई ठोस उपाय करेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री लक्ष्मी नारायण-

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा चीनी उद्योगों में उत्प्रवाह के शुद्धिकरण हेतु मानक निर्धारित किये गये हैं। प्रदेश की चीनी मिलों में मिल से निकलने वाले प्रदूषित जल के शुद्धिकरण के लिए उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र स्थापित किये जाते हैं। उत्प्रवाह शुद्धिकरण सयंत्र से निस्तारित शुद्धिकृत उत्प्रवाह के परिचालकों के नियमित आनलाइन अनुश्रवण हेतु आनलाइन कॉन्टिन्युअस एफ्लूएण्ट मानिटरिंग स्थापित रहती है, जो केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सर्वर से संयोजित रहते हैं।

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित मानकों की पूर्ति उपरान्त चीनी मिल के शुद्धित उत्प्रवाह में फसल को नुकसान करने सम्बन्धी सामान्यतः कोई तत्व नहीं होता है।

उपर्युक्तानुसार।

लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों हेतु स्थानान्तरण नीति बनाकर स्थानान्तरण किये जाने विषयक

15-श्री राजेन्द्र प्रसाद चौधरी-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की स्थानांतरण नीति है ? यदि हां, तो क्या सरकार लोक निर्माण विभाग,

लखनऊ में स्थानान्तरण नीति के विपरीत 10 वर्षों से अधिक एक ही डिवीजन में तैनात कार्मिकों को चिन्हित कर अन्यत्र स्थानान्तरित करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री ब्रिजेश-

कार्मिक विभाग द्वारा जारी सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों की वार्षिक स्थानान्तरण नीति लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों पर भी लागू है।

स्थानान्तरण नीति वर्ष 2022-23 के अनुसार लोक निर्माण विभाग के समूह 'क', 'ख', 'ग', व 'घ', के अधिकारियों/कर्मचारियों के स्थानान्तरण किये गये हैं।

उपरोक्तानुसार।

जनपद कुशीनगर की तहसील हाटा में नवीन रजिस्ट्री भवन का निर्माण कराने विषयक

16-श्री मोहन वर्मा-

क्या स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क पंजीयन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कुशीनगर की तहसील हाटा का रजिस्ट्री ऑफिस का भवन जर्जर होकर गिर जाने के उपरांत रजिस्ट्री भवन किराये के मकान में मुख्य शहर से 02 कि0मी0 दूर (बाहर) से संचालित हो रहा है? यदि हां, तो क्या सरकार तहसील परिसर हाटा में खाली जमीन पर नवीन रजिस्ट्री भवन के निर्माण करने पर विचार करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री रवीन्द्र जायसवाल-

जी हाँ।

ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र हाटा के नगर पालिका के वार्ड नं0-21 के आबादी क्षेत्र के ऊपर से गुजर रही हाईटेंशन लाइन को शिफ्ट कराने विषयक

17-श्री मोहन वर्मा-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र हाटा के नगर पालिका के वार्ड नं0 21 गांधी नगर के आबादी क्षेत्रों (घरों) के ऊपर से होकर गुजर रहे हाई टेंशन बिजली के तारों को शिफ्ट कराये जाने पर सरकार विचार करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

पूर्व से निर्मित विद्युत लाइनों के नीचे बिना विभागीय अनापत्ति प्राप्त किए अध्यासियों द्वारा अपने घरों का निर्माण करा लिया गया है। प्रभावित अध्यासियों द्वारा इस लाईन शिफ्टिंग

कार्य हेतु प्राक्कलित धनराशि जमा कराए जाने एवं विद्युत लाइन निर्माण हेतु अविवादित मार्ग उपलब्ध कराए जाने पर किया जाना सम्भव है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में जर्जर विद्युत तारों के कारण घटित दुर्घटना तथा उनको बदलवाने विषयक कार्य योजना का विवरण

18-डॉ0 संग्राम यादव (अनुपस्थित)-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में जर्जर विद्युत तारों के कारण दिनांक 20-07- 2022 तक कुल कितनी दुर्घटनाएं हुई हैं ? क्या सरकार जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र अतरौलिया में जर्जर विद्युत तारों को बदलवाने की कोई कार्य योजना बनाएगी ? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 एवं सहयोगी डिस्काम के अन्तर्गत प्रदेश में जर्जर विद्युत तारों के कारण दिनांक 01-04-2022 से दिनांक 20-07-2022 तक कुल 651 दुर्घटनाएं हुई हैं।

जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र अतरौलिया में जर्जर विद्युत तार को बदलवाने हेतु रिवैम्प्ड योजना में कार्य को सम्मिलित किया गया है। रिवैम्प्ड योजना के क्रियान्वयन एवं धन की उपलब्धता पर कार्य कराया जाना सम्भव है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद श्रावस्ती के ब्लाक गिलौला अन्तर्गत कोट मुबारकपुर से खड़खड़ापुरवा तक मार्ग का निर्माण कराने सम्बन्धी

19-श्री राम फेरन पाण्डेय-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद श्रावस्ती के ब्लाक गिलौला के अन्तर्गत कोट मुबारकपुर सरयू नहर पुल से कोट मुबारकपुर गांव होते हुए खड़खड़ापुरवा तक दूरी 02 कि0मी0 तक मार्ग कच्चा होने से लोगो को आने-जाने में कठिनाई होती है? यदि हां, तो क्या सरकार की उक्त रोड के निर्माण की कोई योजना है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री ब्रिजेश-

जनपद श्रावस्ती के विकास खण्ड गिलौला में कोट मुबारकपुर सरयू नहर पुल से कोट मुबारकपुर गांव होते हुए खड़खड़ापुरवा तक सम्पर्क मार्ग (लम्बाई 1.650 कि0मी0) की स्वीकृति वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद अम्बेडकरनगर में कटेहरी बाजार (प्रतापपुर चमुर्खा) को नगर पंचायत बनाने विषयक

20-श्री लालजी वर्मा-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद अम्बेडकरनगर में कटेहरी बाजार (प्रतापपुर चमुर्खा) को नगर पंचायत बनाने पर सरकार विचार करेगी? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

नगर पंचायत के गठन हेतु शासनादेश संख्या-2979/9-1-2016-426सा/14 दिनांक 06 अक्टूबर, 2016 द्वारा मानकों का निर्धारण किया गया है, कटेहरी बाजार (प्रतापपुर चमुर्खा) उक्त शासनादेश में नगर पंचायत घोषित किये जाने संबंधी निर्धारित मानकों को पूरा नहीं करता है। अतः कटेहरी बाज़ार (प्रतापपुर चमुर्खा) को नियमानुसार नगर पंचायत घोषित किया जाना सम्भव नहीं है।

जनपद अम्बेडकरनगर के अकबरपुर इल्तिफातगंज मार्ग को राज्य मार्ग घोषित किये जाने विषयक

21-श्री लालजी वर्मा-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद अम्बेडकरनगर के अकबरपुर इल्तिफातगंज मार्ग को जनहित में राज्य मार्ग घोषित करने पर सरकार विचार करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री ब्रिजेश-

जी नहीं।

उक्त मार्ग राज्य मार्ग के मानकों के अनुरूप नहीं है।

उपर्युक्तानुसार।

कानपुर विकास प्राधिकरण द्वारा विकास क्षेत्र घोषित करने हेतु घोषित गजट का विवरण सम्बन्धी

22-श्री अमिताभ बाजपेई-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर विकास प्राधिकरण द्वारा उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम-1973 के अन्तर्गत "विकास क्षेत्र" घोषित करने हेतु धारा-3 की अधिसूचना का गजट कब तथा कितने गांवों का जारी किया गया है? क्या सरकार उक्त विकास क्षेत्रों को घोषित करने की अधिसूचना सदन के पटल पर रखेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री योगी आदित्यनाथ-

1. उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा-3 के अन्तर्गत शासकीय अधिसूचना दिनांक 11-09-1974 द्वारा कानपुर विकास क्षेत्र घोषित किया गया है।

2. शासकीय अधिसूचना दिनांक 06-12-1983 द्वारा कानपुर नगर महापालिका की सीमा के बाहर तीनों ओर पूर्व, पश्चिम, दक्षिण (8 किमी पर्यन्त आने वाला क्षेत्र, जिसमें 48 गाँव सम्मिलित हैं) और उत्तर दिशा में गंगा नदी की मुख्य धारा के बीच तक का क्षेत्र सम्मिलित किया गया है।
3. शासकीय अधिसूचना दिनांक 27-09-1996 द्वारा जनपद उन्नाव के 13 ग्राम कानपुर विकास क्षेत्र में सम्मिलित किये गये हैं।
4. शासकीय अधिसूचना दिनांक 12-07-1999 द्वारा कानपुर देहात के 45 ग्राम कानपुर विकास क्षेत्र मे सम्मिलित किये गये हैं।
5. शासकीय अधिसूचना दिनांक 20-01-2000 द्वारा जनपद उन्नाव के 16 ग्राम कानपुर विकास क्षेत्र में सम्मिलित किये गये हैं।

जी हाँ (संलग्नक -1 से 5 तक)[†]।

प्रश्न नहीं उठता।

कानपुर-कन्नौज लेन चौड़ीकरण की अधिग्रहण प्रक्रिया तथा भुगतान सम्बन्धी योजना की जानकारी विषयक

23-श्री अमिताभ बाजपेई-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर-कन्नौज 4/6 लेन चौड़ीकरण की अधिग्रहण प्रक्रिया में सक्षम प्राधिकारी द्वारा अभिनिर्णय करने के उपरान्त एन0एच0ए0 आई0 द्वारा आर्बीटेशन/वाद में जाने के कारण भू-स्वामियों को अभिनिर्णित धनराशि का भुगतान नहीं किया जायेगा की व्यवस्था का उल्लेख एक्ट की किस धारा में है ? क्या सरकार बतायेगी कि बिना भुगतान एन0एच0ए0आई0 द्वारा वाद योचित किये जाने के कारण हुई परिस्थिति में सक्षम प्राधिकारी कब्जा लेने की कार्यवाही कर सकते है? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री ब्रिजेश-

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण भारत सरकार की संस्था है, जिसके द्वारा निर्माण कार्य कराया जा रहा है। राष्ट्रीय राजमार्ग सं0-91 अलीगढ़-कानपुर सेक्शन के 4/6 लेन चौड़ीकरण हेतु केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48) की धारा-3 के खण्ड (क) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अपर जिलाधिकारी (भू0अ0) कानपुर नगर को सक्षम प्राधिकारी नियुक्त किया गया है। सक्षम प्राधिकारी (भू0अ0) कानपुर नगर कार्यालय द्वारा भू-अधिग्रहण, कब्जा व मुआवजा वितरण की कार्यवाही की जाती है।

[†] देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ संख्या-299-309 पर।

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा सक्षम प्राधिकारी के खाते में धनराशि जमा किये जाने के 60 दिन के पश्चात् भूमि का अधिकार/कब्जा लेने की कार्यवाही एन0एच0 एक्ट की धारा-3 के अन्तर्गत की जा सकती है। भूमिधारक द्वारा आवश्यक प्रपत्र न जमा करने, भूमि पर किसी वाद अथवा किसी अन्य कारण से मुआवजा वितरण न हो पाने की स्थिति में भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही रोकी नहीं जा सकती है, परन्तु भूमिधारक का उचित मुआवजा एवं अधिकार पूर्णतयः सुरक्षित है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

कानपुर-कन्नौज राजमार्ग चौड़ीकरण प्रक्रिया अधिग्रहीत भूमि की धनराशि के बिलम्ब में भुगतान होने की स्थिति में ब्याज सम्बन्धी जानकारी

24-श्री अमिताभ बाजपेई-

क्या लोकनिर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर-कन्नौज राजमार्ग 4/6 लेन चौड़ीकरण प्रक्रिया मे एन0एच0ए0आई0 द्वारा अभिनिर्णित धनराशि सक्षम प्राधिकारी के खाते में डाल देने के उपरान्त भी यदि भुगतान में विलम्ब के कारण विलम्ब अवधि के ब्याज के भुगतान की जिम्मेदारी सक्षम प्राधिकारी अथवा एन0एच0ए0आई0 किसके द्वारा वहन करी जायेगी? क्या सरकार उक्त का विवरण देगी? यदि नहीं, तो क्यो?

श्री ब्रिजेश-

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, भारत सरकार की संस्था है। महाप्रबंधक (तक0) क्षेत्रीय कार्यालय उ0प्र0 (पश्चिम) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्यानुसार प्रकरण में सक्षम प्राधिकारी (भू0अ0) कानपुर नगर कार्यालय द्वारा भू-अधिग्रहण, कब्जा व मुआवजा विवरण की कार्यवाही की जाती है।

भा0रा0रा0प्रा0 द्वारा अभिनिर्णित धनराशि [जिसमें 3(क) के प्रकाशन से ब्याज की गणना सम्मिलित है] जमा करने के पश्चात् अतिरिक्त ब्याज का कोई प्राविधान नहीं है।

भूमिधारक द्वारा आवश्यक प्रपत्र न जमा करने, भूमि पर किसी वाद अथवा किसी अन्य कारण से मुआवजा वितरण न हो पाने की स्थिति में भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही रोकी नहीं जा सकती है परन्तु भूमिधारक का उचित मुआवजा एवं अधिकार पूर्णतयः सुरक्षित है। धारा-3ज (5) के अन्तर्गत मध्यस्थ द्वारा निर्धारित की गयी धनराशि का भूमि पर कब्जा प्रदान करने की तिथि से वास्तविक धनराशि जमा होने की तिथि तक ब्याज दिया जा सकता है। भूमिधारक द्वारा कब्जा नहीं देने की स्थिति में कोई भी ब्याज देय नहीं है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता है।

कानपुर-कन्नौज 4/6 लेन चौड़ीकरण वीर योजना में ग्राम बहलोलपुर की परिसम्पत्तियों की अभिनिर्णीत धनराशि में अवैधानिक कटौती विषयक

25-श्री अमिताभ बाजपेई-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर-कन्नौज 4/6 लेन चौड़ीकरण परियोजना में ग्राम बहलोलपुर की परिसम्पत्तियों की अभिनिर्णीत धनराशि में अवैधानिक कटौती कर रकम भू-स्वामियों के खाते में डाली गयी तथा शेष रकम सक्षम प्राधिकारी के खाते में एन0एच0ए0आई0 द्वारा जमा कर दी गयी? यदि हां, तो पूर्व में अवैधानिक कटौती करने वाले अधिकारी एवं खाते में रकम जमा हो जाने के उपरान्त भी भू-स्वामियों को उक्त राशि न देने वाले अधिकारियों पर दण्डात्मक कार्यवाही सरकार करेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रिजेश-

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, भारत सरकार की संस्था है। महाप्रबंधक (तक0) क्षेत्रीय कार्यालय उ0प्र0 (पश्चिम) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्यानुसार भा0रा0रा0प्रा0 द्वारा अभिनिर्णीत धनराशि में कोई भी कटौती नहीं की गयी है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता है।

जनपद लखनऊ के विधान सभा क्षेत्र सरोजनीनगर के अन्तर्गत 23 गांवों को नगर विकास सीमा में सम्मिलित किये जाने विषयक

26-श्री राजेश्वर सिंह-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखनऊ के विधान सभा क्षेत्र सरोजनी नगर के अन्तर्गत 23 गाँव नगर विकास सीमा के विस्तारीकरण में सम्मिलित किए गए हैं ? यदि हां, तो उक्त गाँवों के विकास की कोई कार्य योजना सरकार ने तैयार की है ? यदि हां, तो क्या? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

जी हाँ।

उक्त सम्मिलित किये गये गाँवों के विकास हेतु प्रस्ताव तैयार किया गया है। प्रश्नगत कार्य मुख्य मंत्री नगर सृजन योजना के अन्तर्गत धन की उपलब्धता एवं स्थानीय निकाय के निर्णय पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में मा0 काशीराम आवास योजनान्तर्गत निर्मित आवासीय भवनों के अनुरक्षण के सम्बन्ध में

27-श्री मनीष असीजा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में मा0 काशीराम आवास योजना अन्तर्गत निर्मित आवासीय भवनों के अनुरक्षण हेतु कोई बजट की व्यवस्था नहीं है? यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त भवनों के अनुरक्षण के लिये कोई कार्य योजना बनाये जाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी हाँ।

शासनादेश संख्या-2219/आठ-2-11-87 मा0का0यो0/11, दिनांक 08-08-2011 में प्राविधानित व्यवस्थानुसार योजनान्तर्गत निर्मित भवनों का रख-रखाव लाभार्थियों द्वारा अपने व्यय पर किये जाने का प्राविधान है।

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश में विद्युत विभाग की लापरवाही से नागरिकों की मृत्यु होने की दशा में मुआवजा दिलाने के सम्बन्ध में

28-श्री मनीष असीजा-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में विद्युत विभाग की लापरवाही से नागरिकों की मृत्यु हो जाने पर दावा किये जाने के पश्चात् दिये जाने वाले मुआवजा भुगतान की कोई समय-सीमा निर्धारित करी गयी है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार बतायेगी कि वर्ष 2019-2020 एवं 2020-21 एवं 2021-22 में दिनांक 20/07/2022 तक कितने ऐसे प्रकरण है, जहाँ निर्धारित समय-सीमा से अधिक समय के पश्चात् पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान करी गयी? क्या सरकार बतायेगी कि ऐसे प्रकरणों में देरी के लिये जिम्मेवार अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही कराये जाने का क्या प्रावधान है ? क्या सरकार उक्त प्रकरणों में की गयी कार्यवाही का विवरण सदन के पटल पर रखेगी? यदि नहीं तो क्यो?

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

जी हाँ।

उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 के आदेश सं0-2828-औ0स0/2021-19 (125)-ए0एस0/01, दिनांक 25 सितम्बर, 2021 के द्वारा क्षतिपूर्ति प्रदान किये जाने हेतु 30 दिनों की समय-सीमा निर्धारित की गयी है।

विद्युत दुर्घटना होने पर क्षतिपूर्ति हेतु निर्धारित समय-सीमा से अधिक समय के पश्चात् भुगतान किये गये प्रकरणों की संख्या निम्नवत् है :

क्र0सं0	डिस्काम के नाम	विलम्ब से किये गये भुगतान के प्रकरणों की संख्या वर्षवार				
		2019-20 (45 दिन)	2020-21 (45 दिन)	2021-22		कुल
				(45 दिन)	30 दिन	
1	पूर्वान्चल	48	36	12	09	105
2	मध्यान्चल	184	154	40	7	479
3	पश्चिमांचल	21	22	11	07	61
4	दक्षिणांचल	85	49	26	42	202
5	केस्को	0	0	0	0	शून्य
कुल योगः		**338**	**261**	**89**	**65**	**847**

विद्युत दुर्घटनाओं के प्रकरणों में क्षतिपूर्ति प्रदान करने में विभाग के किसी भी अधिकारी/कर्मचारी द्वारा यदि जानबूझकर विलम्ब किया जाता है तो उसके विरूद्ध उत्तरदायित्व निर्धारित कर विभागीय नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही का प्रावधान है।

विभाग द्वारा तत्काल सहायता प्रदान किये जाने का प्रयास किया जाता है।

उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 एवं सहयोगी डिस्काम के अन्तर्गत विभागीय अधिकारी/कमर्चारी द्वारा क्षतिपूर्ति प्रदान करने में विभागीय स्तर पर जानबूझकर विलम्ब करने का कोई प्रकरण नहीं है। उपरोक्त प्रकरणों में प्रभावित द्वारा वांछित अभिलेख जैसे, पहचान पत्र, एफ0आई0आर0, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, परिवार रजिस्टर, मुख्य चिकित्सक अधिकारी द्वारा प्रदत्त मृत्यु/अपंगता प्रमाण-पत्र, जिला प्रशासन द्वारा प्रदत्त उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र, आदि उपलब्ध कराने में देरी होने के कारण क्षतिपूर्ति प्रदान करने में समय-सीमा से अधिक देरी होती है।

जनपद मुजफ्फरनगर के दि गंगा किसान सहकारी चीनी मिल लि0 मोरना के विस्तारीकरण विषयक

29-श्री चंदन चौहान-

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मुजफ्फरनगर के दि गंगा किसान सहकारी चीनी मिल लि0 मोरना के विस्तारीकरण की सरकार की कोई योजना है? यदि हां, तो क्या? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री लक्ष्मी नारायण-

वर्तमान में इस आशय का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

मोरना चीनी मिल की दैनिक गन्ना पेराई क्षमता 2500 टी0सी0डी0 है, जिसकी नेटवर्थ ऋणात्मक होने तथा दिनांक 31-03-2021 तक रु0 351.46 करोड़ की संचित हानियाँ होने के कारण, उक्त चीनी मिल के विस्तारीकरण हेतु आवश्यक वित्तीय व्यवस्था के लिए किसी भी वित्तीय संस्थाओं/बैंकों से ऋण मिलना सम्भव नहीं है।

जनपद अयोध्या के तहसील सोहावल के ग्राम पंचायत मीरपुर कांटा में अवैध रूप से संचालित भट्ठा की जांच विषयक

30-डा0 अमित सिंह चौहान-

क्या पर्यावरण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 22-05-2022 एवं श्रीमती शोभा सिंह चौहान, पूर्व सदस्य, विधान सभा का पत्र दिनांक 26-06-2021 जनपद अयोध्या के तहसील सोहावल के ग्राम पंचायत मीरपुर कांटा में अवैध रूप से संचालित भट्ठा मेसर्स रजनीश ब्रिक फील्ड (स्थापना हेतु स्थल मापदण्ड नियमावली, 2012) के अनुरूप नहीं है की जांच विषयक है, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डॉ0 अरूण कुमार-

जी हाँ।

मेसर्स रजनीश ब्रिक फील्ड, ग्राम-मीरपुर कांटा, तहसील-सोहावल, जनपद अयोध्या के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों के संबंध में उक्त ईंट भट्ठा का निरीक्षण क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अयोध्या द्वारा दिनांक 20-06-2022 को किया गया था। निरीक्षण के दौरान पाये गये तथ्यों एवं माननीय सदस्य, विधान सभा द्वारा प्रेषित शिकायती पत्रों में उल्लिखित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में पत्र संख्या-569/आई0जी0आर0एस0/शिकायत/2022, दिनांक 06-09-2022 द्वारा ईंट भट्ठे के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने के संबंध में बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ पत्र प्रेषित कर अनुरोध किया गया था। उक्त के परिप्रेक्ष्य मे बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ के सक्षम अधिकारी द्वारा ईंट भट्ठे के विरुद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-31ए के अन्तर्गत कार्यवाही किये जाने के अनुक्रम में पत्र संख्या-एच 80945/सी-6/ईंट भट्ठा/81/का0ब0नो0/अयोध्या/2022, दिनांक 09-09-2022 द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। वर्तमान में उक्त ईंट भट्ठा ऑफ सीजन होने के कारण बन्द है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद अयोध्या के अन्तर्गत सम्पर्क मार्ग-जलालपुर पुहुपी शाहगंज कुचेरा मार्ग के निर्माण में मानक के विपरीत किये गये कार्य की उच्च स्तरीय जांच कराये जाने विषयक

31-डा0 अमित सिंह चौहान-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 07-06-2022 एवं 19-06-2022 जो मुख्य मंत्री एवं प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 को सम्बोधित है तथा विधान सभा क्षेत्र, जनपद अयोध्या के अन्तर्गत सम्पर्क मार्ग-जलालपुर पुहुपी शाहगंज कुचेरा मार्ग के चौड़ीकरण एवं सौन्दर्यीकरण का कार्य लोक निर्माण विभाग अयोध्या द्वारा मानक के विपरीत घटिया व मानक रहित सामग्री का प्रयोग किये जाने की जांच उच्च स्तरीय टी0ए0सी0 जांच टीम से कराकर दोषियों के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही कराये जाने विषयक है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि भ्रष्टाचार में लिप्त दोषियों का प्रकरण का निक्षेपण करते हुए भ्रष्ट अधिकारी को क्लीन चिट दे दी गयी है ? क्या सरकार उक्त प्रकरण की जांच पुनः शासन स्तर से जांच समिति गठित करते हुए टी0ए0सी0 जांच करायेगी ? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रिजेश-

जनपद अयोध्या के विधान सभा क्षेत्र बीकापुर के अन्तर्गत सम्पर्क मार्ग जलालपुर पुहुपी शाहगंज कुचेरा मार्ग के चौड़ीकरण एवं सौन्दर्यीकरण निर्माण कार्य की उच्च स्तरीय टी0ए0सी0 जाँच कराये जाने विषयक मा0 सदस्य के उल्लिखित पत्र दिनांक 07-06-2022 एवं 19-06-2022 में से पत्र दिनांक 19-06-2022 कार्यालय अभिलेखानुसार प्राप्त नहीं हुआ है। अपितु उक्त विषयक पत्र दिनांक 07-06-2022 एवं 19-07-2022, जो कि मा0 मुख्य मंत्री जी को सम्बोधित तथा पत्र दिनांक 08-06-2022 व 19-07-2022, जो प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन को सम्बोधित हैं, प्राप्त हुए हैं।

मा0 सदस्य के उक्त शिकायती पत्रों में उल्लिखित मार्ग की जाँच किये जाने हेतु शासनादेश दिनांक 05-08-2022 द्वारा मुख्य प्राविधिक परीक्षक, प्राविधिक सम्परीक्षा कोष्ठ, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ को निर्देशित कर दिया गया है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद अयोध्या के पुराने डाक बंगला परिसर में सूटकक्ष निरीक्षण ग्रह एवं मीटिंग हाल के निर्माण में हुई अनियमितता की जांच कराये जाने सम्बन्धी

32-डा0 अमित सिंह चौहान-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 19-07-2022 जो मुख्य मंत्री व प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को

सम्बोधित विधान सभा क्षेत्र बीकापुर जनपद अयोध्या के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग 28 के किमी0-93 के किनारे स्थित पुराने डाक बंगले परिसर 20 सूटकक्ष निरीक्षण गृह एवं 60 से 70 व्यक्तियों हेतु मीटिंग हाल का निर्माण लोक निर्माण विभाग अयोध्या द्वारा कराये जाने के कार्य में घटिया व मानक रहित सामग्री का प्रयोग किये जाने की जांच उच्च स्तरीय टी0ए0सी0 जॉच टीम से कराकर दोषियों के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही करते हुए भवन निर्माण मानक के अनुरूप निर्मित कराये जाने विषयक है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रिजेश-

जी हाँ।

मा0 सदस्य के पत्र दिनांक 19-07-2022 में उल्लिखित शिकायती बिन्दुओं की जाँच किये जाने हेतु शासन के पत्र संख्या-वीआईपी-63/23-6-22-12 टीएसी/2022, दिनांक 04-08-2022 द्वारा मुख्य प्राविधिक परीक्षक, प्राविधिक सम्परीक्षा कोष्ठ, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ को निर्देशित कर दिया गया है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद अयोध्या के तहसील रुदौली में बिना प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त किये अवैध रूप से संचालित ईंट भट्ठा की जांच कराने विषयक

33-डा0 अमित सिंह चौहान-

क्या पर्यावरण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 19-04-2022, दिनांक 13-05-2022 व दिनांक 19-06-2022 एवं श्रीमती शोभा सिंह चौहान, पूर्व सदस्य, विधान सभा का पत्र दिनांक 16-06-2021 व दिनांक 22-06-2021 मुख्य मंत्री एवं प्रमुख सचिव, उ0प्र0 सरकार एवं सचिव प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड उत्तर प्रदेश को प्रेषित जनपद अयोध्या के तहसील रुदौली में बिना प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त किये बगैर रजनीश ब्रिक फील्ड ग्राम फेलसन्डा में अवैध रूप से संचालन जांच कराने विषयक है, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डॉ0 अरूण कुमार-

जी हाँ।

मेसर्स रजनीश ब्रिक फील्ड, ग्राम-फेलसण्डा, तहसील-रुदौली, जनपद अयोध्या के विरूद्ध प्राप्त शिकायतों के दृष्टिगत प्रश्नगत ईंट भट्ठे को क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अयोध्या के पत्र दिनांक 21-04-2022 द्वारा नोटिस प्रेषित कर राज्य बोर्ड के पत्र दिनांक 21-12-2019 द्वारा प्रश्नगत ईंट भट्ठे को जारी सहमति जल एवं सहमति वायु को

क्षेत्रीय कार्यालय, अयोध्या के पत्र संख्या-73/एफ-229/ रजनीश ब्रिक फील्ड/2022, दिनांक 29-04-2022 द्वारा खण्डित/रिवोक कर लिया गया।

प्रश्नगत ईंट भट्ठे के विरुद्ध अग्रेतर बन्दी आदेश संबंधी कार्यवाही किये जाने के अनुक्रम में ईंट भट्ठे के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा-31ए के अन्तर्गत बन्दी की कार्यवाही किये जाने के अनुक्रम में पत्र संख्या-एच 75646/सी-6/ईंट भट्ठा/166/का0ब0 नो0/अयोध्या/2022, दिनांक 13-05-2022 द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।

राज्य बोर्ड द्वारा उक्त ईंट भट्ठे के विरुद्ध की गयी उक्त कार्यवाही के परिप्रेक्ष्य में ईंट भट्ठा प्रोप्राईटर श्री धर्मेन्द्र कुमार सिंह द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद, खण्ड पीठ, लखनऊ में एक रिट याचिका-सी संख्या-3214 ऑफ 2022 मैसर्स रजनीश ब्रिक फील्ड थ्रू इट्स प्रोप्राईटर श्री धर्मेन्द्र कुमार सिंह व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य थ्रू अपर मुख्य सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग व अन्य दायर की गयी, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 30-05-2022 को आदेश पारित करते हुये ईंट भट्ठे के विरुद्ध राज्य बोर्ड द्वारा प्रश्नगत ईंट भट्ठे को संचालनार्थ जारी सहमति जल एवं सहमति वायु जो क्षेत्रीय कार्यालय, अयोध्या के पत्र दिनांक 29-04-2022 द्वारा खण्डित/रिवोक की गयी है, के सदर्भ में की जाने वाली किसी भी कार्यवाही के विरूद्ध स्थगन आदेश/स्टे आर्डर जारी किया गया है। वर्तमान में उक्त ईंट भट्ठा ऑफ सीजन होने के कारण बन्द है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद चित्रकूट के ग्राम पंचायत बछरन में नहर की पटरी मण्डी परिषद् रोड से कर्वी पहाड़ी राजापुर रोड तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण कराने विषयक

34-श्री अनिल प्रधान-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद चित्रकूट के ग्राम पंचायत बछरन में नहर की पटरी मण्डी परिषद् रोड से कर्वी पहाड़ी राजापुर रोड तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य सरकार कराऐगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रिजेश-

प्रश्नगत मार्ग की कुल लम्बाई 2.50 किमी0 है। मार्ग के क्षतिग्रस्त भाग की मरम्मत का कार्य की स्वीकृति वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद चित्रकूट में ग्राम पंचायत अर्जुनपुर में राजापुर पहड़ी सम्पर्क मार्ग से सालिकपुर प्राथमिक विद्यालय तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण कराने विषयक

35-श्री अनिल प्रधान-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद चित्रकूट के ग्राम पंचायत अर्जुनपुर में राजापुर पहाड़ी सम्पर्क मार्ग से सालिकपुर प्राथमिक विद्यालय तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य सरकार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रिजेश-

जी नहीं।

ग्राम अर्जुनपुर पहाड़ी-राजापुर मार्ग से एवं ग्राम सालिकपुर सगवारा सम्पर्क मार्ग से सिंगल कनेक्टीविटी (एकल सम्पर्क मार्ग) से जुड़े हुये हैं। प्रश्नगत मार्ग डबल कनेक्टीविटी से सम्बन्धित है। वर्तमान में लोक निर्माण विभाग में ग्रामों को डबल कनेक्टीविटी प्रदान करने की कोई योजना प्रचलित नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपर्युक्तानुसार।

प्रदेश में एन0ओ0सी0 प्राप्त होने के पश्चात् भी अवरुद्ध रेल ओवर ब्रिज का विवरण

36-श्री हर्षवर्धन बाजपेयी-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कितने ऐसे रेल ओवर ब्रिज हैं जिनकी एन0ओ0सी0 इत्यादि प्राप्त हो चुकी हैं किन्तु निर्माण कार्य रुका हुआ है? क्या सरकार उक्त निर्माण कार्यों को पूर्ण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रिजेश-

प्रदेश में कुल स्वीकृत 103 रेल ओवर ब्रिज का निर्माण कार्य रेलवे विभाग के सहयोग से सेतु निगम द्वारा कराया जा रहा है। भूमि अधिग्रहण के कारण 16 रेल उपरिगामी सेतुओं का निर्माण कार्य अवरुद्ध है। भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही पूर्ण होने के पश्चात् भूमि पर कब्जा मिलते ही दो वर्षों में रेल उपरिगामी सेतुओं का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया जायेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त जनपद प्रयागराज के 02 रेल सम्पारों पर सेना की भूमि पर निर्माण कार्य कराये जाने हेतु रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली से वर्किंग परमीशन प्राप्त किये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। कुल स्वींत 103 रेल ओवर ब्रिज में से 85 का निर्माण कार्य गतिमान है, जिनमें से वर्ष 2022-23 में 29, वित्तीय वर्ष 2023-24 में 32 एवं वर्ष 2024-25 में 24 का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया जायेगा।

प्रदेश के नगर निगमों तथा स्थानीय निकायों के सभासदों/पार्षदों को दिये जाने वाले भत्ते की जानकारी

37-श्री हर्षवर्धन बाजपेयी-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के नगर निगम तथा स्थानीय निकायों के सभासदों/ पार्षदों को किसी प्रकार का भत्ता नहीं दिया जाता है? यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त समाज सेवकों को भत्ता देने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

जी नहीं। निकाय की बैठकों में भाग लेने के लिये नगर पालिका एवं नगर पंचायतों के सभासदों को प्रतिमाह प्रति सभासद रु0 1000/-(रु0 एक हजार मात्र) तथा नगर निगमों के पार्षदों को प्रतिमाह प्रति पार्षद रु0 1500/- (एक हजार पाँच सौ मात्र) यात्रा भत्ता अनुमन्य है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता है।

जनपर कुशीनगर में स्थित लक्ष्मीगंज रामकोला चीनी मिल को पुनः चालू कराये जाने विषयक

38-श्री विनय प्रकाश गोंड-

क्या गन्ना विकास एवं चीनी मिलें मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कुशीनगर में स्थित लक्ष्मीगंज रामकोला चीनी मिल जो कि विगत कई वर्षों से बन्द है, को सरकार पुनः चालू करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लक्ष्मी नारायण-

लक्ष्मीगंज रामकोला चीनी मिलों को पुनः चालू कराये जाने की वर्तमान में कोई कार्य योजना विचाराधीन नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

वर्ष 2011 में तत्कालीन राज्य सरकार द्वारा लक्ष्मीगंज, रामकोला चीनी मिलों को निजी क्षेत्र की कम्पनियों को बेच दिया गया था। उक्त चीनी मिलों के विक्रय के सम्बन्ध में सी0बी0आई0 जांच प्रचलित है तथा उक्त के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में वाद भी लम्बित है।

जनपद कुशीनगर के कप्तानगंज-झांगा मार्ग का निर्माण कराये जाने सम्बन्धी

39-श्री विनय प्रकाश गोंड-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कुशीनगर के कप्तानगंज-झांगा मार्ग लम्बाई 17.85 कि0मी0 है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग का निर्माण कार्य कराएगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रिजेश-

कप्तानगंज झांगा मार्ग की वास्तविक लम्बाई 17.750 किमी0 है। उक्त मार्ग पूर्व से लेपित स्तर तक निर्मित है।

जनपर लखनऊ के गोमतीनगर विस्तार स्थित सुलभ आवास के निर्माण में हुई अनियमितता सम्बन्धी शिकायती पत्र पर कार्यवाही विषयक

40-डॉ0 असीम कुमार-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखनऊ के गोमती नगर विस्तार, सेक्टर-1 में स्थित सुलभ आवास के ब्लाक ए-9 के निर्माण में हुई अनियमितताओं विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या क-6 नं0 490961, दिनांक 12-05-2022 जो उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण को सम्बोधित है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी हाँ।

गोमती नगर विस्तार योजना, सेक्टर-1 में स्थित एवं पूर्व से निर्मित सुलभ आवासों की पूर्व निर्माण एजेसी मेसर्स सिन्टेक्स प्रीफैब एण्ड इन्फ्रा लिमिटेड द्वारा किये गये निर्माण उपरान्त नियमित रूप से प्राप्त होने वाली सीपेज सम्बन्धी शिकायतों का निस्तारण न किये जाने एवं आवंटियों को कब्जा प्रदान न किये जाने के फलस्वरूप एजेंसी का अनुबन्ध निरस्त कर निविदाओं में प्रतिभाग करने से डिबार करते हुए उनके हर्जे-खर्चे पर सुलभ आवासों के अन्तर्गत प्राप्त होने वाली सीपेज/लीकेज सम्बन्धी शिकायतों के निस्तारण हेतु नवीन निविदा आमंत्रित करते हुए, स्वीकृति उपरान्त अन्य एजेंसी को अनुबन्धित किया गया है। वर्तमान एजेंसी के माध्यम से स्थल पर प्राप्त होने वाले निबन्धनों के आधार पर आवंटियों को संतोषजनक रूप से कब्जे प्रदान किये जो रहे हैं, साथ ही स्थल पर विभिन्न फ्लैटों के अन्तर्गत प्राप्त हो रही सीपेज/लीकेज सम्बन्धी शिकायतों का निराकरण समय-समय पर किया जा रहा है। उक्त के क्रम में ए-9 ब्लाक का निरीक्षण करते हुए छत से हो रही सीपेज की मरम्मत/सुधार का कार्य पूर्ण करा दिया गया है तथा उक्त ब्लाक के फ्लैटों के अन्दर पानी टपकने, क्षतिग्रस्त प्लास्टर का सुधार करने अथवा दीवारों में आ रही सीपेज/लीकेज की मरम्मत/सुधार का कार्य कराया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

नगर निगम झांसी के वार्ड नं0 22 बिजौली मौजे के चौकापाठा एवं वार्ड नं0-24 सिमराहा के कारापाठा में विद्युतीकरण से सम्बन्धित मा0 ऊर्जा मंत्री के पत्र पर कार्यवाही का विवरण

41-श्री रवि शर्मा-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उनका पत्रांक 638, दिनांक 13 जून, 2022 जो कि नगर निगम, झांसी के वार्ड नं0-22, बिजौली मौजे के चौकापाठा एवं वार्ड नं0-24 सिमराहा मौजे के कारापाठा में विद्युतीकरण से सम्बन्धित आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रबन्ध निदेशक दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, आगरा को प्रेषित किया गया है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

जी हाँ।

अधिशासी अभियन्ता (नोडल अधिकारी, बुन्देलखण्ड विकास निधि) प्रान्तीय लोक निर्माण विभाग, झांसी के कार्यालय पत्रांक 741/5सी/बु0 वि0नि0/22-23, दिनांक 16 जून, 2022 के अनुपालन में बुन्देलखण्ड विकास निधि के अन्तर्गत वार्ड सं0 22 बिजौली मौजा के चौकापाठा के विद्युतीकरण हेतु धनराशि रु0 39.48 लाख का प्राक्कलन कार्यालय पत्रांक : 6463 वि0न0वि0ख0/ दवि/झांसी दिनांक 19/07/2022 द्वारा अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय लोक निर्माण विभाग झांसी को प्रेषित किया गया है। धनराशि अप्राप्त है।

2-परियोजना निदेशक जिला ग्राम विकास अभिकरण झांसी के कार्यालय पत्रांक 213/पी0-25/वि0न0क्षे0वि0नि0/प्राक्कलन/2022-23, दिनांक 16 जून 2022 के क्रम में वार्ड सं0-24 सिमराहा के करापाठा के विद्युतीकरण हेतु धनराशि रु0 32.92 लाख का प्राक्कलन अधिशासी अभियन्ता, वि0वि0ख-द्वितीय के कार्यालय के पत्रांक : 7481/वि0न0वि0ख0-दवि0/झांसी, दिनांक 20 अगस्त, 2022 द्वारा परियोजना निदेशक जिला ग्राम विकास अभिकरण झासी को प्रेषित किया गया है जिसकी धनराशि अप्राप्त है।

उक्त धनराशि प्राप्त होने पर शीर्ष प्राथमिकता पर विद्युतीकरण का कार्य कराया जाना सम्भव है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद झांसी पेयजल पुनर्गठन योजना फेज 1 व 2 झांसी नगर क्षेत्र में पूर्ण कराये जाने विषयक मा0 मंत्री के पत्र पर कार्यवाही के विवरण की मांग

42-श्री रवि शर्मा-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उनका पत्रांक : 641, दिनांक 13 जून, 2022 जोकि जनपद झांसी पेयजल पुनर्गठन योजना फेज 1 एवं 2, झांसी नगर क्षेत्र में पूर्ण कराये जाने के लिए आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रमुख सचिव, नगर विकास लखनऊ को प्रेषित

किया गया है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

जी हां।

उक्त पत्र के क्रम में शासन के पत्र संख्या-न0वि0मंत्री-245/नौ-5-2022-48सा0/2022, दिनाक 15-09-2022 द्वारा प्रबंध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम (नगरीय), लखनऊ तथा नगर आयुक्त, नगर निगम, झाँसी को नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्देशित कर दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद झाँसी नगर के प्रेमनगर, नगरा क्षेत्र में रिक्त पड़ी भूमि पर प्रधानमंत्री आवास योजनान्तर्गत आवासीय कालोनी बनाये जाने विषयक मा0 मंत्री के पत्र पर कार्यवाही के विवरण की मांग

43-श्री रवि शर्मा-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उनके पत्रांक : 60, दिनांक 04 मई, 2022 पत्र जो कि जनपद झांसी नगर के प्रेमनगर, नगरा क्षेत्र के गढ़िया गांव में नगर निगम, झांसी की रिक्त भूमि पर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवासीय कालोनी बनाये जाने से सम्बन्धित अपर मुख्य सचिव, नगर विकास लखनऊ को प्रेषित किया गया है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

जी हाँ।

दुर्बल आय वर्ग के आवासों के निर्माण हेतु स्थानीय नगर निगम द्वारा भूमि की उपलब्धता एवं डूडा द्वारा लाभार्थियों की पहचान के उपरांत आवासीय योजना बनाना प्रस्तावित है। इस संदर्भ में शासन के पत्र दिनांक 19-09-2022 के माध्यम से झांसी विकास प्राधिकरण तथा नगर निगम, झांसी को निर्देश दिये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद झांसी नगर के कोछाभावर क्षेत्र में मिट्टी के मटके के बनाने वाले कार्य के उत्थान विषयक

44-श्री रवि शर्मा-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद झांसी नगर के कोछाभावर क्षेत्र में मिट्टी के मटके बनाने का कार्य के उत्थान के दृष्टिगत उक्त कार्य करने वाले

ग्रामवासियों की सुविधा के लिए सार्वजनिक चाक का निर्माण कराने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

झाँसी नगर निगम सीमान्तर्गत मौजा कोछाभावर में मिट्टी के मटके बनाने वाले स्थानीय लोगों द्वारा सार्वजनिक चाक निर्माण के संबंध में कोई आवेदन नहीं दिया गया है और न ही कोई मांग की गयी है।

अतः स्थानीय लोगों द्वारा ऐसी मांग प्रस्तुत करने पर नियमानुसार विचार किया जाना सम्भव हो सकेगा।

उपरोक्तानुसार।

जनपद आजमगढ़ की नगर पंचायत कटघर लालगंज के हनुमान नदी में कतिपय गाटा संख्या पर जल भराव की समस्या दूर करने विषयक

45-डॉ0 रागिनी-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ की नगर पंचायत कटघर लालगंज के हनुमानगढ़ी में गाटा सं0-27, 59, 64, 65, 153, 154, 155 कृषि योग्य भूमि पर सीवर का गन्दा पानी इकट्ठा होने से जन-मानस को समस्या का सामना करना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त के निवारण हेतु कोई कार्य योजना बनायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

नगर पंचायत कटघर लालगज, आजमगढ़ के वार्ड नं0-02 मोहल्ला-हनुमानगढ़ में गाटा संख्या-27, 59, 64, 65, 153, 154, 155 के निकट गड़ही स्थित है। जिसमें पूर्व से निर्मित नाला का पानी अस्थाई रूप से गिरता है। बरसात के मौसम में गड़ही में जलभराव अधिक हो जाने के कारण गड़ही का पानी निकट के खेतों में फैल जाता है।

उक्त समस्या के स्थायी समाधान हेतु पन्द्रहवाँ वित्त आयोग में प्रस्तावित कार्य योजना वार्ड नं0-2 मो0-हनुमानगढ़ में भीरा चौराहा से शिवपूजन यादव के मकान तक/पूर्व में निर्मित आर0सी0सी0 नाला तक सड़क के पूरब गड़ही को मिट्टी से पाट कर कवर्ड आर0सी0सी0 नाला का निर्माण कार्य प्रक्रियाधीन है। वर्तमान में प्रश्नगत कार्यस्थल पर मिट्टी का कार्य हो चुका है। नाले के निर्माण के लिये मिट्टी की कटिंग करते समय तालाब का जलस्तर ऊपर होने के कारण ट्रेंच में पानी भर जा रहा है, वर्षा ऋतु समाप्त होने/जलस्तर कम होने पर नाले का पक्का कार्य कराया जायेगा।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद अम्बेडकरनगर की तहसील आलापुर के थाना जहांगीरगंज में सार्वजनिक मार्ग को अतिक्रमण से मुक्त कराने विषयक

46-डॉ0 रागिनी-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद अम्बेडकरनगर की तहसील आलापुर के थाना जहांगीरगंज के पश्चिम में मुख्य रोड से निकल कर दक्षिण की तरफ नहर तक निकला सार्वजनिक मार्ग पर दबंगों द्वारा कब्जा कर लिया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग को कब्ज़ा मुक्त कराकर निर्माण कार्य करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

अब तक ऐसा कोई साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है।

प्रश्न नहीं उठता है।

प्रश्न नहीं उठता है।

नगर पंचायत जहाँगीरगंज के राजस्व अभिलेख में थाना जहाँगीरगंज के पश्चिम में मुख्य रोड से निकल कर दक्षिण की तरफ कोई रास्ता दर्ज नहीं है। प्रश्नांकित मार्ग गाटा संख्या-572 श्रीमती महिमा, श्री राजेन्द्र प्रसाद आदि की खतौनी है, जिस पर वर्तमान में लोग आबाद हैं।

लखनऊ के उत्तर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत के फैजुल्लागंज में वर्षा ऋतु में जल निकासी की व्यवस्था कराये जाने विषयक

47-डॉ0 नीरज बोरा-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखनऊ के उत्तर विधान सभा क्षेत्र के फैजुल्लागंज में वर्षा ऋतु में भीषण जलभराव की समस्या उत्पन्न होती है तथा अधिकांश नाले भरे रहते हैं तथा कई स्थानों पर जल निकासी हेतु नाले नहीं है ? यदि हां, तो क्या सरकार जनता को होने वाली समस्या के दृष्टिगत उक्त क्षेत्र में जल-निकासी की व्यवस्था करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 में अवस्थापना विकास निधि के अन्तर्गत फैजुल्लागंज द्वितीय बार्ड में जगलाल पेट्रोल टंकी से गणेश विहार, हनुमन्तपुरम, जैन कालोनी होते हुए गोमती नदी स्थित नाले तक आर0सी0सी0 ह्यूम पाइप द्वारा नाले के निर्माण कार्य हेतु धनराशि रू0 400.00 लाख स्वीकृत किया गया है, जिस पर अग्रिम कार्यवाही लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा की जा रही है।

फैजुल्लागंज बार्डों के अन्तर्गत आई0आई0एम0 रोड समेरा गौढ़ी से गौरभीठ होते हुए गोमती नदी की ओर जाने वाले 9.4 किमी0 के नाला निर्माण हेतु धनराशि रु0 4517.80 लाख का प्रस्ताव तैयार किया गया है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा डालीगंज लखनऊ में आई0टी0आई0 हेतु चिन्हित भूमि से अतिक्रमण हटवाये जाने विषयक

48-डॉ0 नीरज बोरा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा डालीगंज लखनऊ में आई0टी0आई0 बनाये जाने के लिए चिन्हित भूमि से अतिक्रमण नहीं हटाये जाने के कारण शासन द्वारा धनराशि आवंटन के उपरान्त भी उक्त स्थान पर निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं हो पा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार चिन्हित भूमि से अतिक्रमण हटवाना सुनिश्चित करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

चिन्हित भूमि वर्ष 1950 के दशक से पूर्वी बंगाल की विस्थापित महिलाओं के कल्याण हेतु पूर्वी बंगाल महिला उत्पादन केन्द्र, डालीगंज (संचालन द्वारा जिलाधिकारी, लखनऊ), वर्ष 1962 में निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन तथा वर्तमान में वर्ष 2000 से प्रधानाचार्य, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, अलीगंज, लखनऊ के प्रशासनिक नियंत्रण में रहा है, किन्तु इस भूमि को उपरोक्तानुसार संस्थाओं को प्रदान किये जाने सम्बन्धी कोई भी अभिलेख लखनऊ विकास प्राधिकरण में नहीं पाये गये हैं। ऐसी स्थिति में उक्त भूमि पर काफी पुराने समय से व्यक्तियों के अध्यासित होने के सम्बन्ध में प्रधानाचार्य, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, अलीगंज, लखनऊ द्वारा अभिलेख प्रस्तुत किया जाना है। प्रधानाचार्य, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, अलीगंज, लखनऊ से सूचना मिलने के पश्चात् ही चिन्हित भूमि पर अध्यासित लोगों पर विधिक कार्यवाही की जा सकेगी।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा जानकीपुरम सेक्टर-जे में श्मशान पार्क विवाद के कारण लम्बित पार्क के सौन्दर्यीकरण विषयक कार्य योजना

49-डॉ0 नीरज बोरा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा जानकीपुरम सेक्टर-जे में श्मशान और पार्क विवाद के दृष्टिगत श्मशान को अन्य क्षेत्र में निर्मित कर पार्क निर्माण की सहमति दी गई थी ? यदि हां, तो क्या सरकार के संज्ञान में है कि उक्त कार्य पिछले चार वर्षों से लम्बित है ? क्या सरकार उक्त प्रश्नगत कार्य करायेगी ? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी हाँ।

लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा जानकीपुरम् कालोनी के सेक्टर-जे में पार्क की मरम्मत एवं सौन्दर्यीकरण कार्य स्थल पर कराया जा रहा था। पार्क के तीनों तरफ की बाउण्ड्रीवाल का निर्माण कार्य कराया जा चुका है। अवशेष पार्क के बाउण्ड्रीवाल का निर्माण कार्य कराये जाते समय गाँव के किसानों द्वारा श्मशान स्थल पर बाउण्ड्रीवाल के निर्माण कार्य में अवरोध उत्पन्न किये जाने के कारण अवशेष बाउण्ड्रीवाल का निर्माण कार्य अपूर्ण है। स्थानीय आवंटियों द्वारा पार्क के सौन्दर्यीकरण के लिए कहा जा रहा है। परन्तु ग्रामवासियों द्वारा पहले श्मशान स्थल विकसित किये जाने के उपरान्त ही अन्य कार्य कराये जाने हेतु कहा जा रहा है। इसी विवाद के कारण वर्तमान में कार्य रुका हुआ है। यहाँ यह भी अवगत कराना है कि जानकीपुरम् योजना, सेक्टर-जे स्थित पार्क में स्थित श्मशान को सम्पत्ति विक्रय के समय आवंटियों के पक्ष में निष्पादित डीड के साथ संलग्न लीज प्लान में भी दर्शाया गया है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद लखनऊ में उत्तर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत निराला नगर स्थित पटेल पार्क का सौन्दर्यीकरण विषयक

50-डॉ0 नीरज बोरा-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखनऊ में उत्तर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत निराला नगर स्थित पटेल पार्क का सौन्दर्यीकरण कार्य अमृत योजना के अन्तर्गत लगभग चार वर्ष पूर्व स्वीकृत है, किन्तु वर्ष 2022 में वर्तमान तक उक्त कार्य पूर्ण नहीं

हो पाया है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त कार्य में विलम्ब के लिए जिम्मेदारों का उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए विलम्ब हेतु दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए पार्क सौन्दर्यीकरण का कार्य पूर्ण करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

जनपद लखनऊ में उत्तर विधान सभा क्षेत्र के निराला नगर स्थित पटेल पार्क का सौन्दर्यीकरण अमृत योजनान्तर्गत सैप वर्ष 2016-17 में स्वीकृत है। उक्त पार्क के निर्माण की कार्य योजना में सम्मिलित कार्य यथा-पाथवे, बाउन्ड्रीवाल, चाईल्ड फ्रेन्डली इक्वीपमेन्ट, बैन्चेस, अम्ब्रेला फाइबर टॉप, बोलार्ड लाइट एवं हार्टीकल्चर आदि का कार्य पूर्ण कराया जा चुका है। शेष कार्य शीघ्र पूर्ण करा दिया जायेगा।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ विकास प्राधिकरण की जानकीपुरम और प्रियदर्शनी कालोनी योजना में आवासीय एवं व्यवसायिक भू-खण्डों की जानकारी विषयक

51-डॉ0 नीरज बोरा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ विकास प्राधिकरण की जानकीपुरम और प्रियदर्शिनी कालोनी योजना में आवासीय एवं व्यवसायिक भू-खण्ड रिक्त पड़े हैं ? यदि हां, तो रिक्त भू-खण्डों का विवरण क्या है ? क्या सरकार के संज्ञान में है कि उक्त रिक्त भू-खण्डों पर झुग्गी-झोपड़ी का अतिक्रमण है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त भू-खण्डों से अतिक्रमण हटवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी हाँ।

लखनऊ विकास प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं में व्यवसायिक/ग्रुप-हाउसिंग/ नर्सिंग-होम एवं स्कूल भू-खण्डों को ई-नीलामी के माध्यम से पंजीकरण खोला जा चुका है, जिसकी पंजीकरण तिथि 01-09-2022 से 10-10-2022 तक है। रिक्त भू-खण्डों की सूची संलग्न है।[†]

संज्ञान में आने पर जिन भू-खण्डों पर झुग्गी-झोपड़ी होने की सूचना प्राप्त होती है, पुलिस बल के सहयोग से उन्हें समय-समय पर हटाया जाता है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

[†] छापी नही गई।

जनपद प्रयागराज के विधान सभा क्षेत्र बारा में लोक-निर्माण विभाग द्वारा सड़कों की मरम्मत एवं चौड़ीकरण कराये जाने विषयक

52-श्री वाचस्पति-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रयागराज के विधान सभा क्षेत्र बारा की लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्मित अधिकांश सड़कों को विशेष मरम्मत एवं चौड़ीकरण का कार्य सरकार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रिजेश-

जी हाँ।

प्रश्नगत मार्गों की स्वीकृति वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद प्रयागराज के विधान सभा क्षेत्र बारा में बिजली के जर्जर तारों को बदलवाने विषयक

53-श्री वाचस्पति-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रयागराज के विधान सभा क्षेत्र बारा में बिजली के अधिकांश तार पुराने/जर्जर होने के कारण तारों के टूटने से आगजनी की समस्या बनी रहती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त विद्युत तारों को बदलवाने का कार्य करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

जनपद-प्रयागराज के विधान सभा क्षेत्र बारा में विद्युत लाइनों का परीक्षण कराया गया है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार एक हजार से अधिक आबादी वाले चयनित मजरों में ए0डी0बी0 ऋण पोषित योजना के अन्तर्गत जर्जर तार को ए0बी0सी0 से बदलने का कार्य प्रगति में है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के समस्त पेट्रोल पम्पों पर शौचालय का निर्माण कराने विषयक

54-श्रीमती पिंकी सिंह यादव-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के समस्त पेट्रोल पम्पों पर महिलाओं के लिए शौचालय निर्माण कराना सरकार सुनिश्चित कराएगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रिजेश-

प्रदेश में पेट्रोल पम्पों के आवंटन का कार्य पेट्रोलियम मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जाता है एवं पेट्रोल पम्पों का नियंत्रण भी पेट्रोलियम मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन है। भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड के सिटीजन चार्टर के अनुसार पेट्रोल पम्प पर फर्स्ट एड बॉक्स, टायलेट एवं सुरक्षा संयंत्र की व्यवस्था किया जाना वैधानिक आवश्यकता है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता है।

प्रदेश में शहरों एवं कस्बों में यातायात बाधित होने की समस्या से निदान हेतु बागपत के बड़ौत कस्बे ने बाईपास के निर्माण हेतु

55-श्री अजय कुमार -

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में शहरों एवं कस्बों में यातायात बाधित होने की समस्या के समाधान के लिए बाईपास हेतु धनराशि की व्यवस्था चालू वित्तीय वर्ष में की गई है ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि जनपद बागपत के बड़ौत कस्बे में बाईपास का निर्माण करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रजेश-

लोक निर्माण विभाग के मार्गों पर कस्बों में यातायात बाधित होने की समस्या के समाधान के लिये बाईपास निर्माण हेतु धन व्यवस्था चालू वित्तीय वर्ष में की गयी है। जनपद बागपत में बड़ौत कस्बे के मध्य से राष्ट्रीय राजमार्ग 709बी गुजरता है, जोकि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण भारत सरकार के अधीन 4 लेन में निर्मित है एवं सुगम यातायात हेतु उपलब्ध है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण भारत सरकार से प्राप्त आख्या के अनुसार दिल्ली-सहारनपुर-देहरादून तक एक ग्रीनफील्ड इकोनोमिक कॉरीडोर का निर्माण कराया जा रहा है, जिससे कस्बा बड़ौत से होकर आगे शामली, सहारनपुर, देहरादून एवं उत्तराखण्ड जाने वाले वाहनों की संख्या में कमी से कस्बे में स्थानीय यातायात सुगम होने की सम्भावना है।

जनपद रायबरेली के शिवाजी नगर में डायट के सामने लगे ट्रांसफार्मर की क्षमता बढ़ाये जाने विषयक

56-श्री पंकज कुमार मलिक-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद रायबरेली के शिवाजी नगर के बी0टी0सी0 (डायट) विद्यालय के सामने लगा हुआ 250 के0वी0ए0 का ट्रांसफार्मर पर लोड अधिक होने के कारण लाइन लास के कारण आम जनमानस को समस्या का सामना करना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त ट्रांसफार्मर की क्षमता बढ़ाकर 400 के0वी0ए0 करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

जनपद-रायबरेली के शिवाजी नगर के बी0टी0सी0 (डायट) विद्यालय के सामने लगा हुआ 250 के0वी0ए0 का ट्रान्सफार्मर अतिभारित नहीं है अपितु सन्दर्भित ट्रान्सफार्मर से निर्गत एल0टी0 लाइन लम्बी होने के कारण अन्तिम छोर पर लो वोल्टेज की समस्या बनी रहती है जिसके निदान हेतु अन्तिम छोर तक एच0टी0 लाइन का निर्माण कराकर एवं एक अतिरिक्त 100 के0वी0ए0 का ट्रान्सफार्मर लगाया जाना रिवैम्प्ड योजना में प्रस्तावित है। योजनान्तर्गत आवश्यक स्वीकृति एवं धन की उपलब्धता पर उक्त कार्य कराया जाना सम्भव है।

250 के0वी0ए0 ट्रान्सफार्मर अतिभारित नहीं है। अतः इसकी क्षमतावृद्धि न कर अतिरिक्त 100 के0वी0ए0 का परिवर्तक लगाया जाना प्रस्तावित है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मुजफ्फरनगर तथा शामली में स्थित चीनी मिल व पेपर मिल द्वारा फैलाये जा रहे प्रदूषण की जांच कराकर कार्यवाही कराने विषयक

57-श्री पंकज मलिक-

क्या पर्यावरण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मुजफ्फरनगर तथा शामली में स्थित चीनी तथा पेपर मिल द्वारा वायु तथा जल प्रदूषण फैलाया जा रहा है ? क्या सरकार बातयेगी कि उक्त मिलों में प्रदूषण स्तर का समयबद्ध निरीक्षण किया गया है ? यदि हां, तो कब ? क्या सरकार शामली तथा खतौली चीनी मिलों में प्रदूषण स्तर की जांच कर कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डॉ0 अरूण कुमार-

जी नहीं।

जनपद मुजफ्फरनगर एवं शामली के अन्तर्गत कुल 11 शुगर उद्योग एवं 35 पेपर उद्योग स्थापित हैं। वर्तमान में समस्त शुगर उद्योग ऑफ सीजन होने के कारण संचालित नहीं हैं। उक्त सभी शुगर उद्योगों एवं पल्प एण्ड पेपर उद्योगों में जल प्रदूषण नियंत्रण हेतु उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र स्थापित है, तथा उक्त उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र के माध्यम से उत्प्रवाह को शोधित किया जाता है। उक्त सभी उद्योगों में उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र से निस्तारित शुद्धिकृत उत्प्रवाह के परिचालकों के नियमित आनलाईन अनुश्रवण हेतु आनलाईन कॉन्टिन्युअस एफ्लुएन्ट मॉनिटरिंग सिस्टम भी स्थापित है, जोकि केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सर्वर से संयोजित है। उक्त सभी शुगर उद्योगों एवं पल्प एण्ड पेपर उद्योगों में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था स्थापित हैं। समस्त चिमनियों पर गैसीय उत्सर्जन की सतत् मॉनिटरिंग हेतु आनलाइन कान्टिन्यूअस इमीशन मॉनिटरिंग सिस्टम भी

स्थापित है, जोकि केन्द्रीय प्रदूषण नियत्रण बोर्ड दिल्ली एवं उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड लखनऊ के सर्वर से संयोजित है।

उक्त सभी उद्योगों में स्थापित उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था का रख-रखाव तथा सुचारु संचालन का उत्तरदायित्व संबंधित उद्योग का स्वयं का होता है। इसके अतिरिक्त प्रभावी प्रदूषण नियंत्रण एवं अनुश्रवण हेतु उक्त उद्योग का नियमित अन्तराल पर निरीक्षण/अनुश्रवण राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा किया जाता है एवं केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अधिकृत थर्ड पार्टी टेक्निकल इंस्टीट्यूशन द्वारा भी निरीक्षण किया जाता है।

निरीक्षण के दौरान पायी गयी कमियों के आधार पर सम्बन्धित उद्योग के विरुद्ध नियमानुसार जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 तथा वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत नियमानुसार कार्यवाही जैसे-निर्देश/कारण बताओ नोटिस आदि की कार्यवाही की जाती है।

राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा पूर्व में खतौली स्थित मैसर्स त्रिवेणी इंजीनियरिंग एण्ड इण्डस्ट्रीज लि0, खतौली के निरीक्षण के समय पायी गयी कमियों के दृष्टिगत उक्त उद्योग के विरुद्ध जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के प्राविधानों का अनुपालन न पाये जाने पर रुपये 32-40 लाख पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की गयी है। इसके अतिरिक्त राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा पूर्व में शामली स्थित मैसर्स अपर दोआब शुगर मिल, शामली के निरीक्षण के समय पायी गयी कमियों के दृष्टिगत उक्त उद्योग के विरुद्ध जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के प्राविधानों का अनुपालन न पाये जाने पर रुपये 6-90 लाख एवं रुपये 0-60 लाख पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की गयी थी। उक्त उद्योग द्वारा सम्पूर्ण अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति को राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के खाते में जमा करा दी गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बांदा के विधान सभा क्षेत्र नरैनी अन्तर्गत स्थित कस्बा अतर्रा में झासी प्रयागराज रेलवे लाइन पर ओवर ब्रिज निर्माण विषयक

58-श्रीमती ओममणी वर्मा-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बांदा के विधान सभा क्षेत्र नरैनी के अन्तर्गत स्थित कस्बा अतर्रा में झांसी प्रयागराज रेलवे लाइन के कारण विसण्डा रोड रेलवे फाटक पर जाम लगा रहता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त रेलवे क्रांसिग गेट पर ओवरब्रिज निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रिजेश-

प्रश्नगत रेल उपरिगामी सेतु के निर्माण के लिए फिजिबिलटी स्टडी की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

फिजिबिलटी स्टडी के उपरान्त उक्त सम्पार पर रेल उपरिगामी सेतु का निर्माण फिजिबिल पाये जाने पर उक्त रेल उपरिगामी सेतु का निर्माण वित्तीय संशाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

जनपद बांदा के कस्बा अतर्रा की मुख्य बाजार में जाम की समस्या से निजात हेतु रिंग रोड का निर्माण कराने विषयक

59-श्रीमती ओममणी वर्मा-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बांदा के कस्बा अतर्रा से राष्ट्रीय मार्ग सं0-35 कबरई-प्रयागराज व राज्य मार्ग सं0 71 जो कस्बा अतर्रा की मुख्य बाजार में आपस में मिलते हैं, जिसके कारण वहाँ भीषण जाम की समस्या बनी रहती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त कस्बा अतर्रा में रिंग रोड का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बृजेश सिंह-

जनपद बांदा के अन्तर्गत कस्बा अतर्रा में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-35 के राजमार्ग संख्या-71 क्रॉस करता है। वर्तमान में कस्बा अतर्रा में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-35 के लिपित सतह की चौड़ाई 10.00 मी0 एवं राजमार्ग संख्या-71 की लेपित सतह की चौड़ाई 7.00 मी0 है। अतर्रा कस्बा में पटरी पर अस्थाई अतिक्रमण एवं रेलवे फाटक होने के कारण यदाकदा जाम की समस्या हो जाती है। समय-समय पर जिला प्रशासन के सहयोग से अस्थाई अतिक्रमण हटाया जाता है। अतर्रा कस्बा में सामान्यतः स्थाई जाम की समस्या नहीं है।

जनपद फतेहपुर के विधान सभा क्षेत्र जहानाबाद अन्तर्गत विकास खण्ड अमौली को नगर पंचायत बनाने विषयक

60-श्री राजेन्द्र सिंह पटेल-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फतेहपुर के विधान सभा क्षेत्र जहानाबाद के अन्तर्गत विकास खण्ड अमौली को नगर पंचायत बनाने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

जी नहीं।

नगर पंचायत के गठन हेतु शासनादेश संख्या-2979/9-1-2016-426सा/14, दिनांक 06 अक्टूबर, 2016 द्वारा मानकों का निर्धारण किया गया है, विकास खण्ड अमौली उक्त शासनादेश में नगर पंचायत घोषित किये जाने संबंधी निर्धारित मानकों को पूरा नहीं करता है। अतः विकास खण्ड अमौली को नियमानुसार नगर पंचायत घोषित किया जाना सम्भव नहीं है।

जनपद फतेहपुर के विधान सभा क्षेत्र जहानाबाद के अन्तर्गत देवमई ग्राम सभा को नगर पंचायत बनाने विषयक

61-श्री राजेन्द्र सिंह पटेल-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फतेहपुर के विधान सभा क्षेत्र जहानाबाद के अन्तर्गत देवमई ग्राम सभा को नगर नगर पंचायत बनाने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

जी नहीं।

नगर पंचायत के गठन हेतु शासनादेश संख्या-2979/9-1-2016-426सा/14, दिनांक 06 अक्टूबर, 2016 द्वारा मानकों का निर्धारण किया गया है, देवमई ग्राम सभा उक्त शासनादेश में नगर पंचायत घोषित किये जाने संबंधी निर्धारित मानकों को पूरा नहीं करता है। अतः देवमई ग्राम सभा को नियमानुसार नगर पंचायत घोषित किया जाना सम्भव नहीं है।

जनपद फतेहपुर के विधान सभा क्षेत्र जहानाबाद के ब्लाक खजुहा में ग्राम सभा खजुहा को नगर पंचायत बनाने विषयक

62-श्री राजेन्द्र सिंह पटेल-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फतेहपुर के विधान सभा क्षेत्र जहानाबाद के ब्लाक खजुहा में ग्राम सभा खजुहा को नगर पंचायत बनाने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

जी नहीं।

राजस्व अभिलेखों के अनुसार विकास खण्ड खजुहा के अन्तर्गत कुल 09 न्याय पंचायत, 74 ग्राम पंचायत एवं 107 राजस्व ग्राम हैं, जिसमें खजुहा नाम से कोई भी राजस्व ग्राम, ग्राम पंचायत व न्याय पंचायत नहीं है।

जनपद फतेहपुर के विधान सभा क्षेत्र जहानाबाद के ब्लाक खजुहर में ग्राम सभा सिजौली को नगर पंचायत बनाने विषयक

63-राजेन्द्र सिंह पटेल-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फतेहपुर के विधान सभा क्षेत्र जहानाबाद के ब्लाक खजुहा में ग्राम सभा सिजौली को नगर पंचायत बनाने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

जी नहीं।

नगर पंचायत के गठन हेतु शासनादेश संख्या-2979/9-1-2016-426सा/14, दिनांक 06 अक्टूबर, 2016 द्वारा मानकों का निर्धारण किया गया है, जनपद फतेहपुर के विधान सभा क्षेत्र जहानाबाद के ब्लाक खजुहा में ग्राम सभा सिजौली, उक्त शासनादेश में नगर पंचायत घोषित किये जाने संबंधी निर्धारित मानकों को पूरा नहीं करती है। अतः ग्राम सभा सिजौली को नियमानुसार नगर पंचायत घोषित किया जाना सम्भव नहीं है।

जनपद बुलन्दशहर के विधान सभा क्षेत्र बुलन्दशहर सदर के गंगा नगर पार्क के सौन्दर्यीकरण तथा सड़कों के निर्माण के सम्बन्ध में

64-श्री प्रदीप कुमार चौधरी-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बुलन्दशहर के विधान सभा क्षेत्र बुलन्दशहर सदर के गंगा नगर में ग्रीनवेल्ट का सौन्दर्यीकरण पार्क में उपकरण व गंगा नगर की टूटी हुई सड़कों का निर्माण करने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

जनपद बुलन्दशहर के विधान सभा क्षेत्र बुलन्दशहर सदर का गंगा नगर क्षेत्र पालिका में उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर नगर पालिका सीमान्तर्गत नहीं आता है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद बुलन्दशहर के विधान सभा क्षेत्र बुलन्दशहर सदर की यमुनापुरम में टूटी हुई सड़कों के निर्माण विषयक

65-श्री प्रदीप कुमार चौधरी-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बुलन्दशहर के विधान सभा क्षेत्र बुलन्दशहर सदर की यमुनापुरम में टूटी हुई सड़कों का निर्माण कार्य सरकार करवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

नगर पालिका द्वारा अपने सीमित संसाधनों से सड़कों/नाली/पार्कों के सौन्दर्यीकरण आदि के कार्य प्रस्तावित कर, कार्य कराने की कार्यवाही की जाती है। वर्तमान में यमुनापुरम कॉलोनी में 7 सड़कों के निर्माण का कार्य अंकन 242.37 लाख के प्रगति पर है। अन्य सड़कों का निर्माण धनराशि की उपलब्धता के अनुसार कराया जायेगा।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बुलन्दशहर के सदर विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत ग्राम सैदपुर, ग्राम धमेड़ा से बाईपास रोड रामा मिल स्याना रोड तक के मार्ग चौड़ीकरण कराने विषयक

66-श्री प्रदीप कुमार चौधरी-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बुलन्दशहर के विधान सभा क्षेत्र सदर के ग्राम सैदपुर मार्ग पर ग्राम धमेड़ा से बाईपास रोड रामा मिल स्याना रोड तक का मार्ग चौड़ीकरण सरकार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रिजेश-

प्रश्नगत मार्ग ग्रामीण श्रेणी का मार्ग है और लोक निर्माण विभाग में ग्रामीण श्रेणी के मार्गों के चौड़ीकरण की वर्तमान में कोई नीति नहीं है। अतः प्रश्नगत मार्ग का चौड़ीकरण विभागीय नीति से आच्छादित नहीं है।

जनपद बुलन्दशहर के विधान सभा क्षेत्र बुलन्दशहर के पसवरा राजवाहे पर गढिया चौराहे से जौलीगढ़ तक पटरी पर सड़क का निर्माण कराने विषयक

67-श्री प्रदीप कुमार चौधरी-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बुलन्दशहर के विधान सभा क्षेत्र बुलन्दशहर के पसवरा रजवाहे पर गढिया चौराहे से जौलीगढ़ तक पटरी पर सड़क का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रिजेश-

जनपद बुलन्दशहर की विधान सभा सदर के ग्राम पवसरा रजवाहे पर गढ़िया एवं जौलीगढ़ तक पक्के मार्ग की लम्बाई 9.100 किमी0 है। ग्राम गढ़िया एवं जौलीगढ़ पूर्व से ही पक्के मार्ग से जुड़े हैं। ग्रामों को डबल कनेक्टिविटी से जोड़े जाने की कोई योजना लोक निर्माण विभाग की प्रचलित नीतियों से आच्छादित नहीं है।

उपर्युक्तानुसार ।

उपर्युक्तानुसार ।

जनपद आगरा के विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर सीकरी के ब्लाक पनवारी ग्राम की आबादी में पी0डब्लू0डी0 द्वारा निर्मित मार्ग का पुनर्निर्माण कराने के सम्बन्ध में

68-श्री बाबूलाल-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा के विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर सीकरी के ब्लाक अछनेरा के पनवारी ग्राम की आबादी में पी0डब्लू0डी0 द्वारा निर्मित मार्ग का पुनर्निर्माण सरकार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रिजेश-

जनपद आगरा के विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर सीकरी के ब्लाक अछनेरा के ग्राम पनवारी में एन0एच0-2 से दक्षिणी बाईपास मार्ग, जऊपुरा से पनवारी मार्ग तथा पनवारी से लोह करेरा मार्ग की स्थिति संतोषजनक है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद आगरा के विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर सीकरी के ब्लाक में खारी नदी पर पुल बनवाये जाने के सम्बन्ध में

69-श्री बाबूलाल-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा के विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर सीकरी के ब्लाक अकोला के ग्राम जैगारा से खारी नदी पर पुल न होने से क्षेत्रवासियों को आवागमन में परेशानी होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार खारी नदी पर जैगारा के पास पुल बनाने का कार्य करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रिजेश-

प्रश्नगत सेतु स्थल से लगभग 10 किमी0 अपस्ट्रीम में किरावली-कागारौल मार्ग पर 89.93 मीटर का सेतु निर्मित है व डाउनस्ट्रीम में 4 किमी0 की दूरी पर नगलाभुज-खेरिया मार्ग पर 89.15 मीटर लम्बाई का सेतु निर्मित है। प्रश्नगत स्थल पर सेतु का निर्माण किया जाना लोक निर्माण विभाग के प्रचलित मानकों के अनुरूप नहीं है।

उपर्युक्तानुसार ।

उपर्युक्तानुसार ।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आगरा की विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर सीकरी ब्लाक अकोला में चैकोरा ग्राम से खीरी नहर तक सी0सी0 रोड व नाली का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में

70-श्री बाबूलाल-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा की विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर सीकरी ब्लाक अकोला में चैकोरा ग्राम से खारी नहर तक सी0सी0 और नाली का निर्माण कार्य सरकार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रिजेश-

किरावली-कागारौल मार्ग से चैकोरा सम्पर्क मार्ग की लम्बाई 450 मीटर है। चैकोरा तक मार्ग की स्थिति संतोषजनक है। ग्राम चैकोरा से खारी नदी तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण लोक निर्माण विभाग में प्रचलित नीतियों से आच्छादित नहीं है।

उपर्युक्तानुसार ।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद आगरा के ब्लाक फतेहपुर सीकरी के कस्बा फतेहपुर सीकरी के कतिपय मार्गों को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने के सम्बन्ध में

71-श्री बाबूलाल-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा के ब्लाक फतेहपुर सीकरी के कस्बा फतेहपुर सीकरी से डावर वाया राजस्थान सीमा तक राष्ट्रीय राजमार्ग 02 ठनकता से किरावली एन0एच0-11 तक, आगरा विचपुरी से रायमा, अघोरा भरतपुर मार्ग तक दक्षिण वाई पास से (महुआर) आगरा तक, आगरा कागारौल से किरावली, अघोरा, फुन्डावई नगला चनुमान, फरह एन0एच0-2 तक, आगरा कागारौल मार्ग से दूर फतेहपुर सीकरी डावर से राजस्थान सीमा तक राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने की सरकार की कोई परियोजना है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रिजेश-

उक्त उल्लिखित अधिकांश मार्ग एक संरेखण में नहीं है एवं राष्ट्रीय राजमार्ग के मानकों को पूरा नहीं करते हैं। अतः उक्त मार्गों को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने की कोई योजना विचाराधीन नहीं है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रदेश में विद्युत आपूर्ति तथा विभाग द्वारा लगाये गये स्मार्ट मीटर और उसके सम्बन्ध में दर्ज शिकायतों का विवरण

72-श्री उमाशंकर सिंह-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में दिनांक 11-05-2022 तक कितने स्मार्ट मीटर लगाये गये एवं स्मार्ट मीटर खराब होने की कितनी शिकायतें दर्ज हुयी है ? क्या सरकार को जानकारी है कि अधिकांश स्मार्ट मीटर ज्यादा यूनिट के बिल जनरेट कर रहे हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार यह भी बतायेगी कि प्रदेश में रोस्टर के अनुसार बिजली की आपूर्ति की जा रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार प्रदेश के सभी जनपदों का दिनांक 11-05-2022 तक रोस्टर के अनुसार उपलब्ध कराई गयी बिजली का ब्यौरा सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

दिनांक 11-05-2022 तक प्रदेश में स्मार्ट मीटरिंग परियोजना हेतु चयनित शहरों में स्थापना की स्थिति निम्नवत् है :-

क्र0-सं0	जनपद	स्थापित स्मार्ट मीटरों की संख्या
1	वाराणसी	181447
2	प्रयागराज	83324
3	गोरखपुर	56662
4	मेरठ	148834
5	सहारनपुर	49892
6	लखनऊ	300112
7	बाराबंकी	22592
8	बरेली	56158
9	मथुरा	76704
10	वृन्दावन	7617
11	फिरोजाबाद	20880
12	अलीगढ़	42790
13	कानपुर	107318
	कुल	**1154330**

प्रदेश में माह अक्टूबर, 2018 में स्मार्ट मीटर स्थापना का कार्य आरम्भ होने से दिनांक 11-05-2022 तक स्मार्ट मीटर खराब होने की कुल 42095 शिकायतें प्राप्त हुयी। सम्बन्धित स्मार्ट मीटरों का तकनीकी एवं भौतिक परीक्षण कराये जाने के उपरान्त कुल 30944 स्मार्ट मीटर बदले गये।

यह सही नहीं है कि अधिकांश स्मार्ट मीटर ज्यादा यूनिट के बिल जनरेट कर रहे हैं अपितु स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं का विद्युत बीजक मीटर में रिकार्ड की गई वास्तविक ऊर्जा खपत के आधार पर बनाया जाता है। यदि उपभोक्ता को स्थापित स्मार्ट मीटर में रिकार्ड की जा रही रीडिंग पर संदेह होता है एवं उपभोक्ता द्वारा अनुरोध किये जाने पर चेक मीटर लगाकर स्थापित स्मार्ट मीटर की जांच की जाती है। यदि उपरोक्त जांच में तकनीकी कारणों से स्मार्ट मीटर तेज/मंद पाया जाता है, तो मीटर को 15 दिनों के भीतर नये मीटर से बदलते हुए उस माह के, जिसमें समस्या उत्पन्न हुआ है, पूर्व तीन माह का बिल अन्तिम परिणाम के अनुसार पश्चातवर्ती बिल में समायोजित कर दिया जाता है।

जी हाँ।

वर्तमान में लागू रोस्टर के अनुसार प्रदेश के जनपद मुख्यालयों में 24.00 घण्टे, तहसील मुख्यालयों में 21.30 घण्टे तथा बुन्देलखण्ड के अन्तर्गत आने वाले ग्रामीण क्षेत्रों में 20.00 घण्टे, प्रदेश के शेष ग्रामीण क्षेत्रों में 18.00 घण्टे एवं कृषि फीडर हेतु 10 घण्टे विद्युत आपूर्ति (स्थानीय व्यवधान को छोड़कर) की जा रही है।

जी हाँ।

उक्त घोषित रोस्टर के सापेक्ष दिनांक 01-04-2022 से दिनांक 11-05-2022 तक प्रदेश के सभी जनपदों की जनपदवार औसत विद्युत आपूर्ति का विवरण संलग्न है। (संलग्नक-1)

प्रश्न नहीं उठता।

सहायक निदेशक, गन्ना किसान प्रशिक्षण केन्द्र के कार्यकाल में भ्रष्टाचार की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में

73-श्री वीर विक्रम सिंह-

क्या गन्ना विकास एवं चीनी मिलें मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दि0 26-07-2019 आई0जी0आर0एस0 सं0-18150190080222 जो सहायक निदेशक गन्ना किसान प्रशिक्षण केन्द्र शाहजहांपुर में वर्ष 2008 से उनके कार्यकाल में व्यापक भ्रष्टाचार की जांच करने विषयक है, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लक्ष्मी नारायण-

जी, हाँ।

मा0 सदस्य द्वारा संदर्भित पत्र में उ0प्र0 गन्ना शोध परिषद्, शाहजहाँपुर के पदधारक के स्थानान्तरण के सबध में जांच हेतु अनुरोध किया गया है। पदधारक का सम्बन्ध उ0प्र0 गन्ना शोध परिषद्, शाहजहाँपुर से न होकर गन्ना किसान संस्थान, प्रशिक्षण केन्द्र, शाहजहाँपुर से है।

अवगत कराना है कि मा0 सदस्य के पत्र दिनाक 26-07-2019 के सम्बन्ध में पत्र दिनांक 23-09-2019 द्वारा निदेशक, गन्ना किसान संस्थान, उ0प्र0 लखनऊ से आख्या मांगी गयी, जिसके क्रम में निदेशक, गन्ना किसान संस्थान, उ0प्र0 द्वारा पत्र दिनांक 06-11-2019 के माध्यम से आख्या उपलब्ध करायी गयी। उक्त आख्या से मा0 सदस्य को पत्र दिनाक 15-11-2019 के माध्यम से पूर्व में अवगत करा दिया गया है।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद आजमगढ़ में दौकताबाद से शेरपुर सम्पर्क मार्ग की विशेष मरम्मत कराये जाने विषयक

74-श्री अखिलेश-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ में दौकताबाद-कादीपुर बाजार से जिगरसन्डी होते हुए दौलताबाद-शेरपुर सम्पर्क मार्ग की विशेष मरम्मत कराये जाने की सरकार की कोई योजना है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रिजेश-

जी नहीं।

प्रश्नगत मार्ग अन्य जिला श्रेणी का मार्ग है। इस मार्ग का पी0एम0जी0एस0वाई0 के अन्तर्गत माह जून, 2018 में उच्चीकरण/सुदृढ़ीकरण का कार्य पूर्ण कराया गया था। वर्तमान में उक्त मार्ग दिनांक 06-06-2018 से 05-06-2023 तक पंचवर्षीय अनुरक्षण अवधि में है। भारी वर्षा के कारण मार्ग के कुछ भाग में पैच हो गये हैं। मार्ग पर बने पैचेज की मरम्मत ठेकेदार द्वारा निरंतरता में करायी जाती है।

जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र नूरपुर में बन्दरों द्वारा ग्रामवासियों को हो रही समस्या के निराकरण की योजना बनाने विषयक

75-श्री अखिलेश-

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र नूरपुर के ग्राम अथाई अहीर में बन्दरों द्वारा ग्रामवासियों को परेशानी होने की जानकारी सरकार के संज्ञान में है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त समस्या के समाधान हेतु कार्य योजना बनायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डॉ0 अरूण कुमार

ग्राम अथाई अहीर में बन्दरों को पकड़वाने के सम्बन्ध में कोई प्रार्थना-पत्र प्राप्त नही हुआ है। बन्दर पकड़वाये जाने के सम्बन्ध में कदाचित कोई प्रकरण यदि प्रकाश में आता है, तो प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यजीव/मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के पत्र संख्या-988/23-28(जी), दिनांक 16-10-2018 में दिये गये निर्देशानुसार सम्बन्धित सक्षम अधिकारियों द्वारा प्रक्रिया के अनुसार अनुमति/अनुज्ञा प्राप्त कर वांछित कार्यवाही की जाती है।

जनपद रोहाना कलॉ में स्थित आई0पी0एल0 शुगर युनिट से हो रहे प्रदूषण के रोकथाम विषयक

76-श्री अनिल कुमार-

क्या पर्यावरण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मुजफ्फरनगर में रोहाना कलाँ में स्थित आईपीएल शुगर यूनिट की चिमनी से निकल रहे धुएँ के साथ काली छाई से क्षेत्र को प्रदूषित कर रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त क्षेत्र में प्रदूषण की रोकथाम हेतु कोई प्रभावी कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डॉ0 अरुण कुमार-

जी नहीं।

जी हां।

मै0 इण्डियन पोटाश लि0, शुगर यूनिट रोहाना कलां, मुजफ्फरनगर वर्ष 1933 से स्थापित एवं संचालित है। आई0पी0एल0 द्वारा उक्त उद्योग का संचालन वर्ष 2010 से किया जा रहा है। उद्योग में गन्ने की क्रशिंग कर चीनी एवं सह-उत्पाद के रूप में शीरे का उत्पादन किया जाता है। वर्तमान में उद्योग की क्रशिंग क्षमता 1600 टी0सी0डी0 है। उद्योग में वाष्प की आपूर्ति हेतु 40 मी0टन/घण्टा क्षमता का एक ब्वायलर स्थापित है, जिससे सम्बद्ध चिमनी की ऊंचाई भूतल से 40 मी0 है एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था के रूप में वैट स्क्रबर स्थापित है। उक्त चिमनी पर गैसीय उत्सर्जन की सतत मॉनिटरिंग हेतु ऑनलाइन कन्टीन्युअस इमीशन मानिटरिंग सिस्टम (ओ0सी0इ0एम0एस0) स्थापित है, जोकि केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड दिल्ली एवं उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ के सर्वर से संयोजित है। उद्योग में स्थापित वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था का रख-रखाव तथा सुचारु संचालन का उत्तरदायित्व उद्योग का स्वयं का होता है। इसके अतिरिक्त प्रभावी प्रदूषण नियंत्रण एवं अनुश्रवण हेतु उक्त उद्योग का नियमित अन्तराल पर निरीक्षण/अनुश्रवण राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा किया जाता है एवं केन्द्रीय नियंत्रण बोर्ड द्वारा अधिकृत थर्ड पार्टी टेक्निकल इंस्टीट्यूशन द्वारा भी किया जाता है।

वर्तमान में उक्त उद्योग ऑफ-सीजन होने के कारण उत्पादनरत नहीं है। निरीक्षण के दौरान पाई गई कमियों के आधार पर सम्बन्धित उद्योग के विरुद्ध नियमानुसार वायु (प्रदूषण

निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1081 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत नियमानुसार कार्यवाही जैसे-निर्देश/कारण बताओ नोटिस आदि की कार्यवाही की जाती है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद हाथरस की विधान सभा क्षेत्र सादाबाद में जीर्ण-शीर्ण सडकों का मरम्मत कराने विषयक

77-श्री प्रदीप कुमार सिंह-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हाथरस के विधान सभा क्षेत्र सदाबाद में अधिकांश सड़कें जीर्ण-शीर्ण है ? क्या सरकार उक्त क्षेत्र की सड़कों का पुनर्निर्माण एवं मरम्मत का कार्य करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री ब्रिजेश-

जनपद हाथरस की सादाबाद विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत एक राज्य मार्ग है, जिसकी लम्बाई 31.270 किमी0 है, जिसमें 26.270 किमी0 गड्ढामुक्त है तथा शेष 5.00 नवीनीकरण का कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

अन्य जिला मार्गों की लम्बाई 205.83 किमी0 है। जिसमें से 167.45 किमी0 गड्ढामुक्त है तथा 5.88 किमी0 नवीनीकरण के अन्तर्गत स्वीकृत है जिस पर कार्य प्रगति पर है तथा 12.00 किमी0 लम्बाई में गड्ढामुक्ति का कार्य प्रगति में है शेष 17.10 किमी0 लम्बाई में नवीनीकरण तथा 3.40 किमी0 लम्बाई में विशेष मरम्मत का कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

ग्रामीण मार्गों की कुल लम्बाई 422.51 किमी0 है, जिसमें से 286.41 किमी0 गड्ढामुक्त है तथा 20.44 किमी0 नवीनीकरण के अन्तर्गत स्वीकृत है, जिस पर कार्य प्रगति में है तथा 59.91 किमी0 लम्बाई में गड्ढामुक्ति का कार्य प्रगति में है, शेष 16.10 किमी0 लम्बाई में पुनर्निर्माण तथा 39.65 किमी0 विशेष मरम्मत के कार्य की स्वीकृत वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद प्रयागराज के लाला बाजार से रहीम पट्टी दायमगंज समोधीपुर होते हुए स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा उतरॉव की सड़क का चौड़ीकरण कराने विषयक

78-श्री हाकिम लाल बिन्द-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रयागराज के लाला बाजार से रहीम पट्टी दायमगंज समोधीपुर उतरांव होते हुये स्टेट बैंक आफ इण्डिया शाखा, उतरॉव तक की सड़क का चौड़ीकरण न होने कारण आम जनमानस को आवागमन में कठिनाइयों का सामना

करना पड़ रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग का चौड़ीकरण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रिजेश-

प्रश्नगत मार्ग (अन्य जिला मार्ग) की लम्बाई 11.00 किमी0 एवं चौड़ाई 3.00 मी0 है। प्रश्नगत मार्ग पर 7.00 मी0 में चौड़ीकरण कार्य की स्वीकृति वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

जनपद प्रयागराज की नगर पंचायत हण्डिया में वर्षा के जल की निकासी हेतु नाले का निर्माण कराये जाने विषयक

79-श्री हाकिम लाल बिन्द-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र हण्डिया, जनपद प्रयागराज की नगर पंचायत हण्डिया में वर्षा के समय जल जमाव के कारण आस-पास की कई हजार एकड़ फसल जलमग्न हो जाती है और क्षेत्रीय लोगों का अपने घरों से निकलना मुश्किल होता है ? यदि हां, तो क्या सरकार नगर पंचायत हण्डिया में जल निकासी हेतु नाले का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

नगर पंचायत हण्डिया सीमान्तर्गत स्थित वार्ड नं0-01, वार्ड नं0-02 व वार्ड नं0-03 का भूस्तर निचला होने के कारण आस-पास के क्षेत्रों का पानी आकर जमा हो जाता है, जिससे जल भराव की समस्या उत्पन्न हो जाती है। नगर पंचायत द्वारा वर्षा ऋतु में जल निकासी हेतु अपने संसाधनों द्वारा जल निकासी की समस्या का निराकरण कराया जाता है। उक्त समस्या के स्थायी निदान हेतु पक्के नाले का निर्माण का आगणन तैयार कराया जा रहा है। नगर पंचायत हण्डिया में उक्त नाले का निर्माण कराया जाना वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद अम्बेडकरनगर में राजे सुल्तानपुर एवं जहाँगीरगंज की भांति कटेहरी बाजार (प्रतापपुर चमुर्खा) को नगर पंचायत बनाने विषयक

80-श्री लाल जी वर्मा-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद अम्बेडकरनगर में राजे सुल्तानपुर एवं जहागीरगंज को नगर पंचायत बनाया गया है ? यदि हां, तो क्या उक्त नगर पंचायतें, नगर पंचायतों के सृजन सम्बन्धी शासनादेश दिनांक 06-10-2016 में निर्धारित समस्त

मानकों की पूर्ति करते हैं ? यदि नहीं, तो क्या सरकार उक्त सृजित नगर पंचायतों की भांति बाजार कटेहरी (प्रतापपुर चमुर्खा) को मानकों में शिथिलता देते हुए नगर पंचायत बनाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

जी हाँ।

जी हाँ।

जी नहीं।

नगर पंचायत के गठन हेतु शासनादेश संख्या-2979/9-1-2016-426सा/14 दिनांक 06 अक्टूबर, 2016 द्वारा मानकों का निर्धारण किया गया है, उक्त शासनादेश में नगर पंचायत घोषित किये जाने संबंधी निर्धारित मानकों में शिथिलता प्रदान किए जाने का कोई प्राविधान नहीं है।

प्रदेश के विधान मण्डल सदस्यों के ग्रामों को जिला मुख्यालय एवं तहसील मुख्यालय से जोड़ने हेतु 07 मीटर चौड़े मार्ग के निर्माण विषयक

81-श्री लाल जी वर्मा-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के विधान मंडल सदस्यो के ग्रामों को जिला मुख्यालय एवं तहसील मुख्यालय से 07 मीटर चौड़े मार्ग से जोड़ने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रिजेश-

वर्तमान में लोक निर्माण विभाग में ग्रामों को जिला मुख्यालय एवं तहसील मुख्यालय से 07 मीटर चौड़े मार्ग से जोड़ने की कोई योजना नहीं है।

प्रदेश में अतिभारित ट्रान्सफार्मरों की क्षमता वृद्धि विषयक

82-श्री जगदीश नरायण-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में अतिभारित ट्रान्सफार्मरों की क्षमता वृद्धि पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

जी हाँ।

वर्तमान में प्रदेश में तकनीकी आवश्यकतानुसार अतिभारित ट्रांसफार्मरों की क्षमतावृद्धि करने हेतु उन्हें चिन्हित कर लिया गया है तथा भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित रिवैम्पड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम के अन्तर्गत क्षमतावृद्धि सम्मलित किया जाना प्रस्तावित है। योजना के अन्तर्गत वित्त पोषण की आवश्यक स्वीकृति के उपरान्त क्षमतावृद्धि किया जाना सम्भव है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में सड़क स्वीकृत मार्गों पर कार्य प्रारम्भ होने से पूर्व साइन बोर्ड लगाकर मार्ग का सम्पूर्ण विवरण प्रदर्शित किये जाने विषयक

83-श्री जगदीश नरायण-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में सड़क स्वीकृत मार्गों पर कार्य प्रारम्भ होने के पूर्व साइन बोर्ड लगाकर मार्ग का सम्पूर्ण विवरण प्रदर्शित करने पर सरकार कोई कार्य योजना बनायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रिजेश-

सामान्यतः प्रदेश में स्वीकृत समस्त मार्गों पर कार्य प्रारम्भ होने से पूर्व साइन बोर्ड लगाये जाते हैं, जिनमें मार्ग का सम्पूर्ण विवरण अंकित किया जाता है।

इस संबंध में प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, उ0प्र0 लोक निर्माण विभाग के पत्रांक- 346 कैम्प-प्र0अ0 विकास/03 (मु0-1)/17 दिनांक 13-07-2017 द्वारा समस्त विभागीय अधिकारियों को निर्देश पूर्व से ही निर्गत है।

जनपद प्रतापगढ़ की विधान सभा क्षेत्र रानीगंज अन्तर्गत कोठियाही सिंगठी खालसा, सम्पर्क मार्ग से काशी तिवारी के घर तक मार्ग के निर्माण विषयक

84-डा0 आर0 के0 वर्मा-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ की विधान सभा क्षेत्र रानीगंज अन्तर्गत कोठियाही सिंगठी खालसा सम्पर्क मार्ग से अशोक पटेल की दुकान से काशी तिवारी के घर तक का मार्ग नव निर्माण सरकार कराएगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रिजेश-

प्रश्नगत मार्ग के निर्माण कार्य की लम्बाई 1.50 कि0मी0 एवं अनुमानित लागत रु0 90.00 लाख आंकलित है। कार्य की स्वीकृति वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र मल्हनी में निर्बाध रूप से विद्युत सप्लाई करवाये जाने विषयक

85-श्री लकी यादव-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र मल्हनी में अघोषित विद्युत कटौती होने के कारण किसान की फसल असिंचित होने से बर्बाद हो रही है तथा बच्चों की पढ़ाई पर विपरीत असर पड़ रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त क्षेत्र में निर्बाध रूप से विद्युत सप्लाई करवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

विभागीय नियमानुसार ग्रामीण क्षेत्र में रोस्टर के अनुसार 18 घंटे विद्युत आपूर्ति किया जाना प्राविधानित है। विद्युत की अत्यधिक मांग से विद्यत लाइनों एवं परिवर्तकों की अतिभारिता के कारण स्थानीय फाल्ट होने से कभी-कभी विद्युत आपूर्ति में व्यवधान उत्पन्न हो जाता है, जिसे तत्काल दूर कर विद्युत आपूर्ति बहाल कर दी जाती है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के विकास प्राधिकरणों में मौलिक डिप्लोमा धारक कर्मचारियों को अवर अभियन्ता के पद पर पदोन्नति के सम्बंध में

86-इंजी0 बृजेश कठेरिया-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के विकास प्राधिकरणों में मौलिक रूप से नियुक्त लिपिक, सर्वेयर, लेखाकार, प्रयोगशाला सहायक, मानचित्रकार जो राज्य सरकार या प्राविधिक शिक्षा परिसर से सिविल/विद्युत अभियंत्रण में डिप्लोमाधारक कर्मचारी है, को उ0प्र0 आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-5 के सरकारी गजट/नियमावली, 2003 (13वां संशोधन) के अन्तर्गत अवर अभियन्ताओं के निर्धारित 5 प्रतिशत पदों पर पदोन्नति किए जाने के प्राविधान है ? यदि हां, तो क्या सरकार के संज्ञान में है कि विगत दस वर्षों से उपरोक्त पदोन्नति की कार्यवाही आवास एवं शहरी नियोजन विभाग उत्तर प्रदेश में लम्बित है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त पदोन्नति की कार्यवाही पूर्ण करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी हाँ।

जी नहीं।

आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश विकास प्राधिकरण केन्द्रीयित सेवा में अवर अभियन्ता (सिविल) के मौलिक रूप से सृजित 380 पदों के सापेक्ष अधिसंख्य अवर अभियन्ता (सिविल) कार्यरत हैं। सिविल संवर्ग में मौलिक पदों के सापेक्ष रिक्तियां उपलब्ध न होने के कारण प्रदेश के विकास प्राधिकरणों में मौलिक रूप से नियुक्त लिपिक, सर्वेयर, रेखाकार, प्रयोगशाला सहायक, मानचित्रकार, जो राज्य सरकार या प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था से सिविल अभियन्त्रण में डिप्लोमाधारी कर्मचारी हैं, को उत्तर प्रदेश विकास प्राधिकरण केन्द्रीयित सेवा (तेरहवां संशोधन) नियमावली, 2003 के अन्तर्गत अवर अभियन्ता (सिविल) के निर्धारित 5 प्रतिशत पदों पर

पदोन्नत किया जाना सम्भव नहीं हो सका है। विद्युत/यॉत्रिक संवर्ग में अवर अभियन्ता के मौलिक रूप से सृजित पदों के सापेक्ष 5 प्रतिशत डिप्लोमा कोटे के पदों पर विद्युत अभियन्त्रण में डिप्लोमाधारक पात्र कर्मचारियों के पदोन्नति की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद मैनपुरी की विधान सभा किशनी में जीर्ण-शीर्ण मार्गों की मरम्मत कराये जाने विषयक

87-इंजी0 बृजेश कठेरिया-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मैनपुरी की विधान सभा क्षेत्र किशनी में किशनी से रामनगर का मार्ग जीर्ण-शीर्ण होने के कारण आवागमन में असुविधा हो रही है ? यदि हां, तो सरकार उक्त मार्ग का नवनिर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रिजेश-

प्रश्नगत मार्ग अन्य जिला श्रेणी का मार्ग है, जिसके निर्माण कार्य की स्वीकृति वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

आवास विकास परिषद् द्वारा भूमि अर्जन की प्रक्रिया का विवरण तथा उत्तरदायित्व सम्बन्धी

88-डॉ0 संग्राम यादव-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में स्थित आवास विकास परिषद् द्वारा भूमि अर्जन की विधिक प्रक्रिया कब पूर्ण मानी जाऐगी तथा अर्जन पूर्ण भूमि का इन्द्रराज तहसील के भूलेखों में भी किया जाता है ? यदि हां, तो ऐसी अर्जित भूमि का तहसील में किसी अन्य के नाम रजिस्ट्री एवं दाखिल खारिज होने पर विधिक रूप से कौन उत्तरदायी होगा ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद् द्वारा भूमि अर्जन की विधिक प्रक्रिया परिषद् अधिनियम-1965 की धारा-32 की स्वीकृति तथा भूमि अध्याप्ति अधिनियम की धारा-7/17 के आदेश/अधिसूचना एवं एवार्ड घोषित होने के उपरान्त पूर्ण मानी जाती है।

अर्जनपूर्ण भूमि का इन्द्राज राजस्व अभिलेखों में कराने हेतु सम्बन्धित जिले के कलेक्टर/जिलाधिकारी को भेजा जाता है।

अर्जित भूमि का राजस्व अभिलेखों में इन्द्राज सम्बन्धित राजस्व अधिकारी द्वारा किया जाता है।

इन्द्राज यदि राजस्व अधिकारी द्वारा ससमय नहीं किया गया तथा कोई रजिस्ट्री हो जाती है, तो राजस्व अधिकारी जिम्मेदार होंगे। यदि इन्द्राज होने के बाद रजिस्ट्री होती है तो संबंधित उप निबन्धक की जिम्मेदारी होगी।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

उ0प्र0 जल निगम द्वारा अभिषेक पुरम पेयजल योजनान्तर्गत पेयजल आपूर्ति कराने जाने विषयक

89-डा0 नीरज बोरा-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ उत्तर विधान सभा क्षेत्र के जानकीपुरम् में उ0प्र0 जल निगम द्वारा अभिषेकपुरम् पेयजल योजना क्रियान्वयन के चार वर्ष व्यतीत हो जाने के बाद भी पानी की टंकी से पेयजल आपूर्ति सभी घरों में नहीं हो पा रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार विलम्ब हेतु दोषियों व कार्यदायी संस्था का उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए उनके विरुद्ध कार्यवाही कर योजनान्तर्गत पेयजल आपूर्ति सुचारु रूप से करायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

लखनऊ उत्तर विधान सभा क्षेत्र के जानकीपुरम में अभिषेकपुरम् पेयजल योजना के कार्यों को पूर्ण कराकर शिरोपरि जलाशय, पाइप लाइन इत्यादि के टेस्टिंग का कार्य भी कराया जा चुका है, योजना क्रियाशील है तथा ट्रायल एवं रन की अवस्था में है। वर्तमान में योजना से जलापूर्ति की जा रही है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ उत्तर विधान सभा क्षेत्र में प्रियदर्शनी कालोनी के बगल स्थित कूड़ा घर को अन्यत्र स्थानान्तरित कराने विषयक

90-डॉ0 नीरज बोरा-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ उत्तर विधान सभा क्षेत्र में सीतापुर रोड से पक्का पुल बाईपास पर प्रियदर्शिनी कालोनी के बगल में आबादी के मध्य स्थित कूड़ा घर का अन्यत्र आबादी से दूर स्थानान्तरित सरकार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

लखनऊ उत्तर विधान सभा क्षेत्र में सीतापुर रोड से पक्का पुल बाईपास पर प्रियदर्शिनी कालोनी में स्थित कूड़ा घर के तीन तरफ आवासीय भवन नहीं है। उक्त कूड़ा घर नगर निगम, लखनऊ के जोन-03 का एक मात्र ट्रान्सफर स्टेशन है, जहाँ से नगर निगम, लखनऊ के जोन-03 के 19 वार्डों तथा नगर निगम के विस्तारित क्षेत्र का समस्त कूड़ा एकत्र होकर बड़ी गाड़ियों द्वारा प्रतिदिन शिवरी प्लान्ट भेज दिया जाता है। वर्तमान में कूड़ा घर हेतु कोई उपयुक्त विकल्प/स्थल न होने के कारण इसके स्थानान्तरण का कोई प्रस्ताव नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ विकास प्राधिकरण की प्रियदर्शिनी कालोनी योजनान्तर्गत सेक्टर-डी स्थित पार्क का सौन्दर्यीकरण कराये जाने विषयक

91-डॉ0 नीरज बोरा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ विकास प्राधिकरण की प्रियदर्शिनी कालोनी योजनान्तर्गत सेक्टर-डी स्थित बड़े पार्क का सौन्दर्यीकरण कतिपय हिस्सा विवादास्पद होने के कारण नहीं हो पा रहा है ? यदि हां, तो क्या विवादास्पद क्षेत्र को छोड़कर शेष भूमि पर पार्क का सौन्दर्यीकरण कार्य आरम्भ करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी हाँ।

लखनऊ विकास प्राधिकरण की प्रियदर्शिनी कालोनी योजनान्तर्गत सेक्टर-डी स्थित पार्क के सौन्दर्यीकरण हेतु निविदा आमंत्रित हो चुकी है। स्थल पर कतिपय विवाद के कारण कार्य प्रारम्भ नहीं हो सका है। भूमि का चिन्हांकन कराने के उपरान्त शेष भूमि पर पुलिस बल के सहयोग से अतिक्रमण हटाते हुए पार्क का सौन्दर्यीकरण शीघ्र ही कराया जायेगा।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ विकास प्राधिकरण की जानकीपुरम आवासीय योजना में जल निकासी हेतु नाले के अधूरे निर्माण को पूर्ण कराये जाने की मांग

92-डॉ0 नीरज बोरा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ विकास प्राधिकरण की जानकीपुरम् आवासीय योजना हेतु जल निकासी के लिए खदरी नाला का निर्माण कार्य अधूरा होने से क्षेत्र में जलभराव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है ? यदि हां, तो वर्षा ऋतु के दृष्टिगत समस्या के

निराकरण हेतु उक्त कार्य को सरकार पूर्ण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी हाँ।

लखनऊ विकास प्राधिकरण की जानकीपुरम आवासीय योजना हेतु जल निकासी के लिए नगर निगम, लखनऊ के अनुरोध पर उक्त नाले के निर्माण का प्रस्ताव अवस्थापना विकास निधि की बैठक में समिति द्वारा स्वीकृत किया जा चुका है। आगणन स्वीकृति की प्रक्रिया में है। स्वीकृति उपरान्त नियमानुसार निविदा आमंत्रित कर उक्त नाले के निर्माण का कार्य प्रारम्भ करा दिया जायेगा।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

कानपुर नगर में धार्मिक आयोजनों हेतु गणेश उद्यान अथवा नौका बिहार पार्क में पंडाल बनाये जाने की मांग

93-श्री अमिताभ बाजयेयी-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर नगर में धार्मिक सामाजिक आयोजनों हेतु फूलबाग मल्टी लेविल पार्किंग के ऊपर गणेश उद्यान अथवा नौका बिहार पार्क में महोत्सव पंडाल बनाने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

फूलबाग मल्टीलेविल पार्किंग के ऊपर गणेश उद्यान के संचालन एवं रख-रखाव का कार्य कानपुर विकास प्राधिकरण द्वारा कराया जा रहा है तथा नौका बिहार पार्क, नानाराव पार्क का हिस्सा है। उक्त पार्कों में इस प्रकार का निर्माण अनुमन्य नहीं है।

प्रदेश के नगर पंचायत भानपुर बस्ती तथा रूधौली बस्ती के समस्त वार्डों में निर्धारित मानकानुसार विद्युत आपूर्ति कराये जाने विषयक

94-श्री राजेन्द्र प्रसाद चौधरी-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के नगर पंचायतों में वर्तमान में कितने घंटे विद्युत आपूर्ति का मानक निर्धारित है ? क्या सरकार बतायेगी कि नगर पंचायत भानपुर बस्ती एवं नगर पंचायत रूधौली, बस्ती के सभी वार्डों में उक्त विद्युत आपूर्ति मानक लागू है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार उक्त नगर पचायतों में विद्युत आपूर्ति का मानक सभी वार्डों में लागू करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

प्रदेश के नगर पंचायतों हेतु वर्तमान में 21:30 घण्टे विद्युत आपूर्ति का रोस्टर निर्धारित है।

जी हाँ।

नगर पंचायत भानपुर एवं रूधौली के 06 वार्ड जो ग्रामीण उपकेन्द्रों के रोस्टर के अनुसार विद्युत आपूर्ति दी जा रही है। इन बस्तियों को नगर पंचायत के रोस्टर के अनुरूप विद्युत आपूर्ति करने हेतु इन्फ्रा का कार्य कराने हेतु रिवैम्प्ड योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित किया गया है, योजना की स्वीकृति एवं धन की उपलब्धता के उपरान्त नगर पंचायत रोस्टर के अनुसार विद्युत आपूर्ति किया जाना सम्भव है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र अतरौलिया में लिंक एक्सप्रेस-वे के किनारे जर्जर सड़कों की मरम्मत कराये जाने विषयक

95-डॉ0 संग्राम यादव-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र अतरौलिया में लिंक एक्सप्रेस-वे के किनारे जर्जर सड़कों की मरम्मत सरकार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रिजेश-

जी हाँ।

मा0 मुख्य मंत्री जी की अध्यक्षता में गड्ढामुक्ति अभियान की सम्पन्न समीक्षा बैठक दिनांक 10-09-2021 में मा0 मुख्य मंत्री जी द्वारा यह निर्देश दिये गये हैं कि एक्सप्रेस-वे निर्माण के दौरान हाइ-वे के आस-पास की सड़कों की मरम्मत का कार्य यूपीडा द्वारा कराया जायेगा। इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही कराये जाने हेतु कार्यदायी संस्था यूपीडा (उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण) के प्रशासकीय विभाग अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग को पत्र दिनांक 26-10-2021 प्रेषित किया जा चुका है।

उपर्युक्तानुसार ।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद बागपत के बागपत चमरावल मुख्यमार्ग का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण के कार्य का निर्धारित समय सीमा में पूर्ण कराये जाने विषयक

96-श्री योगेश धामा-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बागपत के बागपत चमरावल मुख्य मार्ग के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य का वर्ष 2019 में शिलान्यास किया गया था, परन्तु वर्तमान तक उक्त मार्ग के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य प्रारम्भ नहीं हो पाया है ?

यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग का निर्माण समय-सीमा निर्धारित कर पूर्ण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रिजेश-

प्रश्नगत मार्ग जनपद बागपत में बागपत-मुरादनगर मार्ग के नाम से अन्य जिला श्रेणी का मार्ग है, जिसकी लम्बाई 22-825 किमी0 एवं चौड़ाई 5.50 मी0 है। प्रश्नगत मार्ग के वर्ष 2019 में चौडीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य की कोई स्वीकृति निर्गत नहीं की गयी थी एवं न ही विभाग द्वारा मार्ग का शिलान्यास कराया गया था। वर्तमान में मार्ग की दशा यातायात हेतु संतोषजनक है।

जनपद बागपत में स्थित सहकारी चीनी मिल की क्षमता वृद्धि किये जाने की मांग

97-श्री योगेश धामा-

क्या गन्ना विकास एवं चीनी मिलें मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बागपत में सहकारी चीनी मिल की बिल्डिंग व मशीनरी जर्जर होने के कारण इस क्षेत्र में उत्पादित गन्ने की खपत निर्धारित समय में नहीं हो पाती है जिस कारण से यहां के किसानों को अपना गन्ना लगभग 40-50 कि0मी0 दूर स्थित रमाला सहकारी गन्ना मिल में ले जाना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या सरकार जनपद बागपत स्थित सहकारी चीनी मिल की क्षमता वृद्धि/विस्तार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लक्ष्मी नारायण-

पेराई सत्र 2021-22 के दौरान बागपत मिल क्षेत्र के साथ 07 गन्ना क्रय केन्द्रों का गन्ना निकटवर्ती रमाला चीनी मिल, जोकि एक सहकारी चीनी मिल ही है, को व्यावर्तित किया गया है।

वर्तमान में इस आशय का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

बागपत सहकारी चीनी मिल की नेटवर्थ निगेटिव होने तथा दिनांक 31-03-2021 तक रु0 741.17 करोड़ की संचित हानियाँ होने के कारण उक्त चीनी मिल की पेराई क्षमता के विस्तार के सम्बन्ध में, आवश्यक धनराशि हेतु, वित्तीय सस्थाओं/बैंको से ऋण मिलना सम्भव नहीं है।

प्रदेश की कतिपय नगरीय व ग्रामीण आबादियों के ऊपर से गुजरने वाली हाई पावर विद्युत लाइनों को अन्यत्र शिफ्ट किये जाने की मांग

98-श्री गुलाम मौहम्मद-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश की कतिपय नगरीय व ग्रामीण आबादियों के ऊपर से बिजली की हाई पावर विद्युत लाइन गुजरने के कारण निवासियों की जान

माल का खतरा बना रहता है ? यदि हां, तो क्या सरकार जनहित में उक्त हाई पावर विद्युत लाईनों को आबादी से दूर अन्यत्र शिफ्ट करने की योजना बनायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

प्रदेश की कतिपय नगरीय एवं ग्रामीण आबादियों के ऊपर से गुजर रही बिजली की हाई पावर विद्युत लाइनों के नीचे सुरक्षा की दृष्टि से जाल लगाए गए हैं, जिससे जान माल की सुरक्षा की जा सके।

बढ़ती आबादी के दबाव के कारण प्रदेश में कतिपय स्थानों पर उच्च विभव के विद्युत लाइनों के नीचे घरों का निर्माण बिना विभागीय अनुमति के करा लिया गया है। ये विद्युत लाइनें पूर्व में बनायी गयी है तथा इन्हें अन्यत्र शिफ्ट करने हेतु अत्यधिक धन एवं लाइन ले जाने के लिए अविवादित स्थल मार्ग की आवश्यकता होती है।

प्रभावित निवासियों द्वारा जमा योजना में आवेदन कर प्राक्कलित धनराशि जमा करने एवं अविवादित स्थल मार्ग उपलब्ध कराने पर इन लाइनों की शिफ्टिंग कराया जाना सम्भव है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में विद्युत चोरी से वसूले गये दण्ड की धनराशि से उपभोक्ताओं को छूट दिलाये जाने विषयक

99-श्री जवाहर लाल राजपूत-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में प्रति वर्ष कितनी विद्युत ऊर्जा चोरी में जाती है ? क्या सरकार विद्युत चोरी में वसूला गया दण्ड उपभोक्ताओं को विद्युत कटौती/लो-वोल्टेज के प्रतिपूर्ति के रूप में छूट दिलाये जाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

प्रदेश में वर्ष (2021-22) कुल प्राप्त ऊर्जा एवं विक्रय ऊर्जा का अन्तर 23153.251 एम0यू0 है, जिसकी बिलिंग नहीं की जा सकी है। इस ऊर्जा की हानि का कारण विद्युत तंत्र की तकनीकी हानियां एवं संभावित विद्युत की चोरी है। विद्युत चोरी को रोकने के लिए निम्न प्रयास किये जा रहे हैं :-

(1) कटिया की बहुतायता वाले क्षेत्र में खुले तारों के स्थान पर ए0बी0 केबिल लगायी जा रही है।

(2) नियमित कैम्प लगाकर कटिया संयोजनों को सामान्य संयोजनों में परिवर्तित किया जा रहा है।

(3) प्रवर्तन दल के साथ नियमित मार्निंग रेड करायी जा रही है, जिससे विद्युत चोरी पर अंकुश लगा है।

(4) विद्युत चोरी निरोधक थाने खुल जाने के कारण विद्युत चोरी के प्रकरणों में त्वरित कार्यवाही की जा रही है।

(5) पी0टी0डब्लू0 सयोजनों को छोड़कर सभी अनमीटर्ड संयोजनों पर मीटर लगा दिये गये हैं।

(6) तकनीकी हानियों को कम करने के लिए पुराने जर्जर तारों को बदला जा रहा है।

पकड़ी गयी विद्युत चोरी के प्रकरणों में वसूली गयी दण्ड की धनराशि निगम के राजस्व में सम्मिलित है, इसी राजस्व की कुल आय से उपभोक्ताओं हेतु विद्युत क्रय की जाती है एवं विद्युत तंत्र का रख-रखाव किया जाता है।

प्रश्न नहीं उठता।

सेनानी विहार कालोनी, तेलीबाग में सड़क व नाली का निर्माण कराये जाने की मांग

100-श्री जवाहर लाल राजपूत-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सेनानी विहार कालोनी, रायबरेली रोड, तेलीबाग, लखनऊ में म0सं0 50 से म0सं0-52ए तक नाली एवं सड़क निर्माण कराये जाने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र ख-6 सं0-833473 दिनांक 21 अप्रैल, 2022 उन्हें प्राप्त हुआ हैं ? यदि हाँ, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

जी हाँ

प्रश्नगत स्थल का निरीक्षण किया गया। निरीक्षणोपरान्त पाया गया कि स्थल पर नाली एवं सड़क के निर्माण कार्य हेतु धनराशि रु0 06.35 लाख का व्यय संभावित है। प्रश्नगत कार्य धन की उपलब्धता एवं स्थानीय निकाय के निर्णय पर निर्भर हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद जालौन को खकसीस से कमसेरा, अमखेड़ा चाकी में जर्जर विद्युत लाइनों को बदलवाने की मांग

101-श्री मूलचन्द्र सिंह-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जालौन के अन्तर्गत खकसीस से कमसेरा, अमखेड़ा-चाकी में जर्जर विद्युत लाइनों को बदलने की सरकार कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

जी हाँ।

जनपद-जालौन के अन्तर्गत खकसीस से कमसेरा, अमखेड़ा-चाकी में जर्जर विद्युत लाइनों को बदलवाने की धनराशि रु0 10.13 लाख है। आगामी किसी वित्त पोषित योजना के अन्तर्गत उक्त कार्य सम्मिलित कर योजनान्तर्गत आवश्यक स्वीकृति एवं धन की उपलब्धता होने पर कराया जाना सम्भव है।

प्रश्न नहीं उठता।

झाँसी नगर में चिड़ियाघर बनाये जाने विषयक

102-श्री रवि शर्मा-

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि झाँसी-नगर में पर्यटन को बढ़ावा देने के दृष्टिगत झाँसी-नगर में चिड़ियाघर बनाये जाने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों?

डॉ0 अरुण कुमार -

वर्तमान में झांसी वन प्रभाग के अन्तर्गत चिड़ियाघर बनाये जाने की योजना प्रस्तावित नहीं है।

प्रश्न नही उठता।

प्रदेश में केबिल आपरेटरों द्वारा विद्युत खम्भों का उपयोग विषयक जानकारी

103-श्री रवि शर्मा-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में विद्युत खम्भों पर केबिल ऑपरेटरों द्वारा केबिल तार बांधे जाने हेतु न तो सरकार से कोई अनुमति ली गई है और न ही सरकार को किसी प्रकार का राजस्व प्राप्त हो रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार विद्युत खम्भों से निजी केबिल ऑपरेटरों के तार हटाये जाने के लिए कोई कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में विद्युत पोलों पर आप्टिकल फाइबर केबिल लगाने का नीतिगत निर्णय उ0प्र0 पा0का0लि0 द्वारा अपने आदेश सं0 3661/ रेस्पो दिनांक 20 नवम्बर, 2018 से किया जा चुका है जिसके अन्तर्गत प्रदेश के सभी वितरण निगमों द्वारा इच्छुक संचार कम्पनियों से निर्धारित प्रति पोल दरों पर अनुमन्य किराये की धनराशि वसूली जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में रोड, ओवर ब्रिज तथा दीवारों पर लिखे विज्ञापनों पर रोक लगाने विषयक

104-श्री रवि शर्मा-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में बने रोड ओवरब्रिज की दीवारों पर विज्ञापनों के लिखे जाने पर सरकार रोक लगायेगी ? यदि हा, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

प्रदेश में बने रोड ओवरब्रिज की दीवारों पर अप्राधिकृत विज्ञापनों (सरकारी व स्वच्छता वाले विज्ञापनों को छोड़कर) के लिखे जाने के विरुद्ध नगरीय स्थानीय निकायों द्वारा कार्यवाही की जाती है। इस हेतु कतिपय नगरीय स्थानीय निकायों द्वारा उपविधियां बनायी गयी हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद झांसी में मानक के विपरीत बने होटल, नर्सिंग होम्स एवं व्यवसायिक काम्पलेक्स पर सीलिंग की कार्यवाही कराने विषयक

105-श्री रवि शर्मा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद झाँसी में कतिपय होटल, नर्सिंग होम्स एवं व्यवसायिक कॉम्पलेक्स जो मानक के अनुरूप नहीं बने हैं को चिन्हित कर सीलिंग की कार्यवाही सरकार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी हाँ।

झाँसी विकास प्राधिकरण द्वारा होटल, नर्सिंग होम्स एवं व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स जो मानक के अनुरूप नहीं बने हैं, को चिन्हित कर उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973 की संगत धाराओं के अधीन सीलिंग की कार्यवाही की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मुजफ्फरनगर के विधान सभा क्षेत्र बुढ़ाना के गाँव बिटावटा में मेरठ-कसाल हाई-वे पर निर्माणाधीन ओवर ब्रिज का कार्य पूर्ण करा कर किसानों के खेतों तक रास्ता बनवाने विषयक

106-श्री राजपाल सिंह बालियान-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मुजफ्फरनगर के विधान सभा क्षेत्र बुढ़ाना के गाँव बिटावदा में मेरठ-करनाल हाइ-वे (एन0एच0-09ए) पर निर्माणाधीन ओवरब्रिज का कार्य अधूरा है तथा ओवरब्रिज के नीचे से किसानों के खेतों तक जाने हेतु मार्ग का निर्माण न होने से किसानों को परेशानी हो रही है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार ओवर ब्रिज

का अधूरा कार्य और ओवरब्रिज के नीचे से किसानों के खेतों तक मार्ग का निर्माण कार्य करायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रिजेश-

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, भारत सरकार की संस्था है। महाप्रबंधक (तक0) क्षेत्रीय कार्यालय उ0प्र0 (पश्चिम) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्यानुसार रा0रा0- 709ए मेरठ से करनाल मार्ग पर ग्राम बिटावदा में ओवरब्रिज का निर्माण प्रगति पर था, किन्तु निर्माण स्थानीय लोगों के द्वारा अन्यत्र वी0यू0पी0 की मांग करते हुए रोक रखा है, जोकि तकनीकी रूप से सही नहीं है। करार के अनुसार परियोजना का निर्माण कार्य जनवरी-2023 तक पूर्ण कराया जाना प्रस्तावित है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता है।

107-श्री मूल चन्द्र सिंह-

[04 मंगलवार के अतारांकित प्र0सं0-32 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र नूरपुर में स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र नूरपुर की विद्युत आपूर्ति ग्रामीण फीडर से हटाकर नगरीय फीडर नूरपुर किये जाने विषयक

108-श्री रामअवतार सिंह-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र नूरपुर में स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र नूरपुर की विद्युत आपूर्ति ग्रामीण फीडर से हटाकर नगरीय फीडर नूरपुर से किये जाने हेतु प्रश्नकर्ता का पत्र सं0 ख-6-968984 दिनांक 10-05-2022 प्राप्त हुआ है ? यदि हाँ, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

जनपद बिजनौर की विधान सभा क्षेत्र नूरपुर में स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, नूरपुर की विद्युत आपूर्ति ग्रामीण फीडर से हटाकर टाउन फीडर से जोड़ने हेतु खण्ड या उपखण्ड कार्यालय को स्वास्थ्य विभाग से अभी तक कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बिजनौर के नगर पालिका नूरपुर में स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य के परिसर में एक सामुदायिक शौचालय बनवाने जाने विषयक

109-श्री रामअवतार सिंह-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे जनपद बिजनौर के नगर पालिका नूरपुर में स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र परिसर में एक सामुदायिक शौचालय बनवाये जाने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र सं0- ख-6-968979 दिनांक 10-05-2022 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

जी हां।

प्रभारी चिकित्साधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र नूरपुर द्वारा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, नूरपुर के सभागार भवन के निकट खाली पड़ी भूमि सामुदायिक शौचालय के निर्माण हेतु चिन्हित की गयी है, तद्क्रम में निकाय द्वारा शीघ्र ही सामुदायिक शौचालय का निर्माण करा लिया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद चित्रकूट के ग्राम पंचायत घुरेटनपुर में 33/11 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र की स्थापना कराये जाने विषयक

110-श्री अनिल प्रधान-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद चित्रकूट के ग्राम पंचायत घुरेटनपुर में 33/11 के0वी0 विद्युत उपकेंद्र की स्थापना सरकार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

वर्तमान में जनपद-चित्रकूट के ग्राम पंचायत घुरेटनपुर की विद्युत आपूर्ति सुचारू रूप से 33/11 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र भरतकूप से की जा रही है एवं उक्त उपकेन्द्र अतिभारित नहीं है। जिसके कारण ग्राम पंचायत घुरेटनपुर में 33/11 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र की तकनीकी रूप से स्थापना की आवश्यकता नहीं है।

जनपद चित्रकूट में अघोषित विद्युत कटौती को बन्द कराकर जनपद वासियों को निर्बाध विद्युत आपूर्ति कराने विषयक

111-श्री अनिल प्रधान-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद चित्रकूट में अघोषित विद्युत कटौती को बन्द कराकर जनपद वासियों को निर्बाध विद्युत आपूर्ति सरकार सुनिश्चित करायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

जनपद-चित्रकूट के अन्तर्गत निर्धारित रोस्टर के अनुसार विद्युत आपूर्ति ग्रामीण क्षेत्र में 20:00 घण्टे, तहसील मुख्यालय एव नगर पंचायत क्षेत्र में 21:30 घण्टे तथा जनपद मुख्यालय पर 24:00 घण्टे जो बुन्देलखण्ड क्षेत्र के लिए निर्धारित है।

वर्तमान में विद्युत की अत्यधिक माँग के कारण विद्युत लाइनों एवं परिवर्तकों के अतिभारित होने से स्थानीय स्तर पर फाल्ट उत्पन्न होने के कारण कभी-कभी विद्युत आपूर्ति बाधित होती है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद चित्रकूट कर्वी बूढ़ा राजापुर मार्ग के औवगरी पुरवा से तौरा सम्पर्क मार्ग का निर्माण कराने विषयक

112-श्री अनिल प्रधान-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद चित्रकूट के कर्वी बूढ़ा राजापुर मार्ग के औवगरी पुरवा से तौरा संपर्क मार्ग का निर्माण कार्य सरकार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रिजेश-

जी हाँ।

प्रश्नगत मार्ग हेतु बुन्देलखण्ड विकास निधि (राज्यांश) के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 में शासनादेश सख्या-164/2021/438/23-14-2021-18आ0बु0वि0नि0/2021 टी0सी0, दिनांक 25-03-2021 द्वारा प्रथम किश्त के रूप में धनराशि रु0 6.19 लाख अवमुक्त की गयी है, तदोपरान्त शासनादेश संख्या-63/2022/636/003-23-14-2022-12 (जनरल) /2022 दिनांक 10-09-2022 द्वारा धनराशि रु0 50.00 लाख द्वितीय किश्त के रूप में अवमुक्त कर दी गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद चित्रकूट के ग्राम पंचायत बछरन में नहर पटरी से त्रिलोक सिंह के ट्यूबवेल तक सड़क मार्ग का निर्माण कराने विषयक

113-श्री अनिल प्रधान-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद चित्रकूट के ग्राम पंचायत बछरन में नहर पटरी से त्रिलोक सिंह के ट्यूबवेल तक संपर्क मार्ग का निर्माण कार्य सरकार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रिजेश-

जी नहीं।

ग्राम बछरन पूर्व से सिंगल कनेक्टिविटी से पक्के मार्ग से जुड़ा है। प्रश्नगत मार्ग एक कच्चा रास्ता जो श्री त्रिलोक सिंह के ट्यूबवेल तक जाता है, जो ग्राम बछरन के अन्तर्गत आता है। ग्रामों के आन्तरिक मार्गों को जोड़े जाने की कोई योजना लोक निर्माण विभाग की प्रचलित नीतियों से आच्छादित नहीं है। अतः लोक निर्माण विभाग द्वारा कोई भी कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

114-श्री अनिल प्रधान-

[04- मंगलवार के अतारांकित प्र0सं0-32 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

प्रदेश में विद्युत कटौती तथा लो वोल्टेज की समस्या का निवारण कराये जाने विषयक

115-डॉ0 रागिनी-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में निर्बाध विद्युत आपूर्ति में कटौती/कमी के कारण क्या हैं ? क्या सरकार के संज्ञान में है कि प्रदेश में विद्युत कटौती तथा लो-वोल्टेज की समस्या से किसानों, व्यापारियों तथा आम जनमानस को समस्या का सामना करना पड़ रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त समस्या का निवारण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

बरसात विलंबित होने एवं औसत से बहुत कम बरसात होने के कारण तथा अत्यधिक गर्मी होने के कारण ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में विद्युत की मांग अप्रत्याशित रूप से बढ़ी है। वर्ष 2011 से 2021 के दशक की औसत पीक डिमांड 16338 मेगावाट थी जबकि औसत न्यूनतम मांग 5330 मेगावाट थी। इसी प्रकार वर्ष 2012-2017 की अवधि में औसत पीक डिमाण्ड 13598 मेगावाट जबकि औसत न्यूनतम मांग 5685 मेगावाट थी।

इसके सापेक्ष अप्रैल, 2022 से अब तक की महीने की औसत पीक डिमांड 24969 मेगावाट है एवं औसत न्यूनतम मांग 11017 मेगावाट है, जो पिछले दशक की अधिकतम/न्यूनतम डिमाड की 50% से ज्यादा है तथा उपरोक्त पिछले पांच वर्षों के सापेक्ष लगभग दोगुना है। इतना ही नहीं इस वर्ष के पिछले तीन माह में विद्युत मांग ऐतिहासिक रूप से बढ़ी है। जुलाई, 2022 में पीक डिमांड 26537 मेगावाट रही, जबकि सितम्बर माह में दिनांक 09-09-2022 को अधिकतम माग बढ़कर 26589 मेगावाट पहुंच गई।

इस ऐतिहासिक मांग को पूर्ण करने हेतु ऊर्जा विभाग पूरी तरह से लगा हुआ है। ऊर्जा उत्पादन के संयंत्रों को पिछले वर्ष के पी0एल0एफ0 55.51% के सापेक्ष में इस वर्ष 73.31% पर चलाया गया। गत वर्ष के सापेक्ष कोयला की खपत 43.7% बढ़ी है। कुल मिलाकर विद्युत उत्पादन पिछले वर्ष के सापेक्ष 46.27% बढ़ाया गया।

साथ ही अन्य स्रोतों से भी बिजली लेकर उपभोक्ताओं को सरकार द्वारा रोस्टर के सापेक्ष अधिकतम बिजली उपलब्ध करायी जा रही है।

बिजली को उपभोक्ताओं तक निर्बाध रूप से पहुंचाने हेतु कई बार समस्यायें उत्पन्न होती हैं, जैसे आंधी, तूफान या बरसात का होना। पुराने जर्जर तारों एवं अतिभारित परिवर्तक आदि की वजह से भी विद्युत आपूर्ति में बाधा आती है।

इन उपकरणों एवं संसाधनों के अनुरक्षण का बेहतर प्रबन्धन करते हुए इस वर्ष परिवर्तक क्षतिग्रस्तता की दर में 0.42% की कमी लायी गयी है। साथ ही अप्रैल, 2022 से 18 सितम्बर, 2022 तक 159995 परिवर्तक बदले गये।

उपभोक्ताओं की समस्याओं का समाधान करने हेतु 'सम्भव' एवं 'विद्युत समाधान सप्ताह' जैसी व्यवस्थाएं बनायी गयी हैं।

04 अगस्त, 2022 से बिजली की अधिकतम दरों में संशोधन हुआ है जिससे उपभोक्ताओं के लिए देय दरों में कमी आई है।

ऊर्जा विभाग उपभोक्ताओं की विद्युत आपूर्ति की मांग को निर्बाध रूप से पूरा करने तथा सस्ती दरों पर विद्युत उपलब्ध कराने के लिए तत्पर एवं प्रतिबद्ध है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आजमगढ़ की विधान सभा क्षेत्र लालगंज के अन्तर्गत कस्बा ठेकमा व देवगांव को टाउन एरिया घोषित करने विषयक

116-श्री बेचई सरोज-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ की विधान सभा क्षेत्र लालगंज के अन्तर्गत कस्बा ठेकमा व देवगांव को सरकार टाउन-एरिया घोषित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता है।

नगर पंचायत के गठन हेतु शासनादेश संख्या-2979/9-1-2016-426सा/14 दिनांक-06 अक्टूबर 2016 द्वारा मानकों का निर्धारण किया गया है, जनपद आजमगढ़ की विधान सभा क्षेत्र लालगंज अन्तर्गत कस्बा ठेकमा व देवगाँव, उक्त शासनादेश में नगर पंचायत घोषित किये जाने संबंधी निर्धारित मानकों को पूरा नहीं करते हैं। अतः कस्बा ठेकमा व देवगाँव को नियमानुसार नगर पंचायत घोषित किया जाना सम्भव नहीं है।

जनपद आज़मगढ़ के विधान सभा क्षेत्र लालगंज के अन्तर्गत सिसरेड़ी बेसों नदी पर पुल के निर्माण विषयक

117-श्री बेचई सरोज-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ विधान सभा क्षेत्र लालगंज के अन्तर्गत सिसरेड़ी बेसों नदी पर निर्माणाधीन पुल का निर्माण कार्य वर्तमान में रोक दिया गया है ? यदि हां, तो उक्त के क्या कारण हैं ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रिजेश-

जी नहीं,

विधान सभा क्षेत्र लालगंज, जनपद आजमगढ़ में ग्राम सभा सिसरेड़ी एवं भैंसकुर के बीच बेसों नदी पर 3x10 मीटर लघु सेतु, पहुँच एवं सुरक्षात्मक कार्य प्रगति पर है। वर्षा ऋतु होने के कारण कार्य बाधित रहा है। कार्य शीघ्र पूर्ण करा लिया जायेगा।

उपर्युक्तानुसार।

जी हाँ। विवरण संलग्न[†] है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आजमगढ़ विधान सभा क्षेत्र लालगंज के अन्तर्गत आजमगढ़-जौनपुर सम्पर्क से भीरा व लालगंज होते हुए बहादुरपुर जाने वाले सम्पर्क मार्ग की मरम्मत कराये जाने विषयक

118-श्री बेचई सरोज-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-आजमगढ़ विधान सभा क्षेत्र लालगंज के अन्तर्गत आजमगढ़-जौनपुर सम्पर्क मार्ग से भीरा व लालगंज के बीच में सोफीपुर-मानिकपुर होते हुए बहादुरपुर जाने वाला सम्पर्क मार्ग जर्जर है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग की मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रिजेश-

प्रश्नगत मार्ग लालगंज भीरा मार्ग के किमी0-3 के बायें तरफ से निकलकर बहादुरपुर तक जाता है, जिसकी कुल लम्बाई 4.00 किमी0 है। प्रश्नगत मार्ग की विशेष मरम्मत के साथ नवीनीकरण के कार्य की स्वीकृत वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

[†] छापा नहीं गया।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद आजमगढ़ विधान सभा क्षेत्र लालगंज में आजमगढ़-वाराणसी सड़क मार्ग होते हुए ईदगाह तक मार्ग की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में

119-श्री बेचई सरोज-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-आजमगढ़ विधान सभा क्षेत्र लालगंज में आजमगढ़- वाराणसी सड़क मार्ग से सरायमारू छावनी पर कटौली बुजुर्ग होते हुए दौना ईदगाह तक का मार्ग क्षतिग्रस्त होने से आम जनमानस को आवागमन में कठिनाई हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग की मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रिजेश-

जी हाँ। प्रश्नगत मार्ग आजमगढ़-वाराणसी मार्ग के बायें तरफ निकलकर कटौली होते हुए दौना गांव को जाता है। उक्त मार्ग का आबादी भाग क्षतिग्रस्त हो गया है। प्रश्नगत मार्ग के विशेष मरम्मत के साथ नवीनीकरण के कार्य की स्वीकृति वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार ।

उपर्युक्तानुसार ।

जनपद शामली स्थित दोआब शुगर मिल को शहर से बाहर शिफ्ट किये जाने बिषयक

120-श्री प्रसन्न कुमार-

क्या गन्ना विकास एवं चीनी मिलें मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-शामली दोआब शुगर मिल शामली घनी आबादी के बीच स्थित होने से जनपद शामली में यातायात का दबाव अधिक रहता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त शुगर मिल को शहर से बाहर शिफ्ट करने की कोई कार्य योजना बनायेगी ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री लक्ष्मी नारायण-

अपर दोआब शुगर मिल्स, शामली सन् 1933 से स्थापित है। चीनी मिल की स्थापना के समय आबादी न्यून थी, जिसमें शनैः शनैः वृद्धि होती गयी, परिणामतः यातायात का दबाव भी बढ़ा है।

वर्तमान में शामली शहर से बाहर चारों तरफ बाईपास रोड लगभग तैयार हो चुकी है एवं निकट भविष्य में इसके संचालन के साथ ही शामली शहर में यातायात सुगम्य होना

सम्भावित है। अपर दोआब शुगर मिल्स, शामली निजी क्षेत्र की चीनी मिल है, अस्तु मिल विस्थापन का विषय इसके प्रबन्ध तन्त्र की परिधि में आता है।

उपर्युक्तानुसार।

पश्चिम उत्तर प्रदेश में स्वीकृत चौधरी चरण सिंह कावड़ मार्ग का नवनिर्माण कराये जाने विषयक

121-श्री प्रसन्न कुमार-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में स्वीकृत चौधरी चरण सिंह कांवड़ मार्ग (गंगा नहर की दाईं पटरी) के नवनिर्माण कार्य को सरकार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रिजेश-

जनपद मेरठ, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद में स्वीकृत चौधरी चरण सिंह कावड़ मार्ग का निर्माण कार्य प्रगति पर है। दाई पटरी पर निर्माण कार्य प्रारम्भ करने हेतु वर्तमान में वन विभाग से अनापत्ति प्राप्त करने की कार्यवाही प्रगति में है। अनापत्ति प्राप्त होने पर नियमानुसार दाई पटरी पर नव निर्माण कराया जायेगा।

उपर्युक्तानुसार ।

उपर्युक्तानुसार।

सहकारी चीनी मिल लिमिटेड बागपत भी क्षमता वृद्धि करने विषयक

122-श्री अजय कुमार-

क्या गन्ना विकास एवं चीनी मिलें मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता द्वारा मुख्य मंत्री को सम्बोधित पत्र दिनांक 10-05-22 जोकि सहकारी चीनी मिल लिमिटेड, बागपत की क्षमता वृद्धि/विस्तारीकरण के सम्बन्ध में है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लक्ष्मी नारायण-

जी हाँ।

सन्दर्भित पत्र जनसुनवाई पोर्टल के अन्तर्गत प्राप्त हुआ था।

दि किसान सहकारी चीनी बागपत की स्थापना वर्ष 1960-61 में 1250 टी0सी0डी0 क्षमता पर हुई थी। वर्ष 1983-84 में 1800 टी0सी0डी0 तथा वर्ष 1993-94 में 2500 टी0सी0डी0 पर क्षमता विस्तार किया गया था। मिल की स्थापना हुए लगभग 61 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं, अतः प्लान्ट एवं मशीनरी अत्यन्त जर्जर होने के कारण मिल संचालन में कठिनाई आ रही है एवं वित्तीय हानियां भी बढ़ी है। अद्यतन स्थिति के अनुसार बागपत चीनी

मिल में दिनांक 31-03-2021 तक रु0 741.17 करोड़ की संचित हानियां हो चुकी हैं। इस प्रकार चीनी मिल के पास क्षमता विस्तार हेतु न तो अपने वित्तीय संसाधन है और ऋणात्मक नेटवर्थ होने के कारण वित्तीय संस्थाओं एवं बैंकों से वित्त पोषण सम्भव नहीं होगा। उक्त को दृष्टिगत रखते हुए बागपत चीनी मिल क्षमता विस्तार का वर्तमान में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शामली की नगर पालिका परिषद् शामली के मध्य में स्थित दोआब शुगर मिल से हो रहे प्रदूषण को रोकने के सम्बन्ध में

123-श्री प्रसन्न कुमार-

क्या पर्यावरण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शामली की नगर पालिका परिषद् शामली के मध्य में स्थित दोआब शुगर मिल से नगर में हो रहे प्रदूषण को रोकने हेतु सरकार ने कोई योजना बनायी है ? यदि हां, तो उसका विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरूण कुमार-

जी हाँ। उद्योग मैसर्स अपर दोआब शुगर मिल्स, शामली वर्ष 1933 से स्थापित एवं संचालित है। उक्त उद्योग के आस-पास आबादी क्षेत्र विकसित हो गया है। उद्योग में गन्ने की क्रशिंग कर चीनी एवं सह-उत्पाद के रूप में शीरे का उत्पादन किया जाता है। वर्तमान में उद्योग की क्रशिंग क्षमता 6250 टीसीडी है। उद्योग मे औद्योगिक प्रक्रिया से जनित उत्प्रवाह जनित प्रदूषित उत्प्रवाह के शुद्धिकरण हेतु उद्योग द्वारा उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र स्थापित है तथा उक्त उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र के माध्यम से उत्प्रवाह को शोधित किया जाता है। उद्योग में उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र से निस्तारित शुद्धिकृत उत्प्रवाह के परिचालकों के नियमित आनलाईन अनुश्रवण हेतु आनलाईन कॉन्टिन्युअस एफ्लुएन्ट मानिटरिंग सिस्टम भी स्थापित है, जोकि केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सर्वर से संयोजित है। उद्योग में वायु प्रदूषण स्रोत के रूप में 05 ब्वायलर्स स्थापित हैं, जिनमें से 04 ब्वायलर्स 25 टीपीएच एवं 01 ब्यायलर 38 टीपीएच क्षमता का स्थापित है। समस्त ब्वायलर्स पर वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था के अन्तर्गत पृथक- पृथक वैट स्क्रबर स्थापित हैं, जनित उत्सर्जन के निस्सरण हेतु 03 ब्वायलर्स पर पृथक-पृथक चिमनी एवं 02 ब्वायलर्स पर संयुक्त चिमनी स्थापित है। समस्त चिमनियों की ऊंचाई भूतल से लगभग 35 मीटर है। समस्त चिमनियों पर स्टैंक मॉनिटरिंग हेतु पोर्ट होल, प्लेटफार्म एवं लैडर स्थापित है। समस्त चिमनियों पर गैसीय उत्सर्जन की सतत् मॉनिटरिंग हेतु ऑनलाईन कन्टीन्युअस इमीशन मॉनिटरिंग सिस्टम (ओसीईएमएस) स्थापित है, जोकि केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड दिल्ली एवं उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड लखनऊ के सर्वर से संयोजित है। उद्योग में स्थापित उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था का रख-रखाव

तथा सुचारू संचालन का उत्तरदायित्व उद्योग का स्वयं का होता है। इसके अतिरिक्त प्रभावी प्रदूषण नियंत्रण एवं अनुश्रवण हेतु उक्त उद्योग का नियमित अन्तराल पर निरीक्षण/अनुश्रवण राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा किया जाता है एवं केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अधिकृत थर्ड पार्टी टेक्निकल इंस्टीट्यूशन द्वारा भी निरीक्षण किया जाता है। वर्तमान में उक्त उद्योग दिनाक-16-05-2022 से ऑफ-सीजन होने के कारण उत्पादनरत नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

सहकारी बैंक में कार्यरत श्री रामचन्द्र यादव की ग्रेच्युटी की जांच कराने विषयक

124-डॉ0 आर0 के0 वर्मा-

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला सहकारी बैंक, प्रतापगढ़ में क्लास-3 के पद पर कार्यरत श्री रामचन्द्र यादव दिनांक 31-10-2015 को सेवानिवृत्त हुए हैं ? क्या सरकार को जानकारी है कि उनकी सेवानिवृत्ति के बाद बिना आरोप-पत्र दिए रु0 79970/- उनकी ग्रेच्युटी की धनराशि से कटौती की गई है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त प्रकरण की जांच कराकर ग्रेच्युटी का ब्याज सहित भुगतान करेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सहकारिता राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री जयेन्द्र प्रताप सिंह राठौर)-

जी हाँ।

श्री रामचन्द्र यादव को शाखा लालगंज में तैनाती की अवधि में अनियमितता/गबन के मामले में निलम्बित कर उनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही प्रारम्भ कर जाँच अधिकारी द्वारा आरोप-पत्र दिया गया। आरोप-पत्र का उत्तर श्री यादव द्वारा प्रस्तुत किया गया। जाँच आख्या में आरोपित धनराशि मु0 21,180.00 रु0 श्री यादव द्वारा जमा किया गया तथा क्षतिपूर्ति बाण्ड प्रस्तुत किया गया कि, यदि उनके विरुद्ध अनियमितता/गबन की धनराशि जाँच अधिकारी द्वारा पाया जाता है तो उसका उत्तरदायित्व उनका होगा। श्री यादव के सेवानिवृत्ति के पश्चात् प्रकरण में उनके सह आरोपी श्री बृजेश सिंह के विरुद्ध संचालित अनुशासनिक कार्यवाही में जाँच अधिकारी द्वारा जाँच आख्या में श्री यादव को मु0 2,05,785.00 रु0 के गबन में सह आरोपी सिद्ध पाया है। बैंक की ग्रेच्युटी कमेटी ने श्री यादव के ग्रेच्युटी की धनराशि मु0 10,00,000.00 रु0 भुगतान हेतु निर्णय में श्री यादव से मु0 2,05,785.00 रु0 के ब्याज की क्षतिपूर्ति हेतु मु0 69,970.00 रु0 की कटौती कर शेष धनराशि का भुगतान करने का निर्णय लिया है। तद्क्रम में श्री यादव के ग्रेच्युटी की धनराशि से उन पर ब्याज की अवधारित धनराशि मु0 69,970.00 रु0 की कटौती करते हुए शेष मु0 9,30,030.00 रु0 का भुगतान किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

नगर पालिका, मुजफ्फरनगर द्वारा निर्मित सड़कों की गुणवत्ता की जांच कराये जाने विषयक

125-श्री पंकज कुमार मलिक-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के शहर के अन्दर बनने वाली तारकोल की सड़कों की आयु कितनी है ? क्या सरकार बतायेगी कि नगर पालिका, मुजफ्फरनगर द्वारा कितनी सड़कों का निर्माण कराया गया था ? क्या सरकार नगर पालिका मुजफ्फरनगर की सड़कों की गुणवत्ता की जांच टी0ए0सी0 द्वारा कराएगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

प्रदेश के शहर के अन्दर बनने वाली तारकोल की सड़को की आयु सड़क के डिजाईन करते समय डिजाईन पीरियड एवं सड़क पर होने वाली यातायात घनत्व, वाहनों के भार, वातावरण की परिस्थिति एवं समय से अनुरक्षण/मरम्मत की स्थिति पर निर्भर करती है।

नगर पालिका परिषद, मुजफ्फरनगर द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 एवं वित्तीय वर्ष 2022-23 में सी0सी0, इन्टरलॉकिंग एवं तारकोल की कुल 182 सड़कों का निर्माण कराया गया।

नगर पालिका परिषद, मुजफ्फरनगर की सड़कों की गुणवत्ता की थर्ड पार्टी जांच प्रभारी अधिकारी स्थानीय निकाय, मुजफ्फरनगर द्वारा नामित अधिशासी अभियन्ता एवं सहायक अभियन्ता लोक निर्माण विभाग मुजफ्फरनगर से करायी गयी है एवं समय-समय पर सड़कों की टी0ए0सी0 जांच भी करायी जाती है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बुलन्दशहर में भूड़ चौराहा से शिकार तिराहे तक बाईपास रोड का चौड़ीकरण कराये जाने विषयक

126-श्री प्रदीप कुमार चौधरी-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बुलन्दशहर में भूड़ चौराहा से शिकार तिराहे तक बाईपास रोड का चौड़ीकरण कराने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रिजेश-

प्रश्नगत मार्ग लोक निर्माण विभाग के पुराने एन0एच0-91 एवं मेरठ-बदायूँ मार्ग (राज्य मार्ग संख्या-18) के बाहरी भाग से संबंधित है। भूड़ चौराहे से शिकारपुर तिराहे तक मार्ग

की लम्बाई 7.758 किमी0 है, जिसमें से 6.558 किमी0 लम्बाई में नवीनीकरण का कार्य प्रगति में है। उक्त मार्ग के चौड़ीकरण कार्य की स्वीकृति वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

प्रदेश में किसानों को ट्यूबवेल कनेक्शन दिये जाने विषयक

127-श्री प्रदीप कुमार चौधरी-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में किसानों के ट्यूबवेल कनेक्शन नार्मल करने हेतु फरवरी, 2019 के बाद आवेदन किये गये हैं, को विद्युत कनेक्शन नहीं दिया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त आवेदकों को विद्युत कनेक्शन देने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

सामान्य योजना के अन्तर्गत प्रदेश में पंजीकृत आवेदकों हेतु वर्ष 2020-21 में प्राप्त अनुदान धनराशि के सापेक्ष दिनांक 06-03-2019 तक पंजीकृत आवेदकों को वरीयता के आधार पर पूर्ण सामग्री निर्गत कर निजी नलकूप विद्युत संयोजन दिये जा रहे हैं। यदि शेष उपभोक्ता चाहे तो पूर्ण जमा योजना के अन्तर्गत प्राक्कलन की पूर्ण धनराशि जमा कर निजी नलकूप हेतु विद्युत संयोजन ले सकता है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बुलन्दशहर के विधान सभा क्षेत्र बुलन्दशहर में मकान व नाली का निर्माण कराने विषयक

128-श्री प्रदीप कुमार चौधरी-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बुलन्द-हर के विधान सभा क्षेत्र बुलन्दशहर के नगर में वार्ड नं0 24 के मान सरोवर-2 में कृष्ण के मकान से विवेन्दर के मकान तक नाली व रास्ता लम्बाई लगभग 200 मी0 का निर्माण सरकार करेगी? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

जनपद बुलन्दशहर के विधान सभा क्षेत्र बुलन्दशहर सदर का मानसरोवर-2 में वर्णित रास्ता कृष्ण के मकान से विवेन्दर के मकान तक नाली व रास्ता लम्बाई लगभग 200 मीटर पालिका में उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर उक्त मार्ग नगर पालिका सीमान्तर्गत नहीं आता है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद बुलन्दशहर के विधान सभा क्षेत्र बुलन्दशहर के पवसरा राजवाहे की पटरी पर अगोला-सैदपुर तक बी0बी0 नगर के लिए बाईपास का निर्माण कराये जाने विषयक

129-श्री प्रदीप कुमार चौधरी-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बुलन्दशहर के विधान सभा क्षेत्र बुलन्दशहर के पवसरा राजवाहे की पटरी पर अगोला-सैदपुर तक बी0बी0 नगर तीनों के लिए बाईपास का पुनः निर्माण सरकार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रिजेश-

जनपद बुलन्दशहर की विधान सभा क्षेत्र सदर में पवसरा रजवाहे की पटरी पर अगोला सैदपुर तथा बी0बी0 नगर तक बाईपास मार्ग पर सिंचाई विभाग का स्वामित्व है। वर्तमान में यह मार्ग अत्यन्त श्रतिग्रस्त अवस्था में है। इस मार्ग का स्वामित्व सिंचाई विभाग का होने के कारण इसकी मरम्मत एवं पुनः निर्माण सिंचाई विभाग द्वारा ही कराया जाता है। लोक निर्माण विभाग की प्रचलित नीति के अनुसार सिंचाई विभाग से अनापत्ति-पत्र प्राप्त कर नहर पटरी पर निर्माण कार्य कराया जा सकता है। सिंचाई विभाग से अनापत्ति-पत्र प्राप्त करने की कार्यवाही की जा रही है। पवसरा रजवाहे की पटरी मार्ग के पुनःनिर्माण कार्य की स्वीकृति वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद आगरा के विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर सीकरी के ब्लाक अछनेरा में पश्चिमाई (भागरौल गुजर) धार्मिक स्थल को सड़क से जोड़ने विषयक

130-श्री बाबूलाल-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा के विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर सीकरी के ब्लाक अछनेरा में पश्चिमाई (भागरौल गुजर) धार्मिक स्थल को सड़क मार्ग से सरकार जोड़ेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रिजेश-

जनपद आगरा के विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर सीकरी की ब्लाक अछनेरा में पश्चिमाई (भागरौल गूजर) धार्मिक स्थल संरक्षित वन भूमि में स्थित है। मार्ग की सम्पूर्ण लम्बाई संरक्षित वन क्षेत्र में पड़ती है, जिससे मार्ग का निर्माण असाध्य श्रेणी में होने के कारण प्रस्तावित नहीं किया जा सका है।

जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र रूधौली के कतिपय क्षतिग्रस्त मार्गो की मरम्मत कराये जाने विषयक

131-श्री राजेन्द्र प्रसाद चौधरी-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र रूधौली के अन्तर्गत भानपुर से तेनुवा असनहरा मार्ग के करमा चौराहे से अडवाघाट मार्ग लम्बाई-3.5 किमी0 जिनवा चौराहे से तीजूनगर झलहनिया महादेवाघाट मार्ग लम्बाई-4.0 किमी0, बरगदवा से पिरैला काटेखैरा मार्ग लम्बाई-7.0 किमी0, भानपुर चिकित्सालय होते हुए लोढ़वा मार्ग लम्बाई-4.5 किमी0, करीमनगर औडजंगल जहलीपुर कोठिला मार्ग लम्बाई-10.5 किमी0 तथा दुबौली चौराहे से मझौआ राम प्रसाद मार्ग लम्बाई-2.5 किमी0 सड़क क्षतिग्रस्त होने के कारण आवागमन बाधित हो रहा है? क्या सरकार उक्त सड़कों की मरम्मत करायेगी? यदि हां, तो कब? यदि नही, तो क्यों?

श्री ब्रिजेश-

जी नहीं। प्रश्नगत मार्ग आशिक रूप से क्षतिग्रस्त है, जिनकी मरम्मत कार्य की स्वीकृति वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

प्रदेश के ग्रामीण अंचलों में क्षतिग्रस्त/जर्जर बिजली के पोल तथा तार को बदलवाने विषयक

132-श्री राजेन्द्र प्रसाद चौधरी-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के ग्रामीण अंचलों में क्षतिग्रस्त/जर्जर बिजली के पोल, कम क्षमता के ट्रांसफार्मर तथा बिजली के जर्जर तार बदलने की कोई नीति प्रख्यापित है ? यदि हां, तो उक्त नीति क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

जी हाँ।

प्रदेश के ग्रामीण अंचलों में क्षतिग्रस्त/जर्जर बिजली के पोल, कम क्षमता के ट्रांसफार्मर तथा बिजली के जर्जर तार उन पर चल रहे विद्युत भार के अनुरूप बदले जाने की नीति प्रख्यापित है। इस नीति के अनुसार तकनीकी आवश्यकतानुसार समय-समय पर जर्जर पोलों, तारों एवं कम क्षमता के परिवर्तकों को चिन्हित कर जर्जर पोलों, तारों को बदलने का कार्य एवं कम क्षमता के ट्रांसफार्मर की क्षमतावृद्धि का कार्य धन की उपलब्धता के आधार पर कराया जाता है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में शेड्यूल के सापेक्ष विद्युत सप्लाई करने की योजना विषयक

133-श्री मौहम्मद फहीम इरफान-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिदिन कितने घण्टे विद्युत सप्लाई का शेड्यूल निर्धारित है ? क्या सरकार बताएगी कि उक्त घोषित शेड्यूल के सापेक्ष शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में कितने घण्टे विद्युत आपूर्ति की जा रही हैं ? यदि नहीं, तो क्या सरकार घोषित शेड्यूल के सापेक्ष विद्युत सप्लाई करने की योजना सरकार बनाएगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

जी हाँ, वर्तमान में प्रदेश के जनपद मुख्यालयों में 24:00 घण्टे तथा बुन्देलखण्ड के अन्तर्गत आने वाले ग्रामीण क्षेत्रों में 20:00 घण्टे एवम् प्रदेश के शेष ग्रामीण क्षेत्रों में 18:00 घण्टे विद्युत आपूर्ति का रोस्टर निर्धारित है।

जी हाँ, माह अगस्त 2022 में उक्त घोषित शेड्यूल के सापेक्ष जनपद मुख्यालयों में 24:00 घण्टे तथा बुन्देलखण्ड के अन्तर्गत आने वाले ग्रामीण क्षेत्रों में 20:02 घण्टे तथा प्रदेश के शेष ग्रामीण क्षेत्रों में 17:58 घण्टे की औसत विद्युत आपूर्ति की गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

मेरठ-बागपत मार्ग से कतिपय सम्पर्क मार्गों का चौड़ीकरण एवं मरम्मतीकरण कराने के सम्बन्ध में

134-श्री गुलाम मौहम्मद-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मेरठ-बागपत मार्ग से नगर पंचायत सिवालखास वाया खानपुर होते हुए मोदीनगर-रघुनाथपुर सम्पर्क मार्ग तक चौड़ीकरण, सरधना से कालिन्दी, पिठलोकर तथा मुजफ्फरनगर के नगला रियावली होते हुए बुढ़ाना तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण सरकार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रिजेश-

मेरठ-बागपत मार्ग से नगर पंचायत सिवालखास वाया खानपुर होते हुए मोदीनगर रघुनाथपुर सम्पर्क मार्ग ग्रामीण श्रेणी का मार्ग है। ग्रामीण श्रेणी के मार्गों का चौड़ीकरण लोक निर्माण विभाग की प्रचलित नीतियों से आच्छादित नहीं है।

सरधना से कालिन्दी, पिठलोकर मार्ग पी0एम0जी0एस0वाई0 ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, मेरठ के अन्तर्गत निर्माणाधीन है तथा मुजफ्फरनगर के नगला रियावली होते हुए बुढ़ाना तक सम्पर्क मार्ग के निर्माण कार्य की स्वीकृति वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद मेरठ के विधान सभा क्षेत्र सिवालखास के ग्राम किनौनी में बजाज हिन्दुस्तान शुगर मिल से होने वाले प्रदूषण को रोकने विषयक

135-श्री गुलाम मौहम्मद-

क्या पर्यावरण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मेरठ के विधान सभा क्षेत्र सिवालखास के ग्राम किनौनी में बजाज हिन्दुस्तान शुगर मिल से क्षेत्र में जल प्रदूषण व वायु प्रदूषण के कारण कैंसर रोग, दमा, एलर्जी, पीलिया, बुखार आदि बीमारी पनप रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मिल से होने वाले प्रदूषण को रोकने हेतु कोई प्रभावी कार्य योजना बनायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डॉ0 अरूण कुमार-

जी नहीं।

किनौनी एवं आस-पास के क्षेत्र में बीमारियों के सम्बन्ध में मुख्य चिकित्सा अधिकारी, मेरठ के पत्र संख्या-सी0एम0ओ0/विधान सभा प्रश्न/2022/6385 दिनांक 15-09-2022 द्वारा अवगत कराया गया है कि मे0 बजाज हिन्दुस्तान शुगर मिल किनौनी, मेरठ के आस-पास के गांव के सर्वे के दौरान पाये गये मरीजों की संख्या अन्य सामान्य गांवों में पाये जाने वाले मरीजों के समान ही पाये गये है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मैनपुरी के विकास खण्ड जागीर के मैनपुरी किशनी मार्ग पर रोपित वृक्षों के बचाव हेतु विद्युत लाइन को अन्यत्र शिफ्ट किये जाने विषयक

136-इंजी0 बृजेश कठेरिया-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मैनपुरी के विकास खण्ड जागीर के मैनपुरी-किशनी मार्ग पर महना बिजली घर चौराहे से शिवसिंहपुर तक रोपित वृक्षों के ऊपर से दोनों तरफ विद्युत लाइन निकाले जाने से वृक्षारोपण पूर्णतः प्रभावित हो गया तथा विद्युत लाइन

के कारण वृक्ष काट दिये जा रहे हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त वृक्षारोपण के बचाव हेतु उक्त विद्युत लाइन को अन्यत्र शिफ्ट करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

जनपद-मैनपुरी के विकास खण्ड-जागीर के मैनपुरी किशनी मार्ग पर मंहना बिजली घर चौराहे से शिवसिंहपुर तक विद्युत लाइन पूर्व से ही स्थापित है, जिससे अलग हटकर वृक्षारोपण अभियान के अन्तर्गत वृक्ष लगाये गये है। जिनकी शाखाएं कालान्तर में फैलकर विद्युत लाइनों के नीचे आ गई है। अबाधित विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित किये जाने हेतु इन वृक्षों की बढ़ी हुई शाखाएं छांटी गई है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद कानपुर में कानपुर विकास प्राधिकरण द्वारा बसाई गयी बस्ती में मूलभूत सुविधायें उपलब्ध कराने विषयक

137-श्री अमिताभ बाजपेई-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कानपुर में कानपुर विकास प्राधिकरण द्वारा बसाई गयी नवीन मौरंग मण्डी बिनगवाँ में सड़क, नाली, सीवर, पेयजल, शौचालय आदि की व्यवस्था सरकार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं तो, क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

नवीन मौरंग मण्डी बिनगवाँ कानपुर विकास प्राधिकरण की नियोजित योजना है। नियोजित योजनाओं में सम्मिलित भूखण्डों/भवनों/सम्पत्तियों के विक्रय के आधार पर नियोजित क्षेत्र में विकास कार्य कराया जाता है। उक्त क्षेत्र में पूर्व में विक्रीत भूखण्डों के आधार पर विकास कार्य कराया गया है। उक्त योजना के आंशिक भूखण्डों के विक्रय के आधार पर विकास कार्य हेतु निविदा की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद कानपुर में स्मार्ट सिटी मिशन योजना के अन्तर्गत कार्यों में जन प्रतिनिधियों से प्रस्ताव लिये जाने विषयक

138-श्री अमिताभ बाजपेई-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कानपुर में स्मार्ट सिटी मिशन योजना के अर्न्तगत कार्य में से कितने कार्य पूर्ण कराये जा चुके हैं तथा कौन-कौन कार्य वर्तमान में लम्बित हैं ? क्या सरकार बतायेगी कि उक्त प्रस्तावित कार्य स्मार्ट सिटी मिशन गाइड लाइन

के प्रस्तर 6-2 के अर्न्तगत किस-किस योजना से आच्छादित हैं ? क्या सरकार स्मार्ट सिटी मिशन के कार्यों में जन-प्रतिनिधियों से प्रस्ताव लिया जाना सुनिश्चित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

भारत सरकार की स्मार्ट सिटी मिशन के अन्तर्गत कानपुर शहर में कुल 66 परियोजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है, जिसमें 21 परियोजनाओं के कार्य पूर्ण हो गये है एवं अन्य 45 परियोजनांए संचालित/क्रियान्वित/ निर्माणाधीन है, जिनका विवरण संलग्न है[†]।

स्मार्ट सिटी मिशन गाइडलाइन्स, 2015 के प्रस्तर 6.2 के अनुसार स्मार्ट सिटी शहरों हेतु स्मार्ट सिटी प्रपोजल बनाते समय उक्त गाइडलाइन्स के पैरा 2.4 एवं 2.5 में उल्लिखित प्रमुख अवसंरचना तत्वों एवं स्मार्ट समाधानों को आवश्यकतानुसार सम्मिलित करते हुए स्मार्ट सिटी प्रपोजल (एस0सी0पी0) तैयार किए गए हैं एवं तदनुसार विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डी0पी0आर0) तैयार कर योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है।

स्मार्ट सिटी मिशन के अन्तर्गत योजनाएं अन्तिम रूप से चिन्हित हो गयी हैं। चिन्हित परियोजनाओं को पूर्ण करने के लिए स्मार्ट सिटी मिशन की अवधि जून, 2023 तक विस्तारित की गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में विकास प्राधिकरणों में मास्टर प्लान लागू करने विषयक कार्य योजना

139-श्री अमिताभ बाजपेई-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में विकास प्राधिकरणों में मास्टर प्लान लागू करने की क्या प्रक्रिया है ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि कानपुर विकास प्राधिकरण में कब-कब मास्टर प्लान लागू किये गये तथा उक्त मास्टर प्लान लागू करने हेतु किन आवश्यक प्रक्रियाओं का पालन किया गया है ? क्या सरकार बतायेगी कि कानपुर विकास प्राधिकरण के मास्टर प्लान 2031 लागू करने से पूर्व जन सामान्य के सुझाव लेने हेतु क्या उपाय किये गये हैं ? क्या सरकार उक्त विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

प्रदेश के विकास प्राधिकरणों के विकास क्षेत्र हेतु उत्तर प्रदेश नगर नियोजन और विकास अधिनियम-1973 की धारा-8, 10 एवं 11 में दी गयी विधिक प्रक्रिया पूर्ण करके राज्य सरकार के अनुमोदनोपरान्त उक्त अधिनियम की धारा-12 के अनुसार स्थानीय समाचार-पत्र में सूचना के प्रकाशन की तिथि से मास्टर प्लान लागू होता है। नगर के सुनियोजित एवं सुव्यवस्थित विकास तथा नगर के भावी प्रसार को सुनियोजित ढंग से नियंत्रित करने हेतु कानपुर

[†] देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ सं0-310-312 पर।

महायोजना-1991, शासनादेश संख्या-5679-क/35 दिनांक 06-04-1970 द्वारा स्वीकृत कर लागू की गयी। वर्ष 1974 में कानपुर विकास प्राधिकरण की स्थापना के पश्चात् कानपुर विकास प्राधिकरण द्वारा उक्त महायोजना को यथावत अंगीकृत किया गया। शासनादेश संख्या-5636/8-3-2006-07 महा/2001 दिनांक 16-11-2006 द्वारा कानपुर विकास क्षेत्र की महायोजना-2021 अनुमोदित की गई, जो स्थानीय स्तर पर दैनिक समाचार-पत्रों में प्रका-ान की तिथि दिनांक 19-11-2006 से प्रभावी है। कानपुर विकास प्राधिकरण क्षेत्र के अन्तर्गत अकबरपुर-माती महायोजना-2021 को शासनादेश संख्या-2069/8-3-2006-15 महा0/2003 दिनांक 10-06-2005 द्वारा स्वीकृति प्रदान की गयी। कानपुर विकास प्राधिकरण क्षेत्र के अन्तर्गत विठूर महायोजना-2021 को शासनादेश संख्या-सीएम-162/8-3-2006-10 महा,/2005 दिनांक 29-06-2006 द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई। महायोजना लागू किए जाने हेतु उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम-1973 की धारा-8,10,11 व 12 में निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया गया। वर्तमान में भारत सरकार की अमृत योजना के अन्तर्गत ई-टेण्डर प्रक्रिया के माध्यम से चयनित निजी एजेंसी द्वारा कानपुर विकास क्षेत्र की जी0आई0एस0 बेस्ड महायोजना-2031 (प्रारूप) तैयार किया गया है, जिसे प्राधिकरण बोर्ड की बैठक दिनांक 30-12-2021 में जन-सामान्य से आपत्ति एवं सुझाव आमंत्रित किये जाने हेतु अनुमोदित किया जा चुका है। कानपुर विकास प्राधिकरण द्वारा जन-सामान्य/व्यक्ति/संस्था, सरकारी/अर्द्धसरकारी विभाग तथा स्टेक होल्डर्स से आपत्ति एवं सुझाव दिनांक 20-04-2022 से दिनांक 31-05-2022 तक विभिन्न दैनिक समाचार-पत्रों में विज्ञप्ति प्रकाशित करते हुए आमंत्रित किये जा चुके हैं। कानपुर महायोजना-2031 (प्रारूप) के जन-सामान्य में व्यापक प्रचार एवं प्रसार हेतु प्राधिकरण कार्यालय परिसर, कलेक्ट्रेट परिसर कानपुर नगर, कानपुर विकास प्राधिकरण, स्थल कार्यालय, अकबरपुर-माती, कानपुर देहात, नगर पंचायत कार्यालय परिसर, बिठूर तथा नगर पालिका कार्यालय परिसर, शुक्लागंज, जिला-उन्नाव में महायोजना की प्रदर्शनी आयोजित की गई। जी0आई0एस0 बेस्ड मास्टर प्लान-2031 (ड्राफ्ट) के प्रतिवेदन एवं मानचित्रों की प्रति कानपुर विकास प्राधिकरण की वेबसाईंट पर भी डाउनलोड कर अवलोकित करने हेतु अपलोड की गई।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बलिया के बेल्थरा रोड तहसील अन्तर्गत घाघरा नदी पर बने सेतु का नवनिर्माण कराने विषयक

140-श्री जय प्रकाश अंचल-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलिया के बेल्थरारोड तहसील अन्तर्गत घाघरा नदी पर बना सेतु जो बलिया और देवरिया जनपद को जोड़ता है, बार-बार

क्षतिग्रस्त होने से आवागमन बाधित हो जाता है ? क्या सरकार उक्त पुल का नवनिर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रिजेश-

जी हां।

जी नहीं। प्रश्नगत सेतु की मरम्मत का कार्य प्रगति पर है।

प्रश्न नही उठता।

चूंकि सेतु की मरम्मत का कार्य नवनिर्माण की लागत की तुलना में बहुत कम धनराशि में पूर्ण हो जायेगा इसलिए सेतु का नव निर्माण कराया जाना वित्तीय दृष्टिकोण से उपयुक्त नहीं है।

जनपद बलिया के बैरिया नगर पंचायत में सीवर, सड़क व मार्ग प्रकाश हेतु योजना बनाने विषयक

141-श्री जय प्रकाश अंचल-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलिया के बैरिया नगर पंचायत में सीवर, सड़क व मार्ग प्रकाश की कोई योजना सरकार बनायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

नगर पंचायत, बैरिया, जनपद-बलिया में कार्य योजना बनाकर उनके अन्तर्गत कुछ सड़कों के निर्माण का कार्य कराया गया है एवं मार्ग प्रकाश हेतु व्यवस्था करायी गयी है।

नगर पंचायत, बैरिया, जनपद- बलिया में सीवर हेतु वर्तमान में कोई योजना प्रस्तावित नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद मुजफ्फरनगर के विधान सभा क्षेत्र बुढ़ाना स्थित भसाना शुगर मिल द्वारा गन्ना किसानों का भुगतान कराये जाने विषयक

142-श्री राजपाल सिंह बालियान-

क्या गन्ना विकास एवं चीनी मिलें मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मुजफ्फरनगर के विधान सभा क्षेत्र बुढ़ाना में स्थित भसाना शुगर मिल द्वारा गन्ना किसानों का गन्ने का कुल भुगतान 438.16 करोड़ रु0 में से बकाया गन्ना भुगतान 254.51 करोड़ रु0 का भुगतान सरकार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लक्ष्मी नारायण-

दिनांक 12-09-2022 की सूचना के अनुसार जिला-मुजफ्फरनगर में स्थित बजाज हिन्दुस्तान शुगर लि0 इकाई-बुढ़ाना द्वारा पेराई सत्र 2021-22 में कुल देय गन्ना मूल्य रु0 438.16 करोड़ के सापेक्ष रु0 240.49 करोड़ का भुगतान किया गया है। वर्तमान में चीनी मिल पर गन्ना मूल्य रु0 197.67 करोड़ भुगतान हेतु अवशेष है। प्रश्नगत चीनी मिल के अवशेष गन्ना मूल्य के त्वरित भुगतान हेतु चीनी मिल को दिनांक 25-02-2022 को नोटिस निर्गत की गयी है, साथ ही सक्षम स्तर से समय-समय विभिन्न समीक्षा बैठकों के माध्यम से भी कड़े निर्देश दिये गये है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रतापगढ़ की बाबू पट्टी में कतिपय बस्तियों का विद्युतीकरण कराये जाने विषयक

143-डॉ0 आर0 के0 वर्मा-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ की विधान सभा क्षेत्र रानीगंज के बाबू पट्टी में सरोज बस्ती, पटेल बस्ती, शर्मा बस्ती तथा मुसहर बस्ती में विद्युतीकरण नहीं हुआ है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त बस्तियों में विद्युतीकरण कराएगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

जनपद प्रतापगढ़ की विधान सभा क्षेत्र रानीगंज के बाबू पट्टी सरोज बस्ती,पटेल बस्ती, शर्मा बस्ती तथा मुसहर बस्ती में पूर्व में प्रचलित विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत विद्युतीकरण किया जा चुका है। वर्तमान में उक्त बस्तियों में सुचारू रूप से विद्युत आपूर्ति की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद जालौन के अन्तर्गत कोंच नगर में पुरानी कम क्षमता वाली सीवर लाइन का पुनर्निर्माण कराने विषयक

144-श्री मूलचन्द्र सिंह-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जालौन के अन्तर्गत कोंच नगर में 50 वर्षों से अधिक पुरानी कम क्षमता की ध्वस्त सीवर लाइन का सरकार पुनर्निर्माण कराएगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

जनपद जालौन के कोंच नगर पालिका के अन्तर्गत सीवर लाइन का पुनर्निर्माण किया जाना वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद जालौन के अन्तर्गत माधौगढ़ से गोहन तक जर्जर विद्युत लाइन बदलवाने विषयक

145-श्री मूलचन्द्र सिंह-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जालौन के अन्तर्गत माधौगढ़ से गोहन तक जर्जर विद्युत लाइन सरकार बदलवाएगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

जी हां।

जनपद जालौन के अन्तर्गत माधौगढ़ से गोहन तक जर्जर विद्युत लाइन की प्राक्कलित धनराशि रु0 6.51 लाख है। आगामी किसी वित्त पोषित योजना के अन्तर्गत उक्त कार्य सम्मिलित कर योजनान्तर्गत आवश्यक सवीकृति एवं धन की उपलब्धता होने पर कराया जाना सम्भव है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद श्रावस्ती के अन्तर्गत गिलौला से सिसवारा घाट पर सेतु बनाने के सम्बन्ध में

146-श्री राम फेरन पाण्डेय-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद श्रावस्ती अन्तर्गत गिलौला से सिसवारा घाट पर भिनगा मुख्यालय जाने हेतु राप्ती नदी पर सिसवारा घाट पर सेतु सरकार बनाएगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रिजेश-

जी हां, प्रश्नगत स्थल पर 272.93 मी0 लम्बे मुख्य सेतु, 200+200 मी0 लम्बे पहुंच मार्ग, 1300+300 मी0 लम्बे अतिरिक्त पहुंच मार्ग तथा सुरक्षात्मक कार्य की आवश्यकता होगी। प्रश्नगत स्थल पर सेतु निर्माण की कुल लागत रु0 3405.11 लाख आंकलित है।

सेतु का निर्माण प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद श्रावस्ती में चीनी मिल की स्थापना कराये जाने विषयक

147-श्री राम फेरन पाण्डेय-

क्या गन्ना विकास एवं चीनी मिलें मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद श्रावस्ती में कोई चीनी मिल न होने से स्थानीय जनता को गन्ना दूसरे जनपद ले जाने में परेशानी होती

है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त जनपद श्रावस्ती में चीनी मिल खोले जाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लक्ष्मी नारायण-

श्रावस्ती जिले की स्थापना बहराइच एवं बलरामपुर जिले से की गयी है। उपलब्ध सूचना के अनुसार श्रावस्ती जिले में पेराई सत्र 2017-18, 2018-19, 2019-20, 2020-21 एवं 2021-22 में क्रमशः 7669 हेक्टेयर, 11552 हेक्टेयर, 12091 हेक्टेयर, 9146 एवं 9147 हेक्टेयर पर गन्ने की खेती की गयी तथा उत्पादित गन्ने की आपूर्ति निकटवर्ती जिला बलरामपुर एवं बहराइच में संस्थापित चीनी मिलों को वाह्य गन्ना क्रय केन्द्रों के माध्यम से करायी गयी।

वर्तमान पेराई सत्र 2021-22 में जिला श्रावस्ती में चीनी मिल बलरामपुर के 11, चिलवरिया के 07, तुलसीपुर के 05, इटाइमैदा के 04 क्रय केन्द्र कुल 27 क्रय केन्द्र संचालित रहे हैं, जिन पर कृषकों द्वारा गन्ने की आपूर्ति की गयी है तथा कृषकों को अपना गन्ना आपूर्ति करने में कोई असुविधा भी संज्ञानित नहीं है। इस प्रकार श्रावस्ती जिले के गन्ना उत्पादक कृषकों द्वारा अपने गन्ने की आपूर्ति सुविधाजनक निकटवर्ती जिलों में संस्थाापित चीनी मिलों को की जा रही है। अतः श्रावस्ती जिले में नयी चीनी मिल स्थापित किया जाना औचित्यपूर्ण प्रतीत नहीं होता है।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद बस्ती में लोक निर्माण विभाग द्वारा सड़क निर्माण में घोटाले की जांच कराने विषयक

148-हाजी इरफान सोलंकी-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती में लोक निर्माण विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2017-18 एवं 2018-19 में 300 सड़कों के नाम किये गये रु0 43.95 करोड़ के घोटाले सरकार के संज्ञान में हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त घोटाले के दोषियों के विरुद्ध की गयी दण्डात्मक कार्रवाई का ब्यौरा सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रिजेश-

जी हां, परन्तु 303 मार्गों पर व्ययवर्तन रु0 43.95 करोड़ के स्थान पर रु0 39.32 करोड़ का हुआ है। उक्त घोटाले में दोषी पाये गये तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता श्री आलोक रमन को सेवा से पदच्युत किया जा चुका है तथा दोषी सहायक अभियन्ता श्री अरविन्द कुमार आर्य एवं श्री विनय कुमार राम के विरुद्ध नियम-7 के अन्तर्गत विभागीय अनुशासनिक कार्यवाही गतिमान है। इसी प्रकार तत्कालीन अवर अभियन्ता श्री काजू प्रसाद, श्री कृष्ण कुमार राय, श्री हरीश कुमार वर्मा, श्री प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, श्री प्रवीण कुमार,

श्री विश्वनाथ पाण्डेय, श्री राजेश कुमार, श्री राज कुमार यादव, श्री राम चन्द्र वर्मा, श्री चन्द्र किशोर, श्री सैय्यद शकील अहमद रिजवी, श्री जितेन्द्र कुमार विश्वकर्मा, श्री ओमकार यादव, श्री ओम प्रकाश, श्री मनोज कुमार, श्री राज किशोर सिंह एवं श्री अशोक कुमार गुप्ता को आरोप-पत्र प्राप्त कराया जा चुका है तथा श्री हरीश कुमार वर्मा, अवर अभियन्ता की मृत्यु हो चुकी है एवं श्री राज किशोर सिंह, अवर अभियन्ता (प्रा0) श्री अशोक कुमार गुप्ता, अवर अभियन्ता (या0) एवं अवर अभियन्ता (सि0) श्री चन्द्र किशोर आरोप मुक्त पाये गये हैं। इस प्रकार कुल 17 अवर अभियन्ताओं में से 13 अवर अभियन्ताओं के विरुद्ध जांच की कार्यवाही प्रचलित है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रदेश में किसानों के नलकूप हेतु विद्युत दर निर्धारित करने विषयक

149-श्री मनोज कुमार पारस-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में किसानों के नलकूपों पर विद्युत मीटर लगाने का आदेश दिया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार बतायेगी कि उक्त हेतु विद्युत दर कितनी निर्धारित की गयी है ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

जी हां।

किसानों के नलकूपों के संयोजनों पर यद्यपि की मीटर लगाये जा रहे हैं परन्तु मीटर का उपयोग केवल विद्युत खपत की गणना हेतु किया जायेगा। निजी नलकूपों के उपभोक्ताओं से फ्लैट रेट पर रुपये 85 प्रति हार्स पावर की दर से विद्युत बिल लिया जा रहा है।

निजी नलकूप उपभोक्ताओं (ग्रामीण आपूर्ति) हेतु टैरिफ की दर निम्नवत् है :-

दर बिना सब्सिडी प्रति हार्स पावर-रु0 720.00

देय विद्युत दर प्रति हार्स पावर-रु0 85.00

देय सब्सिडी प्रति हार्स पावर-88.19 प्रतिशत

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद जालौन के अन्तर्गत रामपुरा से निनावली-नरौल राठौरनपुरा मध्य प्रदेश सीमा तक मार्ग के अवशेष भाग का निर्माण करने विषयक

150-श्री मूलचन्द्र सिंह-

क्या लोक निर्माण विभाग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जालौन के अन्तर्गत रामपुरा से निनावली-नरौल राठौरनपुरा मध्य प्रदेश सीमा तक मार्ग (अन्तर्राज्यीय मार्ग) के अवशेष भाग का निर्माण कार्य सरकार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रिजेश-

प्रश्नगत मार्ग अन्य जिला श्रेणी का मार्ग है, जिसकी लम्बाई 15.700 कि0मी0 है। उक्त मार्ग के चैनेज 6.650 से चैनेज 15.700 तक कुल लम्बाई 9.05 कि0मी0 नाबार्ड योजनान्तर्गत स्वीकृत है, जिसका चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य प्रगति पर है। मार्ग के अवशेष चैनेज 0.00 से चैनेज 6.650 तक कुल लम्बाई 6.650 कि0मी0 मार्ग के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य की स्वीकृति वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

जनपद मुजफ्फरनगर के अन्तर्गत पुरकाजी-लक्सर मार्ग के मध्य से होकर गुजर रही सोलानी नदी पर सेतु का निर्माण कार्य कराये जाने विषयक

151-श्री अनिल कुमार-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मुजफ्फरनगर के अन्तर्गत पुरकाजी-लक्सर मार्ग के मध्य से होकर गुजर रही सोलानी नदी पर सेतु का निर्माण कार्य कराये जाने हेतु सरकार की कोई कार्य योजना है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रिजेश-

पुरकाजी-लक्सर राष्ट्रीय मार्ग सं0-334ए है, जिसके चैनेज 0.000 से चैनेज 15.089 (15.089 कि0मी0) तक का भाग प्रदेश की सीमा में आता है।

इस मार्ग का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा स्वीकृत है एवं इस स्वीकृति के अन्तर्गत ही मार्ग कि0मी0 11 में स्थित सोलानी नदी पर 296 मीटर लम्बाई का वृहद् सेतु भी निर्मित कराया जाना प्राविधानित है। इस स्वीकृत कार्य की निविदा आमंत्रित की जा चुकी है। मार्ग पर वन विभाग की 0.33 हे0 भूमि संरक्षित वन क्षेत्र एवं 0.60 हे0 भूमि आरक्षित वन क्षेत्र में अर्थात् कुल 0.93 हे0 वन भूमि के गैर वानिकी कार्यों हेतु प्रयोग तथा इस पर अवस्थित विभिन्न प्रजातियों के कुल 269 बाधक वृक्षों के पातन का प्रस्ताव वन मंत्रालय से स्वीकृत/अनापत्ति हेतु प्रस्तुत है।

वन विभाग की स्वीकृति/अनापत्ति प्राप्त होने के उपरान्त वृक्षों का पातन कराते हुए अनुबन्ध गठित कर कार्य आरम्भ कराया जायेगा। कार्य को पूर्ण करने हेतु कार्य आरम्भ करने की तिथि से 18 माह की अवधि सीमा नियत है।

उपर्युक्तानुसार।

152-श्री मनीष असीजा-

[शुक्रवार के अतारांकित प्र0सं0-83 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

प्रदेश में वर्ष 2022-23 के अन्तर्गत नगर पालिका परिषद् एवं नगर पंचायतों हेतु आवंटित धनराशि का विवरण

153-श्री अनिल कुमार-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के वर्ष 2022-23 के अन्तर्गत नगर पालिका परिषद् एवं नगर पंचायतों के विकास/निर्माण हेतु कितनी धनराशि आवंटित है ? क्या सरकार बतायेगी कि जनपद मुजफ्फरनगर की नगर पंचायत पुरकाजी हेतु कितना धन आवंटित हुआ है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

वित्तीय वर्ष 2022-23 में नगर पालिका परिषदों को धनराशि रु0 2203.77 करोड़ एवं नगर पंचायतों को धनराशि रु0 1112.26 करोड़ आवंटित की गयी है।

नगर पंचायत पुरकाजी को वित्तीय वर्ष 2022-23 के अन्तर्गत वर्तमान समय तक विभिन्न योजनाओं में निम्न विवरणानुसार धनराशि विकास/निर्माण कार्य, वेतन, पेंशन भुगतान आदि मदों हेतु उपलब्ध करायी गयीः-

क्र0सं0	योजना का नाम	प्राप्त धनराशि (वर्ष 2022-23)
1	2	3
1	राज्य वित्त आयोग	रु0 1,86,27,654.00
2	15वां वित्त आयोग	रु0 95,74,197.00
3	सीवरेज एवं जल निकासी योजना	रु0 2,17,50,000.00
4	कान्हा गौशाला एवं बेसहारा पशु आश्रय योजना	रु0 50,00,000.00
कुल योग		रु0 5,49,51,851.00

प्रश्न नहीं उठता।

154-श्री राजेन्द्र कुमार-

[02-गुरुवार के अतारांकित प्रश्न सं0-56 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

लखनऊ विकास प्राधिकरण की जानकीपुरम कालोनी के सेक्टर-एच का हस्तानान्तरण नगर निगम को किये जाने विषयक

155-श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ की जानकीपुरम कालोनी के सेक्टर-एच का हस्तानान्तरण नगर निगम को कर दिया गया है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो उक्त के क्या कारण हैं ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी हां।

जानकीपुरम योजना, सेक्टर-एच की साफ-सफाई, पथ प्रकाश, जलापूर्ति एवं सीवर व्यवस्था नगर निगम, लखनऊ को पूर्व में हस्तान्तरित की जा चुकी है। जानकीपुरम योजना, सेक्टर-एच की अवशेष अवस्थापना सुविधाएं समस्त सड़कें, पार्कों, नाला एवं नालियों को सेक्टर-एच के तलपट मानचित्र पर अंकित कर हस्तान्तरण हेतु नगर निगम लखनऊ को उपलब्ध कराया जा चुका है। तद्क्रम में सेक्टर-एच की उपरोक्त अवशेष अवस्थापना सुविधाएं समस्त सड़कें, पार्कों, नाला एवं नालियों आदि के कार्य हेतु रु0 1.00 करोड़ प्राधिकरण द्वारा नगर निगम, लखनऊ को दिये जाने के साथ दिनांक 08-06-2022 को पूर्णतया हस्तान्तरित किया जा चुका है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद सिद्धार्थनगर के विधान सभा क्षेत्र इटवा में कोरोना काल के दौरान दवा छिड़काव हेतु आवंटित धनराशि का विवरण

156-श्री माता प्रसाद पाण्डेय-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सिद्धार्थनगर के विधान सभा क्षेत्र इटवा में स्थित नगर पंचायत इटवा व विस्कोहर वष 2020-2021 में कोरोना काल के दौरान शासन स्तर से दवा के छिड़काव हेतु कितने धनराशि आवंटित की गई तथा कितनी व्यय की गई ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

कोरोना काल में दवाओं के छिड़काव हेतु नगर पंचायत इटवा द्वारा रुपये 6,44,075.00 तथा नगर पंचायत बिस्कोहर द्वारा रुपये 6,43,825.00 का व्यय किया गया है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता है।

157-श्री अनिल प्रधान-

[02-गुरुवार के अतारांकित प्रश्न सं0-65 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद चित्रकूट के पहाड़ी बरेठी मार्ग के धोबिन पुरवा से पिपरोदर सन्तराम पटेल के पुरवा तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण कराने विषयक

158-श्री अनिल प्रधान-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद चित्रकूट के पहाड़ी बरेठी मार्ग के धोबिन पुरवा से पिपरोदर सन्तराम पटेल के पुरवा तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य सरकार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रिजेश-

जी नहीं। ग्राम धोबिन पुरवा एवं पिपरोदर सिंगल कनेक्टिविटी के तहत पक्के मार्ग से जुड़े हैं। वर्तमान में लोक निर्माण विभाग में ग्रामों को डबल कनेक्टिविटी प्रदान करने की कोई योजना प्रचलित नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपर्युक्तानुसार।

159-श्री अनिल प्रधान-

[04-मंगलवार के अतारांकित प्रश्न सं0-28 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद लखनऊ के नगर निगम द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-2022 में निजी क्षेत्र के पेट्रोल पम्प से क्रय किये गये डीजल के भुगतान सम्बन्धी

160-डॉ0 नीरज बोरा-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखनऊ के नगर निगम द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-2022 तथा वर्ष 2022 से अद्यतन निजी क्षेत्र के पेट्रोल पम्प से डीजल आपूर्ति ली जा रही है ? यदि हां, तो क्या डीजल आपूर्ति सम्बन्धी सभी भुगतान किये जा चुके हैं ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

जी हां।

जी नहीं।

धन की उपलब्धता के आधार पर नियमानुसार भुगतान की कार्यवाही की जा रही है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शाहजहांपुर के कार्यालय खण्ड तिलहर में अधिशासी अभियन्ता की जांच करने विषयक

161-श्री वीर विक्रम सिंह-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर के कार्यालय खण्ड तिलहर में अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण में निजी नलकूप के कनेक्शन फार्म के साथ बारह सौ रुपये का चालान ना लगाने तथा कार्यालय द्वारा करीब पन्द्रह लाख रुपये के गबन की जांच मुख्य विकास अधिकारी शाहजहांपुर के आदेश पर दिनांक 12-12-2020 को जिला कृषि अधिकारी, शाहजहांपुर द्वारा की गयी है ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि वर्तमान में उपरोक्त जांच अपर पुलिस महानिदेशक सतर्कता पावर कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा की जा रही है ? यदि हां, तो क्या जांच पूर्ण हो गयी है ? यदि हां, तो उक्त के क्या परिणाम हैं ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ?

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

प्रकरण में मुख्य विकास अधिकारी शाहजहांपुर के आदेश पर दिनांक 12-12-2020 को जिला कृषि अधिकारी, शाहजहांपुर द्वारा गबन की जांच कारपोरेशन के संज्ञान में नहीं है और न ही उसकी कोई जांच आख्या प्राप्त हुई है।

जी हां, उपरोक्त प्रकरण की जांच उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन की सतर्कता इकाई द्वारा की गयी।

जांचोपरान्त प्रकरण में दोषी पाये गये कार्मिक श्री नरेश पाल सिंह (95135) तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह (2011017) तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता, श्री जितेन्द्र कुमार अवस्थी, तत्कालीन कार्यालय सहायक श्री राम स्वरूप, तत्कालीन कार्यालय सहायक एवं श्री राज कुमार कुर्मी (2014135), तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता को निन्दा प्रविष्टि, उनकी दो वेतन वृद्धि संचयी प्रभाव से रोके जाने एवं उनसे धनराशि की वसूली कर उपयुक्त दण्ड दिया जा चुका है।

उक्त की 25 प्रतियां मा0 सभापति कार्यालय में रख दी गयी हैं।

इन्दिरा गांधी प्रतिष्ठान व जनेश्वर मिश्र पार्क की भांति ईको गार्डेन को भुगतान के आधार पर विवाह आदि उत्सवों हेतु आरक्षित करने विषयक

162-श्री तूफानी सरोज-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इन्दिरा गांधी प्रतिष्ठान व जनेश्वर मिश्र पार्क की भांति कैलाशपुरी, आलमबाग स्थित ईको गार्डेन में स्थापित जनसुविधा केन्द्र को भी भुगतान

के आधार पर विवाह आदि उत्सवों हेतु आम जनता के लिए आरक्षित करने पर सरकार निर्देश जारी करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

उक्त स्थल को विवाह आदि उत्सवों हेतु आम जनता के लिए आरक्षित किया जाना प्रस्तावित नहीं है।

जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र पडरौना में रिंग रोड का निर्माण कराने विषयक

163-श्री मनीष कुमार उर्फ मन्टू-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र पडरौना, जनपद मुख्यालय में रिंग रोड न होने के कारण आमजन को ट्रैफिक की समस्या से जूझना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या सरकार कुशीनगर के जनपदीय मुख्यालय पडरौना में आवागमन की सुविधा हेतु रिंग रोड का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रिजेश-

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार की अनुमोदित वार्षिक कार्य योजना 2022-23 में रा0मा0 सं0-727 (पुराना रा0मा0 सं0-28बी) कसया-कुशीनगर-छितौनी बगहा-बेतिया-छपवा कुल लम्बाई 57.815 कि0मी0 के सुदृढ़ीकरण एवं उन्नयन का कार्य सम्मिलित है, जिसमें पडरौना (कुशीनगर) के बाईपास का निर्माण कार्य भी सम्मिलित है। अनुमोदित कार्य योजना के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 में इस कार्य की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति लक्षित है। पडरौना (कुशीनगर) बाईपास के संरेखण के अनुमोदन हेतु दिनांक 01-06-2022 को दिशा की बैठक सम्पन्न हो चुकी है, जिसमें अनुमोदन प्रदान किया जा चुका है। वर्तमान में डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डी0पी0आर0) गठन का कार्य प्रगति में है।

जनपद मुरादाबाद के नगर कुंदरकी, नगर सम्भल आदि क्षेत्रों में जल भराव की समस्या से निदान दिलाये जाने विषयक

164-श्री जियाउर्रहमान-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मुरादाबाद के नगर कुंदरकी, नगर सम्भल और महानगर मुरादाबाद में अति वर्षा से जल भराव के कारण जन-जीवन पूर्ण रूप से अस्त-व्यस्त हो चुका है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त क्षेत्रों में जल भराव की समस्या से निदान दिलाये जाने की कोई योजना बनायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

जनपद मुरादाबाद के नगर पंचायत कुंदरकी, नगर पालिका परिषद् सम्भल और नगर निगम मुरादबाद में अति वर्षा से जल भराव की गम्भीर समस्या नहीं है। उक्त निकायों द्वारा वर्ष भर कार्य योजना बनाकर नालों की सफाई का कार्य कराया जाता है, जिन नालों में अवरोध की स्थिति उत्पन्न होती है, वहां नालों पर मशीनों व मैनपावर द्वारा अवरोध की समस्या का निदान अविलम्ब कराया जाता है। निकायों के चलते क्षेत्रों में पम्पिंग सेट लगाकर जल जमाव की समस्या का भी निदान किया जाता है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद ललितपुर के नगर पालिका परिषद् को स्मार्ट सिटी योजनान्तर्गत विकसित किये जाने विषयक

165-श्री रामरतन कुशवाहा-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद ललितपुर के विधान सभा क्षेत्र ललितपुर के क्षेत्रान्तर्गत नगर पालिका परिषद् को स्मार्ट सिटी मिशन के अन्तर्गत चयनित किया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त योजना के अन्तर्गत कराये जाने वाले कार्य प्रारम्भ करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद ललितपुर में देवगढ़ से बुढ़वार पी0एम0जी0एस0वाई0 मार्ग तक बाईपास मार्ग का जीर्णोद्धार कराये जाने विषयक

166-श्री रामरतन कुशवाहा-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद ललितपुर के विधान सभा क्षेत्र ललितपुर के क्षेत्रान्तर्गत नगर पालिका परिषद् ललितपुर में देवगढ़ रोड से बुढ़वार पी0एम0जी0एस0वाई0 मार्ग तक क्षतिग्रस्त शहरी बाईपास सम्पर्क मार्ग का जीर्णोद्धार सरकार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रिजेश-

ललितपुर-देवगढ़ मार्ग से बुढ़वार सम्पर्क मार्ग के पुनः निर्माण की लम्बाई 1.95 कि0मी0 एवं आंकलित लागत धनराशि रु0 122.70 लाख है। उक्त मार्ग के पुनः निर्माण की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद ललितपुर में पारौन हजारिया सम्पर्क मार्ग पर दीर्घ सेतु का निर्माण कराये जाने विषयक

167-श्री रामरतन कुशवाहा-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद ललितपुर के विधान सभा क्षेत्र ललितपुर के विकास खण्ड बार के ग्राम पारौन में पारौन-हजारिया सम्पर्क मार्ग पर दीर्घ सेतु निर्माण हेतु दिनांक 19-06-2021 को झांसी मण्डल, झांसी नगर में मुक्ताकाशी मंच से घोषणा की गयी थी ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सेतु का निर्माण आरम्भ करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रिजेश-

जी हां।

प्रस्तावित स्थल पर 151.130 मी0 लम्बाई के सेतु के निर्माण की आवश्यकता होगी, जिसकी स्वीकृति वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद रायबरेली के तहसील लालगंज के ग्राम खजूरगांव में 33/11 के0वी0ए0 विद्युत उपकेन्द्र की स्थापना कराने विषयक

168-श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद रायबरेली के तहसील लालगंज के ग्राम खजूरगांव में 33/11 के0वी0ए0 विद्युत उपकेन्द्र की स्थापना सरकार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

रिवैम्प्ड योजना के अन्तर्गत जनपद रायबरेली के तहसील लालगंज के ग्राम खजूरगांव के समीप अम्बारा पश्चिम में 33/11 के0वी0ए0 विद्युत उपकेन्द्र के निर्माण का कार्य मार्डनाइजेशन के अन्तर्गत प्रस्तावित है। योजना की स्वीकृति एवं धन की प्राप्ति पर उपकेन्द्र का निर्माण कराया जाना सम्भव है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रतापगढ़ के अन्तर्गत गाजी का बाग मुबारकपुर से गोसेपुर सम्पर्क मार्ग का नव निर्माण कराने विषयक

169-डॉ0 आर0 के0 वर्मा-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ की विधान सभा क्षेत्र रानीगंज अन्तर्गत गाजी का बाग मुबारकपुर कि0मी0-1 से ब्राह्मण बस्ती, पाल बस्ती, यादव बस्ती, अनुसूचित जाति बस्ती होते हुए गोसेपुर सम्पर्क मार्ग का नव निर्माण सरकार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रिजेश-

प्रश्नगत मार्ग के निर्माण कार्य की लम्बाई 2.00 कि0मी0 एवं अनुमानित लागत रु0 120.00 लाख आंकलित है। कार्य की स्वीकृति वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रतापगढ़ अन्तर्गत विकास खण्ड गौरा की ग्राम पंचायत के रेलवे अण्डर ब्रिज में जल भराव की समस्या से निजात दिलाने सम्बन्धी

170-डॉ0 आर0 के0 वर्मा-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ की विधान सभा क्षेत्र रानीगंज अन्तर्गत विकास खण्ड गौरा की ग्राम पंचायत पूरे गोसाई एवं गौरा में 3 वर्ष पूर्व निर्मित रेलवे अण्डर ब्रिज (आर0यू0बी0) में जल भराव होने से उक्त क्षेत्र की ग्राम पंचायतों के लोगों का आवागमन वर्षा काल में बाधित रहता है ? यदि हां, तो क्या सरकार आर0यू0बी0 में जल भराव की समस्या का समाधान करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रिजेश-

जनपद प्रतापगढ़ की विधान सभा क्षेत्र रानीगंज अन्तर्गत विकास खण्ड गौरा की ग्राम पंचायत पूरे गोसाई एवं गौरा में निर्मित रेलवे अण्डर ब्रिज (आर0यू0बी0) का निर्माण रेल विभाग द्वारा कराया गया है, जल निकासी का कार्य रेल विभाग से सम्बन्धित है।

प्रश्नगत आर0यू0बी0 में उत्पन्न जल भराव की समस्या का समाधान कराये जाने हेतु अध्यक्ष, रेलवे बोर्ड, भारत सरकार, नई दिल्ली से अनुरोध किया गया है।

कानपुर नगर निगम में सफाई कर्मियों की भर्ती कराने विषयक

171-श्री अमिताभ बाजपेयी-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर नगर निगम में आबादी के मानक अनुसार सफाई कर्मियों की भर्ती सरकार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

नगर निगम, कानपुर में वर्तमान में 5842 सफाई कर्मचारियों के माध्यम से नियमित रूप से साफ-सफाई का कार्य किया जा रहा है, जिनका विवरण निम्नवत् है:-

नियमित सफाई कर्मचारी-1481

संविदा सफाई कर्मचारी-1894

आउटसोर्सिंग सफाई कर्मचारी-2467

आवश्यकतानुसार सेवा प्रदाता के माध्यम से अतिरिक्त सफाई कर्मियों को रखा जाना स्थानीय निकाय के निर्णय पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद फतेहपुर सीकरी के टी0टी0जेड0 क्षेत्र में 24 घण्टे विद्युत आपूर्ति करने विषयक

172-श्री बाबूलाल-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा के फतेहपुर सीकरी विधान सभा क्षेत्र सहित समस्त जनपद को जोकि टी0टी0जेड0 योजना के अन्तर्गत आता है को वर्तमान में कितने घण्टे विद्युत आपूर्ति की जा रही है ? क्या सरकार उक्त टी0टी0जेड0 क्षेत्र में 24 घण्टे विद्युत आपूर्ति करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

जनपद आगरा के फतेहपुर सीकरी विधान सभा क्षेत्र सहित समस्त जनपद जो कि टी0टी0जेड0 योजना के अन्तर्गत आता है, को वर्तमान में 24 घण्टे विद्युत आपूर्ति किया जाना प्राविधानित है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बुलन्दशहर नगर में प्रवाहित काली नदी की सफाई और सौन्दर्यीकरण कराये जाने विषयक

173-श्री प्रदीप कुमार चौधरी-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बुलन्दशहर नगर में प्रवाहित काली नदी की सफाई और सौन्दर्यीकरण कराने का कार्य सरकार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

नगर पालिका परिषद्, बुलन्दशहर, जनपद बुलन्दशहर द्वारा नगरीय सीमा में स्थित काली नदी के घाटों व सीढ़ियों की साफ-सफाई का कार्य नियमित रूप से कराया जाता है। काली नदी के जल की स्वच्छता हेतु सीवर ट्रीटमेन्ट प्लान्ट (एस0टी0पी0) का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है, जो सुचारु रूप से संचालित है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बुलन्दशहर नगर में ट्रैफिक जाम से निराकरण हेतु बाईपास/रिंग रोड बनाने विषयक

174-श्री प्रदीप कुमार चौधरी-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बुलन्दशहर नगर में ट्रैफिक जाम की स्थिति के निराकरण हेतु बाईपास/रिंग रोड बनाने का कार्य सरकार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रिजेश-

जनपद बुलन्दशहर में गाजियाबाद की ओर जाने वाले मार्ग एवं अलीगढ की ओर जाने वाले मार्ग के मध्य पूर्व में ही राष्ट्रीय राजमार्ग-34 का 6 लेन बाईपास मार्ग बन चुका है। जनपद हापुड़ एवं मेरठ हेतु 4 लेन राष्ट्रीय राजमार्ग-334 शहर के मुख्य आबादी से दूर भूड़ चौराहे तक बना हुआ है। भूड़ चौराहे से राष्ट्रीय राजमार्ग-34 तक पहुंचने हेतु 2 लेन का शहरी मार्ग उपलब्ध है। शहर की मुख्य आबादी से इन दोनों राष्ट्रीय राजमार्ग तक पहुंचने हेतु भी 4 लेन व 2 लेन शहरी मार्ग उपलब्ध है। वर्तमान में ट्रैफिक जाम की कोई समस्या नहीं है। अतः रिंग रोड का निर्माण कराया जाना प्रस्तावित नहीं है।

जनपद बुलन्दशहर में भूड़ चौराहा का चौड़ीकरण एवं सौन्दर्यीकरण कराने विषयक

175-श्री प्रदीप कुमार चौधरी-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बुलन्दशहर में भूड़ चौराहा का चौड़ीकरण एवं सौन्दर्यीकरण कार्य सरकार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रिजेश-

जनपद बुलन्दशहर में भूड़ चौराहा का चौड़ीकरण एवं सौन्दर्यीकरण का कार्य पूर्व में बुलन्दशहर विकास प्राधिकरण द्वारा कराया गया था। वर्तमान में उक्त चौराहे पर ट्रैफिक जाम की कोई समस्या नहीं है। चौराहे पर यातायात का आवागमन सुचारु रूप से हो रहा है।

जनपद मऊ के मधुबन विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत कतिपय मार्गों का निर्माण कराने विषयक

176-श्री अभय सिंह-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रमुख सचिव, लोक निर्माण का पत्र संख्या-107, दिनांक 22-04-2022 जो जिला मऊ के मधुबन विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत कुल 12 मार्गों का निर्माण तथा अनुरक्षण कराने विषयक है, विभागाध्यक्ष को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रिजेश-

उक्त पत्र के क्रमांक-1, 5, 6, 10, 11 व 12 पर अंकित सात कार्यों की स्वीकृति वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है। क्रमांक-2 एवं 3 पर अंकित दो कार्य पी0एम0जी0एस0वाई के अन्तर्गत अनुरक्षणाधीन हैं। क्रमांक- 4, 7, 8, 9 पर अंकित चार कार्य प्रगति में हैं।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद आजमगढ़ की विधान सभा क्षेत्र लालगंज अन्तर्गत कतिपय सड़कों की मरम्मत कराने विषयक

177-श्री बेचई सरोज-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ की विधान सभा क्षेत्र लालगंज अन्तर्गत भारतीय स्टेट बैंक शाखा लालगंज से बैरीडीह लहुआ होते हुए गायत्री मोड़ तक तथा आजमगढ़-जौनपुर सड़क मार्ग से बेला मोड़ से रोहुआ (वाराणसी-आजमगढ़ सम्पर्क मार्ग) तक की सड़क गड्ढायुक्त और जर्जर है, जिस कारण जनता को आवागमन में कठिनाई हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्गों की मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रिजेश-

भारतीय स्टेट बैंक शाखा लालगंज से बैरीडीह लहुआ होते हुए गायत्री मोड़ तक तथा आजमगढ़-जौनपुर सड़क मार्ग से बेला मोड़ से रोहुआ (वाराणसी-आजमगढ़ सम्पर्क मार्ग) तक मार्गों पर कच्चे पैच का कार्य कराया जा रहा है एवं मौसम अनुकूलनोपरान्त मार्गों पर पक्का पैच का कार्य करा दिया जायेगा। उक्त दोनों मार्गों पर आवागमन यातायात हेतु सुगम है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद आजमगढ़ अन्तर्गत आजमगढ़ से जौनपुर से चिवटही तथा जौनपुर सड़क मार्ग से टड़िया पासी अनुसूचित बस्ती तक पिच रोड का निर्माण कराने विषयक

178-श्री बेचई सरोज-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ की विधान सभा क्षेत्र लालगंज के अन्तर्गत आजमगढ़ से जौनपुर सड़क मार्ग से सिंहणा होते हुए चिवटही तक पक्की सड़क की मरम्मत कार्य तथा आजमगढ़ से जौनपुर सड़क मार्ग से सराय मोहन बरबसपुर स्व0 बुधिराम सरोज के घर से होते हुए टड़िया पासी अनुसूचित बस्ती तक की नई पिच रोड का निर्माण कार्य सरकार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रिजेश-

जी हां।

जनपद आजमगढ़ से जौनपुर सड़क मार्ग से सिंहणा होते हुए चिवटही तक पक्की सड़क के विशेष मरम्मत का कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

आजमगढ़ से जौनपुर सड़क मार्ग से सराय मोहन बरबसपुर स्व0 बुधिराम सरोज के घर से होते हुए टड़िया पासी अनुसूचित बस्ती तक के नव निर्माण का कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

प्रदेश में स्मार्ट सिटी मिशन के अन्तर्गत संचालित विकास कार्यों के निरीक्षण का अधिकार निर्धारण विषयक

179-श्री अमिताभ बाजपेई-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में स्मार्ट सिटी मिशन के अन्तर्गत संचालित विकास कार्यों के निरीक्षण का अधिकार स्थानीय विधान मण्डल सदस्यों को किस नियम के अन्तर्गत प्राप्त है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा स्मार्ट सिटी मिशन के अन्तर्गत जारी गाइडलाइन्स-2015 के अनुसार परामर्श देने एवं विभिन्न हितधारकों में सहयोग के लिए एक स्मार्ट सिटी परामर्शी मंच (स्मार्ट सिटी एडवाइजरी फोरम) की स्थापना प्रत्येक स्मार्ट शहरों

के लिए की गयी है, जिसमें जिलाधिकारी, मा0 सांसद, मा0 विधायक, मा0 महापौर, विशेष प्रयोजन साधन (स्पेशल पर्पज व्हेकिल) के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, स्थानीय युवा, तकनीकी विशेषज्ञ आदि सदस्य नामित हैं तथा इसकी बैठकें त्रैमासिक रूप से आयोजित की जाती हैं।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बागपत की चीनी मिलों पर वर्तमान में किसानों की बकाया धनराशि के भुगतान विषयक

180-श्री अजय कुमार-

क्या गन्ना विकास एवं चीनी मिलें मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बागपत की चीनी मिलों पर वर्तमान में किसानों का कितने करोड़ रुपये गन्ना मूल्य भुगतान हेतु अवशेष है ? क्या सरकार उक्त भुगतान में विलम्ब की दशा में ब्याज सहित भुगतान सुनिश्चित करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लक्ष्मी नारायण-

दिनांक 12-09-2022 की सूचना के अनुसार जिला बागपत में स्थित चीनी मिलों यथा-रमाला, बागपत एवं मलकपुर पर पेराई सत्र, 2021-22 में गन्ना मूल्य क्रमशः रु0 57.46 करोड़, रु0 22.90 करोड़ एवं रु0 377.84 करोड़ भुगतान हेतु अवशेष है।

उ0प्र0 गन्ना (पूर्ति एवं खरीद विनियमन) अधिनियम, 1953 की धारा-17 के अन्तर्गत गन्ना मूल्य का त्वरित भुगतान एवं ब्याज के सम्बन्ध में व्यवस्था प्राविधानित है। तत्क्रम में गन्ना मूल्य विलम्बित करने पर चीनी मिलों को गन्ना समितियों की ओर से समय-समय पर ब्याज के बिल प्रेषित किये जाते हैं। इसके अतिरिक्त आवश्यक होने पर गन्ना मूल्य का भुगतान अत्यन्त विलम्बित करने वाली चीनी मिलों के विरुद्ध ब्याज सहित देयता निर्धारित करते हुए वसूली प्रमाण-पत्र भी निर्गत किये जाते हैं। पेराई सत्र 2021-22 के अवशेष गन्ना मूल्य के त्वरित भुगतान हेतु बकायेदार चीनी मिलों को दिनांक 25-02-2022 को नोटिसें निर्गत की गयी हैं। इसके साथ ही सक्षम स्तर से समय-समय पर विभिन्न समीक्षा बैठकों के माध्यम से बकायेदार चीनी मिलों को अवशेष गन्ना मूल्य के त्वरित भुगतान हेतु कड़े निर्देश भी दिये गये हैं।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बलिया के अन्तर्गत भोगालपुर दतहा-श्रीनगर में बन्धे एवं जर्जर सड़क की मरम्मत कराने विषयक

181-श्री जयप्रकाश अंचल-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलिया के अन्तर्गत भोगालपुर दतहा-श्रीनगर टी0एस0 बन्धे का लेपन कार्य वर्तमान में जर्जर है तथा सड़कें क्षतिग्रस्त हो जाने

के कारण जनता को आवागमन में परेशानी हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार जनहित में उक्त बन्धे का एवं जर्जर सड़कों का नव निर्माण/मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रिजेश-

प्रश्नगत मार्ग क्षतिग्रस्त है, जिसकी मरम्मत कार्य की स्वीकृति वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र बैरिया के अन्तर्गत लालगंज बाजार से शिवपुर घाट तक आने वाले मार्ग की मरम्मत कराने विषयक

182-श्री जयप्रकाश अंचल-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र बैरिया के अन्तर्गत लालगंज बाजार से शिवपुर घाट तक जाने वाला मार्ग जर्जर होने से लोगों को आवागमन में परेशानी हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार जनहित में उक्त मार्ग का निर्माण कार्य करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रिजेश-

प्रश्नगत मार्ग क्षतिग्रस्त है, जिसकी मरम्मत कार्य की स्वीकृति वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

कानपुर नगर निगम के बी0एन0 भल्ला अस्पताल बाबूपुरवा का पुनः निर्माण कराने विषयक

183-श्री मोहम्मद हसन रूमी-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर नगर निगम के बी0एन0 भल्ला अस्पताल बाबूपुरवा का पुनः निर्माण कराकर स्वास्थ्य विभाग को हस्तान्तरित करने पर सरकार विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

नगर निगम, कानपुर के डॉ0 बी0एन0 भल्ला अस्पताल, बाबूपुरवा में अरबन हेल्थ सेण्टर संचालित हो रहा है।

डॉ0 बी0एन0 भल्ला अस्पताल का पुनः निर्माण कर स्वास्थ्य विभाग को हस्तान्तरित किये जाने पर विचार किया जाना धन की उपलब्धता एवं स्थानीय निकाय के निर्णय पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद कानपुर नगर के कतिपय वार्डों में अमृत योजना के अन्तर्गत अधिक क्षमता की सीवर लाइन डलवाने के सम्बन्ध में

184-श्री मोहम्मद हसन रूमी-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कानपुर नगर के वार्ड 36, 102, 105, 80, 47, आंशिक 46, 73, 96, 29, आंशिक 62 छावनी विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत आबादी के अनुसार कम क्षमता की सीवर लाइन व पेयजल लाइन को अमृत योजना के अन्तर्गत अधिक क्षमता की सीवर लाइन डलवाने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

कानपुर नगर निगम के वार्ड 36, 102, 105, 80, 47, आंशिक 46, 73, 96, 29, आंशिक 62 छावनी विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत आबादी के अनुसार कम क्षमता की सीवर लाइन व पेयजल लाइन को अमृत योजना के अन्तर्गत अधिक क्षमता की सीवर लाइन डलवाने के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि उक्त क्षेत्र कानपुर सीवरेज डिस्ट्रिक्ट-1, 2 एवं 3 के अन्तर्गत आता है। अमृत-2.0 कार्यक्रम के अन्तर्गत उक्त क्षेत्र का वाटर एक्शन प्लान (सी0डब्लू0ए0पी0) तैयार कर लिया गया है। वाटर एक्शन प्लान (सी0डब्लू0ए0पी0) की स्वीकृति के उपरान्त उक्त योजना का प्राक्कलन, विरचन व धनावंटन की कार्यवाही की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

कानपुर नगर निगम के कतिपय वार्डों व छावनी विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत कैंट बोर्ड क्षेत्र के स्मार्ट सिटी योजना से आच्छादित किये जाने विषयक

185-श्री मोहम्मद हसन रूमी-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर नगर निगम के वार्ड 96, 73, 29, 99, 47, आंशिक 46, आंशिक 62, 74, 36, 80, 105, 102 व छावनी विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत कैंट बोर्ड में आने वाले क्षेत्र को कानपुर स्मार्ट सिटी योजना से आच्छादित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

सम्बन्धित वार्ड व कैन्ट बोर्ड स्मार्ट सिटी मिशन के अन्तर्गत ए0बी0डी0 एरिया से आच्छादित नहीं हैं।

स्मार्ट सिटी मिशन के अन्तर्गत योजनाएं अन्तिम रूप से चिन्हित हो गयी हैं। कोई भी नई योजना अब स्मार्ट सिटी मिशन में सम्मिलित नहीं की जा सकती है।

प्रदेश के नगरों में अण्डरग्राउण्ड पावर लाइन तथा महानगर वार आवंटित बजट का विवरण

186-श्री हर्षवर्धन बाजपेयी-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के किन नगर क्षेत्रों में पावर लाइन को अण्डरग्राउण्ड करने की योजना वर्तमान में संचालित है ? क्या सरकार बतायेगी कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में उक्त योजना में सरकार ने महानगर वार बजट आवंटित किया है ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

प्रदेश में जनपद अयोध्या एवं जनपद लखनऊ के अन्तर्गत पावर लाइन को अण्डरग्राउण्ड करने का कार्य कराया जा रहा है।

अयोध्या महानगर हेतु कुल स्वीकृत धनराशि रु0 186.47 करोड़ के सापेक्ष 50.97 करोड़ की धनराशि आवंटित की जा चुकी है तथा लखनऊ महानगर हेतु कुल स्वीकृत धनराशि रु0 115.66 करोड़ के सापेक्ष रु0 22.41 करोड़ आवंटित की जा चुकी है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद कानपुर नगर की छावनी विधान सभा क्षेत्र में बढ़ती मांग को देखते हुए 10 एम0वी0ए0 का नया सब-स्टेशन बनाने विषयक

187-श्री मोहम्मद हसन रूमी-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कानपुर नगर की छावनी विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत मीरपुर, फेथफुलगंज, खपरा मोहाल जो हैरिसगंज सब-स्टेशन के अन्तर्गत आते हैं, बढ़ती मांग व क्षेत्र की आबादी को देखते हुए 10 एम0वी0ए0 का नया सब-स्टेशन लगाने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

केस्को के अन्तर्गत कानपुर नगर की छावनी विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत हैरिसगंज खण्ड का उपखण्ड रेल बाजार जिसका 33/11 के0वी0 हैरिसगंज का क्षेत्र व कृष्णानगर का कुछ क्षेत्र आता है। उक्त क्षेत्र में एक नये विद्युत उपकेन्द्र के निर्माण का कार्य रिवैम्प्ड योजना के मार्डनाइजेशन के अन्तर्गत प्रस्तावित है। योजनान्तर्गत आवश्यक स्वीकृति एवं धन की उपलब्धता पर उक्त कार्य कराया जाना सम्भव है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद कानपुर नगर के छावनी विधान सभा क्षेत्र में आम जनमानस को जल-भराव की समस्या से निराकरण कराये जाने विषयक

188-श्री मोहम्मद हसन रूमी-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर नगर के छावनी विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत वार्ड 73, 96 के प्रमुख मार्ग वी0आई0पी0 रोड पर जलभराव होता है जिसके कारण आम-जनमानस को आवागमन में असुविधा होती है ? क्या सरकार उक्त क्षेत्र में जल-भराव की समस्या का निराकरण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

कानपुर नगर के छावनी विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत वार्ड 73, 96 के प्रमुख मार्ग, वी0आई0पी0 रोड पर जलभराव की समस्या के निराकरण हेतु निरीक्षणोपरान्त प्रस्ताव/आगणन तैयार कर लिया गया है। उक्त प्रस्ताव/आगणन की स्वीकृति वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखनऊ के विधान सभा क्षेत्र लखनऊ पश्चिम के पारा में रेलवे क्रासिंग पर ओवरब्रिज का निर्माण कराने विषयक

189-डॉ0 रागिनी-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखनऊ के विधान सभा क्षेत्र लखनऊ पश्चिम के पारा क्षेत्र में पारा रेलवे क्रासिंग पर ट्रैफिक जाम के निराकरण हेतु क्रासिंग पर ओवरब्रिज बनवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रिजेश-

प्रश्नगत सम्पार संख्या-8-स्पेशल-2/टी पर रेल उपरिगामी सेतु के निर्माण के लिए फिजिबिलिटी स्टडी की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

फिजिबिलिटी स्टडी के उपरान्त उक्त सम्पार पर रेल उपरिगामी सेतु का निर्माण फिजिबिल पाये जाने पर उक्त रेल उपरिगामी सेतु का निर्माण वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

190-श्री पंकज सिंह-

[02-गुरुवार के अतारांकित प्र0सं0-54 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

191-श्री पंकज सिंह-

[02-गुरुवार के अतारांकित प्र0सं0-64 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

192-श्री प्रदीप कुमार सिंह-

[04-मंगलवार के अतारांकित प्र0सं0-33 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद हाथरस के विकास खण्ड सहपऊ के ग्राम महरारा से नगला चिमन तक मार्ग का नवीनीकरण किये जाने विषयक

193-श्री प्रदीप कुमार सिंह-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हाथरस के विकास खण्ड सहपऊ के ग्राम महरारा से नगला चिमन का मार्ग जर्जर होने के कारण आवागमन में असुविधा हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग का नवीनीकरण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रिजेश-

प्रश्नगत मार्ग महरारा से चिमन वाया रिदायल मार्ग की लम्बाई 2.600 किमी0 है। यह मार्ग ग्रामीण श्रेणी का मार्ग है। महरारा से रिदायल तक की लम्बाई 1.100 किमी0 है, जिसकी स्थिति सन्तोषजनक है। रिदायल से नगला चिमन तक की लम्बाई 1.500 किमी0 है, जो आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है। मार्ग की विशेष मरम्मत का कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद जौनपुर की तहसील जौनपुर के ग्राम दरिबा की श्रीमती शीला देवी की भूमि का मुआवजा दिलाये जाने के सम्बन्ध में

194-श्री अखिलेश-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि संयुक्त सचिव, उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या-782/23-2-21-95(सा0)/21, दिनांक 17-12-2021 जो जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र जफराबाद की तहसील जौनपुर के ग्राम दरिबा की श्रीमती शीला देवी के भू-खण्ड संख्या-126/0.1780 हे0 जो जफराबाद बाईपास रोड के निर्माण में अधिग्रहीत की गई भूमि का मुआवजा दिलाने के सम्बन्ध में है, प्रमुख अभियन्ता, विकास एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रिजेश-

जी हां।

जफराबाद-बाईपास रोड के संरेखण में स्थित ग्राम-दरिबा, परगना जफराबाद, तहसील सदर, जौनपुर के गाटा सं0-126 में विभाग द्वारा कुल अर्जित की गयी भूमि का क्षेत्रफल 0.0360 हे0 है। सम्बन्धित गाटा सं0-126 का भूमि विवाद का द्वितीय अपील सं0-76 ऑफ 2021 मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में शीला देवी बनाम मोतीलाल व अन्य के मध्य लम्बित है, जिसके कारण अर्जित भूमि का मुआवजा वितरण नहीं किया जा सका है। विषयगत भूमि के सम्बन्ध में अग्रिम कार्यवाही मा0 न्यायालय के अन्तिम निर्णय के अनुसार नियमानुसार की जा सकेगी।

उपरोक्तानुसार।

जनपद बांदा के कस्बा अतर्रा में क्षतिग्रस्त एवं गड्ढायुक्त सड़क का नव निर्माण कराने विषयक

195-डॉ0 संग्राम यादव-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बांदा के कस्बा अतर्रा में स्टेशन रोड क्षतिग्रस्त एवं गड्ढायुक्त होने के कारण लोगों को आवागमन में असुविधा होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग का नव निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

जी हां। जिलाधिकारी, बांदा के पत्र दिनांक 13 सितम्बर, 2022 द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्या के अनुसार नगर पालिका सीमान्तर्गत स्थित स्टेशन रोड नगर पालिका परिषद् अतर्रा के स्वामित्व में है। नगर पालिका बोर्ड की आगामी बैठक में उक्त कार्य का प्रस्ताव तैयार कराकर प्राथमिकता पर धनराशि उपलब्ध होने पर निर्माण कार्य करा दिया जायेगा।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद बांदा के कस्बा अतर्रा में क्षतिग्रस्त रामलीला मैदान रोड का निर्माण कराने विषयक

196-डॉ0 संग्राम यादव-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बांदा के कस्बा अतर्रा में रामलीला मैदान रोड क्षतिग्रस्त एवं गड्ढायुक्त होने के कारण लोगों को आवागमन में असुविधा होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग का निर्माण कार्य करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

जी नहीं। सन्दर्भगत मार्ग में जो गड्ढे थे उन्हें पालिका द्वारा मौरंग डलवा कर वाहन चलने योग्य (मोटेरेबुल) करा दिया गया है।

जिलाधिकारी, बांदा के पत्र दिनांक 13 सितम्बर, 2022 द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्या के अनुसार नगर पालिका, अतर्रा जनपद बांदा सीमान्तर्गत स्थित रामलीला मैदान रोड क्षतिग्रस्त व गड्ढायुक्त होने के कारण आम-जनमानस को असुविधा हो रही है, जिसके दृष्टिगत पालिका द्वारा मौरंग डलवाकर गड्ढा मुक्त कराया गया है। साथ ही नव निर्माण हेतु 15वें वित्त आयोग की कार्य योजना में सम्मिलित करते हुए सन्दर्भगत मार्ग का नव निर्माण कर दिया जायेगा।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद संत कबीर नगर के खलीलाबाद नगर पालिका के ग्राम बंजरिया में अवैध कब्जा हटाकर सड़क का निर्माण कराने विषयक

197-श्री अखिलेश-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद संत कबीर नगर के खलीलाबाद नगर पालिका के ग्राम बंजरिया में गाटा सं0-4, 7, 14, 21 में दर्ज चकनाली पर कतिपय लोगों द्वारा किये गये अवैध कब्जा हटाने के लिए पी0पी0 एक्ट 4/7 के तहत कार्यवाही की गयी है ? यदि हां, तो उक्त का विवरण क्या है ? क्या उक्त गाटों से अवैध कब्जा हटवा कर सार्वजनिक रास्ता बनवा दिया गया है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो अभिलेखीय जांच में अवैध कब्जा होने की पुष्टि होने के बावजूद भी अवैध कजा न हटाने के क्या कारण हैं ? क्या सरकार उक्त के लिए दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

जिलाधिकारी, सन्तकबीरनगर के पत्र दिनांक 14-09-2022 के माध्यम से उपलब्ध करायी गयी आख्यानुसार जनपद सन्तकबीरनगर के खलीलाबाद नगर पालिका के ग्राम बंजरिया में गाटा संख्या-4, 7, 14 तथा 21 की स्थिति इस प्रकार है-

गाटा संख्या-4/0.017 हेक्टेयर जो राजस्व अभिलेख खतौनी में नाली दर्ज है तथा मौके पर खाली है।

गाटा संख्या-7/0.005 चकमार्ग खाते की भूमि है, जिस पर सार्वजनिक रास्ता बना हुआ है।

गाटा संख्या-21/0.054 हेक्टेयर नाली के कुछ भाग का सार्वजनिक रास्ते के रूप में प्रयोग किया जा रहा है। शेष भूमि खाली है।

गाटा संख्या-14/0.041 हेक्टेयर नाली के कुछ भाग का सार्वजनिक रास्ते के रूप में उपयोग किया जा रहा है तथा कुछ भाग पर निम्नलिखित व्यक्तियों द्वारा अवैध कब्जा किया गया है :-

1-अमीन खातून पत्नी शेर अली का गाटा संख्या-14/0.041 हेक्टेयर में से 2x33.9 वर्गफीट पर पक्का मकान।

2-सफी मोहम्मद पुत्र तजम्मुल हुसैन, गाटा संख्या-14/0.41 हेक्टेयर में से 3x37 वर्गफीट पर पक्का मकान।

3-शकुन्तला देवी पत्नी धीरेन्द्र कुमार गाटा संख्या-14/0.041 हेक्टेयर में से 3x24 वर्गफीट पर पक्का मकान।

4-मजीद, मारूफ, लतीफ्फ पुत्रगण अनवर गाटा संख्या-14/0.041 हेक्टेयर में से 6x233 वर्गफीट पर बाउण्ड्रीवाल।

उपरोक्त व्यक्ति बंजरिया के निवासी हैं तथा किये गये अवैध कब्जे को हटाने के लिए पी0पी0 एक्ट के अन्तर्गत न्यायालय उपजिलाधिकारी, खलीलाबाद में वाद संख्या-5749/2021, 5750/2021, 5752/2021 व 5751/2021 दिनांक 04 अगस्त, 2021 को दाखिल किया गया है, जो विचाराधीन है। नगर पालिका परिषद् खलीलाबाद द्वारा प्रभावी पैरवी की जा रही है। उक्त वादों में अगली सुनवाई तिथि 30-09-2022 नियत है।

जनपद संत कबीर नगर के खलीलाबाद नगर पालिका के ग्राम बंजरिया में अवैध कब्जा हटाने विषयक जानकारी

198-श्री अखिलेश-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सन्तकबीरनगर के खलीलाबाद नगर पालिका के ग्राम बंजरिया में गाटा सं0-4, 7, 14, 21 में दर्ज चकनाली अवैध कब्जा को हटाने के लिए पी0पी0 एक्ट 4/7 के तहत दिनांक 04-08-2021 को उप जिलाधिकारी, खलीलाबाद में वाद संस्थित है ? यदि हां, तो दिनांक 04-08-2021 से दिनांक 20-07-2022 तक उप जिलाधिकारी, खलीलाबाद द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

जिलाधिकारी, सन्तकबीरनगर के पत्र दिनांक 14-09-2022 के माध्यम से उपलब्ध करायी गयी आख्यानुसार जनपद सन्तकबीरनगर के खलीलाबाद नगर पालिका के ग्राम बंजरिया में गाटा संख्या-4, 7, 14 तथा 21 की स्थिति इस प्रकार है :-

गाटा संख्या-4/0.017 हेक्टेयर जो राजस्व अभिलेख खतौली में नाली दर्ज है तथा मौके पर खाली है।

गाटा संख्या-7/0.005 चकमार्ग खाते की भूमि है, जिस पर सार्वजनिक रास्ता बना हुआ है।

गाटा संख्या-21/0.054 हेक्टेयर नाली के कुछ भाग का सार्वजनिक रास्ते के रूप में प्रयोग किया जा रहा है। शेष भूमि खाली है।

गाटा संख्या-14/0.041 हेक्टेयर नाली के कुछ भाग का सार्वजनिक रास्ते के रूप में उपयोग किया जा रहा है तथा कुछ भाग पर निम्नलिखित व्यक्तियों द्वारा अवैध कब्जा किया गया है :-

1-अमीन खातून पत्नी शेर अली का गाटा संख्या-14/0.041 हेक्टेयर में से 2x 33.9 वर्गफीट पर पक्का मकान।

2-सफी मोहम्मद पुत्र तजम्मुल हुसैन, गाटा संख्या-14/0.041 हेक्टेयर में से 3x37 वर्गफीट पर पक्का मकान।

3-शकुन्तला देवी पत्नी धीरेन्द्र कुमार गाटा संख्या-14/0.041 हेक्टेयर में से 3x24 वर्गफीट पर पक्का मकान।

4-मजीद, मारूफ, लतीफ पुत्रगण अनवर गाटा संख्या-14/0.041 हेक्टेयर में से 6x233 वर्गफीट पर बाउण्ड्रीवाल।

उपरोक्त व्यक्ति बंजरिया के निवासी हैं तथा किये गये अवैध कब्जे को हटाने के लिए पी0पी0 एक्ट के अन्तर्गत न्यायालय उप जिलाधिकारी, खलीलाबाद में वाद संख्या-5749/2021, 5750/2021, 5752/2021 व 5751/2021, दिनांक 04 अगस्त, 2021 को दाखिल किया गया है, जो विचाराधीन है। नगर पालिका परिषद् खलीलाबाद द्वारा वाद में अपना सम्पूर्ण साक्ष्य नियत तिथि 12-09-2022 को दाखिल किया जा चुका है। प्रतिवादीगण द्वारा अपना कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। वाद में नगर पालिका परिषद् खलीलाबाद द्वारा प्रभावी पैरवी की जा रही है। उक्त वाद में अगली सुनवाई तिथि 30-09-2022 नियत है।

जनपद चित्रकूट में सपहा अनुसूचित जाति बस्ती होते हुए खोह तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण कराने विषयक

199-श्री अनिल प्रधान-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद चित्रकूट में सपहा अनुसूचित जाति बस्ती होते हुए खोह तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य सरकार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रिजेश-

ग्राम सपहा अनुसूचित जाति बस्ती एवं ग्राम खोह सिंगल कनेक्टिविटी के तहत पक्के मार्ग से जुड़े हैं। प्रश्नगत मार्ग डबल कनेक्टिविटी से सम्बन्धित है। वर्तमान में लोक निर्माण विभाग में ग्रामों को डबल कनेक्टिविटी के आधार पर जोड़ने की कोई योजना प्रचलित नहीं है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद चित्रकूट के ग्राम पंचायत परसौंजा में सम्पर्क मार्ग का निर्माण कराने विषयक

200-श्री अनिल प्रधान-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद चित्रकूट के ग्राम पंचायत परसौंजा में राजू ठाकुर के पुरवा से साधूशरण सिंह के मकान तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य सरकार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रिजेश-

सूचना एकत्र की जा रही है।

[12:20] उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्यों एवं प्रसिद्ध हास्य कलाकार श्री राजू श्रीवास्तव के निधन पर शोकोद्‌गार

श्री अध्यक्ष-

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री रघुवीर सिंह जी का 28 सितम्बर, 2021 को निधन हो गया। वह लगभग 72 वर्ष के थे। श्री रघुवीर सिंह का जन्म 06 सितम्बर, 1949 को ग्राम नरहुली, जिला एटा में हुआ था। उन्होंने स्नातकोत्तर, एल0एल0बी0 की शिक्षा ग्रहण की थी। श्री रघुवीर सिंह वर्ष 1993 में निर्वाचन क्षेत्र जलेसर, जिला एटा से समाजवादी पार्टी के टिकट पर विधान सभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे। श्री रघुवीर सिंह एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं सामाजिक कार्यकर्ता थे। वह डॉ0 अम्बेडकर जन-कल्याण मंच, नरहुली के अध्यक्ष एवं आवास कल्याण संघ, फरीदाबाद के सांस्कृतिक सचिव थे। सामाजिक कार्यों एवं खेलों में उनकी विशेष रुचि थी। श्री रघुवीर सिंह के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया है।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री सुरेश बंसल जी का 29 जनवरी, 2022 को निधन हो गया। वह लगभग 80 वर्ष के थे। श्री सुरेश बंसल का जन्म 16 जून, 1942 को दादरी, जिला गौतमबुद्धनगर में हुआ था। उन्होंने स्नातकोत्तर की शिक्षा ग्रहण की थी। श्री सुरेश बंसल वर्ष 2012 में निर्वाचन क्षेत्र गाजियाबाद, जिला गाजियाबाद से बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर विधान सभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे। श्री सुरेश बंसल नगर पालिका, दादरी के अध्यक्ष रहे थे। वह वैदिक कन्या इण्टर कालेज, दादरी के मैनेजर तथा अग्रसेन इण्टर कालेज व मीरभोज डिग्री कालेज, दादरी, गाजियाबाद के आजीवन सदस्य भी थे। वह एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं सामाजिक कार्यकर्ता थे। समाजसेवा में उनकी विशेष रुचि थी। श्री सुरेश बंसल के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया है।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री हरिवंश सहाय का 09 जून, 2022 को निधन हो गया। वह लगभग 83 वर्ष के थे। श्री हरिवंश सहाय का जन्म 11 दिसम्बर, 1939 में ग्राम विशम्भरपुर, जिला देवरिया में हुआ था। उन्होंने एम0एस0सी0 तक की शिक्षा ग्रहण की थी। श्री हरिवंश सहाय वर्ष 1969 में संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी, वर्ष 1980 में जनता दल (एस0) चरण सिंह, वर्ष 1989 तथा 1991 में जनता दल से निर्वाचन क्षेत्र भाटपाररानी, जिला देवरिया से विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुये थे। वह 11वीं लोक सभा के सदस्य भी रहे थे। श्री हरिवंश सहाय विधान सभा की विभिन्न समितियों के सदस्य रहे थे। वह विभिन्न आन्दोलनों के अन्तर्गत जिला कारागार, देवरिया एवं केन्द्रीय कारागार (नैनी) इलाहाबाद में बन्दी रहे थे। श्री हरिवंश सहाय अनेक शिक्षण संस्थाओं के अध्यक्ष तथा मंत्री, जिला सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष तथा राष्ट्रीय सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष और राष्ट्रीय सोशलिस्ट पार्टी की अनुशासन समिति के सदस्य रहे थे। गरीबों तथा कमजोर वर्ग के लोगों की सहायता तथा अन्याय का विरोध करने में उनकी विशेष रुचि थी। श्री हरिवंश सहाय के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया है।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री सूर्यभान सिंह का 17 जून, 2022 को निधन हो गया। वह लगभग 72 वर्ष के थे। श्री सूर्यभान सिंह का जन्म 05 फरवरी, 1950 को जिला सुल्तानपुर में हुआ था। उन्होंने हाई स्कूल तक की शिक्षा ग्रहण की थी। श्री सूर्यभान सिंह वर्ष 1989 में निर्वाचन क्षेत्र जैसिंहपुर, जिला सुल्तानपुर से जनता दल तथा वर्ष 1996 व 2017 में निर्वाचन क्षेत्र सुल्तानपुर, जिला सुल्तानपुर से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुये थे। श्री सूर्यभान सिंह किसान आन्दोलन में जिला कारागार, सुल्तानपुर में बन्दी रहे थे। वह राणा प्रताप डिग्री कॉलेज सहित सुल्तानपुर की विभिन्न शिक्षण संस्थाओं की प्रबन्ध समितियों के सदस्य रहे थे। सामाजिक कार्यों में उनकी विशेष रुचि थी तथा जन-सम्पर्क प्रिय था। श्री सूर्यभान सिंह के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया है।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री आर्य रामसरन का 02 जुलाई, 2022 को निधन हो गया। श्री आर्य रामसरन का जन्म ग्राम-मडनई, तहसील सादाबाद, जिला हाथरस में हुआ था। श्री आर्य रामसरन वर्ष 2001 में हुए उपचुनाव में निर्वाचन क्षेत्र सादाबाद, जिला हाथरस से राष्ट्रीय लोकदल के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुये थे। श्री आर्य रामसरन विभिन्न आन्दोलनों के अन्तर्गत बरेली, मथुरा, लखनऊ तथा तिहाड़ जेल, दिल्ली में बन्दी रहे थे। वह आर्य समाज के जिला मंत्री रहे थे। समाज सेवा एवं राजनीति में उनकी विशेष रुचि थी। श्री आर्य रामसरन के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया है।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य कैप्टन बलदेव सिंह का 16 जुलाई, 2022 को निधन हो गया। वे लगभग 80 वर्ष के थे। कैप्टन बलदेव सिंह का जन्म 16 सितम्बर, 1942 को दिल्ली में हुआ था। उन्होंने इण्टरमीडिएट नेशनल डिफेन्स अकादमी से ग्रेजुएट की शिक्षा ग्रहण करी थी। कैप्टन बलदेव सिंह वर्ष 1985 में निर्वाचन क्षेत्र अलीगढ़, जिला अलीगढ़ से कांग्रेस (आई0) के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुए थे। कैप्टन बलदेव सिंह भूतपूर्व सैनिक कल्याण परिषद् के अध्यक्ष रहे थे। पर्यावरण एवं खेलों में उनकी विशेष रुचि थी। कैप्टन बलदेव सिंह के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया है।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री राजेन्द्र का 04 अगस्त, 2022 को निधन हो गया। वे लगभग 78 वर्ष के थे। श्री राजेन्द्र का जन्म 01 मई, 1944 को जिला बिजनौर में हुआ था। श्री राजेन्द्र वर्ष 1991 में निर्वाचन क्षेत्र नजीबाबाद (अ0जा0), जिला बिजनौर से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर विधान सभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे। श्री राजेन्द्र एक कुशल राजनीतिक एवं सामाजिक कार्यकर्ता थे। वे अपने क्षेत्र के विकास के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहते थे। समाज सेवा में उनकी विशेष रुचि थी। श्री राजेन्द्र के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया है।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री मोतीलाल पैलवी का 09 अगस्त, 2022 को निधन हो गया। वे लगभग 80 वर्ष के थे। श्री मोतीलाल पैलवी का जन्म 01 जुलाई, 1942 को रामनगर-मुड़िया, जिला खीरी में हुआ था। उन्होंने विधि स्नातक तक की शिक्षा ग्रहण की थी। श्री मोतीलाल पैलवी वर्ष 1996 में निर्वाचन क्षेत्र पैला (अ0जा0), जिला खीरी से समाजवादी पार्टी के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुए थे। श्री मोतीलाल पैलवी विभिन्न आन्दोलनों के अन्तर्गत जिला कारागार, खीरी तथा लखनऊ में बन्दी रहे थे। वे मस्ताना सीनियर विद्यालय, टिकौला, लखीमपुर के प्रबन्धक रहे थे। सामाजिक कार्यों तथा समाज सेवा में उनकी विशेष रुचि थी। श्री मोतीलाल पैलवी के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया है।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री प्रेमपाल सिंह का 31 अगस्त, 2022 को निधन हो गया। वे लगभग 68 वर्ष के थे। श्री प्रेमपाल सिंह का जन्म 16 जुलाई, 1954 को बरामोडेला, जिला एटा में हुआ था। उन्होंने एम0ए0, एम0एड0 की शिक्षा ग्रहण की थी। श्री प्रेमपाल सिंह वर्ष 1985 में निर्वाचन क्षेत्र जलेसर (अ0जा0), जिला एटा से कांग्रेस (आई0) के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुए थे। श्री प्रेमपाल सिंह विभिन्न राजनीतिक आन्दोलनों के अन्तर्गत जिला कारागार, आगरा में बन्दी रहे थे। वे भारतीय युवक कांग्रेस (आई0) के युवा समन्वयक रहे थे तथा सामाजिक कार्यों, प्रौढ़ शिक्षा के प्रसार एवं अपने क्षेत्र के

विकास के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहे। देश सेवा और समाज सेवा में उनकी विशेष रुचि थी। श्री प्रेमपाल सिंह के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया है।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री रामवीर उपाध्याय का 02 सितम्बर, 2022 को निधन हो गया। वे लगभग 65 वर्ष के थे। श्री रामवीर उपाध्याय का जन्म 01 अगस्त, 1957 को बामौली, जिला हाथरस में हुआ था। उन्होंने स्नातक, एल-एल0बी0 की शिक्षा ग्रहण की थी। श्री रामवीर उपाध्याय वर्ष 1996 में निर्वाचन क्षेत्र हाथरस, जिला अलीगढ़, वर्ष 2002 व 2007 में निर्वाचन क्षेत्र हाथरस, जिला हाथरस तथा वर्ष 2012 में निर्वाचन क्षेत्र सिकन्दराराऊ, जिला महामायानगर व वर्ष 2017 में निर्वाचन क्षेत्र सादाबाद, जिला हाथरस से बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुए थे। श्री रामवीर उपाध्याय सुश्री मायावती मंत्रि-मण्डल एवं श्री कल्याण सिंह मंत्रि-मण्डल के सदस्य रहे थे। वे मुख्य सचेतक, बहुजन समाज पार्टी विधान मण्डल दल तथा विधान सभा की विभिन्न समितियों के सदस्य भी रहे थे। समाज सेवा में उनकी विशेष रुचि तथा अध्ययन प्रिय थे। श्री रामवीर उपाध्याय के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया है।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री राम नरेश रावत का 04 सितम्बर, 2022 को निधन हो गया। वे लगभग 60 वर्ष के थे। श्री राम नरेश रावत का जन्म 07 मई, 1962 को दौलतपुर, जिला रायबरेली में हुआ था। उन्होंने एम0ए0, एल-एल0बी0 की शिक्षा ग्रहण की थी। श्री राम नरेश रावत वर्ष 2017 में निर्वाचन क्षेत्र बछरांवा, जिला रायबरेली से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुए थे। वे विधान परिषद् के सदस्य भी रहे थे। श्री राम नरेश रावत, विधान सभा एवं विधान परिषद् की विभिन्न समितियों के सदस्य एवं सचेतक, भारतीय जनता पार्टी विधान परिषद् विधायक दल रहे थे। वे छात्र संघ अध्यक्ष, युवक मंगल दल, दौलतपुर के संस्थापक अध्यक्ष तथा अनुसूचित जाति मोर्चा भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री एवं प्रदेश अध्यक्ष व भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के प्रदेश उपाध्यक्ष भी रहे थे। उनको बाराबंकी के सर्वश्रेष्ठ युवा पुरस्कार एवं राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। लेखन, सामाजिक गतिविधियाँ, अध्यापन, कमजोर वर्ग के उत्थान व उनको समाज की मुख्यधारा में लाने में उनकी विशेष रुचि थी। श्री राम नरेश रावत के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया है।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री कमाल यूसुफ मलिक का 05 सितम्बर, 2022 को निधन हो गया। वे लगभग 75 वर्ष के थे। श्री कमाल यूसुफ मलिक का जन्म 01 जुलाई, 1947 को कादिराबाद, जिला सिद्धार्थनगर में हुआ था। उन्होंने हाई स्कूल तक की शिक्षा ग्रहण की थी। श्री कमाल यूसुफ मलिक वर्ष 1977 में जनता पार्टी, 1980 में जनता एस0 चरण सिंह पार्टी तथा 1985 में लोकदल के टिकट पर निर्वाचन क्षेत्र डुमरियागंज जिला बस्ती

से, वर्ष 2002 में समाजवादी पार्टी व 2012 में पीस पार्टी के टिकट पर निर्वाचन क्षेत्र डुमरियागंज तथा जिला सिद्धार्थनगर से विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुए थे। श्री कमाल यूसुफ मलिक श्री मुलायम सिंह यादव मंत्रि-मण्डल के सदस्य रहे थे। वे अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश वक्फ विकास निगम लिमिटेड तथा विधान सभा में सचेतक व लोकदल व लोक लेखा समिति सहित विभिन्न महत्वपूर्ण समितियों के सदस्य भी रहे एवं विभिन्न आन्दोलनों के अन्तर्गत जिला कारागार बस्ती और लखनऊ में बन्दी रहे थे। वे अल्पसंख्यक आयोग उत्तर प्रदेश के सदस्य, सिद्धार्थ चेतना एवं कौमी एकता संस्थान डुमरियागंज तथा मौलाना आजाद महाविद्यालय, सहित विभिन्न शिक्षण संस्थाओं से अध्यक्ष तथा प्रबन्धक के रूप में सम्बद्ध रहे। कृषि कार्य तथा शिक्षा के प्रचार-प्रसार में उनकी विशेष रुचि थी। श्री कमाल यूसुफ मलिक के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया है।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य डा0 कृष्णवीर सिंह कौशल का 06 सितम्बर, 2022 को निधन हो गया है। वे लगभग 84 वर्ष के थे। डा0 कृष्णवीर सिंह कौशल का जन्म 30 अक्टूबर, 1938 को आगरा में हुआ था। उन्होंने बी0एस-सी0, एम0बी0बी0एस0, एम0एस0 की शिक्षा ग्रहण की थी। डा0 कृषणवीर सिंह कौशल वर्ष 1974 व 1977 में कांग्रेस से तथा वर्ष 1980 व 1985 में कांग्रेस आई0 के टिकट पर निर्वाचन क्षेत्र आगरा छावनी, जिला आगरा से विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुए थे। डा0 कृष्णवीर सिंह कौशल श्री नारायण दत्त तिवारी मंत्रि-मण्डल के सदस्य रहे थे। वे विधान सभा की विभिन्न समितियों के सदस्य तथा सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम समिति के सभापति भी रहे एवं विभिन्न राजनीतिक आन्दोलनों के अन्तर्गत जिला कारागार आगरा एवं लखनऊ में बन्दी रहे थे। वे उत्तर प्रदेश चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सलाहकार परिषद् की उप समिति के सभापति, आगरा विकास प्राधिकरण व आगरा दूरभाष सलाहकार समिति तथा आगरा कालेज प्रबन्ध एवं वित्त समिति के सदस्य भी रहे थे। उन्होंने शल्य चिकित्सा शोध सम्बन्धी अनेक महत्वपूर्ण लेख लिखे। समाज के निर्बल वर्ग के सामाजिक और आर्थिक उत्थान हेतु कार्य करने में उनकी विशेष रुचि थी। डा0 कृष्णवीर सिंह कौशल के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी को खो दिया है।

आज प्रातःकाल एक और महत्वपूर्ण समाचार हम सबको मिला जिसके कारण हमारा दिल आहत है। देश के प्रसिद्ध हास्य कलाकार श्री राजू श्रीवास्तव का दिनांक 21 सितम्बर, 2022 को निधन हो गया है। द किंग ऑफ कॉमेडी से विख्यात श्री राजू श्रीवास्तव को 10 अगस्त, 2022 को दिल का दौरा पड़ा था जिसके बाद उनको दिल्ली के एम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया था। श्री राजू श्रीवास्तव का जन्म 25 दिसम्बर, 1963 को कानपुर के एक मध्यम वर्ग परिवार में हुआ था। उनका वास्तविक नाम सत्य प्रकाश श्रीवास्तव था। उनके पिता

भी एक जाने माने कवि थे। उनकी प्रारम्भिक शिक्षा कानपुर से प्राप्त करने के पश्चात् उन्होंने हास्य कला के क्षेत्र में अपने जीवन की शुरुआत की थी। उन्होंने अनेक फिल्मों में बड़े कलाकारों के साथ तथा अनेक टीवी सीरियलों में भी काम किया था और अपने अभिनय की छाप दर्शकों में छोड़ी थी। वर्ष 2005 में उन्होंने टीवी शो द् ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज में भाग लिया और अपनी हास्य कला व प्रतिभा से आम-जनमानस में लोक प्रिय हो गये थे। हास्य प्रति स्पर्धा एवं स्टैंडअप कॉमेडी चैनल में हिस्सा लिया और जीत हासिल कर द किंग ऑफ कमेडी का खिताब हासिल किया था। वे अपनी हास्य कला से लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाते थे।

वर्ष 2014 के पश्चात् मा0 श्री नरेन्द्र मोदी जी से प्रभावित होकर वह भारतीय जनता पार्टी से जुड़े। मा0 प्रधानमंत्री जी द्वारा चलाये जा रहे स्वच्छ भारत अभियान का वह हिस्सा भी रहे। उत्तर प्रदेश फिल्म डेवलपमेंट काउंसिल के वह चेयरमैन भी रहे। श्री राजू श्रीवास्तव जी के निधन से आज कला जगत में दुःख का माहौल है। उनके निधन से कला जगत में जो शून्यता आयी है। उसकी कमी सदैव महसूस होती रहेगी। उनके निधन से यह सदन शोकाकुल है। हम इस सदन की ओर से दिवंगत आत्मा को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं तथा उनकी आत्मा की शांति की कामना करते हुये शोक संतप्त परिवार के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं। अब हम सभी भूतपूर्व सदस्यों को जिनकी मैंने शोक सूचना यहाँ पर पढ़ी है एवं श्री राजू श्रीवास्तव जी को जिनका जीवन परिचय मैंने दिया है। सदन में दो मिनट खड़े होकर उनको श्रद्धांजलि व्यक्त करेंगे।

(सभी सदस्य अपने-अपने स्थान पर दो मिनट मौन खड़े हुए)

[12:36] नेता प्रतिपक्ष द्वारा कल स्वास्थ्य विभाग पर दिये गये वक्तव्य के सम्बन्ध में उप मुख्य मंत्री का स्पष्टीकरण

उप मुख्य मंत्री (श्री ब्रजेश पाठक)-

मा0 अध्यक्ष जी, कल मा0 नेता प्रतिपक्ष ने कुछ वक्तव्य हमारे विभाग के ऊपर दिया था उसमें मा0 मुख्य मंत्री जी ने कुछ बातें कहीं थीं, लेकिन आंकड़ों के साथ पूरा वक्तव्य नहीं आ पाया था। मैं उस सम्बन्ध में कुछ कहना चाहता हूँ।

***श्री लालजी वर्मा-**

मान्यवर, यह कहाँ से आ गया।

श्री अध्यक्ष-

कल जो मा0 नेता प्रतिपक्ष ने विषय उठाया था उसका मा0 मुख्य मंत्री जी ने जवाब दे दिया था। क्या आप उसके ऊपर कोई जवाब देंगे ? उनको सुन तो लें।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री लालजी वर्मा-

पहले हमें सुन लें।

श्री अध्यक्ष-

वह मा0 मंत्री हैं उनको बोलने का अधिकार है वह अपनी बात तो कह लें। मा0 मंत्री अगर सदन में खड़े होते हैं तो उनका कोई विषय होता है, तो उनको उस विषय पर कहने का अधिकार है। आपकी भी सुनेंगे। आपकी पूरी बात भी सुनेंगे।

श्री लालजी वर्मा-

नहीं मान्यवर।

श्री अध्यक्ष-

अगर व्यवस्था से संबंधित प्रश्न होगा तो सुनूंगा, नहीं तो नहीं सुनूंगा।

(समाजवादी पार्टी एवं राष्ट्रीय लोक दल के सदस्य अपने स्थान पर खड़े होकर एक साथ बोलने लगे जिससे सदन में घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया।)

(इस व्यवधान के मध्य उप मुख्य मंत्री श्री ब्रजेश पाठक अपने स्थान पर खड़े होकर बोलते रहे।)

श्री ब्रजेश पाठक-

हम कुछ स्पष्टीकरण देना चाहते हैं। पूरे प्रदेश की जनता और सदन सुने कि क्या गलत था और क्या सही था। किसी भी नेता विरोधी दल को इस बात का अधिकार नहीं है कि वह प्रदेश को गुमराह करे।

(घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

नहीं यह नहीं। मा0 मंत्री जी यह नहीं। मा0 सदस्यगण आप भी बैठिये। मैं आपकी नहीं सुनूंगा। आप बैठिये। आप काहे की माफी मंगवा रहे हैं। अगर आप इस तरह से व्यवहार करेंगे तो इस तरह से हाउस नहीं चलेगा। मैं आपको इंगित करूंगा बाहर जाने के लिए।

वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मा0 अध्यक्ष जी, यह नियमावली में भी है और सदन की परम्परा है और आज के एजेंडे में मद संख्या-69 पर आपने दे भी रखा है मंत्रियों का विविध वक्तव्य। मतलब यह है कि कोई मंत्री चाहे तो अपनी बात कह सकता है।

श्री लालजी वर्मा-

जब वह मद आये तो इसको लें।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

ठीक है। लेकिन यह अध्यक्ष जी को अधिकार है। अध्यक्ष जी के अधिकार को चुनौती मत दीजिए। कल जैसे मा0 नेता विपक्ष को पहले सुन लिया गया। नियम-56 सामान्यतः एजेंडे पर आता है। अध्यक्ष जी के अधिकार को चुनौती नहीं दी जा सकती।

अगर अध्यक्ष जी ने अनुमति दी है तो वह अनुमति लेकर बोल रहे हैं। तो जब वह अनुमति लेकर बोल रहे हैं तो किसी को व्यवधान नहीं करना चाहिये। सभी को अपनी बात कहने का पूरा अधिकार है। इसमें क्या गलत बात है। माननीय अध्यक्ष जी, श्री ब्रजेश पाठक जी सदन में आपसे अनुमति लेकर बोल रहे हैं और इस सदन में आपकी अनुमति से सभी को अपनी बात कहने का अधिकार है। इसलिये जब उप मुख्य मंत्री जी अपनी बात कह लें तो उसके बाद यह लोग अपनी बात कहें।

(श्री माता प्रसाद पाण्डेय, श्री लालजी वर्मा, श्री रविदास मेहरोत्रा, श्री महबूब अली, श्री ओम प्रकाश, श्री इकबाल महबूब, श्री पंकज मलिक, श्री मनोज कुमार पाण्डेय तथा समाजवादी पार्टी के कई सदस्यों द्वारा अपनी बात कहने के लिए खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

आप लोग माननीय उप मुख्य मंत्री जी की बात सुनिये तो सही। हो सकता है कि आपको उनकी बात सही लगे। पहले आप लोग उनको सुन तो लीजिये।

श्री ब्रजेश पाठक-

माननीय अध्यक्ष जी, कल जब माननीय नेता प्रतिपक्ष बोल रहे थे तो उस समय पूरा सदन इनकी बात सुन रहा था। मैंने भी इनकी एक-एक बात सुनी है, लेकिन जो आरोप लगाये गये थे वह मिथ्या हैं।

श्री अध्यक्ष-

माननीय उप मुख्य मंत्री जी, कृपया आप एक मिनट के लिए रुकिये। माननीय नेता प्रतिपक्ष कुछ कहना चाह रहे हैं।

नेता विरोधी दल (श्री अखिलेश यादव)-

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय नेता सदन को चिकित्सा शिक्षा और चिकित्सा स्वास्थ्य के विषय में जो कुछ जानकारी थी वह कल इस सदन में देकर गये हैं। हो सकता है कि उस समय माननीय मंत्री जी कहीं छापा मारने गये हों और उस समय उनको सदन में बोलने का मौका नहीं मिला हो। हालांकि माननीय उप मुख्य मंत्री जी जो कहना चाहते हैं उसमें कम से कम वह सदन को बताये कि वर्तमान में क्या व्यवस्था है। माननीय अध्यक्ष महोदय, जब कल माननीय मुख्य मंत्री जी बोल चुके हैं और सदन को सब जानकारी दे चुके हैं तो यह क्या बात

है। क्या सरकार के अन्दर मुख्य मंत्री और उप मुख्य मंत्री में तालमेल नहीं है। अगर हमारे माननीय सदस्य लखनऊ के बारे में कुछ कह रहे हैं तो उनको सुनना चाहिये, क्योंकि उप मुख्य मंत्री द्वारा अगर सबसे पहले और सबसे अधिक छापे अगर कहीं मारे गये है तो वह लखनऊ में ही मारे गये हैं।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

माननीय अध्यक्ष जी, सरकार के अन्दर पूरा तालमेल है। अगर माननीय उप मुख्य मंत्री जी कोई बात कहना चाह रहे है तो उनको अपनी बात कहने का पूरा अधिकार है।

(श्री रविदास मेहरोत्रा तथा श्री ओम प्रकाश द्वारा खड़े होकर एक साथ अपनी बात कहने का प्रयास करने पर)

श्री अध्यक्ष-

माननीय नेता प्रतिपक्ष ने अभी पूछा है कि उप मुख्य मंत्री जी जब लखनऊ छापा मारने गये थे तो उन्होंने क्या किया। मा0 उप मुख्य मंत्री जी को इस पर बताने दीजिये। माननीय उप मुख्य मंत्री जी आप बताईये।

श्री अखिलेश यादव-

माननीय अध्यक्ष महोदय, जब डबल इंजन की सरकार हो और उसने पांच साल का कार्यकाल पूरा किया हो उसके बाद जब उप मुख्य मंत्री जी अस्पतालों में गये तो उन्होंने वहां पर खुद स्वीकार किया कि वह व्यवस्था को देखकर शर्मिन्दा हैं। जो डिप्टी सी0एम0 स्वास्थ्य सेवाओं का देखकर कहें कि मैं शर्मिन्दा हूँ तो हम लोग उनका वक्तव्य सुनकर क्या करेंगे। इसलिये मैं अपने दल के साथ हाउस से वॉक ऑउट करता हूँ।

(समाजवादी पार्टी के सभी सदस्य सरकार विरोधी नारे लगाते हुए सदन से बहिर्गमन कर गये)

श्री ब्रजेश पाठक-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं जानता हूँ कि यह लोग सदन से भागेंगे क्योंकि इनमें सच सुनने की क्षमता ही नहीं है। माननीय अध्यक्ष जी, समाजवादी पार्टी की सरकार जाने के बाद वर्ष 2017 में जब माननीय योगी जी के नेतृत्व में काम करने का अवसर मिला तो सबसे अधिक बदहाल स्थिति स्वास्थ्य विभाग की थी। नेता विरोधी दल ने जो आरोप लगाये उनका मैं बिन्दुवार खण्डन करूँगा और तथ्य रखकर अपनी बात कहूँगा जिससे पूरा सदन और पूरा प्रदेश इस बात को समझ सके कि नेता विरोधी दल ने किस ढंग से प्रदेश की जनता को गुमराह किया है। मैं यह कागज कोई अपने घर से लेकर नहीं आया हूँ, बल्कि सरकारी पत्रावलियों में यह आंकड़े उपलब्ध हैं।

मान्यवर, तो उस समय उत्तर प्रदेश सरकार के स्वास्थ्य विभाग का चौदह हजार आठ सौ ग्यारह करोड़ रुपये बजट था। जब आदरणीय योगी जी की सरकार आई, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो हमारी सरकार में आज उन्तीस हजार एक सौ पैंसठ करोड़ रुपये बजट है और यह आंकड़े मैं अपने घर से लेकर नहीं आया हूँ, इनको सदन ने पास किया है। मा0 नेता विरोधी दल जी ने जो कहा है, मैं कह सकता हूँ जिस भाषा-शैली का इस्तेमाल किया है वह सड़क छाप से भी बद्तर भाषा है। चिकित्सा शिक्षा विभाग के लिए समाजवादी पार्टी की सरकार में एक हजार नौ सौ चौदह करोड़ रुपये का बजट था जबकि वर्ष 2022-2023 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नौ हजार सात सौ दस करोड़ रुपये का बजट दिया है। यह आंकड़े हैं। मै इसके साथ-ही-साथ जोड़ना चाहता हूँ कि दोगुने से अधिक बजट दिया है। आज प्रदेश में 35 सरकारी मेडिकल कालेज हैं, 30 निजी क्षेत्र के मेडिकल कालेज हैं। वर्ष 2017 से पूर्व हम सभी लोग जानते हैं कि मात्र कुछ जनपदों में मेडिकल कालेज होते थे। हमारी सरकार ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कुशल मार्गदर्शन में तय किया कि हम प्रदेश के हर जनपद में मेडिकल कालेज खोलेंगे।

आज मुझे बताने में प्रसन्नता है। मात्र 14 जनपद शेष हैं जहां पर मेडिकल कालेज बनाये जाने की प्रक्रिया शुरू नहीं है। शेष सभी जनपदों में मेडिकल कालेज बनाये जाने की प्रक्रिया प्रारम्भ हो गयी है या वह निर्माणाधीन है। इसके साथ-ही-साथ हमने मेडिकल कालेज की सीटों में बढ़ोत्तरी की है। समाजवादी पार्टी की सरकार में एम0बी0बी0एस0 की 1840 सीटें थीं। आज हमारे पास एम0बी0बी0एस0 की 3,828 सीटें हैं। हमने इनसे दोगुनी सीटें दी है। इसके साथ ही जो निजी क्षेत्र के मेडिकल कालेज थे उनकी 3,550 संख्या थी। आज हमने उस संख्या को 4600 पहुँचा दिया है। इसके अलावा एम0बी0बी0एस0 की 100 सीटें रायबरेली एम्स में और गोरखपुर एम्स में एम0बी0बी0एस0 की 125 सीटें है। इसके अलावा अलीगढ़ और बी0एच0यू0, वाराणसी में बच्चों के पढ़ने के लिए पर्याप्त संख्या में सीटें हैं। इसके साथ-ही-साथ मैं कहना चाहता हूँ कि समाजवादी पार्टी के लोग हमेशा अराजकता पैदा करने आते हैं। 'समझने लगे थे कि आस्तीन छुपा लेगी सब गुनाह उनके, लेकिन गजब हुआ कि सनम बोलने लगे' मित्रों हम सब जानते हैं कि वर्ष 2017 के पहले उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं का क्या हाल था।

मैं आपको उसके बारे में स्पष्ट बताना चाहता हूँ। यह अखबार की कटिंग समाजवादी पार्टी की सरकार के समय की है। अखिलेश के राज में टार्च की रोशनी में हुआ आपरेशन। इसके अलावा एक्सक्लूसिव यू0पी0 एम्बुलेंस घोटाला लगाया करोड़ों का चूना, यह समाजवादी पार्टी के शासनकाल में हुआ था। शर्मनाक, स्वास्थ्य सेवाओं में लखनऊ की हालत खराब यू0पी0 के 75 जिलों में लखनऊ 66वें स्थान पर। यह समाजवादी पार्टी सरकार का हाल था। इन्होंने बजट आवंटित नहीं किया। मैं कह सकता हूँ कि स्वास्थ्य विभाग को लूट का अड्डा बनाने का

काम समाजवादी पार्टी की सरकार ने किया था और जिस तरह से इन्होंने सदन के अन्दर निचले स्तर की भाषा का इस्तेमाल किया है, यह पूर्व मुख्य मंत्री एवं नेता विरोधी दल से उम्मीद नहीं थी। इन्होंने सदन में विधायक की शपथ ली है और मैंने उप मुख्य मंत्री की शपथ ली है। लेकिन निचले स्तर पर जाकर (बिलो द बेल्ट) जिस भाषा का इस्तेमाल किया है इनको समय आने पर उत्तर प्रदेश की जनता जवाब देगी। मैं जानता था कि यह सदन से भागेंगे।

इसके साथ मा0 अध्यक्ष जी मैं आपके माध्यम से प्रदेश की जनता को बताना चाहता हूँ कि हमने एम्बुलेंसेज की संख्या में दोगुनी वृद्धि की है, हमने एडवांस लाइफ सपोर्ट सिस्टम एम्बुलेंसेज की संख्या में दोगुनी वृद्धि की है। हमने उनके रिस्पॉंस टाइम को घटाया है। पहले जहां शहर में 20 मिनट एवं देहात क्षेत्र में 30 मिनट था, हमने उसको 15 मिनट किया है। इसके साथ-ही-साथ हमारे पास बड़ी संख्या में मरीज आते है। के0जी0एम0यू0 की ओ0पी0डी0 नौ हजार प्रतिदिन है, बलरामपुर की ओ0पी0डी0 पांच हजार प्रतिदिन है। इस प्रकार हम पूरे प्रदेश में प्रतिदिन सभी मरीजों का डाटा बनाते है। सदन को पता होना चाहिए। लगभग डेढ़ लाख मरीज अस्पतालों में रोज आते हैं। उनमें से 12 हजार एक्सीडेंटल मरीज होते हैं जिनका हम निःशुल्क इलाज कर रहे हैं। हमारे पास 08 हजार गम्भीर रोगों से ग्रसित मरीज आते हैं, हम प्रतिदिन पांच हजार ऑपरेशन कर रहे हैं और यह सब निःशुल्क कर रहे हैं। मैंने आज तक जब से मैंने शपथ ली है, मैं स्वयं 272 अस्पतालों का निरीक्षण कर चुका हूँ। यह समाजवादी पार्टी के लोग कभी वातानुकूलित कमरों से बाहर नहीं निकले।

मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, आभार प्रकट करूँगा अपने मित्र श्री राजभर जी का, जिन्होंने इनको सही आईना दिखाया था कि वातानुकूलित कक्ष छोड़िए, सरकार कमरों से नहीं चलती जनता के बीच में रहती है। लेकिन मैं, सदन और पूरे प्रदेश को इस बात का भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि अभी मैं 272 हास्पिटल्स तक पहुंचा हूँ, हमारे पास 3,650 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हैं, 168 डिस्ट्रिक हास्पिटल्स हैं, 873 सी0एच0सी0 हैं, सब-सेंटरों की संख्या 20,551 है, मैं हर जगह जाऊंगा और प्रतिदिन चेक करूंगा कि कौन चिकित्सक कहां रहता है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि समाजवादी पार्टी ने जो परम्परा डाली थी कि चिकित्सक एडवांस में हाजिरी लगाकर गायब हो जाते थे, वे सब इन्हीं के चेले हैं। आज मैं कह सकता हूँ कि हमारी सरकार चिकित्सकों एवं पैरा मेडिकल स्टाफ को शत-प्रतिशत अस्पताल परिसर में रहने को कह रही है और वह रह भी रहे हैं। हम सभी दवाइयां निःशुल्क उपलब्ध करा रहे हैं। मेडिकल सप्लाई कारपोरेशन के माध्यम से हम सभी दवाइयां निःशुल्क उपलब्ध करा रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, इनको पीड़ा इस बात की है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, योगी जी की सरकार में स्वास्थ्य विभाग प्रदेश में नम्बर एक पर काम कर रहा है। सोशल मीडिया पर ये भी सक्रिय रहते हैं और हमारा भी दायित्व है उनकी बातों का जवाब दें।

इन्होंने किसी हास्पिटल का चित्र लगाया था जब हमने उसका वर्तमान चित्र खींचकर मंगाया तो पता चला कि समाजवादी पार्टी की सरकार के समय का चित्र लगाकर सोशल मीडिया पर गुमराह करने का काम किया गया है। हमने इनको जवाब देने का काम किया है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं बहुत अधिक समय आपका नहीं लूंगा केवल दो लाइनें कहना चाहता हूँ।

नफरत की एक बूंद ही सारा,

माहौल बदनुमा कर गई।

जहां से आया है झूठ और फरेब का जहर,

वह दरिया कैसा होगा।।

माननीय अध्यक्ष जी, बहुत-बहुत आभार एवं धन्यवाद, जय हिंद।

राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-**424/ग्यारह-2-22-9 (47)-17-टी0सी0-183-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(236)-20 22, दिनांक 09 जून, 2022**

वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-424/ग्यारह-2-22-9(47)-17-टी0सी0-183-उ0प्र0 अधि0-1-2017-आदेश(236)-2022, दिनांक 09 जून, 2022 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा-166 के अधीन सदन के पटल पर रखता हूँ।

(इसके मध्य समाजवादी पार्टी के सदस्यगण सदन में वापस आ गये)

***श्री लालजी वर्मा-**

माननीय अध्यक्ष जी, सारी परम्पराएं टूट रही हैं, इस समय नियम-300 और 301 की सूचनाएं ली जाती हैं।

श्री अध्यक्ष-

यह मैंने आपकी सहूलियत के लिए ही किया है, अगर उस समय मै नियम-300 और 301 की सूचनाओं के नाम बुलाता तो आप लोग थे नहीं, इसीलिए मैंने बोला कि ये दो-तीन सूचनाएं सदन के पटल पर रखने के लिए है इनको ले लेते हैं।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, अब हम लोग आ गये हैं।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[12:53] नियम-301 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, हम पहले सूचनाएं ले लेते हैं, मद संख्या-04 से आगे ले लिया जाएगा। अब हम नियम-301 की सूचनाएं लेते हैं, आज दिनांक 21 सितम्बर, 2022 को 68 माननीय सदस्यों की सूचनाएं प्राप्त हुईं, जिनमें से 24 सूचनाएं स्वीकृत हुईं एवं शेष सूचनाएं अस्वीकृत की गयीं।

पहली सूचना श्री विशम्भर सिंह यादव की जनपद बांदा में यमुना नदी पर पुल के निर्माण के सम्बन्ध में है, दूसरी सूचना श्री प्रदीप कुमार चौधरी की जनपद बुलन्दशहर के नगर पालिका के वार्ड सं0 19 में घनी आबादी से गुजर रही 33 के0वी0ए0 विद्युत लाईन को अन्यत्र विस्थापित करने के सम्बन्ध में है, तीसरी सूचना श्री सत्यपाल सिंह राठौर की जनपद एटा में पुलिस चौकी बनाये जाने के सम्बन्ध में है, चौथी सूचना श्री वीरेन्द्र यादव की जनपद गाजीपुर में तैनात मुख्य विकास अधिकारी द्वारा किये गये भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में है, पांचवीं सूचना श्री राकेश प्रताप सिंह की जनपद अमेठी के जगदीशपुर में UPSIDC आवासीय कालोनी में की गयी अवैध प्लाटिंग के सम्बन्ध में है, छठी सूचना श्री अनिल कुमार त्रिपाठी की गोरखपुर विकास प्राधिकरण द्वारा महायोजना 2021 के आवासीय भूप्रयोग की भूमि को अनुचित एवं अवैध रूप से परिवर्तित कर ग्रीन बेल्ट तथा नगर वन किये जाने के सम्बन्ध में है, सातवीं सूचना श्री शहजिल इस्लाम की जनपद बरेली में सड़क का चौड़ीकरण एवं सौंदर्यीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में है, आठवीं सूचना श्री रमेश चन्द्र मिश्र की जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र बदलापुर के अन्तर्गत पीली नदी पर पुल बनाये जाने के सम्बन्ध में है, नौवीं सूचना श्री लक्ष्मीराज सिंह की जनपद बुलन्दशहर के विधान सभा क्षेत्र सिकन्द्राबाद में प्राथमिक विद्यालय स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में है, दसवीं सूचना श्री ज्ञान तिवारी की जनपद सीतापुर के अन्तर्गत रेउसा को तहसील बनाये जाने के सम्बन्ध है, ग्यारहवीं सूचना श्रीमती आराधना मिश्रा की प्रदेश में हो रही अभूतपर्व विद्युत कटौती के सम्बन्ध में है, बारहवीं सूचना डॉ0 रागिनी की जनपद जौनपुर के अन्तर्गत मछलीशहर बस स्टैण्ड पर बसों का ठहराव व बस डिपो की स्थापना किये जाने के सम्बन्ध में है, तेरहवीं सूचना श्री बम्बा लाल की जनपद उन्नाव की विधान सभा क्षेत्र सफीपुर में सम्पर्क मार्गों के नव निर्माण कार्यों की स्वीकृतियां प्रदान करने के सम्बन्ध में है, चौदहवीं सूचना श्री बृजेश रावत की जनपद उन्नाव के नगर पंचायत मोहान में शहरी फीडर से विद्युत आपूर्ति कराये जाने के सम्बन्ध में है, पन्द्रहवीं सूचना श्री अवधेश प्रसाद की जनपद अयोध्या स्थित आचार्य नरेन्द्र देव कृषि एवं औद्योगिक विश्वविद्यालय में भर्ती में हो रही अनियमितता के सम्बन्ध में है, सोलहवीं सूचना श्री गुलाम मोहम्मद की जनपद मेरठ की विधान सभा सिवाल खास के नगर पंचायत खिवाई के बीचों बीच तालाब के सौंदर्यीकरण/निर्माण

के सम्बन्ध में है, सत्रहवीं सूचना श्री सीताराम वर्मा की जनपद सुल्तानपुर के अन्तर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बिन्देश्वरीगंज बहुरावाँ की की बिल्डिंग को ठीक करवाकर ओ0पी0डी0 सेवा शुरू करवाने तथा विशेषज्ञों द्वारा गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में है, अट्ठारहवीं सूचना श्री रामरतन कुशवाहा की जनपद ललितपुर के शहरी भाग में घंटाघर से गोविन्द सागर डेम के मुहाने तक मार्ग का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में है, उन्नीसवीं सूचना श्री प्रेम नरायन पाण्डेय की जनपद गोण्डा के विधान सभा क्षेत्र तरबगंज में महर्षि पतांजलि जन्म स्थली को पर्यटन के रूप में विकसित कराये जाने के सम्बन्ध में है, बीसवीं सूचना श्री उमर अली खान की जनपद सहारनपुर के विधान सभा क्षेत्र बेहट में तीर्थ स्थल में पुल व सड़क के निर्माण के सम्बन्ध में है, इक्कीसवीं सूचना श्री बाबूलाल की जनपद आगरा के विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर सीकरी में फर्जी तरीके से भूमि का बैनामा किये जाने के सम्बन्ध में है, बाइसवीं सूचना श्री मनोज कुमार पारस की जनपद बिजनौर की विधान सभा क्षेत्र नगीना के अन्तर्गत छोईया नदी पर बॉक्स कन्वर्ट पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, तेइसवीं सूचना श्री पूरन प्रकाश एडवोकेट की जनपद मथुरा के विधान सभा क्षेत्र बलदेव में मार्ग को पक्का एवं चौड़ीकरण का कार्य किये जाने के सम्बन्ध में है तथा चौबीसवीं सूचना श्री मनोज कुमार पाण्डेय की प्रदेश में आये दिन छद्मभेसी लोगों द्वारा शासन को भेजी जाने वाली कपोल कल्पित शिकायतों के सम्बन्ध में है।

(सदन की सहमति से सभी सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गईं।)

निम्नलिखित मा0 सदस्यों की सूचनायें अस्वीकार की गईं :-

श्री कैलाश नाथ शुक्ल, श्री ओम प्रकाश, श्रीमती केतकी सिंह, श्री राहुल राजपूत ''राहुल लोधी'', श्री अमिताभ बाजपेई, श्री ओम प्रकाश राजभर, श्री अमरेश कुमार, श्री राजेन्द्र सिंह पटेल, श्री प्रभात कुमार एडवोकेट, श्री मीनाक्षी सिंह, श्री राजेन्द्र कुमार, श्री बृजभूषण राजपूत, श्री जियाउर्रहमान बर्क, श्री चन्द्र प्रकाश लोधी, श्री जय प्रकाश अंचल, श्री समरपाल सिंह, श्री अशरफ अली खॉन, श्री अनिल कुमार, श्री राम खिलाड़ी यादव, श्री दुर्गा प्रसाद यादव, श्री रमेश सिंह, श्री डी0सी0 वर्मा, श्री चन्द्रपाल सिंह, श्री देवेन्द्र सिंह लोधी, श्री रमाशंकर पटेल, श्री राजीव तरारा, श्री संजय शर्मा, श्री सुरेन्द्र चौरसिया, श्री रवि शर्मा, डॉ0 वीर विक्रम सिंह ''प्रिंस'', श्री राम अचल राजभर, श्री रविदास मेहरोत्रा, श्री बेचई सरोज, श्री नन्द किशोर गुर्जर, श्री देवेन्द्र सिंह राजपूत, इं0 सचिन यादव, श्री बेदी, श्री विकास गुप्ता, श्रीमती सैय्यदा खातून, श्री प्रसन्न चौधरी, श्री मुकेश चौधरी, श्री मनीष कुमार उर्फ मन्टू, श्री उमाशंकर सिंह एवं श्री अताउर्रहमान।

(सदन की सहमति से स्वीकृत सभी सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गईं।)

जनपद बांदा में यमुना नदी पर पुल के निर्माण के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री विशम्भर सिंह यादव-

[महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान लोक महत्व के विषय की ओर दिलाना चाहता हूँ कि विगत अगस्त 2022 के महीने में मेरे क्षेत्र मरका में नाव दुर्घटना होने के कारण उसमें सवार 50 लोगों में से 40 लोग महिला व बच्चे डूबकर मर गये। मरका में यमुना नदी पर निर्माणाधीन पुल का विगत 5 सालों में कोई भी निर्माण कार्य आगे नहीं बढा। अगर मरका नदी में पुल बन गया होता तो यह दुर्घटना नहीं होती। जिससे यमुना मे 40 लोगो की जान नहीं गयी होती। अगर इस पुल का निर्माण कार्य हो गया होता तो यह दुर्घटना घटित नहीं होती। यह जनहित से जुडा हुआ विषय है।

अतः इस लोक महत्व के विषय को सदन के संज्ञान में लाते हुए यमुना नदी पर पुल का निर्माण कराये जाने की मांग करता हूँ।]

जनपद बुलन्दशहर के नगर पालिका के वार्ड संख्या-19 में बनी आबादी से गुजर रही 33 के0 वी0 ए0 विद्युत लाइन को अन्यत्र विस्थापित करने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री प्रदीप कुमार चौधरी-

[महोदय, निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र के बुलन्दशहर नगर पालिका के वार्ड संख्या-19 (शास्त्री नगर बाईपास रोड बुलन्दशहर) आबादी में घरों के ऊपर से हाईटेंशन लाइन (33000 के0वी0ए0) गुजर रही है, जो लगभग 35 वर्षों से भी ज्यादा पुरानी हो गयी है तथा जर्जर स्थिति में है। क्षेत्र में आए दिन गम्भीर हादसे होते रहते हैं। कई लोग अभी तक काल के गाल में समा चुके हैं, हर समय हादसे का खतरा लोगों के सर पर मंडराता रहता है। घनी आबादी में भय व्याप्त हो गया है, लोग डरे सहमें जीवन जी रहे हैं कभी भी तार टूटकर गिरने का खतरा बना रहता है।

अतः मा0 महोदय जी से नम्र निवेदन है कि विद्युत लाईन को अन्यत्र शिफ्ट कराने के लिए सम्बन्धित अधिकारियों को आदेशित करने का कष्ट करें, जो जनहित में अति आवश्यक है।]

जनपद एटा में पुलिस चौकी बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सत्यपाल सिंह राठौर-

[महोदय, अवगत कराना है कि जनपद-एटा में थाना-नयागांव का क्षेत्राधिकार काफी व्यापक है जिस कारण से आपराधिक घटना होने पर पुलिस द्वारा घटनास्थल पर पहुंचकर तत्काल नियंत्रण किये जाने हेतु काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है तथा स्थानीय

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

नागरिकों को भी कोई घटना/दुर्घटना होने की स्थिति में काफी दूरी तय कर थाना-नयागांव जाना पड़ता है। ऐसी स्थिति में जनहित में थाना नयागांव की पुलिस चौकी उभई असदनगर में बनाया जाना नितान्त आवश्यक है।

अतः मै आपके माध्यम से लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुये कार्यवाही की मांग करता हूँ।]

जनपद गाजीपुर में तैनात मुख्य विकास अधिकारी द्वारा किये गये भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में नियम-301 अन्तर्गत सूचना

श्री वीरेन्द्र यादव-

[महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान लोक महत्व के विषय की ओर दिलाना चाहता हूँ कि जनपद गाजीपुर में तैनात मुख्य विकास अधिकारी श्री प्रकाश गुप्ता द्वारा वर्ष 2009 में जनपद मऊ में उप जिलाधिकारी रहते हुए 17-11-2009 को भू-राजस्व अधिनियम अब्दुल हाई बनाम सरकार अपने अधिकार का दुरुपयोग करते हुए आदेश पारित किया था। वादी द्वारा निगरानी सं0-308/330/एम अन्तर्गत धारा-219 दाखिल किया। जिसमें दोष सिद्ध पाये जाने पर अपर आयुक्त प्रशासन आजमगढ़ मण्डल, आजमगढ़ के पत्र सं0-108/न्या0 अ0आ0 प्रशासन दिनांक 12 नवम्बर, 2012 को प्रमुख सचिव, नियुक्ति अनुभाग-3, उ0प्र0 शासन लखनऊ के वर्तमान मुख्य विकास अधिकारी गाजीपुर, तत्कालीन उप जिलाधिकारी सदर मऊ श्री प्रकाश गुप्ता के विरुद्ध कार्यवाही हेतु पत्र भेजा गया। लेकिन उक्त प्रकरण पर अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है।

अतः इस गम्भीर प्रकरण को सदन के संज्ञान में लाते हुए उपरोक्त प्रकरण पर कार्यवाही किये जाने हेतु सरकार से मांग करता हूँ।]

जनपद अमेठी के जगदीशपुर में यू0पी0एस0आई0डी0सी0 आवासीय कालोनी में की गई अवैध प्लाटिंग के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राकेश प्रताप सिंह

[महोदय, मैं सदन का ध्यान जनपद अमेठी के जगदीशपुर स्थित यू0पी0एस0आई0डी0सी0 आवासीय कालोनी में की गयी अवैध प्लाटिंग की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ।

यू0पी0एस0आई0डी0सी0 जगदीशपुर में आवासीय कालोनी में सेक्टर-5 के फेज प्रथम एवं द्वितीय में कई (दर्जनों) प्लाट अवैध रूप से सृजित किए (जैसे-B-90/1, व अन्य कई ieA-18/1, C-110/1) जोकि मूल नक्शे में कहीं दर्ज नहीं है, वो किसके आदेश पर किए गए ?

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

नए प्लाटों के निर्माण से मूल आवंटियों को (जैसे-B-91, कुसुम मिश्रा, भटगवाँ एरिया-288 वर्ग मीटर आदि को कब्जा नहीं दिया जा रहा है, जबकि उनसे पैसे पूरे लिए गए है, आवास हेतु B-91 को कब्जा कब तक दिलाया जाय।

B-91 समेत अन्य सभी आवंटियों को कब्जा कब तक मिलेगा। उक्त प्लाटिंग में मूल आवंटियों को कब्जा न मिलने से उनमें काफी आक्रोश व्याप्त है और इस कृत्य से सरकार की छवि धूमिल हो रही है।

अतः मैं इस अविलम्बनीय, लोक महत्व के प्रश्न पर सदन का ध्यान आकृर्षित करते हुए सरकार से मांग करता हूँ कि कालोनी में अवैध रूप से किये गये प्लाटिंग की जाँच कराकर दोषी अधिकारियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही की जाय तथा मूल आवंटियों को जिनके रुपये जमा हैं उन्हें कब्जा दिलाया जाय।]

गोरखपुर विकास प्राधिकरण द्वारा महायोजना-2021 के आवासीय भू-प्रयोग की भूमि को अनुचित एवं अवैध रूप से परिवर्तित कर ग्रीन बेल्ट तथा नगर वन किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अनिल कुमार त्रिपाठी-

[महोदय, जनपद गोरखपुर के अन्तर्गत गोरखपुर विकास प्राधिकरण द्वारा महायोजना-2021 के आवासीय प्रयोग की भूमि को 2031 की प्रस्तावित महायोजना के द्वारा ग्रीन बेल्ट तथा नगर वन में बदला जा रहा है तथा इसके विपरीत तालाबों, जलमग्न भूमि को (ताल, कंदला आदि) की भूमि को आवासीय किया जा रहा है, जिससे बड़े बिल्डरों को लाभ पहुंचाया जा सके तथा वहां के हजारों भू-स्वामीगण को हानि। गो0वि0प्रा0 के इस कृत्य से गोरखपुर की आम जनता को काफी बड़े संकट का सामना करना पड़ रहा है आम जन भयभीत है, तथा भारी पैमाने पर भ्रष्टाचार व्याप्त है। महायोजना-2021 में आवासीय भू-प्रयोग की भूमि पर हजारों लोगों ने प्राधिकरण से मानचित्र स्वीकृत कराकर भवन निर्माण करवा रखा है, जिन्हें टूट जाने की आशंका है। प्राधिकरण ने प्रस्तावित महायोजना पर आपत्तियां तो जरूर मांगी है, लेकिन उन पर कोई सुनवाई तथा समाधान होना संदेहास्पद है।

अतः आपसे प्रार्थना है कि जनहित में जनपद गोरखपुर के अन्तर्गत गोरखपुर विकास प्राधिकरण द्वारा महायोजना-2021 के आवासीय भू-प्रयोग की भूमि को महायोजना-2031 में यथावत रखी जाए तथा तालाब, जलमग्न भूमि का भू-उपयोग न बदला जाए एवं व्याप्त भ्रष्टाचार की एक उच्च स्तरीय जांच कमेटी बनाकर जांच की जाए।]

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद बरेली में सड़क का चौड़ीकरण एवं सौन्दर्यीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री शहजिल इस्लाम-

[महोदय, बरेली जनपद के तहसील बरेली में बरेली-नैनीताल हाई-वे से धौरा-टांडा मार्ग बुरी तरह क्षतिग्रस्त पड़ा है। उक्त रास्ते पर एक इण्टर कालेज है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक राइस मिल इसी मार्ग पर स्थित हैं, जिससे उत्तर प्रदेश सरकार को करोड़ों रुपये की धनराशि का राजस्व प्राप्त होता है। यह मार्ग कई गांवों को भी जोड़ता है। इस रास्ते के जर्जर होने से जहां एक ओर छात्र-छात्राएं परेशान हैं, तो वहीं ग्रामीण और किसान भी परेशान है। कई बार उक्त सड़क के निर्माण के सम्बन्ध में प्रशासनिक अधिकारियों को अवगत कराया जा चुका है, परन्तु अभी तक उक्त रास्ते का निर्माण नहीं हो पाया है।

अतः मैं इस अविलम्बनीय, लोक महत्व के प्रश्न पर सदन का ध्यान आकर्षित करते हुए बरेली-नैनीताल हाई-वे से धौरा-टांडा मार्ग तक सड़क का चौड़ीकरण व सौन्दर्यीकरण कराये जाने की मांग करता हूँ।]

जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र बदलापुर के अन्तर्गत पीली नदी पर पुल बनाये जाने के सम्बन्ध नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रमेश चन्द्र मिश्र-

[महोदय, आपसे निवेदन है कि बदलापुर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत डेहूणा-भूला के मध्य पीली नदी पर पुल बनाया जाना अत्यन्त आवश्यक है। उक्त पुल से ग्रामवासी एवं स्कूली बच्चे बांस की बनी चहली पर से होकर जाते हैं। कई बार दुर्घटना घट चुकी है। जिसके कारण उक्त पुल का निर्माण तत्काल कराया जाना आवश्यक है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय, लोक महत्व के इस प्रश्न पर आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए कार्यवाही की मांग करता हूँ।]

जनपद बुलन्दशहर के विधान सभा क्षेत्र सिकन्द्राबाद में प्राथमिक विद्यालय स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री लक्ष्मीराज सिंह-

[महोदय, अवगत कराना है कि जनपद-बुलन्दशहर की सिकन्द्राबाद विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत के ग्राम सभा चुहरपुर में कोई प्राथमिक विद्यालय स्थित नहीं है। इस ग्राम सभा के बच्चों को शिक्षा ग्रहण करने लगभग 02 किलोमीटर दूर तक आना-जाना पड़ता है ऐसी स्थिति में कई छात्र शिक्षा ग्रहण करने से भी वंचित हो जाते हैं जबकि सरकार द्वारा वृहद् स्तर पर

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

सर्व शिक्षा अभियान भी चलाया जाता है। जनहित में जनपद-बुलन्दशहर के ग्राम सभा चुहरपुर में प्राथमिक विद्यालय की स्थापना कराया जाना नितान्त आवश्यक है।

अतः मैं आपके माध्यम से लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुये कार्यवाही की मांग करता हूँ।

जनपद सीतापुर के अन्तर्गत रेउसा को तहसील बनाने जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री ज्ञान तिवारी-

[महोदय, सादर अवगत कराना है मेरी विधान सभा क्षेत्र तीन तहसीलों के अन्तर्गत आती है। इस कारण जन सामान्य को अपने कार्यों में जहाँ कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है वही सरकारी मशीनरी को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जिस कारण मेरे क्षेत्र विकास कार्यों व जनहित कार्यों में व्यवधान भी आ रहा है। रेउसा को नई तहसील बनाना अति आवश्यक है क्योंकि क्षेत्रीय जनता को लगभग 35 किमी0 दूर अपने कार्यों के लिये जाना पड़ता है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कर कार्यवाही की मॉग करता हूँ।]

प्रदेश में हो रही अभूतपूर्व विद्युत कटौती के सम्बन्ध मे नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना'-

[महोदय, आज बिजली-विकास का पर्याय बन गयी है, चाहे सिंचाई के संसाधन हों, कल कारखाने हों अथवा प्रकाश की व्यवस्था सहित अन्य कार्य हों आज सभी कुछ बिजली पर निर्भर कर रहा है, यूँ कहा जाय कि बिजली के बगैर विकास की कल्पना करना भी असम्भव है तो शायद अतिशयोक्ति नहीं होगी।

इस समय लगभग पूरे प्रदेश में घोषित अभूतपूर्व विद्युत कटौती की जा रही है। जनपद प्रतापगढ़ के अन्तर्गत मेरे निर्वाचन क्षेत्र रामपुर खास में विद्युत आपूर्ति मे भारी कटौती की जा रही है, एक तरफ बरसात पर्याप्त मात्रा में नहीं हुई है, जिससे किसानों को फसल की सिंचाई करने में परेशानी हो रही है वहीं दूसरी तरफ बिजली में कटौती की जा रही है जिससे खरीफ की प्रमुख फसल धान सहित अन्य फसलों की सिंचाई पूरी तरह प्रभावित हो रही है, जिसका प्रतिकूल प्रभाव उत्पादन पर पड़ेगा। इसके साथ ही साथ शिक्षण कार्य एवं चिकित्सा आदि के कार्य भी बिजली की अनुपलब्धता के कारण प्रभावित हो रहे हैं। सरकार द्वारा बार-बार 20-24 घण्टे विद्युत आपूर्ति करने की घोषणा की जाती रही है किन्तु वास्तविकता इसके ठीक

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

विपरीत है। इसके अतिरिक्त विद्युत बिल के बकाये के नाम पर अवैध रूप से धन वसूली की जा रही है तथा लोगों के कनेक्शन काट दिये जा रहे हैं इससे जनता में रोष एवं चिन्ता व्याप्त है तथा वे आक्रोशित हैं।

अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय प्रश्न पर शासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए उक्त प्रकरण पर शीघ्र कार्यवाही की माँग करती हूँ।]

जनपद जौनपुर के अन्तर्गत मछलीशहर बस स्टैंड पर बसों का ठहराव व बस डिपो की स्थापना किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 से अन्तर्गत सूचना

डॉ0 रागिनी-

[महोदय, मेरी विधान सभा मछलीशहर, जौनपुर में मछलीशहर के कस्बे की आबादी एक लाख से अधिक है इसके अगल-बगल छोटी-बड़ी बाजार से जुड़ाव है। यह भी उल्लेखनीय है कि कस्बा मछलीशहर तहसील मुख्यालय भी है, परन्तु आज तक यहाँ बस डिपो नहीं बना है और बसों का ठहराव भी नहीं होता है। बस स्टैण्ड पर कोई भी अधिकारी/कर्मचारी मौजूद नहीं रहता है। वाराणसी से लखनऊ जाने वाली बसों की कोई समय-सारणी बस स्टैण्ड पर उपलब्ध नहीं है।

ऐसी दशा में आम जनता के हितों व आवागमन को ध्यान में रखते हुए उक्त समस्याओं के निराकरण के साथ ही मछलीशहर, बस स्टैण्ड पर बसों का ठहराव व बस डिपो की स्थापना करने हेतु सरकार का ध्यान आकृष्ट करती हूँ।]

जनपद उन्नाव की विधान सभा क्षेत्र सफीपुर में सम्पर्क मार्गों के नव निर्माण कार्यों की स्वीकृतियां प्रदान करने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री बम्बा लाल-

[महोदय, अवगत कराना है कि मेरी विधान सभा क्षेत्र सफीपुर जनपद-उन्नाव में जनता के आवागमन की सुगमता एवं विधान सभा चुनावों में जनता के द्वारा की गई मांगो के सापेक्ष किये गये वादों को पूर्ण कराने हेतु जनहित में छूटी-कड़ी सम्पर्क मार्गों के नव निर्माण कार्यों के निम्नवत् प्रस्ताव प्रस्तुत हैं।

1-हरी गढी पंचायत भवन से गौरा खुर्द वायां पैगम्बरपुर तक लम्बाई-3.20 किमी0।

2-अहमदपुर से सहजनपुर तक लम्बाई-1.30 किमी0।

3-हंसाखेडा-लहबरपुर से अम्बहरा तक लम्बाई-2.00 किमी0।

4-सरम्भा से साल्हेनगर जंगूखेड़ा महेन्द्र होते हुए कमलापुर मोड़ तक लम्बाई-5.00 किमी0।

5-टियर से सुभानीखेडा तक लम्बाई-1.40 किमी0।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अतः आपसे अनुरोध है कि लोक महत्व के प्रश्न को स्वीकार करते हुए जनहित में विधान सभा क्षेत्र में यातायात की सुगमता हेतु लोकसभा चुनाव से पूर्व यह निर्माण कार्य सम्पन्न कराया जाना आवश्यक है अस्तु राज्य सड़क निधि से स्वीकृतियाँ प्रदान करने की कृपा करें।]

जनपद उन्नाव के नगर पंचायत मोहान में शहरी फीडर से विद्युत आपूर्ति कराये जाने के सम्बन्ध मे नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री बृजेश रावत-

[महोदय, मेरे निर्वाचन क्षेत्र-मोहान, जनपद-उन्नाव के अन्तर्गत नगर पंचायत-मोहान में विद्युत आपूर्ति ग्रामीण फीडर से की जा रही है। जबकि अन्य नगर पंचायतों में विद्युत आपूर्ति शहरी फीडर से की जा रही है। उक्त नगर पंचायत में विद्युत आपूर्ति ग्रामीण फीडर से होने के कारण विद्युत आपूर्ति सुचारू रूप से नहीं हो पाती है। जिसकी वजह से नगर पंचायत-मोहान के निवासियों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। नगर पंचायत-मोहान के निवासियों से विद्युत बिल शहरी क्षेत्र का लिया जा रहा है और विद्युत आपूर्ति ग्रामीण फीडर से की जा रही है नगर पंचायत मोहान के निवासियों के साथ भेद-भाव का व्यवहार क्यों किया जा रहा है।

आपसे अनुरोध है कि कृपया इस लोक महत्व के प्रश्न को स्वीकार करते हुए उपरोक्त नगर पंचायत-मोहान में विद्युत आपूर्ति शहरी फीडर से कराये जाने के आदेश देने की कृपा करें।]

जनपद-अयोध्या स्थित आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं औद्योगिक विश्वविद्यालय में भर्ती में हो रही अनियमितता के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अवधेश प्रसाद-

[महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र मिल्कीपुर में आचार्य नरेन्द्र देव कृषि एवं औद्योगिक विश्वविद्यालय स्थित है जहाँ पर 4 महीने में विश्वविद्यालय में चतुर्थ श्रेणी, तृतीय श्रेणी तथा असिस्टेन्ट प्रोफेसर की भर्ती हुई है और भर्ती की प्रक्रिया अब भी चल रही है जिसमें नियमों को ताक पर रखकर कनिष्ठ और वरिष्ठ का ध्यान न देकर भर्ती की जा रही है। इसमें बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार की चर्चा है।

सदन के संज्ञान में इस लोक महत्व के प्रश्न को लाकर शासन से मांग करता हूँ कि उच्च स्तरीय जॉच करायी जाय दोषी लोगों खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाय। जिससे इस विश्वविद्यालय की जो महिमा और गरिमा है अक्षुण्य रहे।]

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद मेरठ की विधान सभा क्षेत्र सिवाल खास के नगर पंचायत खिवाई के बीचो-बीच तालाब के सौन्दर्यीकरण/निर्माण के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री गुलाम मोहम्मद

[महोदय, आपके माध्यम से इस सम्मानित सदन का ध्यान एक अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर आकृष्ट कराना चाहता हूँ कि मेरी विधान सभा क्षेत्र नगर पंचायत खिवाई में आबादी के बीच में एक तालाब है जो वर्तमान में गन्दगी का ढ़ेर बना हुआ है जिसमें से अनेकों बीमारियाँ फैल रही है जैसे-डेंगू बुखार, पीलिया, एलर्जी आदि से लोग बीमार पड़ रहे हैं, अगर इस तालाब का सौन्दर्यीकरण/चारदीवारी हो जाये तो नगर वासियों को उक्त गम्भीर बिमारियों से बचाया जा सकता है। उक्त तालाब के सौन्दर्यीकरण/चारदीवारी के सम्बन्ध में मेरे द्वारा पूर्व में सम्बन्धित विभाग को भी अवगत कराया जा चुका है। लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जिससे क्षेत्रीय जनता में सरकार के प्रति भारी जनाकोश व्याप्त है।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सदन के माध्यम से कार्रवाई/वक्तव्य की मांग करता हूँ।]

जनपद सुल्तानपुर के अन्तर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र विन्देश्वरी गंज बहुरावां की बिल्डिंग को ठीक करवाकर ओ0पी0डी0 सेवा शुरू करवाने तथा विशेषज्ञों द्वारा गुणवत्ता पूर्ण चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सीताराम वर्मा-

[महोदय, आपका ध्यान जनपद सुल्तानपुर की तहसील व ब्लॉक-बल्दीराय के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बिन्देश्वरीगंज बहुरावाँ की ओर आकृष्ट कराना चाहता हूँ जिसकी नयी बिल्डिंग बनकर तैयार है जो गिर रही है जिसकी ओ0पी0डी0 अभी शुरू नहीं हुई है। यह बिल्डिंग राजकीय निर्माण निगम द्वारा बनायी गयी है जिसमें लगभग 91 लाख रुपये का भुगतान हो चुका है। सम्भवतः इसके लिए नये आगणन की माँग की गयी है।

मान्यवर, लोक महत्व के इस अवलम्बनीय विषय पर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बिन्देश्वरीगंज बहुरावाँ, जनपद सुल्तानपुर की बिल्डिंग को ठीक करावाकर ओ0पी0डी0 सेवा शुरू करवाने तथा विशेषज्ञों द्वारा गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सुविधा जनता को उपलब्ध कराने की कृपा करें तथा शासन से इस विषय पर कार्रवाई की माँग करता हूँ।]

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद ललितपुर के शहरी भाग में घंटाघर से गोविन्द सागर के मुहाने तक मार्ग का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रामरतन कुशवाहा-

[महोदय, अवगत कराना है कि जनपद-ललितपुर की विधान सभा क्षेत्र-226 ललितपुर के क्षेत्रान्तर्गत नगर ललितपुर में शहरी भाग में घंटाघर से गोविन्द सागर डैम के मुहाने तक प्रायः रास्ता कम चौड़ा होने के कारण जाम की स्थिति बनी रहती है जिस कारण से इस मार्ग के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य कराया जाना जनहित में नितान्त आवश्यक है।

अतः मै आपके माध्यम से लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुये कार्रवाई की मांग करता हूँ।]

जनपद गोंडा के विधान सभा क्षेत्र तरबगंज में महर्षि पतंजलि जन्म स्थली के पर्यटन स्थल के रूप में विकसित कराये जाने के सम्बन्ध नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री प्रेम नरायन पाण्डेय-

[महोदय, अगवत कराना है कि विधान सभा क्षेत्र-299 तरबगंज जनपद गोण्डा के अन्तर्गत विकास खण्ड बेलसर के जनपद गोण्डा की तहसील तरबगंज के अन्तर्गत ग्राम सभा कोडर में स्थित महर्षि पतंजलि जन्म स्थली को पर्यटन स्थल के रूप में सौन्दर्यीकरण कराये जाने हेतु महती आवश्यकता है। यह महर्षि पतंजलि की जन्म स्थली है, महर्षि पतंजलि का सम्पूर्ण विश्व में अपना ऐतिहासिक एवं पौराणिक महत्व है यहां पर योग दिवस के दिन शिविर लगाया जाता है, जिसके पयर्टन स्थल के रूप में विकसित कराया जाना जनहित में अति आवश्यक है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोक महत्व के इस प्रश्न पर शासन का ध्यान आकर्षित करते हुए ग्राम सभा कोडर में स्थित महर्षि पतंजलि जन्म स्थली को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित कराये जाने हेतु कार्रवाई की मांग करता हूँ।]

जनपद सहारनपुर के विधान सभा क्षेत्र बेहट में तीर्थ स्थल में पुल व सड़क के निर्माण के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री उमर अली खान-

[महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान जनपद सहारनपुर के विधान सभा क्षेत्र बेहट के विश्व प्रसिद्ध सिद्धपीठ माता शाकुंभरी देवी जी के दर्शन को आने वाले श्रद्धालुओं को होने वाली कठिनाइयों की ओर आकृष्ट कराना चाहता हूँ।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

बेहट विधान सभा क्षेत्र के विश्व प्रसिद्ध सिद्धपीठ माता शाकुंभरी देवी जी के पवित्र तीर्थ स्थल पर प्रत्येक वर्ष लाखों श्रद्धालु आते हैं, पवित्र स्थल पहाड़ियों के नीचे होने के कारण पहाड़ियों पर होने वाली वर्षा का पानी तेज बहाव के साथ नीचे नदी में आता है, जिससे श्रद्धालुओं को काफी हानि पहुंचती है तथा जान-माल का भी नुकसान होता है, माता के दर्शनार्थियों के लिए यह एक बहुत बड़ी समस्या है, जिसका निदान किया जाना जनहित में अति आवश्यक है जिसके लिए भूरा देव से माता के तीर्थ स्थल तक पुल का निर्माण किया जाना तथा सहारनपुर से माता जी के तीर्थ स्थल तक 4 लाइन सड़क मार्ग का निर्माण किया जाना जनहित में अति आवश्यक है।

अतः नियम-301 के माध्यम से उक्त समस्याओं के निराकरण हेतु शासन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ तथा कार्रवाई की मांग करता हूं।]

जनपद आगरा के विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर सीकरी में फर्जी तरीके से भूमि का बैनामा किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री बाबूलाल-

[महोदय, अवगत कराना है जनपद आगरा के विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर सीकरी के कस्बा अछनेरा में प्राचीन मन्दिर श्री नरसिंह महाराज जी की जमीन गाटा संख्या-554, 780, 548, 157 रकबा 30 बीघा को फर्जी तरीके से कथित पुजारी मुरारीलाल व पुत्र रामा, निवासी अछनेरा और लक्ष्मी नरायण पुत्र कमल प्रसाद, निवासी न्यू लायर्स कालोनी आगरा आदि ने फर्जी तरीके से गाटा 780 कस्बा 8 बीघा का बैनामा कर दिया है। जिस पर जिला जज आगरा द्वारा धारा-420, 467, 468, 120/बी वर्ष 2011 में थाना न्यू आगरा में मुकदमा दर्ज किया गया था।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बिनीय, लोक महत्व के विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कर कार्रवाई किये जाने की माँग करता हूँ।]

जनपद बिजनौर की विधान सभा क्षेत्र नगीना के अन्तर्गत छोइया नदी पर बॉक्स कन्वर्ट पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मनोज कुमार पारस-

[महोदय, मै आपके माध्यम से सदन का ध्यान लोक महत्व के विषय की ओर दिलाना चाहता हूँ, मेरी विधान सभा क्षेत्र नगीना जनपद बिजनौर के विकास खण्ड किरतपुर के ग्राम दूधली से भनेडा के बीच पडने वाली छोईया नदी पर पुल न होने की वजह से देश की आजादी के इतने वर्षों बाद भी यहां के लोगों को आज भी बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

इसलिए उक्त मार्ग पर पड़ने वाली छोइया नदी पर बॉक्स कन्वर्ट (पुल) की अत्यन्त आवश्यकता है।

अतः मै इस जनहित के अति अविलम्बनीय, लोक महत्व के मामले को औचित्य-प्रश्न के रूप मे सदन के संज्ञान में लाते हुए ग्राम दूधली से भनेडा के बीच पड़ने वाली छोइया नदी पर पुल बनवाने की मांग करता हूँ।]

जनपद-मथुरा के विधान सभा क्षेत्र बल्देव में मार्ग को पक्का एवं चौड़ीकरण का कार्य किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री पूरन प्रकाश-

[महोदय, जनपद मथुरा के अन्तर्गत बल्देव विधान सभा में यमुना नदी पर चुरमुरा सेतु निगम द्वारा पुल का निर्माण कराया गया। यह पुल बल्देव क्षेत्र के अन्तर्गत चुरमुरा पुल से नेशनल हाई-वे-2 मथुरा-आगरा को जोड़ता है। बल्देव में बलदाऊजी महराज का विशाल मन्दिर है। इसी पुल पर से ग्रामीण आंचल के सभी लोग तथा श्रद्धालु व पर्यटक गुजरते हैं। इस पुल पर जाने के लिये लो0नि0वि0 का ततरौता मार्ग से चुरमुरा पुल तक का 04 किमी0 मार्ग पूर्ण रूप से जीर्ण-क्षीर्ण है तथा बीच में 01 किमी0 (नगला अर्जुन) कच्चा मार्ग है। जनहित में उक्त मार्ग को पक्का एवं चौड़ीकरण कराना अत्यन्त आवश्यक है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बिनीय, लोक महत्व के विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कर कार्रवाई की माँग करता हूँ।]

प्रदेश में आये दिन छद्मवेषी लोगों द्वारा शासन को भेजी जाने वाली कपोल कल्पित शिकायतों के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मनोज कुमार पाण्डेय-

[महोदय, सादर अवगत कराना है कि प्रदेश में आये दिन छद्मभेषी लोगों द्वारा शासन को कपोल कल्पित शिकायतें जिसमें फर्जी तरीके से अधिकारियों/कर्मचारियों/जनप्रतिनिधियों के विरुद्ध लोगों के गलत नाम व पते के इस्तेमाल कर शिकायती प्रार्थना-पत्र देते हैं, जिनमें शिकायतकर्ता को जानकारी ही नहीं रहती, उसके नाम व पते से कोई शिकायत की गई है। जिससे आये दिन लोगों को अपमानित व परेशान होना पड़ता है। इस विषय में शासन द्वारा अनेकों बार बिना शिकायत की पुष्टि कराये व शिकायतकर्ता का शपथ-पत्र शिकायत के सम्बन्ध मे प्राप्त करके ही कोई जांच अथवा शिकायत-पत्र पर कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये हैं। इस विषय में मा0 सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय द्वारा भी आदेश किये गये हैं।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अतः आपसे अनुरोध है कि शासन को पुनः आदेश जारी किये जाने हेतु व पूर्व के शासनादेश का पालन कराये जाने का आदेश देने की कृपा करें।]

[12:55] औचित्य के प्रश्न की सूचनाएँ

श्री अध्यक्ष-

आज नियम-300 के अन्तर्गत 06 सूचनाएँ प्राप्त हुईं। 01 सूचना माननीय श्री लालजी वर्मा जी की है। वह सुनी जायेगी, बाकी सब अग्राह्य की जाती हैं। श्री लालजी वर्मा जी अपनी बात कहें।

विधान सभा की समितियों के गठन के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

***श्री लालजी वर्मा-**

मान्यवर, हमारी इस नियमावली के नियम-200 के अन्तर्गत इस सदन का प्राविजन किया गया है और मान्यवर, उसी में नियम-229 के अन्तर्गत लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, सार्वजनिक उपक्रम समिति, सरकारी आश्वासनों सम्बन्धी समिति, याचिका समिति, नियम समिति, विशेषाधिकार समिति, प्रश्न एवं सन्दर्भ समिति, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा विमुक्त जातियों सम्बन्धी संयुक्त समिति, आचार समिति, महिला एवं बाल विकास सम्बन्धी संयुक्त समिति, संसदीय शोध सन्दर्भ एवं अध्ययन समिति, पंचायती राज समिति और संसदीय अनुश्रवण समिति का गठन किया जाता है। मान्यवर, जो इसी नियमावली में है कि प्रत्येक साधारण निर्वाचन के उपरान्त प्रथम सत्र के प्रारम्भ होने पर, तदुपरान्त प्रत्येक वित्तीय वर्ष के पूर्व, मतलब पहली बार प्रथम सत्र के प्रारम्भ में या उसके उपरान्त हर साल वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ में समितियों का गठन किया जायेगा। मान्यवर, रोज यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में याचिका ली जा रही हैं, आश्वासन भी माननीय मंत्रियों के माध्यम से पिछले सत्र में भी बहुत से आए और मान्यवर, इसी का परिणाम है कि समितियों के गठन में जो समय-समय पर व्यवधान है, उसके कारण आश्वासन इतने पुराने आज लम्बित हैं कि वह प्रश्न जिस सदस्य ने किया, वह भी नहीं है और उत्तर देने वाली सरकार भी नहीं हैं। तो मान्यवर, ऐसी स्थिति में अगर समितियों का गठन नहीं होता है, समितियों के गठन के भी प्राविजन दिए गए हैं। कुछ समितियों में सदन द्वारा निर्वाचन की व्यवस्था है, कुछ समितियों में आपके द्वारा नाम-निर्देशित किए जाने की व्यवस्था है। जो निर्वाचित समितियाँ होती हैं, उसके लिए भी इस सदन में सर्वसम्मति से आपको अधिकार दिया गया है कि आप उसमें भी नाम निर्देशित कर दें, संख्या के समानुपातिक आधार पर। तो मान्यवर, मेरा आपसे निवेदन है कि समितियों का गठन न होने से एक तो कार्य प्रभावित हो रहा है, दूसरे यह जो 18 समितियाँ करीब-करीब हैं। नियमावली में यह दिया

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

है कि समानुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर समितियों का गठन किया जायेगा तो उसी के आधार पर, संख्या के आधार पर ही मान्यवर, अगर 18 समितियाँ हैं, 18 समितियों में कुछ समितियों का चेयरमैन अध्यक्ष होता है, कुछ समितियों का वित्त एव चेयरमैन उपाध्यक्ष होता है। लोक लेखा समिति के अलावा शेष समितियों के अध्यक्ष आपके द्वारा नामित किए जाते हैं। लोक लेखा समिति में चेयरमैन निर्वाचित होता है तो मान्यवर, मैं चाहूँगा कि उसी प्रपोर्सन में, संख्या के आधार पर विपक्ष को प्रायः 03 समितियाँ, जो हमारी परम्परा रही है, पंचायती राज से सम्बन्धी जो हमारी समिति है, दूसरी लोक लेखा समिति और तीसरी आश्वासन समिति, ये तीन समितियाँ विपक्ष को जाती रही हैं। लेकिन अगर संख्या ज्यादा है तो उसके आधार पर और भी ज्यादा समितियाँ विपक्ष में रहनी चाहिए और उसी समानुपात में विपक्ष के चेयरमैन होने चाहिए। इसलिए मैं इस पर आपकी व्यवस्था चाहता हूँ कि इससे समितियों का गठन भी हो और जल्द से जल्द वह काम शुरू करें, इस पर मै औचित्य के माध्यम से आपकी व्यवस्था चाहता हूँ।

श्री अध्यक्ष-

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी।

वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

माननीय अध्यक्ष जी, जो माननीय वर्मा जी ने कहा है समितियों का गठन हो जाना चाहिए। हम आपसे अनुरोध करेंगे कि इस हाउस के तुरन्त बाद इसको कर दें।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, धन्यवाद।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, जैसे आपने उन्हत्तर नम्बर के विषय को पहले नम्बर पर ले लिया। उसी तरह से हम आपसे यह अनुरोध करना चाहेंगे कि कार्य स्थगन को आप पहले ले लें फिर उसके बाद तब अन्य औपचारिक कार्य कराएं, यह मेरा निवेदन है।

[01:02] प्रश्नों का उत्तर देने में मंत्रियों द्वारा अधिक समय लिए जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री राकेश प्रताप सिंह-

मा0 अध्यक्ष जी, आपने मुझे व्यवस्था के तर्ज पर अपनी बात रखने की अनुमति दी, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। मैं आपके माध्यम से केवल इतना सरकार से भी अनुरोध करूंगा कि आज आपने 20 तारांकित प्रश्न लिया था। ग्यारह तक हम पहुंचे हैं जिसमें से तीन निरस्त किए गए है जबकि कुल आठ प्रश्न लिए गए हैं। मैं आप पर कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं, लेकिन जब सदस्य को प्रश्नकर्त्ता से सीधा प्रश्न पूछने का निर्देश होता है तो

मा0 मंत्रीगणों को भी सीधा जवाब देना चाहिए। हम पूछते हैं कि गौरीगंज में हमारा 33/11 का पावर हाउस खराब है अगर वह बनेगा तो कब तक बनेगा तब मा0 मंत्री जी का जवाब आता है कि मैं एटा पावर हाउस थर्मल पावर बना रहा हूं, मैं घाटमपुर में एन0टी0पी0सी0 लगा रहा हूं। मैं पूछता हूँ कि मेरी गौरीगंज की पी0एच0सी0 खराब है, तो कहते हैं कि मैं इतने मेडिकल कालेज बना रहा हूं, इतने जिला अस्पताल बना रहा हूं, एम्स बना रहा हूं, इतने मैंने मेडिकल कालेज में बेड बढ़ा दिए और पी0जी0आई0 में यह काम करवा दिया। मा0 अध्यक्ष जी एक तो सीधा जवाब इनको भी देना चाहिए। आज आप निकलवा लीजिए पूरे एक घण्टे बीस मिनट में अगर प्रश्नकर्ताओं ने बीस मिनट का समय लिया है तो एक घण्टे में मंत्री कभी सात पर चले जाते है, कभी बावन पर चले जाते हैं आखिर क्यों चले जाते हैं। कल मा0 नेता प्रतिपक्ष की नियम-311 की एक नोटिस थी जिसको आपने नियम-56 के तहत सुना। आपने नेता प्रतिपक्ष को सुना, आपने नेता सदन को सुना, आपने दोनों को सुनने के बाद एक व्यवस्था दे दी और अग्राह्य कर दिया। अगर उस पर कुछ बात रखनी थी तो नियमों के तहत रखनी थी, परम्पराओं के तहत रखनी थी, सदन के संचालन की व्यवस्था को बना कर रखनी थी तो उसी समय मा0 स्वास्थ्य मंत्री जी को जवाब देना चाहिए था। जब कल उसको अग्राह्य कर दिया गया तो आज उनको जवाब नहीं देना चाहिए था। कल नेता सदन के रहते हुए जवाब देते फिर नेता प्रतिपक्ष अनुपूरक पूछ लेते। दूसरी बड़ी शर्मनाक बात यह है रविदास मल्होत्रा जैसे सीनियर विधायक कुछ बोल रहे थे और मा0 डिप्टी सी0एम0 जो उस विभाग के मंत्री हैं, जिस तरह से उन्होंने इस सदन में डाँटा है, जिस तरह से व्यवहार किया है वह कहीं से उचित नहीं है, उसकी निंदा होनी चाहिए, मैं उसकी निन्दा करता हूं।

श्री अध्यक्ष-

आपका हो गया, आपकी बात आ गई, अब आप बैठ जाइए।

(सदस्य श्री रविदास मेहरोत्रा द्वारा कुछ बोलने का प्रयास करने पर)

श्री अध्यक्ष-

मा0 रविदास जी, आपने बराबर अपनी बात रखी थी, आपने उनसे कम नहीं कहा था। उन्होंने क्या कहा, मैंने नहीं सुना, लेकिन मैंने आपको जरूर सुना था।

***श्री मनोज कुमार पाण्डेय-**

मा0 अध्यक्ष जी, व्यवस्था का प्रश्न हमारा भी है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मा0 अध्यक्ष जी, यह अपने आप में व्यवस्था का प्रश्न नहीं हो सकता, आपने अनुमति नहीं दी है। मा0 सदस्यगण आपकी अनुमति के बाद बोलें।

श्री अध्यक्ष-

मैंने यह पहले ही कह दिया है। अब हम मद संख्या-4 लेंगे।

राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-461/ग्यारह-2-22-9 (47)-17-टी0सी0-184-उ0प्र0 अधि0-1-2017-आदेश-(237)-2022, दिनांक 20 जून, 2022 †

संसदीय कार्य, चिकित्सा शिक्षा, परिवार कल्याण तथा मातृ एवं शिशु कल्याण राज्य मंत्री (श्री मयंकेश्वर शरण सिंह)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-461/ग्यारह-2-22-9 (47)-17-टी0सी0-184-उ0प्र0 अधि0-1-2017-आदेश-(237)-2022, दिनांक 20 जून, 2022 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा-166 के अधीन सदन के पटल पर रखता हूँ।

राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-620/ग्यारह-2-22-9 (47)-17-टी0सी0-188-उ0प्र0 अधि0-1-2017-आदेश-(238)-2022, दिनांक 18 जुलाई, 2022 †

संसदीय कार्य, चिकित्सा शिक्षा, परिवार कल्याण तथा मातृ एवं शिशु कल्याण राज्य मंत्री (श्री मयंकेश्वर शरण सिंह)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-620/ग्यारह-2-22-9 (47)-17-टी0सी0-188-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(238)-2022, दिनांक 18 जुलाई, 2022 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा-166 के अधीन सदन के पटल पर रखता हूँ।

राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-621/ ग्यारह-2-22-9 (47)-17-टी0सी0-189-उ0प्र0 अधि0 -1-2017-आदेश-(239)-2022, दिनांक 18 जुलाई, 2022 †

संसदीय कार्य, चिकित्सा शिक्षा, परिवार कल्याण तथा मातृ एवं शिशु कल्याण राज्य मंत्री (श्री मयंकेश्वर शरण सिंह)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-621/ग्यारह-2-22-9 (47)-17-टी0सी0-189-उ0प्र0 अधि0-1-2017-आदेश-(239)-2022, दिनांक

† छापी नहीं गई।

18 जुलाई, 2022 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा-166 के अधीन सदन के पटल पर रखता हूँ।

राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-622/ग्यारह-2-22-9 (47)-17-टी0सी0-190-उ0प्र0 अधि0-1-2017-आदेश-(240)-2022, दिनांक 18 जुलाई, 2022 †

संसदीय कार्य, चिकित्सा शिक्षा, परिवार कल्याण तथा मातृ एवं शिशु कल्याण राज्य मंत्री (श्री मयंकेश्वर शरण सिंह)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-622/ग्यारह-2-22-9 (47)-17-टी0सी0-190-उ0प्र0 अधि0-1-2017-आदेश-(240)-2022, दिनांक 18 जुलाई, 2022 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा-166 के अधीन सदन के पटल पर रखता हूँ।

राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-623/ग्यारह-2-22-9 (47)-17-टी0सी0-191-उ0प्र0 अधि0-1-2017-आदेश-(241)-2022, दिनांक 18 जुलाई, 2022 †

संसदीय कार्य, चिकित्सा शिक्षा, परिवार कल्याण तथा मातृ एवं शिशु कल्याण राज्य मंत्री (श्री मयंकेश्वर शरण सिंह)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-623/ग्यारह-2-22-9 (47)-17-टी0सी0-191-उ0प्र0 अधि0-1-2017-आदेश-(241)-2022, दिनांक 18 जुलाई, 2022 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा-166 के अधीन सदन के पटल पर रखता हूँ।

राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-624/ग्यारह-2-22-9 (47)-17-टी0सी0-192-उ0प्र0 अधि0-1-2017-आदेश-(242)-2022, दिनांक 18 जुलाई, 2022 †

संसदीय कार्य, चिकित्सा शिक्षा, परिवार कल्याण तथा मातृ एवं शिशु कल्याण राज्य मंत्री (श्री मयंकेश्वर शरण सिंह)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या 624/ग्यारह-2-22-9 (47)-17-टी0सी0-192-उ0प्र0 अधि0-1-2017-आदेश-(242)-2022, दिनांक 18 जुलाई, 2022 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा-166 के अधीन सदन के पटल पर रखता हूँ।

---

† छापी नहीं गई।

राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-625/ग्यारह-2-22-9 (47)-17-टी0सी0-193-उ0प्र0 अधि0-1-2017-आदेश-(243)-2022, दिनांक 18 जुलाई, 2022 †

संसदीय कार्य, चिकित्सा शिक्षा, परिवार कल्याण तथा मातृ एवं शिशु कल्याण राज्य मंत्री (श्री मयंकेश्वर शरण सिंह)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या 625/ग्यारह-2-22-9 (47)-17-टी0सी0-193-उ0प्र0 अधि0-1-2017-आदेश-(243)-2022, दिनांक 18 जुलाई, 2022 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा-166 के अधीन सदन के पटल पर रखता हूँ।

राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-626/ग्यारह-2-22-9 (47)-17-टी0सी0-194-उ0प्र0 अधि0-1-2017-आदेश-(244)-2022, दिनांक 18 जुलाई, 2022 †

संसदीय कार्य, चिकित्सा शिक्षा, परिवार कल्याण तथा मातृ एवं शिशु कल्याण राज्य मंत्री (श्री मयंकेश्वर शरण सिंह)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-626/ग्यारह-2-22-9 (47)-17-टी0सी0-194-उ0प्र0 अधि0-1-2017-आदेश-(244)-2022, दिनांक 18 जुलाई, 2022 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा-166 के अधीन सदन के पटल पर रखता हूँ।

राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-627/ग्यारह-2-22-9 (47)-17-टी0सी0-195-उ0प्र0 अधि0-1-2017-आदेश-(245)-2022, दिनांक 18 जुलाई, 2022 †

संसदीय कार्य, चिकित्सा शिक्षा, परिवार कल्याण तथा मातृ एवं शिशु कल्याण राज्य मंत्री (श्री मयंकेश्वर शरण सिंह)-

मान्यवर, आपकी अनुज्ञा से राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-627/ ग्यारह-2-22-9 (47)-17-टी0सी0-195-उ0प्र0 अधि0-1-2017-आदेश (245)-2022, दिनांक 18 जुलाई, 2022 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा-166 के अधीन सदन के पटल रखता हूँ।

---

† छापी नहीं गई।

राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-628/ग्यारह-2-22-9 (47)-17-टी0सी0-196-उ0प्र0 अधि0-1-2017-आदेश-(246)-2022, दिनांक 18 जुलाई, 2022†

संसदीय कार्य, चिकित्सा शिक्षा, परिवार कल्याण तथा मातृ एवं शिशु कल्याण राज्य मंत्री (श्री मयंकेश्वर शरण सिंह)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-628/ग्यारह-2-22-9 (47)-17-टी0सी0-196-उ0प्र0 अधि0-1-2017-आदेश-(246)-2022, दिनांक 18 जुलाई, 2022 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा-166 के अधीन सदन के पटल पर रखता हूँ।

राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-629/ग्यारह-2-22-9 (47)-17-टी0सी0-197-उ0प्र0 अधि0-1-2017 आदेश-(247)-2022, दिनांक 18 जुलाई, 2022†

संसदीय कार्य, चिकित्सा शिक्षा, परिवार कल्याण तथा मातृ एवं शिशु कल्याण राज्य मंत्री (श्री मयंकेश्वर शरण सिंह)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-629/ग्यारह-2-22-9 (47)-17-टी0सी0-197-उ0प्र0 अधि0-1-2017 आदेश-(247)-2022, दिनांक 18 जुलाई, 2022 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा-166 के अधीन सदन के पटल पर रखता हूँ।

राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-630/ग्यारह-2-22-9 (47)-17-टी0सी0-198-उ0प्र0 अधि0-1-2017-आदेश-(248)-2022, दिनांक 18 जुलाई, 2022 †

संसदीय कार्य, चिकित्सा शिक्षा, परिवार कल्याण तथा मातृ एवं शिशु कल्याण राज्य मंत्री (श्री मयंकेश्वर शरण सिंह)-

मान्यवर, आपकी अनुज्ञा से राज्य कर अनुभाग-2 की की अधिसूचना संख्या-630/ग्यारह-2-22-9 (47)-17-टी0सी0-198-उ0प्र0 अधि0-1-2017-आदेश-(248)-2022, दिनांक 18 जुलाई, 2022 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा-166 के अधीन सदन के पटल पर रखता हूँ।

---

† छापी नहीं गई।

राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-596/ग्यारह-2-22-9(47)-17-टी0सी0-187-उ0प्र0 अधि0-1-2017-आदेश-(249)-2022, दिनांक 21 जुलाई, 2022†

संसदीय कार्य, चिकित्सा शिक्षा, परिवार कल्याण तथा मातृ एवं शिशु कल्याण राज्य मंत्री (श्री मयंकेश्वर शरण सिंह)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-596/ग्यारह-2-22-9(47)-17-टी0सी0-187-उ0प्र0 अधि0-1-2017-आदेश-(249) -2022, दिनांक 21 जुलाई, 2022 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा-166 के अधीन सदन के पटल पर रखता हूँ।

राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-594/ग्यारह-2-22-9 (47)-17-टी0सी0-185-उ0प्र0 अधि0 -1-2017-आदेश-(250)-2022, दिनांक 21 जुलाई, 2022†

संसदीय कार्य, चिकित्सा शिक्षा, परिवार कल्याण तथा मातृ एवं शिशु कल्याण राज्य मंत्री (श्री मयंकेश्वर शरण सिंह)-

मान्यवर, आपकी अनुज्ञा से राज्य कर अनुभाग-2 की संख्या-594/ग्यारह-2-22-9 (47)-17-टी0सी0-185-उ0प्र0 अधि0-1-2017-आदेश-(250)-2022, दिनांक 21 जुलाई, 2022 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा-166 के अधीन सदन के पटल पर रखता हूँ।

राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-595/ग्यारह-2-22-9 (47)-17-टी0सी0-186-उ0प्र0 अधि0 -1-2017-आदेश-(251)-2022, दिनांक 21 जुलाई, 2022 †

संसदीय कार्य, चिकित्सा शिक्षा, परिवार कल्याण तथा मातृ एवं शिशु कल्याण राज्य मंत्री (श्री मयंकेश्वर शरण सिंह)-

मान्यवर, आपकी अनुज्ञा से राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या 595/ग्यारह-2-22-9 (47)-17-टी0सी0-186-उ0प्र0 अधि0-1-2017-आदेश-(251)-2022, दिनांक 21 जुलाई, 2022 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा-166 के अधीन सदन के पटल पर रखता हूँ।

---

† छापी नहीं गई।

राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या 716/ ग्यारह-2-22-9(47)-17-टी0सी0-199-उ0प्र0 अधि0-1-2017-आदेश-(252) -2022, दिनांक 24 अगस्त, 2022†

संसदीय कार्य, चिकित्सा शिक्षा, परिवार कल्याण तथा मातृ एवं शिशु कल्याण राज्य मंत्री (श्री मयंकेश्वर शरण सिंह)-

मान्यवर, आपकी अनुज्ञा से राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-716/ ग्यारह-2-22-9(47)-17-टी0सी0-199-उ0प्र0 अधि0-1-2017-आदेश-(252)-2022, दिनांक 24 अगस्त, 2022 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा-166 के अधीन सदन के पटल पर रखता हूँ।

उत्तर प्रदेश जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (आकस्मिक व्यय) (तृतीय संशोधन) नियमावली, 2022†

संसदीय कार्य, चिकित्सा शिक्षा, परिवार कल्याण तथा मातृ एवं शिशु कल्याण राज्य मंत्री (श्री मयंकेश्वर शरण सिंह)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उ0प्र0 पंचायती राज अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-1682/33-2-2022-72जी-87 टी0सी0, दिनांक 27 जुलाई, 2022 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (आकस्मिक व्यय) (तृतीय संशोधन) नियमावली, 2022 को उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 की धारा-237 (3) के अधीन सदन के पटल पर रखता हूँ।

लोक आयुक्त, उत्तर प्रदेश के प्रतिवेदन संख्या-16/2005, दिनांक 22 जुलाई, 2005 (स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित)†

संसदीय कार्य, चिकित्सा शिक्षा, परिवार कल्याण तथा मातृ एवं शिशु कल्याण राज्य मंत्री (श्री मयंकेश्वर शरण सिंह)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से लोक आयुक्त, उत्तर प्रदेश के प्रतिवेदन संख्या-16/2005, दिनांक 22 जुलाई, 2005 (स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित) को उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त एवं उप लोक आयुक्त अधिनियम, 1975 की धारा-12 की उपधारा (7) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूँ।

---

† छापा नहीं गया।

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का अनुपालन लेखा परीक्षा प्रतिवेदन 31 मार्च, 2020 †

संसदीय कार्य, चिकित्सा शिक्षा, परिवार कल्याण तथा मातृ एवं शिशु कल्याण राज्य मंत्री (श्री मयंकेश्वर शरण सिंह)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन 31 मार्च, 2020 को समाप्त हुए वर्ष के लिये उत्तर प्रदेश सरकार वर्ष 2022 का प्रतिवेदन संख्या-1 को संविधान के अनुच्छेद-151 (2) के अधीन सदन के पटल पर रखता हूँ।

उप लोक आयुक्त, उत्तर प्रदेश के विशेष प्रतिवेदन संख्या-02-2019 (उप लो0आ0) दिनांक 18 जुलाई, 2019 (स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित)†

संसदीय कार्य, चिकित्सा शिक्षा, परिवार कल्याण तथा मातृ एवं शिशु कल्याण राज्य मंत्री (श्री मयंकेश्वर शरण सिंह)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उप लोक आयुक्त, उत्तर प्रदेश के विशेष प्रतिवेदन संख्या-02-2019 (उप लो0आ0) दिनांक 18 जुलाई, 2019 (स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित) को उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त एवं उप लोक आयुक्त अधिनियम, 1975 की धारा-12 की उपधारा (7) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूँ।

लोक आयुक्त, उत्तर प्रदेश के विशेष प्रतिवेदन संख्या-01/2010, दिनांक 08 जनवरी, 2010 (स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित)†

संसदीय कार्य, चिकित्सा शिक्षा, परिवार कल्याण तथा मातृ एवं शिशु कल्याण राज्य मंत्री (श्री मयंकेश्वर शरण सिंह)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से लोक आयुक्त, उत्तर प्रदेश के विशेष प्रतिवेदन संख्या-01/2010, दिनांक 08 जनवरी, 2010 (स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित) को उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त एवं उप लोक आयुक्त अधिनियम, 1975 की धारा-12 की उपधारा (7) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूँ।

उत्तर प्रदेश नगर पालिका वित्तीय संसाधन विकास बोर्ड के क्रिया-कलापों की वार्षिक रिपोर्ट वर्ष 2021-22†

संसदीय कार्य, चिकित्सा शिक्षा, परिवार कल्याण तथा मातृ एवं शिशु कल्याण राज्य मंत्री (श्री मयंकेश्वर शरण सिंह)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश नगर पालिका वित्तीय संसाधन विकास बोर्ड के क्रिया-कलापों की वार्षिक रिपोर्ट वर्ष 2021-22 को उत्तर प्रदेश नगर पालिका वित्तीय संसाधन

† छापी नहीं गई।

विकास बोर्ड अधिनियम, 2011 की धारा-28 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूँ।

उत्तर प्रदेश मोटर यान (अट्ठारहवां संशोधन) नियमावली 2022[†]

संसदीय कार्य, चिकित्सा शिक्षा, परिवार कल्याण तथा मातृ एवं शिशु कल्याण राज्य मंत्री (श्री मयंकेश्वर शरण सिंह)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से परिवहन अनुभाग-4 की अधिसूचना संख्या-11/2022/526/ तीस-4-2022-17 (सा0)-2018, दिनांक 02 मई, 2022 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश मोटर यान (अट्ठाईसवां संशोधन) नियमावली, 2022 को मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा-212(3) के अधीन विलम्ब के कारणों सहित सदन के पटल पर रखता हूँ।

सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण (उ0प्र0 संशोधन) विधेयक, 2021[††]

प्रमुख सचिव, विधान सभा (श्री प्रदीप कुमार दुबे)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से यह घोषित करता हूँ कि सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण (उ0प्र0 संशोधन) विधेयक, 2021, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 22 फरवरी, 2021 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 23 फरवरी, 2021 की बैठक में पारित किया था, पर राष्ट्रपति महोदय की अनुमति दिनांक 07 जुलाई, 2022 को प्राप्त हो गयी है और वह सन् 2022 का उत्तर प्रदेश का आठवां अधिनियम बन गया।

श्री अध्यक्ष-

मद संख्या-28 में कुछ नहीं है। अब मद संख्या-29

[01:18] प्रत्येक सदस्य की एक दिन में केवल 05 याचिकाएं स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था

श्री अध्यक्ष-

मैं याचिकाओं के सम्बन्ध में कुछ निवेदन करना चाहूंगा और विधान सभा में जो व्यवस्थाएं हैं, उनके बारे में भी बताना चाहूंगा। कल कार्य-मंत्रणा समिति ने इस बात का निर्णय लिया है कि यह जो इतनी बड़ी संख्या में याचिकाएं आ रही हैं, यह सम्भव नहीं है कि सारी की सारी याचिकाओं को लेकर समिति में इनका निस्तारण किया जा सके। कल कार्य-मंत्रणा समिति ने यह निर्णय लिया, मैं इसलिए इस सदन को यह बताना चाहता हूँ, ताकि आगे से याचिकाएं देने के लिए इस बात का ध्यान रखा जाये कि एक दिन में 5 से ज्यादा याचिकाएं स्वीकार नहीं की जाएंगी। मुझे यह बताने का औचित्य नहीं था, वह मेरे अधिकार पर है, लेकिन

[†] छापी नहीं गईं।

[††] छापा नहीं गया।

जिस समय सार्वजनिक रूप से आपस में विचार-विमर्श करके कोई निर्णय लिया जाता है, तो वह अच्छा होता है। कल विचार-विमर्श से यह निर्णय आया है, ताकि जब याचिकाएं दी जायें तो अगर एक-एक माननीय सदस्य 53-53 याचिकाएं लगा देगा और एक दिन में 1 हजार याचिकाएं आएंगी तो समिति में उसका निस्तारण नहीं हो पायेगा। मेरा ख्याल है, माननीय माता प्रसाद पाण्डेय मेरी इस बात से सहमत होंगे। चूंकि आप अध्यक्ष रहे हैं और आपने उसको देखा है। मैं अब उन मा0 सदस्यों के नाम लूंगा जिन्होंने याचिकाएं प्रस्तुत की हैं। यदि वह सदस्य उपस्थित होंगे तो अपनी....

(कुछ सदस्यों के अपने स्थान से अपनी बात कहने पर)

श्री अध्यक्ष-

एक-एक नाम पढ़ लें चूंकि कुछ लोग भोजन करने के लिए जाना चाहते हैं।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय-

मान्यवर, नियम-56 ले लें।

श्री अध्यक्ष-

अभी याचिका ले लेते हैं, नाम ही तो पढ़ना है।

डॉ0 रागिनी सदन में उपस्थित हैं, इसलिए इनकी याचिकाएं उपस्थित मानी जाती हैं।

डॉ0 रागिनी, सदस्य, विधान सभा की जनपद जौनपुर से सम्बन्धित बीस याचिकाएं[†]

डॉ0 रागिनी सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएं उपस्थित की हुई मानी गईं :-

1-जनपद जौनपुर में मछलीशहर विधान सभा क्षेत्र के पंचौली तिराहे से वरुण नदी वाया करियाव बाजार तक सड़क मरम्मत/निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री जगदीश गुप्ता, निवासी जनपद जौनपुर की याचिका,

2-जनपद जौनपुर में मछलीशहर विधान सभा क्षेत्र के आलमगंज से पोखरा विजयगिर होते हुए बगही घाट तक सड़क मरम्मत/निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सन्तोष यादव, निवासी जनपद जौनपुर की याचिका,

3-जनपद जौनपुर में मछलीशहर विधान सभा क्षेत्र के ग्राम बधवां जमालापुर मार्ग से दाउदपुर वाया जरौना सम्पर्क मार्ग तक पक्की सड़क मरम्मत/निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री देवराज यादव, निवासी जनपद जौनपुर की याचिका,

---

[†] छापी नहीं गयीं।

4-जनपद जौनपुर में मछलीशहर विधान सभा क्षेत्र के धनापुर से बनकट राजा बाजार तक सड़क मरम्मत/निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री विवेक यादव निवासी, जनपद जौनपुर की याचिका,

5-जनपद जौनपुर में मछलीशहर विधान सभा क्षेत्र के भदराव से गहली जमुनीपुर होते हुए मन्नौरा बनकट कांटी तक सड़क मरम्मत/निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राकेश मौर्या, निवासी जनपद जौनपुर की याचिका,

6-जनपद जौनपुर में मछलीशहर विधान सभा क्षेत्र के ग्राम सरांय यूसुफ में कैलाश मौर्या के घर से खेल के मैदान तक सड़क का विशेष मरम्मत/निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री ओम प्रकाश यादव, निवासी जनपद जौनपुर की याचिका,

7-जनपद जौनपुर में मछलीशहर विधान सभा क्षेत्र के ग्राम वाजिदपुर तिराहे से कोलाहलपुर होते हुए ग्राम सभा असवा तक विशेष मरम्मत/निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री बृजेश यादव, निवासी जनपद जौनपुर की याचिका,

8-जनपद जौनपुर में मछलीशहर विधान सभा क्षेत्र के ग्राम मियाचक बाजार से हरद्वारी होते हुए बड़ेरी बाजार को जाने वाली सड़क तक मरम्मत/निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री गुलाब बिन्द, निवासी जनपद जौनपुर की याचिका,

9-जनपद जौनपुर में मछलीशहर विधान सभा क्षेत्र के ग्राम बरसठी स्टेशन से ग्राम सभा सरसरा कानपुर पिलकथुआ होते हुए हनुमान मन्दिर पुरेसवा तक जाने वाली सड़क तक मरम्मत/निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री हिन्चलाल कन्नौजिया, निवासी जनपद जौनपुर की याचिका,

10-जनपद जौनपुर में मछलीशहर विधान सभा क्षेत्र के ग्राम सहादतपुर नहर से असवा तक मरम्मत/निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मोनू यादव, निवासी जनपद जौनपुर की याचिका,

11-जनपद जौनपुर में मछलीशहर विधान सभा क्षेत्र के ग्राम आलमगंज से कूषा सुरियावां को जाने वाली सड़क का मरम्मत/निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सोनू यादव, निवासी जनपद जौनपुर की याचिका,

12-जनपद जौनपुर में मछलीशहर विधान सभा क्षेत्र के ग्राम बनकट में गिरी बस्ती होते हुए मछली शहर को जाने वाली सड़क तक मरम्मत/निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सुभाष चन्द, निवासी जनपद जौनपुर की याचिका,

13-जनपद जौनपुर में मछलीशहर विधान सभा क्षेत्र के ग्राम बसहरा से पिलकथुआ वाया कटवार स्टेशन मार्ग तक मरम्मत/निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री शेषनाथ यादव, निवासी जनपद जौनपुर की याचिका,

14-जनपद जौनपुर में मछलीशहर विधान सभा क्षेत्र के ग्राम बारीगांव से सहरमा कटवार मार्ग तक मरम्मत/निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अर्जुन यादव, निवासी जनपद जौनपुर की याचिका,

15-जनपद जौनपुर में मछलीशहर विधान सभा क्षेत्र के ग्राम महुआरी से बनकट पाल बस्ती होते हुए मछलीशहर को जाने वाली सड़क तक मरम्मत/निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मुन्ना लाल सरोज, निवासी जनपद जौनपुर की याचिका,

16-जनपद जौनपुर में मछलीशहर विधान सभा क्षेत्र के ग्राम बारीगांव से सहरमा कटवार मार्ग तक विशेष मरम्मत/निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अर्जुन यादव, निवासी जनपद जौनपुर की याचिका,

17-जनपद जौनपुर में मछलीशहर विधान सभा क्षेत्र के ग्राम निगोह से कूषा मार्ग तक पक्की सड़क का विशेष मरम्मत/निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सत्यराम यादव, निवासी जनपद जौनपुर की याचिका,

18-जनपद जौनपुर में मछलीशहर विधान सभा क्षेत्र के ग्राम परियत बाजार से आलमगंज तक पक्की सड़क की विशेष मरम्मत/निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रईस अहमद, निवासी जनपद जौनपुर की याचिका,

19-जनपद जौनपुर में मछलीशहर विधान सभा क्षेत्र के ग्राम आलमगंज से कूषा सुरियावां मार्ग तक पक्की सड़क की विशेष मरम्मत/निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सोनू यादव, निवासी जनपद जौनपुर की याचिका तथा

20-जनपद जौनपुर में मछलीशहर विधान सभा क्षेत्र के ग्राम बनकट में गिरी बस्ती होते हुए मछलीशहर को जाने वाली सड़क की विशेष मरम्मत/निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सुबाष चन्द, निवासी जनपद जौनपुर की याचिका।

श्री अध्यक्ष-

श्रीमती महाराजी प्रजापति एवं श्रीमती अलका सिंह मा0 सदस्य अनुपस्थित हैं।

श्री सचिन यादव, श्री बृजेश कुमार रावत, श्री बम्बालाल, श्री बेदी, श्री बेचई सरोज, श्री महेन्द्र नाथ यादव, श्री मो0 फहीम इरफान, श्री मनीष कुमार उर्फ मन्टू, श्री मनोज कुमार पाण्डेय, श्री मूल चन्द्र सिंह निरंजन, श्री विनोद चतुर्वेदी, श्री प्रसन्न कुमार, श्री रामरतन कुशवाहा, श्री राहुल राजपूत 'राहुल लोधी', श्री राजीव कुमार सिंह 'बब्बू भैया', श्री वीर विक्रम सिंह 'प्रिंस', श्री वाचस्पति, श्री चन्द्रपाल सिंह, श्री जवाहर लाल राजपूत, श्री जगदीश नारायण राय, श्री अनिल कुमार, श्री अशरफ अली खान, श्री गौरी शंकर वर्मा, श्रीमती पूनम संखवार, श्रीमती अनुपमा जायसवाल, डॉ0 मुकेश वर्मा, डॉ0 डी0सी0 वर्मा, डॉ0 नीरज बोरा, डॉ0 राजेश्वर सिंह, श्री अतुल प्रधान, श्री उमर अली खान, श्री चन्दन चौहान, श्री प्रकाश

द्विवेदी, श्री राकेश प्रताप सिंह, श्री विवेक कुमार वर्मा। जितने मा0 सदस्य उपस्थित हैं, सबकी याचिकाएं प्रस्तुत की हुई मानी गयीं।

(प्रस्तुत की गयी याचिकाएं संलग्न हैं)

श्री सचिन यादव, सदस्य विधान सभा की जनपद फिरोजाबाद से सम्बन्धित 51, जनपद हरदोई एवं जनपद प्रयागराज से सम्बन्धित एक-एक याचिका[†]

श्री सचिन यादव, सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएं उपस्थित की हुई मानी गईं :-

1-जनपद फिरोजाबाद की तहसील जसराना में दिव्यांगजनों को बैटरी चलित ट्राईसाइकिल उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रफीक मोहम्मद व अन्य निवासीगण जनपद फिरोजाबाद की याचिका,

2-जनपद फिरोजाबाद की तहसील जसराना के कस्बा मुस्तफाबाद में मुख्य मार्ग पर सड़क एवं नाला निर्माण कार्य तथा कस्बा हाथवन्त में मुख्य सड़क एवं नाला निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मनोज प्रधान व अन्य निवासीगण जनपद फिरोजाबाद की याचिका,

3-जनपद फिरोजाबाद की तहसील जसराना में कतिपय सड़कों की विशेष मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में श्री चरन सिंह व अन्य निवासीगण जनपद फिरोजाबाद की याचिका,

4-जनपद फिरोजाबाद की तहसील जसराना, विकास खण्ड एका, ग्राम जेडा में श्री भूरे लाल सिंह के घर से श्री सत्यपाल सिंह के घर तक सी0सी0 मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री उदयपाल व अन्य निवासीगण जनपद फिरोजाबाद की याचिका,

5-जनपद फिरोजाबाद की तहसील जसराना की मुस्तफाबाद-शिकोहाबाद बड़ी नहर पर स्थित गांव दारापुर रसैनी के समीप से निकले नाले की सफाई कराये जाने के सम्बन्ध में श्री आलोक कुमार व अन्य निवासीगण जनपद फिरोजाबाद की याचिका,

6-जनपद फिरोजाबाद की तहसील जसराना, विकास खण्ड एका के ग्राम भाउद, आलीपुर मोहनीपुर बम्बे की पटरी पर ग्राम आलीपुर मोहनीपुर से न0 सुखी की तरफ आने वाले मार्ग पर पुलिया निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मुकेश कुमार व अन्य निवासीगण जनपद फिरोजाबाद की याचिका,

7-जनपद फिरोजाबाद की तहसील जसराना के ग्राम न0 रमियां से हथौली जयसिंहपुर तक व कतिपय अन्य ग्रामों के मार्गों का डामरीकरण व विशेष मरम्मत कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री श्यामवीर प्रधान व अन्य निवासीगण जनपद फिरोजाबाद की याचिका,

---

[†] छापी नहीं गयीं।

8-जनपद फिरोजाबाद की तहसील जसराना विकास खण्ड हाथवन्त के ग्राम न0 जाट में कतिपय सी0सी0 मार्गों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री ठाकुर दास व अन्य निवासीगण जनपद फिरोजाबाद की याचिका,

9-जनपद फिरोजाबाद की तहसील जसराना, विकास खण्ड हाथवन्त के ग्राम फतेहपुर कटैना (सिकैरिया) में जाजूमई मुख्य मार्ग के समीप सुरेश बाल्मीकि के घर से दीमान मोहम्मद के घर तक सी0सी0 मार्गों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री यशपाल सिंह व अन्य निवासीगण जनपद फिरोजाबाद की याचिका,

10-जनपद फिरोजाबाद की तहसील जसराना, विकास खण्ड हाथवन्त के ग्राम न0 सदिया में सुनहरी लाल के घर से ठाकुर दास के घर तक सी0सी0 मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रामनिवास यादव व अन्य निवासीगण जनपद फिरोजाबाद की याचिका,

11-जनपद फिरोजाबाद की तहसील जसराना, विकास खण्ड हाथवन्त के ग्राम सदिया में जाजूमई मुख्य मार्ग से कालीमाता के मन्दिर तक सी0सी0 मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रामनिवास यादव व अन्य निवासीगण जनपद फिरोजाबाद की याचिका,

12-जनपद फिरोजाबाद की तहसील जसराना, विकास खण्ड जसराना के ग्राम उदई में श्री बी0एस0 यादव के मकान से श्री सत्यप्रकाश यादव के मकान तक सी0सी0 मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री हरेन्द्र यादव व अन्य निवासीगण जनपद फिरोजाबाद की याचिका,

13-जनपद फिरोजाबाद की तहसील जसराना, विकास खण्ड एका के ग्राम फरीदा में श्री सतीश चन्द्र पुत्र श्री भूरे सिंह को विद्युत आपूर्ति हेतु कनेक्शन दिये जाने के सम्बन्ध में श्री सतीश चन्द्र, निवासी जनपद फिरोजाबाद की याचिका,

14-जनपद फिरोजाबाद की तहसील जसराना, विकास खण्ड एका के ग्राम स्वेटा में मुस्लिम आबादी वाले मोहल्ले में 25 के0वी0ए0 का विद्युत ट्रांसफार्मर लगवाये जाने के सम्बन्ध में श्री अनिल कुमार व अन्य निवासीगण जनपद फिरोजाबाद की याचिका,

15-जनपद फिरोजाबाद की तहसील जसराना के ग्राम बिलासपुर में कतिपय सी0सी0 मार्ग एवं नाली निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री आलोक कुमार व अन्य निवासीगण जनपद फिरोजाबाद की याचिका,

16-जनपद फिरोजाबाद की तहसील जसराना के ग्राम जाजूमई में पीताम्बरी बम्बे तिहारे से हनुमान जी के आश्रम तक सी0सी0 मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राममोहन सिंह व अन्य निवासीगण जनपद फिरोजाबाद की याचिका,

17-जनपद फिरोजाबाद की तहसील जसराना के विकास खण्ड हाथवन्त के ग्राम शदिया में स्थिम बम्बे से मुख्य मार्ग जाजूमई के समीप होकर ग्राम फतेहपुर नारायण सिंह, हमीरपुरा

बन्धा आदि गांवों से होकर कमालपुर बम्बे तक नये बम्बे का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रामदेव सिंह व अन्य निवासीगण जनपद फिरोजाबाद की याचिका,

18-जनपद फिरोजाबाद की तहसील जसराना, विकास खण्ड एका के गांव करारा में मुख्य मार्ग पर क्षतिग्रस्त पुलिया का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अर्वेश कुमार व अन्य निवासीगण जनपद फिरोजाबाद की याचिका,

19-जनपद फिरोजाबाद की तहसील जसराना, विकास खण्ड एका के गांव जेडा में सड़क निर्माण के बाद खेत का मुआवजा दिलवाये जाने के सम्बन्ध में श्री रामनाथ सिंह व अन्य निवासीगण जनपद फिरोजाबाद की याचिका,

20-जनपद फिरोजाबाद की तहसील जसराना, विकास खण्ड खैरगढ़ की ग्राम पंचायत कुढी के ग्राम खेरिया सिकमी फरीदा में प्राथमिक विद्यालय से शिव मन्दिर तक सी0सी0 मार्ग एवं नाली निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री दलवीर सिंह बघेल व अन्य निवासीगण जनपद फिरोजाबाद की याचिका,

21-जनपद फिरोजाबाद की तहसील जसराना के ग्राम जमालीपुर में श्री गजराज सिंह फौजी के घर से माता के मन्दिर तक सी0सी0 मार्ग एवं नाली निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रामभजन सिंह व अन्य निवासीगण जनपद फिरोजाबाद की याचिका,

22-जनपद फिरोजाबाद की तहसील जसराना, विकास खण्ड एका के ग्राम भरतपुर में बम्बे की पटरी पर निर्मित पुलिया का चौड़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री जयपाल सिंह व अन्य निवासीगण जनपद फिरोजाबाद की याचिका,

23-जनपद फिरोजाबाद की तहसील जसराना, विकास खण्ड एका, ग्राम पंचायत देवा के ग्राम प्रेमपुर खारजा नहर की पटरी से ग्राम के अन्दर तिराहे तक सड़क का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मोनू यादव व अन्य निवासीगण जनपद फिरोजाबाद की याचिका,

24-जनपद फिरोजाबाद की तहसील जसराना, विकास खण्ड एका के गांव पैढत से तिली की मढैया (ग्राम पंचायत जहानपुर) तक लम्बाई लगभग 01 किमी0 कच्ची सड़क का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अजय प्रताप सिंह व अन्य निवासीगण जनपद फिरोजाबाद की याचिका,

25-जनपद फिरोजाबाद की तहसील जसराना, विकास खण्ड एका के ग्राम सिंहपुर में मुख्य मार्ग श्री सत्यराम सिंह के घर से श्री उदयपाल सिंह के घर तक सी0सी0 मार्ग एवं नाली का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राजपाल सिंह व अन्य निवासीगण जनपद फिरोजाबाद की याचिका,

26-जनपद फिरोजाबाद की तहसील जसराना, विकास खण्ड खैरगढ़, ग्राम पंचायत अकबरपुर मस्तपुर के गांव न0 भवन में मुख्य मार्ग पर श्री वीरपाल सिंह के घर से श्री कमलेश

कुमार के घर तक सी0सी0 मार्ग एवं नाली का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रामवीर सिंह व अन्य निवासीगण जनपद फिरोजाबाद की याचिका,

27-जनपद फिरोजाबाद की तहसील जसराना, विकास खण्ड एका के ग्राम मचन में कतिपय सी0सी0 मार्ग का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री हिर्देश यादव व अन्य निवासीगण जनपद फिरोजाबाद की याचिका,

28-जनपद फिरोजाबाद की तहसील जसराना, विकास खण्ड हाथवन्त, ग्राम पंचायत संदलपुर के ग्राम न0 हरिया से ग्राम न0 श्रोती के समीप स्थित गऊशाला तक सड़क निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री पंचम व अन्य निवासीगण जनपद फिरोजाबाद की याचिका,

29-जनपद फिरोजाबाद की तहसील जसराना की ग्राम पंचायत थरोआ के ग्राम रुद्रपुर में श्री रामपाल सिंह के घर के समीप से श्री प्रेमपाल सिंह के घर से होकर श्री सत्यप्रकाश सिंह की आबादी तक सी0सी0 मार्ग एवं नाली का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अजीत कुमार सिंह व अन्य निवासीगण जनपद फिरोजाबाद की याचिका,

30-जनपद फिरोजाबाद की तहसील जसराना के ग्राम झपारा के मजरा ख्यालीपुर में शिवकुमार के मकान से प्राथमिक विद्यालय ख्यालीराम तक सी0सी0 मार्ग एवं नाली का निर्माण व ग्राम झपरा में पदम सिंह के घर से ग्राम समाज के श्मशान घाट से होकर ख्यालीराम में श्री बलवीर सिंह के घर तक सी0सी0 मार्ग का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री प्रेमपाल सिंह व अन्य निवासीगण जनपद फिरोजाबाद की याचिका,

31-जनपद फिरोजाबाद की तहसील जसराना की नगर पंचायत एका के ग्राम राजपुर गुलरिया में एटा मुख्य मार्ग से ग्राम राजपुर गुलरिया तक सड़क निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अरविन्द कुमार व अन्य निवासीगण जनपद फिरोजाबाद की याचिका,

32-जनपद फिरोजाबाद की तहसील जसराना के विकास खण्ड एका की ग्राम पंचायत पिलख्तर फतेह के ग्राम अजीत में मईदयाल जी के घर से श्री रामप्रकाश जी के घर तक एवं ग्राम मानसिंह में मुख्य मार्ग से श्री बलवीर सिंह के घर तक सी0सी0 मार्ग एवं नाली का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रंजीत यादव, प्रधान व अन्य निवासीगण जनपद फिरोजाबाद की याचिका,

33-जनपद फिरोजाबाद की तहसील जसराना की ग्राम पंचायत खेरिया सिकमी बहत के ग्राम मनी के मुख्य मार्ग के गेट का निर्माण एवं ग्राम पट्टी से मनी तक मुख्य मार्ग पर सी0सी0 निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्रीमती शीतला देवी, प्रधान व अन्य निवासीगण जनपद फिरोजाबाद की याचिका,

34-जनपद फिरोजाबाद की तहसील जसराना की ग्राम पंचायत भदाना के ग्राम राजगढ़ में श्री अमीर सिंह के घर से श्री नेम सिंह जी के घर तक सी0सी0 एवं नाली निर्माण व ग्राम

पुरखेड़ा से ग्राम कृपी तक सी0सी0 निर्माण एवं ग्राम कृपी में विजयपाल सिंह जी के घर से ग्राम समाज के सरकारी तालाब तकत सी0सी0 मार्ग एवं नाली का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री नरेन्द्र सिंह व अन्य निवासीगण जनपद फिरोजाबाद की याचिका,

35-जनपद फिरोजाबाद की तहसील जसराना के विकास खण्ड एका की ग्राम पंचायत पाढम के ग्राम सिकन्दरपुर में महेश चन्द्र के घर से श्री सुभाष चन्द्र के घर तक, ग्राम सिकन्दरपुर में मुकेश कुमार के घर से श्री घमण्डी लाल के घर तक एवं ग्राम सिकन्दरपुर में श्री सम्भर सिंह के घर से श्री राकेश कुमार के घर तक सी0सी0 मार्ग एवं नाली का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री हरवीर सिंह व अन्य निवासीगण जनपद फिरोजाबाद की याचिका,

36-जनपद फिरोजाबाद की तहसील जसराना की ग्राम पंचायत बनीपुरा लालई के समीप निर्मित अण्डरपास पर मुख्य मार्ग से सर्विस रोड निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मनीराम सिंह व अन्य निवासीगण जनपद फिरोजाबाद की याचिका,

37-जनपद फिरोजाबाद की तहसील जसराना के ग्राम निनावली में श्री दयाम सिंह के घर से नहर की नाली का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सुरजीत सिंह व अन्य निवासीगण जनपद फिरोजाबाद की याचिका,

38-जनपद फिरोजाबाद की तहसील जसराना की ग्राम पंचायत धुपई में कतिपय मार्गों में सी0सी0 मार्ग का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री संजय कुमार व अन्य निवासीगण जनपद फिरोजाबाद की याचिका,

39-जनपद फिरोजाबाद की तहसील जसराना के विकास खण्ड हाथवन्त के ग्राम भामई में कतिपय सी0सी0 मार्गों का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री ताज मोहम्मद व अन्य निवासीगण जनपद फिरोजाबाद की याचिका,

40-जनपद फिरोजाबाद की तहसील जसराना के विकास खण्ड एका के ग्राम मधीपुर में कतिपय मार्गों व नाली का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री कौशलेन्द्र कुमार व अन्य निवासीगण जनपद फिरोजाबाद की याचिका,

41-जनपद फिरोजाबाद की तहसील जसराना की ग्राम पंचायत भादउ के ग्राम मोहनीपुर से श्री श्याम सिंह के घर तक सी0सी0 मार्ग का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री श्याम सिंह व अन्य निवासीगण जनपद फिरोजाबाद की याचिका,

42-जनपद फिरोजाबाद की तहसील जसराना के ग्राम निनावली में श्री दयाम सिंह के घर से नाली का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सुरजीत सिंह व अन्य निवासीगण जनपद फिरोजाबाद की याचिका,

43-जनपद फिरोजाबाद की तहसील जसराना की ग्राम पंचायत गिनौली के ग्राम दयाराम में सी0सी0 मार्ग व नाली का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मनोज कुमार, प्रधान व अन्य निवासीगण जनपद फिरोजाबाद की याचिका,

44-जनपद हरदोई की नगर पालिका परिषद् साण्डी के मा0 सैय्यदबाड़ा स्थित स्मृतिशेष स्थल का नवीनीकरण करवाये जाने के सम्बन्ध में श्री एस0के0 कुशवाहा व अन्य निवासीगण जनपद हरदोई की याचिका,

45-जनपद प्रयागराज के मेजा तहसील के अन्तर्गत ग्राम दघिया में गाटा सं0-903 व 903/1682 का सीमांकन कर पूरे प्रकरण की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राजेन्द्र प्रसाद शुक्ला, निवासी जनपद प्रयागराज की याचिका,

46-जनपद फिरोजाबाद के विकास खण्ड एका के ग्राम सुनारी के मजरा आर्य नगर में एटा-अवागढ़ मुख्य मार्ग से श्री उदयवीर सिंह के घर तक सी0सी0 मार्ग का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री बारीलाल व अन्य निवासीगण जनपद फिरोजाबाद की याचिका,

47-जनपद फिरोजाबाद की तहसील जसराना के गांव इन्दरई व कतिपय अन्य गांवों में बारात घर बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री रामवकील, प्रधान व अन्य निवासीगण जनपद फिरोजाबाद की याचिका,

48-जनपद फिरोजाबाद की तहसील जसराना, विकास खण्ड हाथवन्त के ग्राम फतेहपुर नारायण सिंह में गांव से पूर्व दिशा में बम्बे से 2 गट्ठे की नाली/गूल खुदवाये जाने के सम्बन्ध में श्री प्यारे लाल व अन्य निवासीगण जनपद फिरोजाबाद की याचिका,

49-जनपद फिरोजाबाद की तहसील जसराना, विकास खण्ड टीकामई में नाली का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मनोज कुमार व अन्य निवासीगण जनपद फिरोजाबाद की याचिका,

50-जनपद फिरोजाबाद की तहसील जसराना, विकास खण्ड खैरगढ़ के गांव इटाहरी में नवनिर्मित राजकीय पशु चिकित्सालय में पशु चिकित्सक एवं दवाइयों का उचित प्रबन्ध कराये जाने के सम्बन्ध में श्री विमल यादव उर्फ गुड्डू व अन्य निवासीगण जनपद फिरोजाबाद की याचिका,

51-जनपद फिरोजाबाद की तहसील जसराना, विकास खण्ड खैरगढ़ के कस्बा फरिहा में स्थित नवीन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर चिकित्सक व दवाइयों, जांच हेतु मशीनों का उचित प्रबन्ध कराये जाने के सम्बन्ध में श्री संजय कुमार उर्फ अंगद व अन्य निवासीगण जनपद फिरोजाबाद की याचिका,

52-जनपद फिरोजाबाद की तहसील जसराना, विकास खण्ड एका के गांव पिलख्तर जैत में स्थित प्राचीन महादेव मन्दिर का जीर्णोद्धार कराये जाने के सम्बन्ध में श्री विपनेश कुमार व अन्य निवासीगण जनपद फिरोजाबाद की याचिका तथा

53-जनपद फिरोजाबाद की तहसील जसराना में सर्पदंश के इलाज की व्यवस्था कराये जाने के सम्बन्ध में श्री विपिन कुमार व अन्य निवासीगण जनपद फिरोजाबाद की याचिका।

श्री बृजेश कुमार, सदस्य, विधान सभा की जनपद उन्नाव से सम्बन्धित 6 याचिकाएं[†]

श्री बृजेश कुमार, सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएं उपस्थित की हुई मानी गईं :-

1-जनपद उन्नाव के विधान सभा क्षेत्र मोहान, विकास खण्ड नवाबगंज के अन्तर्गत लखनऊ-कानपुर हाई-वे पर ग्राम जगदीशपुर की मुख्य सड़क के मरम्मत/पुनः निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री ऋषि सिंह व अन्य निवासीगण जनपद उन्नाव की याचिका,

2-जनपद उन्नाव के विधान सभा क्षेत्र मोहान की तहसील हसनगंज के अन्तर्गत ग्राम टाडा नरोत्तमपुर में सुरेश रावत के खेत से फरहदपुर से जैतीपुर सम्पर्क मार्ग तक एवं ग्राम सैदपुर से आदमपुर बरेठी रोड तक सड़क का डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रामशंकर सिंह व अन्य निवासीगण जनपद उन्नाव की याचिका,

3-जनपद उन्नाव के विधान सभा क्षेत्र मोहान की तहसील हसनगंज के अन्तर्गत ग्राम अजमतगढ़ी रोड पर नहर की पुलिया एवं ग्राम खड़वारी सादिकपुर की नाला पुलिया का पुनः निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री ओम जी तिवारी व अन्य निवासीगण जनपद उन्नाव की याचिका,

4-जनपद उन्नाव के विधान सभा क्षेत्र मोहान की तहसील हसनगंज, विकास खण्ड नवाबगंज के अन्तर्गत ग्राम अजगैन इटकुटी मार्ग से विश्वनाथ खेड़ा तक सम्पर्क मार्ग एवं सधीरा नया खेड़ा से पुराना खेड़ा तक डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रजनीश साहू व अन्य निवासीगण जनपद उन्नाव की याचिका,

5-जनपद उन्नाव के विधान सभा क्षेत्र मोहान की तहसील व विकास खण्ड हसनगंज में कतिपय कच्चे मार्गों का नव निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अरुण दीक्षित व अन्य निवासीगण जनपद उन्नाव की याचिका तथा

6-जनपद उन्नाव के विधान सभा क्षेत्र मोहान की तहसील हसनगंज, विकास खड औरास में कतिपय कच्चे मार्गों का नव निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री विपिन मौर्या व अन्य निवासीगण जनपद उन्नाव की याचिका।

[†] छापी नहीं गयीं।

श्री बम्बा लाल, सदस्य, विधान सभा की जनपद उन्नाव से सम्बन्धित 36 याचिकाएं

श्री बम्बालाल, सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएं उपस्थित की हुई मानी गईं :-

1-जनपद उन्नाव के विकास खण्ड औरास की ग्राम सभा पूराचांद में सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री साहबलाल व अन्य निवासीगण जनपद उन्नाव की याचिका,

2-जनपद उन्नाव के विकास खण्ड सफीपुर के ग्राम पंचायत फतेहपुर में सरकारी ट्यूबवेल स्थापित कराये जाने के सम्बन्ध में श्री पुष्पेन्द्र व अन्य निवासीगण जनपद उन्नाव की याचिका,

3-जनपद उन्नाव के विकास खण्ड औरास में ग्राम सभा कबरोई में सड़क का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री उपेन्द्र प्रताप सिंह व अन्य निवासीगण जनपद उन्नाव की याचिका,

4-जनपद उन्नाव के विकास खण्ड सफीपुर में ग्राम पंचायत नरहरपुर में सरकारी ट्यूबवेल स्थापित कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अतुल अग्निहोत्री व अन्य निवासीगण जनपद उन्नाव की याचिका,

5-जनपद उन्नाव के विकास खण्ड औरास में ग्राम सभा रामपुर खंजडी में सी0सी0 रोड का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सुरेश चन्द्र सोनी व अन्य निवासीगण जनपद उन्नाव की याचिका,

6-जनपद उन्नाव के विकास खण्ड औरास में ग्रम सभा दिपवल में सी0सी0 रोड का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री गिरिदास व अन्य निवासीगण जनपद उन्नाव की याचिका,

7-जनपद उन्नाव के विकास खण्ड हसनगंज में ग्राम सभा हसनापुर में सी0सी0 रोड का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री गुड्डू सिंह व अन्य निवासीगण जनपद उन्नाव की याचिका,

8-जनपद उन्नाव के विकास खण्ड औरास में ग्राम सभा पूराचांद में सड़क का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री संजय सिंह व अन्य निवासीगण जनपद उन्नाव की याचिका,

9-जनपद उन्नाव के विकास खण्ड मियांगंज में ग्राम सभा नेपालपुर में सी0सी0 रोड का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राम दयाल व अन्य निवासीगण जनपद उन्नाव की याचिका,

10-जनपद उन्नाव के विकास खण्ड सफीपुर के गाम पंचायत देवगांव में सी0सी0 रोड का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अजीत व अन्य निवासीगण जनपद उन्नाव की याचिका,

11-जनपद उन्नाव के विकास खण्ड मियांगंज के ग्राम सभा गौराकला में सी0सी0 रोड का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री लवकुश सिंह व अन्य निवासीगण जनपद उन्नाव की याचिका,

12-जनपद उन्नाव की मुस्तफाबाद माइनर में दुपुला परेन्दा होते हुए रायपुरगढ़ी भदेयू के टेल तक नहर की सफाई कराकर टेल तक पानी पहुंचाये जाने के सम्बन्ध में श्री भल्लू व अन्य निवासीगण जनपद उन्नाव की याचिका,

13-जनपद उन्नाव के विकास खण्ड मियांगंज के ग्राम सभा रनागढ़ी मजरा कोरारी खुर्द में मेन रोड से सुखलाल पाल के घर तक सी0सी0 रोड का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री गोलू पाल व अन्य निवासीगण जनपद उन्नाव की याचिका,

14-जनपद उन्नाव के विकास खण्ड सफीपुर के ग्राम सभा महमूदपुर में अवधेश के दरवाजे से जगदीश रैदास के घर तक सी0सी0 रोड व नाली का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मथन सिंह व अन्य निवासीगण जनपद उन्नाव की याचिका,

15-जनपद उन्नाव के ग्राम पंचायत फतेहपुर में जर्जर तार बदलवाने के सम्बन्ध में श्री गिरिजा शंकर व अन्य निवासीगण जनपद उन्नाव की याचिका,

16-जनपद उन्नाव के विकास खण्ड मियांगंज के ग्राम सभा माखी मजरा बेलसी में होली पुलिया से हरिकेश सिंह के दरवाजे से होते हुए बेलसी-बिरसिंहपुर डामर रोड तक इण्टरलॉकिंग रोड व नाली बनवाये जाने के सम्बन्ध में श्री जयदीप मिश्रा व अन्य निवासीगण जनपद उन्नाव की याचिका,

17-जनपद उन्नाव के विकास खण्ड मियांगंज के ग्राम सभा गौराकला में उन्नाव-सण्डीला रोड से गौराकला तक सी0सी0 रोड व नाली का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री बम्बालाल व अन्य निवासीगण जनपद उन्नाव की याचिका,

18-जनपद उन्नाव के विकास खण्ड सफीपुर के ग्राम सभा मेथीटिकुर मजरा चकलवंशी में मुन्नू लाल के घर से गंगा खेड़ा तक सी0सी0 रोड व नाली का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री ओम प्रकाश व अन्य निवासीगण जनपद उन्नाव की याचिका,

19-जनपद उन्नाव के विकास खण्ड नवाबगंज के ग्राम पंचायत रायपुरगढ़ी में माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा संचालित हाई स्कूल के भवन में पेयजल हेतु पानी की व्यवस्था कराये जाने तथा विद्यालय की बाउण्ड्रीवाल का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री तारा सिंह व अन्य निवासीगण जनपद उन्नाव की याचिका,

20-जनपद उन्नाव के विकास खण्ड मियांगंज के ग्राम पंचायत माखी के मजरा सधवा खेड़ा में अम्बर खेड़ा पुलिया से सधवा खेड़ा नाला पुलिया तक सड़क का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री पिन्टू व अन्य निवासीगण जनपद उन्नाव की याचिका,

21-जनपद उन्नाव के विकास खण्ड सफीपुर के ग्राम सभा जमुनिहा कच्छ में वीरेन्द्र के दरवाजे से गांव के बाहर राम किशन के घर तक सी0सी0 रोड का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री विनय शुक्ला व अन्य निवासीगण जनपद उन्नाव की याचिका,

22-जनपद उन्नाव के विकास खण्ड मियांगंज के ग्राम सभा चकरेसर में केशवपुर से दलेलपुर तक सड़क का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सुखवीर मौर्या व अन्य निवासीगण जनपद उन्नाव की याचिका,

23-जनपद उन्नाव के विकास खण्ड सफीपुर के अन्तर्गत मां सन्तोषी गैस एजेन्सी चितौली से मांखी बिरसिंहपुर सम्पर्क मार्ग लगभग 02 किमी0 जर्जर मार्ग को मरम्मत/निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मलखान सिंह व अन्य निवासीगण जनपद उन्नाव की याचिका,

24-जनपद उन्नाव के विकास खण्ड मियांगंज के ग्राम पंचायत माखी के मजरा सधवा खेड़ा में मेन रोड खत्रिन खेड़ा मार्ग से सधवा खेड़ा मुरली के घर तक सड़क का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री वीरेन्द्र कुमार व अन्य निवासीगण जनपद उन्नाव की याचिका,

25-जनपद उन्नाव के विकास खण्ड मियांगंज के ग्राम पंचायत चकबरेसर में राज किशोर के घर के पास से भूपाल खेड़ा मल्हू सिंह के ट्यूबवेल तक सड़क का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री साहबलाल व अन्य निवासीगण जनपद उन्नाव की याचिका,

26-जनपद उन्नाव के विकास खण्ड सफीपुर के ग्राम पंचायत महमूदपुर के मजरा गोलेमऊ में गोलेमऊ से शाहपुर की सरहद तक सड़क का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राम विमल व अन्य निवासीगण जनपद उन्नाव की याचिका,

27-जनपद उन्नाव के विकास खण्ड सफीपुर के ग्राम सभा ब्रजपालपुर में रघुवीर के दरवाजे से राजाराम के दरवाजे तक सी0सी0 रोड व नाली का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री शिव लखन सिंह व अन्य निवासीगण जनपद उन्नाव की याचिका,

28-जनपद उन्नाव के विकास खण्ड सफीपुर के ग्राम पंचायत महमूदपुर में गोड़ियाबाग से शाहपुर तक सड़क का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मथन सिंह व अन्य निवासीगण जनपद उन्नाव की याचिका,

29-जनपद उन्नाव के विकास खण्ड सफीपुर के ग्राम पंचायत सफीपुर ग्रामीण में रामनगर तालाब से सरकारी अस्पताल सकहन तक सड़क का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राजेश पाल व अन्य निवासीगण जनपद उन्नाव की याचिका,

30-जनपद उन्नाव के विकास खण्ड बांगरमऊ के ग्राम पंचायत कुरसठ ग्रामीण में शेरपुर तियर से माइनर रोड से बहादुर खेड़ा प्रा0वि0 तक सड़क का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री पप्पू रावत व अन्य निवासीगण जनपद उन्नाव की याचिका,

31-जनपद उन्नाव के विकास खण्ड हसनगंज के ग्राम पंचायत पमेधिया में मुंशीगंज डामर रोड से हनुमान मन्दिर तक सड़क का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री जगदीश अवस्थी व अन्य निवासीगण जनपद उन्नाव की याचिका,

32-जनपद उन्नाव के विकास खण्ड सफीपुर के ग्राम सभा देवगांव में सरकारी ट्यूबवेल स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में श्री अजीत गौड़ व अन्य निवासीगण जनपद उन्नाव की याचिका,

33-जनपद उन्नाव के विकास खण्ड फतेहपुर में पंचायत भवन पर अवैध कब्जा खाली कराये जाने के सम्बन्ध में श्री पुष्पेन्द्र कुमार व अन्य निवासीगण जनपद उन्नाव की याचिका,

34-जनपद उन्नाव के विधान सभा क्षेत्र सफीपुर के अन्तर्गत अति पिछड़े, अनुसूचित जाति के बाहुल्य क्षेत्र में एकी कृत विकास योजना के अन्तर्गत विकास कार्य से सम्बन्धित ग्राम पंचायत क्षेत्र बम्हना एवं ग्राम पंचायत क्षेत्र रायपुरगढ़ी में सी0सी0 रोड, पिच रोड व नाली निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अनूप सिंह चन्देल व अन्य निवासीगण जनपद उन्नाव की याचिका,

35-जनपद उन्नाव के विकास खण्ड सफीपुर के ग्राम सभा ब्रजपालपुर में अशर्फी के दरवाजे से देवी मन्दिर तक सी0सी0 रोड व नाली का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अरुण कुमार व अन्य निवासीगण जनपद उन्नाव की याचिका तथा

36-जनपद उन्नाव के विकास खण्ड मियांगंज की ग्राम पंचायत चकबरेसर में केशवपुर से दलेलपुर तक सड़क का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सुखवीर मौर्या व अन्य निवासीगण जनपद उन्नाव की याचिका।

श्री बेदी, सदस्य, विधान सभा की जनपद गाजीपुर से सम्बन्धित 15 याचिकाएं[†]

श्री बेदी, सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएं उपस्थित की हुई मानी गईं :-

1-जनपद गाजीपुर के विधान सभा क्षेत्र-373, जखनियां में बेसो नदी पर पुल का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री लालजी राम व अन्य निवासीगण जनपद गाजीपुर की याचिका,

2-जनपद गाजीपुर के विधान सभा क्षेत्र-373, जखनियां तहसील जखनियां के सामने सड़क पर हो रहे जल जमाव की समस्या के निस्तारण हेतु सड़क एवं नाली निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री एड0 राकेश सिंह व अन्य निवासीगण जनपद गाजीपुर की याचिका,

3-जनपद गाजीपुर के विधान सभा क्षेत्र-373, जखनियां में बेसो नदी पर बने पुल पर एप्रोच बनवाये जाने के सम्बन्ध में श्री गुड्डू राजभर व अन्य निवासीगण जनपद गाजीपुर की याचिका,

---

[†] छापी नहीं गयीं।

4-जनपद गाजीपुर के विधान सभा क्षेत्र-373, जखनियां में जखनियां तहसील मुख्यालय से रोडवेज बस चलवाये जाने के सम्बन्ध में श्री गरीब राम व अन्य निवासीगण जनपद गाजीपुर की याचिका,

5-जनपद गाजीपुर के विधान सभा क्षेत्र-373, जखनियां में जखनियां रेलवे स्टेशन के पास ओवरब्रिज का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रमेश गौतम व अन्य निवासीगण जनपद गाजीपुर की याचिका,

6-जनपद गाजीपुर के विधान सभा क्षेत्र-373, जखनियां के ग्राम यूसुफपुर में ट्यूबवेल की सारी नालियों का पुनर्निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री पंकज दूबे व अन्य निवासीगण जनपद गाजीपुर की याचिका,

7-जनपद गाजीपुर के विधान सभा क्षेत्र-373, जखनियां राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय का नव निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री उमेश व अन्य निवासीगण जनपद गाजीपुर की याचिका,

8-जनपद गाजीपुर के विधान सभा क्षेत्र-373, जखनियां में खरारी नदी पर छलका निर्माण के सम्बन्ध में श्री धर्मवीर यादव व अन्य निवासीगण जनपद गाजीपुर की याचिका,

9-जनपद गाजीपुर के विधान सभा क्षेत्र-373, जखनियां के ग्राम धामूपुर में वीर अब्दुल हमीद पार्क का सौन्दर्यीकरण एवं टीनशेड लगवाने के सम्बन्ध में श्री गरीब राम व अन्य निवासीगण जनपद गाजीपुर की याचिका,

10-जनपद गाजीपुर के विधान सभा क्षेत्र-373, जखनियां के अन्तर्गत मरदानपुर एवं मोहम्मदपुर के बीच मगई नरदी पर लघु सेतु एवं पहुंच मार्ग के अपूर्ण कार्य को पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री लालू यादव व अन्य निवासीगण जनपद गाजीपुर की याचिका,

11-जनपद गाजीपुर के विधान सभा क्षेत्र-373, जखनियां के अन्तर्गत शादियाबाद से मौधिया बाजार होते हुए सैदपुर भितरी तक जर्जर सड़क की मरम्मत/निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री कयामुद्दीन अंसारी व अन्य निवासीगण जनपद गाजीपुर की याचिका,

12-जनपद गाजीपुर के विधान सभा क्षेत्र-373, जखनियां के अन्तर्गत विकास खण्ड मनिहारी में ग्राम सभा बरईपारा में नाला निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रमेश राजभर व अन्य निवासीगण जनपद गाजीपुर की याचिका,

13-जनपद गाजीपुर के विधान सभा क्षेत्र-373, जखनियां के अन्तर्गत विकास खण्ड मनिहारी में खेल का मैदान बनवाये जाने के सम्बन्ध में श्री विशाल कन्नौजिया व अन्य निवासीगण जनपद गाजीपुर की याचिका,

14-जनपद गाजीपुर के विधान सभा क्षेत्र-373, जखनियां के विकास खण्ड मनिहारी में ग्राम छपरी में महाराजा सुहेलदेव स्मृति द्वार बनवाये जाने के सम्बन्ध में श्री अरविन्द राजभर व अन्य निवासीगण जनपद गाजीपुर की याचिका, तथा

15-जनपद गाजीपुर के विधान सभा क्षेत्र-373, जखनियां में मजुई से जखनियां तक मार्ग की विशेष मरम्मत, चौड़ीकरण तथा सुदृढ़ीकरण निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री दिनेश व अन्य निवासीगण जनपद गाजीपुर की याचिका।

श्री बेचई सरोज, सदस्य, विधान सभा की जनपद आजमगढ़ से सम्बन्धित 20 याचिकाएं[†]

श्री बेचई सरोज, सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएं उपस्थित की हुई मानी गईं :-

1-जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र लालगंज के अन्तर्गत लालगंज-लहुआं सड़क मार्ग पर बसही रोड श्री रत्तन चाय वाले के घर से श्री रामविलास तिवारी के घर तक 02 कि0मी0 सड़क का चौड़ीकरण व मरम्मत कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री महेश गुप्ता व अन्य निवासीगण जनपद आजमगढ़ की याचिका,

2-जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र लालगंज के अन्तर्गत ग्राम सभा सिधौना से होते हुए पतिला तक सम्पर्क मार्ग की लम्बाई 02 किमी0 सड़क का चौड़ीकरण व मरम्मत कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री लवकुश व अन्य निवासीगण जनपद आजमगढ़ की याचिका,

3-जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र लालगंज के अन्तर्गत ग्राम सभा राजेपुर में श्री जयनाथ सरोज के घर से ग्राम सभा जयतीपुर होते हुए ग्राम ससेड़ी, सरावां तक सम्पर्क मार्ग की लम्बाई 06 कि0मी0 सड़क का चौड़ीकरण व मरम्मत कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अरविन्द कुमार व अन्य निवासीगण जनपद आजमगढ़ की याचिका,

4-जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र लालगंज के अन्तर्गत ग्राम सभा श्रीरामगंज बाजार से होते हुए सतपुरवां, इमिलिया, धन्नीपुर बार्डर तक सम्पर्क मार्ग की लम्बाई 05 कि0मी0 सड़क का चौड़ीकरण व मरम्मत कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री विनय सरोज व अन्य निवासीगण जनपद आजमगढ़ की याचिका,

5-जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र लालगंज के अन्तर्गत ग्राम सभा पुरसुडी से उदियावां रायबस्ती होते हुए अनुसूचित बस्ती तक सम्पर्क मार्ग की लम्बाई 05 कि0मी0 सड़क का चौड़ीकरण व मरम्मत कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राजमन सरोज व अन्य निवासीगण जनपद आजमगढ़ की याचिका,

---

[†] छापी नहीं गयीं।

6-जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र लालगंज के अन्तर्गत ग्राम सभा पसिका में डॉ0 रामानन्द के घर से होते हुए पासी, यादव व यौहन बस्ती तक सम्पर्क मार्ग की लम्बाई 02 कि0मी0 सड़क का चौड़ीकरण व मरम्मत कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री संतोष शर्मा व अन्य निवासीगण जनपद आजमगढ़ की याचिका,

7-जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र लालगंज के अन्तर्गत लालगंज-तरवां सम्पर्क मार्ग से ग्राम अकोल्ही तक सम्पर्क मार्ग की लम्बाई 02 कि0मी0 की सड़क का चौड़ीकरण व मरम्मत कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री गुलाब राजभर व अन्य निवासीगण जनपद आजमगढ़ की याचिका,

8-जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र लालगंज के अन्तर्गत आजमगढ़-जौनपुर सड़क मार्ग से कितमलपुर श्री सुभाष पासी के घर से होते हुए ग्राम तियरी, सिरवां तक सम्पर्क मार्ग की लम्बाई 05 कि0मी0 की सड़क का चौड़ीकरण व मरम्मत कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री गहनू यादव व अन्य निवासीगण जनपद आजमगढ़ की याचिका,

9-जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र लालगंज के अन्तर्गत देवगांव-मेहनापजपुर सड़क मार्ग से ऊंचेगांव, चेवार व कलीचाबाद के बीच नदी के पुल के आगे तक तक सम्पर्क मार्ग की लम्बाई 06 कि0मी0 की सड़क का चौड़ीकरण व मरम्मत कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री विनोद यादव व अन्य निवासीगण जनपद आजमगढ़ की याचिका,

10-जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र लालगंज के अन्तर्गत ठेकमा-मार्टिनगंज सड़क मार्ग से मुक्तीपुर बाजार होते हुए ग्राम सभा उसरी, बीकापुर राजभर बस्ती तक सम्पर्क मार्ग की लम्बाई 02 कि0मी0 की सड़क का चौड़ीकरण व मरम्मत कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री योगेन्द्र यादव व अन्य निवासीगण जनपद आजमगढ़ की याचिका,

11-जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र लालगंज के अन्तर्गत भीरा-लालगंज सड़क मार्ग के बीच से ग्राम सभा अवदह, प्राथमिक विद्यालय होते हुए ग्राम सभा हदिशादयालपुर व रामपुर तक सम्पर्क मार्ग की लम्बाई 06 कि0मी0 की सड़क का चौड़ीकरण व मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राजेश यादव व अन्य निवासीगण जनपद आजमगढ़ की याचिका,

12-जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र लालगंज के अन्तर्गत देवगांव, बसही होते हुए खुम्मादेवरी तक सम्पर्क मार्ग की लम्बाई 05 कि0मी0 की सड़क का चौड़ीकरण व मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सहीम खां व अन्य निवासीगण जनपद आजमगढ़ की याचिका,

13-जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र लालगंज के अन्तर्गत ठेकमा से मुड़हर होते हुए उबारपुर तक सम्पर्क मार्ग की लम्बाई 08 कि0मी0 की सड़क का चौड़ीकरण व मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में श्री बंकू सेठ व अन्य निवासीगण जनपद आजमगढ़ की याचिका,

14-जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र लालगंज के अन्तर्गत लालगंज से लहुआं होते हुए कटौली बुजुर्ग तक सम्पर्क मार्ग की लम्बाई 05 कि0मी0 सड़क का चौड़ीकरण व मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मुन्ना व अन्य निवासीगण जनपद आजमगढ़ की याचिका,

15-जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र लालगंज के अन्तर्गत लालगंज, बेलामोड़ से रोहुआं तक की सड़क की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में श्री विजेन्द्र यादव व अन्य निवासीगण जनपद आजमगढ़ की याचिका,

16-जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र लालगंज के अन्तर्गत भीरा-लालगंज सम्पर्क मार्ग के बीच से ग्राम सोफीपुर, मानिकपुर होते हुए बहादुरपुर जाने वाली गड्ढायुक्त जर्जर सड़क की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सर्वेश यादव व अन्य निवासीगण जनपद आजमगढ़ की याचिका,

17-जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र लालगंज के अन्तर्गत आजमगढ़-जौनपुर सड़क मार्ग से सरायमोहन बरबसपुर स्व0 श्री बुधिराम सरोज के घर से होते हुए टड़िया अनुसूचित बस्ती तक की सड़क गड्ढायुक्त जर्जर सड़क की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मनोज राय व अन्य निवासीगण जनपद आजमगढ़ की याचिका,

18-जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र लालगंज के अन्तर्गत आजमगढ़-जौनपुर सड़क मार्ग से ग्राम सिंहणा होते हुए चिवटहीं तक सड़क गड्ढायुक्त जर्जर सड़क की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सन्तोष यादव व अन्य निवासीगण जनपद आजमगढ़ की याचिका,

19-जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र लालगंज के अन्तर्गत सरायमारू छावनी पर कटौली बुजुर्ग होते हुए दौना ईदगाह तक की जर्जर सड़क की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अमित कन्नौजिया व अन्य निवासीगण जनपद आजमगढ़ की याचिका, तथा

20-जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र लालगंज के अन्तर्गत लालगंज, बैरीडीह होते हुए गायत्री मोड़ तक की सड़क की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में श्री नदीम अहमद व अन्य निवासीगण जनपद आजमगढ़ की याचिका।

श्री महेन्द्र नाथ यादव, सदस्य, विधान सभा की जनपद बस्ती से सम्बन्धित 29 याचिकाएं[†]

श्री महेन्द्र नाथ यादव, सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएं उपस्थित की हुई मानी गईं :-

1-जनपद बस्ती के आर्य कन्या गली बभगावां में लो-वोल्टेज की समस्या को दूर कराये जाने के सम्बन्ध में श्री ध्यान चन्द्र श्रीवास्तव व अन्य निवासीगण जनपद बस्ती की याचिका,

---

[†] छापी नहीं गयीं।

2-जनपद बस्ती के गांधी नगर, मो0 मिल्लतनगर में सलीम अहमद के मकान से रियाज अहमद के मकान तक सड़क एवं नाली का पुनःनिर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सलीम अहमद व अन्य निवासीगण जनपद बस्ती की याचिका,

3-जनपद बस्ती के गांधी नगर, मो0 मिल्लतनगर बेलवाडाड़ी में आसमा खातून के मकान से सैय्यद एहतेशाम अहमद के मकान तक सड़क एवं नाली का पुनःनिर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री एहतेशाम अहमद व अन्य निवासीगण जनपद बस्ती की याचिका,

4-जनपद बस्ती के विकास खण्ड साउघाट के ग्राम कटहरा खुर्द में राम शब्द के घर से ग्राम कोडरी के राम कुमार यादव के घर तक के मार्ग को पुनःनिर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री कैलाश नाथ राजभर व अन्य निवासीगण जनपद बस्ती की याचिका,

5-जनपद एवं विकास खण्ड बस्ती के पोस्ट कटिया के अन्तर्गत ग्राम मंझरिया में बिजली के खम्भे लगवाये जाने के सम्बन्ध में श्री ध्रुव चन्द्र चौधरी व अन्य निवासीगण जनपद बस्ती की याचिका,

6-जनपद बस्ती के विकास खण्ड बनकटी के अन्तर्गत ग्राम सभा सिकराखुर्द के सुबखर फिरोज पट्टी धुसवां गांव में जमुना यादव के घर से शंकर के घर तक सड़क निर्माण करवाये जाने के सम्बन्ध में श्री जमुना यादव व अन्य निवासीगण जनपद बस्ती की याचिका,

7-जनपद बस्ती के पुलिस लाइन के मुख्य मार्ग में दूबे जी के घर से पुलिस लाइन (मोह0 पश्चिम) मन्दिर तक मार्ग निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री विजय कुमार भारती व अन्य निवासीगण जनपद बस्ती की याचिका,

8-जनपद बस्ती के ब्लाक साउघाट में तिलकपुरवा गांव से मरवटिया होते हुए बगही तक सड़क व नाली की मरम्मत/निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री जितेन्द्र चौधरी व अन्य निवासीगण जनपद बस्ती की याचिका,

9-जनपद बस्ती, ब्लाक बस्ती सदर के अन्तर्गत ग्राम सभा पुरैना में रमेश पाठक एडवोकेट के घर से उमेश पाठक के घर तक सड़क व नाली की मरम्मत/निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री उमेश पाठक व अन्य निवासीगण जनपद बस्ती की याचिका,

10-जनपद बस्ती के कटरा पश्चिमी निकट डमरूआ राजेश राजभर के घर से संघमित्र के घर होते हुए इन्दिरा पब्लिक स्कूल तक की सड़क व नाली बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री जितेन्द्र गुरूजी व अन्य निवासीगण जनपद बस्ती की याचिका,

11-जनपद बस्ती के विकास खण्ड बस्ती सदर के अन्तर्गत ग्राम सभा जामडीह पिच रोड से राम उजागिर के बाग तक की रोड की लम्बाई लगभग 200 मी0 तक सड़क की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में श्री विकास पाण्डेय व अन्य निवासीगण जनपद बस्ती की याचिका,

12-जनपद बस्ती के मडवा नगर के नेबुलवा ताल विक्रान्त त्रिपाठी के घर से पवन तिवारी के घर तक सड़क की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में श्री विक्रान्त त्रिपाठी व अन्य निवासीगण जनपद बस्ती की याचिका,

13-जनपद बस्ती के मो0 महरीखावां में पप्पू यादव के घर से पप्पू गौड़ के घर से होते हुए सुरेश पाण्डेय के घर तक की सड़क की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में श्री पप्पू गौड़ व अन्य निवासीगण जनपद बस्ती की याचिका,

14-जनपद बस्ती के विकास खण्ड बनकटी के ग्राम कोहड़वा में सुरेश के घर से दक्षिण राम कुबेर के खेत तक सड़क की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में श्री कपिल देव यादव व अन्य निवासीगण जनपद बस्ती की याचिका,

15-जनपद बस्ती के मो0 मिल्लतनगर, बेलवाडाड़ी, गांधी नगर में श्री फखरे आलम के घर के सामने से श्री अंसार अहमद के घर तक की सड़क व नाली की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में श्री फखरे आलम व अन्य निवासीगण जनपद बस्ती की याचिका,

16-जनपद बस्ती के ग्राम देवरिया में देवरिया सोनूपार सम्पर्क मार्ग से ग्राम देवरिया में बलराम के घर से फूलचन्द के खलंगा तक की सड़क बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री फूलचन्द यादव व अन्य निवासीगण जनपद बस्ती की याचिका,

17-जनपद बस्ती के विकास खण्ड बनकटी के ग्राम जय विजय में जय विजय मुख्य मार्ग में गोगा के घर से नुरुल हसन के घर तक की सड़क बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री मो0 हसन व अन्य निवासीगण जनपद बस्ती की याचिका,

18-जनपद बस्ती की ग्राम पंचायत भूपालपुर के अन्तर्गत विनोद के घर से गंगा राम के घर तक की सड़क बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री राम सवारे चौधरी व अन्य निवासीगण जनपद बस्ती की याचिका,

19-जनपद बस्ती के मोह0 गड़गोडिया, गांधी नगर में कोतवाली-गड़गोडिया, चननी सड़क तक की सड़क एवं नाली बनवाये जाने के सम्बन्ध में श्री प्रदीप त्रिपाठी व अन्य निवासीगण जनपद बस्ती की याचिका,

20-जनपद बस्ती के ब्लाक बनकटी के ग्राम चकमुबारक उर्फ धुसवा व शुभखर फिरोज पट्टी में प्राथमिक विद्यालय खुलवाये जाने के सम्बन्ध में श्री अमरजीत व अन्य निवासीगण जनपद बस्ती की याचिका,

21-जनपद बस्ती के ब्लाक बलकटी के ग्राम चेनुआ में हल्लौर नगरा जिगना पिच रोड से चेनुआ सम्पर्क मार्ग पर बाबूराम चौधरी के घर के बगल में पुलिया का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री बाबूराम चौधरी व अन्य निवासीगण जनपद बस्ती की याचिका,

22-जनपद बस्ती के ब्लाक बस्ती सदर में एन0एच0-28 से सोनालिका वर्कशाप के दक्षिण से पूरब के चक मार्ग को बनवाये जाने के सम्बन्ध में श्री हरिराम निषाद व अन्य निवासीगण जनपद बस्ती की याचिका,

23-जनपद बस्ती के मो0 मालीटोला रहमतगंज गांधी नगर में मलंग बाबा मार्ग पर आशिफ अली के मकान से नूरजहां के मकान तक सड़क की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में श्री जावेद व अन्य निवासीगण जनपद बस्ती की याचिका,

24-जनपद बस्ती के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग-28 से पुराना डाकखाना जाने वाला मार्ग में रामफेर गुप्त के घर से काली जी के स्थान तक लम्बाई लगभग 250 मी0 जर्जर सड़क का पुनः निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सुभाष चन्द्र मिश्रा व अन्य निवासीगण जनपद बस्ती की याचिका,

25-जनपद बस्ती के अन्तर्गत ग्राम पंचायत बन्धुआ में राम चरित्र यादव के घर से गब्बर यादव के घर तक ल0 लगभग 500 मी0 जर्जर सड़क को पुनःनिर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री आकाश यादव व अन्य निवासीगण जनपद बस्ती की याचिका,

26-जनपद बस्ती के अन्तर्गत नगर पंचायत गनेशपुर के पश्चिम टोला में विद्युत ट्रांसफार्मर की क्षमता बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में श्री विनोद कुमार मोदनवाल व अन्य निवासीगण जनपद बस्ती की याचिका,

27-जनपद बस्ती के अन्तर्गत पोस्ट लबना पार के इटैली पाण्डे में विद्युत पोल व तार लगवाये जाने के सम्बन्ध में सुश्री नीतू पाण्डेय व अन्य निवासीगण जनपद बस्ती की याचिका,

28-जनपद एवं विकास खण्ड बस्ती के ग्राम कटरा खुर्द में कटरा खुर्द सम्पर्क मार्ग से टेबुल यादव के घर के बगल काली मन्दिर तक मार्ग का पुनःनिर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री गुड्डू व अन्य निवासीगण जनपद बस्ती की याचिका तथा

29-जनपद बस्ती के गांधी नगर मो0 मिल्लतनगर में फारूक ए आजम पब्लिक स्कूल से साहिबार अली के मकान तक नाली व सड़क का पुनःनिर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री साहिबान अली व अन्य निवासीगण जनपद बस्ती की याचिका।

श्री मो0 फहीम इरफान, सदस्य, विधान सभा की जनपद मुरादाबाद से 19 एवं जनपद सम्भल से सम्बन्धित एक याचिकाएं

श्री मौ0 फहीम इरफान, सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएं उपस्थित की हुई मानी गईं-

1-जनपद मुरादाबाद की तहसील बिलारी के अन्तर्गत ग्राम देवरी में नरेश के मकान से रतनपुर मार्ग तक सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री शिशपाल निवासी जनपद मुरादाबाद की याचिका,

2-जनपद मुरादाबाद की तहसील बिलारी के अन्तर्गत ग्राम शाहपुर में आई0टी0आई0 कालेज से बगपुरा तक सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री विकास यादव निवासी जनपद मुरादाबाद की याचिका,

3-जनपद मुरादाबाद की तहसील बिलारी के अन्तर्गत ग्राम खाता में एन0के0 स्कूल से करसरा तक सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री कमल सिंह निवासी जनपद मुरादाबाद की याचिका,

4-जनपद मुरादाबाद की तहसील बिलारी के अन्तर्गत ग्राम देवरी में हनुमान मन्दिर से दिनौरा तक सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री बहादुर सिंह निवासी जनपद मुरादाबाद की याचिका,

5-जनपद मुरादाबाद की तहसील बिलारी के अन्तर्गत ग्राम दिनौरा में प्राइमरी स्कूल से श्मशान घाट तक सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री श्यामवीर निवासी जनपद मुरादाबाद की याचिका,

6-जनपद मुरादाबाद की तहसील बिलारी के अन्तर्गत ग्राम उदरनपुरचक उर्फ बोरमपर में अतीक पुत्र इतवारी के मकान से मुनव्वर पुत्र मंगू के मकान तक सड़क बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री निसार पुत्र शराफत हुसैन निवासी जनपद मुरादाबाद की याचिका,

7-जनपद मुरादाबाद की तहसील बिलारी के ग्राम शाहबाद-पीपली चक रोड से सफदर पुत्र सलमानी के मकान तक 500 मीटर सड़क बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री अरशद पुत्र हाजी भूरे हुसन निवासी जनपद मुरादाबाद की याचिका,

8-जनपद मुरादाबाद की तहसील बिलारी के ग्राम थांवला से नगला नस्सू तक सड़क बनाये कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मनवीर पुत्र सियाराम निवासी जनपद मुरादाबाद की याचिका,

9-जनपद मुरादाबाद की तहसील बिलारी के अन्तर्गत ग्राम जसरथपुर के तिराहे से स्योंडारा मार्ग तक सड़क बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री राजेश्वर सिंह पुत्र जगत सिंह निवासी जनपद मुरादाबाद की याचिका,

10-जनपद मुरादाबाद की तहसील बिलारी के ग्राम बनियाठेर-करावर में सिद्ध आश्रम मढ़ी टीला शिव मन्दिर को पर्यटन स्थल घोषित किये जाने के सम्बन्ध में श्री मटरू पुत्र फकीरी सिंह निवासी जनपद मुरादाबाद की याचिका,

11-जनपद मुरादाबाद की तहसील बिलारी के ग्राम अजमतनगर ज्याडरा से ग्राम नियामतपुर तक जर्जर सड़क के मरम्मत/निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अभिनव कुमार पुत्र हरवीर सिंह व अन्य निवासीगण जनपद मुरादाबाद की याचिका,

12-जनपद मुरादाबाद की तहसील बिलारी के ग्राम अलीनगर से ग्राम जानकपुर तक जर्जर सड़क के मरम्मत/निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अमित कुमार पुत्र विजय सिंह व अन्य निवासीगण जनपद मुरादाबाद की याचिका,

13-जनपद मुरादाबाद की तहसील बिलारी के ग्राम अजमतनगर ज्योंडेरा से ग्राम नमनी गद्दी तक जर्जर सड़क के मरम्मत/निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अरुण कुमार पुत्र राकेश सिंह व अन्य निवासीगण जनपद मुरादाबाद की याचिका,

14-जनपद मुरादाबाद की तहसील बिलारी के अन्तर्गत ग्राम नियामतपुर से ग्राम धतरारा तक जर्जर सड़क के मरम्मत/निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री बसर मलिक पुत्र मुख्तयार व अन्य निवासीगण जनपद मुरादाबाद की याचिका,

15-जनपद मुरादाबाद की तहसील बिलारी के ग्राम मल्हपुर जन्नू से ग्राम नौशना स्योंडरा तक जर्जर सड़क के मरम्मत/निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सुनील पुत्र चरन सिंह व अन्य निवासीगण जनपद मुरादाबाद की याचिका,

16-जनपद मुरादाबाद के नगर बिलारी के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बिलारी में पर्याप्त डॉक्टर, सहायक स्टाफ एवं आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में श्री उरमान सिंह निवासी जनपद मुरादाबाद की याचिका,

17-उत्तर प्रदेश के समस्त सहारा इण्डिया निवेशकों का भुगतान कराये जाने के सम्बन्ध में श्री साधना गुप्ता निवासी जनपद मुरादाबाद की याचिका,

18-जनपद सम्भल की बिलारी विधान सभा की कतिपय ग्राम पंचायतों में स्थायी श्मशान घाट बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री जसवीर सिंह निवासी जनपद सम्भल की याचिका,

19-जनपद मुरादाबाद के तहसील बिलारी में एन0एच0-509 स्थित टोल प्लाजा मो0 इब्राहिमपुर के पास से होकर जरगांव रेलवे स्टेशन तक सड़क बनाये जाने के सम्बन्ध में हाजी मो0 उसमान निवासी जनपद मुरादाबाद की याचिका तथा

20-जनपद मुरादाबाद की तहसील बिलारी में आने वाली ग्राम पीपली के कब्रिस्तान की पुलिया से मरघट तक व केदार के खेत से अंजार के खेत तक सड़क बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री अनवार अहमद निवासी जनपद मुरादाबाद की याचिका।

श्री मनीष कुमार उर्फ मन्टू, सदस्य, विधान सभा की जनपद कुशीनगर से सम्बन्धित पांच याचिकाएं[†]

श्री मनीष कुमार उर्फ मन्टू, सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएं उपस्थित की हुई मानी गईं-

1-जनपद कुशीनगर पडरौना के ब्लाक-पडरौना में हरका गुलेलहा से सिधुआ रोड तक क्षतिग्रस्त मार्ग का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रमेश गुप्ता व अन्य निवासीगण जनपद कुशीनगर की याचिका,

---

[†] छापी नहीं गयीं।

2-जनपद कुशीनगर पडरौना शहर क्षेत्र में सुभाष चौक नहर से राज दरबार तक पी0डब्लू0डी0 रोड लगभग 02.00 कि0मी0 का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मन्टू जायसवाल व अन्य निवासीगण जनपद कुशीनगर की याचिका,

3-जनपद कुशीनगर पडरौना के ब्लाक-पडरौना अम्बे चौक से खिरिकिया तक लगभग 2.00 कि0मी0 नाली निर्माण का कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री शैलेश ब्याहूत व अन्य निवासीगण जनपद कुशीनगर की याचिका,

4-जनपद कुशीनगर पडरौना के ब्लाक-पडरौना में गंगी राम मन्दिर के अन्दर रोड व नाली लगभग 500 मी0 निर्माण का कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री विशाल सोनी व अन्य निवासीगण जनपद कुशीनगर की याचिका तथा

5-जनपद कुशीनगर पडरौना के ब्लाक-पडरौना में कतिपय ग्राम पंचायतों में ट्रांसफार्मर की क्षमता वृद्धि कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मुकेश गुप्ता व अन्य निवासीगण जनपद कुशीनगर की याचिका।

श्री मनोज कुमार पाण्डेय, सदस्य, विधान सभा की जनपद रायबरेली से सम्बन्धित 12, जनपद फिरोजाबाद से सम्बन्धित एक तथा जनपद सुल्तानपुर से सम्बन्धित एक याचिका[†]

श्री मनोज कुमार पाण्डेय, सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएं उपस्थित की हुई मानी गईं-

1-जनपद रायबरेली में विकास खण्ड दीनशाह गौरा के ग्राम सभा पट्टी रहस कैथवल, थुलरई में मिनी स्टेडियम स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में श्री आशीष तिवारी, निवासी जनपद रायबरेली की याचिका,

2-जनपद रायबरेली में विकास खण्ड रोहनियां के प्रसिद्ध स्थल गौरी शंकर मन्दिर को पर्यटन स्थल चयनित/स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में श्री आशीष तिवारी, निवासी जनपद रायबरेली की याचिका,

3-जनपद रायबरेली में विकास खण्ड ऊंचाहार में गोकना गंगा घाट पर शवदाह गृह स्थपित किये जाने के सम्बन्ध में श्री बृजेश यादव, निवासी जनपद रायबरेली की याचिका,

4-जनपद फिरोजाबाद में नगर निगम द्वारा क्रान्तिकारी मंगल पाण्डेय पार्क व मूर्ति स्थापना के सम्बन्ध में श्री बृजेश उपाध्याय, निवासी जनपद फिरोजाबाद की याचिका,

5-जनपद रायबरेली के विकास खण्ड जगतपुर को ग्राम पंचायत उमरी में हुई वित्तीय अनियमितता एवं घोटाले की जांच आख्या पर कार्यवाही कराये जाने के सम्बन्ध में श्री शम्भू प्रसाद, निवासी जनपद रायबरेली की याचिका,

---

[†] छापी नहीं गयीं।

6-जनपद सुल्तानपुर के सहाय महाविद्यालय सुल्तानपुर में नियमित वेतन एवं नियमित नियुक्ति के सम्बन्ध में श्री राजेश कुमार पाण्डेय, निवासी जनपद सुल्तानपुर की याचिका,

7-जनपद रायबरेली के लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत मानक के विरुद्ध निर्मित मार्गों के जांच हेतु शासन के निर्देशानुसार जांच टीम द्वारा ठेकेदारों व अधिकारियों के प्रभाव में निष्पक्ष जांच न किये जाने के सम्बन्ध में श्री पंकज कुमार, निवासी जनपद रायबरेली की याचिका,

8-जनपद रायबरेली के विकास खण्ड ऊंचाहार में गोकर्ण ऋषि के नाम पर स्थित गोकना घाट को पर्यटन रूप में चयनित/स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में श्री बृजेश यादव, निवासी जनपद रायबरेली की याचिका,

9-जनपद रायबरेली के विकास खण्ड ऊंचाहार के ग्राम सुकुरुल्लापुर में कोटेदार के मृत्यु के उपरान्त ब्लाक ऊंचाहार के कर्मचारियों द्वारा नियमों के विरुद्ध कोटे का प्रस्ताव किये जाने के सम्बन्ध में श्री देवेन्द्र तिवारी, निवासी जनपद रायबरेली की याचिका,

10-जनपद रायबरेली के विकास खण्ड ऊंचाहार के ग्राम पंचायत अरखा से निगोहा जाने वाले मार्ग का नवीनीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री आशीष तिवारी, निवासी जनपद रायबरेली की याचिका,

11-जनपद रायबरेली के समाज कल्याण विभाग के छात्रावास अधीक्षक श्री अमित शुक्ला और राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय, करछना की प्रभारी अधीक्षिका श्रीमती रेनू सिंह के विरुद्ध कार्यवाही जाने के सम्बन्ध में श्री दिनेश कुमार, निवासी जनपद रायबरेली की याचिका,

12-जनपद रायबरेली के विकास खण्ड ऊंचाहार में चड़रई बार्डर से पूरे खिलकटियन होते हुए पूरे बग्घा तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री दिलीप कुमार, तिवारी निवासी जनपद रायबरेली की याचिका,

13-जनपद रायबरेली में तहसील सदर के ग्राम सभा मुबारकपुर से स्मृति पटेल कन्या महाविद्यालय, मुबारकपुर हरचन्द्रपुर, रायबरेली तक लगभग 1 कि0मी0 अत्यन्त खराब सड़क का मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में श्री उमाशंकर चौधरी, निवासी जनपद रायबरेली की याचिका तथा

14-जनपद रायबरेली के विकास खण्ड ऊंचाहार के नगर पंचायत ऊंचाहार में वार्ड सं0-5, मोहल्ला सरांय में तालाब का सौन्दर्यीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मो0 सलीम कुरैशी, निवासी जनपद रायबरेली की याचिका।

श्री मूलचन्द्र सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद जालौन सम्बन्धित पांच याचिकाएं†

श्री मूलचन्द्र सिंह, सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएं उपस्थित की हुई मानी गईं :-

1-जनपद जालौन के विधान सभा क्षेत्र माधौगढ़ के कुठोंद उमरी मार्ग पर कुरौली से नकेलपुरा सम्पर्क मार्ग की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अग्निवेश चतुर्वेदी व अन्य निवासीगण जनपद जालौन की याचिका,

2-जनपद जालौन के विधान सभा क्षेत्र माधौगढ़ के अन्तर्गत कोंच जालौन मार्ग से छानी सम्पर्क मार्ग की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में श्री प्रद्युम्मन सिंह व अन्य निवासीगण जनपद जालौन की याचिका,

3-जनपद जालौन के विधान सभा क्षेत्र माधौगढ़ के अन्तर्गत ईगंई (नहर पटरी) सेलरियापुरा सम्पर्क मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री लक्ष्मी शंकर व अन्य निवासीगण जनपद जालौन की याचिका,

4-जनपद जालौन के विधान सभा क्षेत्र माधौगढ़ के कुठोंद उमरी मार्ग से जालौन देवी जी मन्दिर तक सम्पर्क मार्ग का चौड़ीकरण, सुदृढ़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री जयवीर सिंह व अन्य निवासीगण जनपद जालौन की याचिका तथा

5-जनपद जालौन के विधान सभा क्षेत्र माधौगढ़ के अन्तर्गत ईंटों से अजीतपुर मार्ग की क्षतिग्रस्त पुलिया का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री योगेश त्रिपाठी व अन्य निवासीगण जनपद जालौन की याचिका।

श्री विनोद चतुर्वेदी, सदस्य, विधान सभा की जनपद जालौन से सम्बन्धित 39 याचिकाएं †

श्री विनोद चतुर्वेदी, सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएं उपस्थित की हुई मानी गईं :-

1-जनपद जालौन के विधान सभा क्षेत्र कालपी के ब्लॉक कदौरा के ग्राम पन्डोरा से नाका तक सम्पर्क मार्ग का मरम्मत कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री जीतू प्रधान, निवासी ग्राम पन्डोरा, ब्लाक कदौरा, जनपद जालौन की याचिका,

2-जनपद जालौन के विधान सभा क्षेत्र कालपी के ब्लॉक महेवा के ग्राम मानपुर से न्यामतपुर तक सम्पर्क मार्ग का मरम्मत कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सन्दीप कुमार, निवासी ग्राम मानपुर, ब्लाक महेवा, जनपद जालौन की याचिका,

---

† छापी नहीं गयीं।

3-जनपद जालौन के विधान सभा क्षेत्र कालपी के ब्लॉक कुठौंद में औरैया मार्ग से सुरावली तक सम्पर्क मार्ग का मरम्मत कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अशोक चतुर्वेदी, निवासी ग्राम सुरावली, ब्लाक कुठौंद, जनपद जालौन की याचिका,

4-जनपद जालौन के विधान सभा क्षेत्र कालपी के ब्लॉक महेवा के ग्राम सिम्हारा में सिम्हारा चौराहे से पाल मडैया तक सम्पर्क मार्ग का मरम्मत कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अरविन्द तिवारी, निवासी ग्राम सिम्हारा, ब्लॉक महेवा, जनपद जालौन की याचिका,

5-जनपद जालौन के विधान सभा क्षेत्र कालपी के ब्लॉक महेवा के ग्राम अभैदेपुर में लौना मार्ग से पिथऊपुर मार्ग तक सम्पर्क मार्ग का मरम्मत कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री प्रमोद पाठक, निवासी ग्राम अभैदेपुर, ब्लाक महेवा, जनपद जालौन की याचिका,

6-जनपद जालौन के विधान सभा क्षेत्र कालपी के ब्लॉक जालौन के ग्राम कुठौदा बुजुर्ग से मोहनपुरा कुदारी वाया हीरपुर सम्पर्क मार्ग की मरम्मत कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री गोविन्द शुक्ला, निवासी ग्राम कुठौदा बुजुर्ग, ब्लॉक जालौन, जनपद जालौन की याचिका,

7-जनपद जालौन के विधान सभा क्षेत्र कालपी के ब्लॉक जालौन में कुठौदा बुजुर्ग से रिनिया सम्पर्क मार्ग की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में श्री शिवम द्विवेदी, निवासी ग्राम रिनिया, जनपद जालौन की याचिका,

8-जनपद जालौन के विधान सभा क्षेत्र कालपी के ब्लॉक महेवा के ग्राम वैरई से खैरई तक सम्पर्क मार्ग की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में श्री हरपाल यादव, निवासी ग्राम वैरई, जनपद जालौन की याचिका,

9-जनपद जालौन के विधान सभा क्षेत्र कालपी के ब्लॉक कदौरा में ग्राम मझवार से मोहारी तक सम्पर्क मार्ग की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अजहर बेग, निवासी जनपद जालौन की याचिका,

10-जनपद जालौन के विधान सभा क्षेत्र कालपी में नगर पालिका कालपीनगर में बस स्टैण्ड पर मुन्ना फुलपावर चौराहा से लेकर अमलतास तक सी0सी0 रोड का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री परमानन्द, निवासी जनपद जालौन की याचिका,

11-जनपद जालौन के विधान सभा क्षेत्र कालपी के ग्राम अतरछला में ऊद से अतरछला तक सम्पर्क मार्ग की मरम्मत कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मानवेन्द्र सिंह, निवासी जनपद जालौन की याचिका,

12-जनपद जालौन के विधान सभा क्षेत्र कालपी के ग्राम भवुआ से अकोढी तक सम्पर्क मार्ग की मरम्मत कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री योगेन्द्र कुशवाहा, निवासी जनपद जालौन की याचिका,

13-जनपद जालौन के विधान सभा क्षेत्र कालपी के ग्राम चन्द्ररसी से कुनेहटा सम्पर्क मार्ग की मरम्मत कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री नरेन्द्र यादव, निवासी जनपद जालौन की याचिका,

14-जनपद जालौन के विधान सभा क्षेत्र कालपी के ग्राम इकौना मार्ग से खेरापति तक सम्पर्क का नवनिर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री बृजनन्दन तिवारी, निवासी जनपद जालौन की याचिका,

15-जनपद जालौन के ब्लॉक जालौन में दहगुवां से मजा कमलपुर तक लेपन कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री संजय गुर्जर, निवासी जनपद जालौन की याचिका,

16-जनपद जालौन के विकास खण्ड कुठौन्द के अन्तर्गत ग्राम लोहई में पुल निर्माण के सम्बन्ध में श्री श्रीकान्त दीक्षित, निवासी जनपद जालौन की याचिका,

17-जनपद जालौन के विकास खण्ड महेवा के अन्तर्गत ग्राम पिथऊपुर में सड़क निर्माण के सम्बन्ध में श्री ऋषभ पाठक, निवासी जनपद जालौन की याचिका,

18-जनपद जालौन के विकास खण्ड कुठौन्द के अन्तर्गत ग्राम भदेख मौजा भदेख में नलकूप लगवाये जाने के सम्बन्ध में श्री जगतनारायण, निवासी जनपद जालौन की याचिका,

19-जनपद जालौन के विकास खण्ड महेवा के अन्तर्गत ग्राम सभा पिथऊपुर मौजा में नलकूप लगवाये जाने के सम्बन्ध में श्री प्रमोद पाठक, निवासी जनपद जालौन की याचिका,

20-जनपद जालौन के विकास खण्ड महेवा के अन्तर्गत ग्राम सभा सरसई में नाला निर्माण के सम्बन्ध में श्री बालजी गुर्जर, निवासी जनपद जालौन की याचिका,

21-जनपद जालौन के विकास खण्ड महेवा के अन्तर्गत ग्राम सिम्हारा कासिमपुर में सड़क निर्माण के सम्बन्ध में श्री कृष्ण गोपाल यादव निवासी जनपद जालौन की याचिका,

22-जनपद जालौन के विकास खण्ड महेवा के अन्तर्गत ग्राम सभा पाल मड़ैया मौजा में नलकूप लगवाये जाने के सम्बन्ध में श्री अरविन्द तिवारी, निवासी जनपद जालौन की याचिका,

23-जनपद जालौन के विकास खण्ड महेवा के अन्तर्गत ग्राम पिथऊपुर में सड़क निर्माण के सम्बन्ध में श्री गुड्डू सिंह, निवासी जनपद जालौन की याचिका,

24-जनपद जालौन के विकास खण्ड कुठौन्द के अन्तर्गत ग्राम खेड़ा में राधाकृष्ण मन्दिर की मरम्मत के सम्बन्ध में श्री अशोक चतुर्वेदी, निवासी जनपद जालौन की याचिका,

25-जनपद जालौन के विकास खण्ड महेवा के अन्तर्गत ग्राम सभा निपनियां में नलकूप लगवाये जाने के सम्बन्ध में श्री रामरूप यादव, निवासी जनपद जालौन की याचिका,

26-जनपद जालौन के विकास खण्ड कुदौरा के अन्तर्गत ग्राम सभा उदनपुर में नाला निर्माण के सम्बन्ध में श्री विजय तिवारी, निवासी जनपद जालौन की याचिका,

27-जनपद जालौन के विकास खण्ड महेवा के अन्तर्गत ग्राम सिमरा शेखपुर में पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री गजराज प्रधान, निवासी जनपद जालौन की याचिका,

28-जनपद जालौन के विकास खण्ड कुठौन्द के अन्तर्गत ग्राम रूधीरपुर मौजा में नलकूप लगवाये जाने के सम्बन्ध में श्री शशिकान्त द्विवेदी, निवासी जनपद जालौन की याचिका,

29-जनपद जालौन के विकास खण्ड कुठौन्द के अन्तर्गत ग्राम सभा छानी अहीर में नाला निर्माण के सम्बन्ध में श्री अनिल त्रिपाठी, निवासी जनपद जालौन की याचिका,

30-जनपद जालौन के विधान सभा क्षेत्र कालपी के ब्लॉक कदौरा के ग्राम अकौढी से इमिलिया तक क्षतिग्रस्त मार्ग का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सोभरन यादव, निवासी जनपद जालौन की याचिका,

31-जनपद जालौन के विधान सभा क्षेत्र कालपी के ब्लॉक कदौरा के ग्राम हवेली से मियाबाबा मजार सम्पर्क मार्ग का डामरीकरण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अनीस खान, निवासी जनपद जालौन की याचिका,

32-जनपद जालौन के विधान सभा क्षेत्र कालपी के ब्लॉक कदौरा के ग्राम चमारी से सन्धी तक सम्पर्क मार्ग की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अनुज द्विवेदी, निवासी ग्राम चमारी, ब्लॉक कदौरा, जनपद जालौन की याचिका,

33-जनपद जालौन के विधान सभा क्षेत्र कालपी के ब्लॉक कदौरा के ग्राम परासन से चन्द्ररसी तक सम्पर्क मार्ग की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में श्री धरनीधर यादव, निवासी ग्राम परासन, ब्लाक कदौर, जनपद जालौन की याचिका,

34-जनपद जालौन के विधान सभा क्षेत्र कालपी के ब्लॉक कदौरा के ग्राम ताहरपुर से सौधी तक सम्पर्क मार्ग की मरम्मत कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री केशव त्रिपाठी, निवासी ग्राम ताहरपुर, ब्लॉक कदौरा, जनपद जालौन की याचिका,

35-जनपद जालौन के विधान सभा क्षेत्र कालपी के ब्लॉक कदौरा के ग्राम कदौरा से मोहरदेवी से परासन तक सम्पर्क मार्ग की मरम्मत कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मनोज पाठक, निवासी ग्राम परासन, ब्लॉक कदौरा, जनपद जालौन की याचिका,

36-जनपद जालौन के विधान सभा क्षेत्र कालपी के ब्लॉक कुन्ठौद के ग्राम एका से शहजादेपुर तक सम्पर्क मार्ग की मरम्मत कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री भूरे यादव, निवासी ग्राम एका, ब्लॉक कुन्ठौद, जनपद जालौन की याचिका,

37-जनपद जालौन के विधान सभा क्षेत्र कालपी के ब्लॉक कुन्ठौद के ग्राम भदेख में श्याम बाबू शुक्ला के घर से श्मशान घाट की ओर जाने वाले सम्पर्क मार्ग की मरम्मत कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री श्याम तिवारी, निवासी ग्राम भदेख, ब्लॉक कुन्ठौद, जनपद जालौन की याचिका,

38-जनपद जालौन के विधान सभा क्षेत्र कालपी के ब्लॉक कुन्टौद के ग्राम भदेख से शंकरपुर वाया हिनोली तक सम्पर्क मार्ग का नवनिर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सत्य प्रकाश, निवासी ग्राम भदेख, ब्लॉक कुन्टौद, जनपद जालौन की याचिका तथा

39-जनपद जालौन के विधान सभा क्षेत्र कालपी के ब्लॉक कदौरा के ग्राम करमचन्द्रपुर से सुरहती तक सम्पर्क मार्ग की मरम्मत कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री विवेक यादव, निवासी ग्राम करमचन्द्रपुर, ब्लॉक कदौरा, जनपद जालौन की याचिका।

श्री प्रसन्न कुमार, सदस्य, विधान सभा की जनपद शामली से सम्बन्धित 04 याचिकाएं

श्री प्रसन्न कुमार, सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएं उपस्थित की हुई मानी गईं :-

1-जनपद शामली के विकास खण्ड शामली के ग्राम भिक्का माजरा नहर के पुल से बहावडी-भिक्का माजरा मार्ग का पुनः निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री बीर सिंह मलिक व अन्य निवासीगण जनपद शामली की याचिका,

2-जनपद शामली के विकास खण्ड शामली के मेरठ करनाल हाई-वे से ग्राम लांक होते हुए वाया ग्राम खरड से खेडी पट्टी होते हुए ग्राम भाज्जू तक मार्ग का चौड़ीकरण/पुनः निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रविन्द्र बाबा व अन्य निवासीगण जनपद शामली की याचिका,

3-जनपद शामली के विकास खण्ड शामली के ग्राम कासमपुर में स्कूल के पास से भनेडा जट तक मार्ग का चौड़ीकरण/पुनः निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रविन्द्र बाबा व अन्य निवासीगण जनपद शामली की याचिका, तथा

4-जनपद शामली के विधान सभा क्षेत्र शामली में कांधला-गंगेरू से गढ़ी दौलत लिंक रोड का पुनः निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राशिद जंग व अन्य निवासीगण जनपद शामली की याचिका।

श्री रामरतन कुशवाहा, सदस्य, विधान सभा की जनपद ललितपुर से सम्बन्धित ग्यारह याचिकाएं[†]

श्री रामरतन कुशवाहा, सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएं उपस्थित की हुई मानी गईं :-

1-जनपद ललितपुर के विकास खण्ड जखौरा के ग्राम पटौरा खुर्द में कतिपय सड़कों के निर्माण के सम्बन्ध में श्री श्याम बिहारी कौशिक, निवासी जनपद ललितपुर की याचिका,

2-जनपद ललितपुर के क्षेत्रान्तर्गत विकास खण्ड तालबेहट के ग्राम हर्षपुर के सभी मजरों में सड़कों का निर्माण एवं मजरा श्यामगुल्ला व भडरा में श्मशान घाट निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सुरेन्द्र व अन्य निवासीगण जनपद ललितपुर की याचिका,

---

[†] छापी नहीं गयीं।

3-जनपद ललितपुर के क्षेत्रान्तर्गत विकास खण्ड विरधा में देवगढ़ से नारायणी नदी पुल तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री दिनेश पटेरिया व अन्य निवासीगण जनपद ललितपुर की याचिका,

4-जनपद ललितपुर के क्षेत्रान्तर्गत नगर ललितपुर में सदनशाह चौराहे से सिद्धपुरा तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री दीपक मिश्रा व अन्य निवासीगण जनपद ललितपुर की याचिका,

5-जनपद ललितपुर के क्षेत्रान्तर्गत विकास खण्ड जखौरा के ग्राम थनवारा में खेडर नदी पर रपटा निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सतीश पाठक व अन्य निवासीगण जनपद ललितपुर की याचिका,

6-जनपद ललितपुर के क्षेत्रान्तर्गत नगर ललितपुर में गोविन्द सागर डैम से निकली छोटी नहर किनारे छूटी हुई पटरी का डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री महेश श्रीवास्तव व अन्य निवासीगण जनपद ललितपुर की याचिका,

7-जनपद ललितपुर के क्षेत्रान्तर्गत नगर ललितपुर में सुरई श्मशान घाट से पंचमुखी हनुमान मन्दिर तक सी0सी0 रोड लगभग 2 कि0मी0 एवं पंचमुखी हनुमान मन्दिर के पास शहजाद नदी पर रपटा का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राकेश त्रिवेदी व अन्य निवासीगण जनपद ललितपुर की याचिका,

8-जनपद ललितपुर के क्षेत्रान्तर्गत विकास खण्ड तालबेहटा के ग्राम कडेसरा कलां में खेडर नदी पर रपटा निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री महेश महाराज व अन्य निवासीगण जनपद ललितपुर की याचिका,

9-जनपद ललितपुर के क्षेत्रान्तर्गत विकास खण्ड विरधा के ग्राम जाखलौन में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सुरेश कौंते महाराज व अन्य निवासीगण जनपद ललितपुर की याचिका,

10-जनपद ललितपुर के क्षेत्रान्तर्गत विकास खण्ड वार के ग्राम टोडी में टोडी नाले पर रपटा निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अजय व अन्य निवासीगण जनपद ललितपुर की याचिका, तथा

11-जनपद ललितपुर के क्षेत्रान्तर्गत विकास खण्ड वार के ग्राम बरौदाडांग में बरौदाडांग से हसांरकलां एवं बरौदाडांग के मजरा छर्र से मण्डी परिषद् होते हुए सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री पूरन कुशवाहा व अन्य निवासीगण जनपद ललितपुर की याचिका।

श्री राहुल राजपूत उर्फ राहुल लोधी, सदस्य, विधान सभा की जनपद रायबरेली से सम्बन्धित पांच याचिकाएं†

श्री राहुल राजपूत उर्फ राहुल 'लोधी', सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएं उपस्थित की हुई मानी गईं-

1-जनपद रायबरेली के विधान सभा क्षेत्र हरचन्दपुर में अंगूरी पूरा सम्पर्क मार्ग से वाया पूरे गरवर धौकलपुर तक डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री आलोक यादव व अन्य निवासीगण जनपद रायबरेली की याचिका,

2-जनपद रायबरेली के विधान सभा क्षेत्र हरचन्दपुर में छतैया भोला का पुरवा सम्पर्क मार्ग से पूरे शीतल तक डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रामनरेश पासी व अन्य निवासीगण जनपद रायबरेली की याचिका,

3-जनपद रायबरेली के विधान सभा क्षेत्र हरचन्दपुर में ग्राम सोहलिया में सोहलिया सम्पर्क मार्ग से ग्राम भगना का पुरवा तक डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री कल्लू यादव व अन्य निवासीगण जनपद रायबरेली की याचिका,

4-जनपद रायबरेली के विधान सभा क्षेत्र हरचन्दपुर के ग्राम फरीदपुर में हरनी सम्पर्क मार्ग से लोधन का पुरवा तक डामरीकरण रोड का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अरुण यादव व अन्य निवासीगण जनपद रायबरेली की याचिका तथा

5-जनपद रायबरेली के विकास खण्ड हरचन्दपुर में देदौर-हिलालगंज सम्पर्क मार्ग से वाया भोला का पुरवा सम्पर्क मार्ग हरचन्दपुर हाई-वे तक डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रामचन्द्र पासी व अन्य निवासीगण जनपद रायबरेली की याचिका।

श्री राजीव सिंह उर्फ बब्बू भईया, सदस्य, विधान सभा की जनपद बदायूं से सम्बन्धित तीस याचिकाएं †

श्री राजीव सिंह उर्फ बब्बू भईया, सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएं उपस्थित की हुई मानी गईं :-

1-जनपद बदायूं के तहसील दातागंज के विकास खण्ड म्याऊं के ग्राम सोकरिया से नरोसती देवी मन्दिर नगला तक लोक निर्माण विभाग की सड़क का नवनिर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री भूरे सिंह, निवासी जनपद बदायूं की याचिका,

2-जनपद बदायूं के तहसील दातागंज के विकास खण्ड समरेर में जिला कृषि विज्ञान केन्द्र का निर्माण पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री भूरे सिंह, निवासी जनपद बदायूं की याचिका,

---

† छापी नहीं गयीं।

3-जनपद बदायूं के तहसील दातागंज के विकास खण्ड म्याऊं के रामगंगा पुल हजरतपुर से गडिया पैगम्बरपुर तक होते हुए नवादा बदन तक लोक निर्माण विभाग की सड़क का नवनिर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रतिभान सिंह, निवासी जनपद बदायूं की याचिका,

4-जनपद बदायूं के तहसील दातागंज में मिनी स्टेडियम का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री लाल रत्नाकर, निवासी जनपद बदायूं की याचिका,

5-जनपद बदायूं के तहसील दातागंज के विकास खण्ड म्याऊं के ग्राम आनन्दपुर में करौली सैदपुर के मध्य नाले पर पुलिया का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री ज्ञानेन्द्र सिंह, निवासी जनपद बदायूं की याचिका,

6-जनपद बदायूं के नगर पंचायत उसहत से होकर जाने वाली लोक निर्माण विभाग की उसहत ककराला तिराहे से शाहपुर तक सड़क का चौड़ीकरण/मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में श्री श्याम सिंह, निवासी जनपद बदायूं की याचिका,

7-जनपद बदायूं के तहसील दातागंज के अन्तर्गत पौराणिक स्थलों के जीर्णोद्धार कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सन्तोष सिंह, निवासी जनपद बदायूं की याचिका,

8-जनपद बदायूं की तहसील दातागंज के विकास खण्ड समरेर के ग्राम बराही में पुलिस थाना स्थापित कराने के सम्बन्ध में श्री अग्रवीर सिंह, निवासी जनपद बदायूं की याचिका,

9-जनपद बदायूं के तहसील दातागंज के विकास खण्ड समरेर के ग्राम नेता-झुकसा में पौराणिक देवी स्थल का जीर्णोद्धार कराये जाने के सम्बन्ध में श्री कृष्ण पाल कश्यप, निवासी जनपद बदायूं की याचिका,

10-जनपद बदायूं के तहसील दातागंज के विकास खण्ड म्याऊं के ग्राम बमनपुरा में लोक निर्माण विभाग की सड़क का मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में श्री ओम प्रताप सिंह, निवासी जनपद बदायूं की याचिका,

11-जनपद बदायूं के तहसील दातागंज के वृद्धजन/विधवा जो पेंशन पाने से छूट गये हैं, को वृद्धावस्था पेंशन दिलाये जाने के सम्बन्ध में श्री हीरालाल लोधी, निवासी जनपद बदायूं की याचिका,

12-जनपद बदायूं के तहसील दातागंज के विकास खण्ड समरेर में सेरहा से बगलिया के मध्य रामगंगा नदी पर पीपे का पुल बनवाये जाने के सम्बन्ध में श्री रतिभान सिंह, निवासी जनपद बदायूं की याचिका,

13-जनपद बदायूं के तहसील दातागंज में दिव्यांगजनों को मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल वितरित कराये जाने के सम्बन्ध में श्री भूरे सिंह, निवासी जनपद बदायूं की याचिका,

14-जनपद बदायूं की तहसील दातागंज में राशन कार्ड से छूटे परिवारों को राशन कार्ड दिलाये जाने के सम्बन्ध में श्री भावेश प्रताप सिंह, निवासी जनपद बदायूं की याचिका,

15-जनपद बदायूं की तहसील दातागंज के विकास खण्ड उसहत में राजकीय इण्टर कालेज स्थापित कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सन्तोष सिंह, निवासी जनपद बदायूं की याचिका,

16-जनपद बदायूं की तहसील दातागंज के ग्रामीण क्षेत्रों में कम से कम 20 घण्टे एवं शहरी क्षेत्रों में 20 घण्टों से अधिक विद्युत सप्लाई देने के सम्बन्ध में श्री भावेश प्रताप, निवासी जनपद बदायूं की याचिका,

17-जनपद बदायूं की तहसील दातागंज के बदायूं-दातागंज मार्ग पर आर0ओ0वी0 या आर0यू0वी0 बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री विजय कुमार सिंह, निवासी जनपद बदायूं की याचिका,

18-जनपद बदायूं की तहसील दातागंज के ग्राम बराही तथा ग्राम हजरतपुर में पशु चिकित्सालय बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री चन्द्र प्रकाश, निवासी जनपद बदायूं की याचिका,

19-जनपद बदायूं की राजकीय मेडिकल कालेज में एम0आर0आई0 व अन्य अनुमन्य चिकित्सकीय सुविधाओं के सम्बन्ध में श्री पुष्पेन्द्र सिंह व अन्य निवासीगण जनपद बदायूं की याचिका,

20-जनपद बदायूं की तहसील दातागंज में जंगली जानवरों एवं जंगली कुत्तों के हो रहे हमलों से बचाव के सम्बन्ध में श्री भूरे सिंह, निवासी जनपद बदायूं की याचिका,

21-जनपद बदायूं की तहसील दातागंज के बड़े तालाबों को भू-गर्भ जल संरक्षण की किसी योजना में शामिल कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अरुण सिंह, निवासी जनपद बदायूं की याचिका,

22-जनपद बदायूं की तहसील दातागंज में छुट्टा जानवरों की समस्या से निजात दिलाये जाने के सम्बन्ध में श्री भावेश प्रताप सिंह, निवासी जनपद बदायूं की याचिका,

23-जनपद बदायूं की तहसील दातागंज में लोक निर्माण विभाग के 500 से ऊपर की आबादी के कुछ गांव जो अनजुड़ी बसावट योजना में छूट गये हैं, उन्हें योजना में सम्मिलित कराये जाने के सम्बन्ध में श्री ज्ञानेन्द्र सिंह, निवासी जनपद बदायूं की याचिका,

24-जनपद बदायूं की तहसील दातागंज के जलजीवन मिशन द्वारा बिछायी जाने वाली पाइपलाइन का अधूरा कार्य पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अग्रवीर सिंह, निवासी जनपद बदायूं की याचिका,

25-जनपद बदायूं की तहसील दातागंज में पारदर्शी धान-खरीद की योजना बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री कृष्णपाल कश्यप, निवासी जनपद बदायूं की याचिका,

26-जनपद बदायूं की तहसील दातागंज के ग्राम गैंतरा को नगर पंचायत का दर्जा दिलाये जाने के सम्बन्ध में श्री रतीभान सिंह, निवासी जनपद बदायूं की याचिका,

27-जनपद बदायूं की तहसील दातागंज के विकास खण्ड दातागंज एवं समरेर में ऑडिटोरियम का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री चन्द्रप्रकाश, निवासी जनपद बदायूं की याचिका,

28-जनपद बदायूं की तहसील दातागंज के ग्राम हजरतपुर, मझारी और कटरा-सआदतगंज में तीन नये 33/11 के0वी0 विद्युत केन्द्र स्थापित कराये जाने के सम्बन्ध में श्री तेजपाल व अन्य निवासीगण जनपद बदायूं की याचिका,

29-जनपद बदायूं की तहसील दातागंज के अन्तर्गत ग्राम पापड़ एवं गनगोला के मध्य से ग्राम रोरी तक दातागंज बाई पास का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री चरण सिंह लोधी निवासी जनपद बदायूं की याचिका तथा

30-जनपद बदायूं की तहसील दातागंज में पराग प्रोसेसिंग यूनिट की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में श्री हीरालाल लोधी निवासी जनपद बदायूं की याचिका।

श्री वीर विक्रम सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद शाहजहांपुर से सम्बन्धित दस याचिकाएं[†]

श्री वीर विक्रम सिंह, सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएं उपस्थित की हुई मानी गईं :-

1-जनपद शाहजहांपुर के विधान सभा क्षेत्र कटरा के अन्तर्गत समस्त विकास खण्डों में बड़े पैमाने पर बिना कारण बताये पात्रों के नाम विधवा पेंशन से काटे जाने के सम्बन्ध में श्री रविन्द्रपाल व अन्य निवासीगण जनपद शाहजहांपुर की याचिका,

2-जनपद शाहजहांपुर के विधान सभा क्षेत्र कटरा के अन्तर्गत समस्त विकास खण्डों में बड़े पैमाने पर बिना कारण बताये दिव्यांग पेंशन के पात्रों के नाम काटे जाने के सम्बन्ध में श्री रविन्द्रपाल व अन्य निवासीगण जनपद शाहजहांपुर की याचिका,

3-जनपद शाहजहांपुर के विधान सभा क्षेत्र कटरा के अन्तर्गत समस्त विकास खण्डों में बड़े पैमाने पर बिना कारण बताये पात्रों के नाम वृद्धावस्था पेंशन से काटे जाने के सम्बन्ध में श्री रविन्द्रपाल व अन्य निवासीगण जनपद शाहजहांपुर की याचिका,

4-जनपद शाहजहांपुर के विधान सभा क्षेत्र कटरा के अन्तर्गत समस्त विकास खण्ड जैतीपुर के ग्राम जिझारपुर में प्राथमिक विद्यालय का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री बिजनेशपाल व अन्य निवासीगण जनपद शाहजहांपुर की याचिका,

---

[†] छापी नहीं गयीं।

5-जनपद शाहजहांपुर के विधान सभा क्षेत्र कटरा के ग्राम रामपुरिया न्यूरिया सम्पर्क मार्ग पर नाला में पुलिया निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रामबहादुर व अन्य निवासीगण जनपद शाहजहांपुर की याचिका,

6-जनपद शाहजहांपुर के विधान सभा क्षेत्र कटरा के अन्तर्गत विकास खण्ड खुदागंज के ग्राम निजामपुर उर्फ महमूदापुर से सिमौरी डामर रोड तक कच्चे मार्ग का डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री बीरपाल व अन्य निवासीगण जनपद शाहजहांपुर की याचिका,

7-जनपद शाहजहांपुर के विधान सभा क्षेत्र कटरा के अन्तर्गत विकास खण्ड खुदागंज के ग्राम टेहरा से बहगुल नदी तक कच्चे मार्ग का डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री बीरपाल व अन्य निवासीगण जनपद शाहजहांपुर की याचिका,

8-जनपद शाहजहांपुर के विधान सभा क्षेत्र कटरा के अन्तर्गत समस्त विकास खण्ड खुदागंज के ग्राम धूमगढ़ से टेहरा डामर रोड तक छूटी कड़ी कच्चे मार्ग का डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री बीरपाल व अन्य निवासीगण जनपद शाहजहांपुर की याचिका,

9-जनपद शाहजहांपुर के विधान सभा क्षेत्र कटरा के अन्तर्गत समस्त विकास खण्ड खुदागंज के ग्राम फुलवा से हसनापुर नहर पुलिया डामर रोड तक कच्चे मार्ग का डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री बीरपाल व अन्य निवासीगण जनपद शाहजहांपुर की याचिका तथा

10-जनपद शाहजहांपुर के विधान सभा क्षेत्र कटरा के अन्तर्गत समस्त विकास खण्ड खुदागंज के ग्राम हसनापुर से टेहरा डामर रोड तक कच्चे मार्ग का डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री बीरपाल व अन्य निवासीगण जनपद शाहजहांपुर की याचिका।

श्री वाचस्पति, सदस्य, विधान सभा की जनपद प्रयागराज से सम्बन्धित दस याचिकाएं[†]

श्री वाचस्पति, सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएं उपस्थित की हुई मानी गईं :-

1-जनपद प्रयागराज में विकास खण्ड शंकरगढ़ के कतिपय ग्रामों के मार्गों का निर्माण/विशेष मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में श्री बुद्ध राज सिंह निवासी जनपद प्रयागराज की याचिका,

2-जनपद प्रयागराज के विधान सभा क्षेत्र बारा के ग्राम लोहगरा, कोल्हुआ व अन्य गांवों में बिजली की समस्या को दूर कराये जाने के सम्बन्ध में श्री यमुनेन्द्र कुमार व अन्य निवासीगण जनपद प्रयागराज की याचिका,

3-जनपद प्रयागराज के विधान सभा क्षेत्र बारा के करिया कला, गोहलिया, बिहरिया व अन्य ग्रामों में पानी की समस्या को दूर कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रुकमणि रमण प्रताप सिंह व अन्य निवासीगण जनपद प्रयागराज की याचिका,

---

[†] छापी नहीं गयीं।

4-जनपद प्रयागराज में विकास खण्ड शंकरगढ़ के कतिपय मार्गों का पक्का/सी0सी0 निर्माण एवं नाली निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री विजय कुमार निषाद निवासी जनपद प्रयागराज की याचिका,

5-जनपद प्रयागराज में विकास खण्ड शंकरगढ़ के कतिपय मार्गों पर पुल, पुलिया एवं रेलवे क्रासिंग ओवर ब्रिज का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्रीमती रामरती शुक्ल निवासी जनपद प्रयागराज की याचिका,

6-जनपद प्रयागराज में विकास खण्ड जसरा के कतिपय मार्गों पर पुलिया का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मुन्ना पाल निवासी जनपद प्रयागराज की याचिका,

7-जनपद प्रयागराज में विकास खण्ड शंकरगढ़ के कतिपय मार्गों का नवनिर्माण/मरम्मत कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री कुलदीप पाठक निवासी जनपद प्रयागराज की याचिका,

8-जनपद प्रयागराज विधान सभा क्षेत्र बारा के ब्लॉक शंकरगढ़ में कतिपय पुलियों का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री कुलदीप पाठक व अन्य निवासीगण जनपद प्रयागराज की याचिका,

9-जनपद प्रयागराज विधान सभा क्षेत्र बारा में बिजली की समस्या दूर कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रमेश कुमार पटेल व अन्य निवासीगण जनपद प्रयागराज की याचिका तथा

10-जनपद प्रयागराज विधान सभा क्षेत्र बारा के ग्राम कल्याणपुर, बसहरा व अन्य ग्रामों में बिजली की समस्या को दूर कराये जाने के सम्बन्ध में श्री भारत निषाद व अन्य निवासीगण जनपद प्रयागराज की याचिका।

श्री चन्द्रपाल सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद बुलन्दशहर से सम्बन्धित चार याचिकाएं[†]

श्री चन्द्रपाल सिंह, सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएं उपस्थित की हुई मानी गईं :-

1-जनपद बुलन्दशहर के ब्लाक डिबई के अन्तर्गत डिबई-कर्णवास मार्ग से घुसराना हरिसिंह तक सड़क का नवनिर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री पवन प्रधान व अन्य निवासीगण जनपद बुलन्दशहर की याचिका,

2-जनपद बुलन्दशहर के ब्लाक डिबई के अन्तर्गत डिबई-कसेर मार्ग से राजघाट मार्ग का चौड़ीकरण व सुदृढ़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मलखान सिंह प्रधान व अन्य निवासी जनपद बुलन्दशहर की याचिका,

---

[†] छापी नहीं गयीं।

3-जनपद बुलन्दशहर के ब्लाक डिबई के अन्तर्गत ग्राम मऊनगला में पंचायत घर से नहर के पुल तक सड़क का नवनिर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री विनोद कुमार व अन्य निवासीगण जनपद बुलन्दशहर की याचिका तथा

4-जनपद बुलन्दशहर के ब्लाक डिबई के अन्तर्गत ग्राम खुशालाबाद के शीलेन्द्र के मकान से कुमरौआ मार्ग तक सड़क का नवनिर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सत्य प्रकाश व अन्य निवासीगण जनपद बुलन्दशहर की याचिका।

श्री जवाहर लाल राजपूत, सदस्य, विधान सभा की जनपद झांसी से सम्बन्धित सत्रह एवं जनपद लखनऊ से सम्बन्धित एक याचिका[†]

श्री जवाहर लाल राजपूत, सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएं उपस्थित की हुई मानी गईं :-

1-जनपद झांसी में विश्व बैंक परियोजना में गरौठा से मोती कटरा मिसिंग लिंक रोड बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री अमित चौरसिया व अन्य निवासीगण जनपद झांसी की याचिका,

2-जनपद झांसी में धसान नदी पर सोनकपुरा गांव के पास लिफ्ट कैनाल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री कमलेश लम्बरदार व अन्य निवासीगण जनपद झांसी की याचिका,

3-जनपद झांसी में बेतवा नदी पर डिकौली के पास लिफ्ट कैनाल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री हरीश व्यास व अन्य निवासीगण जनपद झांसी की याचिका,

4-जनपद झांसी के सेवानिवृत्त सहायक अध्यापक श्री रतन लाल वर्मा को सेवानिवृत्ति के बाद अवशेष देयकों का भुगतान कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रतन लाल वर्मा निवासी जनपद झांसी की याचिका,

5-जनपद झांसी के मोंठ कस्बे में किला के प्रांगण में मिनी स्टेडियम बनवाये जाने के सम्बन्ध में श्री अशोक केसरवानी व अन्य निवासीगण जनपद झांसी की याचिका,

6-जनपद लखनऊ में लखनऊ नगर निगम के तेलीबाग के खरिका वार्ड-1 के अन्तर्गत बल्देव विहार में मकान सं0-591/758 के सामने सड़क के दोनों ओर गहरी नाली व रोड का डामरीकरण करवाये जाने के सम्बन्ध में श्री कौशल कुमार वर्मा व अन्य निवासीगण जनपद लखनऊ की याचिका,

7-जनपद झांसी की गरौठा विधान सभा क्षेत्र में धनौरा-देवरी विद्युत लाइन का फीडर बदलवाये जाने के सम्बन्ध में श्री राजाराम तोमर व अन्य निवासीगण जनपद झांसी की याचिका,

---

[†] छापी नहीं गयीं।

8-जनपद झांसी की गरौठा विधान सभा क्षेत्र में बामौर व गुरसराय में हर घर नल योजना का कार्य शीघ्र पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रमाकान्त पटेल व अन्य निवासीगण जनपद झांसी की याचिका,

9-जनपद झांसी की गरौठा विधान सभा क्षेत्र में खराब विद्युत लाइनों को ठीक कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सुरेन्द्र सिंह व अन्य निवासीगण जनपद झांसी की याचिका,

10-जनपद झांसी की गरौठा विधान सभा क्षेत्र में बामौर ब्लाक में अस्ता तालाब की खुदाई करवाये जाने के सम्बन्ध में श्री विजय सिंह व अन्य निवासीगण जनपद झांसी की याचिका,

11-जनपद झांसी की गरौठा विधान सभा क्षेत्र में सोनकपुर लिफ्ट कैनाल से रानीपुर मुख्य नहर में पानी छोड़े जाने के सम्बन्ध में श्री अनूप पाठक व अन्य निवासीगण जनपद झांसी की याचिका,

12-जनपद झांसी के कतिपय ब्लाकों में राजकीय इण्टर कालेज की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अशोक तिवारी व अन्य निवासीगण जनपद झांसी की याचिका,

13-जनपद झांसी की विधान सभा क्षेत्र गरौठा में लखेरी नदी पर गौरपुरा के पास लघु सेतु बिनवाये जाने के सम्बन्ध में श्री संजय व अन्य निवासीगण जनपद झांसी की याचिका,

14-जनपद झांसी में विकास खण्ड बामौर के देवरा से भदरवारा के मध्य मार्ग में एक लघु सेतु बनवाये जाने के सम्बन्ध में श्री विकास तिवारी व अन्य निवासीगण जनपद झांसी की याचिका,

15-जनपद झांसी की गरौठा विधान सभा क्षेत्र में कतिपय मार्गों का पक्का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री भारत भूषण खरे व अन्य निवासीगण जनपद झांसी की याचिका,

16-जनपद झांसी के ब्लॉक बामौर के एरच नगर पंचायत में स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बनवाये जाने के सम्बन्ध में श्री अमित चौरसिया व अन्य निवासीगण जनपद झांसी की याचिका,

17-जनपद झांसी के गुरसरांय ब्लॉक के ग्राम इमलौटा से मंड़ैया जाने वाली सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री कमेश लम्बरदार व अन्य निवासीगण जनपद झांसी की याचिका तथा

18-जनपद झांसी के गुरसरांय कस्बे में पोस्टमार्टम हाउस बनवाये जाने के सम्बन्ध में श्री अमित चौरसिया व अन्य निवासीगण जनपद झांसी की याचिका।

श्री जगदीश नारायण, सदस्य, विधान सभा की जनपद जौनपुर से सम्बन्धित दो याचिकाएं†

श्री जगदीश नारायण, सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएं उपस्थित की हुई मानी गईं :-

1-जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र-371, जफराबाद में 33 के0वी0 विद्युत सब-स्टेशन को 132 के0वी0 जासोपुर पूर्वान्चल से जोड़ने के सम्बन्ध में श्री अवधेश व अन्य निवासीगण जनपद जौनपुर की याचिका तथा

2-जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र-366, के पूर्वान्चल विश्वविद्यालय जौनपुर में सुल्तानपुर के महाविद्यालयों को जोड़ने के सम्बन्ध में श्री अशोक व अन्य निवासीगण जनपद जौनपुर की याचिका।

श्री अनिल कुमार, सदस्य, विधान सभा की जनपद मुजफ्फरनगर से सम्बन्धित सात याचिकाएं †

श्री अनिल कुमार, सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएं उपस्थित की हुई मानी गईं :-

1-जनपद मुजफ्फरनगर के विधान सभा क्षेत्र-13, पुरकाजी के विकास खण्ड सदर में गांव सरवट के शाहबुदीनपुर रोड तथा गोपाल गमले वाले गांव शाहबुदीनपुर तक सम्पर्क मार्ग की मरम्मत कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सुमित प्रजापति व अन्य निवासीगण जनपद मुजफ्फरनगर की याचिका,

2-जनपद मुजफ्फरनगर के विधान सभा क्षेत्र-13, पुरकाजी के विकास खण्ड सदर में गांव शेरपुर सम्पर्क मार्ग व बराबर में नालों सहित, मार्ग का पुनर्निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री गय्यूर व अन्य निवासीगण जनपद मुजफ्फरनगर की याचिका,

3-जनपद मुजफ्फरनगर के विधान सभा क्षेत्र-13, पुरकाजी के विकास खण्ड पुरकाजी के रुकनपुर सम्पर्क मार्ग से रुकनपुर तक मार्ग का नवनिर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रमेश व अन्य निवासीगण जनपद मुजफ्फरनगर की याचिका,

4-जनपद मुजफ्फरनगर के विधान सभा क्षेत्र-13, पुरकाजी के विकास खण्ड पुरकाजी में गंग नहर के कैनाल से बसेड़ी तक सम्पर्क मार्ग का नवनिर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मीन्टू व अन्य निवासीगण जनपद मुजफ्फरनगर की याचिका,

5-जनपद मुजफ्फरनगर के विधान सभा क्षेत्र-13, पुरकाजी के विकास खण्ड पुरकाजी के गाम फलौदा में जर्जर पुलिया का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री संतलाल प्रधान व अन्य निवासीगण जनपद मुजफ्फरनगर की याचिका,

---

† छापी नहीं गयीं।

6-जनपद मुजफ्फरनगर के विधान सभा क्षेत्र पुरकाजी में ब्लॉक स्तरीय राजकीय पशु चिकित्सालय बनवाये जाने के सम्बन्ध में श्री प्रमिला देवी व अन्य निवासीगण जनपद मुजफ्फरनगर की याचिका तथा

7-जनपद मुजफ्फरनगर के विधान सभा क्षेत्र पुरकाजी के गांव अलमासपुर में प्रेरणा स्कूल से ग्राम सहावली के मुख्य नाले तक निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सुरेशपाल सिंह व अन्य निवासीगण जनपद मुजफ्फरनगर की याचिका।

श्री अशरफ अली खान, सदस्य, विधान सभा की जनपद शामली से सम्बन्धित तेइस याचिकाएं[†]

श्री अशरफ अली खान, सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएं उपस्थित की हुई मानी गईं :-

1-जनपद शामली के विधान सभा क्षेत्र थानाभवन के कस्बा गढ़ीपुख्ता से ग्राम खेडकी से राजबाहे की पटरी ग्राम पिण्डोरा तक सड़क मार्ग का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अशोक कुमार व अन्य निवासीगण जनपद शामली की याचिका,

2-जनपद शामली के विधान सभा क्षेत्र थानाभवन के कस्बा जलालाबाद में राजकीय बालिका इण्टर कालेज का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री वसीउल्लाह व अन्य निवासीगण जनपद शामली की याचिका,

3-जनपद शामली के विधान सभा क्षेत्र थानाभवन के ग्राम हिण्ड गढ़ीपुख्ता नहर के पुल से मादलपुर तक सड़क मार्ग का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री प्रमोद कुमार व अन्य निवासीगण जनपद शामली की याचिका,

4-जनपद शामली के विधान सभा क्षेत्र थानाभवन के ग्राम सिलावर से ग्राम सिक्का तक सड़क मार्ग का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री गुलफाम अहमद व अन्य निवासीगण जनपद शामली की याचिका,

5-जनपद शामली के विधान सभा क्षेत्र थानाभवन के ग्राम अम्बेहटा याकूबपुर पुलिया से ग्राम अहमदपुर होते हुए ऊन रोड तक सड़क का मरम्मत कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री धीर सिंह व अन्य निवासीगण जनपद शामली की याचिका,

6-जनपद शामली के विधान सभा क्षेत्र थानाभवन के ग्राम भैसानी इस्लामपुर से इमरान के मदरसे से इस्लामियां मॉडल स्कूल तक सड़क की मरम्मत कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में हाजी फिरदोस व अन्य निवासीगण जनपद शामली की याचिका,

---

[†] छापी नहीं गयीं।

7-जनपद शामली के विधान सभा क्षेत्र थानाभवन के ग्राम मादलपुर से ग्राम नोजली को होते हुए मस्तगढ़ तक सड़क का मरम्मत कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री वीर सेन व अन्य निवासीगण जनपद शामली की याचिका,

8-जनपद शामली के विधान सभा क्षेत्र थानाभवन के जलालाबाद लुहारी लिंक मार्ग से गौसगढ़ होते हुए मुजफ्फरनगर थानाभवन मार्ग तक सड़क का मरम्मत कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री भूप सिंह सैनी व अन्य निवासीगण जनपद शामली की याचिका,

9-जनपद शामली के विधान सभा क्षेत्र थानाभवन के ग्राम भाटू से ग्राम कैल शिकारपुर तक सड़क मार्ग का मरम्मत कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री निशान्त कुमार व अन्य निवासीगण जनपद शामली की याचिका,

10-जनपद शामली के विधान सभा क्षेत्र थानाभवन के जलालाबाद दुलावा लिंक मार्ग से अम्बेहटा, याकूबपुर तक पुलिया व सड़क की विशेष मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में श्री इरशाद राव व अन्य निवासीगण जनपद शामली की याचिका,

11-जनपद शामली के विधान सभा क्षेत्र थानाभवन के ग्राम केल शिकारपुर मार्ग से नौजल-नौजली मार्ग तक सड़क का विशेष मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रणजीत कुमार व अन्य निवासीगण जनपद शामली की याचिका,

12-जनपद शामली के विधान सभा क्षेत्र थानाभवन के ग्राम कासमपुर से ग्राम भनेडाजट तक सड़क का विशेष मरम्मत कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री जय कुमार व अन्य निवासीगण जनपद शामली की याचिका,

13-जनपद शामली के विधान सभा क्षेत्र थानाभवन के पानीपत खटीमा राजमार्ग से ग्राम बुटराडा तक एवं बुटराडा बाई पास राजवाहे की पटरी तक सड़क का विशेष मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सरफराज खान व अन्य निवासीगण जनपद शामली की याचिका,

14-जनपद शामली के विधान सभा क्षेत्र थानाभवन के ग्राम पीर खेड़ा में राजीव के भट्टे से अनिल के खेत तक सड़क का विशेष मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में श्री कृष्णपाल व अन्य निवासीगण जनपद शामली की याचिका,

15-जनपद शामली के विधान सभा क्षेत्र थानाभवन के ग्राम भैसानी से इस्लामपुर से ग्राम रोनी हाजीपुर मार्ग पर सड़क का विशेष मरम्मत कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री युनुस राव व अन्य निवासीगण जनपद शामली की याचिका,

16-जनपद शामली के विधान सभा क्षेत्र थानाभवन के ग्राम भैसानी इस्लामपुर से ग्राम ख्यावडी तक सड़क का विशेष मरम्मत कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रजनीश कुमार व अन्य निवासीगण जनपद शामली की याचिका,

17-जनपद शामली के विधान सभा क्षेत्र थानाभवन के ग्राम दुल्लाखेड़ी से ग्राम भाटू-राजवाहे की पटरी ग्राम यूनिसपुर से ग्राम गन्देवडा तक सड़क का विशेष मरम्मत कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री ताज मोहम्मद व अन्य निवासीगण जनपद शामली की याचिका,

18-जनपद शामली के विधान सभा क्षेत्र थानाभवन के ग्राम काजीपुर से ग्राम पठानपुर होते हुए अब्दुल्ला काजीपुर से पठानपुर होते हुए ग्राम राझड तक सड़क का विशेष मरम्मत कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री उमेश कुमार व अन्य निवासीगण जनपद शामली की याचिका,

19-जनपद शामली के विधान सभा क्षेत्र थानाभवन के ग्राम गोगवान जलालपुर से पानी की टंकी से आगे नहर तक सड़क की विशेष मरम्मत कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अभिषेक कुमार व अन्य निवासीगण जनपद शामली की याचिका,

20-जनपद शामली के विधान सभा क्षेत्र थानाभवन के ग्राम सिलावर से ग्राम धनेना तक सड़क की विशेष मरम्मत कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रामदत्त शर्मा व अन्य निवासीगण जनपद शामली की याचिका,

21-जनपद शामली के विधान सभा क्षेत्र थानाभवन के ग्राम पिण्डोरा जहांगीरपुर से ग्राम गागोर तक सड़क की विशेष मरम्मत कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सचिन कुमार व अन्य निवासीगण जनपद शामली की याचिका,

22-जनपद शामली के विधान सभा क्षेत्र थानाभवन के ग्राम सिलावर से ग्राम भैंसवाल तक एवं ग्राम सिलावर से ग्राम धनेना तक सड़क का विशेष मरम्मत कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री ओमवीर व अन्य निवासीगण जनपद शामली की याचिका तथा

23-जनपद शामली के विधान सभा क्षेत्र थाना भवन के मुजफ्फरनगर थानाभवन मार्ग पर ग्राम ख्यावड़ी में आबादी भाग में नाली व सी0सी0 निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री प्रवेन्द्र कुमार व अन्य निवासीगण जनपद शामली की याचिका।

श्री गौरी शंकर वर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद जालौन से सम्बन्धित पांच याचिकाएं[†]

श्री गौरी शंकर वर्मा, सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएं उपस्थित की हुई मानी गईं :-

1-जनपद जालौन के विकास खण्ड कौंच के ग्राम छिरावली/गुमावली में थान सिंह पाल के मकान से जगदीश सिंह के मकान तक 200 मी0 सी0सी0 रोड निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री थान सिंह पाल व अन्य निवासीगण जनपद जालौन की याचिका,

---

[†] छापी नहीं गयीं।

2-जनपद जालौन के विकास खण्ड कौंच के ग्राम चमारी मेन रोड से प्राइमरी स्कूल तक 200 मी0 सी0सी0 रोड निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री हरीशचन्द्र सिरोठिया व अन्य निवासीगण जनपद जालौन की याचिका,

3-जनपद जालौन के विकास खण्ड कौंच के ग्राम बिरगुवां में राघवेन्द्र सिंह के मकान से रविन्द्र पटेल के घर से होते हुए पुलिया तक 200 मी0 सी0सी0 रोड निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री हरनाम सिंह पटेल व अन्य निवासीगण जनपद जालौन की याचिका,

4-जनपद जालौन के विकास खण्ड जालौन के अन्तर्गत ग्राम रैपुरा से जालौन औरैया हाई-वे तक सम्पर्क मार्ग निर्माण के बनवाये जाने के सम्बन्ध में श्री अभय राजावत व अन्य निवासीगण जनपद जालौन की याचिका तथा

5-जनपद जालौन के नगर पालिका जालौन के अन्तर्गत देवनगर चौरहा से बावई चुर्खी मार्ग, अच्छदा गार्डन तक चौड़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राम चन्द्र गुप्ता व अन्य निवासीगण जनपद जालौन की याचिका।

श्रीमती महाराजी प्रजापति, सदस्य, विधान सभा की जनपद अमेठी से सम्बन्धित तीन याचिकाएं[†]

श्रीमती महाराजी प्रजापति, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में निम्नलिखित याचिकाएं व्यपगत हुईं :-

1-जनपद अमेठी के विधान सभा क्षेत्र-186, अमेठी के अन्तर्गत कतिपय ग्राम सभाओं में विद्युत पोल व ट्रांसफार्मर लगाये जाने के सम्बन्ध में श्री दिनेश सिंह व अन्य निवासीगण जनपद अमेठी की याचिका,

2-जनपद अमेठी के विधान सभा क्षेत्र-186, अमेठी के अन्तर्गत कतिपय विकास खण्डों में जर्जर एवं जीर्ण-शीर्ण मार्गों का पुनःनिर्माण/मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में श्री विजय प्रजापति व अन्य निवासीगण जनपद अमेठी की याचिका तथा

3-जनपद अमेठी के विधान सभा क्षेत्र-186, अमेठी के अन्तर्गत कतिपय ग्राम सभाओं में पुलिया निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अमित मौर्या व अन्य निवासीगण जनपद अमेठी की याचिका।

श्रीमती पूनम संखवार, सदस्य, विधान सभा की जनपद कानपुर देहात से सम्बन्धित याचिका[†]

श्रीमती पूनम संखवार, सदस्य, विधान सभा, जनपद कानपुर देहात के विधान सभा क्षेत्र रसूलाबाद के अन्तर्गत खानपुरा रोड के सामने पुल/अण्डर पास बनवाये जाने के सम्बन्ध में श्री मुलायम सिंह गौर व अन्य निवासीगण जनपद कानपुर देहात की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

[†] छापी नहीं गयीं।

श्रीमती अनुपमा जायसवाल, सदस्य, विधान सभा की जनपद बहराइच से सम्बन्धित बत्तीस याचिकाएं[†]

श्रीमती अनुपमा जायसवाल, सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएं उपस्थित की हुई मानी गईं :-

1-जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र बहराइच सदर में विकास खण्ड सदर के अन्तर्गत मोहल्ला लालेसुरन बन्जारीमोड में सन्तोष जायसवाल के घर से लालेसुरन मन्दिर तक लगभग 150 मी0 इण्टरलॉकिंग व नाली निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मुन्नू जायसवाल व अन्य निवासीगण जनपद बहराइच की याचिका,

2-जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र बहराइच सदर में विकास खण्ड हुजूरपुर के ग्राम मोगलहा में डबल पुलिया से मोगलहा तक 2 कि0मी0 डामर रोड निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री चिन्ताराम व अन्य निवासीगण जनपद बहराइच की याचिका,

3-जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र बहराइच सदर में विकास खण्ड सदर के अन्तर्गत मोहल्ला घासियारीपुर निकट गोण्डा रोड, डोलिया हॉस्पिटल राजेश शुक्ला के प्लाट के बगल से नव्वागढ़ी जाने वाले मार्ग पर 250 मी0 इण्टरलॉकिंग व नाली निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अजय जायसवाल व अन्य निवासीगण जनपद बहराइच की याचिका,

4-जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र बहराइच सदर में विकास खण्ड पयागपुर के अन्तर्गत ग्राम पैड़ी में रामदयाल पुरवा नौढई बाबा से सेवढ़ा बार्डर रोड तक लगभग 800 मीटर डामर रोड का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सुरेश व अन्य निवासीगण जनपद बहराइच की याचिका,

5-जनपद बहराइच के विकास खण्ड पयागपुर के अन्तर्गत ग्राम सतपेडिया पिच रोड चन्दवापुर से जगदम्बा मनिहार के घर तक लगभग 800 मी0 डामर रोड बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री जयशंकर सिंह व अन्य निवासीगण जनपद बहराइच की याचिका,

6-जनपद बहराइच के विकास खण्ड सदर के अन्तर्गत मोहल्ला सरस्वती नगर नई बस्ती में जायसवाल पी0सी0ओ0 गली से राघवेन्द्र मिश्रा के मकान तक 18 मी0 इण्टरलॉकिंग व नाली निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राघवेन्द्र मिश्रा व अन्य निवासीगण जनपद बहराइच की याचिका,

---

[†] छापी नहीं गयीं।

7-जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र बहराइच सदर के ग्राम जिगनिया में महिपाल सिंह बगरहनपुरवा से शिवप्रसाद मौर्या के घर के पास तक डामर रोड बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री बृजराज मौर्या व अन्य निवासीगण जनपद बहराइच की याचिका,

8-जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र बहराइच सदर के अन्तर्गत ग्राम कटघरी सुग्रीव सिंह में मेन रोड से दुर्गा जी के मन्दिर तक इण्टरलॉकिंग निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रूपाली सिंह व अन्य निवासीगण जनपद बहराइच की याचिका,

9-जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र बहराइच सदर के अन्तर्गत मोहल्ला फुटहा में शिवशंकर के मकान से गावट देवी मन्दिर तक 150 मीटर इण्टरलॉकिंग निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री योगेश शुक्ला व अन्य निवासीगण जनपद बहराइच की याचिका,

10-जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र बहराइच सदर के अन्तर्गत ग्राम राजापुर कला में गुरु बचन के घर से रामजी के घर तक 130 मी0 इण्टरलॉकिंग निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री गुरुबचन व अन्य निवासीगण जनपद बहराइच की याचिका,

11-जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र बहराइच सदर में विकास खण्ड सदर के अन्तर्गत मोहल्ला सख्खैयापुरा में अरविन्द प्रधान के घर से चित्रशाला तक लगभग 175 मी0 इण्टरलॉकिंग व नाली निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राम कुमार पाठक व अन्य निवासीगण जनपद बहराइच की याचिका,

12-जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र बहराइच सदर के विकास खण्ड हुजूरपुर में सुखनदिया नहर से टिकैती मुशीपुरवा होते हुए गौरिया स्कूल तक डामर रोड लगभग 2.5 कि0मी0 का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री शोभाराम गौतम व अन्य निवासीगण जनपद बहराइच की याचिका,

13-जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र बहराइच सदर में विकास खण्ड हुजूरपुर के अन्तर्गत ग्राम डुहुरू में चन्द्रकेश त्रिपाठी के घर से बाहर सम्पर्क मार्ग तक इण्टरलॉकिंग निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री चन्द्रकेश त्रिपाठी व अन्य निवासीगण जनपद बहराइच की याचिका,

14-जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र बहराइच सदर में विकास खण्ड हुजूरपुर के अन्तर्गत ग्राम पिपरिया महिपाल सिंह में पिपरिया महिपाल सिंह से पक्की रोड से पथार गांव तक डामर रोड लगभग 1400 मी0 निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री धीरू सिंह व अन्य निवासीगण जनपद बहराइच की याचिका,

15-जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र बहराइच सदर में विकास खण्ड चित्तौरा के छोटी बेरिया मन्दिर से नगर मोड़ तक डामर रोड लगभग 1500 मी0 निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राजेश जायसवाल व अन्य निवासीगण जनपद बहराइच की याचिका,

16-जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र बहराइच सदर में विकास खण्ड हुजूरपुर में बहराइच-हुजूरपुर मार्ग के बीच में जैमरा तालाब से विशुनपुर गांव तक डामर रोड लगभग 1000 मी0 निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री दयाशंकर सिंह व अन्य निवासीगण जनपद बहराइच की याचिका,

17-जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र बहराइच सदर में विकास खण्ड सदर के अन्तर्गत फुटहा में मेन रोड से योगेन्द्र शुक्ला बूथ अध्यक्ष व राजेश सिंह के घर तक इण्टरलॉकिंग व नाली निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री योगेन्द्र शुक्ला व अन्य निवासीगण जनपद बहराइच की याचिका,

18-जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र बहराइच सदर में विकास खण्ड सदर के अन्तर्गत मोहल्ला रायपुर राजा (निकट लाल बहादुर शास्त्री स्कूल) बृजेन्द्र नाथ वर्मा के घर से उमाशंकर अवस्थी के घर तक इण्टरलॉकिंग व नाली निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री प्रताप जायसवाल व अन्य निवासीगण जनपद बहराइच की याचिका,

19-जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र बहराइच सदर में विकास खण्ड सदर के अन्तर्गत मोहल्ला बक्शीपुरा (निकट सती मन्दिर) बूथ अध्यक्ष कपिल धरिया के घर से शिव सती मन्दिर तक इण्टरलॉकिंग व नाली निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राधा कृष्ण पाठक व अन्य निवासीगण जनपद बहराइच की याचिका,

20-जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र बहराइच सदर में विकास खण्ड चित्तौरा के अन्तर्गत ग्राम इमलिया में मोहम्मदपुर वाली रोड से ज्वाल प्रसाद के बाग होते हुए जूनियर हाई स्कूल तक इण्टरलॉकिंग, इमलिया से कोयले के घर तक इण्टरलॉकिंग, मोहम्मदपुर वाली रोड से ओमकार के खेत तक इण्टरलॉकिंग निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री ज्वाला प्रसाद वर्मा व अन्य निवासीगण जनपद बहराइच की याचिका,

21-जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र बहराइच सदर में विकास खण्ड चित्तौरा के अन्तर्गत ग्राम नगरौर में कमलेश कुमार के घर से चेतराम के घर तक नाली व इण्टरलॉकिंग निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री कमलेश कुमार व अन्य निवासीगण जनपद बहराइच की याचिका,

22-जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र बहराइच सदर में विकास खण्ड चित्तौरा के अन्तर्गत ग्राम कमोलिया में सजिल तिवारी के घर से राम सुहावन विश्वकर्मा के घर होते हुए बेचू प्रजापति के घर तक इण्टरलॉकिंग निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री माधवराम पाण्डेय व अन्य निवासीगण जनपद बहराइच की याचिका,

23-जनपद बहराइच के विकास खण्ड हुजूरपुर के ग्राम जिगनिया महिपाल सिंह बिहारीपुरवा में कतिपय इण्टरलॉकिंग निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री बृजराज मौर्या व अन्य निवासीगण जनपद बहराइच की याचिका,

24-जनपद बहराइच के विकास खण्ड सदर के अन्तर्गत मोहल्ला रायपुर राजा कटी चौराहा में कतिपय इण्टरलॉकिंग व नाली निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री विनोद सिंह व अन्य निवासीगण जनपद बहराइच की याचिका,

25-जनपद बहराइच के विकास खण्ड सदर के अन्तर्गत मोहल्ला रायपुर राजा जेल रोड प्रभाकर श्रीवास्तव के मकान से श्री बब्लू सिंह के मकान तक 200 मी0 इण्टरलॉकिंग व नाली निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री प्रभाकर श्रीवास्तव व अन्य निवासीगण जनपद बहराइच की याचिका,

26-जनपद बहराइच के विकास खण्ड सदर के अन्तर्गत मोहल्ला मंसूरगंज निकट बड़ी तकिया के पास हमजापुरा मोड़ वाली गली 02 मी0 चौड़ा और 60 फुट लम्बा नाला निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अंकुर अग्रवाल व अन्य निवासीगण जनपद बहराइच की याचिका,

27-जनपद बहराइच के विकास खण्ड हुजूरपुर के ग्राम जिगनिया महिपाल सिंह भगेलू मौर्या के घर से राजकुमार मौर्या के खेत तक लगभग 80 मी0 इण्टरलॉकिंग निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री बृजराज मौर्या व अन्य निवासीगण जनपद बहराइच की याचिका,

28-जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र बहराइच सदर में विकास खण्ड कान्ती कुबेर हास्पिटल शराब भट्ठी के बगल से नव्वागढ़ी जाने वाले मार्ग पर 170 मी0 इण्टरलॉकिंग कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अजय जायसवाल व अन्य निवासीगण जनपद बहराइच की याचिका,

29-जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र बहराइच सदर में विकास खण्ड हुजूरपुर में ग्राम मोगलहा में पानी टंकी से सर्रापुरवा तक 1 कि0मी0 डामर निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सकटू प्रसाद व अन्य निवासीगण जनपद बहराइच की याचिका,

30-जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र बहराइच सदर में विकास खण्ड चित्तौरा के अन्तर्गत ग्राम बराई बिलास में महावीर के घर से महबूब के घर तक 60 मी0 आर0सी0सी0 सज्जन बाबू के घर से कज्जन के घर तक 43 मी0 आर0सी0सी0 निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री जलालुद्दीन व अन्य निवासीगण जनपद बहराइच की याचिका,

31-जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र बहराइच सदर में विकास खण्ड पयागपुर के अन्तर्गत ग्राम गिलौला विलखा सम्पर्क मार्ग से श्री काली देवी पचदेवरा तक लगभग

1.5 किलोमीटर डामर रोड निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री शिवप्रसाद तिवारी व अन्य निवासीगण जनपद बहराइच की याचिका तथा

32-जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र बहराइच सदर में विकास खण्ड हुजूरपुर में रानीपुर रोड से चलतुआधार तक लगभग 3 किमी0 डामर रोड निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री पंकज सिंह व अन्य निवासीगण जनपद बहराइच की याचिका।

श्रीमती अलका सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद हरदोई से सम्बन्धित दो याचिकाएं (व्यपगत)†

श्रीमती अलका सिंह, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में निम्नलिखित याचिकाएं व्यपगत हुईं :-

1-जनपद हरदोई के विधान सभा क्षेत्र सण्डीला-161 के अन्तर्गत ग्राम पवांया से कटियार मार्ग सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री बीरू सिंह व अन्य निवासीगण जनपद हरदोई की याचिका तथा

2-जनपद हरदोई के विधान सभा क्षेत्र सण्डीला-161 के अन्तर्गत सिकरोरी से महिमाखेड़ा तक 02 कि0मी0 आर0सी0सी0 सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री पिंकू व अन्य निवासीगण जनपद हरदोई की याचिका।

डॉ0 मुकेश वर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद फिरोजाबाद से सम्बन्धित 25 याचिकाएं †

डॉ0 मुकेश वर्मा, सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएं उपस्थित की हुई मानी गईं :-

1-जनपद फिरोजाबाद के विधान सभा क्षेत्र शिकोहाबाद के ग्राम पंचायत नगला बिना में प्राथमिक पाठशाला से नगला बिना तक का सी0सी0 रोड का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री संजय वर्मा व अन्य निवासीगण जनपद फिरोजाबाद की याचिका,

2-जनपद फिरोजाबाद के विधान सभा क्षेत्र शिकोहाबाद के ग्राम अलहदादपुर में रघुवीर सिंह इण्टर कालेज से राजभान सिंह के मकान तक सड़क का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रघुवीर सिंह व अन्य निवासीगण जनपद फिरोजाबाद की याचिका,

3-जनपद फिरोजाबाद के विधान सभा क्षेत्र शिकोहाबाद के ग्राम पंचायत नगला ऊमर में डॉ0 शम्भू के घर से रामपाल मास्टर के घर तक सी0सी0 रोड का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री शिवनरेश व अन्य निवासीगण जनपद फिरोजाबाद की याचिका,

---

† छापी नहीं गयीं।

4-जनपद फिरोजाबाद के विधान सभा क्षेत्र शिकोहाबाद के ग्राम जेवड में साई बाबा के मन्दिर से धर्मवीर के घर तक का सड़क निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री विपिन यादव व अन्य निवासीगण जनपद फिरोजाबाद की याचिका,

5-जनपद फिरोजाबाद के विधान सभा क्षेत्र शिकोहाबाद के ग्राम पंचायत-किन्दरपुर के ग्राम पिलुआ में गब्बर सिंह की ठार से वीरभान के घर तक आर0सी0सी0 कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री वीरभान सिंह व अन्य निवासीगण जनपद फिरोजाबाद की याचिका,

6-जनपद फिरोजाबाद के विधान सभा क्षेत्र शिकोहाबाद के ग्राम पंचायत सैंगई में दशहरी लाल के घर से कमलेश वर्मा के घर तक सी0सी0 रोड बनवाये जाने के सम्बन्ध में श्री रेशमपाल यादव व अन्य निवासीगण जनपद फिरोजाबाद की याचिका,

7-जनपद फिरोजाबाद के विधान सभा क्षेत्र शिकोहाबाद के रा0मा0 मक्खनपुर ब्लाक शिकोहाबाद, फिरोजाबाद देवता कोल्ड से अजब सिंह चमेली देवी पब्लिक स्कूल गोविन्दपुर तक सी0सी0 रोड का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रामबरेश यादव व अन्य निवासीगण जनपद फिरोजाबाद की याचिका,

8-जनपद फिरोजाबाद के विधान सभा क्षेत्र शिकोहाबाद के मोहल्ला रविदास नगर, सैलई की नई आबादी में मंगल सिंह की ठार से प्रताप नगर तक सी0सी0 रोड बनवाये जाने के सम्बन्ध में श्री रोशन गौतम व अन्य निवासीगण जनपद फिरोजाबाद की याचिका,

9-जनपद फिरोजाबाद के विधान सभा क्षेत्र शिकोहाबाद के ग्राम पंचायत नगला शेख में माता के मन्दिर से जवाहर सिंह के घर तक का सी0सी0 रोड का कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री महाराज सिंह व अन्य निवासीगण जनपद फिरोजाबाद की याचिका,

10-जनपद फिरोजाबाद के विधान सभा क्षेत्र शिकोहाबाद के ग्राम पंचायत नगला शेख में डोरी लाल के घर से आंगनबाड़ी से होती हुई गैस एजेन्सी तक का सी0सी0 कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राजवीर सिंह व अन्य निवासीगण जनपद फिरोजाबाद की याचिका,

11-जनपद फिरोजाबाद के विधान सभा क्षेत्र शिकोहाबाद के ग्राम पंचायत नगला मुल्ला में बब्बू के घर से खालिद के मकान तक नाली व सी0सी0 रोड का कार्य करवाने के सम्बन्ध में श्री बब्बू व अन्य निवासीगण जनपद फिरोजाबाद की याचिका,

12-जनपद फिरोजाबाद के विधान सभा क्षेत्र शिकोहाबाद के ग्राम पंचायत नगला मुल्ला में मकफुर अली के घर से आजाद के मकान तक नाली व सी0सी0 रोड का कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मकफुर अली व अन्य निवासीगण जनपद फिरोजाबाद की याचिका,

13-जनपद फिरोजाबाद के विधान सभा क्षेत्र शिकोहाबाद के ग्राम पंचायत बिलहना में ओमकार जाटव के घर से राजू जाटव के घर तक का आर0सी0सी0 रोड का कार्य कराने के सम्बन्ध में श्री हरिशंकर एडवोकेट व अन्य निवासीगण जनपद फिरोजाबाद की याचिका,

14-जनपद फिरोजाबाद के विधान सभा क्षेत्र शिकोहाबाद में स्टेशन रोड से जेबडा रोड तक सी0सी0 रोड बनवाये जाने के सम्बन्ध में श्री कमल कुमार व अन्य निवासीगण जनपद फिरोजाबाद की याचिका,

15-जनपद फिरोजाबाद के विधान सभा क्षेत्र शिकोहाबाद के ग्राम पंचायत नगला मुल्ला में कासिम के घर से मो0 साजिद के मकान तक नाली व सी0सी0 रोड का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री कासिम व अन्य निवासीगण जनपद फिरोजाबाद की याचिका,

16-जनपद फिरोजाबाद के विधान सभा क्षेत्र शिकोहाबाद के ग्राम नरिगापुर में रामकबीर के खेत से लेकर मुन्नालाल के पोखर तक सड़क निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री साधु यादव व अन्य निवासीगण जनपद फिरोजाबाद की याचिका,

17-जनपद फिरोजाबाद के विधान सभा क्षेत्र शिकोहाबाद के ग्राम कुर्री में फौजी के मकान से रामू के मन्दिर तक सड़क का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री दर्शन सिंह व अन्य निवासीगण जनपद फिरोजाबाद की याचिका,

18-जनपद फिरोजाबाद के विधान सभा क्षेत्र शिकोहाबाद के ग्राम नगला आशा से नगला गिरधारी तक सड़क का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राजकिशोर व अन्य निवासीगण जनपद फिरोजाबाद की याचिका,

19-जनपद फिरोजाबाद के विधान सभा क्षेत्र शिकोहाबाद के ग्राम जहांगीरपुर में महावीर सिंह के बाग से देवी के मन्दिर तक सड़क का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सतीश चन्द्र व अन्य निवासीगण जनपद फिरोजाबाद की याचिका,

20-जनपद फिरोजाबाद के विधान सभा क्षेत्र शिकोहाबाद के ग्राम पंचायत वासदेवपुर में शिव मन्दिर से दारा सिंह के घर तक सड़क निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री श्यामलाल व अन्य निवासीगण जनपद फिरोजाबाद की याचिका,

21-जनपद फिरोजाबाद के विधान सभा क्षेत्र शिकोहाबाद के ग्राम रानीपुर में शिकोहाबाद दतावली मार्ग की पक्की सड़क से सरकारी नलकूप तक सड़क निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री नैम सिंह व अन्य निवासीगण जनपद फिरोजाबाद की याचिका,

22-जनपद फिरोजाबाद के विधान सभा क्षेत्र शिकोहाबाद के ग्राम पंचायत अरमराजटट् के बम्बा की पुलिया से श्रीमती जयमाला देवी मेमोरियल स्कूल तक का सी0सी0 कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री ब्रम्हदत्त व अन्य निवासीगण जनपद फिरोजाबाद की याचिका,

23-जनपद फिरोजाबाद के विधान सभा क्षेत्र शिकोहाबाद के ग्राम हरदासपुर निरस्पी में सुग्रीव की झोपड़ी से परिक्रमा मार्ग तक सड़क निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मोनू व अन्य निवासीगण जनपद फिरोजाबाद की याचिका,

24-जनपद फिरोजाबाद के विधान सभा क्षेत्र शिकोहाबाद के ग्राम किशनदासपुरा में रामकिशोर के घर से वीनेस के घर तक नाली एवं सी0सी0 रोड का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सुन्दर सिंह व अन्य निवासीगण जनपद फिरोजाबाद की याचिका तथा

25-जनपद फिरोजाबाद के विधान सभा क्षेत्र शिकोहाबाद के ग्राम पंचायत मेबली के गांव कुतकपुर में उच्च प्राथमिक विद्यालय से लेकर श्री बलवीर सिंह के मकान तक का सी0सी0 रोड का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अंकुश यादव व अन्य निवासीगण जनपद फिरोजाबाद की याचिका।

डॉ0 डी0 सी0 वर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद बरेली से सम्बन्धित बीस, जनपद वाराणसी से सम्बन्धित दो व जनपद लखनऊ से सम्बन्धित एक याचिका[†]

डॉ0 डी0 सी0 वर्मा, सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएं उपस्थित की हुई मानी गईं :-

1-जनपद बरेली की तहसील मीरगंज के ग्राम बिल्सा में राजाराम के मकान से महावीर के मकान तक सी0सी0 रोड का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री कृष्णपाल मौर्य व अन्य निवासीगण जनपद बरेली की याचिका,

2-जनपद बरेली की तहसील मीरगंज के ग्राम रेतीपुरा में बद्री के मकान से पूरन के खेत तक सी0सी0 रोड का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सेवाराम व अन्य निवासीगण जनपद बरेली की याचिका,

3-जनपद बरेली की तहसील मीरगंज के ग्राम पंचायत पहुंचा बुजुर्ग में पंचायत घर के पास हाट बाजार का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राजेन्द्र कुमार व अन्य निवासीगण जनपद बरेली की याचिका,

4-जनपद बरेली की तहसील मीरगंज के ग्राम पंचायत पहुंचा बुजुर्ग में बाबूराम के घर से श्मशान भूमि तक सी0सी0 रोड का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राजेन्द्र कुमार व अन्य निवासीगण जनपद बरेली की याचिका,

5-जनपद बरेली की तहसील मीरगंज के ग्राम पंचायत पहुंचा बुजुर्ग से दिवना तक सड़क का नव निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राजेन्द्र कुमार व अन्य निवासीगण जनपद बरेली की याचिका,

6-जनपद वाराणसी के ब्लॉक चिरईगांव के अन्तर्गत ग्राम रैमला में पानी की टंकी का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राजेश कुमार व अन्य निवासीगण जनपद वाराणसी की याचिका,

---

[†] छापी नहीं गयीं।

7-जनपद वाराणसी की तहसील सदर के अन्तर्गत ग्राम रैमला में खसरा संख्या-576, 575 आराजी का सीमांकन कराते हुए मेड़बन्दी किये जाने एवं पक्की पैमाइश कराकर सम्पत्ति के मालिक को कब्जा दिलाये जाने के सम्बन्ध में श्री अनुभव मिश्रा व अन्य निवासीगण जनपद वाराणसी की याचिका,

8-मा0 उच्च न्यायालय के आदेश के क्रम में प्रार्थीगणों की सेवाओं का विनियमितीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री विनोद कुमार यादव व अन्य निवासीगण जनपद लखनऊ की याचिका,

9-जनपद बरेली की तहसील मीरगंज के ग्राम केरा से कानूनगला तक रोड का नव निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अशोक गंगवार व अन्य निवासीगण जनपद बरेली की याचिका,

10-जनपद बरेली की तहसील मीरगंज के ग्राम पंचायत पहुंचा खुर्द भगौतीपुर में पंचायत घर से गहबरा रोड तक डामरीकरण का कार्य कराये जाने विषयक श्री सत्यपाल, निवासी जनपद बरेली की याचिका,

11-जनपद बरेली की तहसील मीरगंज के ग्राम पंचायत गौहाना के बकेनिया चम्पतपुर में चौराहे से ग्राम सतुईया खास तक डामरीकरण का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री ठाकुर ओमेन्द्र सिंह व अन्य निवासीगण जनपद बरेली की याचिका,

12-जनपद बरेली की तहसील मीरगंज के ग्राम पंचायत गोहाना के बकेनिया चम्पतपुर में पश्चिम की ओर वीरपाल सिंह के खेत के पास नहर पर एक पुलिया का नव निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री महेन्द्र लोधी व अन्य निवासीगण जनपद बरेली की याचिका,

13-जनपद बरेली की तहसील मीरगंज के ग्राम कानूनगला से बगरमऊ तक रोड का नव निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अशोक गंगवार व अन्य निवासीगण जनपद बरेली की याचिका,

14-जनपद बरेली की तहसील मीरगंज के ग्राम बिल्सा में प्रवेश के मकान से कृष्णपाल के मकान तक सी0सी0 रोड का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री कृष्णपाल मौर्य व अन्य निवासीगण जनपद बरेली की याचिका,

15-जनपद बरेली की तहसील मीरगंज के ग्राम मंढ़वाव वंशीपुर में चौराहे से प्राइमरी विद्यालय तक सी0सी0 रोड का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री चम्पतलाल व अन्य निवासीगण जनपद बरेली की याचिका,

16-जनपद बरेली की तहसील मीरगंज के ग्राम जटपुरा उर्फ मुगलपुर में साधन सहकारी समिति से ग्राम समाज के देव स्थान तक डामरीकरण का कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सोमपाल शर्मा व अन्य निवासीगण जनपद बरेली की याचिका,

17-जनपद बरेली की तहसील मीरगंज के ग्राम गौसगंज में धनेटा शीशगढ़ रोड नन्की के मकान के पास से प्राथमिक गौसगंज तक सी0सी0 रोड का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री हीरालाल व अन्य निवासीगण जनपद बरेली की याचिका,

18-जनपद बरेली की तहसील मीरगंज के ग्राम दाढ़ा मझरा हौंसपुर में विद्याराम के मकान से कुंवरसेन के मकान तक सी0सी0 रोड का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मंगलसेन व अन्य निवासीगण जनपद बरेली की याचिका,

19-जनपद बरेली की तहसील मीरगंज के ग्राम पंचायत पहुंचा बुजुर्ग में दिवना रोड से गांव तक तालाब पर रामसिंह के घर तक सुरक्षा दीवार का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राजेन्द्र कुमार व अन्य निवासीगण जनपद बरेली की याचिका,

20-जनपद बरेली की तहसील मीरगंज के ग्राम पंचायत पहुंचा बुजुर्ग से कुतुबपुर तक सड़क का नव निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राजेन्द्र कुमार व अन्य निवासीगण जनपद बरेली की याचिका,

21-जनपद बरेली की तहसील मीरगंज के ग्राम पंचायत पहुंचा बुजुर्ग में भाखड़ा नदी के कटान के रोकथाम हेतु पिचिंग का कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राजेन्द्र कुमार व अन्य निवासीगण जनपद बरेली की याचिका,

22-जनपद बरेली की तहसील मीरगंज के ग्राम पंचायत पहुंचा खुर्द में चौधरी प्रताप सिंह के घर से गहबरा तक रोड का डामरीकरण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सत्यपाल व अन्य निवासीगण जनपद बरेली की याचिका तथा

23-जनपद बरेली की तहसील मीरगंज के ग्राम पंचायत गौहाना के बकेनिया चम्पतपुर में यशपाल सिंह की चक्की से ग्राम गोहाना तक रोड का डामरीकरण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री महेन्द्र लोधी व अन्य निवासीगण जनपद बरेली की याचिका।

डॉ0 नीरज बोरा, सदस्य, विधान सभा की जनपद लखनऊ से सम्बन्धित सत्रह याचिकाएं[†]

डॉ0 नीरज बोरा, सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएं उपस्थित की हुई मानी गईं :-

1-जनपद लखनऊ के अन्तर्गत जानकीपुरम् नहर रोड से गड़रियनपुरवा को जाने वाले मुख्य मार्ग की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में श्री दीपू रावत व अन्य निवासीगण जनपद लखनऊ की याचिका,

2-जनपद लखनऊ के अन्तर्गत सरस्वतीपुरम्, जानकीपुरम् में व्याप्त सीवर की समस्या से निजात दिलाये जाने के सम्बन्ध में श्री राजीव मेहरोत्रा व अन्य निवासीगण जनपद लखनऊ की याचिका,

---

[†] छापी नहीं गयीं।

3-जनपद लखनऊ के अन्तर्गत जानकीपुरम् सेक्टर-एफ में गौशाला के निकट एक नया ट्यूबवेल स्थापित कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राकेश पाण्डेय व अन्य निवासीगण जनपद लखनऊ की याचिका,

4-जनपद लखनऊ के अन्तर्गत शिवलोक, त्रिवेणीनगर में एक नया ट्यूबवेल स्थापित कराये जाने के सम्बन्ध में श्री लवकुश त्रिवेदी व अन्य निवासीगण जनपद लखनऊ की याचिका,

5-जनपद लखनऊ के अन्तर्गत दौलतगंज, अहमदगंज में एक नया ट्यूबवेल स्थापित कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राम औतार कनौजिया व अन्य निवासीगण जनपद लखनऊ की याचिका,

6-जनपद लखनऊ के अन्तर्गत कुर्सी रोड पर एक नया वाटर वर्क्स की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में श्री संजय तिवारी व अन्य निवासीगण जनपद लखनऊ की याचिका,

7-जनपद लखनऊ के अन्तर्गत फैजुल्लागंज नयापुरवा में व्याप्त सीवर की समस्या से निजात दिलाये जाने के सम्बन्ध में श्री शैलेन्द्र मौर्या व अन्य निवासीगण जनपद लखनऊ की याचिका,

8-जनपद लखनऊ के जानकीपुरम् मड़ियांव गांव में स्थित अभिनव मॉडल स्कूल में स्कूल की भूमि पर प्रस्तावित ऑडिटोरियम बनवाये जाने के सम्बन्ध में श्री पंकज तिवारी व अन्य निवासीगण जनपद लखनऊ की याचिका,

9-जनपद लखनऊ के सीतापुर रोड पर डालीगंज रेलवे क्रासिंग चौराहे के निकट बन्सल सुपर स्टोर से ब्रम्हनगर मुख्य मार्ग की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रवि गुप्ता व अन्य निवासीगण जनपद लखनऊ की याचिका,

10-जनपद लखनऊ के जानकीपुरम् मड़ियांव गांव में स्थित अभिनव मॉडल स्कूल में कक्षा-9 से कक्षा-12 तक की कक्षायें प्रारम्भ कराये जाने के सम्बन्ध में श्री दीपू रावत व अन्य निवासीगण जनपद लखनऊ की याचिका,

11-जनपद लखनऊ के सीतापुर रोड, मडियांव थाने के बगल से रामलीला मैदान को जाने वाले मुख्य मार्ग की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में श्री नीलू दीक्षित व अन्य निवासीगण जनपद लखनऊ की याचिका,

12-जनपद लखनऊ के जानकीपुरम् मड़ियांव गांव में तालाब सौन्दर्यीकरण का कार्य पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री श्रवण मौर्या व अन्य निवासीगण जनपद लखनऊ की याचिका,

13-जनपद लखनऊ के थाना-जानकीपुरम्, सहारा स्टेट गेट नं0-2 के निकट पुलिस चौकी का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राकेश सिंह व अन्य निवासीगण जनपद लखनऊ की याचिका,

14-जनपद लखनऊ के थाना-अलीगंज, त्रिवेणीनगर एकता पार्क के निकट पुलिस चौकी का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मुन्ना मिश्रा व अन्य निवासीगण जनपद लखनऊ की याचिका,

15-जनपद लखनऊ में गोमती नदी पर बने जर्जर पीपे के पुल की मरम्मत एवं पुनः प्रारम्भ कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राम औतार कनौजिया व अन्य निवासीगण जनपद लखनऊ की याचिका,

16-जनपद लखनऊ के फैजुल्लागंज में स्वीकृत आई0टी0आई0 कालेज का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री घनश्यामदास अग्रवाल व अन्य निवासीगण जनपद लखनऊ की याचिका तथा

17-जनपद लखनऊ में सीतापुर रोड पर पुरनिया ओवर ब्रिज के पास वर्षा ऋतु में भारी जलभराव से निजात दिलाये जाने के सम्बन्ध में श्री प्रदीप शुक्ला व अन्य निवासीगण जनपद लखनऊ की याचिका।

श्री राजेश्वर सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद लखनऊ से सम्बन्धित चार याचिकाएं[†]

श्री राजेश्वर सिंह, सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएं उपस्थित की हुई मानी गईं :-

1-जनपद लखनऊ की एल0डी0ए0 कालोनी, कानपुर रोड योजना के सेक्टर-एफ में निर्मित पानी की टंकी के निर्माण/सी0डब्लू0आर0 स्थापित कराये जाने के सम्बन्ध में श्री शिविता गोयल, निवासी जनपद लखनऊ की याचिका,

2-जनपद लखनऊ की एल0डी0ए0 कालोनी, कानपुर रोड योजना में लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा निर्मित जर्जर नालों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रमाशंकर त्रिपाठी, निवासी जनपद लखनऊ की याचिका,

3-जनपद लखनऊ की एल0डी0ए0 कालोनी, कानपुर रोड योजना में लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा निर्मित विद्यावती वार्ड द्वितीय के अन्तर्गत सड़क की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में श्री कौशलेन्द्र कुमार द्विवेदी, निवासी जनपद लखनऊ की याचिका तथा

4-जनपद लखनऊ की एल0डी0ए0 कालोनी, कानपुर रोड योजना के सेक्टर-डी, सेक्टर-डी-1, सेक्टर-जी, सेक्टर-आई एवं सेक्टर-एच में लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा पेयजल की समस्या के निस्तारण हेतु निर्मित टंकियों पर जल संग्रहण हेतु सी0डब्लू0आर0 स्थापित कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मनीष शुक्ला, निवासी जनपद लखनऊ की याचिका।

[†] छापी नहीं गयीं।

श्री अतुल प्रधान, सदस्य, विधान सभा की जनपद मेरठ से सम्बन्धित याचिका†

श्री अतुल प्रधान, सदस्य, विधान सभा की जनपद मेरठ में मुख्य विकास अधिकारी के आशुलिपिक श्री नैपाल सिंह पर भ्रष्टाचार का दोष सिद्ध होने के बाद भी उन्हें पदस्थापित कर भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिये जाने के सम्बन्ध में श्री मन्नू सिंह निवासी जनपद मेरठ की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री उमर अली खान, सदस्य, विधान सभा की जनपद सहारनपुर से सम्बन्धित आठ याचिकाएं†

श्री उमर अली खान, सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएं उपस्थित की हुई मानी गईं-

1-जनपद सहारनपुर के विधान सभा क्षेत्र बेहट में जर्जर तारों तथा आबादी के ऊपर से गुजर रहे तारों को बदलवाने के सम्बन्ध में श्री इकराम व अन्य निवासीगण जनपद सहारनपुर की याचिका,

2-जनपद सहारनपुर की तहसील बेहट में नदी के पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री फारूक व अन्य निवासीगण जनपद सहारनपुर की याचिका,

3-जनपद सहारनपुर के विधान सभा क्षेत्र बेहट में ग्राम मिर्जापुर में फायर स्टेशन की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में श्री फजलुर्रहमान, निवासी जनपद सहारनपुर की याचिका,

4-जनपद सहारनपुर के विधान सभा क्षेत्र बेहट में सहारनपुर बेहट बस अड्डे से सिद्धपीठ माता शाकुम्भरी देवी जी तक फोर लेन सड़क निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मंसूब अली व अन्य निवासीगण जनपद सहारनपुर की याचिका,

5-जनपद सहारनपुर के विधान सभा क्षेत्र बेहट के ग्राम बादशाही बाग यमुनोत्री मार्ग फोर लेन सड़क निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री जावेद राना व अन्य निवासीगण जनपद सहारनपुर की याचिका,

6-जनपद सहारनपुर के विधान सभा क्षेत्र बेहट में कतिपय ग्रामों एवं मजरों में हैण्डपम्प रि-बोर कराये जाने के सम्बन्ध में मो0 रब्बानी व अन्य निवासीगण जनपद सहारनपुर की याचिका,

7-जनपद सहारनपुर के विधान सभा क्षेत्र बेहट से सटी फूल कालोनी एवं इन्द्रा कालोनी को कस्बा बेहट या अन्य ग्राम पंचायत में सम्मिलित कराये जाने के सम्बन्ध में श्री शौकत शेख व अन्य निवासीगण जनपद सहारनपुर की याचिका तथा

8-जनपद सहारनपुर के विधान सभा क्षेत्र बेहट में इण्टर कालेज की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में श्री फैजान व अन्य निवासीगण जनपद सहारनपुर की याचिका।

---

† छापी नहीं गयीं।

श्री चन्दन चौहान, सदस्य, विधान सभा की जनपद मुजफ्फरनगर से सम्बन्धित नौ एवं जनपद लखनऊ से सम्बन्धित एक याचिका †

श्री चन्दन चौहान, सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएं उपस्थित की हुई मानी गईं :-

1-जनपद मुजफ्फरनगर के विधान सभा क्षेत्र मीरापुर के ग्राम फिरोजपुर खादर में सोनाली नदी में पुल निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री पूरनचन्द व अन्य निवासीगण जनपद मुजफ्फरनगर की याचिका,

2-जनपद मुजफ्फरनगर के विधान सभा क्षेत्र मीरापुर की कतिपय सड़कों की मरम्मत/निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री शावेज व अन्य निवासीगण जनपद मुजफ्फरनगर की याचिका,

3-जनपद मुजफ्फरनगर के विधान सभा क्षेत्र मीरापुर में कतिपय सड़कों की मरम्मत/नव निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री भीषम सिंह व अन्य निवासीगण जनपद मुजफ्फरनगर की याचिका,

4-जनपद मुजफ्फरनगर के विधान सभा क्षेत्र मीरापुर में कतिपय सड़कों की मरम्मत/नव निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अशोक व अन्य निवासीगण जनपद मुजफ्फरनगर की याचिका,

5-जनपद मुजफ्फरनगर के विधान सभा क्षेत्र मीरापुर में कतिपय सड़कों का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री महकार व अन्य निवासीगण जनपद मुजफ्फरनगर की याचिका,

6-जनपद लखनऊ के विकास खण्ड सदर के अन्तर्गत पारा के गोविन्द नगर (नियर सुरेन्द्र विहार कालोनी के सामने वाली गली) में कम वोल्टेज की समस्या से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री शुभम कुमार व अन्य निवासीगण जनपद लखनऊ की याचिका,

7-जनपद मुजफ्फरनगर के विधान सभा क्षेत्र-16, मीरापुर ग्राम मजलिसपुर-तौफिर आबादी भाग में पुलिया का पुनः निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रामकला व अन्य निवासीगण जनपद मुजफ्फरनगर की याचिका,

8-जनपद मुजफ्फरनगर के विधान सभा क्षेत्र-16, मीरापुर की सड़कों का नव निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अंजुम प्रधान व अन्य निवासीगण जनपद मुजफ्फरनगर की याचिका,

---

† छापी नहीं गयीं।

9-जनपद मुजफ्फरनगर के विधान सभा क्षेत्र मीरापुर की सड़कों का विशेष मरम्मत कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सलीम अहमद व अन्य निवासीगण जनपद मुजफ्फरनगर की याचिका तथा

10-जनपद मुजफ्फरनगर के विधान सभा क्षेत्र मीरापुर की सड़कों ग्राम-कम्हेडा में जियाज वकील के कांटे से जमीरे के खेत तक ग्राम चौरावाला के खतौली मोरना मार्ग से चौरावाला हरिजन बस्ती तक व कतिपय अन्य सड़कों की विशेष मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में श्री प्रकाश सिंह व अन्य निवासीगण जनपद मुजफ्फरनगर की याचिका।

श्री प्रकाश द्विवेदी, सदस्य, विधान सभा की जनपद बांदा से सम्बन्धित पांच याचिकाएं †

श्री प्रकाश द्विवेदी, सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएं उपस्थित की हुई मानी गईं :-

1-जनपद बांदा के नगर बांदा में सड़कों को लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरित कर मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में श्री पुष्कर सिंह व अन्य निवासीगण जनपद बांदा की याचिका,

2-जनपद बांदा के भूरागढ़ में डैम बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री सन्तोष गुप्ता व अन्य निवासीगण जनपद बांदा की याचिका,

3-जनपद बांदा के महुआ लोक के ग्राम अजीतपारा, बिलगांवा इटरा व कतिपय अन्य गांवों में राजकीय नलकूप लगवाये जाने के सम्बन्ध में छोटेलाल तिवारी व अन्य निवासीगण जनपद बांदा की याचिका,

4-जनपद बांदा के विकास खण्ड बिसण्डा के ग्राम भिलौली, सिकलोढ़ी, पवई, पिण्डखर, अमवां तेन्दुरी, चौसड में श्मशान स्थल बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री विनय कुशवाहा व अन्य निवासीगण जनपद बांदा की याचिका तथा

5-जनपद बांदा के विकास खण्ड बड़ोखर खुर्द के अन्तर्गत ग्राम कहला में पावर हाउस की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में श्री ओम प्रकाश निषाद व अन्य निवासीगण जनपद बांदा की याचिका।

श्री राकेश प्रताप सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद कन्नौज से सम्बन्धित याचिका†

श्री राकेश प्रताप सिंह, सदस्य विधान सभा, जनपद कन्नौज के ठठिया क्षेत्र में ग्राम-हांसापुर से खरगापुर तक सड़क निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री प्रेम चन्द्र व अन्य निवासीगण जनपद कन्नौज की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

---

† छापी नहीं गयीं।

श्री विवेक कुमार वर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद पीलीभीत से सम्बन्धित दस याचिकाएं†

श्री विवेक कुमार वर्मा, सदस्य, विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएं उपस्थित की हुई मानी गईं-

1-जनपद पीलीभीत की तहसील बीसलपुर के गांव पैनिया में रामकिशन में विद्युत उपकेन्द्र स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में श्री मेवाराम व अन्य निवासीगण जनपद पीलीभीत की याचिका,

2-जनपद पीलीभीत की तहसील बीसलपुर के अन्तर्गत नगर बीसलपुर में अल्पसंख्यक माध्यमिक विद्यालय का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री गुलाम नबी आजाद व अन्य निवासीगण जनपद पीलीभीत की याचिका,

3-जनपद पीलीभीत की तहसील बीसलपुर के मोहल्ला दुबे में नया सिरोपरि के निर्माण के सम्बन्ध में श्री अशोक कुमार दीक्षित व अन्य निवासीगण जनपद पीलीभीत की याचिका,

4-जनपद पीलीभीत की तहसील बीसलपुर के अन्तर्गत गांव लाड़पुर व गांव अमृताखास के मध्य मार्ग पर सेतु निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्रीमती निर्मला देवी व अन्य निवासीगण जनपद पीलीभीत की याचिका,

5-जनपद पीलीभीत की तहसील बीसलपुर के अन्तर्गत परिसीमन कर नया क्षेत्र पंचायत कार्यालय स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में श्री अमित मिश्रा व अन्य निवासीगण जनपद पीलीभीत की याचिका,

6-जनपद पीलीभीत की तहसील बीसलपुर के अन्तर्गत बीसलपुर-पूरनपुर मार्ग का गांव दियोरियाकलां से घुंघचिहाई तक का मार्ग निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अमित मिश्रा व अन्य निवासीगण जनपद पीलीभीत की याचिका,

7-जनपद पीलीभीत की तहसील बीसलपुर को जनपद घोषित किये जाने के सम्बन्ध में श्री प्रमोद गुप्ता व अन्य निवासीगण जनपद पीलीभीत की याचिका,

8-जनपद पीलीभीत की तहसील बीसलपुर के अन्तर्गत गांव फैजुल्लागंज उर्फ कढ़ैला से गांव खानपुर उर्फ वीरमपुर के मध्य जर्जर मार्ग एवं पुलिया के पुनः निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राम औतार व अन्य निवासीगण जनपद पीलीभीत की याचिका,

9-जनपद पीलीभीत की तहसील बीसलपुर में बीसलपुर किसान सहकारी चीनी मिल लिमिटेड का विस्तारीकरण एवं डिस्टलरी स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में श्री श्याम बहादुर शर्मा व अन्य निवासीगण जनपद पीलीभीत की याचिका तथा

---

† छापी नहीं गयीं।

10-जनपद पीलीभीत की तहसील बीसलपुर के अन्तर्गत गांव भड़रिया में ब्रह्मबाबा स्थल से गांव बिहारीपुर कुमिरखा के मध्य मार्ग पर सेतु निर्माण के सम्बन्ध में श्री शिव स्वरूप व अन्य निवासीगण जनपद पीलीभीत की याचिका।

श्री अध्यक्ष-

विशेषाधिकार की कोई सूचना नहीं है।

कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिशें विषयक प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष-

नियम-315 के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य-मंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 20 सितम्बर, 2022 की बैठक में निम्नलिखित सिफारिशें की हैं :-

1-दिनांक 21 सितम्बर, 2022 को निम्नलिखित विधेयकों पर विचार एवं पारण करा लिया जाय।

1-उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2022

2-सामान्य भविष्य निधि (उत्तर प्रदेश) नियमावली, 1985-नियम-12 (संशोधन एवं विधिमान्यकरण) विधेयक, 2022

3-इण्टरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) विधेयक, 2022

2- दिनांक 21 सितम्बर, 2022 का नियम-103 के अन्तर्गत ग्राह्य प्रस्तावों को प्रस्तुत एवं चर्चा हेतु ले लिया जाय।

वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि यह सदन कार्य-मंत्रणा की सिफारिश से जिसकी सूचना आज श्री अध्यक्ष द्वारा सदन में दी गयी है, उससे सदन सहमत है।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि कार्य-मंत्रणा की सिफारिश विषयक प्रस्ताव जो माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत किया गया है, ये सदन सहमत है ?

(प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष-

मद संख्या-69 में कुछ नहीं है। अब मद संख्या-70

[01:24] औचित्य के प्रश्न की सूचना (क्रमागत)

नियम-301 एवं नियम-51 की सूचनाओं पर सही उत्तर न प्राप्त होने के सम्बन्ध में औचित्य के प्रश्न की सूचना

(सदस्य श्री मनोज कुमार पाण्डेय के बोलने का प्रयास करने पर)

श्री अध्यक्ष-

आप क्या कहना चाह रहे हैं ?

***श्री मनोज कुमार पाण्डेय-**

माननीय अध्यक्ष जी, मेरा औचित्य का प्रश्न है, भारत के संविधान के अन्तर्गत निर्मित नियमावली उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के अन्तर्गत नियम-51, नियम-301 में प्रत्येक सत्र में माननीय सदस्यों द्वारा अपने क्षेत्र, प्रदेश से सम्बन्धित लोक महत्व के अविलम्बनीय विषयों पर सूचना दी जाती है। जिसे आप द्वारा स्वीकार भी किया जाता है।

श्री अध्यक्ष-

जो स्वीकार करनी थी, वह कर ली गयी।

श्री मनोज कुमार पाण्डेय-

मान्यवर, विभाग द्वारा नियम-51 एवं नियम-301 से सम्बन्धित सूचनाओं के उत्तर से सन्तुष्ट न होने अथवा उत्तर प्राप्त न होने से सम्बन्धित प्रकरणों पर विचार हेतु संसदीय अनुश्रवण समिति भी है। महोदय, नियमावली में इतनी व्यवस्था होने के बाद भी जब इन सूचनाओं का जवाब गलत अथवा गुमराह किये जाने वाला मिलता है, तो हमें पूरी प्रक्रिया अपनाने में और इन नियमों का सही उत्तर देने में अत्यधिक समय लगता है।

श्री अध्यक्ष-

इसमें आप क्या चाहते हैं ?

श्री मनोज कुमार पाण्डेय-

मान्यवर, सदन में नियम-51 एवं नियम-301 की सूचनाओं को सरकार द्वारा गम्भीरता से नहीं लिया जाता है तथा एक सत्र की सूचना का उत्तर दूसरे सत्र या तीसरे सत्र तक प्राप्त होता है। यहां यह भी उल्लेख करना उचित होगा कि विलम्ब से उत्तर देने हेतु दोषी कर्मचारियों को दण्ड देने का प्राविधान है, परन्तु आज तक किसी प्रकरण में ऐसा नहीं हुआ है। मान्यवर, यह उत्तर प्रदेश की कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम-51 एवं नियम-301 का खुला उल्लंघन है। मान्यवर, आपसे विशेष रूप से आग्रह है और अवगत भी कराना है कि नियम-51

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

की सूचना की एक प्रति सदन के प्रारम्भ होते ही सरकार को प्रेषित की जाती है, परन्तु शासन के अधिकारियों द्वारा सदन का कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, अगर शासन इन सूचनाओं का संज्ञान ले और जनपद स्तर से आख्या मंगाते हुए सत्र के समय ही विधान सभा को अवगत करा दे तो यह समस्या उत्पन्न न हो। मान्यवर, यह सभी सदस्यों की समस्या है, औचित्य के इस प्रश्न को आप सदन में उठाने की अनुज्ञा प्रदान करें।

श्री अध्यक्ष-

यह औचित्य का प्रश्न नहीं है। आपने सूचना दिया है, लेकिन यह औचित्य के प्रश्न में नहीं आती है।

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, मेरा निवेदन सुन लीजिये। यह एक महत्वपूर्ण विषय है कि जो भी सूचनायें यहां पर नियम-51 और नियम-301 के अन्तर्गत दी जाती हैं, उनका जो निर्धारित समय है, उस निर्धारित समय में माननीय सदस्यों को उसका जवाब मिल जाना चाहिए। मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि जिन भी माननीय सदस्यों की पूर्व में पिछले सत्र के अन्तर्गत सूचनायें दी गयी हैं या इस सत्र में दी गयी हैं, उनकी भी निर्धारित समय-अवधि के अन्तर्गत सूचना आ जानी चाहिए थी। इसमें मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि इसको आप दिखवा लें। इस बार उनको चेतावनी दे दें, नहीं तो अगली बार मुझे यहां से कोई व्यवस्था देनी पड़ेगी।

वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

ठीक है, मान्यवर।

[01:22] कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

माननीय नेता प्रतिपक्ष बोलें।

***नेता विरोधी दल (श्री अखिलेश यादव)-**

मान्यवर, पहली सूचना पर श्री माता प्रसाद पाण्डेय जी को बोलना है।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, श्री माता प्रसाद पाण्डेय जी अपनी बात रखें।

***श्री माता प्रसाद पाण्डेय-**

मान्यवर, मैं बड़े दुःख के साथ कहना चाहता हूँ कि हमारे इस सदन के वरिष्ठतम सदस्य श्री मो0 आजम खां जो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के छात्र-संघ के महामंत्री भी रहे हैं, पार्लियामेण्ट के मेम्बर भी रहे हैं, राज्यसभा के सदस्य भी रहे हैं और बहुत दिनों तक इस सदन में सरकार के संसदीय कार्य मंत्री भी रहे हैं। उनके विरुद्ध इस सरकार में लगातार किस भावना

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

से तमाम प्रकार के फर्जी मुकदमे लगाये गये और उनको जेल में डाला। दो साल से ज्यादा वह जेल में रहे। सुप्रीम कोर्ट से उनकी जमानत मंजूर हुई और अब वह जमानत से बाहर हैं। जमानत से बाहर रहने के बाद भी यह सरकार उन्हें परेशान करने की गरज से रोज नये-नये हथकण्डे अपना रही है। मान्यवर, जिस तरह से यहां मुकदमे लिखे जाते हैं, आप भी उसको देखते होंगे। इस प्रकार की प्रक्रिया कभी हुई नहीं है। छोटी-छोटी बातों पर मुकदमा लिखना, छोटी-छोटी बातों पर फर्जी ढंग से चालान करा देना। अभी कुछ दिन पहले जब वह जमानत से छूट कर आये तो उनकी जमानत खारिज कराने के उद्देश्य से सरकार की तरफ से या वहां पुलिस अधिकारियों की तरफ से उनके विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराने की कोशिश की गई है कि वह गवाहों को धमका रहे हैं, गवाहों को डरवा रहे हैं और इसी के साथ-साथ उनकी यूनिवर्सिटी के बारे में अखबारों में पढ़ा है, यूनिवर्सिटी को बर्बाद करने के लिए उसका खोद-खाद कर रहे हैं और कह रहे हैं कि उनके स्कूल में जो सफाई करने वाली मशीन थी, उसके टुकड़े जमीन में गाड़े गये थे। वहां से खोद कर निकाले जा रहे हैं। उनको निकाल कर उन पर मुकदमा लिखा जा रहा है।

मान्यवर, यह यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी थी, उसके शिलान्यास में मैं भी गया था और वह बहुत अच्छी ढंग से चल रही थी। सरकार और हमारे मुख्य मंत्री जी रोज शिक्षा के बारे में कहते हैं कि हम तमाम विश्वविद्यालय स्थापित कर रहे हैं। वह भी एक विश्वविद्यालय है उसे तबाह करने की, बर्बाद करने की इस तरह की खुली छूट सरकार की तरफ से अधिकारियों को दी जा रही है यह बहुत उचित नहीं है। न तो वह अपराधी हैं न ही वह कोई क्रिमिनल है, न ही वह कोई डकैत हैं उनको और उनके बेटे, उनकी पत्नी को पिछली बार जेल में रखा गया था। मान्यवर, मैं मिलने गया था सीतापुर जेल में जो काल कोठरी बनी थी जिसमें फांसी की सजा वाले कैदी रखे जाते थे, जिसमें एक तखत पड़ सकता था उसी तखत पर वह रात-दिन सोते थे और कोई ऐसी व्यवस्था नहीं थी, उन्होंने कहा रात को हमारा दरवाजा खोल दो। इस गैलरी में हम घूम लें। वह दरवाजा भी नहीं खोला गया। जिस तरह से अंग्रेजों ने अपने विरोधियों को काल कोठरी में बन्द कर परेशान करने की कोशिश की थी वही प्रक्रिया इस लोकतांत्रिक सरकार में अगर चले तो अच्छी बात नहीं है। हम सब लोग आन्दोलनों में जेल गये हैं, विभिन्न धाराओं में जेल गये हैं, फर्जी मुकदमे लिखे जाते थे उसमें जेल गये हैं, लेकिन इस तरह का व्यवहार कभी किसी के साथ नहीं हुआ, यहां तमाम हमारे साथी हैं जो इमरजेंसी में भी जेल गये होंगे हम लोग भी जेल गये थे, लेकिन सरकार की तरफ से इस तरह की व्यवस्था नहीं की गई थी कि आपको काल कोठरी में बन्द कर दिया जायेगा। आपको निकलने नहीं दिया जायेगा, आपको किसी से बात नहीं करने दिया जायेगा। मैं खुद रामपुर गया सारे पुलिस वालों ने हमको घेर लिया। कहने लगे केवल आप अकेले उनके घर जाइये। आपके साथ कोई जा नहीं सकता। इस तरह से सख्ती का क्या मतलब है। आज सड़कों पर बड़े-बड़े अपराधी घूम रहे हैं जिनके पीछे सरकार की पुलिस नहीं है, लेकिन एक पढ़े-लिखे, एक विद्वान, एक जनप्रतिनिधि के

खिलाफ यह सरकार इस तरह से पीछे पड़ी हुई है। इसके लिए मैं आपसे चाहता हूँ कि उन पर जो फर्जी मुकदमे लिखे जा रहे हैं इतने बड़े अपराधी नहीं हैं, आज भी पुलिस वहां घेरे बैठी है, वह इतने बड़े अपराधी तो नहीं हैं कि रोज फर्जी मुकदमा लिखा जाये।

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा सरकार से कहना चाहूंगा, संसदीय कार्य मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि अब बहुत हो चुका। लोग दो साल, ढाई साल तो इमरजेंसी में भी बन्द नहीं रहे, वहां 20 महीना रहे हैं और 20 महीने के बाद एक जनप्रतिनिधि को, जो न कोई डकैत है, न कोई चोर है, न किसी प्रकार का माफिया है, लेकिन उसे इस तरह से जेल में रखकर उस पर फर्जी मुकदमे हो रहे हैं। छोटे-छोटे मुकदमे जैसे ईंट चोरी, अब किताबें भी निकाली जा रही हैं कि किताबें चोरी हो गईं और वहां रखी हैं। सफाई मशीन पर तो मैंने बताया कि वह खोदकर निकाली जा रही है। तो यह बहुत अच्छी बात नहीं है राज्य में सरकारें आती-जाती रहती हैं। संसदीय कार्य मंत्री जी हम लोग भी पहले सत्ता में रहे हैं आप विपक्ष में थे कभी इस तरह की घटनाएं नहीं हुईं। उनके बारे में आप भी अच्छी तरह से जानते हैं वह क्या हैं। यह सही है कि उनको जान-बूझ कर परेशान किया जा रहा है वह कोई इतने बड़े अपराधी नहीं हैं जिसके नाते उनको जेल में रखा जाय। मैं अध्यक्ष जी आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूँ कि सरकार को आप यह निर्देश दें कि इस तरह से अनावश्यक यदि कोई बात है तो इसकी वह जांच करा लें। यहां तो सिपाही और दरोगा जाकर रोज मुकदमा लिख देता है सही है या गलत है कोई पता नहीं है।

मेरा आपसे आग्रह है कि कम से कम आप इसमें हस्तक्षेप करें। आपका जनप्रतिनिधि है वह बहुत गम्भीर जनप्रतिनिधि रहे हैं, एम0पी0 रहे हैं, राज्य सभा सदस्य रहे हैं, यहां नौ बार के एम0एल0ए0 रहे हैं, संसदीय कार्य मंत्री रहे हैं, नगर विकास मंत्री भी रहे हैं। ऐसे लोगों को इस तरह से न परेशान किया जाये। मैं आपसे और संसदीय कार्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि आप इसमें थोड़ा गम्भीरता से सोचें, बहुत हो गया, दुर्बल को इतना न सताइये मैं आगे दोहा नहीं कहना चाहता इतना न सताइये। मेरा आपसे निवेदन है कि यह जो फर्जी मुकदमे लिखे जा रहे हैं इनको आप बन्द करा दीजिये। आपने उनको जितना दण्ड देना था, उतना दण्ड दे चुके हैं अब फर्जी दण्ड बिना किसी कारण के मत दीजिये। 2 साल से ज्यादा जेल में रहना यह बहुत बड़ी बात है। इसलिए मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि संसदीय कार्य मंत्री जी इसमें कुछ हस्तक्षेप करें और पुलिस को आदेश दें कि फर्जी मुकदमे क्यों लिखते हैं। माननीय अध्यक्ष जी उनके संरक्षण की भी जिम्मेदारी आपकी है। स्पीकर जो होते हैं वह हमारे सभी लोगों के हितों के रक्षक भी होते हैं तो हमारे रक्षक होने के नाते आप इसमें हस्तक्षेप कीजिये, माननीय मुख्य मंत्री जी से बात कीजिये, संसदीय कार्य मंत्री जी से बात कीजिये और इस तरह से उन्हें आगे परेशान न किया जाय और इस पर चर्चा करायी जाय, यही मेरा आपसे अनुरोध है।

***श्री ओम प्रकाश-**

माननीय अध्यक्ष जी, विनम्र निवेदन है कि आजम खां साहब छात्र राजनीति की कोख से पैदा हुए हैं। हम लोग छोटे-छोटे थे, इमरजेंसी के दौर में भी वह बन्द थे। कभी आप भी खन्ना साहब इधर बैठते थे और परम्पराओं, मान्यताओं की बात करते थे। जाति, धर्म, मजहब के आधार पर किसी के साथ भेद-भाव नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन माननीय अध्यक्ष जी कोरोना में कोई आदमी दूसरे आदमी से मिलना नहीं चाहता था। वहीं माननीय आजम साहब के साथ इतना बड़ा बर्ताव किया जा रहा है। ब्रिटिश हुकूमत के समय की बातों को हम लोगों ने किताबों में पढ़ा है, देखा नहीं है, लेकिन जो अब हम लोग देख रहे हैं, मैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से मिला भी था, मा0 माता प्रसाद जी बहुत सीनियर सदस्य हैं, उन्होंने सारी बातों को विस्तार से रखा है, एक बार को छोड़ दिया जाय तो 1980 से आजम साहब लगातार इस सदन में हैं, राज्य सभा, लोक सभा, संसदीय कार्य मंत्री जी, नगर विकास मंत्री और एक से एक अच्छे पदों पर रहे हैं और जो सम्मान राजनीति में मिलना चाहिए वह सब उन्हें मिला है। लेकिन उनके साथ आज जो हो रहा है उस पर मैं मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि यह अच्छी परम्परा नहीं है। आग से आग को नहीं बुझाया जा सकता है और न ही पानी को पानी से रोका जा सकता है, यह आजम साहब कहते थे और आप सभी सुनते थे। ये जो जिला प्रशासन दो कौड़ी के लोग जिनका खुद चरित्र ठीक नहीं है।

श्री अध्यक्ष-

किसी ऐसे शब्द का इस्तेमाल मत कीजिये, अपनी बात कहिये।

श्री ओम प्रकाश-

दो कौड़ी के लोग सही बात कह रहे हैं, यह कोई खराब बात नहीं कह रहा हूँ।

श्री अध्यक्ष-

फिर भी इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल न करें।

श्री ओम प्रकाश-

मान्यवर, असंसदीय हो तो आप निकाल दीजिये लेकिन माननीय अध्यक्ष जी मैं आपसे यह जरूर चाहूंगा कि आप इस पीठ से एक व्यवस्था देने का काम करें। आजम साहब के लिए अभी मा0 पाण्डेय जी बार-बार कह रहे थे कि वह अपराधी नहीं हैं, यह बात सही है, आजम साहब एक शरीफ और अच्छे इंसान रहे हैं। वह सामन्तों, नवाबों के खिलाफ लड़े हैं, बड़े-बड़े लोगों के खिलाफ लड़े हैं, दिल्ली हुकूमत के खिलाफ लड़े हैं। वही आदमी चार-पांच साल के अन्दर इतना बड़ा जालिम और जुल्मी हो गया कि सरकार उन्हें परेशान कर रही है। यह जो

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

परम्परा हो रही है इससे लोकतंत्र मजबूत नहीं होगा, इसलिए मैं चाहूंगा कि आपकी पीठ से एक व्यवस्था सुनिश्चित हो जाये।

श्री अखिलेश यादव-

माननीय अध्यक्ष जी, इस विषय पर बहुत सारी बातें आ गई हैं और मैं समझता हूँ कि सदन के सभी सदस्य इन बातों को जानते हैं कि किस तरीके से मा0 आजम साहब के साथ सरकार की ओर से व्यवहार किया जा रहा है। अगर आप संरक्षण नहीं देंगे, इस सदन से अगर न्याय नहीं मिलेगा तो आखिर हमारे पास रास्ता क्या है, कम से कम मा0 अध्यक्ष महोदय यह बात सरकार की ओर से आये।

वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

माननीय अध्यक्ष जी, आदरणीय माता प्रसाद पाण्डेय जी इस सदन के वरिष्ठ सदस्य भी हैं और व्यक्तिगत रूप से हम उनका बहुत आदर करते हैं। माननीय ओम प्रकाश जी भी सदन के पुराने साथी हैं, वह भी अपने आपमें बहुत सम्माननीय हैं। नेता प्रतिपक्ष ने भी उनकी बातों को बल दिया है, लेकिन जो कन्टेन्ट्स बताये गये कि फर्जी मुकदमे लगाये गये, हमारी इस पर घोर असहमति है, कोई भी मुकदमा फर्जी नहीं है, सरकार की ओर से मैं इसका खण्डन करता हूँ। किसी भी तरह से किसी को प्रताड़ित करने का, बदले की भावना से काम करने के आरोपों का भी मैं पूरी तरह से खण्डन करता हूँ।

(समाजवादी पार्टी के किसी सदस्य के कुछ बोलने पर)

मान्यवर, हमने तो चुप-चाप आपकी बात को सुना है। इसलिए आपको भी सरकार का पक्ष सुनना चाहिए। मा0 अध्यक्ष जी, मा0 पाण्डेय जी ने दो-तीन बातें खास तौर से कही हैं कि फर्जी तरीके से उन पर मुकदमा बनाया गया है। इसमें जिन मुकदमों का जिक्र किया गया है, उसके बारे में आपकी अनुमति से दो-तीन बातें कहना चाहता हूँ। पहला, जिस व्यक्ति ने गवाही के मामले में रिपोर्ट लिखायी है, वह व्यक्ति स्वयं उस मुकदमे में गवाह है और वह व्यक्ति सजातीय है, उसी कम्युनिटी का है। ये मुकदमा अपराध संख्या-173/2022 धारा-147, 195-ए, 506।

श्री लालजी वर्मा-

यह बात आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

आपने जो भी कहा, हमने सुना, तो सरकार का पक्ष तो आपको सुनना चाहिए।

(समाजवादी पार्टी के कई सदस्यों के एक साथ कुछ बोलने पर)

श्री अध्यक्ष-

मा0 मंत्री जी, आप बोलिये।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

जिसको जो कहना है, वो और कह ले। हम एक साथ जवाब दे दें, लेकिन जवाब तो सुनना चाहिए। ये कोई परम्परा नहीं है।

श्री रविदास मेहरोत्रा-

अध्यक्ष जी, हम कुछ पूछ लें, मा0 मंत्री जी कह रहे हैं।

श्री अध्यक्ष-

आप क्यों बोल रहे हैं। हर मामले में आपका बोलना जरूरी है। आप बैठिये। मामला गम्भीर है, आप उसकी गम्भीरता को समझिये।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, मुकदमा अपराध संख्या-173/22, धारा-147, 195-ए, 506, 120-बी भारतीय दण्ड विधान, थाना कोतवाली, जनपद रामपुर दिनांक 17-08-2022 को मुकदमा अपराध संख्या-528/19, धारा-452, 389, 427, 448, 395, 504, 506, 120-बी आई0पी0सी0 थाना कोतवाली, जनपद रामपुर के वादी श्री नन्हे पुत्र अली बहादुर, निवासी मोहल्ला बैरियान, थाना कोतवाली, जनपद रामपुर द्वारा थाना कोतवाली पर उपस्थित होकर तहरीर प्रस्तुत की गयी कि आज दिनांक 17-08-2022 को मेरी गवाही न्यायालय में होनी है। आज सुबह लगभग 09:30 बजे मेरे मकान पर चार-पांच अज्ञात व्यक्ति आये और कहा कि आज तुम्हारी आजम खां साहब के मामले में गवाही होनी है। हमें आजम खां साहब, पूर्व मंत्री जी ने भेजा है। आपको मुकदमे में उनके खिलाफ गवाही नहीं देनी है। अगर सही बात कही, तो तुम्हारा हाल बुरा होगा। मैं डरा हुआ हूँ। उपरोक्त तहरीर के आधार पर थाना-कोतवाली, जनपद रामपुर मो0 आजम खां, पूर्व मंत्री तथा 5 अन्य अज्ञात के विरुद्ध ये मुकदमा संख्या-173/22 दर्ज किया गया है। इसकी विवेचना प्रचलित है।

दूसरा, उसमें जो भी व्यक्ति एक मुकदमे में गवाह है, उसको भी इसी प्रकार की एक धमकी मिली। मुकदमा संख्या-257/2022, इसमें 452, 504, 506, 147, 195, 120-बी इसमें खास बात यह है कि दोनों में कहीं भी यह दिखाया नहीं गया है कि श्री आजम खां की या श्री अब्दुल्ला आजम की उपस्थिति वहां पर थी। दोनों को 120-बी का इसमें मुल्जिम बनाया गया है। जो पीड़ित व्यक्ति है, उसी ने इसमें रिपोर्ट लिखायी है। वही इसमें मुद्दई है, वही उन केसों में गवाह है। केस में गवाह की गवाही न देने की वजह से ये मुकदमा पंजीकृत किया गया। अब इसकी विवेचना प्रचलित है।

जहां तक आपने बाकी बातें कही हैं, उस बारे में हम एक बात जरूर कहना चाहेंगे कि कानून के ऊपर कोई नहीं है। कानून सबके लिए बराबर है, कानून सबके लिए एक होना भी चाहिए और जहां तक आपने तीसरी बात एक और कही, मशीन वाली बात। उसके सम्बन्ध में भी दो लोग जुए के मामले में पकड़े गये थे। उन लोगों ने ये जानकारी दी कि वहां पर कैम्पस में एक मशीन झाड़ियों के पीछे गड़ी है और उसकी बाकायदा वीडियो फिल्म बनाकर उसको सबके सामने दिन में निकाला गया। वह मशीन क्लीनिंग वाली मशीन थी उसके भी सम्बन्ध में मुकदमा कराया गया है, यह मैं आपको जानकारी दे देता हूँ।

श्री अखिलेश यादव-

मान्यवर, मैं इसलिए उठ कर खड़ा हुआ हूँ कि मा0 मंत्री जी मशीन के बारे में जो आरोप लगाये जा रहे हैं कि नगर पालिका मना करे कि उसकी मशीन नहीं है। अगर कोई ठेकेदार काम कर रहा है, ठेकेदार काम छोड़कर चला गया है तबसे 5 साल यूनिवर्सिटी का मेडिकल कालेज सरकार की निगरानी में है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, सुन लें सभी, उपरोक्त अभियुक्त दिनांक 19-09-2022 को श्री बांकर अली पुत्र शाकिर अली निवासी बाजोड़ी टोला नाम के व्यक्ति द्वारा थाना कोतवाली में तहरीर दी गयी कि पूर्व सपा सरकार में सरकारी धनराशि से नगर पालिका रामपुर में मशीनें खरीदी गयी थीं। लेकिन उन मशीनों को मो0 आजम खां से जोड़ा जा रहा है।

श्री अखिलेश यादव-

नगर पालिका कह रही है कि मशीन उनकी नहीं है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

नगर पालिका में चेयरमैन कौन है यह आप अच्छी तरह से जानते हैं।

श्री अखिलेश यादव-

मा0 मंत्री जी कह रहे हैं कि चेयरमैन कौन है तो हम कह रहे हैं कि सरकार कौन है, यही तो आरोप है कि सरकार फंसाये नहीं हम इस सदन के अलावा कहां जा सकते हैं।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

अब आप पूरी बात सुन लें, फर्जी मुकदमे की बात कही गयी, जिसके ऊपर आरोप हैं, उनको जेल जाना पड़ा यह जो आरोप हैं वह हम बता रहे हैं आपको, आरोप क्या है ऐनिमि प्रापर्टी है 34 एकड़ शत्रु सम्पत्ति, उसके कब्जे का आरोप है, रिवर लैण्ड का आरोप है, 14.56 एकड़ सेंड जमीन का आरोप है, 30.38 एकड़ चक मार्ग और पाथ-वे 2.13 एकड़, ये इतनी जमीन लगभग 32 हेक्टेयर का नाजायज तरीके से कब्जा करने का आरोप है। नाजायज

तरीके से कब्जा करने के आरोप में 4 एकड़ जमीन जो एस0सी0एस0टी0 के लोगों से बिना परमिशन के खरीदी गयी वह भी उसके अतिरिक्त है। मेरा कहना है कि जो जमीनें कब्जा करने का आरोप है मुख्य आरोप तो वह है कि जिसकी वजह से किसी न्यायालय में सुनवाई नहीं हुई और उसके बाद जब काफी समय बीत गया, तो सुप्रीम कोर्ट ने जिस आधार के ऊपर जमानत दी है उसमें एक सबसे बड़ी वजह यह भी है कि वह काफी समय जेल में रह चुके हैं और उसके अतिरिक्त जो भर्तियां हुईं, उन भर्तियों का भी आरोप चूंकि मामला सबज्युडिस से है इसलिए बहुत सी बातें मैं कहना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि जो मामला कोर्ट में पेंडिंग है उसके बारे में बहुत सी बातें कही नहीं जा सकती हैं, लेकिन मेरा सबमिशन यह है कि कोई चीज फर्जी नहीं है। जो भी है वह अण्डर रूल्स है, अण्डर नियम है, अण्डर सेक्शन है, किसी प्रकार का ऐसा कुछ भी नहीं किया गया। लेकिन यह मालूम होना चाहिए कि पूरे समय में यह कहा गया कि ज्यादती हो रही, ज्यादती हो रही है। लेकिन सही बात मालूम होनी चाहिए। सही बात अखबारों में आती है, लेकिन इसको कोई गम्भीरता से लेता नहीं है, लेकिन जो जमीन नाजायज तरीके से कब्जा की गयी है। शत्रु सम्पत्ति 34 एकड़ आपको मालूम होना चाहिए आप लोगों को भी मालूम होना चाहिए कि आखिर क्या मामला है यह किस वजह से रखा गया है। इसलिए कानून ने अपना काम किया, हम कोई बदले की भावना से काम नहीं कर रहे हैं और जो विवेचनाएं प्रचलित हैं, उसके बारे में भी हम कहना चाहते हैं, मा0 यह सरकार हर स्तर पर न्याय चाहती है। दूध का दूध पानी का पानी होगा हम यह आपको इन्श्योर करना चाहते हैं। प्रथम दृष्टया अगर अपराध बनता है, उस पर अगर अपराध लिखा है तो उसकी विवेचना में दूध का दूध और पानी का पानी होगा। यह सरकार हर स्तर पर कोशिश करेगी कि हर एक व्यक्ति के साथ न्याय हो और माननीय सदस्य के साथ जरूर न्याय हो, यह मैं आपको सरकार के माध्यम से आश्वस्त करना चाहता हूँ।

(श्री मनोज कुमार पाण्डेय व श्री लालजी वर्मा द्वारा बोलने का प्रयास करने पर)

श्री अध्यक्ष-

माननीय मंत्री जी ने सारी बात स्पष्ट कर दी है तथा यह भी बताया है कि मामला न्यायालय में सबज्युडिस है, इसलिए इस पर चर्चा नहीं हो सकती है। मैंने इस सूचना पर माननीय माता प्रसाद पाण्डेय जी व श्री लालजी वर्मा जी को तथा माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को सुना। मैं इसको अग्राह्य करता हूँ। अगली नियम-56 की सूचना श्री उमाशंकर सिंह जी की प्रदेश में बिगड़ी हुई कानून व्यवस्था के सम्बन्ध में है।

श्री मनोज कुमार पाण्डेय-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं केवल एक बात आपके संज्ञान मे लाना चाहता हूँ।

श्री अध्यक्ष-

आप बैठ जाइये, मैं इसको अग्राह्य कर चुका हूँ।

श्री लालजी वर्मा-

माननीय अध्यक्ष जी, श्री मो0 आजम खान जी इस सदन के 1980 से सदस्य रहे हैं और उन्होंने नवाबों से लड़ने का काम किया है। ऐसी स्थिति में उनके खिलाफ यह जो जालसाजी की जा रही है। जब नगर पालिका कह रही है कि हमारी सम्पत्ति नहीं है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

यह जालसाजी नहीं है, कानून के अन्तर्गत है। इस आरोप का हम पूरी तरह से खण्डन करते हैं। यह आरोप गलत है।

श्री अध्यक्ष-

उमाशंकर सिंह जी आप अपनी सूचना की ग्राह्यता पर बोलिये।

श्री उमाशंकर सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं अपनी बात रखूं इससे पहले मैं आग्रह करना चाहूंगा कि इस हाउस में नेता विरोधी दल केवल समाजवादी पार्टी के ही नेता हैं, बल्कि हम सभी विरोधी दलों के वह नेता हैं। प्रदेश में जो भी ऐसी घटना घटित होती है तो मुझे लगता है कि उसमें उनको इनिशियेटिव ले करके उस बात को रखनी चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि यह घटना उनके लिए महत्वपूर्ण घटना नहीं थी। मुझे यह भी लगा जैसे मैं खड़ा हुआ तो लगातार व्यवधान डालने की कोशिश की गयी। हम नेता विरोधी दल का संरक्षण चाहते हैं, क्योंकि हम लोगों के संरक्षक वही हैं। इधर हम 3 ही लोग बचे हैं। उनका संरक्षण जरूरी है। मैं जिस घटना को ले करके आपके बीच में आया हूँ यह घटना 14-09-2022 को लखीमपुर खीरी के निघासन क्षेत्र के ग्राम तमोली के पुरवा की घटना है। वहां पर एक दलित मां के सामने उनकी दो बटियों को गुण्डे, मवाली उठा करके ले जाते हैं और लेकर जाने के बाद उनकी इतनी हिम्मत व दुःसाहस कि उन दलित की बेटियों का बलात्कार करने के बाद उनकी हत्या करते हैं और हत्या करने के बाद पेड़ से लटका देते हैं। जब इस बात की सूचना पुलिस अधीक्षक को दी जाती है तो पुलिस अधीक्षक इस बात को कहते हैं कि घटना आत्महत्या की है। उस परिवार पर काफी दबाव बनाने की कोशिश की गयी।

माननीय अध्यक्ष जी, उस घटना को आत्महत्या का रूप देने की कोशिश की गयी। मेरा उद्देश्य यह नहीं है कि मैं उस घटना पर विशेष रूप से सरकार पर आरोप लगाऊं। मेरा केवल यह मानना है, क्योंकि जब सरकार का जवाब आता है, जब आरोप-प्रत्यारोप होता है तो केवल घटनाओं की संख्या गिनायी जाती है कि आपके कार्यकाल में इतनी घटनाएं हुईं और मेरे कार्यकाल में 10 कम हो गयी हैं। बात इसकी नहीं है हम कौन-सा कदम उठा रहे हैं, हमें यह देखना चाहिए। हाथरस की घटना हुए 2 साल से अधिक का समय व्यतीत हो गया है और वह

अपराधी दण्डित नहीं हुए हैं, उन अपराधियों को अगर समय रहते दण्डित कर दिया गया होता तो इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं होती। यही नहीं, अभी 12-09-2022 को थाना भीरा की एक घटना है, वहां भी दो बेटियों को अगवा किया गया और उनके साथ भी इसी तरह की घटना की गयी। मेरा केवल यह मानना है कि यदि सरकार इस पर कोई गम्भीर निर्णय नहीं लेगी और उन अपराधियों पर समय रहते गम्भीर कार्यवाही नहीं करेगी तो इसी तरह से अन्य अपराधियों की हिम्मत बढ़ती जायेगी। मा0 न्यायालय में 10-10 साल 15-15 साल तक ऐसे ही अपराध करने वाले लोगों के मुकदमे चलते रहेंगे तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि ऐसे अपराध पर अंकुश नहीं लगाया जा सकता है। मैं आपके माध्यम से मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी से निवेदन करूंगा। बात इसकी नहीं है कि आपने अरेस्ट कर लिया है। आपको बधाई है कि आपने उनको अरेस्ट कर लिया है, लेकिन मुझे लगता है कि उस पुलिस अधीक्षक के विरुद्ध भी कार्यवाही होनी चाहिए, जिसने उस घटना को दबाया। पहले उसने उस घटना को आत्महत्या का रूप देने की कोशिश की।

मा0 मुख्य मंत्री जी ने उन दोनों बेटियों की हत्या पर कुछ घोषणाएं भी की थीं, लेकिन आज लगभग इतने दिनों बाद उन घोषणाओं पर कोई अमल नहीं हुआ है, चूंकि वह लोग दलित परिवार से आते हैं, उनका अनुसूचित का भी लगभग 8 लाख 50,000 रुपया है, रानी लक्ष्मीबाई योजना से भी उनको पैसा मिलना है, वह भी अभी तक जिला प्रशासन द्वारा नहीं दिया गया है। मा0 मुख्य मंत्री जी ने उन दलित बेटियों को 25-25 लाख रुपये देने की घोषणा की थी, उस पर भी अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। मा0 मुख्य मंत्री जी की घोषणा थी कि उस परिवार के एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी दी जायेगी, उस पर भी अभी तक कोई पाजिटिव रिस्पाँस नहीं मिला है। एक सबसे बड़ी घोषणा जिसको हम विशेष रूप से चाहते हैं, उन्होंने यह भी कहा था कि इस केस को ऐसे न्यायालय को सुपुर्द किया जायेगा कि 1 महीने के अन्दर इसका फैसला आ जायेगा। मैं आपके (इसी मध्य 01 बजकर 56 मिनट पर अधिष्ठाता श्री मनीष असीजा पीठासीन हुए) माध्यम से आग्रह करूंगा कि मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी इस सदन से इस प्रदेश को जरूर अवगत करायें कि इन दोषियों के खिलाफ आप कब तक कार्यवाही करेंगे, क्योंकि मा0 न्यायालय में बहुत से ऐसे केस हैं जो लम्बित पड़े रहते हैं। मैंने अभी हाथरस की घटना की चर्चा की थी कि 2 साल से भी अधिक का समय बीत गया है, उस पर अभी तक कोई निर्णय नहीं आया।

मैं मानता हूँ कि मा0 न्यायालय में अतिरिक्त बोझ है, लेकिन मैंने कहा कि मैं आापके माध्यम से मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी से यह आग्रह करना चाहूंगा कि जो इस तरह की घटनाएं हैं, ऐसी घटनाओं को चिन्हित करें। पहले मां के सामने से उठाइये, रेप करिये, फिर हत्या करिये, फिर इतनी हिम्मत कि उनको पेड़ से टांग दीजिये। हम अखबार में पढ़ते हैं, किसी के घुटने में गोली मार दी जाती है, आपको और हमें भी पता है कि कैसे गोली मारी जाती है, पुलिस कहां मुठभेड़ करती है। क्या ऐसे अपराधियों के लिए, ऐसी हिम्मत जुटाने वाले लोगों के

लिए पुलिस के पास मनोबल नहीं है या सरकार रोक रही है। मैं आपके माध्यम से मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि इनका शीघ्र ही निस्तारण करायें एवं जो मा0 मुख्य मंत्री जी द्वारा घोषणाएं की गयी हैं, उसका अक्षरशः पालन करके उस गरीब दलित परिवार को उसका लाभ मिले।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, वैसे तो मा0 सदस्य ने स्वयं इस बात को स्वीकार किया है कि उसमें कार्यवाही हुई है। यह घटना बहुत ज्यादा दुःखद है और इस घटना की जितनी निन्दा हो सके, वह की जानी चाहिए। बहुत ही अफसोसजनक घटना है और हम इसके ऊपर दुःख भी व्यक्त करते हैं, लेकिन जो सरकार का काम है, कानून सम्मत तरीके से लोगों को सजा दिलाना, उसमें सरकार ने कोई कोताही नहीं की है। किसी प्रकार की हीलाहवाली नहीं की, कोई ढील नहीं की है। मुकदमे में अपराध संख्या-744/22 में धारा-302, 323, 376, 452 जो भी अपराध हुआ है। मान्यवर, उसके तहत आई0पी0सी0 के तहत मुकदमा पंजीकृत हुआ है। साथ ही साथ चूंकि दोनों माइनर थे इसलिए 3/4, 500 एक्ट भी लगाया गया है, यह हमारी जिम्मेदारी भी है और हर तरह से यह सरकार अपराधियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी सजा दिलाने के पक्ष में थी और आगे भी रहेगी, इसलिए जितने भी इस तरीके के केसेज आये हैं माननीय सदस्य को यह जरूर जानकारी होनी चाहिए कि सरकार ने पूरी तरीके से इस बात की कोशिश की है कि महिलाओं के प्रति ज्यादा से ज्यादा अगर कार्यवाही हो सकती है अगर कोई अपराध होता है तो कार्यवाही जरूर की जाये तत्परता से की जाये और उसी वजह से कल मैंने जो बात कही थी, उसका मैं जवाब नहीं दूंगा, दोबारा जवाब नहीं दूंगा लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूँ कि पूरे देश में जितनी भी सजा दिलाने की स्थिति है उसमें उत्तर प्रदेश नम्बर एक पर है। हमने सात हजार सात सौ तेरह लोगों को महिलाओं के मामलों में सजा कराई है। यह आंकड़ा हम आपको बताना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश 59.1 प्रतिशत के साथ एक नम्बर पर है। बिहार में 53.1 प्रतिशत सजा का प्रतिशत है, राजस्थान में 45.2 प्रतिशत है, मध्य प्रदेश में 33.5 प्रतिशत है, और छत्तीसगढ़ में 30.9 प्रतिशत यानि महिलाओं के मामले में जितनी संवेदनशीलता योगी सरकार में दिखाई गई है हम समझते हैं इसलिए देश मे जितने भी मुकदमें इस तरह के डिसाइड हुए हैं उसमें से उत्तर प्रदेश सजा दिलाने के मामले में एक नम्बर पर है। जहां तक एन0सी0आर0बी0 के आंकड़ों की बात है एन0सी0आर0बी0 के आंकड़ों में भी यह 2021 का है। उत्तर प्रदेश 24 नम्बर पर है। पूरे देश में यानी हमसे 23 राज्य इस मामले में आगे हैं अपराधों के मामले में। यह एक लाख के ऊपर का है। 24 राज्य हमारे पास आ गये हैं एन0सी0आर0बी0 का आंकड़ा इण्टरनेट पर उपलब्ध है आप चाहें तो इण्टरनेट पर देख सकते हैं। इसलिए चूंकि सरकार ने कार्यवाही की है और जहां तक आंसू पोछने व उसके बाद आर्थिक सहायता की बात है सवा आठ लाख रुपया वैसे मैं इस विषय को कहना नहीं

चाहता था क्योंकि यह उसका कोई प्रतिफल नहीं है लेकिन फिर भी जो सहायता थी साव आठ लाख रुपया उनको मिल चुका है और जो माननीय मुख्य मंत्री जी ने घोषणा है उसका पालन किया जायेगा। यह नियम-56 में नहीं आता है मान्यवर, इसलिए इसको अग्राह्य किया जाय।

श्री अधिष्ठाता-

हमने दोनों पक्षों को सुना और इस सूचना को अग्राह्य करते हैं। माननीय सदस्य अवधेश प्रसाद जी आपकी सूचना जनपद गोण्डा के थाना नवाबगंज की पुलिस ने दिनांक 24 सितम्बर, 2022 को तीन व चार बजे के बीच दिन दहाड़े देव नारायण यादव उर्फ देवा 22 वर्षीय निर्दोष की निर्मम पिटाई से मौत के सम्बन्ध में है इसको ध्यानाकर्षण के लिए हम भेजेंगे।

श्री अवधेश प्रसाद-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, दो मिनट सुन लीजिये।

श्री अधिष्ठाता-

मान्यवर, यह ध्यानाकर्षण के लिए है इसलिए इसमें मैं अनुमति नहीं दूंगा।

***श्री अवधेश प्रसाद-**

माननीय अधिष्ठाता महोदय, यह बहुत ही गम्भीर मामला है जम्मू में उसकी तैनाती है। उसको गोण्डा के नवाबगंज पुलिस ने दिन दहाड़े तीन और चार बजे थाने के अन्दर बुलाकर इतनी पिटाई कर दी कि चार बजे उसकी मौत हो गई और इस पर 302 और 147 के तहत थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। इन्स्पेक्टर के ऊपर और जितने पुलिस वाले थे वह अभी फरार हैं। मैं, मान्यवर आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूँ कि यह बहुत ही गम्भीर मामला है और इसके रोते हुए परिवार को सरकार की तरफ से एक करोड़ रु0 का हरजाना दिया जाये क्योंकि सरकारी अमले के बीच इसकी हत्या हुई है। इसको मारा गया है और यही नहीं इसमें बहुत जल्दी ही जितने भी पुलिस के दोषी हैं, उनको गिरफ्तार किया जाये। यही नहीं, यह मामला मामूली नहीं है। आज पूरे जिले में बिजली कर्मी अनशन पर हैं, धरना पर हैं।

पूरे जनपद में अंधेरा है, क्योंकि वह बिजली विभाग में संविदाकर्मी के पद पर था। मान्यवर, इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे संरक्षण मांगते हुए सरकार से मांग करता हूँ कि इसमें एक करोड़ रुपये हर्जाना दिया जाये तथा उसके परिवार के एक सदस्य को नौकरी दी जाये। इस मामले में जो लोग भी गुनाहगार हैं, आरोपित हैं, नामजद हैं, उनको तत्काल गिरफ्तार किया जाये। आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मा0 अधिष्ठाता जी, मा0 सदस्य को इस बात के लिये धन्यवाद देना चाहिए था कि इसमें जितनी कार्रवाई अपेक्षित थी उससे ज्यादा कार्रवाई की गयी है। सभी दोषियों के खिलाफ मुकदमा भी पंजीकृत किया गया है तथा 10 लोग सस्पेण्ड भी किये गये हैं। इनको चूंकि एक अन्वेषण के मामले में बुलाया गया था, लेकिन फिर भी जो घटना हुई वह अपने आप में दुःखद है, वह नहीं होनी चाहिए थी। सरकार पूरी तरह से ऐसे लोगों के साथ है जो किसी न किसी रूप में हताहत हुए हैं अथवा सताये गये हैं या पीड़ित हैं। इसलिए इस मामले में कार्रवाई हो गयी है।

श्री अवधेश प्रसाद-

मान्यवर, मा0 मंत्री जी इसमें आर्थिक सहायता के लिए भी बोल दें।

श्री अधिष्ठाता-

इसमें दोनों पक्षों की बात सुनी। हम यह सूचना अग्राह्य करते हैं। अब हम अगली मद संख्या-71 लेते हैं।

[02:06] उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2022[†]

[*]संसदीय कार्य, चिकित्सा शिक्षा, परिवार कल्याण तथा मातृ एवं शिशु कल्याण राज्य मंत्री (श्री मयंकेश्वर शरण सिंह)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक 2022 पर विचार किया जाये।

श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना'-

मा0 अधिष्ठाता जी, मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करती हूँ कि उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक 2022 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाये जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे। समिति के सदस्यों के नाम बाद में दिये जायेंगे।

मा0 अध्यक्ष जी, यह जो बिल प्रस्तुत हुआ है उसका उद्देश्य और कारण पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है और उसकी जो मूल वजह है जिस कारण से इसे संशोधन में लाया गया है वह स्पष्ट नहीं होती है और यह जनता के हित में भी नहीं दिखायी देता है। इसलिए हम यह प्रस्तावित करते हैं कि इसे सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाये। इस पर आगे और विश्लेषण हो और वह बिल आये जो जनता के हित में हो।

वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, आई0टी0सी0 में जो कुछ विसंगतियां थीं, सिस्टम में कुछ ऐसी स्थिति थी कि जिसमें ज्यादा कैलकुलेट करना पड़ता था, ज्यादा इन्फार्मेशन सीक करनी पड़ती थी, उसी सम्बन्ध

[†] छापा नहीं गया।

[*] वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

में कुछ टेक्निकल विसंगतियों को दूर करने के लिए ही यह संशोधन लाया गया है। इसकी मूल भावना यह है कि अगर कोई व्यक्ति जो कोई चीज बेचता है या दूसरा खरीदता है तो अभी तक की जो स्थिति थी कि सिस्टम को बेचने और खरीदने वाले दोनों से इन्फार्मेशन कलेक्ट करनी पड़ती थी, लेकिन अब उसकी ऑटोमेटिक व्यवस्था कर दी गयी है, जिसके तहत तीन सेक्शन को रिपील किया गया है और बाकी सेक्शन्स को जोड़ा गया है, दो में समय बढ़ाया गया है ताकि सिस्टम अपने आप से इस बात को देख ले और हमें अलग से किसी प्रकार का कैल्कुलेशन न करना पड़े। सिस्टम में आसानी के लिए ही यह संशोधन लाया गया है, क्योंकि अभी तक सिस्टम में जो खामियां थीं और किसी न किसी रूप में असुविधा थी कि पहले बेचने वाले और खरीदने वाले दोनों से इन्फार्मेशन कलेक्ट की जाती थी, लेकिन चूंकि अब यह सिस्टम में आ जायेगा तो सिस्टम अपने आप जेनरेट कर लेगा कि तुमने इतना बेचा और इन्होंने इतना खरीदा और टैली कर लेगा, जिसका जितना बनता है उससे उतना टैक्स पड़ जायेगा। इसकी मूल भावना यह है, यानी इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलता है, जैसे हमने मोबाइल 100 रुपये का बेचा और उसके ऊपर 18 रुपये टैक्स पड़ा जिसने खरीदा, बजाय इसके 110 रुपये का आगे बेच दिया तो 18 रुपये सरकार के पास पहले टैक्स के मिले और दुबारा जो इस पर 10 रुपये का अतिरिक्त लाभ हुआ उसके ऊपर 1 रुपये 80 पैसे और हमको मिलेगा, तो हमको जो 1 रुपये 80 पैसे मिलेंगे वही हमको देना पड़ेगा। अभी तक यह सिस्टम जेनरेट नहीं करता था सब खरीदने वाले से और बेचचने वाले से इन्फारमेशन मांगते थे जिसके चलते कभी-कभी उनकी गलती होती थी तो कभी-कभी इनकी गलती होती थी। यह सिस्टम अपने आप जेनरेट कर ले इस उद्देश्य से यह व्यवस्था लायी गयी है। यह औपचारिक है इसमें पॉलिसी मैटर इन्वाल्व नहीं है। केवल सुविधा की दृष्टि से, सरलीकरण की दृष्टि से इसको लाया गया है और हम समझते हैं कि इसको बिना किसी विरोध के पास हो जाना चाहिए।

श्री अधिष्ठाता-

मा0 सदस्य, क्या आप अपना प्रस्ताव वापस लेंगी ?

श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना'-

नहीं मान्यवर।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

यह सिर्फ सरलीकरण का है।

श्री उमाशंकर सिंह-

मा0 अधिष्ठाता महोदय, मेरा केवल यह सब्मिशन है कि मैं मान लेता हूँ कि संसदीय कार्य मंत्री जी ने इसमें यह जिक्र किया कि इसको हम फिर संशोधन करके ले आये हैं लेकिन मुझे लगता है कि जब यह इसके पहले लागू हुआ था।

श्री अधिष्ठाता-

मा0 सदस्य, मा0 मंत्री जी का जवाब आ गया है। इसके बाद आप यह बता दें कि आपको प्रस्ताव वापस लेना है या फिर मैं विचार के लिए सदन के सामने रखूं।

श्री उमाशंकर सिंह-

मा0 अधिष्ठाता महोदय, जब बात आती है तो उसके बारे में मा0 मंत्री जी जो बिल लेकर आते हैं तो उसके बारे में बताते हैं।

श्री अधिष्ठाता-

मा0 मंत्री जी की बात आ गयी है उन्होंने बता दिया है कि यह केवल सरलीकरण है।

श्री उमाशंकर सिंह-

मा0 अधिष्ठाता महोदय मेरा केवल यह कहना है कि अगर इसमें कोई जल्दबाजी न हो तो हम इसको और परिपक्व कर लें, हम इसके विरोधी तो नहीं हैं। हम केवल एक महीने का समय मांग रहे हैं कि इसको प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय और मा0 मंत्री जी इसमें सदस्य भी नामित कर लेंगे।

श्री अधिष्ठाता-

ठीक है, अब हम प्रश्न उपस्थित करते हैं।

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2022 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाये जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया तथा अस्वीकृत हुआ)

(इसी मध्य 02 बजकर 16 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2022 पर विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया तथा स्वीकृत हुआ)

खण्ड-2 से खण्ड-15 तक तथा खण्ड-1 प्रस्तावना व शीर्षक

उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2022

उत्तर प्रदेश माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के तिहत्तरवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1-(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2022 कहा जायेगा।

(2) इस अधिनियम में अन्यथा उपबंधित के सिवाय,-

(क) इस अधिनियम की धारा 1, तारीख 30 मार्च, 2022 से प्रवृत्त होगी।

(ख) इस अधिनियम के अन्य उपबंध, उस तारीख को प्रवृत्त होंगे जैसा कि राज्य सरकार गजट में अधिसूचना द्वारा नियत करे:

परंतु यह कि इस अधिनियम के भिन्न-भिन्न उपबंधों के लिए भिन्न-भिन्न तारीखें नियत की जा सकती हैं।

धारा 16 का संशोधन

2-उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है) में, धारा 16 में, -

(क) उप-धारा (2) में,--

(i) खंड (ख) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात्:

"(खक) धारा 38 के अधीन ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को संसूचित उक्त पूर्ति के संबंध में इनपुट कर प्रत्यय का विवरण निरवंधित नहीं किया गया है;"

(ii) खंड (ग) में, शब्द, अंक और अक्षर "या धारा 43क" निकाल दिये जायेंगे;

(ख) उप-धारा (4) में, शब्द और अंक "सितम्बर मास के लिए धारा 39 के अधीन विवरणी के दिये जाने की देय तारीख" के स्थान पर, शब्द " तीस नवम्बर" रख दिये जायेंगे।

धारा 29 का संशोधन

3-मूल अधिनियम की धारा 29 में, उप-धारा (2) में,--

(क) खंड (ख) में, शब्द "तीन क्रमवर्ती कर अवधियों तक विवरणी " के स्थान पर, शब्द "उक्त विवरणी प्रस्तुत किये जाने की देय तारीख से तीन माह से अधिक की वित्तीय वर्ष की विवरणी " रख दिये जायेंगे;

(ख) खंड (ग) में, शब्द "लगातार छह मास की अवधि" के स्थान पर, शब्द "ऐसी निरंतर कर अवधि जैसी विहित की जाये" रख दिये जाएंगे।

धारा 34 का संशोधन

4-मूल अधिनियम की धारा 34 में, उपधारा (2) में, शब्द "सितम्बर मास " के स्थान पर, शब्द "तीस नवम्बर" रख दिये जायेंगे।

धारा 37 का संशोधन

5-मूल अधिनियम की धारा 37 में,--

(क) उप-धारा (1) में, -

(i) शब्द "इलेक्ट्रॉनिक रूप में" के पश्चात्, शब्द "ऐसी शर्तों और निर्बंधनों के अध्यधीन और" बढ़ा दिये जाएंगे;

(ii) शब्द "उक्त पूर्तियों के प्राप्तकर्ता को ऐसी समयावधि के भीतर और ऐसी रीति में, जो विहित की जाये, संसूचित किये जायेंगे", के स्थान पर शब्द " उक्त पूर्तियों के प्राप्तकर्ता को ऐसी शर्तों और निर्बंधनों के अध्यधीन, ऐसी समयावधि के भीतर और ऐसी रीति में, जो विहित की जाये, संसूचित किये जायेंगे" रख दिये जायेंगे;

(iii) प्रथम परंतुक निकाल दिया जाएगा;

(iv) द्वितीय परंतुक में, शब्द "परंतु यह और कि" के स्थान पर, शब्द "परंतु यह कि" रख दिये जायेंगे;

(v) तृतीय परंतुक में, शब्द "परंतु यह और भी कि" के स्थान पर, शब्द "परंतु यह और कि" रख दिये जायेंगे;

(ख) उप-धारा (2) निकाल दिया जाएगा;

(ग) उप-धारा (3) में,--

(i) शब्द और अंक "और जो धारा 42 या धारा 43 के अधीन बे-मिलान रह गये हैं" निकाल दिये जायेंगे;

(ii) पहले परंतुक में, शब्द और अंक "सितंबर मास के लिए धारा 39 के अधीन विवरणी देने" के स्थान पर, शब्द "तीस नवंबर" रख दिये जायेंगे;

(घ) उप-धारा (3) के पश्चात्, निम्नलिखित उप-धारा बढ़ा दी जायेगी अर्थात्:--

"(4) किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को उप-धारा (1) के अधीन किसी कर अवधि के लिए जावक पूर्तियों का ब्यौरा प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी जाएगी, यदि उसके द्वारा किसी पूर्ववर्ती कर अवधि के लिए जावक पूर्तियों का ब्यौरा न दिया गया हो:

परंतु यह कि सरकार, परिषद की सिफारिशों पर, अधिसूचना द्वारा, उसमें यथा विनिर्दिष्ट ऐसी शर्तों और निर्बंधनों के अध्यधीन, किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति या रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के वर्ग को उप-धारा के (1) के अधीन जावक पूर्तियों का ब्यौरा प्रस्तुत करने की अनुमति दे सकती है भले ही उसने पिछली एक या अधिक कर अवधियों के लिए जावक पूर्ति का ब्यौरा न दिया हो।"

धारा 38 के स्थान पर नई धारा का रखा जाना

६.-मूल अधिनियम की धारा 38 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जाएगी, अर्थात्:-

"38-(1) रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों द्वारा धारा 37 की उप-धारा (1) के अधीन प्रस्तुत

आवक पूर्ति के ब्यौरे तथा इनपुट कर प्रत्यय की संसूचना

आवक पूर्तियों और ऐसी अन्य पूर्तियों, जो विहित की जायें, के ब्यौरे तथा इनपुट कर प्रत्यय के ब्यौरा से अन्तर्विष्ट स्वतःजनित विवरण, ऐसी पूर्तियों के प्राप्तकर्ताओं को इलेक्ट्रॉनिक रूप से, ऐसे प्रपत्र में और रीति से, ऐसे समय के भीतर, और ऐसी शर्तों तथा निर्बंधनों के अध्यधीन जैसा कि विहित किया जाय, उपलब्ध कराये जायेंगे ।

(2) उप-धारा (1) के अधीन स्वतःजनित विवरण में निम्नलिखित ब्यौरे होंगे ,-

(क) आवक पूर्तियों का ब्यौरा जिसके संबंध में इनपुट कर प्रत्यय, प्राप्तकर्ता को उपलब्ध हो सकता है; और

(ख) पूर्तियों का ब्यौरा जिनके संबंध में धारा 37 की उप-धारा (1) के अधीन प्रस्तुत की जा रही उक्त पूर्तियों के ब्योरा के कारण, प्राप्तकर्ता द्वारा पूर्णतः या आंशिक रूप से ऐसे प्रत्यय का उपभोग नहीं किया जा सकता है,-

(i) किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा रजिस्ट्रीकरण ग्रहण करने की यथा विहित अवधि के भीतर; या

(ii) किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा, जिसने कर संदाय में चूक की हो और जहां ऐसी चूक यथा विहित अवधि तक जारी हो; या

(iii) किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा उक्त उपधारा के अधीन प्रस्तुत आवकपूर्तियों के विवरण के अनुसार, यथा विहित अवधि के दौरान, संदेय आउटपुट कर, उक्त अवधि के दौरान उसके द्वारा संदत्त आउटपुट कर से, यथा विहित सीमा से अधिक हो; या

(iv) किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा, यथा विहित अवधि के दौरान उस धनराशि के इनपुट कर प्रत्यय जो उसके द्वारा खंड (क) के अनुसार उपभोग किया जा सकता है, यथा विहित सीमा से अधिक क्रेडिट प्राप्त किया हो; या

(v) किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा, जिसने यथा विहित शर्तों एवं निर्बंधनों के अध्यधीन धारा 49 की उप-धारा (12) के उपबंधों के अनुसार अपनी कर देयता का निर्वहन करने में चूक की हो; या

(vi) यथा विहित अन्य वर्ग के व्यक्तियों द्वारा ।"

धारा 39 का संशोधन

७.-मूल अधिनियम की धारा 39 में,-

(क) उप-धारा (5) में, शब्द "बीस" के स्थान पर, शब्द "तेरह" रख दिया जाएगा;

(ख) उप-धारा (7) में, प्रथम परंतुक के स्थान पर निम्नलिखित परंतुक रख दिया जाएगा, अर्थात:-

"परंतु यह कि उप-धारा (1) के परंतुक के अधीन विवरणी प्रस्तुत करने वाला प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति सरकार को यथा विहित प्रपत्र में तथा रीति से एवं समय के भीतर संदाय करेगा, -

(क) किसी माह के दौरान माल या सेवाओं या दोनों की आवक तथा जावकपूर्तियों, उपभुक्त इनपुट कर प्रत्यय, संदेय कर और ऐसी अन्य विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए देय कर के बराबर धनराशि; या

(ख) खंड (क) में निर्दिष्ट धनराशि के बदले में, यथा विहित रीति से और शर्तों एवं निर्बंधनों के अध्यधीन अवधारित धनराशि;"

(ग) उप धारा (9) में, --

(i) शब्द और अंक "धारा 37 और 38 के उपबंधों के अध्यधीन यदि" के स्थान पर, शब्द "जहां" रख दिया जाएगा;

(ii) परंतुक में, शब्द "सितम्बर मास के लिए या वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात् दूसरी तिमाही के लिए" के स्थान पर, शब्द " तीस नवम्बर" रख दिये जाएंगे;

(घ) उप-धारा (10) में, शब्द "नहीं दी गयी है" के स्थान पर, निम्नलिखित शब्द रख दिये जायेंगे, अर्थात्:-

"या उसके द्वारा उक्त कर अवधि के लिए धारा 37 की उप-धारा (1) के अधीन जावक पूर्तियों का ब्यौरा नहीं दिया गया है:

परंतु यह कि सरकार, परिषद की सिफारिशों पर, अधिसूचना द्वारा, यथाविनिर्दिष्ट शर्तों और निर्बंधनों के अध्यधीन, किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति या रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के वर्ग को विवरणी प्रस्तुत करने की अनुमति दे सकती है भले ही उसने एक या उससे अधिक पूर्व कर अवधियों की विवरणी प्रस्तुत न की हो या उक्त कर अवधि के लिए धारा 37 की उप-धारा (1) के अधीन जावक पूर्तियों का ब्यौरा प्रस्तुत न किया हो।"

धारा 41 के स्थान पर नई धारा का रखा जाना

8-मूल अधिनियम की धारा 41 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जाएगी, अर्थात्:-

"41-(1) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, यथा विहित शर्तों और निर्बंधनों के अध्यधीन, अपनी कर विवरणी में स्वत: निर्धारित उपयुक्त इनपुट कर प्रत्यय का उपभोग करने का हकदार होगा, और ऐसी धनराशि उसके इलेक्ट्रॉनिक प्रत्यय खाते में जमा की जाएगी।

इनपुट कर प्रत्यय की प्राप्ति

(2) उप-धारा (1) के अधीन किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा, माल या सेवाओं या दोनों की ऐसी पूर्तियों के संबंध में उपभुक्त इनपुट कर प्रत्यय, जिन पर संदेय कर पूर्तिकर्ता द्वारा संदत्त न किया गया हो, उक्त व्यक्ति द्वारा यथाविहित रीति से लागू ब्याज सहित प्रतिवर्तित कर दिया जाएगा, :

परंतु यह कि जहां उक्त पूर्तिकर्ता पूर्वोक्त पूर्तियों के संबंध में संदेय कर का संदाय करता है वहां उक्त रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति अपने द्वारा प्रतिवर्तित प्रत्यय की धनराशि का पुन:उपभोग यथाविहित रीति से कर सकता है"।

धारा 42, 43 और 43क का निकाला जाना

9-मूल अधिनियम की धाराएं 42, 43 और 43क निकाल दी जायेंगी।

धारा 47 का संशोधन

10-मूल अधिनियम की धारा 47 में, उप-धारा (1) में, -

(क) शब्द "या अंतर्गामी" निकाल दिया जाएगा;

(ख) शब्द और अंक "या धारा 38" निकाल दिये जाएंगे;

(ग) शब्द और अंक "धारा 39 या धारा 45" के पश्चात्, शब्द और अंक "या धारा 52" बढ़ा दिये जाएंगे।

धारा 48 का संशोधन

11-मूल अधिनियम की धारा 48 में,उप-धारा (2) में, शब्द और अंक "धारा 38 के अधीन अंतर्गामी पूर्तियों के ब्यौरे" निकाल दिये जाएंगे।

धारा 49 का संशोधन

12-मूल अधिनियम की धारा 49 में,-

(क) उप-धारा (2) में, शब्द, अंक और अक्षर "या धारा 43 क" निकाल दिये जायेंगे;

(ख) उप-धारा (4) में, शब्द "ऐसी शर्तों" के पश्चात् शब्द "और निर्बंधन" बढ़ा दिये जाएंगे;

(ग) उप-धारा (11) के, पश्चात् निम्नलिखित उप-धारा बढ़ा दी जाएगी, अर्थात्:-

"(12) इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, सरकार, परिषद की सिफारिशों पर, यथाविहित शर्तों और निर्बंधनों के अध्यधीन, इस अधिनियम के अधीन आउटपुट कर देयता का यथाविहित अधिकतम अनुपात विनिर्दिष्ट कर सकती है जिसका निस्तारण, किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति या रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के किसी वर्ग द्वारा इलेक्ट्रॉनिक प्रत्यय खाते के माध्यम से किया जा सकता है।"

धारा 50 का संशोधन

13-मूल अधिनियम की धारा 50 में, उप-धारा (3) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-धारा रख दी जायेगी और 1 जुलाई, 2017 से रखी गयी समझी जायेगी, अर्थात्:-

"(3) जहां इनपुट कर प्रत्यय का उपभोग और उपयोग गलत तरीके से किया गया हो वहां रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को ऐसे गलत तरीके से उपभुक्त और उपयोग कृत इनपुट कर प्रत्यय पर अनधिक चौबीस प्रतिशत दर, जैसा कि परिषद की सिफारिशों पर सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाय, से ब्याज का संदाय करना होगा, और ब्याज की गणना ऐसी रीति से की जायेगी जैसा कि विहित किया जाये।

धारा 52 का संशोधन

14-मूल अधिनियम की धारा 52 में, उप-धारा (6) के परंतुक में, शब्द "सितम्बर मास का विवरण प्रस्तुत करने के लिये सम्यक तारीख" के स्थान पर, शब्द " तीस नवम्बर" रख दिये जायेंगे।

धारा 54 का संशोधन

15-मूल अधिनियम की धारा 54 में ,--

(क) उप-धारा (1) के परंतुक में, शब्द और अंक "धारा 39 के अधीन प्रस्तुत विवरणी में ऐसे प्रतिदाय" के स्थान पर, शब्द "ऐसे प्ररुप और" रख दिये जायेंगे;

(ख) उप-धारा (2) में, शब्द "छह मास" के स्थान पर, शब्द "दो वर्ष" रख दिये जाएंगे;

(ग) उप-धारा (10) में, शब्द, कोष्ठक और अंक "उप-धारा (3) के अधीन" निकाल दिये जाएंगे;

(घ) स्पष्टीकरण में, खंड (2) में, उपखंड (ख) के पश्चात् निम्नलिखित उपखंड बढ़ा दिया जाएगा, अर्थात्:-

"(ख क) किसी विशेष आर्थिक परिक्षेत्र विकासकर्ता या किसी विशेष आर्थिक परिक्षेत्र इकाई को माल या सेवाओं या दोनों की शून्य-दर वाली पूर्ति के मामले में, जहाँ स्वयं ऐसी पूर्तियों या ऐसी पूर्तियों में प्रयुक्त यथास्थिति इनपुटों या इनपुट सेवाओं के संबंध में संदत्त कर प्रति संदाय उपलब्ध हो वहाँ ऐसी पूर्तियों के संबंध में धारा 39 के अधीन विवरणी प्रस्तुत किये जाने की नियत तारीख;"।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 से खण्ड-15 तक तथा खण्ड-1 प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायें ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया तथा स्वीकृत हुआ)

श्री मयंकेश्वर शरण सिंह-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2022 पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2022 पारित किया जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया तथा स्वीकृत हुआ)

सामान्य भविष्य निधि (उत्तर प्रदेश) नियमावली, 1985, नियम-12 (संशोधन और विधिमान्यकरण) विधेयक, 2022[†]

[*]संसदीय कार्य, चिकित्सा शिक्षा, पविार कल्याण, मातृ एवं शिशु कल्याण राज्य मंत्री (श्री मयंकेश्वर शरण सिंह)-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूँ कि सामान्य भविष्य निधि (उत्तर प्रदेश) नियमावली, 1985, नियम-12 (संशोधन और विधिमान्यकरण) विधेयक, 2022 पर विचार किया जाय ?

[†] छापा नहीं गया।

[*] वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री उमाशंकर सिंह-

मा0 अधिष्ठाता महोदय, सामान्य भविष्य निधि (उत्तर प्रदेश) नियमावली, 1985, नियम-12 (संशोधन और विधिमान्यकरण) विधेयक, 2022 को इस सदन के प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के भीतर सदन में प्रस्तुत करे। मैं चाहूंगा कि इसके बारे में मा0 मंत्री जी हम सबको समझाव दें।

***श्री माता प्रसाद पाण्डेय-**

जब कोई विधेयक आप प्रस्तुत करें तो उसके बारे में कुछ बता भी दिया करें, बहुत से लोग ऐसे हैं जो विधेयक को पढ़ के नहीं आते हैं तो उनको जानकारी मिल जाये।

वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, यह सामान्य भविष्य निधि (उत्तर प्रदेश) नियमावली, 1985 में संशोधन का मामला है। इसमें पहले यह व्यवस्था थी कि 3 साल तक सामान्य भविष्य निधि से कोई किसी भी प्रकार का विड्रा नहीं करेगा तो उसको एक प्रतिशत बोनस दिया जायेगा। लेकिन बाद में यह व्यवस्था समाप्त कर दी गयी थी। जब समाप्त की गयी तो शासनादेश से की गयी थी इसलिए इसे बिल के ऊपर लाया गया है, यह टेक्निकल है और अब इसको नियम बनाया जा रहा है।

श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना'-

इसमें यह व्यवस्था थी कि यदि तीन वर्ष तक अगर सामान्य भविष्य निधि को नहीं निकालोगे तो उसमें 1 प्रतिशत इन्सेंटिव दिया जायेगा लेकिन इस अध्यादेश को आने के बाद यह इस व्यवस्था भी खत्म हो जायेगी। मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी, ने इस पर स्पष्ट नहीं बताया है। इसमें यह भी नियम था कि एक प्रतिशत फण्ड निकालने के बाद यदि सरकार रोकती है तो उनको कोर्ट जाने का भी प्रोविजन था। यह दोनों जो इसमें प्रोविजन दिये गये थे उसको समाप्त कर दिया गया है तो मैं यह मांग करती हूँ कि यह मामला हमारे गवर्नमेन्ट वर्कर से जुड़ा हुआ है और उनकी पूरी जिन्दगी की कमाई सामान्य भविष्य निधि में होती है। मा0 अध्यक्ष जी, इस पर इतनी जल्दी और इतना बड़ा निर्णय ले लेना पूरी तरह से व्यवस्था के खिलाफ होगा। मैं आपके माध्यम से अनुरोध करूंगी कि इसको प्रवर समिति को भेजा जाये और इस पर चर्चा होनी चाहिए और इसको दोबारा से अपील करने का जो कोर्ट जाने का प्रोविजन था उसको वापस लाया जाये।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष-

मा0 मंत्री जी, बतायें।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मा0 अध्यक्ष जी, यह केवल औपचारिक है और इसको पास किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि सामान्य भविष्य निधि (उत्तर प्रदेश) नियमावली, 1985, नियम-12 (संशोधन और विधिमान्यकरण) विधेयक, 2022 को एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के भीतर प्रस्तुत करेगी।

(प्रश्न उपस्थित किया गया तथा अस्वीकृत हुआ)

खण्ड-2 से खण्ड-3 तक तथा खण्ड-1 प्रस्तावना व शीर्षक

सामान्य भविष्य निधि (उत्तर प्रदेश) नियमावली, 1985–नियम 12
(संशोधन और विधिमान्यकरण) विधेयक, 2022

सामान्य भविष्य निधि (उत्तर प्रदेश) नियमावली, 1985 के नियम 12 का संशोधन करने और तद्धीन या तद्सम्बन्ध में कृत कतिपय कार्यवाहियों का विधिमान्यकरण करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के तिहत्तरवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1–(1) यह अधिनियम सामान्य भविष्य निधि (उत्तर प्रदेश) नियमावली, 1985–नियम 12 (संशोधन और विधिमान्यकरण) अधिनियम, 2022 कहा जायेगा।

(2) यह दिनांक 4 अगस्त, 2022 से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

सामान्य भविष्य निधि (उत्तर प्रदेश) नियमावली, 1985 के नियम 12 का संशोधन

2–समय–समय पर यथा संशोधित सामान्य भविष्य निधि (उत्तर प्रदेश) नियमावली, 1985 (जिसे आगे उक्त नियमावली कहा गया है) का नियम 12 निकाल दिया जायेगा और उसे दिनांक 1 अप्रैल, 1986 से निकाला गया समझा जायेगा।

विधिमान्यकरण

3–किसी न्यायालय के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश के होते हुए भी सामान्य भविष्य निधि (उत्तर प्रदेश) नियमावली, 1985–नियम 12 (संशोधन और विधिमान्यकरण) अधिनियम, 2022 के प्रारम्भ होने के पूर्व शासनादेश संख्या सा–4–जी0आई0–28/दस–86–59–81, दिनांक 5 जुलाई, 1986 के पैरा–2 के प्रथम वाक्य के उपबन्ध के अधीन या उसके निबन्धनों के अनुसार उक्त नियम के सम्बन्ध में कृत या की गयी तात्पर्यित कोई बात और कृत या की गयी तात्पर्यित कोई कार्यवाही, सामान्य भविष्य निधि (उत्तर प्रदेश) नियमावली, 1985–नियम 12 (संशोधन और विधिमान्यकरण) अधिनियम, 2022 द्वारा यथा संशोधित सामान्य भविष्य निधि (उत्तर प्रदेश) नियमावली, 1985 के उक्त नियम 12 के अधीन या तत्सम्बन्ध में किये जाने हेतु और सदैव से कृत या की गयी समझी जायेगी और वह उतनी ही विधिमान्य होगी तथा सदैव विधिमान्यकृत समझी जायेगी मानों इस अधिनियम के उपबन्ध दिनांक 1 अप्रैल, 1986 से समस्त सारवान समयों पर प्रवृत्त थे।

निरसन और व्यावृत्ति

4–(1) सामान्य भविष्य निधि (उत्तर प्रदेश) नियमावली, 1985–नियम 12 (संशोधन और विधिमान्यकरण) अध्यादेश, 2022 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है। उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 6 सन् 2022

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित सामान्य भविष्य निधि (उत्तर प्रदेश) नियमावली, 1985 के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या की गयी कोई कार्यवाही, इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित पूर्वोक्त नियमावली के सह प्रत्यर्थी उपबन्धों के अधीन कृत या की गयी समझी जायेगी मानों इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान समयों में प्रवृत्त थे।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 से खण्ड-4 तक तथा खण्ड-1 प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायें ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया तथा स्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष-

मद संख्या-74

श्री मयंकेश्वर शरण सिंह-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूँ कि सामान्य भविष्य निधि (उत्तर प्रदेश) नियमावली, 1985, नियम-12 (संशोधन और विधिमान्यकरण) विधेयक, 2022 पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि सामान्य भविष्य निधि (उत्तर प्रदेश) नियमावली, 1985, नियम-12 (संशोधन और विधिमान्यकरण) विधेयक, 2022 पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

[02:19] इण्टरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) अध्यादेश-2022 के अननुमोदन का संकल्प

श्री माता प्रसाद पाण्डेय-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूँ कि यह सदन इण्टरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) अध्यादेश-2022 का अनुमोदन करता है। मान्यवर, यह मेरी समझ में नहीं आया कि जिस तरह से अधिनियम में संशोधन किया जा रहा है उसका लाभ किसको मिलने वाला है। आपने इसें कहा है कि 'इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, 1921 की धारा-7 की उपधारा (4) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी, अर्थात् अपनी परीक्षाओं के प्रयोजनों के लिए राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन के पश्चात् नवीन स्ववित्तपोषित हाई स्कूलों तथा इण्टरमीडिएट कालेजों को मान्यता प्रदान किया जाना, परन्तु यह कि इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी-उत्तर प्रदेश हाई स्कूल तथा इण्टरमीडिएट कालेज (अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों के वेतन का भुगतान) अधिनियम, 1971 या उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग और चयन बोर्ड अधिनियम, 1982 की कोई बात, इस उपधारा के अधीन मान्यता प्राप्त किसी नवीन स्व-वित्तपोषित विद्यालय के सम्बन्ध में लागू नहीं होगी।' इसमें जो आपका एक्ट था उसमें आपने बाधित कर दिया कि स्ववित्तपोषित स्कूलों में उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग और चयन बोर्ड अधिनियम, 1982 उसका किसी प्रकार से इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं होगा, वह कोई दखल नहीं देंगे या किसी प्रकार के परिवर्तन की बात नहीं करेंगे। तीसरा, इण्टरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) अध्यादेश, 2022 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है। ऐसे निरसन के होते हुए भी उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या की गई कोई कार्यवाही, इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के सह प्रत्यर्थी उपबन्धों के अधीन कृत या की गई समझी जायेगी मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान समयों में प्रवृत्त थे। मान्यवर, इस संशोधन के माध्यम से एक तरह से नया स्ववित्तपोषित स्कूल खोलने की सुविधा दी जा रही है। आप जानते हैं कि स्ववित्तपोषित स्कूल खोलना किसी साधारण आदमी के बस की बात नहीं है। आज बड़ी-बड़ी कम्पनियां अपने स्ववित्तपोषित स्कूल खोलना चाहती हैं, लेकिन वह अपने स्तर से फीस का निर्धारण करती हैं और इसे आपके अधीन नहीं मानती हैं। प्रदेश में इस समय तमाम स्ववित्तपोषित कान्वेण्ट और नर्सरी टाइप के स्कूल चल रहे हैं उनमें फीस का निर्धारण आपके अनुसार नहीं होता है। मैंने खण्डशः संशोधन दिया था जो इसमें छपा नहीं है। मैंने कहा था कि इस संशोधन को किया जाये लेकिन इसमें जो फीस हो वह सरकारी स्कूलों से ज्यादा ना ली जाये। अगर स्ववित्तपोषित स्कूल सरकारी स्कूलों की तरह फीस लें तो उसमें गरीबों को भी पढ़ने का मौका मिलेगा। अब बड़ी-बड़ी कम्पनियां दूसरा व्यवसाय छोड़कर शिक्षा का भी व्यवसायीकरण करने आई हैं।

माननीय अध्यक्ष जी, आप भी जानते हैं कि कानपुर में भी ऐसे बड़े-बड़े स्कूल हैं। मुझे एक बार जयपुरिया स्कूल वालों ने बुलाया था तो मैंने उनसे पूछ लिया कि आप फीस कितनी लेते हो तो उन्होंने बताया प्रतिमाह 6000 या उससे अधिक फीस लेते हैं, तो मैंने कहा कि जब आप इतनी फीस लेते हो तो आपने मुझे बुलाया ही क्यों। तो दूसरी बार उसने मुझे बुलाया भी नहीं। उसने कहा कि आप फीस के मामले में हमारी आलोचना करके जा रहे हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप कोई भी स्कूल खुलवाईये इसमें आपको किसी प्रकार की अनुमति देने की जरूरत नहीं है। पूर्व में भी यह अनुमति लेकर खोलते थे, सेण्टर बनाते थे इसमें आप यह करें कि इस पर अपना भी कुछ नियम लागू करें। मेरा संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत करने का एकमात्र यही मकसद है। मैं भी चाहता हूँ कि स्कूल खुले और चले लेकिन उसमें गरीब बच्चों को भी पढ़ने को मिले। जब यह स्थिति है तो फिर कौन बच्चा कान्वेण्ट स्कूल में पढ़ पायेगा ? मेरे एक मित्र हैं उन्होंने बताया कि जनपद सीतापुर में एक स्कूल है वहां पर कक्षा-1 की पढ़ाई के लिए दस हजार रुपये और पन्द्रह हजार रुपये प्रतिमाह फीस पड़ती है। आप बतायें कि क्या यह स्कूल गरीबों के लिए हैं। आपको गरीबों के हितों को ध्यान में रखना चाहिए। दो प्रकार की शिक्षा नहीं होनी चाहिए। एक लड़का जो पन्द्रह हजार की फीस देगा वह कम्प्यूटर से पढ़ेगा और हमारे यहां का लड़का जब सरकारी स्कूल में जायेगा तो आप जो मुफ्त किताब देंगे उससे पढ़ेगा। दोनों के इन्टेलीजेंस में और दोनों की पढ़ाई में फर्क पड़ जायेगा। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि शिक्षा की समानता पर आप ध्यान दीजिये ताकि गरीब भी कुछ शिक्षा पा जाये। आपने कानून बना दिया कि जितने कान्वेन्ट और प्राइवेट स्कूल हैं उसमें कुछ प्रतिशत आप गरीब बच्चों को भी पढ़ाया जाये, लेकिन उनको क्या कोई पढ़ाता है ? आपका शिक्षा विभाग उनको बार-बार नोटिस देता है लेकिन कोई उनकी बात नहीं मानता है। मेरा बस इतना कहना है और आपके इस कानून का विरोध करने का मेरा और कोई उद्देश्य नहीं था।

*** माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्रीमती गुलाब देवी)-**

मा0 अध्यक्ष जी, हमारी सरकार शिक्षा के प्रति और चिकित्सा के प्रति पूर्ण रूप से संवेदनशील है। मा0 सदस्य ने जो कुछ भी कहा है यदि इसमें कहीं कोई गुंजाइश है कि सुधार की आवश्यकता है तो निश्चित रूप से इस पर विचार किया जायेगा।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि यह सदन इण्टरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) अध्यादेश-2022 का अननुमोदन करता है ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

इण्टरमीडिएट शिक्षा (संशोधन विधेयक) 2022

***माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्रीमती गुलाब देवी)-**

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से यह प्रस्ताव करती हूँ कि इण्टरमीडिएट शिक्षा (संशोधन विधेयक) 2022 पर विचार किया जाये।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय-

मा0 मंत्री जी विधेयक के बारे में कुछ बताइये।

श्रीमती गुलाब देवी-

मा0 अध्यक्ष जी, जो हम विधेयक लेकर आये हैं हमारा यही उद्देश्य है कि सभी बच्चों के लिए समान रूप से शिक्षा की प्राप्ति हो कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे। उनके लिए शिक्षा की व्यवस्था पूरी तरह से की जाये।

***श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना'-**

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से यह प्रस्ताव करती हूँ कि इण्टरमीडिएट शिक्षा (संशोधन विधेयक) 2022 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाये जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे। मा0 अध्यक्ष जी, माध्यमिक शिक्षा हमारी पूरी शिक्षा व्यवस्था की एक मध्य कड़ी है। बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी है। जैसे 1987 में 7-क जो नियम आया उसमें विद्यालयों को मान्यता नहीं दी जाती थी। उसमें विषय और वर्गों को मान्यता दी जाती थी और वही लम्बे समय तक चलता आया। इसका सबसे बड़ा नुकसान शिक्षकों को झेलना पड़ा। उसमें पूर्णकालिक शिक्षक होते थे जो सरकारी कर्मचारी होते थे और अंशकालिक शिक्षक होते थे जो वित्त विहीन या सहायता प्राप्त विद्यालय होते थे। वर्ष 2018 में कोर्ट ने यह निर्देश दिया कि इस वर्ग को सभी को मान्यता मिल जाये। परन्तु गम्भीर विषय यह है कि वर्ष 2018-2022 तक अभी तक पिछले 4 वर्षों में किसी भी नये विद्यालय को मान्यता सरकार नहीं दे पायी है। यह बड़ा गम्भीर विषय है क्योंकि अगर नये विद्यालय नहीं खुलेंगे तो शिक्षा व्यवस्था चरमरा जायेगी। मेरा इसमें अनुरोध है कि 2001 में तब भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार थी उस समय एक संशोधन तत्कालीन मुख्य मंत्री जी लेकर आये थे और उन्होंने यह कहा था कि इसकी एक नियमावली बने लेकिन उस नियमावली का अनुपालन अभी तक नहीं हो पाया है। जो नया संशोधन विधेयक आ रहा है इस पूरे विधेयक में जो वित्त विहीन और सहायता प्राप्त विद्यालय के शिक्षक हैं उनकी समस्या दूर नहीं हो पायी है। मेरा अनुरोध है कि सेवा शर्तों को भी इसमें लिया जाये और उनका न्यूनतम वेतन भी तय कर दिया जाये और एक गम्भीर बात है कि जो सरकार यह संशोधन लायी है कि सरकार नये विद्यालयों को मान्यता देगी उसमें जो जमीन की आवश्यकता पहले थी उसकी परिधि को और बढ़ा दिया है।

मान्यवर, इसका मतलब है कि नये विद्यालयों को खोलने के लिये ज्यादा जमीन चाहिये। यह भी एक विषय है क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं कि आज जमीन का क्या मूल्य है। और

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

दूसरी बात यह है कि पहले विद्यालयों की मान्यता के लिये पांच हजार से लेकर पचास हजार रुपये फीस थी लेकिन उसको बढ़ाकर पांच लाख कर दिया गया है। इन सारे संशोधनों को इसमें लाना चाहिये क्योंकि यह बहुत ही महत्वपूर्ण बिल है। इसलिये इसको प्रवर समिति को भेजा जाए, इस पर गहन चिन्तन होना चाहिये क्योंकि यह मेरा देश एवं प्रदेश के बच्चों के भविष्य से जुड़ा हुआ है। इसलिये इसको प्रवर समिति को भेजा जाए।

श्री अध्यक्ष-

मा0 मंत्री जी आप कुछ कहेंगी।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय-

मान्यवर, अब क्या कहेंगी मंत्री जी, पास कराईये।

श्री अध्यक्ष-

अभी तो पहले प्रश्न आयेगा।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, स्वयं मा0 मंत्री जी को जानकारी ही नहीं है।

श्री अध्यक्ष-

अरे, जानकारी है।

मैं प्रस्ताव करता हूं कि इण्टरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) विधेयक, 2022 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि इण्टरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) विधेयक, 2022 पर विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड-2से खण्ड-4 तक तथा खण्ड-1 प्रस्तावना व शीर्षक

इण्टरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) विधेयक, 2022

इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, 1921 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के तिहत्तरवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

1-(1) यह अधिनियम इण्टरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) अधिनियम, 2022 कहा जायेगा। संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

(2) यह दिनांक 6 सितम्बर, 2022 से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2 सन् 1921 की धारा 7 का संशोधन

2–इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, 1921 की धारा 7 की उपधारा (4) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी, अर्थात् –

"अपनी परीक्षाओं के प्रयोजनों के लिये राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन के पश्चात् नवीन स्व–वित्तपोषित हाईस्कूलों तथा इण्टरमीडिएट कालेजों को मान्यता प्रदान किया जाना :

परन्तु यह कि इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी,–

उत्तर प्रदेश हाईस्कूल तथा इण्टरमीडिएट कालेज (अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों के वेतन का भुगतान) अधिनियम, 1971 या उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग और चयन बोर्ड अधिनियम, 1982 की कोई बात, इस उपधारा के अधीन मान्यता प्राप्त किसी नवीन स्व-वित्तपोषित विद्यालय के सम्बन्ध में लागू नहीं होगी।"

निरसन और व्यावृत्ति

3–(1) इण्टरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) अध्यादेश, 2022 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है। उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 7 सन् 2022

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या की गयी कोई कार्यवाही, इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित, मूल अधिनियम के सह प्रत्यर्थी उपबन्धों के अधीन कृत या की गयी समझी जायेगी मानों इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान समयों में प्रवृत्त थे।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 से खण्ड-3 तक तथा खण्ड-1 प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायें ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया तथा स्वीकृत हुआ)

***संसदीय कार्य, चिकित्सा शिक्षा, परिवार कल्याण तथा मातृ एवं शिशु कल्याण राज्य मंत्री (श्री मयंकेश्वर शरण सिंह)–**

मा0 अध्यक्ष जी, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि इण्टरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) विधेयक, 2022 पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि इण्टरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) विधेयक, 2022 पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया तथा स्वीकृत हुआ)

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

भार-साधक मंत्री द्वारा ही सदन में प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाने सम्बन्धी व्यवस्था का प्रश्न

***श्री माता प्रसाद पाण्डेय--**

मान्यवर, एक व्यवस्था का सवाल है कि सदन में अपने विभाग का जो भार-साधक मंत्री होता है वही प्रस्ताव प्रस्तुत करता है और वही जवाब देता है। अगर वह किसी कारण से सदन में उपस्थित नहीं है या नहीं कर पा रहे हैं तो भार-साधक मंत्री आपको पत्र लिखेंगे कि फलां मंत्री मेरे स्थान पर जवाब देंगे।

वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, मयंकेश्वर शरण सिंह जी संसदीय कार्य राज्य मंत्री हैं।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय-

मान्यवर, संसदीय कार्य राज्य मंत्री का मतलब नहीं है कि आप बोलें।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, जो आप कह रहे हैं परम्परा यही है। लेकिन नियम जो है, चूंकि संयुक्त उत्तरदायित्व है और संसदीय कार्य राज्य मंत्री हैं। उनको कागज देखने में देर लग गयी इसलिए हमने संसदीय कार्य राज्य मंत्री जी से कह दिया कि आप जल्दी कर दीजिये।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय-

मान्यवर, सवाल यह है कि क्या उन्होंने मा0 अध्यक्ष जी को पत्र लिखकर अनुरोध किया था।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, अगर मा0 मंत्री जी कागज नहीं देख पाये तो हमने जल्दबाजी में कह दिया कि आप पढ़ दीजिये।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय-

मान्यवर, यहां पर संयुक्त जिम्मेदारी का प्रश्न नहीं है लेकिन ठीक है आप जो कह रहे हैं मैंने उसको मान लिया।

श्री अध्यक्ष-

मद संख्या-78 से लेकर मद संख्या-87 तक नियम-103 के अन्तर्गत विभिन्न माननीय सदस्यों के द्वारा संकल्प प्रस्तुत किये जाने हैं।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[02:34] विधान सभा एवं लोक सभा के चुनाव में चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित खर्च सीमा तक चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को मिलने वाले चन्दे की धनराशि पर आयकर की छूट प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में श्री लालजी वर्मा द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत प्रस्ताव पर चर्चा

***श्री लालजी वर्मा-**

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्तुत कर रहा हूँ कि 'यह सदन केन्द्र सरकार से सिफारिश करता है कि विधान सभा एवं लोक सभा के चुनाव में चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित खर्च सीमा तक चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को मिलने वाले चन्दे की धनराशि पर आयकर की छूट प्रदान की जाये।'

श्री अध्यक्ष-

मा0 वर्मा जी चर्चा कर लेंगे लेकिन पहले प्रस्तुत हो जाये।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, चर्चा कर लीजिए, मैं सिर्फ 10 मिनट बोलूंगा।

वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, चुनाव खर्च की सीमा चुनाव आयोग तय करता है हम तय नहीं करते हैं।

यह विषय कम-से-कम इस सदन के सम्बन्ध में नहीं है। चुनाव आयोग ही खर्च की सीमा तय करता है।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, आपने इसे स्वीकार किया है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, केन्द्र सरकार या चुनाव आयोग से सम्बन्धित जो विषय हो उस पर हम कुछ नहीं कह सकते हैं।

श्री लालजी वर्मा-

चुनाव आयोग से सम्बन्धित कोई विषय नहीं है।

श्री अध्यक्ष-

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी सही कह रहे हैं।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

चुनाव में खर्च की सीमा कौन तय करता है ? पहले तय करना है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, ये आपके अधिकार को चुनौती दे रहे हैं, आपने इसे स्वीकार किया है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, हमने कोई चुनौती नहीं दी है, हम बात तो कहेंगे। मान्यवर, चुनाव में खर्चे की सीमा कौन तय करता है, यह बात मा0 सदस्य बता दें।

श्री लालजी वर्मा-

यह बाद की चीज है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्यों ? मान्यवर, आप नियम-103 के अन्तर्गत मद संख्या-78 देख लें।

श्री अध्यक्ष-

मैंने देख लिया है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

यह सदन केन्द्र सरकार से सिफारिश करता है कि विधान सभा एवं लोक सभा के चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित खर्च सीमा। स्पष्ट है कि चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित खर्च सीमा, यह आयोग का ही क्षेत्राधिकार है।

श्री लालजी वर्मा-

हम उस बात को चुनौती नहीं दे रहे हैं। आप नियमों को देखिये।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

हमने सब देख लिया है।

श्री लालजी वर्मा-

आपने कुछ नहीं देखा है, आप बहकी-बहकी बातें न करिये।

श्री अध्यक्ष-

माननीय लालजी वर्मा जी, आप मेरी बात भी सुन लीजिए, मुझे भी कुछ कहने का अधिकार है। आपने प्रस्ताव प्रस्तुत किया, मैंने उसके लिए आपको अवसर दिया। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने जो कहा कि चुनाव आयोग अपने आप में एक संवैधानिक संस्था है, भारत सरकार द्वारा यदि कोई विषय तय किया जाये तो हम उसे रिकमेण्ड कर सकते हैं, लेकिन इसे तय करना गवर्नमेण्ट ऑफ इण्डिया का भी अधिकार क्षेत्र नहीं है, यह चुनाव आयोग का अधिकार क्षेत्र है। आपने इसे प्रस्तुत कर दिया है, अब मैं प्रश्न उपस्थित करता हूँ।

प्रश्न यह है कि यह सदन केन्द्र सरकार से सिफारिश करता है कि विधान सभा एवं लोक सभा के चुनाव में चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित खर्च सीमा तक चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को मिलने वाले चन्दे की धनराशि पर आयकर की छूट प्रदान की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया एवं अस्वीकृत हुआ)

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, यह ज्यादती होगी।

श्री अध्यक्ष-

कोई ज्यादती नहीं है वह यहां का विषय ही नहीं है। जो विषय यहां आया आपने उसका प्रस्तुतीकरण कर दिया और निस्तारण कर दिया। जो विषय आपने रखा उस पर माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने अपना मत रखा और मैंने उस पर वोटिंग करा दी।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, आप नियम देख लीजिए।

श्री अध्यक्ष-

नियम फिर देख लेंगे। कौन-से नियम में है, आप बता दीजिए।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, ये नियम-103 में है।

श्री अध्यक्ष-

नियम-103 में आपने प्रस्तुत किया है। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने स्पष्ट मत दिया कि चुनाव आयोग का विषय है।

श्री लालजी वर्मा-

चुनाव आयोग से इसका कोई तात्पर्य नहीं है।

श्री अध्यक्ष-

बिल्कुल तात्पर्य है। आपने ही लिखा हुआ है चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित खर्च सीमा।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, आयोग से कोई तात्पर्य नहीं है।

श्री अध्यक्ष-

अब हम अगली मद संख्या-79 लेते हैं।

जनपद लखनऊ में गोमती नदी के तटों पर काशी की भांति घाटों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री नीरज बोरा द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रस्ताव पर चर्चा

श्री अध्यक्ष-

आप इसको प्रस्तुत कर दीजिये।

***डॉ0 नीरज बोरा-**

मान्यवर, आपकी अनुमति से यह सदन प्रस्ताव करता है कि जनपद लखनऊ में गोमती नदी के तटों पर काशी की भांति घाटों का निर्माण कराया जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रस्ताव प्रस्तुत किया हुआ माना गया एवं चर्चा जारी रहेगी।

बिना कीटनाशक/रासायनिक खादों से उत्पादित उपज फल, सब्जी, अनाज का उचित मूल्य किसानों को दिलाये जाने हेतु बुन्देलखण्ड की कृषि भूमि की उर्वरा शक्ति को देखते हुए क्षेत्र को प्राकृतिक खेती का हब बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री जवाहर लाल राजपूत द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रस्ताव पर चर्चा

***श्री जवाहर लाल राजपूत-**

मान्यवर, आपकी अनुमति से यह सदन प्रस्ताव करता है कि बिना कीटनाशक/रासायनिक खादों से उत्पादित उपज फल, सब्जी, अनाज का उचित मूल्य किसानों को दिलाये जाने हेतु बुन्देलखण्ड की कृषि भूमि की उर्वरा शक्ति को देखते हुए क्षेत्र को प्राकृतिक खेती का हब बनाया जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रस्ताव प्रस्तुत किया हुआ माना गया एवं चर्चा जारी रहेगी।

जनपद शाहजहांपुर के विधान सभा क्षेत्र कटरा के अन्तर्गत विकास खण्ड खुदागंज के ग्राम रेहरा में बैबहा नदी पर पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री वीर विक्रम सिंह द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रस्ताव पर चर्चा

***श्री वीर विक्रम सिंह-**

मान्यवर, आपकी अनुमति से यह सदन प्रस्ताव करता है कि जनपद शाहजहांपुर के विधान सभा क्षेत्र कटरा के अन्तर्गत विकास खण्ड खुदागंज के ग्राम रेहरा में बैबहा नदी पर पुल का निर्माण कराया जाय।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष-

प्रस्ताव प्रस्तुत किया हुआ माना गया एवं चर्चा जारी रहेगी।

जनपद मुरादाबाद के विधान सभा क्षेत्र बिलारी में मेडिकल कालेज की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मौहम्मद फहीम इरफान द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रस्ताव पर चर्चा

***श्री मौहम्मद फहीम इरफान-**

मान्यवर, आपकी अनुमति से यह सदन प्रस्ताव करता है कि जनपद मुरादाबाद के विधान सभा क्षेत्र बिलारी में मेडिकल कालेज की स्थापना करायी जाय।

मान्यवर, मैं 01 मिनट में अपनी बात रख दूं।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है।

श्री मौहम्मद फहीम इरफान-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से गुजारिश करना चाहूंगा कि बिलारी विधान सभा क्षेत्र जो 2009 में अस्तित्व में आयी। 2012 में मेरे वालिदे मोहतरम हाजी इरफान साहब वहां से विधायक बने। एक हादसे के बाद 2016 में उप चुनाव के बाद से मैं लगातार आपके आशीर्वाद से वहां का विधायक हूँ। मेरी गुजारिश है कि बिलारी विधान सभा क्षेत्र में कोई मेडिकल कालेज नहीं है, जगह बहुत है, सीलिंग की जगह बेइन्तहा है। मुरादाबाद चूंकि वहां से 25 किमी0 पड़ता है, उसकी वजह से वहां स्वास्थ्य सेवाओं में बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हम लोगों के पास जगह पर्याप्त है, हालात यह है कि रैबीज इन्जेक्शन हो या कोई इस तरह की व्यवस्था हो, महिलाओं का कोई मामला हो या डॉक्टर्स के अरेंजमेंट का मामला हो, यदि वहां मेडिकल कालेज खुल जायेगा तो दो तरीके के फायदे होंगे, एक तो हमारे इलाके का विकास होगा। जगह हमारे पास पर्याप्त है और वहां पर डॉक्टर्स की मौजूदगी में जो ग्रामीण क्षेत्र हमारा इन्टीरियर का इलाका है, काफी ग्रामीण क्षेत्र है, बहुत से गांव वहां से जुड़े हुए हैं। अगर मेडिकल कालेज बन जायेगा तो बच्चों को जहां शिक्षा का स्थान मिलेगा, क्योंकि जब एक अस्पताल बनता है, उस अस्पताल में आधुनिक तरीके से जो सुविधाएं होती हैं, उन सुविधाओं का फायदा सभी लोगों को, सभी जनमानस को होने वाला है, क्योंकि उस इलाके में जो यह नयी विधान सभा क्षेत्र गठित हुई थी, उसका कुछ इलाका चन्दौसी से भी आया था, जो सम्भल जिले में पड़ता है तो मेरी विधान सभा क्षेत्र में क्योंकि 28 ग्राम

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

पंचायतें, लगभग 50 हजार वोट, 01 लाख से ज्यादा आबादी जिला सम्भल में भी पड़ती है और जिला मुरादाबाद में और जिला सम्भल का मैं विधायक होने के नाते आपसे पुरजोर अपील और गुजारिश करूंगा कि मेडिकल कालेज का बनना उतना ही जरूरी है, क्योंकि आज अस्पताल की जरूरत हर वर्ग, हर घर, हर जाति को है। अस्पताल की जरूरत इसलिए भी है, क्योंकि तरह-तरह की बीमारियां चाहे कोविड हो, देखिये कैसी महामारी की तरह फैली, तमाम मौतें हमारे इलाके में हुईं। हमारे वहां ऑक्सीजन की कमी हुई। मान्यवर, हमारे वहां सीलिंग की जमीन बेइन्तहा मौजूद है, आप उसको दिखवा करके मेरे वहां अस्पताल बनवाने की कृपा करें, बहुत-बहुत धन्यवाद।

वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

माननीय अध्यक्ष जी, मुरादाबाद जनपद में एक बहुत बड़ा मेडिकल कालेज है। तीर्थांकर विश्वविद्यालय है, यह सही है कि वह प्राइवेट है। हमारी कोशिश यह है कि हम पी0पी0पी0 मॉडल पर भी डेवलप कर रहे हैं तो मुरादाबाद मुख्यालय पर मेडिकल कालेज है। मान्यवर, मेडिकल कालेज बातों से तो बनता नहीं है। मेडिकल कालेज के लिए संसाधन चाहिए और उत्तर प्रदेश में तो 35 सरकारी क्षेत्र में और 30 निजी क्षेत्रों में, कुल 65 मेडिकल कालेज चल रहे हैं। हर जनपद में एक मेडिकल कालेज हो, वह तो ठीक ही है, लेकिन मान्यवर, वह संसाधनों पर निर्भर करेगा।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि यह सदन प्रस्ताव करता है कि जनपद मुरादाबाद के विधान सभा क्षेत्र बिलारी में मेडिकल कालेज की स्थापना करायी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र लालगंज के अन्तर्गत ग्राम सभा सराय मोहन टांड में बेसो नदी पर पुल का नव निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री बेचई सरोज द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रस्ताव पर चर्चा

श्री बेचई सरोज-

मान्यवर, यह सदन प्रस्ताव करता है कि जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र लालगंज के अन्तर्गत ग्राम सभा सराय मोहन टांड में बेसो नदी पर पुल का नव निर्माण कराया जाय।

श्री अध्यक्ष-

इस पर चर्चा जारी रहेगी।

जनपद बस्ती के अन्तर्गत मुण्डेरवा में अग्निशमन केन्द्र स्थापित कराये जाने के सम्बन्ध में श्री महेन्द्र नाथ यादव द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रस्ताव पर चर्चा

***श्री महेन्द्र नाथ यादव-**

मान्यवर, यह सदन प्रस्ताव करता है कि जनपद बस्ती के अन्तर्गत मुण्डेरवा में अग्निशमन केन्द्र स्थापित कराया जाय।

श्री अध्यक्ष-

इसे हम प्रस्तुत मान लेते हैं। चर्चा जारी रहेगी।

जनपद फिरोजाबाद, विधान सभा क्षेत्र शिकोहाबाद के अन्तर्गत नगला चूरा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में डॉक्टरों के अभाव में बन्द डिलीवरी प्वाइंट यथाशीघ्र पुनः चालू कराये जाने के सम्बन्ध में डा0 मुकेश चन्द्र वर्मा द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रस्ताव पर चर्चा

डा0 मुकेश चन्द्र वर्मा-

मान्यवर, यह सदन प्रस्ताव करता है कि जनपद फिरोजाबाद विधान सभा क्षेत्र शिकोहाबाद के अन्तर्गत नगला चूरा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में डॉक्टरों के अभाव में बन्द डिलीवरी प्वाइंट यथाशीघ्र पुनः चालू कराया जाय।

श्री अध्यक्ष-

इस पर भी चर्चा जारी रहेगी।

विधान सभा क्षेत्र-96, जसराना में छात्र-छात्राओं के भविष्य को ध्यान में रखते हुए 01 एजुकेशन टाउनशिप बनाये जाने की व्यवस्था के सम्बन्ध में श्री सचिन यादव द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रस्ताव पर चर्चा

श्री सचिन यादव-

मान्यवर, यह सदन प्रस्ताव करता है कि विधान सभा क्षेत्र-96, जसराना में छात्र-छात्राओं के भविष्य को ध्यान में रखते हुए 01 एजुकेशन टाउनशिप बनाये जाने की व्यवस्था की जाय।

श्री अध्यक्ष-

इस पर चर्चा जारी रहेगी।

जनपद सन्तकबीरनगर की नगर पंचायत मेंहदावल को जनहित में नगर पालिका परिषद् का दर्जा प्राप्त कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अनिल कुमार त्रिपाठी द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रस्ताव पर चर्चा

***श्री अनिल कुमार त्रिपाठी-**

मान्यवर, यह सदन प्रस्ताव करता है कि जनपद सन्तकबीरनगर की नगर पंचायत मेंहदावल को जनहित में नगर पालिका परिषद् का दर्जा प्राप्त कराया जाय।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष-

इसे प्रस्तुत किया हुआ माना गया, चर्चा जारी रहेगी।

नियम-103 के संकल्प पर बिना चर्चा के अस्वीकृत करने के निर्णय पर व्यवस्था

***श्री लालजी वर्मा-**

मान्यवर, जो नियमावली हमारी है उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 इसके नियम-103 में लोकहित का विषय है, जो हम संकल्प के रूप में ला सकते हैं। आप इसको 104 में, 105 में, 106 में, 107 में इस पर परीक्षण विधान सभा करेगा और परीक्षण के उपरान्त यह प्रस्ताव संकल्प के लिए प्रस्तुत करने के लिए कार्यवाही का अंग बनेगा। कार्यवाही में 108 में दिया है कि समय नियतन और प्रस्ताव पर चर्चा। अध्यक्ष सदन के कार्य की स्थिति पर विचार करने के बाद ऐसे किसी प्रस्ताव पर चर्चा के लिए कोई एक दिन या अधिक दिन या किसी दिन का भाग नियत कर सकें। मान्यवर, यह जो मेरा 103 में आपने स्वीकार कर लिया था, सदन में उसके विविध परीक्षण के बाद 103 का संकल्प आपने स्वीकार किया। बिना चर्चा के उसको निरस्त करा देना यह सम्भव नहीं था। आप एक घण्टा की चर्चा स्वीकृत करते, आधा घण्टा की चर्चा स्वीकृत करते, लेकिन बिना चर्चा के उसको अस्वीकृत करने का उचित निर्णय नहीं है। मैं यह चाहूंगा कि इस पर पुनर्विचार करें और आप नियमावली से चल रहे हैं तो इसको आप स्वयं देख लें। इसी तरह से 109 में भाषणों के लिए समय-सीमा विहित कर सकेंगे, लेकिन बिना चर्चा के और बिना मा0 सम्बन्धित मंत्री के उत्तर आये हुए, बिना प्रस्तावक के द्वारा जो उस पर वह क्या चाहते हैं और क्या कारण है जिसे रखा। आपने स्वीकृत किया था, नियमों के अनुसार स्वीकृत किया था, इसलिए उस पर चर्चा कराकर ही और उसके बाद मतदान कराते और आप उसको निरस्त करा देते, लेकिन बिना हमारी बात आए हुए बिना चर्चा के निरस्त कराना मैं समझता हूँ कि यह औचित्यपूर्ण नहीं है, इस पर आप विचार कर लें।

श्री अध्यक्ष-

प्रस्ताव की ग्राह्यता की शर्तों में यह है कि नियम-105 के साथ में वह किसी ऐसे विषय से सम्बन्धित नहीं होगा जो भारत के किसी भाग में क्षेत्राधिकार रखने वाले किसी न्यायालय या अन्य निर्णयों के अन्तर्गत हो जो उनके अन्तर्गत है, हमारे उत्तर प्रदेश के अन्तर्गत नहीं है, इसलिए हमने उसको अस्वीकार कर दिया।

श्री लालजी वर्मा-

अगर आप यह समझ रहे हैं कि यह उसके अनुसार था तो यह कार्यवाही में आना ही नहीं चाहिए।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष-

मैंने ग्राह्यता पर सुना आपको चर्चा पर तो सुना नहीं। आप कोई नोटिस देंगे और कहेंगे लालजी वर्मा जी की हमारी नोटिस ग्राह्यता के लिए भी न सुनी जाये, मैं इतना तो अन्याय नहीं कर सकता। हमारे पढ़ने के बाद भी आपके पास इसका उत्तर नहीं है।

[02:51] नियम-51 के अनुसार सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

नियम-51 के अन्तर्गत दिनांक 21-09-2022 को कुल 97 सूचनाएं प्राप्त हुईं जिनमें से निम्नलिखित माननीय सदस्यों की सूचनाएं स्वीकार की गयीं :-

प्रथम सूचना श्री राजीव गुम्बर की जनपद सहारनपुर में मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा-100(3) के अन्तर्गत निजी बसों का संचालन कराये जाने के सम्बन्ध में है, दूसरी सूचना श्री मनीष असीजा की जनपद फिरोजाबाद में टैबलेट/स्मार्ट फोन वितरण योजना से वंचित रह गये छात्र-छात्राओं का नाम पोर्टल में अपलोड कराते हुए टैबलेट/स्मार्ट फोन वितरित कराये जाने के सम्बन्ध में है, तीसरी सूचना श्री लालजी वर्मा की जनपद अम्बेडकरनगर की तहसील टाण्डा में ग्राम महरीपुर को घाघरा नदी की कटान से बचाने के लिए ठोकर लगाने के सम्बन्ध में है, चौथी सूचना श्री सचिन यादव की जनपद फिरोजाबाद की तहसील जसराना में बिजली की आपूर्ति का रोस्टर सारणी उपलब्ध कराने की मांग विषयक है तथा पांचवीं सूचना डॉ0 वीर विक्रम सिंह की जनपद शाहजहांपुर के विकास खण्ड जैतीपुर के ग्राम अली अकबरपुर नवादा में सरकारी भूमि कब्जा मुक्त कराये जाने के सम्बन्ध में है, वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई।

निम्नलिखित मा0 सदस्यों की सूचनाएं केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुईं :-

पहली सूचना श्री हर्षवर्धन बाजपेयी की जनपद प्रयागराज के थाना कर्नलगंज में 12 साल की बालिका की गुमशुदगी के प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच कराये जाने के सम्बन्ध में है तथा दूसरी सूचना श्री राम फेरन पाण्डेय की जनपद श्रावस्ती के तहसील भिनगा सरकारी विद्युत विभाग की सरकारी जमीन की पैमाइश कराने तथा अवैध कब्जा हटाये जाने के सम्बन्ध में है।

निम्नलिखित मा0 सदस्यों की सूचनाएं ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुईं :-

पहली सूचना श्री राजपाल सिंह बालियान की जनपद मुजफ्फरनगर के शाहपुर के स्वीकृत कार्य योजना में बिना टेण्डर प्रक्रिया तथा भ्रटाचार के सम्बन्ध में है, दूसरी सूचना मौ0 फहीम इरफान की जनपद मुरादाबाद के तहसील बिलारी में आरिल नदी में गन्दा पानी बहाये जाने की जांच कराने के सम्बन्ध में है, तीसरी सूचना श्री विवेक कुमार वर्मा की जनपद पीलीभीत के विधान सभा क्षेत्र बीसलपुर में जल निगम द्वारा की जा रही अनियमितताओं की जांच के सम्बन्ध में है तथा चौथी सूचना श्री ओम प्रकाश की जनपद गाजीपुर के विधान सभा क्षेत्र जमानियां में सम्पर्क मार्ग में कराये गये कार्यों की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में है।

निम्नलिखित मा0 सदस्यों की सूचनाओं को अस्वीकार किया गया है-

श्री बाबूलाल, श्री लोकेन्द्र प्रताप सिंह, श्री ओम प्रकाश राजभर, श्री माता प्रसाद पाण्डेय, श्री विनय प्रकाश गोंड, श्री अमिताभ बाजपेयी, श्री राम रतन कुशवाहा, श्री अभय सिंह, इं0 सरवन कुमार निषाद, श्री आशुतोष शुक्ला, श्री बम्बालाल, श्रीमती केतकी सिंह, डॉ0 अनिल मौर्य, श्री ज्ञान तिवारी, श्री अमरेश कुमार, श्री अनिल कुमार त्रिपाठी, श्री बेदी, श्री राजेन्द्र सिंह पटेल, श्री बृजभूषण राजपूत, श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना', डॉ0 एम0पी0 आर्य, श्रीमती जय देवी, श्री संजय कुमार, श्री सुरेन्द्र चौरसिया, श्री रवि शर्मा, श्री रफीक अंसारी, श्रीमती कृष्णा पासवान, श्री देवेन्द्र सिंह लोधी एडवोकेट, श्री रमाशंकर सिंह, श्री स्वामी जयद्रथ उर्फ प्रवक्तानन्द, श्रीमती सैय्यदा खातून, श्री अशरफ अली खान, श्री प्रेम नारायण पाण्डेय, श्री प्रदीप कुमार चौधरी, डॉ0 मुकेश चन्द्र वर्मा, श्री सर्वेश सिंह, श्री गौरव कुमार, श्री चन्द्रपाल सिंह, श्री विकास गुप्ता, श्री सत्यपाल सिंह राठौर, श्री लक्ष्मीराज सिंह, श्री भगवान सिंह कुशवाहा, श्री राजीव कुमार, श्री कैलाश नाथ शुक्ला, श्री उमर अली खान, श्री वीरेन्द्र चौधरी, श्री वीरेन्द्र कुमार यादव, श्री प्रभु नारायण सिंह यादव, श्री अखिलेश यादव, श्री चन्द्र प्रकाश लोधी, श्री कमाल अख्तर, श्री जय प्रकाश अंचल, श्री पंकज, श्री नफीस अहमद, श्री जियाउद्दीन रिजवी, श्री विशम्भर सिंह यादव, इंजी0 बृजेश कठेरिया, श्री समरपाल सिंह, श्री राजेन्द्र कुमार, श्री जवाहर लाल राजपूत, श्री दुर्गा प्रसाद यादव, श्री राम खिलाड़ी सिंह यादव, श्री पंकज मलिक, श्री मो0 हसन रूमी, श्री राजेन्द्र कुमार, श्री मनोज कुमार पारस, श्री रविदास मेहरोत्रा, श्री उमाशंकर सिंह, श्री राम अचल राजभर, श्री मनीष कुमार उर्फ मन्टू, श्री स्वामी ओउमवेश, श्री जियाउर्रहमान, श्री रमेश सिंह, श्री गुलाम मोहम्मद, श्री श्याम धनी राही, श्री लकी यादव, डॉ0 डी0सी0 वर्मा, श्री नन्द किशोर, श्री देवेन्द्र सिंह, श्री रमेश चन्द्र मिश्र, श्री अवधेश प्रसाद, डॉ0 राजेश्वर सिंह, श्री मुकेश चौधरी, श्री बेचई सरोज, श्री रत्नाकर मिश्र, डॉ0 नीरज बोरा तथा श्री अताउर्रहमान।

कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिशों के अनुसार दिनांक 22 सितम्बर, 2022 को सदन की कार्यवाही महिला सदस्यों के लिए निर्धारित किये जाने की सूचना

श्री अध्यक्ष-

मेरा कल के लिए निवेदन है। कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिशें होती हैं। वह प्रायः सौ प्रतिशत ही यह सदन सर्वसम्मति से उसके ऊपर स्वीकृति देता है, तो कार्य-मंत्रणा की बैठक में यह निर्णय हुआ था कि दिनांक 22 तारीख वह हमारी महिला सदस्यों के लिए निर्धारित रहेगी। मैं विधान सभा की पूरी कार्यवाही नियमानुसार शुरू से लूंगा, क्योंकि कार्य-मंत्रणा के द्वारा निर्णय लिया गया और इस सदन ने उसको स्वीकृति दी है। जिस भी नियम के अन्तर्गत जो भी सूचना आयेगी मैं सारी ग्राह्य करूंगा, लेकिन उसमें महिला सदस्य को लेंगे। यह बात

यहां इसलिए बतानी आवश्यक है, ताकि अगर कोई मा0 सदस्य कल अपने स्थान पर खड़ा होता है तो यह माना जायेगा कि वह महिलाओं को बोलने देने के लिए तैयार नहीं है।

***श्री लालजी वर्मा-**

मान्यवर, यही तय हुआ था कि क्वेश्चन आवर होगा, उसके बाद होगा।

श्री अध्यक्ष-

क्वेश्चन आवर में जो महिलाओं का होगा, उसे जरूर लेंगे, आप बैठिये।

श्री लालजी वर्मा-

नहीं, मान्यवर, ऐसा नहीं है।

श्री अध्यक्ष-

मा0 लालजी वर्मा जी अगर आप ऐसा करेंगे तो फिर आप सबके सामने एक्सपोज हो जायेंगे।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, आप जो भी कहें, लेकिन क्वेश्चन आवर के बाद होना चाहिये। एक तो चार दिन का सदन है, इसलिए क्वेश्चन आवर के बाद होना चाहिए। कार्य-मंत्रणा समिति में यही तय हुआ था।

श्री अध्यक्ष-

क्योंकि कल उसमें यह तय हुआ था, इसीलिए मैं इस बात को बता रहा हूँ। नहीं तो मैं न कहता। मेरा यह प्रयास है कि हमारा जो सदन है, वह सर्वानुमति से चले, क्योंकि यह विधान सभा के नियमों में भी है कि जो मा0 अध्यक्ष विनिश्चय करेंगे, वह अन्तिम होगा, लेकिन मेरा हमेशा यह मत रहता है कि विनिश्चय सब लोगों के साथ बात करके हो। उस नाते से क्योंकि कल मा0 मुख्य मंत्री जी को भी बहुत इम्पार्टेण्टली जाना था, मैंने उनसे निवेदन किया और उन्होंने स्वयं इस बात को कहा कि हमारी महिला सदस्य बोलेंगी तो मैं जरूर अपना मत देना चाहता हूँ, अपनी बात भी कहना चाहता हूँ। मा0 मुख्य मंत्री जी रहेंगे, मा0 नेता प्रतिपक्ष रहेंगे, उन दोनों के बाद जो भी खड़ा होगा बोलने के लिए मेरे अलावा, मेरे अलावा मैं इसलिए बता रहा हूँ, ताकि फिर कोई ये न कहे कि आप बोल रहे हैं तो आप महिला सदस्यों में हैं क्या ?

वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री (सुरेश कुमार खन्ना)-

मा0 अध्यक्ष जी, कल सदन में सब महिलाएं हो जायें।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष-

कल अगर हमारे पास स्टाफ में महिलाएं हैं तो महिलाएं ही बैठेंगी। कल के लिए आप इसको सीरियसली लीजिए, मैं इसको इसलिए कह रहा हूँ, क्योंकि इस निर्णय को पूरे देश की सारी विधान सभाओं ने और पार्लियामेण्ट ने भी बड़ी संजीदगी से लिया है। हमको उसी संजीदगी के साथ इस पर बात करने की आवश्यकता है। कल मा0 सदस्यों के लिए मेरा एक सुझाव और है कि कल ऊपर जो हमारी विजिटर्स गैलरी है, उसमें सिर्फ महिला विजिटर्स ही होंगी, इनके अलावा और कोई विजिटर नहीं होगा। इसीलिए आप किसी और का पास बनवाने का आग्रह न करें। ये बातें मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर आप कल पास बनाने के लिए आग्रह करेंगे तो वहां पर मना हो जायेगा और आप कहेंगे कि हमको पहले से पता नहीं था तो इसीलिए कल 22 तारीख को हम सब लोग वुमेन्स डे के अलावा भी उनको एक बेहतरीन अवसर मिला करता था तो हम सब लोगों ने यह निर्णय किया है, हम सबने निर्णय किया है। मैं यह नहीं कह रहा कि यह निर्णय मैंने किया है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मा0 अध्यक्ष जी, कल पत्रकार गैलरी में भी केवल महिलाओं को ही बैठाया जाय।

श्री अध्यक्ष-

पत्रकार गैलरी में अगर महिला पत्रकार हों तो वही बैठेंगी। अब हम कल सुबह 11:00 बजे तक के लिए उठते हैं।

(इसके बाद सदन का उपवेशन 02 बजकर 53 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

लखनऊ :
दिनांक, 21 सितम्बर, 2022

प्रदीप कुमार दुबे,
प्रमुख सचिव,
विधान सभा, उत्तर प्रदेश।

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या-19 का उत्तर पीछे पृष्ठ सं0-49 पर)

संख्या-3710/नौ-8-2017-2 सी0एस0/12टी0सी0

प्रेषक,

कुमार कमलेश,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

1. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2. निदेशक, नगरीय निकाय, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
3. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त नगर आयुक्त, नगर निगम, उत्तर प्रदेश।
5. समस्त अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका परिषद/नगर पंचायत, उत्तर प्रदेश।

विकास अनुभाग-8 लखनऊः दिनांक 07 जुलाई, 2017

विषयः मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका (सिविल) संख्या-330/2001 कामन काज बनाम भारत संघ, रिट याचिका संख्या-44/2004, अवमानना याचिका संख्या-124/2015 के साथ संलग्न रिट याचिका संख्या-309/2003 लक्ष्मी नारायण मोदी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 17.02.2017 के अनुपालन में पशुवधशालाओं के संचालन के सम्बन्ध में अद्यतन दिशा-निर्देश।

महोदय,

मा0 सर्वोच्च न्यायालय में पशुवधशालाओं से सम्बन्धित विभिन्न बिन्दुओं के सम्बन्ध में दायर रिट याचिका-(सिविल) 309/2003, लक्ष्मीनारायण मोदी बनाम यूनियन आफ इण्डिया के सम्बन्ध में मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समय-समय पर पारित किये गये आदेशो के अनुपालन मे सचिव, भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के अर्द्ध शा0 पत्र संख्या-7/4/2011-ए.डब्लू.डी. दिनांक 02.7.2012 में दिये गये दिशा-निर्देशों के अनुक्रम में उत्तर प्रदेश राज्य के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा पशुवधशालाओं के संचालन से सम्बन्धित विषयों के क्रियान्वयन हेतु शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1838/नौ-8 2012 2सी.एस./2012 दिनांक 11 सितम्बर, 2012 द्वारा "**राज्य स्तरीय समिति**" का गठन किया गया है, जिसमे प्रमुख सचिव/सचिव, पशुधन, गृह, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, पर्यावरण, पंचायतीराज, श्रम विभाग तथा पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश आदि को समिति में सदस्य के रूप में नामित किया गया है। पशुवधशालाओं के संचालन हेतु गठित "**राज्य स्तरीय समिति**" को सौपे गये दायित्वों के अन्तर्गत प्रदेश में स्थित पुरानी पशुवधशालाओं का आधुनिकीकरण तथा आधुनिक

पशुवधशालाओं की स्थापना किये जाने की योजना शासनादेश संख्या–2394/नौ–8–2014–03पी(बजट)/2014 दिनांक 26.11.2014 लागू की गयी थी।

2. मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका (सिविल) संख्या–330/2001 कामन काज बनाम भारत संघ, रिट याचिका संख्या–44/2004, अवमानना याचिका 124/2015 के साथ संलग्न रिट याचिका संख्या– सिविल 309/2003, लक्ष्मीनारायण मोदी बनाम यूनियन आफ इण्डिया एवं अन्य में पशुवधशालाओं से सम्बन्धित रिट याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए दिनांक 17.02.2017 को पारित निर्णय (Judgement) के सुसंगत अंश निम्नवत है:–

"Pursuant to our orders dated 26.09.2016 and 28.10.2016, a compendium of the Indian Standards has been prepared along with all relevant material in consultation with all the stake-holders. The Union of India is directed to print the compendium in sufficient numbers and circulate it to all the State Governments and Union Territories for compliance. The Union of India will comply with our orders within six weeks from today. In the event there is non-compliance with the Indian Standards, other rules and regulations, the petitioners are entitled to approach the concerned district collector or the judicial authorities, as the case may be in a given specific instance. "

3. मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा केन्द्र सरकार/राज्य सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा compendium में विभिन्न अधिनियमों, नियमों, दिशा–निर्देशों के अनुसार पशुवधशालाओं की स्थापना/मीटशॉप का संचालन किये जाने हेतु निम्न प्राविधान प्रसारित किये गये हैं:–

S.N.	STATUS/STANDARD/GUIDE LINE
1	Prevention of Cruelty to Animals Act,1960[Relevant Sections: Sections 3(p.3), 9(b) (p. 6), Section 9 (e) (p. 6), 11 (P.7,8) and 38 (P. 15, 16)
2	Transport of Animals Rules, 1978 (as amended in 2001 and 2009)
3	Prevention of cruelty to Animals (Transport of Animals of Foot) Rules 2000
4	Prevention of Cruelty to Animals (Slaughter House) Rules 2001
5	Performa for Ante and Post Mortem Fitness Certificates to be issued by the veterinary Doctor after examining the animal before and after slaughter of animals as per Rule 4 (3) of the Prevention of Cruelty to Animals (Slaughter House) Rules 2001 [Relevant documents: Letter from AWBI to Director/Commissioner, Municipal Administration of all States and Union Territories, dated 17.10.2016 (p.49): Letter from AWBI to CEO Food Safety & Standards Authority, dated 17.10.2016(p. 50:) Letter from FSSAI to All Central Licensing Authorities and Commissioners of food Safety of all States/ UT's (p.51)]
6	Draft Prevention of Cruelty to Animals (Regulation of livestock market) Rules 2016
7	Central Motor Vehicles (Eleventh Amendment) Rules, 2015 [Relevant Rules: Rule 125 E (p.69)
8	Central Motor Vehicles (13th Amendment) Rules, 2016 [Relevant Rules: Rule 125E(p.71)]
9	Food Safety and Standards Act 2006 [Relevant Sections- Section 92 p. 118, 119)]
10	Food Safety and standards (Licensing and Registration of food Business) Regulations 2011 [Relevant regulations- Part IV(p.161-178)]
11	Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food Additives) Regulations, 2011 [Relevant regulations- Regulation 2.5 (p. 265)]

12	Agriculture and Processed Food Product Export Development Authority (Amendment) Act 2009 [Relevant Sections-section 4 (p.344) and section 12 (p.349)]
13	Environment Protection Act 1986 [Relevant Section-6 &25 (p.356)
14	The Environment (Protection) Rules, 1986 [Relevant Rules-Effluent Discharge Standards. S. No. 50(p.357)
15	(Revised Draft) Effluent Discharge Standards for Slaughter House to be notified by The MoEF [Relevant Rules-Effluent Discharge Standards. S. No. 50(p.360)
16	The Water (Preservation and Control of Pollution) Act, 1974 [Relevant Section 24(p.373, 374), 25 (p.374), 26(p.375), 27(P.375, 376), 28(p.376)&33B(p.378)]
17	The Water (Preservation and control of pollution) Rules 1975 [Relevant Rules: Form XIII (p.410)]
18	The Air (Prevention and Control of Pollution) Act 1981 [Relevant Section - 21(p.441),22A (p.443), 23 (p.443), 24 (p. 443,444), 31A (p.446),31B(p.446), 37 (p.448), 40 (p. 448,449), &41 (p.449)]
19	The Municipal Solid Wastes (Management & Handling) Rules 2000 [Relevant Rules-7(p.456), Schedule II- S. No. I (iii)(p.458), 4 (p.459), 5 (p.459,460), 6 (p.460), Form II Clause 6 (ii) (p.472)]
20	The National Green Tribunal Act 2010 [Relevant sections 14 (p.482), 16 (p.483)]
21	IS 8895:2015 Handling Storage and Transport of Slaughter house by- products Guidelines (First Revision)
22	IS 1982:2015 Ante Mortem and post mortem inspection of meat animals- Code of practice (second revision)
23	IS 4393:2016 Basic Requirement of an Abattoir (second revision)
24	[Revised] Standards for Discharge of Effluents from Slaughter houses, Meat Processing Units and Sea Food Industry.

मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उपर्युक्त मामले में पारित अन्तिम निर्णय दिनांक 17.02.2017 का परिशीलन किये जाने पर यह पाया गया कि प्रदेश में पुरानी पशुवधशालाओं का आधुनिकीकरण तथा आधुनिक पशुवधशालाओं की स्थापना किये जाने से सम्बन्धित शासनादेश संख्या–2394/नौ–8–2014– 03पी(बजट)/2014 दिनांक 26.11.2014 में उल्लिखित कई प्राविधान वर्तमान आदेश के परिप्रेक्ष्य में अप्रासंगिक हो गये है, जिसके दृष्टिगत पशुवधशालाओं की स्थापना/संचालन किये जाने हेतु संशोधित दिशा निर्देश जारी किये जाने की आवश्यकता है।

4. मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका (सिविल) संख्या–330/2001 कामन काज बनाम भारत संघ, रिट याचिका संख्या–44/2004, अवमानना याचिका संख्या–124/2015 के साथ संलग्न रिट याचिका संख्या–309/2003 लक्ष्मी नारायण मोदी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 17.02.2017 के अनुपालन में पशुवधशालाओं के संचालन के सम्बन्ध में श्री राज्यपाल शासनादेश संख्या–2394/नौ–8–2014– 03पी(बजट)/2014 दिनांक 26.11.2014 को अवकमित करते हुए निम्नवत अद्यतन दिशा–निर्देश निर्गत करते है:–

(1) The Food Safety and Standards Act, 2006 की धारा 89 में दी गयी व्यवस्था– The Provisions of this Act shall have effect notwithstanding anything inconsistent therewith contained in any other law for the time being in force or in any instrument having effect of virtue of any

law other than this Act. समस्त प्रचलित अधिनियमों पर ओवरराइडिंग इफेक्ट रखती है। ऐसी स्थिति में किसी भी कारोबारी को लाइसेन्स निर्गत करने का दायित्व The Food Safety and Standards Act, 2006 की धारा–89 के अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग का है, जो The Food Safety and Standard (Licensing and Registration of Food Businesses) Regulations, 2011 के 2.1.2 (1)(5) के शेड्यूल–IV के अन्तर्गत हाइजीन एवं सैनेटरी आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए लोकल अथारिटी से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करते हुए लाइसेन्स/पंजीकरण निर्गत किये जाने की व्यवस्था है।

(2) The Food Safety and Standards Act, 2006 एवं The Food Safety and Standard (Licensing and Registration of Food Businesses) Regulations, 2011 के 2.1.2 (1)(5) के शेड्यूल–IV के अन्तर्गत हाइजीन एवं सैनेटरी आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए लोकल अथारिटी से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग के संबंधित अधिकारी द्वारा लाइसेन्स/पंजीकरण निर्गत किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।

(3)– The Food Safety and Standards Act, 2006 के दिनांक 05.08.2011 से प्रभावी हो जाने के फलस्वरूप उ0प्र0 नगर निगम अधिनियम, 1959 एवं नगर पालिका अधिनियम, 1916 में खाद्य लाइसेन्स दिये जाने सम्बन्धी प्राविधान निष्प्रभावी हो गये हैं।

(4) अद्यतन पशुधन गणना को आधार में लेते हुए सम्बन्धित लोकल एथारिटी यदि पशुवधशाला की स्थापना का औचित्य पाती है, तो डी0पी0आर0 मा0 उच्चतम न्यायालय के निर्देशों व सुसंगत अधिनियमों/नियमों/आदेशों के अधीन तैयार करायेगी। सम्बन्धित लोकल एथारिटी जनपद के जिलाधिकारी के समक्ष डी0पी0आर0 सहित आवेदन–पत्र प्रस्तुत करेगी, जिसे जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति, जिसमें सदस्य के रूप में सम्बन्धित जनपद के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, सम्बन्धित स्थानीय निकाय के नगर आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी/अपर मुख्य अधिकारी एवं उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी होंगे, मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में उल्लिखित अधिनियमों/नियमों को दृष्टिगत रखते हुए परीक्षण करेगी यदि सम्बन्धित लोकल एथारिटी द्वारा मा0 सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय में वर्णित दिशा–निर्देशों के अनुसार डी0पी0आर0 तैयार की गयी हो, और अद्यतन पशुधन गणना के अनुसार वहाँ पर पशुवधशाला की स्थापना का औचित्य पाया जाता है, तो जिला स्तरीय समिति द्वारा अपनी स्पष्ट संस्तुति सहित प्रस्ताव प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय समिति के विचारार्थ प्रस्तुत किया जाय। राज्य स्तरीय समिति द्वारा प्रस्ताव प्राप्त होने पर 03 माह के अन्दर परियोजना की स्वीकृति दिये जाने पर विचार कर यथोचित निर्णय लेगी।

अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ कि उपर्युक्त संशोधित दिशा निर्देशों के अनुसार अग्रिम कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(कुमार कमलेश)
प्रमुख सचिव

संख्या 3710(1)/नौ-8-17, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, पंचायतीराज/गृह/पर्यावरण/पशुधन/चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग/खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग/श्रम/परिवहन, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
2- पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।
3- समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उत्तर प्रदेश।
4- सदस्य सचिव, उत्तर प्रदेश, प्रदूषण एवं नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5- समस्त अनुभाग, नगर विकास विभाग।
6- कम्प्यूटर सेल, नगर विकास विभाग।
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(शैलेन्द्र कुमार सिंह)
विशेष सचिव।

नत्थी 'ख'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या-22 का उत्तर पीछे पृष्ठ सं0-81 पर)

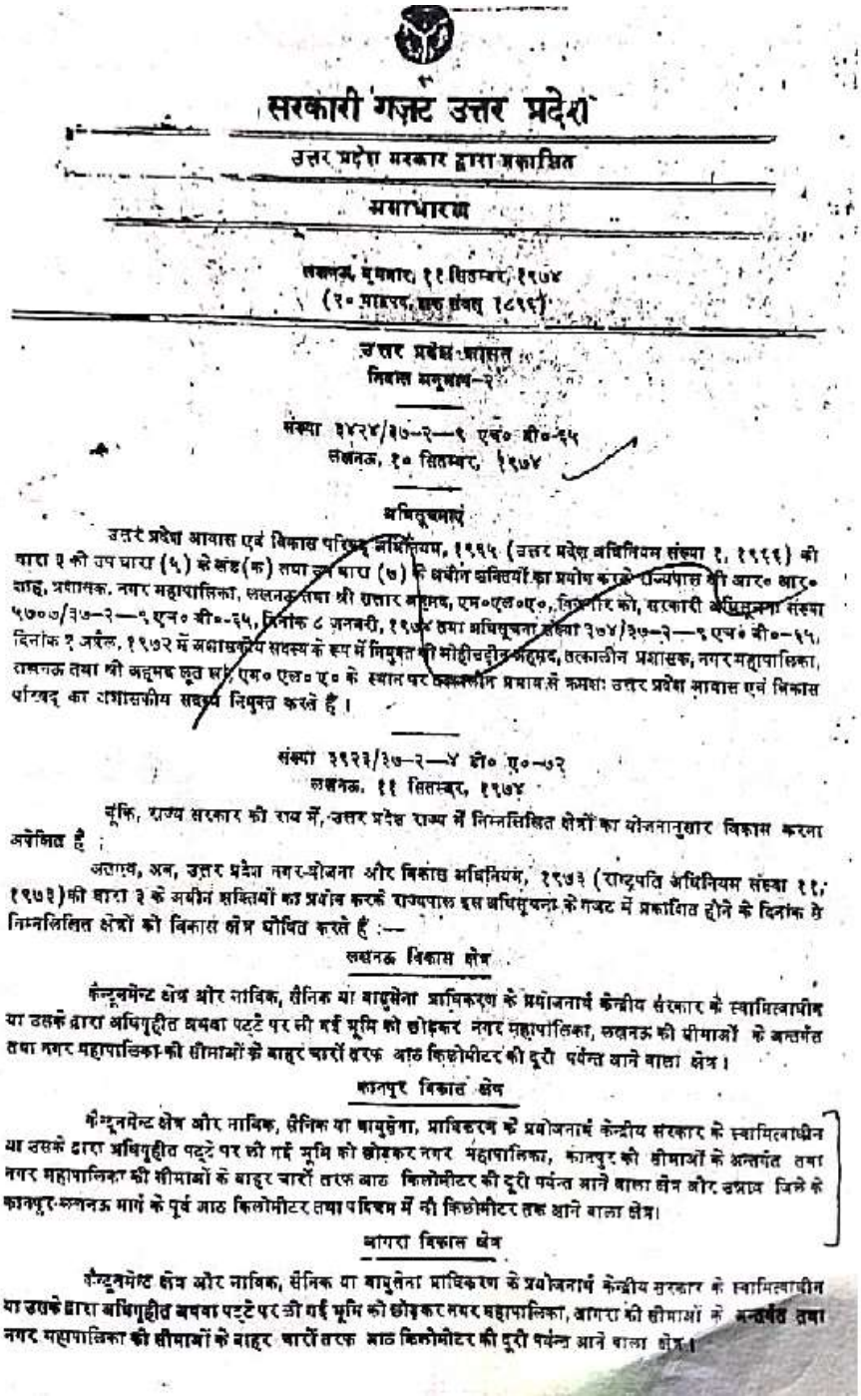

सरकारी गज़ट उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

लखनऊ, बृहस्पतिवार, ११ सितम्बर, १९७४
(२० भाद्रपद, वत संवत् १८९६)

उत्तर प्रदेश आवास
निवास अनुभाग-२

संख्या ३४२४/३७-२—९ एच० बी०-६५
लखनऊ, १० सितम्बर, १९७४

अधिसूचनाएं

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् अधिनियम, १९६५ (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या १, १९६६) की धारा ३ की उप धारा (५) के खंड (क) तथा उस धारा (७) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल श्री आर० आर० साह, प्रशासक, नगर महापालिका, लखनऊ तथा श्री सत्तार अहमद, एम०एल०ए०, विधानसभा को, सरकारी अधिसूचना संख्या ५७०७/३७-२—९ एच० बी०-६५, दिनांक ८ जनवरी, १९७४ तथा अधिसूचना संख्या ३७४/३७-२—९ एच० बी०-६५, दिनांक १ अप्रैल, १९७२ में क्रमशः कार्यकारी सदस्य के रूप में नियुक्त श्री मोहीउद्दीन अहमद, तत्कालीन प्रशासक, नगर महापालिका, लखनऊ तथा श्री अहमद लूत खां, एम० एल० ए० के स्थान पर तत्कालीन प्रभाव से क्रमशः उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् का शासकीय सदस्य नियुक्त करते हैं।

संख्या ३९२३/३७-२—४ डी० ए०-७२
लखनऊ, ११ सितम्बर, १९७४

चूंकि, राज्य सरकार की राय में, उत्तर प्रदेश राज्य में निम्नलिखित क्षेत्रों का योजनानुसार विकास करना अपेक्षित है ;

अतएव, अब, उत्तर प्रदेश नगर-योजना और विकास अधिनियम, १९७३ (राष्ट्रपति अधिनियम संख्या ११, १९७३) की धारा ३ के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से निम्नलिखित क्षेत्रों को विकास क्षेत्र घोषित करते हैं :—

लखनऊ विकास क्षेत्र

कैन्टूनमेन्ट क्षेत्र और नाविक, सैनिक या वायुसेना प्राधिकरण के प्रयोजनार्थ केन्द्रीय सरकार के स्वामित्वाधीन या उसके द्वारा अधिगृहीत अथवा पट्टे पर ली गई भूमि को छोड़कर नगर महापालिका, लखनऊ की सीमाओं के अन्तर्गत तथा नगर महापालिका की सीमाओं के बाहर चारों तरफ आठ किलोमीटर की दूरी पर्यन्त आने वाला क्षेत्र।

कानपुर विकास क्षेत्र

कैन्टूनमेन्ट क्षेत्र और नाविक, सैनिक या वायुसेना, प्राधिकरण के प्रयोजनार्थ केन्द्रीय सरकार के स्वामित्वाधीन या उसके द्वारा अधिगृहीत पट्टे पर ली गई भूमि को छोड़कर नगर महापालिका, कानपुर की सीमाओं के अन्तर्गत तथा नगर महापालिका की सीमाओं के बाहर चारों तरफ आठ किलोमीटर की दूरी पर्यन्त आने वाला क्षेत्र और उन्नाव जिले के कानपुर-लखनऊ मार्ग के पूर्व आठ किलोमीटर तथा पश्चिम में नौ किलोमीटर तक आने वाला क्षेत्र।

आगरा विकास क्षेत्र

कैन्टूनमेन्ट क्षेत्र और नाविक, सैनिक या वायुसेना प्राधिकरण के प्रयोजनार्थ केन्द्रीय सरकार के स्वामित्वाधीन या उसके द्वारा अधिगृहीत अथवा पट्टे पर ली गई भूमि को छोड़कर नगर महापालिका, आगरा की सीमाओं के अन्तर्गत तथा नगर महापालिका की सीमाओं के बाहर चारों तरफ आठ किलोमीटर की दूरी पर्यन्त आने वाला क्षेत्र।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification No. 3424/37-2---9HB-65, dated September 10, 1974.

No. 3424/37-2---9HB-65

In exercise of the powers under clause (a) of sub-section (5) and sub-section (7) of section 3 of the Uttar Pradesh Avas Evam Vikas Parishad Adhiniyam, 1965 (Act No. 1 of 1966), the Governor is pleased to appoint, with immediate effect, Sri R. R. Shah, Administrator, Nagar Mahapalika, Lucknow and Sri Sattar Ahmad, M.L.A., Bijnor, as non-official members of the Uttar Pradesh Avas Evam Vikash Parishad in place of Sri Mohiuddin Ahmad, Ex-Administrator, Nagar Mahapalika, Lucknow and Sri Ahmad Loot Khan, Ex-M. L. A., respectively appointed as such in Govt. Notification No. 5707/37-2---9HB-65, dated 8-1-74 and Notification No. 374/37-2---9HB-65, dated 1-4-72.

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification No. 3923/XXXVII-2-4(DA)-72, dated September 11, 1974.

No. 3923/XXXVII-2---4 (DA)-72

WHEREAS in the opinion of the state Government the following areas in the State of Uttar Pradesh require to be developed according to plan ;

Now, THEREFORE, in exercise of the powers under section 3 of the Uttar Pradesh Urban Planning and Development Act, 1973 (President's Act No. 11 of 1973) the Governor is pleased to declare, with effect from date of publication of this notification in the Gazette, the following areas to be development areas ;

LUCKNOW DEVELOPMENT AREA

Area falling within the limits of the Nagar Mahapalika, Lucknow and a distance of eight kilometres on all sides beyond the Nagar Mahapalika limits but excluding Cantonment areas and Lands owned, requisitioned or taken on lease by the Central Government for the purpose of any naval, military or air force authority.

KANPUR DEVELOPMENT AREA

Area falling within the limits of the Nagar Mahapalika, Kanpur and a distance of eight kilometres on all sides beyond the Nagar Mahapalika limits and the areas of district Unnao upto 8 Kilometres towards east and 9 Kilometres towards western side of the Kanpur-Lucknow road but excluding Cantonment areas and lands owned, requisitioned or taken on lease by the Central Government for the purpose of any naval, military or air force authority.

AGRA DEVELOPMENT AREA

Area falling within the limits of the Nagar Mahapalika, Agra and a distance of eight kilometres on all sides beyond the Nagar Mahapalika limits but excluding Cantonment areas and lands owned, requisitioned or taken on lease by the Central Government for the purpose of any naval, military or air force authority.

आज्ञा से,
जहीर हुसैन,
आयुक्त एवं सचिव।

पी० एच० यू० पी०—एल० १५१ राजपत्र (११३९)—१९७४—२,१३८+३००।

रजिस्टर्ड नं० एल० डी०-33004/84

सा०मे०ल० डब्लू० पी०—4/2

(साप्ताहिक पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

त्रिभाषी परिशिष्ट

भाग—4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, मंगलवार, 6 दिसम्बर, 1983

अग्रहायण, 15, 1905 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

आवास अनुभाग—2

संख्या-2048/37-2-83डीए-82

लखनऊ, 6 दिसम्बर, 1983

अधिसूचना

ए०आर०—536

उत्तर प्रदेश साधारण खंड अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 1904) की धारा 21 के साथ पठित उत्तर प्रदेश राष्ट्रपति अधिनियम (परिभाषाएँ सहित कुछ अधिनियमन) अधिनियम, 1924 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 10 सन् 1974) द्वारा यथा पुनः अधिनियमित और परिवर्तित उत्तर प्रदेश नगर-योजना और विकास अधिनियम, 1973 (राष्ट्रपति अधिनियम संख्या 11 सन् 1973) की धारा 3 में अंकित शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल समयः असाधारण गजट दिनांक 11 सितम्बर, 1974 और 5 मई, 1975 में प्रकाशित अधिसूचना संख्या 357/37-2-4-डीए/73, दिनांक 5 मई, 1975 द्वारा यथा संशोधित सरकारी अधिसूचना संख्या 2923/37-2-83डी०ए-73 दिनांक 11 सितम्बर, 1974 में अधिसूचित कानपुर विकास क्षेत्र में निम्नलिखित संशोधन करती है।

संशोधन

दिनांक 5 मई, 1975 की उपर्युक्त अधिसूचना में वर्णित कानपुर विकास क्षेत्र के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जायेगा, अर्थात्:—

कानपुर विकास क्षेत्र—

छावनी क्षेत्र और नौसेना, स्थल सेना या वायुसेना के प्रयोजनार्थ केन्द्रीय सरकार के स्वामित्वाधीन या उसके द्वारा अधिगृहीत या पट्टे पर ली गयी भूमि को छोड़कर नगर महापालिका, कानपुर की सीमा और कानपुर

नगरमहापालिका की सीमा के बाहर तीनों ओर पूर्व, पश्चिम, दक्षिण, (आठ किलोमीटर की दूरी पर्यन्त जाने वाला क्षेत्र, जिसमें नीचे दिये गये ग्राम भी सम्मिलित हैं, और उत्तर दिशा में गंगानदी की मुख्य धारा के बीच तक का क्षेत्र :

क्रम-संख्या	जिला	तहसील	ग्राम का नाम
1	2	3	4
1	कानपुर, नगर	कानपुर	कटरी नारायणपुर सबलपुर
2	,,	,,	नारायणपुर सबलपुर
3	,,	,,	रहमत
4	,,	,,	मरमौल
5	,,	,,	फूफूकार सुईबीक
6	,,	,,	डामर
7	,,	,,	टोस
8	,,	,,	कन्हनपुर
9	,,	,,	धरमंगदपुर सबल
10	,,	,,	पारा
11	,,	,,	पालहपुर
12	,,	,,	संगमेश
13	,,	,,	सेमरहा
14	,,	,,	बुधौली
15	,,	,,	सहबाड़ापुर
16	,,	,,	मुबलाही
17	,,	,,	चकदवारी
18	,,	,,	मझावन
19	,,	,,	नकलीमपुर
20	,,	,,	सैंगरापुर
21	,,	,,	इलेमपुर
22	,,	,,	काकोरी
23	,,	,,	गढ़ेवा मझावन
24	,,	,,	हरवंसपुर
25	,,	,,	बिजनू
26	,,	,,	जमरेही
27	,,	,,	आमू
28	,,	,,	अदोपुर
29	,,	,,	सीही
30	,,	,,	इटारा
31	,,	,,	भैरमपुर
32	,,	,,	बिनौर
33	,,	,,	मदनखेड़ा
34	,,	,,	पछरी
35	,,	,,	सिसार
36	,,	,,	धरमंगदपुर कानपुर
37	कानपुर देहात	अकबरपुर	बाराखेड़ा
38	,,	,,	धनी
39	,,	,,	नेहला-
40	,,	,,	रनेहपुर पजरा
41	,,	,,	बसौली
42	,,	,,	बारापत
43	,,	घिरहोर	धनी
44	,,	,,	चन्दला
45	,,	,,	साहीपुर
46	,,	,,	सन्डीला
47	कानपुर नगर	कानपुर	रमेलबांगर
48	,,	,,	रमेल कछार

आज्ञा से,

रवीन्द्र नाथ माथुर,

सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन
आवास अनुभाग -5
संख्या-4019/9-आ-5-96-218डीए/72
लखनऊ: दिनांक: 27 दिसम्बर, 1996

ो अधिसूचना ो

उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904।उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 1904। की धारा-21 के साथ पठित उत्तर प्रदेश राज्यक्षेत्रों अधिनियमपरिष्कारों सहित पुनः अधिनियम।अधिनियम, 1974 ।उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-30 सन् 1974।द्वारा यथा पुनः अधिनियमित और परिष्कृत उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम, 1973।राष्ट्रपति अधिनियम संख्या-11 सन् 1973 की धारा -3 के अधीन शक्ति का प्रयोग करते हुये श्री राज्यपाल शासकीय अधिसूचना संख्या-3923/37-2-4डीए/72, दिनांक 11 सितम्बर, 1974 संख्या-397/37-2-4डीए/72 दिनांक 5 मई 1975 एवं संशोधित अधिसूचना संख्या-7068/37-2-288डीए/82 दिनांक 6 दिसम्बर, 1983 के आंशिक संशोधन में उन्नाव जनपद की सीमान्तर्गत क्षेत्र में निर्माणाधीन गंगा बैराज के डाउन स्ट्रीम साईफन बन्ध एवं सनी रोड के बीच के निम्नांकित अनुसूची में दिये गये 13 ग्रामों को कानपुर विकास प्राधिकरण में सम्मिलित करने के आदेश देते हैं :-

ो अनुसूची ो

क्रम0	जनपद	तहसील	ग्राम का नाम
1-	उन्नाव	उन्नाव	शन्नो
2-	"	"	शंकरपुर सराय
3-	"	"	पिपरी
4-	"	"	कन्हवापुर
5-	"	"	पहाडीपुर
6-	"	"	मनभौना
7-	"	"	बैरहागैर रहतमाली
8-	"	"	देवारा कलां
9-	"	"	बनी
10-	"	"	पिन्डोरवा
11-	"	"	बुन्तफापुर
12-	"	"	लक्ष्मीखेडा
13-		"	गंगौली

आज्ञा से
अखण्ड प्रताप सिंह
प्रमुख सचिव ।

-:2:-

संख्या-4019111/9-आ-5-96-तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि संयुक्त अधीक्षक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री,हैसेबाग लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया इसे केवल हिन्दी में दिनांक-27 दिसम्बर, 1996 के विधायी परिशिष्ट-4 में प्रकाशित करें तथा इसकी 100 मुद्रित प्रतियां शासन को तथा 10-10 प्रतियां सीधे अपने स्तर से सम्बन्धित अधिकारियों को भेजने का कष्ट करें ।

आज्ञा से,

पी0 एन0 सिंह ।
अनुसचिव ।

संख्या-4019121/9-आ-5-96तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. आयुक्त, कानपुर मण्डल, कानपुर
2. जिलाधिकारी, कानपुर।
3. जिलाधिकारी, उन्नाव ।
4. उपाध्यक्ष, कानपुर विकास प्राधिकरण, कानपुर ।
5. उपाध्यक्ष, उन्नाव-शुक्लागंज विकास प्राधिकरण, उन्नाव ।
6. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तर प्रदेश लखनऊ ।
7. आवास अनुभाग-3

आज्ञा से,

पी0 एन0 सिंह ।
अनुसचिव ।

संलग्नक-1

उत्तर प्रदेश शासन
आवास अनुभाग-6
संख्या-956/9-आ-6-99-2गठन/98
लखनऊ दिनांक 12 जुलाई, 1999

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1004 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 1904) की धारा-21 के साथ पठित उत्तर प्रदेश राष्ट्रपति अधिनियम (परिष्कारों सहित पुनः अधिनियम) अधिनियम 1974 (उत्तर प्रदेश अधिनियम सं0 30 सन् 1974) द्वारा यथा पुनः अधिनियमित और परिष्कृत (उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम, 1973) राष्ट्रपति अधिनियम संख्या-11 सन् 1973 की धारा-3 के अधीन शक्ति का प्रयोग करते हुए श्री राज्यपाल महोदय शासकीय अधिसूचना सं0-3923/37-4 डीए/72 दिनांक 11 सितम्बर, 1974 संख्या-397/37-2-4-डी0 ए0/72 दिनांक 5 मई, 1975 एवं सपठित अधिसूचना संख्या-7068/37-2-288 डी0 ए0/82 दिनांक 6 दिसम्बर, 1983 के आंशिक संशोधन में कानपुर देहात के नवीन मुख्यालय के क्षेत्र में निम्न ग्रामों जिनका विवरण निम्नांकित है को कानपुर विकास प्राधिकरण में सम्मिलित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

क्रमांक	ग्रामों का नाम
1.	अकबरपुर
2.	कृपालपुर
3.	कटराऐमा
4.	मुस्तफाबाद
5.	भुगनियापुर
6.	बलभद्रपुर
7.	मदारपुरसतदकअली
8.	जमालपुर
9.	सलावतपुर
10.	टकटौली
11.	आलमचन्द्रपुर
12.	माली किशनपुर
13.	पातेपुर
14.	थरऊ
15.	नागिन जसी
16.	कंधिया
17.	जलालपुर नागिन
18.	तीवामऊ
19.	जैनपुर
20.	मंगोलपुर
21.	सरूपपुर
22.	बनारअलीपुर
23.	आधूकमालपुर
24.	घनरामपुर
25.	बारा
26.	जरेला
27.	दिलसराय
28.	रनिया
29.	काटका
30.	खानचन्द्रपुर
31.	प्रसिद्धपुरभाट
32.	उमरन
33.	बिसहारा
34.	दस्तामपुर
35.	जगजीवनपुर
36.	मुजफ्फराबाद छारण
37.	नसरतपुर मुनधोरा

संलग्नक-1

उत्तर प्रदेश शासन
आवास अनुभाग-6
संख्या-956/9-आ-6-99-2गठन/98
लखनऊ दिनांक 12 जुलाई, 1999

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1004 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 1904) की धारा-21 के साथ पठित उत्तर प्रदेश राष्ट्रपति अधिनियम (परिष्कारों सहित पुनः अधिनियम) अधिनियम 1974 (उत्तर प्रदेश अधिनियम सं0 30 सन् 1974) द्वारा यथा पुनः अधिनियमित और परिष्कृत (उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम, 1973) राष्ट्रपति अधिनियम संख्या-11 सन् 1973 की धारा-3 के अधीन शक्ति का प्रयोग करते हुए श्री राज्यपाल महोदय शासकीय अधिसूचना सं0-3923/37-4 डी0/72 दिनांक 11 सितम्बर, 1974 संख्या-397/37-2-4-डी0 ए0/72 दिनांक 5 मई, 1975 एवं सपठित अधिसूचना संख्या-7068/37-2-288 डी0 ए0/82 दिनांक 6 दिसम्बर, 1983 के आंशिक संशोधन में कानपुर देहात के नवीन मुख्यालय के क्षेत्र में निम्न ग्रामों जिनका विवरण निम्नांकित है को कानपुर विकास प्राधिकरण में सम्मिलित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

क्रमांक	ग्रामों का नाम
1.	अकबरपुर
2.	कृपालपुर
3.	कटराऐमा
4.	मुस्तफाबाद
5.	भुगनियापुर
6.	बलमद्रपुर
7.	मदारपुरसतदकअली
8.	जमालपुर
9.	सलावतपुर
10.	टकटौली
11.	आलमचन्द्रपुर
12.	माली किशनपुर
13.	पातेपुर
14.	थरऊ
15.	नागिन जसी
16.	कंधिया
17.	जलालपुर नागिन
18.	तीवामऊ
19.	जैनपुर
20.	मंगोलपुर

क्रमांक	ग्रामों का नाम
21.	सरूपपुर
22.	बनारअलीपुर
23.	आधूकमालपुर
24.	घनरामपुर
25.	बारा
26.	जरेला
27.	दिलसराय
28.	रनिया
29.	कटका
30.	खानचन्द्रपुर
31.	प्रसिद्धपुरभाट
32.	उमरन
33.	बिसहारा
34.	दस्तामपुर
35.	जगजीवनपुर
36.	मुजफ्फराबाद छारण
37.	नसरतपुर मुनधोरा

उपरोक्त के अतिरिक्त ग्राम रौमधा एवं रिन्द नदी के बीच निम्नलिखित ग्रामों के कानपुर कालपी रोड के दोनों ओर 500 मीटर की दूरी तक जाने वाले भाग :-

क्रमांक	ग्राम का नाम
38.	शेरपुर तरौंदा
39.	लोदीपुर
40.	फतेहपुर रोशनायी
41.	रामपुर कुसाट
42.	थंजुआ
43.	चिरौरा
44.	मुबारकपुर लता
45.	विस्तायकपुर

अतुल कुमार गुप्ता
सचिव

संख्या-956 (1) /9-आ-6-99 तद्दिनांक

प्रतिलिपि संयुक्त अधीक्षक मुद्रण एवं लेखन सामग्री ऐशबाग लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया इसे हिन्दी में दिनांक 12.7.99 के विधायी परिशिष्ट-4 में प्रकाशित करें तथा उसकी 100 मुद्रित प्रतियाँ शासन को तथा 10-10 प्रतियाँ सीधे अपने स्तर से सम्बन्धित अधिकारियों को भेजने का कष्ट करें।

आज्ञा से

(आनन्द कुमार)
अनुसचिव

संख्या-956(2)/9-आ-6-99 तद्दिनांक
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-
1. आयुक्त कानपुर मण्डल कानपुर
2. जिलाधिकारी कानपुर एवं कानपुर देहात
3. जिलाधिकारी उन्नाव
4. उपाध्यक्ष कानपुर विकास प्राधिकरण कानपुर
5. मुख्य नगर एवं ग्राम्य नियोजक उत्तर प्रदेश लखनऊ
6. आवास अनुभाग-3

आज्ञा से

(आनन्द कुमार)
अनुसचिव

रजि0 नं0 एन. डब्लू./एन.
लाइसेन्स नं. डब्लू. पी.-4.
लाइसेन्स टू पोस्ट एण्ड कन्डेसनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

भाग-4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, वृहस्पतिवार, 20 जनवरी, 2000

पौष 30, 1921 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

आवास अनुभाग-6

संख्या सी-417/9-आ-6-2000-21डी0ए-72

लखनऊ, 20 जनवरी, 2000

अधिसूचना

प0 आ0 -752

उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 1904) की धारा 21 के साथ पठित उत्तर प्रदेश राष्ट्रपति (परिकारों सहित पुनः अधिनियमन) अधिनियम, 1974 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 30 सन् 1974) द्वारा यथा पुनः अधिनियमित और परिष्कृत उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम, 1973 (राष्ट्रपति अधिनियम संख्या 11 सन् 1973) की धारा 3 के खण्ड सहित का प्रयोग करते हुये मो राज्यपाल शासकीय अधिसूचना संख्या 3923/37-2-4डी0ए-72, दिनांक 11 सितम्बर, 1974, संख्या 397/37-2-4डी0ए-72, दिनांक 5 मई, 1975 एवं तत्पश्चात अधिसूचना संख्या 7068/37-2-288डी0ए-8 दिनांक 6 दिसम्बर, 1983 एवं तत्पश्चात अधिसूचना संख्या 4019/9-आ-5-96-21डी0ए-72, दिनांक 27 दिसम्बर, 1996 तत्पश्चात अधिसूचना संख्या 296/9-आ-6-99, दिनांक 12-7-99 के आंशिक संशोधन में उन्नाव जनपद की सीमान्तर्गत क्षेत्र में निर्धारितीय गंगा बैराज के निकट गंगोत्री टाउनशिप योजना

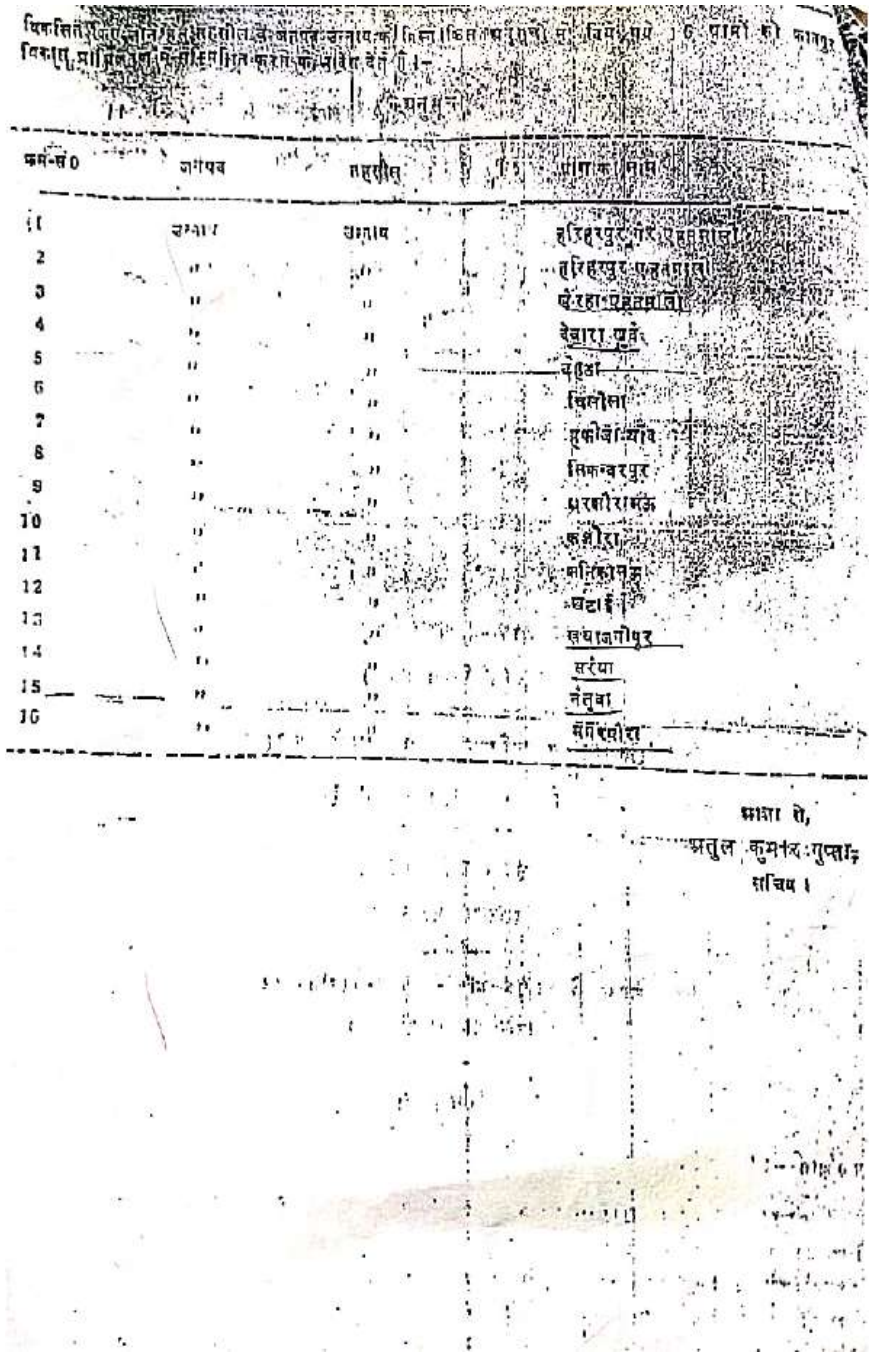

विकसित ग्राम पंचायत उनवास के किस वार्ड में कितने परिवार 6 माह को काम
विकल्प मांग निम्नवत् के सम्मिलित करने का आवेदन देते हैं।

क्रम-सं0	जनपद	तहसील	ग्राम का नाम
1	उन्नाव	उन्नाव	हरिहरपुर पूरब एकसारी
2	"	"	हरिहरपुर पश्चिमसारी
3	"	"	पैरहा पश्चिमसारी
4	"	"	देवारा पूर्व
5	"	"	चौड़ा
6	"	"	चिलौसा
7	"	"	हकीकी गांव
8	"	"	सिकन्दरपुर
9	"	"	अरवीरामऊ
10	"	"	कजौरा
11	"	"	मलिकानगर
12	"	"	घटाई
13	"	"	खयाजनीपुर
14	"	"	सर्रया
15	"	"	नैतुवा
16	"	"	मैरिखौरा

भवदीय,
अतुल कुमार गुप्ता,
सचिव।

नत्थी 'ग'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या-138 का उत्तर पीछे पृष्ठ सं0-125-126 पर)

कानपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड

क्र०सं०	परियोजना का नाम	कार्य की स्थिति	स्मार्ट सिटी गाइडलाइन के पैरा 6.2 के अनुसार
1	ई-पाठशाला डिजिटल लर्निंग लागू	पूर्ण	मजबूत आई.टी कनेक्टिविटी एवं डिजिटलाइजेशन
2	सड़क सुधार एवं रखरखाव, एलएमटी संस्थान और स्ट्रीट फर्नीचर, साइकी ट्रैक्स और उपयोगी गतिविधियां	पूर्ण	पैदल चलने वालों के लिए अनुकूल रास्ते, गैर-मोटर चालित परिवहन (पैदल एवं साइकिल मार्ग), अतिक्रमण मुक्त सार्वजनिक क्षेत्रों को प्रोत्साहित करना, नागरिकों विशेष रूप से बच्चों, महिलाओं, और बुजुर्गों की सुरक्षा एवं स्मार्ट स्ट्रीट लाइटें।
3	स्मार्ट सिटी ऑपरेशन सेन्टर	पूर्ण	मजबूत आई.टी कनेक्टिविटी एवं डिजिटलाइजेशन, आईटीएमएस, स्मार्ट मीटरिंग, स्मार्ट पार्किंग
4	वर्षा जल संचयन और अपशिष्ट जल पुर्नचक्रण	पूर्ण	जल संचयन
5	ओपन जिम का विकास	पूर्ण	खुले स्थानों का समेकित उपयोग, क्षेत्र में स्पष्ट सुधार
6	आईसीटी आधारित ठोस अपशिष्ट संग्रहण	पूर्ण	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सहित स्वच्छता
7	नानाराव पार्क का उपयोजिकरण	पूर्ण	क्षेत्र और पैदल चलने वालों के अनुकूल रास्तों में स्पष्ट सुधार
8	सुदृढ़ीकरण टू-गार्ड इन्फैक्ट प्रोजेक्ट	पूर्ण	क्षेत्र में स्पष्ट सुधार
9	ईपीसी मोड में चासियस स्पोर्टस स्टेडियम, कानपुर का आधुनिकीकरण एवं विकास	पूर्ण	क्षेत्र में स्पष्ट सुधार
10	अहिरण, कानपुर में इलेक्ट्रिक बस चार्जिंग डिपो	पूर्ण	परिवहन एवं गतिशीलता
11	ईपीसी मोड में जवाहिल पार्क में आंतरिक सीसी रोड की चारदीवारी, उन्नयन और आधुनिकीकरण	पूर्ण	क्षेत्र में स्पष्ट सुधार, वार्किंग वीक करने वालों के लिए बेहतर चलने की सुगमता, स्वास्थ्य लाभ
12	दीनदयाल स्टेडियम में अतंर्राष्ट्रीय दौड़ों का विकास	पूर्ण	क्षेत्र में स्पष्ट सुधार, विरासत संरक्षण एवं बहाली
13	किंग एडवर्ड मेमोरियल हॉल, फूलबाग कानपुर में प्रोजेक्शन मैपिंग	पूर्ण	क्षेत्र में स्पष्ट सुधार, विरासत संरक्षण एवं बहाली
14	हेरिटेज लालइमली मिल कानपुर का अग्रभाग और टावर रोशनी का कार्य	पूर्ण	क्षेत्र में स्पष्ट सुधार, विरासत संरक्षण एवं बहाली
15	कोतवाली कानपुर में अग्रभाग का सुधार और रोशनी का कार्य	पूर्ण	क्षेत्र में स्पष्ट सुधार, विरासत संरक्षण एवं बहाली
16	दीनदयाल स्टेडियम में बैडमिंटन और टीटी हॉल का नवीनीकरण और पुनर्निर्माण	पूर्ण	क्षेत्र में स्पष्ट सुधार, नागरिकों में खेलों का प्रोत्साहन
17	बीएसईएल सिक्योरिटी का डिजिटलीकरण	पूर्ण	मजबूत आई.टी कनेक्टिविटी एवं डिजिटलाइजेशन
18	ट्रैक स्कीम्स की खरीद	पूर्ण	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सहित स्वच्छता तथा प्रदूषण की कमी
19	स्थिर कचरा टैग स्कैनर की खरीद	पूर्ण	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सहित स्वच्छता तथा प्रदूषण की कमी
20	एचडी क्षेत्र में पेवट पार्क का निर्माण एवं विकास	पूर्ण	खुले स्थानों का समेकित उपयोग, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और अपशिष्ट पदार्थों का पुनः उपयोग
21	राज्य स्तरीय आईसीसीसी के साथ एकीकरण	पूर्ण	मजबूत आई.टी कनेक्टिविटी एवं डिजिटलाइजेशन, आईटीएमएस, स्मार्ट मीटरिंग, स्मार्ट पार्किंग
22	व्यंजन एवं इन्फ्रास्ट्रक्चर उन्नयन	कानपुर स्मार्ट सिटी द्वारा समय-समय पर आयोजित कार्यक्रम	
23	सांस्कृतिक मील एवं इन्फ्रास्ट्रक्चर इवेंटस	कानपुर स्मार्ट सिटी द्वारा समय-समय पर आयोजित कार्यक्रम	
24	जागरूकता अभियान	कानपुर स्मार्ट सिटी द्वारा समय-समय पर आयोजित कार्यक्रम	
25	प्रचार एवं विज्ञापन	कानपुर स्मार्ट सिटी द्वारा समय-समय पर आयोजित कार्यक्रम	

26	आनलाइन रेडियो एवं मीडिया अभियान	कानपुर स्मार्ट सिटी द्वारा समय-समय पर आयोजित कार्यक्रम	
27	क्षमता निर्माण	कानपुर स्मार्ट सिटी द्वारा समय-समय पर आयोजित कार्यक्रम	
28	इलेक्ट्रिसिटी स्कीम	प्रगति पर है।	भारत सरकार की स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत जोनको के 14 सब-स्टेशनों के क्षेत्र में स्काडा/एडीएमएस प्रणाली का क्रियान्वयन और इसी के आधार पर संपूर्ण जोनको क्षेत्र में भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआईएस) का कार्यान्वयन
29	वॉटर सप्लाई स्कीम	प्रगति पर है।	1. एक केन्द्रीकृत स्थान पर सभी महत्वपूर्ण डाटा उपलब्धता, डाटा विश्लेषण और सुधारात्मक उपायों के कारण, पानी की गुणवत्ता, प्रवाह, स्तर, पंप/मोटर संचालन आदि जैसे साफ पानी, साफ पानी, प्रक्रिया संयंत्रों और कानपुर शहर के 6 जेडपीएस की केंद्रीकृत डाटा उपलब्धता, डाटा विश्लेषण गुणवत्ता में सुधार के साथ आपूर्ति के सुधारात्मक उपायों पर आसानी से ध्यान दिया जायेगा। 2. निरंतर निगरानी एवं संचालन से जल की बर्बादी/लीकेज को नियंत्रित किया जायेगा। 3. ऑटोमेशन द्वारा जनशक्ति/संसाधन में सुधार/कमी।
30	अम्बुदय योजना के तहत इंटरएक्टिव डिजिटल क्लासरूम की स्थापना	प्रगति पर है।	मजबूत आई.टी कनेक्टिविटी एवं डिजिटलाइजेशन
31	नानाराव पार्क में स्विमिंग पूल का उन्नयन	प्रगति पर है।	खेल गतिविधि के रूप में तैराकी को प्रोत्साहन, स्वास्थ्य में सुधार
32	मोतीझील, कानपुर में विक्रेता कियोस्क (एनएस संरचना) की डिजाइन, आपूर्ति और स्थापना	प्रगति पर है।	खुले स्थानों का अनिवय उपयोग, क्षेत्र में स्पष्ट सुधार
33	बस चार्जिंग स्टेशन (10 बसों के लिए) कजलगंज डिपो/कार्यशाला, कानपुर	प्रगति पर है।	परिवहन एवं गतिशीलता
34	कलेक्ट्रेट में मल्टीलेवल पार्किंग	प्रगति पर है।	स्मार्ट पार्किंग
35	एचीडी क्षेत्र में 6 पार्कों का सुधार और सौंदर्यीकरण	प्रगति पर है।	खुले स्थानों का उचित उपयोग, क्षेत्र में स्पष्ट सुधार
36	ईपीसी गोड़ पर चन्नीगंज, कानपुर में कन्वेंशन सेंटर का विकास	प्रगति पर है।	खुले स्थानों का उचित उपयोग, क्षेत्र में स्पष्ट सुधार
37	कानपुर स्मार्ट सिटी बिल्डिंग, कानपुर में भवन के अग्रभाग का नवीनीकरण एवं उन्नयन कार्य	प्रगति पर है।	क्षेत्र में स्पष्ट सुधार
38	एचीडी क्षेत्र में श्यामलाल गुप्ता प्रसाद और गणेश शंकर विद्यार्थी पार्क में चिल्ड्रेन पार्क का सुधार और सौंदर्यीकरण का कार्य	प्रगति पर है।	खुले स्थानों का उचित उपयोग, क्षेत्र में स्पष्ट सुधार
39	बड़ा चौराहा का विकास, भाला माता पार्क का नवीनीकरण, राम आसरे पार्क, बस शेल्टर और बड़ा चौराहा का प्लेस मेकिंग	प्रगति पर है।	खुले स्थानों का उचित उपयोग, क्षेत्र में स्पष्ट सुधार
40	फूलबाग में सड़क पार्किंग क्षेत्र और फुटपाथ का निर्माण	प्रगति पर है।	परिवहन और गतिशीलता में सुविधा
41	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (भाग-2)	प्रगति पर है।	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सहित स्वच्छता
42	कानपुर नगर निगम के लिए फेस रिकोगनिशन उपस्थिति प्रणाली	प्रगति पर है।	डिजिटाइजेशन
43	पालिका स्टेडियम, बृजेन्द्र स्वरूप पार्क, कानपुर में बाउंड्री वॉल, पार्किंग एरिया और गेम जोनिंग का निर्माण	प्रगति पर है।	क्षेत्र में स्पष्ट सुधार

44	ग्रीन पार्क स्टेडियम में आंगतुक दीर्घा का विकास (चरण-2)	प्रगति पर है।	क्षेत्र में स्पष्ट सुधार
45	ग्रीन पार्क स्टेडियम में ड्रेसिंगरूम हॉल का नवीनीकरण/उन्नयन (चरण-2)	प्रगति पर है।	क्षेत्र में स्पष्ट सुधार
46	चुन्नीगंज से होते हुए बजरिया थाना से चालटौली तक स्मार्ट रोड का निर्माण (चरण-2) (सड़क पुनर्विकास)	प्रगति पर है।	पैदल चलने वालों के अनुकूल रास्तेए गैरमोटर चालित परिवहन जैसे पैदल चलना और साइकिल चलानाद्वए अतिक्रमण मुक्त सार्वजनिक क्षेत्रों को प्रोत्साहित करना और सुनिश्चित करना नागरिकों विशेष रूप से बच्चों व महिलाओं और बुजुर्गों की सुरक्षा और ऊर्जा कुशल स्ट्रीट लाईटिंग
47	एजेंसियों के पैनल द्वारा शहर के विभिन्न पार्कों में ओपन जिम और चिल्ड्रेन पार्क की स्थापना	प्रगति पर है।	खुले स्थानों का अभिनव उपयोगए क्षेत्र में दृश्यमान सुधारए स्वास्थ्य को बढ़ावा देना
48	सरकारी इमारतों पर सौलर पैनल की स्थापना	प्रगति पर है।	कुशल ऊर्जा प्रबंधन एवं पारम्परिक ऊर्जा स्रोतों पर निर्भरता को कम करना
49	सरकारी इमारतों पर सौलर पैनल की स्थापना	प्रगति पर है।	ऊर्जा कुशल स्ट्रीट लाईटिंग
50	परमट में आनन्देश्वर मंदिर के पास सरकारी व सार्वजनिक स्थानों का विकास	प्रगति पर है।	क्षेत्र में स्पष्ट सुधार
51	सीसाईमऊ रोड, कानपुर का डिजाइन, निष्पादन, आपूर्ति स्थापना और कमीशनिंग और पुनर्विकास	प्रगति पर है।	क्षेत्र में स्पष्ट सुधार
52	ई-बस लाट पर शहर में 30 स्थानों पर स्मार्ट बस स्टॉप का निर्माण और विकास	प्रगति पर है।	परिवहन और गतिशीलता
53	नानाराव पार्क में स्वचलित फुटओवर ब्रिज का निर्माण एवं विकास	प्रगति पर है।	परिवहन और गतिशीलताए नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना
54	01 पार्क के ओएंडएम के साथ इंटिग्रेटेड रिवर साइड पावर हाउस कानपुर के फ्रंट आधाभाग और चिमनी रोशनी की डिजाइन, आपूर्ति, स्थापना और कमीशनिंग	प्रगति पर है।	क्षेत्र में स्पष्ट सुधार
55	एबीडी क्षेत्र में सतत विकास	प्रगति पर है।	क्षेत्र में स्पष्ट सुधार
56	एबीडी क्षेत्र में नौका विहार पार्क का विकास	प्रगति पर है।	शहर में पर्यटन और स्वच्छता की स्थिति को बढ़ावा देना
57	नानाराव पार्क और सड़क विकास में भूनिर्माण और बागवानी का विकास	प्रगति पर है।	परिवहन और गतिशीलता
58	स्मार्ट पोलिसिंग	प्रगति पर है।	मजबूत आईटी कनेक्टिविटी और डिजिटलीकरण तथा अपराध पर नियंत्रण
59	तुलसी उपवन का सौंदर्यीकरण	प्रगति पर है।	खुले स्थानों का उचित उपयोग
60	सिटी ई-बस एप्लीकेशन का विकास	प्रगति पर है।	मजबूत आईटी कनेक्टिविटी और डिजिटलीकरण
61	वेब आधारित लिडार आधारित उपयोगिता और सम्पत्ति मानचित्रण का विकास	प्रगति पर है।	मजबूत आईटी कनेक्टिविटी और डिजिटलीकरण
62	कारनिश पार्क में बनी झील में नौका विहार की सुविधा का विकास	प्रगति पर है।	पर्यटन को बढ़ावा देना
63	मेट्रो मार्ग से निर्धारित स्थानों पर आई.सी.सी.सी. के खम्भों का स्थानान्तरण	प्रगति पर है।	मजबूत आईटी कनेक्टिविटी और डिजिटलीकरण
64	एबीडी क्षेत्र में सड़कों और साइनेज का सौन्दर्यीकरण	प्रगति पर है।	क्षेत्र में स्पष्ट सुधार
65	ग्रीन पार्क स्टेडियम में मीडिया सेन्टर में लिफ्ट की स्थापना	प्रगति पर है।	क्षेत्र में स्पष्ट सुधार
66	नगर निगम कानपुर के सम्पत्ति कर मॉपटडेमर का उन्नयन	प्रगति पर है।	डिजिटलीकरण

पी0एस0यू0पी0-एल0 115 विधान सभा (191)-76 प्रतियां (कम्प्यूटर/आफसेट)।